सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण

2018-19

वित्त विभाग

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री
बिहार

पटना

बिहार सरकार

<u>संदेश</u>

चूंकि बिहार ने अपने सतत आर्थिक और सामाजिक विकास का एक और वर्ष पूरा कर लिया है इसलिए यही वांछित है कि इस विकास गाथा का सही ढंग से दस्तावेजीकरण किया जाए। यह बात तो निश्चित तौर पर सही है कि बिहार ने हाल के वर्षों में काफी आर्थिक प्रगति की है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि देश के विकसित राज्यों के स्तर तक पहुंचने के लिए राज्य को अभी बहुत काम करना है।

हरेक साल आर्थिक सर्वेक्षण की संभावनाओं में सूचनाओं के साथ-साथ मुद्दे भी जुड़ते चले जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि पाठकों को यह सर्वेक्षण उपयोगी लगेगा।

(नीतीश कुमार)

सुशील कुमार मोदी
वित्त मंत्री, बिहार

बिहार सरकार

पटना

संदेश

बिहार की अर्थव्यवस्था की जो विकास यात्रा लगभग डेढ़ दशक पहले शुरू हुई थी वह आज भी जारी है। बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में निस्संदेह 11.3 प्रतिशत रही है जो देश के सभी राज्यों के बीच सर्वाधिक है। विकास प्रक्रिया में अन्य चीजों के साथ-साथ जिस एक प्रमुख कारक के चलते उछाल आया वह कारक अपने वित्तीय अनुशासन के साथ बिना समझौता किए राज्य सरकार द्वारा अधिक विकासमूलक व्यय करना है। आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्य बहुमूल्य आयामों पर सूचनाओं के साथ-साथ इस कुशल वित्त प्रबंधन के विवरण शामिल हैं।

मुझे पूरी आशा है कि सर्वेक्षण के पाठकों में नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता और बिहार के विकास से सरोकार रखने वाले अन्य लोग भी शामिल होंगे। मुझे यह भी आशा है कि बिहार के लिए प्रभावी विकास रणनीति बनाने के लिए उनसे हमें महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे।

(सुशील कुमार मोदी)

विषय सूची

अध्याय	:	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
		शब्द संक्षेप संग्रह	i-ix
		तालिका सूची एवं तालिका परिशिष्ट	x-xxii
		कार्यकारी सारांश	xxiii-xxxvi
अध्याय-1	:	**बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन**	**1-18**
		1.1 जनसांख्यिक विवरणी	1-3
		1.2 राज्य घरेलू उत्पाद	3-7
		1.3 क्षेत्रीय विषमता	8
		1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	9
		परिशिष्ट	10-18
अध्याय-2	:	**राजकीय वित्तव्यवस्था**	**19-73**
		2.1 वित्तीय स्थिति का अवलोकन	19-27
		2.2 राजकोषीय प्रदर्शन	27-34
		2.3 घाटा प्रबंधन	34-37
		2.4 नगद प्रबंधन	37
		2.5 राज्य सरकार द्वारा दी गई जमानतें	38
		2.6 ऋण प्रबंधन	38-41
		2.7 कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	41-42
		2.8 राजस्व लेखा : प्राप्ति और व्यय	43-45
		2.9 संसाधन प्रबंधन	46-55
		2.10 कर विषयक विभागों का प्रदर्शन	55-58
		2.11 वस्तु एवं सेवा कर	59-60
		2.12 व्यय प्रबंधन	60-66
		2.13 व्यय की गुणवत्ता	66-67
		2.14 क्षेत्रगत व्यय	67-71
		2.15 2018-19 के बजट अनुमान और 2017-18 की वास्तविक रकमों की तुलना	71-73
अध्याय-3	:	**कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र**	**74-118**
		3.1 बिहार की कृषि-जलवायु विवरणी	74-75
		3.2 बिहार में जल संसाधन	75-78
		3.3 भूमि संसाधन	78-80
		3.4 फसल पैटर्न	80-81
		3.5 उत्पादन और उत्पादकता के रुझान	81-90
		3.6 कृषि लागत सामग्रियां	90-96
		3.7 पशुपालन, मछली पालन और दुग्ध उत्पादन	96-100
		परिशिष्ट	101-118

अध्याय-4 :	**उद्यम क्षेत्र**	**119-144**
	4.1 उद्योगों की स्थिति	120-130
	4.2 कृषि आधारित उद्योग	130-134
	4.3 गैर-कृषि आधारित उद्योग	134-139
	4.4 सहयोगदाता संस्थाए	139-142
	4.5 बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017	142
	4.6 व्यवसाय सुगमता	142
	4.7 खनन एवं उत्खनन	143
	4.8 पर्यटन	143-144
अध्याय-5 :	**कौशल विकास**	**145-157**
	5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य	145-147
	5.2 बिहार में कौशल विकास का परिदृश्य	147-155
	परिशिष्ट	156-157
अध्याय-6 :	**अधिसंरचना**	**158-204**
	6.1 सड़क नेटवर्क	159-173
	6.2 पुल क्षेत्र	173-176
	6.3 पथ परिवहन	176-181
	6.4 रेलवे नेटवर्क	182
	6.5 वायु मार्ग	182-183
	6.6 भवन निर्माण	183-186
	6.7 सिंचाई अधिसंरचना	186-192
	6.8 दूरसंचार नेटवर्क	192-195
	6.9 डाक नेटवर्क	195-197
	6.10 सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना	198-199
	परिशिष्ट	200-204
अध्याय-7 :	**ऊर्जा क्षेत्र**	**205-227**
	7.1 बिजली की उपलब्धता	205-206
	7.2 बिजली की जरूरत का अनुमान	207-209
	7.3 विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा	209-210
	7.4 वितरण कंपनियां	211
	7.5 कार्य संचालन और वित्त संबंधी स्थिति	211-213
	7.6 विद्युतीकरण और वितरण योजनाओं के कार्यक्रम	213-217
	7.7 संचरण	217-218
	7.8 उत्पादन	218-222
	7.9 नई योजनाएं/ परियोजनाएं	222-224
	7.10 विद्युत क्षेत्र में हाल में हुए विकास	224-225
	7.11 बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)	226
	7.12 बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड	227

अध्याय-8 :	**ग्रामीण विकास**	**278-252**
	8.1 गरीबी	228-230
	8.2 ग्रामीण विकास कार्यक्रम	230-239
	8.3 पंचायती राज संस्थाएं	239-241
	8.4 गृहभूमि वितरण	241
	8.5 आपदा प्रबंधन	241-242
	8.6 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	242-244
	परिशिष्ट	245-252
अध्याय-9 :	**नगर विकास**	**253-272**
	9.1 शहरीकरण का स्तर	253-256
	9.2 नगर विकास पर व्यय	257
	9.3 नगर विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	257-259
	9.4 नगर विकास कार्यक्रम (केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित)	260-269
	9.5 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था	269
	परिशिष्ट	270-272
अध्याय-10 :	**बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र**	**273-304**
	10.1 बैंकिंग अधिसंरचना	275-279
	10.2 जमा और ऋण	280-287
	10.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा	288-293
	10.4 बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां	293-294
	10.5 वित्तीय संस्थाएं	294-296
	10.6 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)	296-298
	10.7 बिहार में सूक्ष्मवित्त	298-300
	10.8 मुद्रा ऋण	301
	परिशिष्ट	302-304
अध्याय-11 :	**मानव विकास**	**305-372**
	11.1 बिहार में स्वास्थ्य परिदृश्य	307-318
	11.2 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता	319-322
	11.3 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	322-336
	11.4 समाज कल्याण	336-342
	11.5 महिला सशक्तीकरण	342-348
	11.6 वृद्ध और नि:शक्त जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा	348-350
	परिशिष्ट	351-372
अध्याय-12 :	**बाल विकास**	**373-388**
	12.1 जनसांख्यिक स्थिति	373-374
	12.2 बच्चों के लिए आवंटन	374-376
	12.3 स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति	376-382
	12.4 शैक्षिक स्थिति	382-385
	परिशिष्ट	386-388

शब्द संक्षेप संग्रह

अजा	अनुसूचित जाति
अजजा	अनुसूचित जनजाति
अनु.	अनुपस्थित
पु.अ.	पुनरीक्षित अनुमान
ब.अ.	बजट अनुमान
एए	वैकल्पिक विश्लेषण
एबी-एनएचपीएमसी	आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन परिषद
एसीपी	वार्षिक ऋण योजना
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एआइबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ योजना
एआइआइएमएस (एम्स)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एएमआरयूटी (अमृत)	अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन
एएनसी	प्रसव-पूर्व देखरेख
एएनएम	सहायक नर्स-सह-धाई
एपीईडीए (अपेडा)	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीएचसी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एक्यूएमएस	वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र
एआरआइ	तीव्र श्वास संक्रमण
एएसईआर (असर)	वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन
एएसएचए (आशा)	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएसआइ	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
एटी एंड सी	समूहित तकनीकी एवं व्यावसायिक
एटीएमए (आत्मा)	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण
एवीएस	आंगनवाड़ी विकास समिति
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूएच	आंगनवाड़ी सहायिका
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी सेविका
बीएपीसीसी	बिहार जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
बीबीओएसई	बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा पर्षद
बीसी	पिछड़ा वर्ग
बीसीसी	व्यवहार परिवर्तन संवाद
बीएचआइएम (भीम)	भारत मुद्रा इंटरफेस
बीआइएडीए (बिआडा)	बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार
बीएमआइ	देह-मात्रा सूचकांक
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास अभिकरण
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
बीआरजेपी	बिहार राज्य जल पर्षद

बीआरएलपी	बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना
बीआरपीएनएनएल	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
बीएसडीएम	बिहार कौशल विकास मिशन
बीएसडीएमए	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार
बीएसईबी	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बीएसएचपी	बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसपीसीबी	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
बीएसपीजीसीएल	बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
बीएसपीएचसीएल	बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
बीएसपीटीसीएल	बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड
बीएसआरडीसीएल	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
बीएसआरटीसी	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम
बीएसएसओसीए	बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन अभिकरण
बीएसडब्ल्यूएएन (बिस्वान)	बिहार राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क
बीटीपीएस	बरौनी तापविद्युत केंद्र
बीयूआइडीसीओ (ब्यूडको)	बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम
सीएजीआर	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
सीबीआर	अशोधित जन्म दर
सीसीबी	केंद्रीय सहकारी बैंक
सीसीएस	कृष्य कमांड क्षेत्र
सीसीटीएनएस	अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली
सीडी	ऋण-जमा
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीएफसी	सामान्य सुविधा केंद्र
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीआइडीसी	निर्माण उद्योग विकास परिषद
सीएलएफ	संकुल स्तरीय संघ
सीएमपी	व्यापक आवागमन योजना
सीएमआर	बाल मृत्यु दर
सीओसी	परिवर्तन के चैंपियन
सीओएमएफईडी (कॉम्फेड)	सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरएफ	केंद्रीय सड़क कोष
सीएससी	सामुदायिक सेवा केंद्र

सीएससी	नागरिक सेवा केंद्र
सीएसपी	उपभोक्ता सेवा स्थल
सीएसआर	निगमोचित सामाजिक दायित्व
सीएसएसएम	केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रबंधित
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
डीएवाइ-एनयूएलएम (डे-नुल्म)	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभांतरण
डीडीयूजीजेवाइ	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीईएएस	दुहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
डीआइसी	जिला उद्योग केंद्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएसएलएएम (डीएस-लैम)	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ऍक्सेस मल्टीप्लेक्सर
ईएपी	वाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना
ईबीसी	अति पिछड़ा वर्ग
ईसीसीई	शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा
ईपीसी	अभियंत्रण, क्रय एवं निर्माण
ईपीआइ	विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम
ईएसटीपी	कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन द्वारा रोजगार
एफईएसओ	मत्स्यपालन प्रसार सेवा अधिकारी
एफआइएसईपी (फाइसेप)	वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम
एफएमसीजी	द्रुत विक्रय उपभोक्ताा वस्तु
एफपीआइआइ	तीव्र भुगतान नवाचार सूचकांक
एफआरबीएमए	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम
एफटीएच	फाइबर टू होम
जीसीए	सकल फसली क्षेत्र
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीप	ग्राम पंचायत
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसवीए	सकल राजकीय मूल्यवर्धन
जीटीएनएसवाइ	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना
जीवीओ	सकल निर्गत मूल्य
एचएफए	सबके लिए आवास

एचआरआइडीएवाइ (हृदय)	विरासत नगर विकास एवं वृद्धि योजन
एचटी	उच्च विभव
एचयूडीसीओ (हुडको)	आावास एवं नगर विकास निगम
आइएपी	समेकित कार्ययोजना
आइबीसी	दिवालियापन एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता
आइसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आइसीडी	निवेश सह ऋण-जमा
आइसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवा
आइजीएएस	भारत सरकार लेखाकरण मानक
आइजीएमसीवाइ	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
आइजीएनओयू (इग्नू)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आइजीएसटी	अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर
आइएचएचएल	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आइएल एंड एफएस	अधिसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवाएं
आइएमएफएल	भारत निर्मित विदेशी शराब
आइएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा
आइएमआर	शिशु मृत्यु दर
आइपीडीएस	समेकित विद्युत विकास योजना
आइपीडीएस	भर्ती रोगी विभाग
आइपीपीबी	भारतीय डाक भुगतान बैंक
आइएसबीटी	अंतर-राज्य बस पड़ाव
आइएसडीपी	समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम
आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेई	जापानी एनसेफलाइटिस
जेआइसीए (जीका)	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण
जेएसवाइ	जननी सुरक्षा योजना
केबीयूएनएल	कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केएचपीएस	कोशी जलविद्युत केंद्र
केवीआइसी	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
केवाइपी	कौशल युवा कार्यक्रम
एलईबी	जन्मकालीन जीवन संभाव्यता
एलपीएस	निम्न प्रदर्शन वाले राज्य

एलएस	महिला पर्यवेक्षक
एलएसबीए	लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
एलटी	निम्न विभव
एलडब्ल्यूई	वामपंथी अतिवाद
एमबीएस	मातृत्व लाभ योजना
एमसीएस	सूक्ष्म-ऋण योजना
एमडीएमएस	मध्याह्न भोजन योजना
एमडीआर	मुख्य जिला पथ
एमएनआरईजीएस (मनरेगा)	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआइ	मिशन इंद्रधनुष
एमएमजीएसवाइ	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमएमएसएनवाइ	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
एमएमवीएसएनवाइ	मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमपीआइ	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एमएसडीजी	मोबाइल ई-गवर्नेंस सर्विस डेलीवरी गेटवे
एमएसडीपी	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
एमएसएमई	अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमवी	मामिडीपुडी वेंकटारंगैया
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनएबीएआरडी (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीपीडीसीएल	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एनसीएपी	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनएफएचएस	राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीएन	नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क
एनएच	राष्ट्रीय उच्चपथ
एनएचडीपी	राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना
एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनआइओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान
एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एनएमआर	नवजात मृत्यु दर

एनएनएम	राष्ट्रीय पोषण मिशन
एनओएफएन	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (भारत नेटवर्क)
एनओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
एनपीए	अनिष्पादित परिसंपत्तियां
एनपीसीआइ	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीके	नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश
एनपी-एनपीएसई	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहयोग कार्यक्रम
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीणा पेयजल कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएचएम-डी	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम
एनएसए	शुद्ध बुआई क्षेत्र
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण
एएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसडीजी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डेलीवरी गेटवे
एनएसडीएम	राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
एनएसडीपी	निवल घरेलू राज्य उत्पाद
एनएसक्यूसी	राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा
एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु बचत कोष
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनयूएचएम	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
ओएई	स्वश्रम उद्यम
ओडी	खुले में शौच
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्त
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएनसीईटी (ऑनसेट)	ऑनलाइन प्रशिक्षक प्रमाणन
ओओएस	विद्यालय त्यागी
ओपीडी	वाह्य-रोगी विभाग
ओपीएचआइ	ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल
ओपीआरएमसी	निर्गत एवं प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदा
ओपीडब्ल्यूडी	अन्य लोक निर्माण विभाग
पीएसीएस (पैक्स)	प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति
पीसीए	त्वरित सुधारक कार्रवाई
पीसीडीई	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
पीडीएस	जन वितरण प्रणाली

पीएफसी	विद्युत वित्त निगम
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
पीएचएच	विशेषाधिकृत परिवार
पीआइए	परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण
पीएमएवाइ-जी	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमजीएसवाइ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमजेडीवाइ	प्रधानमंत्री जन-धन योजना
पीएमजेजेबीवाइ	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमकेवीवाइ	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएमएमवीवाइ	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पीएमएमवाइ	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पीएमआर	जन्मकालीन मृत्यु दर
पीएमएसबीएम	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीओबी	डाकघर बैंक
पीओपी	उपस्थिति-स्थल
पीपीए	विद्युत क्रय समझौता
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी साझेदारी
पीआरआइ	पंचायती राज संस्था
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसई	प्राग्विद्यालय शिक्षा
पीएसएस	विद्युत उप-केंद्र
पीटीआर	विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात
क्यूपी	गुणवत्तापूर्ण पैक
आरबीआइ	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएच	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य
आरजीएसईएजी	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना
आरआइडीएफ	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष
आरएमएनसीएच+ए	प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोरी स्वास्थ्य
आरएमएसउ	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आरएनटीसीपी	संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम
आरओबी	रेल उपरिपुल
आरपीएल	पूर्वाधिगम मान्यता

आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरपी	पथ आवश्यकता योजना
आरएसईटीआइ (रूसेटी)	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीडी	भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती
आरटीई	शिक्षाधिकार
आरयूएसए (रूसा)	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
एसएजी	किशोरी योजना
एसएपीएफआइएन (सैपफिन)	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना हेतु वित्तीय रूपरेखा
सौभाग्य	सहज बिजली हर घर योजना
एसबीडी	मानक बोली दस्तावेज
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
एससी	उप-केंद्र
एससी	अनुसूचित जाति
एससीबी	अनुसूचित व्यावसायिक बैंक
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एससीपीएस	राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
एसडीसी	कौशल विकास केंद्र
एसडीसी	राज्य आंकड़ा केंद्र
एसडीजी	सुस्थिर विकास लक्ष्य
एसडीएमएस	कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली
एसईसीसी	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति गणना
सेक्लेन	सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एसएफआरटीवाइ (स्फूर्ति)	पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन वित्तीयन योजना
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसएच	राज्य उच्चपथ
एसएचए	राज्य स्वास्थ्य अभिकरण
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी-बीएलपी	स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम
एसआइपीबी	राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद
एसजेवीएनएल	सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड
एसकेसीसी	सपनों को चली छूने
एसएलबीसी	राज्यस्तरीय बैंकर समिति
एसएमआइडी	सामाजिक गांलबंदी एवं संस्थागत विकास
एसएनपी	पूरक पोषण कार्यक्रम
एसओएलयूएस (सोलस)	सुस्थिरता हेतु स्थानीयकरण द्वारा सौर ऊर्जा

एसबीपीडीसीएल	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एसपीवी	विशेष प्रयोजन माध्यम
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर
एसएस	समग्र शिक्षा
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसडीजी	राज्य ई-गवर्नेंस सर्विस डेलिवरी गेटवे
एसएसजीए	राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूति
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसयूएच (सुह)	शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय
एसयूएसवी	नगर पथ विक्रेता सहायता
एसडब्ल्यूएएन (स्वान)	राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीई	अध्यापक शिक्षा
टीएफआर	कुल प्रजनन दर
टीआरएफए	चावल के परती खेतों का लक्ष्यकरण
यू5एमआर	5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर
उड़ान	उड़े देश का आम नागरिक
यूडीएवाइ (उदय)	उज्ज्वल डिस्कॉम ऍस्यूरेंस योजना
यूआइपी	चरम सिंचाई क्षमता
यूएनएई	अनिगमित कृषीतर उद्यम
यूएनसीआरसी	संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूपीआइ	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूएसओ	सर्व सेवा दायित्व
वीएटी (वैट)	मूल्यवर्धित कर
वीसी	वीडियो कंफ्रेंसिंग
वीएलई	ग्राम-स्तरीय उद्यमी
वीओ	ग्राम संगठन
डब्ल्यूबीएम	वाटरबांउड मकाडेम
डब्ल्यूडीसी	महिला विकास निगम
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
जेडपी	जिला परिषद

तालिका सूची

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
	अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	
1.1	भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)	2
1.2	2011-12 के मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	4
1.3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दरें	5
1.4	स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना	7
1.5	बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले	8
1.6	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए मुद्रास्फीति की राज्यवार वार्षिक दरें (आधार : 2012 = 100)	9
	अध्याय-2 : राजकीय वित्तव्यवस्था	
2.1	प्राप्ति और व्यय	21
2.2	प्रमुख राजकोषीय सूचक	30-31
2.3	राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक	33
2.4	राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति	34
2.5	सकल राजकोषीय घाटा	35
2.6	बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना	36
2.7	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	37
2.8	बकाया देनदारियां	38
2.9	संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना	39
2.10	लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व	40
2.11	प्राप्त शुद्ध लोक ऋण	41
2.12	राज्यों के कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2016-17)	42
2.13	राजस्व लेखा : प्राप्ति	43
2.14	राजस्व लेखा : व्यय पैटर्न	44
2.15	ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति	44
2.16	राजस्व बनाम पूंजीगत परिव्यय	45
2.17	केंद्र सरकार से होने वाला संसाधनों का अंतरण	45
2.18	राजस्व प्राप्ति	47

2.19	विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व	48
2.20	कर राजस्व की संरचना (प्रतिशत)	49
2.21	कर राजस्व की वृद्धि दरें	50
2.22	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा	50
2.23	प्रमुख करेतर राजस्व	51
2.24	करेतर राजस्वों की संरचना	52
2.25	करेतर राजस्वों की वृद्धि दरें (प्रतिशत)	52
2.26	कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2017-18)	53
2.27	कर संग्रहण व्यय	54
2.28	कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	54
2.29	महत्वपूर्ण कर और करेतर राजस्व स्रोतों की उछाल	55
2.30	विभिन्न अधिनियमों के तहत वाणिज्य कर संग्रहण	56
2.31	राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण	56
2.32	कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा	56
2.33	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व	57
2.34	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2018-19 (सितंबर 2018 तक)	58
2.35	बिहार में वस्तु एवं सेवा कर से हुआ संग्रहण	59
2.36	पेट्रॉलियम उत्पादों से बिक्री कर का संग्रहण	60
2.37	संचित निधि से व्यय	61
2.38	सरकारी व्यय की संरचना	62
2.39	कुल व्यय की प्रतिशत संरचना	63
2.40	व्यय की वृद्धि दरें	63
2.41	राजस्व व्यय का ब्योरा	64
2.42	वेतन और पेंशन पर व्यय	65
2.43	व्यय की गुणवत्ता के मापदंड	66
2.44	सामाजिक सेवाओं पर व्यय	68
2.45	आर्थिक सेवाओं पर व्यय	69
2.46	स्थापना और कार्यार्पित व्यय कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत में : 2017-18	70
2.47	सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	71

2.48	2017-18 की वास्तविक रकम और 2018-19 के बजट अनुमान का सारांश	72
2.49	संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय	73
	अध्याय-3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	
3.1	बिहार के कृषि जलवायु जोन	75
3.2	बिहार में विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात	76
3.3	बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2012-13 से 2016-17)	79
3.4	बिहार में जोतों का वितरण	80
3.5	बिहार में फसल पैटर्न	81
3.6	बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन स्तर	82
3.7	मुख्य फसलों की उत्पादकता का स्तर	84
3.8	मुख्य फसलों के उत्पादन/ उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण	85
3.9	बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन	88
3.10	बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन	89
3.11	प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें	91
3.12	बिहार में उर्वरकों के उपयोग के रुझान	92
3.13	सब्सिडी के जरिए खरीदे गए कृषि यंत्रों की संख्या	94
3.14	पशु संपदा (2003, 2007 और 2012)	97
3.15	बिहार में पशुधन सेवाएं	98
3.16	बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन	99
	अध्याय-4 : उद्यम क्षेत्र	
4.1	बिहार में स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक विकास दरें	119
4.2	भारत के विभिन्न राज्यों में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान	120
4.3	कारखानों और चालू कारखानों की संख्या	121
4.4	बिहार और भारत में उद्योग	123
4.5	बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात	124
4.6	औद्योगिक क्षेत्र के सकल उत्पाद मूल्य और सकल मूल्यवर्धन का राज्यवार विवरण (2015-16)	124
4.7	औद्योगिक क्षेत्र नियोजित व्यक्तियों का राज्यवार विवरण (2015-16)	125
4.8	हर क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार उद्यमों का राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र-वार प्रतिशत वितरण	126

4.9	सभी राज्यों में उद्यमों की संख्या और सकल मूल्यवर्धन में विभिन्न राज्यों का प्रतिशत हिस्सा	127
4.10	विभिन्न राज्यों के लिए क्षेत्रवार और उद्यम के अनुसार प्रति उद्यम वार्षिक सकल मूल्यवर्धन (हजार रु.)	128
4.11	विभिन्न राज्यों में उजरती मजदूरों की अनुमानित संख्या और प्रति उजरती मजदूर वार्षिक सकल मूल्यवर्धन	129
4.12	चीनी मिलों का प्रदर्शन	131
4.13	विभिन्न दुग्ध संघों/ परियोजनाओं के तहत दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या	132
4.14	विभिन्न परियोजनाओं द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण	133
4.15	प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दुग्ध संग्रहण	133
4.16	कॉम्फेड की गतिविधियां	134
4.17	बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले	135
4.18	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा	135
4.19	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां	136
4.20	रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां (2013-14 से 2018-19)	137
4.21	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन	139
4.22	उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां	140
4.23	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और गतिविधियों का ब्योरा (अक्तूबर, 2018)	141
4.24	बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व	143
4.25	पर्यटन विभाग का व्यय विवरण	144
4.26	बिहार में पर्यटकों का आगमन	144
	अध्याय-5 : कौशल विकास	
5.1	कौशल युवा कार्यक्रम की उपलब्धियां (नवंबर 2018 तक)	151
5.2	डोमेन स्किलिंग की स्थिति (नवंबर 2018 तक)	152
5.3	नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती की स्थिति (नवंबर 2018 तक)	153
5.4	बिहार में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्थिति	154
5.5	पेश पाठ्यक्रम और जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम	154
5.6	कौशल विकास योजनाओं के लिए विभागवार बजट आबंटन की स्थिति	155

	अध्याय-6 : अधिसंरचना	
6.1	बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश	159
6.2	भारत के प्रमुख राज्यों का सड़क नेटवर्क	160
6.3	बिहार में प्राधिकरण के अनुसार कुल और पक्की सड़कों की लंबाई	161
6.4	बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की संख्या और लंबाई (सितंबर 2018 तक)	164
6.5	राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई और उनके विकास तथा रखरखाव पर हुआ व्यय	165
6.6	राष्ट्रीय उच्चपथों के चौड़ीकरण की स्थिति	166
6.7	बिहार में भारतमाला कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं	167
6.8	राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य का विवरण	168
6.9	निर्मित ग्रामीण पथों की कार्यक्रम-वार लंबाई (सितंबर 2018 तक)	171
6.10	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण	172
6.11	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल (2017-18)	175
6.12	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. का विवरण	176
6.13	भारत के प्रमुख राज्यों में निबंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या (2015-16)	177
6.14	निबंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण	178
6.15	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का राजस्व संग्रहण और ढोए गए यात्रियों की संख्या	181
6.16	पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई	183
6.17	भवन निर्माण विभाग की प्रमुख परियोजनाएं (करोड़ रु.)	184
6.18	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के वित्त प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय का सारांश	186
6.19	बिहार में चरम, सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता (मार्च के अंत में)	187
6.20	वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सृजन (2017-18)	187
6.21	बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं का जल उपयोग	188
6.22	मार्च 2018 में कृषक संस्थाओं की स्थिति	190
6.23	बिहार में लघु जल संसाधनों की स्थिति	190
6.24	लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र	191
6.25	प्रमुख भारतीय राज्यों के दूरभाष घनत्व	193
6.26	बीएसएनएल की दूरसंचार जनसांख्यिकी	194
6.27	बीएसएनएल नेटवर्क के फैलाव का विवरण	194
6.28	भारत के प्रमुख राज्यों में डाक नेटवर्क का विस्तार (31 मार्च, 2017 को)	196
6.29	डाकघरों में खातों और बाकी शेषों की संख्या (31 मार्च 2017 को)	197

	अध्याय-7 : ऊर्जा क्षेत्र	
7.1	विद्युत परिदृश्य (2011-12 से 2017-18)	206
7.2	बिजली की जिलावार खपत	206
7.3	ग्रामीण और शहरी घरों के लिए बिजली की वार्षिक आवश्यकता	207
7.4	राज्य की सीमा में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग	207
7.5	क्षमता विस्तार का वर्षवार और स्रोतवार ब्योरा	208
7.6	विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (2018-19 से 2020-21)	208
7.7	विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी (2018-19 से 2020-21)	209
7.8	बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन	210
7.9	प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या (बिलिंग के आंकड़ों के अनुसार)	211
7.10	विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति	212
7.11	बिहार में संचरण एवं वितरण ह्रास (टाइम सीरीज के आंकड़ों वाली तालिका)	213
7.12	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम तथा समेकित विद्युत विकास योजना का पूंजीगत व्यय	214
7.13	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के तहत कार्य की प्रगति	215
7.14	रिकंडक्टरिंग योजना की स्थिति	217
7.15	बिजली की अनुमानित वांछित क्षमता (2018-19 से 2020-21)	218
7.16	संचरण के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना	218
7.17	विद्यमान उत्पादन क्षमता (मार्च 2018)	219
7.18	विद्यमान और योजना वाली उत्पादन इकाइयों के विवरण	222
7.19	ब्रेडा की उपलब्धियां (2016-17 से अक्तूबर 2018 तक)	225-226
7.20	निर्माणाधीन लघु जलविद्युत परियोजनाएं	227
	अध्याय-8 : ग्रामीण विकास	
8.1	बिहार और भारत में गरीबी अनुपात (प्रतिशत)	229
8.2	बिहार और भारत के लिए बहुआयामी गरीबी अनुपात	230
8.3	जीविका की प्रगति	231
8.4	स्वयं सहायता समूहों द्वारा जीविका से संबंधित गतिविधियों का विस्तार (2017-18)	232
8.5	बिहार में मनरेगा का प्रदर्शन	233
8.6	मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्य	234
8.7	इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रदर्शन	235

8.8	इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रदर्शन	236
8.9	जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि	238
8.10	विशेषाधिकृत परिवार और अंत्योदय के तहत चावल और गेहूं का कुल आबंटन और उठाव	239
8.11	बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	239
8.12	पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के लिए 2014-15 से 2017-18 तक अनुदान	240
8.13	गृहभूमि वितरण के लिए बजट आबंटन और वास्तविक व्यय	241
8.14	बाढ़ और चक्रवात के लिए आबंटित रकम	242
8.15	वन विभाग का राजस्व और व्यय	243
	अध्याय-9 : नगर विकास	
9.1	बिहार और भारत में शहरीकरण का रुझान	254
9.2	शहरी आबादी का उनके आकार आधारित श्रेणीकरण के अनुसार वितरण	254
9.3	बिहार में शहरों के आकार के अनुसार बुनियादी शहरी सेवाओं की उपलब्धता (2011)	255
9.4	बिहार के शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी और शौचालय की उपलब्धता	256
9.5	बिहार के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और नालियों की स्थिति	256
9.6	बिहार में नगर विकास एवं आवास का व्यय का पैटर्न	257
9.7	योजना की मुख्य विशेषताएं	258
9.8	योजना का वर्षवार लक्ष्य	259
9.9	घर तक पक्की गली-नालियां योजना की मुख्य विशेषताएं	259
9.10	नमामि गंगे योजना के तहत परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति	260
9.11	2017-18 में सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास के तहत उपलब्धियां	261
9.12	2017-18 में कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार के तहत उपलब्धियां	261
9.13	2017-18 में वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां	262
9.14	2017-18 में शहरी पथ विक्रेता सहायता के तहत उपलब्धियां	263
9.15	आश्रयों के निर्माण के लिए विमुक्त वर्षवार धनराशि	263
9.16	2017-18 में शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (सुह) के तहत स्थिति	264
9.17	नवंबर 2018 तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भौतिक प्रगति	264
9.18	प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास के तहत प्रगति	265
9.19	जलापूर्ति, जल निकासी और पार्क परियोजनाओं का ब्योरा	266

9.20	स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति	267
9.21 (क)	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति	267
9.21 (ख)	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति	268
9.22	स्मार्ट सिटी मिशन संबंधी व्यय	268
9.23	बिहार के 35 शहरों में नगरपालिका की वित्तीय स्थिति	269
	अध्याय-10 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र	
10.1	सभी बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण (2013-2018)	275
10.2	विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (मार्च 2018 तक)	276
10.3	राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को)	277
10.4	बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2018 के अंत में)	278
10.5	जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ग्रामीण जमा (मार्च 2017 के अंत में)	278
10.6	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (मार्च, 2017)	279
10.7	भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)	280
10.8	बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	282
10.9	बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2017-18)	283
10.10	31 मार्च को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	284
10.11	जिलावार ऋण-जमा अनुपात	285
10.12	राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	286
10.13	निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2017-18)	287
10.14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात	287
10.15	वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2016-17 और 2017-18)	288
10.16	वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियां - सभी बैंक	289
10.17	वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण	289
10.18	कृषिगत ऋण प्रवाह	290
10.19	बकाया कृषिगत अग्रिम	290
10.20	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2017)	291
10.21	राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम	292

10.22	बैंकों द्वारा जारी (नए) किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या	293
10.23	मार्च 2018 में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)	294
10.24	मार्च 2018 में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियों का क्षेत्रवार ब्योरा (करोड़ रु.)	294
10.25	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन	295
10.26	नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के विवरण	296
10.27	मार्च 2018 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत बिहार में स्वीकृति और वितरण	298
10.28	भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क	299
10.29	बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन	300
10.30	बिहार में 2017-18 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का प्रदर्शन	301
	अध्याय-11 : मानव विकास	
11.1	शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान	306
11.2	जन्मकालीन जीवन संभाव्यता	308
11.3	बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक	309
11.4	सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या	310
11.5	स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति	311
11.6	स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या	313
11.7	जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या	314
11.8	मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और महिलाओं का राज्यवार टीकाकरण (2017-18)	315
11.9	बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन	316
11.10	बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता	317
11.11	स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि	318
11.12	प्रदूषण वाले जिलों का मानचित्रण	320
11.13	जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं के तहत उपलब्धि	321
11.14	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति	321
11.15	राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में वित्तीय प्रगति	322
11.16	राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में भौतिक प्रगति	322
11.17	हिंदी हृदय प्रदेश के राज्यों की साक्षरता दरों के रुझान (1961-2011)	323
11.18	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन	325

11.19	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें	326
11.20	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें	327
11.21	शिक्षा पर व्यय	328
11.22	मध्याह्न भोजन योजना के तहत आहार, पोषण और कैलोरी संबंधी मानक	329
11.23	मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन	330
11.24	विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति	333
11.25	उच्च शिक्षा के संस्थान	334
11.26	अजा एवं अजजा कल्याण हेतु परिव्यय आबंटन का अवलोकन	338
11.27	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की सब्सिडी योजना	339
11.28	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति	340
11.29	पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के भौतिक और वित्तीय विवरण	341
11.30	जेंडर बजट का सारांश	343
11.31	जेंडर बजट का विवरण	344
11.32	लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं	345
11.33	सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या	347
11.34	वृद्धों, विधवाओं और निःशक्त जनों के लिए पेंशन योजनाएं	349
	अध्याय-12 : बाल विकास	
12.1	बिहार और भारत में बच्चों (0-18 वर्ष) की जनसांख्यिक विवरणी	374
12.2	बाल बजट का विवरण	375
12.3	बाल बजट पर विभाग-वार व्यय	376
12.4	बिहार और भारत में कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत	378
12.5	समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की संख्या	379
12.6	समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग	380
12.7	बिहार में उम्र और लिंग के आधार पर साक्षरता का प्रतिशत	383
12.8	भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यालय-त्यागी बच्चों के अनुमान	384
12.9	बिहार में विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या (2016-17)	384

तालिका परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय सूची	पेज नं.
अध्याय 1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन		
तालिका प 1.1	बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी	10
तालिका प 1.2	बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद	11
तालिका प 1.3	वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	12
तालिका प 1.4	2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	13
तालिका प 1.5	वर्तमान मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद	14
तालिका प 1.6	2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद	15
तालिका प 1.7	2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद	16
तालिका प 1.8	पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत	17
तालिका प 1.9	डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत	18
अध्याय 3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र		
तालिका प 3.1	विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात	101
तालिका प 3.2	भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2015-16)	102-103
तालिका प 3.3	चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	104
तालिका प 3.4	गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	105
तालिका प 3.5	मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	106
तालिका प 3.6	दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	107
तालिका प 3.7	ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता	108
तालिका प 3.8	बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2016-17)	109
तालिका प 3.9	बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2017-18)	110
तालिका प 3.10	कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2016-17)	111
तालिका प 3.11	कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2017-18)	112
तालिका प 3.12	जिलावार सहकारी ऋण वितरण	113
तालिका प 3.13	जिलावार पशु संपदा (2012)	114
तालिका प 3.14	पशुधन संबंधी सेवाओं में जिलावार उपलब्धि	115
तालिका प 3.15	मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन	116
तालिका प 3.16	बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2016-17)	117
तालिका प 3.17	बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2017-18)	118

अध्याय-5 : कौशल विकास		
तालिका प 5.1	बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किए गए आयोजन और कार्य, 2017-18	156-157
अध्याय-6 : अधिसंरचना		
तालिका प 6.1	बिहार में जिलावार राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (किमी में)	200
तालिका प 6.2	बिहार में जिलावार राज्य उच्चपथ नेटवर्क (किमी में)	201
तालिका प 6.3	बिहार में जिलावार मुख्य जिला पथ नेटवर्क (किमी में)	202
तालिका प 6.4	बिहार में जिलावार ग्रामीण पथ नेटवर्क (किमी में)	203
तालिका प 6.5	बिहार में 2016-17 में निबंधित वाहनों के जिलावार आंकड़े	204
अध्याय-8 : ग्रामीण विकास		
तालिका प 8.1	तेंदुलकर प्रविधि द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आकलित गरीबी रेखा के नीचे की राज्यवार आबादी	245
तालिका प 8.2	जिलावार बहुआयामी गरीबी सूचकांक	246
तालिका प 8.3	विभिन्न सूचकों के लिहाज से बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत	247
तालिका प 8.4	मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति	248-249
तालिका प 8.5	मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति	250
तालिका प 8.6	बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण (2017-18)	251
तालिका प 8.7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2017-18)	252
अध्याय-9 : नगर विकास		
तालिका प 9.1	बिहार में जिलावार शहरीकरण (2001 और 2011)	270
तालिका प 9.2	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की जिलावार प्रगति	271
तालिका प 9.3	घर तक पक्की गली-नालियां योजना का जिलावार लक्ष्य और उपलब्धि	272
अध्याय 10 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र		
तालिका प 10.1	31.3.2018 को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन	302-303
तालिका प 10.2	जिलावार उपलब्धि - नई और नवीकृत किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (हजार में)	304
अध्याय 11 : मानव विकास		
तालिका प 11.1	बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2018 में)	351
तालिका प 11.2	जिलावार प्रतिदिन पहुंचने वाले औसत वाह्यरोगी और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर	352
तालिका प 11.3	'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन	353

तालिका प 11.4	एएनएम का जिलावार नियोजन	354
तालिका प 11.5	आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन	355
तालिका प 11.6	जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन	356
तालिका प 11.7	रोगों की व्याप्ति (2017-18)	357-358
तालिका प 11.8	स्वास्थ्य समितियों को वितरित जिलावार धनराशि	359
तालिका प 11.9	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चापाकलों की जिलावार स्थापना	360
तालिका प 11.10	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि	361
तालिका प 11.11	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी)	362
तालिका प 11.12	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा)	363
तालिका प 11.13	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा)	364
तालिका प 11.14 क	बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या	365
तालिका प 11.14 ख	बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जिलावार संख्या (2016-17)	366
तालिका प 11.15	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)	367
तालिका प 11.16	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)	368
तालिका प 11.17	बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या	369
तालिका प 11.18	बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार और धारावार संख्या (2017-18 तक)	370
तालिका प 11.19	अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण	371-372
	अध्याय-12 : बाल विकास	
तालिका प 12.1	बिहार में बच्चों की जिलावार संख्या (2011)	386
तालिका प 12.2	बिहार में आबादी का जिलावार और उम्रवार लिंग अनुपात (2011)	387
तालिका प 12.3	बिहार में कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जिलावार प्रतिशत (2015-16)	388

कार्यकारी सारांश

अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

1. राज्य सरकार की विकास संबंधी ठोस रणनीतियों के फलस्वरूप, खास कर अपने उच्चस्तरीय विकासमूलक व्यय के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था अभी सतत विकास पथ पर अग्रसर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमानों की नई श्रृंखला के अनुसार, 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व के 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई। दोनो ही वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग - 7 प्रतिशत रही है।

2. वर्तमान मूल्य पर 2017-18 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,87,628 करोड़ रु. था। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर यह आंकड़ा 3,61,504 करोड़ रु. था। फलत: 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 42,242 रु. तथा स्थिर मूल्य पर 31,316 रु. था।

3. वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक 12.8 प्रतिशत विकास दर तृतीयक क्षेत्र में दर्ज की गई थी और उसके बाद 9.8 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र तथा 4.2 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में। मध्यम अवधि के लिहाज से देखें, तो तेज दर से बढ़ने और बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान करने वाले क्षेत्र हैं - खनन एवं उत्खनन (60.0 प्रतिशत), विनिर्माण (17.5 प्रतिशत) तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं (11.4 प्रतिशत)। इन सारे क्षेत्रों में दो अंकों में विकास दर दर्ज हुई है। उप-क्षेत्रों में वायु परिवहन में सर्वाधिक 35.2 प्रतिशत की काफी ऊंची विकास दर दिखी है।

4. बिहार में जिलों के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे हाल का अनुमान 2011-12 से संबंधित है। इन अनुमानों के आधार पर बिहार के तीन सर्वाधिक उन्नत जिले पटना, मुंगेर और बेगूसराय हैं। वहीं, आर्थिक रूप से सबसे प्रतिकूल स्थिति वाले जिले मधेपुरा, सुपौल और शिवहर हैं।

अध्याय-2 : राजकीय वित्तव्यवस्था

1. बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। राजस्व अधिशेष 2013-14 के 6,441 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 14,823 करोड़ रु. हो गया जो अभी तक का सर्वोच्च स्तर है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष और भी बढ़कर 21,312 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में राजस्व शेष गत वर्ष (2016-17) से लगभग 4,000 करोड़ रु. बढ़ा।

2. राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा 2016-17 के 8,289 करोड़ रु. से घटकर 2017-18 में 5,251 करोड़ रु. रह गया। प्राथमिक घाटे में कमी के कारण 2017-18 में सकल राजकोषीय घाटा भी 2016-17 के 16,480 करोड़ रु. से घटकर 2017-18 में 14,305 करोड़ रु. रह गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत था और एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन) अधिनियम द्वारा विहित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा से नीचे था।

3. वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच राज्य का अपना कर राजस्व 19,961 करोड़ रु. से बढ़कर 23,742 करोड़ रु. और करेतर राजस्व 1,545 करोड़ रु. से 3,507 करोड़ रु. हो गया। वहीं, इस अवधि में केंद्रीय करों में हिस्सा 34,829 करोड़ रु. से 65,083 करोड़ रु. और सहायता अनुदान 12,584 करोड़ रु. से 25,720 करोड़ रु. हो गया। राज्य सरकार का कुल राजस्व 2013-14 के 68,919 करोड़ रु. से बढ़कर 1,17,447 करोड़ हो गया जो 4 वर्षों के दौरान 70.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

4. वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय 7,859 करोड़ रु. और पूंजीगत व्यय 2,266 करोड़ रु. बढ़ा जबकि पूंजीगत ऋणग्रहण में 8,409 करोड़ रु. की अच्छी-खासी कमी आई। राजस्व व्यय में हुई 7,859 करोड़ रु. की वृद्धि में विकासमूलक व्यय की वृद्धि का योगदान 5,091 करोड़ रु. था जिसका वृद्धि में 64 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2013-14 और 2017-18 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय 80 प्रतिशत बढ़कर 65,456 करोड़ रु. से 98,152 करोड़ रु. हो गया। वहीं, विकासेतर राजस्व व्यय इस अवधि में 48 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ा और 25,945 करोड़ रु. से 38,271 करोड़ रु. हो गया। राज्य के विकास के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का अब व्यय में बड़ा हिस्सा है जो सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा विकासमूलक प्रकृति का था और 28 प्रतिशत विकासेतर प्रकृति का।

5. वर्ष 2017-18 में कुल उधार मात्र 13,169 करोड़ रु. था जो एक वर्ष पूर्व के 21,577 करोड़ रु. से कम है। वहीं, ब्याज भुगतान 9,054 करोड़ रु. था जो 2016-17 से 863 करोड़ रु. अधिक है। बकाया ऋण के स्तर में 2017-18 में थोड़ी गिरावट आई जो गत वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 32.6 प्रतिशत से 32.2 प्रतिशत रह गया। ऋण भार प्रबंधनीय सीमा में होने के कारण राज्य सरकार राज्य में आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य अधिसंरचना के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चला पाने में सक्षम हुई है।

6. वर्ष 2017-18 के कुल पूंजीगत परिव्यय 28,907 करोड़ रु. में से 21,884 करोड़ रु. (76 प्रतिशत) का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया - सड़कों एवं पुलों की परिवहन अधिसंरचना के निर्माण पर 5,402 करोड़ रु. (19 प्रतिशत), विद्युत परियोजनाओं पर 6,931 करोड़ रु. (24 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 2,665 करोड़ रु. (9 प्रतिशत) तथा शेष अन्य क्षेत्रों में। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4,258 करोड़ रु. था। इसमें से 13 प्रतिशत हिस्सा (565 करोड़ रु.) राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं में सुधार पर, 41 प्रतिशत (1,763 करोड़ रु.) जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार पर और 36 प्रतिशत (1,519 करोड़ रु.) शैक्षिक अधिसंरचना में सुधार पर खर्च हुआ।

7. सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 15 प्रतिशत से अभी अधिक की उच्च वार्षिक दर से बढ़ता रहा है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय लगभग 11 प्रतिशत की अपेक्षाकृत निम्न दर से बढ़ा है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का कुल व्यय 15.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार के कुल व्यय में वेतन एवं पेंशन व्यय का संयुक्त हिस्सा 30 प्रतिशत था जो उसके पिछले वर्ष 32 प्रतिशत और पांच वर्ष पहले 37.6 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच प्रति व्यक्ति व्यय सामाजिक सेवाओं पर 2,596 रु. से बढ़कर 4,199 रु., और आर्थिक सेवाओं पर 2,286 रु. से 3,807 रु. हो गया। वहीं, इस अवधि में प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय 1,287 रु. से बढ़कर 2,426 रु. हो गया।

अध्याय-3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

1. भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा है। यहां की जलवायु मुख्यत: उपोष्ण है जिसमें गर्मी के मौसम में मार्च से मई के दौरान सर्वोच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है जबकि जाड़े के मौसम में दिसंबर-जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है।

2. वर्ष 2018 में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण 689.6 मिमी ही बारिश हुई जो औसत वर्षा (848.2 मिमी) से लगभग 20 प्रतिशत कम है।

3. पिछले कुछ वर्षों के दौरान भूमि उपयोग का पैटर्न लगभग अपरिवर्तित रहा है। राज्य में फसल सघनता 2012-13 के 1.44 से थोड़ी बढ़कर 2016-17 में 1.45 हो गई। बिहार में 2016-17 में कुल मिलाकर 56.55 प्रतिशत जमीन पर खेती हुई।

4. विगत वर्षों में लगभग अपरिवर्तित फसल पैटर्न से पता चलता है कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यत: अनाज उपजाने वाली अर्थव्यवस्था है जहां 85 प्रतिशत से अधिक जमीन पर अनाज वाली फसलें उपजाई जाती हैं। इस तथ्य पर गौर करते हुए कि बिहार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, धान उपजाने के बाद खाली हुए खेतों में दलहनों और तिलहनों की खेती के लिए पूर्वी भारत में चलने वाली 'परती धनहर क्षेत्रों का लक्ष्यीकरण' (टीआरएफए) योजना राज्य में भी चलाई गई है।

5. मुख्य अनाजों के उत्पादन में लगातार बढ़त का रुझान मक्का और चावल, दोनो में देखा जा सकता है जिनकी वृद्धि दरें पिछले पांच वर्षों के दौरान क्रमश: 6.0 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत रही हैं। वर्ष 2017-18 में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 3.15 लाख टन था जो 2013-14 से 2017-18 के बीच 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

6. वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच अनाजों की उत्पादकता 2,595 किग्रा से बढ़कर 2,839 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गई। ऐसा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी कार्यक्रमों के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों, उपकरणों और यंत्रों के प्रावधान तथा जलवायु संबंधी जोखिम में कमी लाने के लिहाज से प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से किए गए लागातार प्रयासों के जरिए संभव हो पाया है।

7. बिहार में हुए प्रौद्योगिकी के विकास ने राज्य को अपनाकर बागवानी वाली फसलों की दिशा में खेती के विविधीकरण के लिए सक्षम बनाया है। राज्य में सब्जियों का कुल उत्पादन 2015-16 के 142.42 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 148.12 लाख टन हो गया। वर्ष 2017-18 में राज्य में 3,09 लाख हेक्टेयर पर फलों की खेती हुई थी और कुल 42.29 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ था। उच्च घनत्व वाले फलोद्यान लगाने के लिए राज्य सरकार के सतत प्रयासों ने राज्य में आम, लीची और अमरुद की खेती को बढ़ावा दिया है।

8. वर्ष 2017-18 में बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 49.95 लाख टन थी जो 2015-16 के 51.95 लाख से थोड़ा कम थी। वर्ष 2017-18 में बिहार में उर्वरकों की कुल खपत में यूरिया की खपत का 40.8 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि बिहार में उर्वरकों की लगभग 60 प्रतिशत खपत रबी मौसम के दौरान होती है।

9. जैविक कॉरीडोर की स्थापना कृषि रोडमैप-3 का हिस्सा है और 2017-22 की अवधि में लगभग 25,000 एकड़ जमीन को उसके तहत लाने की बात सोची गई है जिसके लिए 255.00 करोड़ रु. का परिव्यय निधारित है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया और मुंगेर जिलों में गंगा नदी के किनारे के गांवों के किसानों को चिन्हित किया गया है।

10. वर्ष 2017-18 में पूरे बिहार में कुल 44.67 लाख पशुओं का इलाज किया गया था जिनकी संख्या 2016-17 के 41.03 लाख से अधिक है। इसके साथ-साथ राज्य में 2017-18 में 526.72 लाख पशुओं का प्रतिरक्षण भी किया गया और 28.23 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया।

11. मात्रा के लिहाज से देखें, तो बिहार में दूध का उत्पादन 2013-14 के 71.97 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 92.41 लाख टन हो गया। राज्य में गाएं दूध उत्पादन की मुख्य स्रोत हैं जिनका कुल दूध उत्पादन में 58.6 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद भैंसों का 39.2 प्रतिशत और बकरियों का 2.2 प्रतिशत हिस्सा है।

12. अंडों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई जो हाल के वर्षों में 6.84 प्रतिशत वृद्धि से स्पष्ट है। बिहार में 2017-18 में 121.85 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार, राज्य में मांस उत्पादन 2013-14 के 2.92 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 3.43 लाख टन हो गया।

13. राज्य में मौजूद प्रचुर ताजा जल संसाधन मछलीपालन क्षेत्र के विकास के लिए आवेग प्रदान करते हैं। राज्य में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए 2013-14 के 4.32 लाख टन से 2017-18 में 5.87 लाख टन हो गया जो 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।

अध्याय-4 : उद्यमिता क्षेत्र

1. राज्य में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर विगत वर्षों के दौरान अस्थिर थी और इसका राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि पर मामूली प्रभाव भी पड़ा था। विगत तीन वर्षों में सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में औद्योगिक क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत योगदान था।

2. बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की 19.2 प्रतिशत विकास दर देश के सभी राज्यों द्वारा हासिल 3.2 प्रतिशत विकास दर की लगभग पांचगुनी थी। कृषीतर उद्योगों के मामले में भी बिहार की 6.9 प्रतिशत विकास दर संपूर्ण भारत के स्तर पर हासिल 4.4 प्रतिशत विकास दर से अधिक थी।

3. बिहार में अनिगमित कृषीतर उद्यमों की कुल संख्या 34.48 लाख थी जो पूरे देश के ऐसे उद्यमों का लगभग 5.4 प्रतिशत है। देश के सभी उद्यमों में बिहार का 5.4 प्रतिशत हिस्सा देश की आबादी में 8.6 प्रतिशत हिस्से से कम है। इनमें लगभग 53.07 लाख श्रमिकों के काम करने का अनुमान है।

4. अनिगमित कृषीतर उद्यमों का सकल मूल्यवर्धन 51.6 हजार करोड़ रु. था। भारत के सकल मूल्यवर्धन में बिहार के ग्रामीण उद्यमों का 7.7 प्रतिशत योगदान था जो ग्रामीण उद्यमों के राज्य के आनुपातिक हिस्से अधिक था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन की बात करें, तो बिहार में यह 80.5 हजार रु. था जो संपूर्ण भारत स्तर के 69.2 हजार रु. से काफी अधिक है।

5. अभी राज्य में निजी क्षेत्र में 11 चीनी मिल चल रहे हैं जिनमें से 9 निजी क्षेत्र में हैं और 2 सार्वजनिक क्षेत्र में। वर्ष 2017-18 के पेराई के मौसम में बिहार में 747.89 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई जो गत वर्ष से 176.75 लाख क्विंटल अधिक है। वर्ष 2017-18 में चीनी प्राप्ति की दर 9.57 प्रतिशत थी जो 2016-17 के 9.17 प्रतिशत से अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि चीनी मिल औसतन 125 दिनों तक चालू रहे जिससे उनकी स्थापित क्षमता का बेहतर उपयोग हुआ।

6. कॉम्फेड के अंतर्गत अभी 9 दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां काम कर रही हैं और 2017-18 तक 21.0 हजार दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी थीं। चालू सहकारी समितियों की संख्या 2016-17 के 14.8 हजार से 2.8 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 15.2 हजार हो गईं। कॉम्फेड द्वारा दुग्ध उत्पादों के विपणन में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। खुदरा दूकानों की संख्या 2016-17 के 15.9 हजार से 11.8 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 17.7 हजार हो गईं। दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर और आइसक्रीम की बिक्री में 2016-17 से 2017-18 के बीच काफी वृद्धि हुई है।

7. मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के तहत मलबरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से कोशी अंचल के 7 जिलों को चुना गया था। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में मलबरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 1975 किसानों को पंपसेट, 2447 किसानों को रेशम कीट पालन उपकरण, और 642 किसानों को कीट पालन घर बनाने के लिये सहायता उपलब्ध कराया है। किसानों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 1,415.10 लाख रु. खर्च किए। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने जीविका को मलबरी परियोजना के लिए 3,262.31 लाख रु. उपलब्ध कराए।

8. उद्योगों के लिए बजटीय प्रावधानों की बात करें, तो यह 2011-12 के 30.4 करोड़ रु. से बढ़कर 91.02 करोड़ रु. हो गया जो लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि है। दूसरे, बजट का उपयोग भी हमेशा काफी उच्च स्तर पर रहा है।

9. वर्ष 2016 और 2017 के बीच पर्यटकों के आमगन में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिक उत्साह की बात है कि विदेशी पर्यटकों के आने की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत थी।

अध्याय-5 : कौशल विकास

1. राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 ने 2009 की पूर्ववर्ती नीति की जगह ले ली है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास संबंधी चुनौतियों का गति, मानक और टिकाऊपन के लिहाज से काफी हद तक सामना करना है। देश के अंदर चलने वाली कौशल विकास संबंधी सारी गतिविधियों को एक व्यापक रूपरेखा या ढांचा उपलब्ध कराने का लक्ष्य उन्हें आम मानकों की दिशा में लाना और इस प्रकार कौशल विकास को मांगों के पैटर्न से जोड़ना है। उद्देश्यों और संभावित परिणामों का निर्धारण करने के अतिरिक्त नीति में उन उद्देश्यों और संभावित परिणामों की प्राप्ति के लिए समग्र संस्थागत ढांचे की भी पहचान की गई है।

2. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य संस्थागत तंत्रों को दो स्तरों में बांटा गया है - शीर्ष स्तर पर नीतिगत मार्गदर्शन के लिए शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल), और मिशन के कार्यकारी स्कंध के रूप में संचालन समिति (स्टीयरिंग कमिटी) और मिशन निदेशालय। मिशन निदेशालय को तीन अन्य संस्थानों का

सहयोग प्राप्त होगा – राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)। मिशन के सुगम कामकाज के लिए इन तीनों संस्थानों का मिशन निदेशालय के साथ क्षैतिक जुड़ाव होगा।

3. कौशल युवा कार्यक्रम राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक 'आर्थिक हल, युवाओं का बल' का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 15 से 28 वर्ष उम्र वाले सभी आकांक्षियों के लिए लक्षित है। यह उम्र सीमा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 33 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष और नि:शक्तता-ग्रस्त व्यक्यिों के लिए 33 वर्ष है।

अध्याय-6 : अधिसंरचना

1. पथ परिवहन में 12.9 प्रतिशत और वायुमार्ग में 35.2 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में रेलमार्ग के मामले में भी वृद्धि दर दो अंकों में दर्ज की गई है। इसके चलते सकल राजकीय मूल्यवर्धन में परिवहन क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 6.5 प्रतिशत हो गया।

2. पथ क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश गत सात वर्षों के दौरान 16.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और 2012-13 के 5,988 करोड़ रु. से 2018-19 के बजट अनुमान में 17,585 करोड़ रु. पहुंच गया है। इसका अर्थ सड़क क्षेत्र में 7 वर्षों में तिगुनी वृद्धि है। ग्रामीण पथों पर सार्वजनिक निवेश लगभग 30 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है और 2012-13 के 1,874 करोड़ रु. से 2018-19 में 9,799 करोड़ रु. पहुंच गया है। यह 6 वर्षों में लगभग पांच गुनी वृद्धि है।

3. वर्ष 2004-05 से 2016-17 के बीच देश में बिहार का राष्ट्रीय और राज्य उच्चपथों के निर्माण के मामले में छठा और अन्य सड़कों के मामले में पांचवां स्थान था। बिहार प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर था। सितंबर 2018 में बिहार में कुल 4,917 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, 4,006 किमी राज्य उच्चपथ, 12,356.85 किमी मुख्य जिला पथ और 1,29,473 किमी ग्रामीण पथ थे।

4. बिहार राज्य पथ विकास निगम आइएसओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान है। यह अपने आरंभ से ही मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करता रहा है। निगम का टर्नओवर गत 7 वर्षों में लगभग चौगुना बढ़ा है।

5. बिहार सघन आबादी वाला राज्य है जिससे होकर अनेक नदियां बहती हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार बसाहटों के बीच दूरी कम करने और वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन को आसान बनाने के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण करती रही है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 2013-14 से 2017-18 तक के पांच वर्षों के दौरान 6,545 करोड़ रु. के व्यय से कुल 661 पुलों का निर्माण किया है। निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति का कुशल प्रबंधन किया रहा है और उसे लगातार मुनाफा हुआ है।

6. निबंधित वाहनों की वृद्धि के शीर्ष वाहक ट्रक (20.8 प्रतिशत), दोपहिया (19.8 प्रतिशत), कार (19.0 प्रतिशत) और ट्रेलर (17.5 प्रतिशत) थे। निबंधित मोटरवाहनों की संख्या 17.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। परिवहन विभाग का राजस्व 2011-12 के 558 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 1,625 करोड़ रु. हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का राजस्व संग्रहण उल्लेखनीय तेजी से बढ़ रहा है और

2017-18 में इसने 124.8 करोड़ रु. संग्रहित किए हैं जो गत वर्ष संग्रहित 61.4 करोड़ रु. के दूने से भी अधिक है।

7. वर्ष 2014 से रेलवे ने बिहार में 151 किमी नई लाइनों का निर्माण 108 किमी ट्रैक का दुहरीकरण, 163 किमी का बड़ी लाइन में गॉज परिवर्तन, 478 किमी रेलमार्ग का विद्युतीकरण और 15 रेल उपरिपुलों का निर्माण किया है। राज्य के यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 36 जोड़ी नई रेलगाड़ियां चलाई गईं हैं और विभिन्न स्थानों पर 81 जोड़ी रेलगाड़ियों के नई जगहों पर रुकने का प्रावधान किया गया है। बिहार में वायु-यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में 2017-18 में गत वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। दरभंगा को उड़ान-2 के तहत शामिल किया गया है और वांछित निर्माण कार्य 2019 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है।

8. भवन निर्माण विभाग का व्यय 2008-09 में 218 करोड़ रु. था जो 2016-17 में बढ़कर 1,771 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान और भी अधिक - 3,960 करोड़ रु. है जिसमें पूंजीगत का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा व्यय है।

9. वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई में सार्वजनिक निवेश विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। गौरतलब है कि 2012-13 से सिंचाई पर पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय की तुलना में अधिक रहा है। राज्य में चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है जिसमें से सृजित क्षमता 71.03 लाख हेक्टेयर और प्रयुक्त क्षमता 60.79 लाख हेक्टेयर थी।

10. 44 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति के साथ ग्रामीण दूरभाष घनत्व के मामले में बिहार का देश के प्रमुख राज्यों के बीच नीचे से दूसरास्थान है। वहीं, शहरी दूरभाष घनत्व के मामले में बिहार का केरल के बाद ऊपर से दूसरा स्थान है। डाक विभाग ने पटना मुख्य डाकघर, भागलपुर जिला मुख्यालय और दरभंगा पीटीसी को विभागीय विरासत भवन घोषित किया है। विभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों में 13 परिक्षेत्रों में 34 डाक औषधालय चलाए जा रहे हैं। बिहार परिक्षेत्र भी उनमें से एक है जिसमें छपरा, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर को डाक औषधालयों के लिए चुना गया है।

11. वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक संचार क्षेत्र का 10.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकास हुआ था। वर्ष 2017-18 में इसका विकास 16.6 प्रतिशत की और भी तेज दर के साथ हुआ। ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य आंकड़ा केंद्रों (एसडीसी), राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और मिडलवेयर गेटवेज के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी की अधिसंरचना का विकास किया जा रहा है। इन गेटवेज में राज्य ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान गेटवे (एसएसडीजी), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान गेटवे (एनएसडीजी) और मोबाइल ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान गेटवे (एमएसडीजी) शामिल हैं।

अध्याय-7 : उर्जा क्षेत्र

1. बिहार में बिजली की चरम मांग पूरी करने के मामले में काफी सुधार हुआ है और उपलब्धता 2011-12 के 1712 मेगावाट से 2017-18 में 4,535 मेगावाट हो गई है; अर्थात पिछले 6 वर्षों में बिजली की उपलब्धता लगभग 165 प्रतिशत बढ़ी है। सितंबर 2018 में चरम मांग 5,139 मेगावाट की नई ऊंचाई तक पहुंच गई। वर्ष 2012-13 तक लगभग 30 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी (पीक डेफिसिट) रहती थी। वर्ष

2017-18 तक यह कमी घटकर लगभग 9 प्रतिशत रह गई। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे से बढ़कर 18-20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे से बढ़कर 22-24 घंटे हो जाने के कारण राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2016-17 में 280 किलोवाट आवर हो गई। यह छः वर्षों में लगभग 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाती है।

2. राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 तक 'हर घर बिजली' पहुंचाने का संकल्प लिया है। अभी राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगले चरण में नए और डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद, दोनो प्रकार के खेती वाले पंपसेटों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसे मिशन मोड में चलाया जा रहा है और इसे दिसंबर 2019 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। वर्ष 2020-21 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 6,381 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 3,689.4 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है।

3. बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2020-21 तक विभिन्न स्रोतों से 2,522 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना पहले ही बना चुकी है। ये स्रोत हैं - अपने उत्पादन केंद्र, केंद्रीय उत्पादन केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए दीर्घकालिक/ मध्यकालिक खरीद समझौते (पीपीए)।

4. वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियों - बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आबंटन 3,110.92 करोड़ रु. था जो 2017-18 में बढ़कर 8,271.59 करोड़ रु. हो गयाा। वर्ष 2018-19 के लिए परिव्यय 6,185.63 करोड़ रु. है।

5. बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरिण जनित ह्रास को छोड़कर) 2013-14 के 1,400.2 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2017-18 में 2,555.9 करोड़ यूनिट हो गई। बिजली की बिक्री बढ़ने के साथ राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। वर्ष 2016-17 में लागत वसूली 90 प्रतिशत से अधिक थी।

6. संचरण नेटवर्क के जरिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति होती है। इसमें उच्च विभव वाली बिजली को निम्न विभव वाली में बदलने का काम भी शामिल होता है। बिहार में संचरण व्यवस्था में लगभग 15,707 सर्किट किमी अति उच्च विभव वाली (ईएचवी) संचरण लाइनें, तथा 220/132 केवी स्तर पर कुल 7,710 एमवीए और 132/33 केवी स्तर के 12,680 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 142 ग्रिड उप-केंद्र हैं। वर्ष 2018-19 में यह क्षमता बढ़कर 16,000 सर्किट किमी संचरण लाइन, तथा 220/132 केवी स्तर पर 9,790 एमवीए और 132/33 केवी स्तर पर 14,220 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 150 ग्रिड उप-केंद्र हो जाना अनुमानित है। चरम मांग की पूर्ति 2014-15 में 2,831 मेगावाट थी जो चार वर्षों में 81 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2018 में 5,139 मेगावाट हो गई।

7. मार्च 2018 तक राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,889 मेगावाट थी। इसमें से 81.9 प्रतिशत कोयला आधारित तापविद्युत से, 12.3 प्रतिशत जलविद्युत से और शेष 5.8 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध थी। स्वामित्व के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक 79.1 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र का था।

8. बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि. की स्थापना राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार का प्रेक्षण करने के लिए की गई थी। दसवीं योजना के दौरान निगम ने लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अपने पूर्ववर्ती अधिदेश के अतिरिक्त, बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का भी अन्वेषण शुरू किया। राज्य में अभी 13 लघु जलविद्युत परियोजनाएं चालू हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। राज्य में 11 और योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

अध्याय-8 : ग्रामीण विकास

1. बिहार के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.246 है और गरीब आबादी का अनुपात 52.2 प्रतिशत और अत्यंत गरीब आबादी का अनुपात 22.1 प्रतिशत है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी अनुपात वाले तीन जिले अररिया (0.346), मधेपुरा (0.337) तथा किशनगंज (0.325) हैं। ये तीनो जिले उत्तर बिहार के हैं। दूसरी ओर, सबसे कम बहुआयामी गरीबी अनुपात वाले तीन जिले पटना (0.125), भोजपुर 0.171 और सीवान (0.172) हैं। सीवान के अलावा बाकी दोनो जिले दक्षिण बिहार के हैं।

2. सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के मामले में जीविका ने जबर्दस्त उपलब्धि हासिल की है। पिछले एक दशक में सितंबर 2018 तक कम से कम 8.17 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। असुरक्षित स्थिति में कमी के लिए अभी 22.4 हजार ग्राम संगठन खाद्य सुरक्षा कोष का प्रबंधन कर रहे हैं और 30.3 हजार ग्राम संगठन स्वास्थ्य सुरक्षा कोष का भी प्रबंधन कर रहे हैं। जीविका ने राज्य में खुले में शौच में कमी लाने में भी काफी योगदान किया है।

3. वर्ष 2017-18 तक बिहार में कुल 147.5 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए थे। प्रति वर्ष सृजित कुल रोजगार सभी वर्षों के दौरान 800 लाख व्यक्तिदिवस के आसपास रहा है। इस रोजगार कार्यक्रम का खास सकारात्मक पक्ष यह है कि कुल रोजगार में महिला श्रमिकों का हिस्सा साल-दर-साल बढ़ता गया है। इस कार्यक्रम के तहत धनराशि के उपयोग का परिमाण बढ़ता गया है जो वर्ष 2017-18 में यह 92.1 प्रतिशत पहुंच गया।

4. ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हित गृहविहीन गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) का आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत 2016-17 में कुल 6.89 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हुआ जो पिछले वर्षों में इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए थे। यह आंकड़ा 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के 6.37 लाख मकानों के लक्ष्य से अधिक था।

5. 1.15 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने कालक्ष्य हासिल किया जा चुका है। अभी तक 3,954 ग्राम पंचायत, 21,237 गांव, 151 प्रखंड और 5 जिले (सीतामढ़ी, शेखपुरा, रोहतास, मुंगेर और बेगूसराय) खुले में शौच से मुक्त भी घोषित किए जा चुके हैं।

6. बिहार में जन वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसलिए कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों द्वारा खाद्यान्नों का वास्तविक उठाव 2014-15 से 2017-18 तक के सभी वर्षों में आबंटन के 95 प्रतिशत से अधिक रहा है। वर्ष 2017-18 में खाद्यान्नों का उठाव आबंटन का 97. 6 प्रतिशत था।

7. जहां तक पंचायती राज संस्थाओं की बात है, तो 2014-15 में इन्हें कुल 2,535.32 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त हुआ था जो लगातार बढ़ते हुए 2016-17 में 6,449.07 करोड़ रु. तक पहुंच गया। इसका अर्थ सिर्फ 3 वर्षों में 154 प्रतिशत की वृद्धि है।

8. जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। वन विभाग का लगभग 74 प्रतिशत व्यय जलवायु परिवर्तन पर और और इस व्यय का 24 प्रतिशत हिस्सा जलवायु संबंधित जोखिमों के लिहाज से अतिसंवेदनशील चीजों पर था। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की गई है जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (बीएसपीसीबी) द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

अध्याय-9 : नगर विकास

1. देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 8.6 प्रतिशत है लेकिन कुल शहरी आबादी में इसका 3.1 प्रतिशत ही हिस्सा है। बिहार में शहरीकरण का 'स्तर' तो निम्न है ही, यहां शहरीकरण की 'गति' भी धीमी दर्ज हुई है। वर्ष 1961 से 2011 के बीच आधी सदी में बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 3.9 प्रतिशत बढ़ा है और 1961 से 7.4 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत हुआ है।

2. बिहार के 199 में से 26 शहर ही कम से कम की 1 लाख की आबादी वाले हैं जहां द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के विकास की आशा की जा सकती है। राज्य की नगर प्रणाली में राजधानी पटना ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी है क्योंकि राज्य की कुल शहरी आबादी में अकेले 14 प्रतिशत हिस्सा पटना का है और उसके बाद 4 प्रतिशत गया का।

3. हाल के वर्षों में राज्य सरकार अधिसंरचना वाली परियोजनाओं के लिए अधिक आबंटन के जरिए शहरी सेवाओं में सुधार के लिए नगर विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। वर्ष 2016-17 में नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार का कुल व्यय 6,420 करोड़ रु. था जो 2010-11 में मात्र 1,290 करोड़ रु. था। इसका अर्थ 20.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर होता है।

4. इस योजना के तहत बिहार में चार शहरों को चुना गया है - पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर। चूंकि भागलपुर का चुनाव पहले चरण में ही हो गया था इसलिए भागलपुर के लिए 286 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं।

5. केंद्र सरकार की 2014 में शुरू की गई फ्लैगशिप योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार ने शहरी क्षेत्रों में 7.5 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। चार वर्षों के लिए इसका अनुमानित व्यय 759.60 करोड़ रु. है। अभी तक 142 में से 99 शहरी केंद्र और कुल 3,396 में से 3,270 वार्ड खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं।

6. राज्य सरकार ने शहरी गरीब हेतु आवास योजना के अनुसार 48 शहरों में 50 शय्याओं वाले 48 नए आश्रयों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी। नए निर्माण के अलावा 66 मौजूदा आश्रयों की साज-सज्जा और संचालन एवं रखरखाव का काम भी इस योजना के तहत हाथ में लिया गया है।

7. पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन में विशेष प्रयोजन माध्यम मॉडल में 13,412 करोड़ रु. व्यय होगा। इसके पहले चरण में कुल 16.94 किमी लंबे पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरीडोर (दानापुर से बेली रोड और रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक) के निर्माण का प्रस्ताव है।

अध्याय-10 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

1. मार्च 2018 में बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 6,906 शाखाएं थीं। वर्ष 2017-18 में बैंकों की 62 नई शाखाएं खुलीं। शाखाओं का वितरण दर्शाता है कि 50.8 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 28. 7 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 20.5 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।

2. बिहार में 2017-18 में कुल जमा राशि में गत वर्ष की अपेक्षा 7.2 प्रतिशत (21,242 करोड़ रु.) की सामान्य वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ, 2017-18 में ऋण में 10,636 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है जो 11.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर्शाती है। वर्ष के दौरान संबंधित राष्ट्रीय औसत के आंकड़े जमा के मामले में 6.8 प्रतिशत और ऋण के मामले में 9.5 प्रतिशत हैं।

3. बिहार में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों का (86.9 प्रतिशत) था और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का (52.3 प्रतिशत) तथा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का (38.8 प्रतिशत)। कुल जमा में उनके हिस्से इस प्रकार थे - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 9.9 प्रतिशत, सहकारी बैंक 0.9 प्रतिशत और अनुसूचित व्यावसायिक बैंक 89.2 प्रतिशत। वहीं, कुल ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 12.8 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 2.0 प्रतिशत और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का 85.2 प्रतिशत हिस्सा था।

4. ऋण-जमा अनुपात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। यह भोजपुर के लिए मात्र 28.5 प्रतिशत है तो पूर्णिया के लिए 71.6 प्रतिशत। राज्य के 38 में से कम से कम 3 जिलों (भोजपुर, सारण और सीवान) में यह अनुपात 30 प्रतिशत से कम था। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले (50 प्रतिशत से अधिक ऋण-जमा अनुपात वाले) जिले शिवहर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया थे।

5. सितंबर 2018 में अग्रणी (लीड) बैंकों के बीच कनारा बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 48.7 प्रतिशत था और उसके तत्काल बाद यूको बैंक (46.0 प्रतिशत) और बैंक ऑफ बड़ौदा (40.3 प्रतिशत) का। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात विजया बैंक का (71.2 प्रतिशत) था और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र (62.5 प्रतिशत) और कॉर्पोरेशन बैंक (60.2 प्रतिशत) का।

6. वर्ष 2017-18 में वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि 90.8 प्रतिशत थी जो 1916-17 में हासिल उपलब्धि (87.9 प्रतिशत) से अधिक थी। लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में उपलब्धि 111.6 प्रतिशत थी और यह गत वर्ष दर्ज 99.1 प्रतिशत उपलब्धि से अधिक थी। यह साफ तौर लघु और मध्यम उद्यमों में ऋण की बढ़ती मांग का संकेत देती है और इस क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाने की जरूरत है।

7. बिहार में कुल बकाया ऋणों में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का हिस्सा 2015-16 में 10.3 प्रतिशत था जो 2016-17 में काफी सुधरकर मात्र 4.5 प्रतिशत रह गया था।

8. बिहार में 2017-18 के अंत तक 5.95 लाख बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूह थे जो देश के कुल बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों के लगभग 6.8 प्रतिशत ठहरते हैं। वर्ष 2017-18 में बिहार का हिस्सा 5.1 प्रतिशत ही था और यह हिस्सा विगत वर्षों में बढ़ता गया है। मार्च 2018 तक ग्रामीण बिहार के 75.35 लाख परिवार बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़े थे जिनकी संख्या एक वर्ष पूर्व 57. 33 लाख ही थी जो एक वर्ष में 35 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। बिहार में इन स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत 983.8 करोड़ रु. थी और 2017-18 में इन स्वयं सहायता समूहों को कुल 2,343.61 करोड़ रु. का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बीच वितरित कुल ऋण राशि 2,343.61 करोड़ रु. थी जो गत वर्ष वितरित 1,323.06 करोड़ रु. से काफी अधिक थी। अनुत्पादक परिसंपत्तियां 2016-17 में कुल बकाया ऋणराशि का 13.1 प्रतिशत थीं जो 2017-18 में 7.6 प्रतिशत रह गईं। यह ऋण अदायगी में सुधार के व्यवहार को दर्शाती है।

अध्याय-11 : मानव विकास

1. वर्ष 2011-12 से 2017-18 के बीच बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय 15.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जबकि पूरे देश के लिए इसकी वृद्धि दर 13.7 प्रतिशत ही रही है। इस अवधि में बिहार में शिक्षा पर व्यय 10,214 करोड़ रु. से 14.4 प्रतिशत बढ़कर 26,394 करोड़ रु. पहुंच गया जो सपूर्ण भारत के 12.5 प्रतिशत औसत से अधिक है। इसी प्रकार, इन सात वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य पर व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 22 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही है।

2. हाल के वर्षों में राज्य ने स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में प्रचुर प्रगति की है। वर्ष 2012-16 की अवधि में राज्य के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006-10 के 65.8 वर्ष से बढ़कर 68.7 वर्ष हो गई जो 6 वर्षों के दौरान 2.9 वर्षों की वृद्धि दर्शाती है। हाल के वर्षों में संस्थागत प्रसवों की संख्या भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है जो 2011-12 के 14.07 लाख से 16.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2017-18 में 16.37 लाख हो गई।

3. 12 से 23 माह की उम्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों के आच्छादन में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (32.8 प्रतिशत) और राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (61.7 प्रतिशत) की अवधि के बीच प्रतिरक्षण में 29 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। देखा गया कि 2017-18 में बीसीजी और पेंटा का आच्छादन 86 प्रतिशत है। ओपीवी 1, 2 और 3, पेंटावैलेंट और खसरा के मामले में भी उपलब्धि की दर 80 प्रतिशत से अधिक है।

4. वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 8.9 हजार चापाकल लगाए गए और 0.3 हजार छूटे हुए टोलों को शामिल किया गया। वर्ष 2017-18 में कुल 3.43 लाख बने व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से 1.2 लाख (36.3 प्रतिशत) गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हैं और 2.2 लाख (63.7 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए। धनराशि का उपयोग क्रमशः बढ़ा है और 2011-12 के 82.6 प्रतिशत से 2017-18 में 95.6 प्रतिशत हो गया है।

5. गत दशक में राज्य की साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ जो 2001 के 47.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई। यह एक दशक में 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है। गौरतलब है कि यह दशकीय वृद्धि बिहार में 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, 2001 से 2011 के दशक में सारे राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में प्रारंभिक कक्षाओं नामांकन 2.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2012-13 के 214.87 लाख से बढ़कर 2016-17 में 235.64 लाख हो गया। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 2021-13 (31.7 प्रतिशत) से 2016-17(22.2 प्रतिशत) तक 9.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। कुल मिलाकर प्ररंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल क्रमश: घट रहा है क्योंकि 2012-13 से 2016-17 के बीच लड़कियों के नामांकन की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत थी जबकि लड़कों की 2.2 प्रतिशत।

6. मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) 6 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें विद्यालय में टिकाए रखने के लिहाज से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। वर्ष 2012-13 में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 57.7 प्रतिशत था।यह 2017-18 में बढ़कर 62. 9 प्रतिशत हो गया जो 5.0 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में योजना का आच्छादन 2012-13 और 2017-18, दोनो वर्षों में लगभग 57 प्रतिशत था।

7. अभी राज्य में 24 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें से 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं जबकि एक मुक्त विश्वविद्यालय और एक प्राइवेट राजकीय विश्वविद्यालय है। राज्य में 15 शोध संस्थान भी हैं। वर्ष 2017 में राज्य में कुल 277 राजकीय महाविद्यालय और 496 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। वर्ष 2017 में राज्य में 60 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी थे जिनकी संख्या 2014 में 43 ही थी। वर्ष 2017 में राज्य में 28 अभियंत्रण महाविद्यालय थे जबकि 2014 में इनकी संख्या 24 थी। अभी राज्य में 87 महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता प्राप्त है।

8. मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत 2017-18 में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 62.73 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 7.66 करोड़ रु. आबंटित किए गए। उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए 17.09 करोड़ रु. का आबंटन किया गया। अभी राज्य सरकार द्वारा अजा विद्यार्थियों के लिए 65 और अजजा विद्यार्थियों के लिए 20 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं।

9. वर्ष 2016-17 में प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के 125.89 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसी प्रकार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.89 लाख आवदेन दिए गए थे जिनमें से 1.78 लाख लाभार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई।

10. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनाके तहत 43.34 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे जिससे 2017-18 में 38,518 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2017-18 से मद्रसा के फौकानिया और मौलवी (सिर्फ महिला) की बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 2018-19 में 29,715 विद्यार्थियों के लिए 33.00 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. आइआइटी मुंबई के फ्लैगशिप कार्यक्रम सोलस (दीर्घस्थायित्व हेतु स्थानीयकरण आधारित सौर ऊर्जा) पहल के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और जीविका द्वारा सोलर स्टडी लैंप वितरित किए

गए। यह पहल सबको बिजली कार्यक्रम पर आधारित है। वर्ष 2017-18 में गया, नवादा और भोजपुर जिलों 5.50 लाख सोलर स्टडी लैंप वितरित किए गए। इस योजना के तहत अभी तक 6.70 लाख से अधिक लैंप वितरित किए जा चुके हैं।

12. वर्ष 2017-18 में वृद्ध, विकलांग और नि:शाक्त जनों के लिए योजनाओं पर कुल व्यय कुल बजट परिव्यय का 85 प्रतिशत था और इन योजनाओं से 2016-17 के 56 लाख की तुलना में 64 लाख लोग लाभान्वित हुए। विभिन्न पेंशन योजनाओं पर व्यय 2016-17 के 2,797.22 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 3,692. 41 करोड़ रु. हो गया।

अध्याय-12 : बाल विकास

1. भारत दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहां 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 18 वर्ष उम्र वाली आबादी का पूरी आबादी में 39 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं बिहार में आबादी का 48 प्रतिशत हिस्सा 0 से 18 वर्ष उम्र समूह का है। भारत में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का 11 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में कुल 4.98 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में और 0.50 करोड़ 10.1 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

2. बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच बच्चों के लिए समग्र आबंटन 21.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी प्रकार, व्यय भी 29. 0 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो आबंटन से अधिक है और निस्संदेह प्रशंसनीय है। इन पांच वर्षों में व्यय का हिस्सा 70 प्रतिशत से ऊपर रहा है और 2016-17 में यह 109.8 प्रतिशत था। इस अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2.6-गुना बढ़कर 1,225 रु. से 3,151 रु. हो गया। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा 12 प्रतिशत के आसपास रहा है।

3. समेकित बाल विकास सेवा केंद्र सरकार कीएक अग्रणी योजना है। अभी यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। कुल मिलाकर 1,14,718 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। वर्ष 2016-17 तक इनमें से 91,677 आंगनवाड़ी केंद्र चालू थे। समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ने बिहार के लिए नए स्वीकृत 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी 2017-18 से चालू करना शुरू कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार में इन 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को 2015-16 में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

4. बिहार में साक्षरता दर लगातार बढ़ती गई है और 2011 की जनगणना में यह 61.8 प्रतिशत थी। हालांकि महिला साक्षरता दर अभी भी 51.5 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता दर (71.2 प्रतिशत) से काफी पीछे है। प्रशंसा की बात है कि साक्षरता दर में वृद्धि सभी उम्र समूह की महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक है इसलिए साक्षरता दर के मामले में लैंगिक अंतराल विगत वर्षों के दौरान लगातार घटता गया है और 2001 के 26.6 प्रतिशत से घटकर 2011 में 19.7 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2011 में 7 से 18 साल उम्र वाले बच्चों के बीच समग्र साक्षरता दर 79.1 प्रतिशत थी और लड़कों की साक्षरता दर 81.7 प्रतिशत तथा लड़कियों की 76.2 प्रतिशत होने से मात्र 5.5 प्रतिशत अंकों का लैंगिक अंतराल दिखा।

अध्याय - 1

बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

राज्य सरकार की विकास संबंधी ठोस रणनीतियों के फलस्वरूप, खास कर अपने उच्चस्तरीय विकासमूलक व्यय के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था अभी सतत विकास पथ पर अग्रसर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमानों की नई शृंखला के अनुसार 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व के 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई। दोनो ही वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रही है। गरीबी अनुपात के हाल के आंकड़ों की अनुपस्थिति में (क्योंकि सबसे हाल का अनुमान 2011-12 का है) लोगों के जीवन पर विकास की इस सततप्रक्रिया के प्रभाव को मापना संभव नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त होने के पर्याप्त कारण हैं कि गरीबी अनुपात के अगले अनुमान में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। यह भी गौरतलब है कि समावेशी विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है जिनमें तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं - (क) बिहार कृषि रोडमैप-3 (2017-22), (ख) बिहार कौशल विकास मिशन, और (ग) सात निश्चय जिसमें लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रमुख पक्षों को शामिल किया गया है। उच्चस्तरीय विकासमूलक व्यय बरकरार रखने के अलावा, राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में प्रभावी गवर्नेंस भी सुनिश्चित किया है जिसमें सामान्य और प्रभावी गवर्नेंस, दोनो सम्मिलित हैं।

पूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य सरकार उनके कारण पैदा हुई वित्तीय चुनौती से निपट सकी और प्रचुर राजस्व अधिशेष बरकरार रख सकी जिससे उसे विकास व्यय की सतत वृद्धि में मदद मिली। राजस्व अधिशेष बरकरार रखने के अलावा राज्य सरकार घाटा प्रबंधन और ऋण प्रबंधन, दोनो मामले में भी सफल रही जो समग्रता में लोक वित्त प्रबंधन की कुशलता को दर्शाता है।

बिहार की अर्थव्यवस्था का व्यापक परिदृश्य सामने लाने के लिए सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण को 12 अध्यायों में बांटा गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था के अवलोकन पर प्रस्तुत इस आरंभिक अध्याय के अलावा सर्वेक्षण के 11अन्य अध्याय हैं - राज्य की वित्तव्यवस्था, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र, कौशल विकास, अधिसंरचना, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र, मानव विकास तथा बाल विकास।

1.1 जनसांख्यिक विवरणी

किसी क्षेत्र की जनसांख्यिक विवरणी उसके वृहदार्थिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण आयाम होती है। वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी जो पूरे देश की 121.06 करोड़ जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत होती है (तालिका 1.1)। वर्ष 2018 में इसका लगभग 12.2 करोड़ होना अनुमानित है। तालिका 1.1 में जनसांख्यिक विशेषताओं के लिहाज से बिहार और भारत के बीच अनेक अंतर देखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जो पूरे देश के जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) का लगभग तिगुना है। जनसंख्या का ऐसा उच्च दबाव राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महसूस होता है जहां जमीन लोगों की जीविका का मुख्य माध्यम है। एक अन्य जनसांख्यिक प्रतिकूलता राज्य में शहरीकरण से संबंधित

है जो मात्र 11.3 प्रतिशत है और संपूर्ण देश में शहरीकरण की 31.2 प्रतिशत दर से बहुत कम है। तालिका 1.1 में यह भी देखा जा सकता है कि बिहार में शहरीकरण की गति भी काफी धीमी है। जहां 2001 से 2011 के बीच पूरे देश में शहरीकरण में 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई और वह 27.8 प्रतिशत से बढ़कर 31.2 प्रतिशत हो गया, वहीं बिहार में 0.8 प्रतिशत अंकों की ही वृद्धि हुई और वह 10.5 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत तक ही पहुंचा। यह थोड़ा विरोधाभासी भी है क्योंकि गत दशक में बिहार में शहरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर काफी अधिक रही थी। और यह भी गौरतलब है कि देश के अन्य राज्यों में हो चुका जनसांख्यिक संक्रमण बिहार में अभी भी नहीं हुआ है जिससे वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या 25.1 प्रतिशत बढ़ी जबकि राष्ट्रीय औसत 17.6 प्रतिशत ही था। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने बिहार में प्रजनन दर में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और आशा की जा सकती है कि 2021 की अगली जनसंख्या में इसका असर दिखेगा।

तालिका 1.1 के निचले हिस्से मे प्रस्तुत राज्य के प्रशासनिक ढांचे में दिखता है कि 2001 से 2011 के बीच बिहार में शहरों की संख्या 130 से 53.1 प्रतिशत बढ़कर 199 हो गई। देश के स्तर पर भी शहरों की संख्या बढ़ने की दर लगभग समान (53.7 प्रतिशत) रही है जिनकी संख्या 5,161 से बढ़कर 7,935 पहुंच गई। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा गया है कि बिहार में शहरीकरण की दर 3.4 प्रतिशत अंकों के राष्ट्रीय औसत से काफी कम – मात्र 0.8 प्रतिशत अंक रही। यह बात स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बिहार में शहरी आबादी का औसत आकार अन्य राज्यों की तुलना में बहुत छोटा है। यह भी गौरतलब है कि पिछले दशक में हुई कमी के बावजूद बिहार में 39.1 हजार गांव हैं जो राज्य सरकार के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.1 : भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)

	बिहार		भारत	
	2001	2011	2001	2011
जनसांख्यिक सूचक				
जनसंख्या (करोड़)				
कुल	8.29	10.41	102.87	121.06
ग्रामीण	7.43	9.23	74.25	83.37
शहरी	.87	1.18	28.61	37.71
लिंग अनुपात (महिला प्रति हजार पुरुष)	919	918	933	943
बाल लिंग अनुपात	942	935	927	919
घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	880	1106	325	382
शहरीकरण (प्रतिशत)	10.5	11.3	27.8	31.2
दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.6	25.1	21.5	17.6
प्रशासनिक ढांचा				
जिलों की संख्या	37	38	593	640
विकास प्रखंडों की संख्या	533	534	5463	5924
(वैधानिक/ जनगणना) शहरों की संख्या	130	199	5161	7935
गांवों की संख्या	45098	39073	638596	597369

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001 और 2011

जनसांख्यिक विशेषताओं के मामले में जिस तरह से राज्यों के बीच काफी अंतर है, उसी तरह से राज्य में जिलों के बीच भी काफी अंतर है जो तालिका प 1.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) से स्पष्ट है। तालिका में जनसंख्या, समग्र लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, दशकीय वृद्धि दर और शहरीकरण के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। आंकड़ों से जिलों के बीच सूचकांकों के मामले में काफी अंतर का पता चलता है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अरवल के 18.9 प्रतिशत से मधेपुरा के 31.1 प्रतिशत के बीच रही है। शहरीकरण का स्तर सबसे कम (3.5 प्रतिशत) समस्तीपुर और बांका जिलों में था और सबसे अधिक 43.1 प्रतिशत पटना में। जनसंख्या घनत्व के मामले में भी जिलों के बीच काफी अंतर है जो सबसे अधिक 1,882 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी शिवहर में था तो सबसे कम 567 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जमुई में।

उत्तर बिहार के जिलों का जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। 1,400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 10 में से 9 जिले उत्तर बिहार के हैं। और यह भी गौरतलब है कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जिला पटना (58.4 लाख) है जहां राज्य की 5.6 प्रतिशत आबादी बसती है। वहीं 6.6 लाख आबादी वाला शिवहर सबसे छोटा जिला है जिसका राज्य की आबादी में मात्र 0.6 प्रतिशत हिस्सा है।

1.2 राज्य घरेलू उत्पाद

त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2017-18 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 4,87,628 करोड़ रु. था (तालिका प 1.2) (सांख्यिकीय परिशिष्ट)। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर यह आंकड़ा 3,61,504 करोड़ रु. है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) पर विचार करने पर ये आंकड़े वर्तमान मूल्य पर 4,48,584 करोड़ रु. और स्थिर मूल्य पर 3,28,824 करोड़ रु. हैं। फलतः 2017-18 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 42,242 रु. और स्थिर मूल्य पर 31,316 रु. है। तालिका प 1.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के 2004-05 से 2017-18 तक के आंकड़े भी प्रस्तुत हैं। वहीं, तालिका प 1.3 से तालिका प 1.6 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के 2011-12 से 2017-18 तक के आंकड़ों का वर्तमान और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार ब्योरा प्रस्तुत है।

प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से विभिन्न राज्यों की सापेक्ष स्थिति की तुलना के लिए तालिका 1.2 में देश के 15 बड़े राज्यों के 2011-12 से 2017-18 तक के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 28,485 रु. था जो राष्ट्रीय औसत का 32.9 प्रतिशत थी जो 2015-16 के 30.8 प्रतिशत और 2016-17 के 31.6 प्रतिशत से सुधार दर्शाती है। अगर अर्थव्यवस्था के विकास का वर्तमान आवेग जारी रहे, तो आने वाले वर्षों में बिहार और देश की अर्थव्यवस्था के बीच मौजूद फासला और भी घटेगा।

तालिका 1.2 : 2011-12 के मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंध्र प्रदेश	69000	68865	72254	79174	87217	96374	106545
बिहार	**21750**	**22201**	**22776**	**23223**	**23987**	**25950**	**28485**
छत्तीसगढ़	55177	56777	61409	61146	63791	68321	71581
गुजरात	87481	96683	102589	111370	120683	131853	अनु.
हरियाणा	106085	111648	119522	124302	133591	143211	अनु.
झारखंड	41254	44176	43779	48781	44524	49174	50562
कर्नाटक	90263	94417	101919	105697	116832	124093	134118
केरल	97912	103551	107846	112444	119665	128550	अनु.
मध्य प्रदेश	38551	41287	42778	44336	47646	53047	अनु.
महाराष्ट्र	99564	103904	109398	114750	122588	133141	140997
ओडिशा	48370	50714	54109	54211	58165	63674	67522
पंजाब	85577	88915	93238	95807	100141	105386	109946
राजस्थान	57192	58441	61053	64522	68048	72072	76146
तमिलनाडु	92984	96890	101559	106189	114581	117806	126179
उत्तर प्रदेश	32002	32908	34044	34583	36923	38934	40815
भारत	**63462**	**65538**	**68572**	**72805**	**77826**	**82229**	**86668**
बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत में	**34.3**	**33.9**	**33.2**	**31.9**	**30.8**	**31.6**	**32.9**

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

चार्ट 1.1 : 2011-12 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

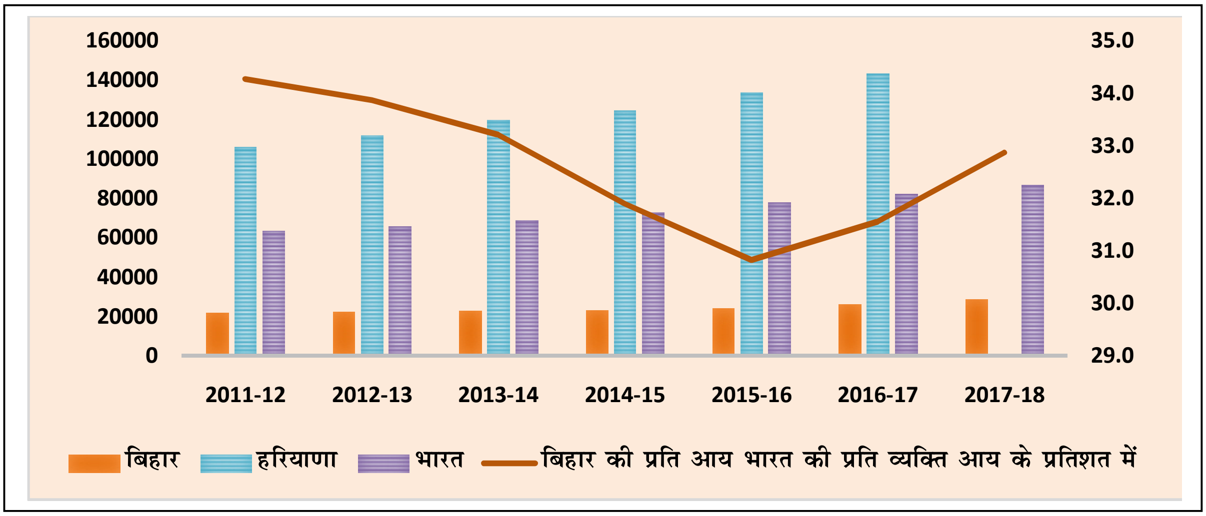

राजकीय आय की वृद्धि दर

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के कठिन प्रयासों का परिणाम तालिका 1.3 से स्पष्ट है जिसमें पिछले दो वर्षों (2016-17 और 2017-18) के साथ-साथ मध्यम अवधि (2011-12 से 2016-17) के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दरें दर्शाई गई हैं। हालांकि मध्यम अवधि के लिए विकास दर मात्र 5.3 प्रतिशत है, लेकिन पिछले दो वर्षों के लिए यह काफी अधिक है - 2016-17 में 9.9 प्रतिशत और 2017-18

में उससे भी अधिक 11.3 प्रतिशत। यहां उल्लेखनीय है कि मध्यम अवधि में कम विकास दर मुख्यतः प्रतिकूल मौसम के चलते प्राथमिक क्षेत्र के विकास की धीमी दर के कारण थी।

क्षेत्रवार विकास दरें

तालिका 1.3 में बिहार में पिछले दो वर्षों के साथ-साथ मध्यम अवधि की क्षेत्रवार विकास दरोंको भी देखा जा सकता है। वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक 12.8 प्रतिशत विकास दर तृतीयक क्षेत्र में दर्ज की गई थी और उसके

तालिका 1.3 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दरें

क्र. सं.	क्षेत्र	2016-17 (अनंतिम)		2017-18 (त्वरित)		2011-12 से 2016-17 (अनंतिम)	
		वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य
1	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	16.7	10.1	5.6	1.4	7.9	0.1
1.1	फसल	21.5	13.2	-0.2	-4.3	4.2	-3.5
1.2	पशुधन	11.6	7.8	13.4	10.0	15.7	8.2
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	9.2	3.2	8.9	3.2	8.5	1.1
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	5.8	0.5	23.0	15.5	18.2	8.2
2	खनन एवं उत्खनन	18.0	-0.1	23.0	3.5	79.9	60.0
	प्राथमिक	**16.8**	**9.8**	**6.1**	**1.4**	**8.5**	**0.6**
3	विनिर्माण	8.5	7.6	2.4	2.7	19.4	17.5
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	-4.0	7.3	3.5	3.6	4.8	3.9
5	निर्माण	3.3	1.0	5.5	2.2	4.6	1.8
	द्वितीयक	**4.8**	**4.2**	**4.1**	**2.5**	**9.6**	**7.3**
6	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	26.1	22.2	25.9	22.0	12.0	5.4
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	27.2	23.3	26.8	22.9	12.2	5.7
6.2	होटल एवं जलपानगृह	8.9	5.7	8.3	4.8	8.1	1.7
7	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	9.1	5.7	14.7	14.1	16.4	11.4
7.1	रेलवे	3.4	-3.6	3.4	11.0	12.7	7.1
7.2	पथ परिवहन	15.0	11.9	16.6	13.5	18.8	12.9
7.3	जल परिवहन	14.0	11.0	14.3	11.2	-9.3	-13.8
7.4	वायु परिवहन	12.8	9.8	42.2	38.3	42.2	35.2
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	13.7	12.6	13.5	12.3	18.9	13.3
7.6	भंडारण	5.9	3.2	5.4	2.6	7.1	1.9
7.7	संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	0.3	-1.3	16.2	16.6	13.5	10.7
8	वित्तीय सेवाएं	-3.6	-4.4	12.7	11.9	8.7	7.0
9	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	6.0	4.4	9.0	6.7	6.2	2.1
10	लोक प्रशासन	35.7	33.4	11.0	6.9	10.4	3.6
11	अन्य सेवाएं	14.7	10.1	18.3	13.8	17.5	9.2
	तृतीयक	**16.5**	**12.8**	**17.9**	**14.6**	**12.2**	**6.3**
12	**आधारिक मूल्य पर कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए)**	**14.5**	**10.4**	**12.8**	**9.5**	**10.8**	**5.1**
13	उत्पादों पर कर	10.7	7.5	22.1	18.1	17.2	14.8
14	उत्पादों पर सब्सिडी	-0.8	14.1	-0.8	-4.0	19.0	14.5
15	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**15.3**	**9.9**	**14.5**	**11.3**	**10.9**	**5.3**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बाद 9.8 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र तथा 4.2 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में। अगले साल इस पैटर्न में भारी बदलाव दिखा। जहां तृतीयक क्षेत्र में उससे भी अधिक – 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं प्राथमिक क्षेत्र 1.4 प्रतिशत और द्वितीयक क्षेत्र 2.5 प्रतिशत की निम्न दर से बढ़े। मध्यम अवधि के लिहाज से देखें, तो तेज दर से बढ़ने और बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान करने वाले क्षेत्र हैं – खनन एवं उत्खनन (60.0 प्रतिशत), विनिर्माण (17.5 प्रतिशत) तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं (11.4 प्रतिशत)। इन सारे क्षेत्रों में दो अंकों में विकास दर दर्ज हुई है जबकि समग्र अर्थव्यवस्था की विकास दर उतनी ऊंची नहीं है। उप-क्षेत्रों में वायु परिवहन में सर्वाधिक 35.2 प्रतिशत की काफी ऊंची विकास दर दिखी है।

अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव

पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का ऐतिहासिक अनुभव रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक) के आउटपुट में हिस्सों के लिहाज से ढांचागत संरचना में बदलाव आता है। यह बिल्कुल प्रत्याशित होता है क्योंकि आर्थिक स्तर में वृद्धि होने पर मांग का पैटर्न बदल जाता है। इसलिए कि अतिरिक्त आय का द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुओं और तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं पर अधिक व्यय किया जाता है। बिहार में आउटपुट की क्षेत्रगत संरचना की जांच करने पर भी यही पैटर्न दिखता है। हाल के वर्षों (तालिका 1.4) के आंकड़ों को देखने पर दिखता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 में 25.8 प्रतिशत था जो 2017-18 में गिरकर 20.2 प्रतिशत रह गया। सिर्फ छः वर्षों में हिस्से में 5.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट सचमुच बहुत अधिक है। इस दौरान कुल आउटपुट में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा भी गिरा है जो 2011-12 के 18.8 प्रतिशत से 2017-18 में 17.5 प्रतिशत रह गया है हालांकि इन वर्षों के दौरान इसके हिस्से में उतार-चढ़ाव का रुझान रहा है। यह रुझान दूसरी जगह दिखने वाले ऐतिहासिक रुझानों के विपरीत है। यह वस्तुतः बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की सीमाओं, खास कर उसके आकार को दर्शाता करता है। इस रुझान से स्पष्ट है कि बिहार में द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों की अतिरिक्त मांग की पूर्ति देश के अन्य क्षेत्रों से होने वाले आयातों से होती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के हिस्सों में गिरावट से यह भी स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्र के आउटपुट का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 में भी इसका हिस्सा काफी अधिक (55.5 प्रतिशत) था जो 2017-18 में 62.3 प्रतिशत के उससे भी उच्च स्तर पर पहुंच गया। अतः तालिका 1.4 से स्पष्ट पता चलता है कि हाल के वर्षों में कुछ विचलनों के बावजूद बिहार की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय ढांचागत परिवर्तन हुआ है।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह ढांचागत परिवर्तन अकेले बिहार की अर्थव्यवस्था की खास परिघटना नहीं है। यह रुझान पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में भी दिखता है। हालांकि दुर्भाग्यवश, बिहार और संपूर्ण भारत में इस ढांचागत परिवर्तन के साथ श्रमशक्ति का धीमी गति से विकास करने वाले प्राथमिक क्षेत्र से तीव्र विकास वाले तृतीयक क्षेत्र की ओर नहीं हो रहा है। वर्ष 2021 की जनगणना के बाद ही जानना संभव होगा कि वर्तमान दशक का यह अनिच्छित रुझान पलटा है या नहीं।

तालिका 1.4 : स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना

क्र. सं.	क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (त्वरित)
1	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	25.7	27.0	22.8	22.0	21.3	21.2	19.7
1.1	फसल	17.6	18.9	14.2	13.1	12.4	12.7	11.1
1.2	पशुधन	5.0	5.0	5.4	5.7	5.7	5.6	5.6
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.6
2	खनन एवं उत्खनन	0.1	0.1	0.5	0.2	0.6	0.6	0.5
	प्राथमिक	**25.8**	**27.1**	**23.4**	**22.2**	**21.9**	**21.8**	**20.2**
3.	विनिर्माण	6.1	3.9	7.2	9.6	8.2	8.0	7.5
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
5.	निर्माण	11.2	10.2	10.5	9.7	10.1	9.2	8.6
	द्वितीयक	**18.8**	**15.6**	**19.3**	**20.9**	**19.7**	**18.6**	**17.5**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	18.2	18.6	17.5	15.8	17.7	19.6	21.8
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	17.0	17.5	16.4	14.8	16.7	18.6	20.9
6.2	होटल एवं जलपानगृह	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	7.3	8.1	9.0	9.7	9.9	9.5	9.9
7.1	रेलवे	1.1	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	1.3
7.2	पथ परिवहन	3.5	4.0	4.4	4.7	4.9	5.0	5.2
7.3	जल परिवहन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.4	वायु परिवहन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.6	भंडारण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.7	संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	2.2	2.3	2.6	2.9	3.0	2.7	2.9
8.	वित्तीय सेवाएं	3.7	3.8	3.9	4.3	4.3	3.8	3.8
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	11.6	11.4	11.4	11.4	10.5	10.0	9.7
10.	लोक प्रशासन	5.6	5.3	4.9	4.9	4.6	5.6	5.4
11.	अन्य सेवाएं	9.2	10.1	10.5	10.8	11.2	11.2	11.6
	तृतीयक	**55.5**	**57.2**	**57.3**	**56.9**	**58.3**	**59.6**	**62.3**
12	**आधार मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन का योग**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

1.3 क्षेत्रीय विषमता

प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में राज्यों के बीच जिस तरह से असमानता मौजूद है, बिहार के जिलों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने पर उनके बीच भी वही परिघटना देखी जा सकती है। बिहार में जिलों के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे हाल का अनुमान 2011-12 से संबंधित है जो तालिका प 1.7 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। इन अनुमानों के आधार पर बिहार के तीन सर्वाधिक उन्नत जिले पटना, मुंगेर और बेगूसराय हैं। वहीं, आर्थिक रूप से सबसे प्रतिकूल स्थिति वाले जिले मधेपुरा, सुपौल और शिवहर हैं।

बिहार में विभिन्न जिलों के प्रति व्यक्ति आय के अनुमान अपेक्षाकृत पुराने हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति में हाल की विषमताओं की जानकारी के लिए विभिन्न जिलों में 'पेट्रॉलियम उत्पादों (पेट्रॉल, डीजल और रसाई गैस) की खपत' के सूचक पर विचार किया जा सकता है। ये आंकड़े तालिका प 1.8 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं जिसमें 2017-18 के सबसे हाल के आंकड़ों के साथ-साथ पिछले दो वर्षों के आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही, तालिका में बिहार में तीनो पेट्रॉलियम उत्पादों की होने वाली कुल खपत में हर जिले का हिस्सा भी प्रस्तुत किया गया है। अगर किसी जिले में खपत का हिस्सा उसकी आबादी के हिस्से से अधिक है तो उस जिले को अपेक्षाकृत समृद्ध जिला कहा जा सकता है। इस मापदंड का उपयोग करके तीनो पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत के मामले में तीन सर्वाधिक समृद्ध और तीन सबसे पिछड़े जिलों के नाम तालिका 1.5 में प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत के लिहाज से पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण और बेगूसराय राज्य में अपेक्षाकृत समृद्ध जिले हैं। वहीं, इस सूची के सबसे पिछड़े जिले शिवहर, शेखपुरा और अरवल हैं।

तालिका 1.5 : बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले

	मापदंड			
	पेट्रॉल	डीजल	एलपीजी	लघु बचत
तीन शीर्षस्थ जिले	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण	पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण	पटना, सारण, नालंदा
तीन सबसे पीछे के जिले	शिवहर, शेखपुरा, अरवल	शिवहर, अरवल, शेखपुरा	शेखपुरा, अरवल, शिवहर	किशनगंज, शिवहर, अररिया

स्रोत : इंडियन आयल कॉर्पोरेशन

बिहार में क्षेत्रीय आर्थिक विषमता पर कुछ अधिक जानकारी के लिए डाकघरों और लोक भविष्य निधि में रखी गई लघु बचत की जमा राशियों का भी विश्लेषण किया जा सकता है। तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18) के लिए ये आंकड़े तालिका प 1.9 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका के अंतिम कॉलम में त्रिवर्षीय औसत और राज्य की कुल बचत में जिले का हिस्सा भी दर्शाया गया है। जनसंख्या में हिस्से के साथ बचत में हिस्से की तुलना करने पर जिलों की सापेक्ष समृद्धि का पता चलता है। तुलना से स्पष्ट होता है कि पटना, सारण और नालंदा इस लिहाज से बिहार से सबसे समृद्ध जिले हैं। वहीं, इसके आधार पर किशनगंज, शिवहर और अररिया आर्थिक लिहाज से सबसे प्रतिकूलता-ग्रस्त दिखते हैं।

1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हाल में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) की नई श्रृंखला जारी की है जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोनो शामिल हैं। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ भारत के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सौभाग्यवश, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सभी राज्यों के लिए भी उपलब्ध हैं। साथ ही, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अनुमान उपलब्ध हैं। तालिका 1.6 में अक्तूबर 2017 के मुकाबले अक्तूबर 2018 के लिए सभी बड़े राज्यों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उसके कारण होने वाली वार्षिक मुद्रास्फीति दर प्रस्तुत की गई है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, मुद्रास्फीति की ये दरें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रस्तुत की गई हैं। गौरतलब है कि संयुक्त मुद्रास्फीति दर बिहार में सबसे अधिक 5.0 प्रतिशत थी जबकि पूरे भारत के लिए 3.3 प्रतिशत ही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की 5.0 प्रतिशत दर देश में दूसरी सर्वाधिक दर थी जबकि राष्ट्रीय औसत 2.8 प्रतिशत ही था। शहरी क्षेत्रों में भी बिहार में मुद्रास्फीति की 4.6 प्रतिशत दर राष्ट्रीय औसत (4.0 प्रतिशत से अधिक थी। ऐसा अंशतः विगत वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर के कारण हो सकता है।

तालिका 1.6 : उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए मुद्रास्फीति की राज्यवार वार्षिक दरें (आधार : 2012 = 100)

राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र का नाम	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	अक्तूबर 17 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 18 का सूचकांक (अनंतिम)	मुद्रस्फीति की दर (%)	अक्तूबर 17 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 18 का सूचकांक (अनंतिम)	मुद्रस्फीति की दर (%)	अक्तूबर 17 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 18 का सूचकांक (अनंतिम)	मुद्रस्फीति की दर (%)
आंध्र प्रदेश	143	138.5	-3.1	135.6	139.4	2.8	140.3	138.8	-1.1
बिहार	**138.7**	**145.7**	**5.0**	**131.4**	**137.5**	**4.6**	**137.6**	**144.5**	**5.0**
छत्तीसगढ़	143.1	144.2	0.8	132.6	139.6	5.3	139	142.4	2.4
गुजरात	139.9	142.4	1.8	128.6	132.8	3.3	133.5	137	2.6
हरियाणा	135.5	137.9	1.8	131.1	136.3	4.0	133.4	137.2	2.8
झारखंड	143.1	146.4	2.3	132.8	138.5	4.3	139.2	143.4	3.0
कर्नाटक	140	143.5	2.5	139.3	144.9	4.0	139.6	144.3	3.4
केरल	140.4	145.8	3.8	138.4	144.4	4.3	139.7	145.3	4.0
मध्य प्रदेश	133.1	135.8	2.0	133.1	140.3	5.4	133.1	137.7	3.5
महाराष्ट्र	142.5	143.5	0.7	129.6	134.9	4.1	133.9	137.8	2.9
ओडिशा	141.3	145.5	3.0	131.7	137.1	4.1	138.6	143.2	3.3
पंजाब	135.1	139.9	3.6	129.6	135.3	4.4	132.6	137.8	3.9
राजस्थान	139.6	140.5	0.6	135.8	140.8	3.7	138.2	140.6	1.7
तमिलनाडु	139	143.9	3.5	137.9	142.1	3.0	138.4	142.8	3.2
उत्तर प्रदेश	133.4	138.1	3.5	133.5	141	5.6	133.4	139.1	4.3
पश्चिम बंगाल	136.9	145.4	6.2	134.8	139.4	3.4	135.9	142.6	4.9
संपूर्ण भारत	**138.3**	**142.2**	**2.8**	**133.5**	**138.8**	**4.0**	**136.1**	**140.6**	**3.3**

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार

परिशिष्ट

तालिका प 1.1 : बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी

जिला	जनसंख्या (लाख)		लिंग अनुपात (समग्र)		बाल लिंग अनुपात		घनत्व		शहरीकरण		दशकीय वृद्धि दर
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2011
पटना	47.2 (5.7)	58.4 (5.6)	873	897	923	909	1471	1803	41.6	43.1	23.7
नालंदा	23.7 (2.9)	28.8 (2.8)	914	922	941	931	1006	1220	14.9	15.9	21.4
भोजपुर	22.4 (2.7)	27.3 (2.6)	901	907	940	918	903	1136	13.9	14.3	21.6
बक्सर	14.0 (1.7)	17.1 (1.6)	900	922	929	934	864	1003	9.2	9.6	21.7
रोहतास	24.5 (3.0)	29.6 (2.8)	910	918	952	931	636	763	13.3	14.5	20.8
कैमूर	12.9 (1.6)	16.3 (1.6)	901	920	942	942	382	488	3.3	4	26.2
गया	34.7 (4.2)	43.9 (4.2)	938	937	968	960	699	880	13.7	13.2	26.4
जहानाबाद	9.2 (1.1)	11.3 (1.1)	927	922	915	922	963	1206	12.1	12	21.7
अरवल	5.9 (0.7)	7.0 (0.7)	931	928	917	940	--	1099	0	7.4	18.9
नवादा	18.1 (2.2)	22.2 (2.1)	946	939	978	945	726	889	7.7	9.7	22.6
औरंगाबाद	20.1 (2.4)	25.4 (2.4)	934	926	941	944	607	760	8.4	9.3	26.2
सारण	32.5 (3.9)	39.5 (3.8)	966	954	949	926	1231	1493	9.2	8.9	21.6
सीवान	27.1 (3.3)	33.3 (3.2)	1031	988	933	940	1221	1495	5.5	5.5	22.7
गोपालगंज	21.5 (2.6)	25.6 (2.5)	1001	1021	964	954	1057	1258	6.1	6.4	19.0
पश्चिम चंपारण	30.4 (3.7)	39.4 (3.8)	901	909	952	953	582	750	10.2	10	29.3
पूर्व चंपारण	39.4 (4.7)	51.0 (4.9)	896	902	935	933	991	1281	6.4	7.9	29.4
मुजफ्फरपुर	37.5 (4.5)	48.0 (4.6)	921	900	927	915	1180	1506	9.3	9.9	28.1
सीतामढ़ी	26.8 (3.2)	34.2 (3.3)	892	899	924	930	1214	1491	5.7	5.6	27.6
शिवहर	5.2 (0.6)	6.6 (0.6)	883	893	911	929	1161	1882	4.1	4.3	27.2
वैशाली	27.2 (3.3)	35.0 (3.4)	919	895	939	904	1332	1717	6.8	6.7	28.6
दरभंगा	33.0 (4.0)	39.4 (3.8)	914	911	913	931	1442	1721	8.1	9.7	19.5
मधुबनी	35.8 (4.3)	44.9 (4.3)	942	926	941	936	1020	1279	3.5	3.6	25.5
समस्तीपुर	33.9 (4.1)	42.6 (4.1)	928	911	937	923	1175	1465	3.7	3.5	25.5
बेगूसराय	23.5 (2.8)	29.7 (2.9)	911	895	947	919	1222	1540	4.6	19.2	26.4
मुंगेर	11.4 (1.4)	13.7 (1.3)	872	876	916	922	800	958	27.9	27.8	20.2
शेखपुरा	5.3 (0.6)	6.4 (0.6)	920	930	964	940	762	922	15.6	17.1	21.1
लखीसराय	8.0 (1.0)	10.0 (1.0)	919	902	954	920	652	815	14.7	14.3	24.8
जमुई	14 (1.7)	17.6 (1.7)	919	922	965	956	451	567	7.4	8.3	25.9
खगड़िया	12.8 (1.5)	16.7 (1.6)	885	886	931	926	859	1115	5.9	5.2	30.2
भागलपुर	24.2 (2.9)	30.4 (2.9)	875	880	967	938	946	1180	18.7	19.8	25.4
बांका	16.1 (1.9)	20.3 (2.0)	909	907	964	943	533	672	3.5	3.5	26.5
सहरसा	15.1 (1.8)	19 (1.8)	911	906	910	933	885	1125	8.3	8.2	26.0
सुपौल	17.3 (2.1)	22.3 (2.1)	921	929	927	944	724	919	5.1	4.7	28.7
मधेपुरा	15.3 (1.8)	20 (1.9)	916	911	930	930	853	1116	4.5	4.4	31.1
पूर्णिया	25.4 (3.1)	32.6 (3.1)	916	921	968	954	787	1014	8.7	10.5	28.3
किशनगंज	13 (1.6)	16.9 (1.6)	934	950	946	971	687	898	10	9.5	30.4
अररिया	21.6 (2.6)	28.1 (2.7)	914	921	963	957	751	992	6.2	6	30.2
कटिहार	23.9 (2.9)	30.7 (2.9)	919	919	966	961	782	1004	9.2	8.9	28.4
बिहार	**830 (100.0)**	**1041 (100.0)**	**919**	**918**	**942**	**935**	**880**	**1106**	**11**	**11**	**25.4**

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका प 1.2 : बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		निवल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)	
	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर मूल्य पर
आधार वर्ष 2004-05						
2004-05	77781	77781	70167	70167	8773	8773
2005-06	82490	76466	74144	68419	9149	8481
2006-07	100737	88840	91331	80260	10994	9695
2007-08	113680	93774	102853	84415	12215	10076
2008-09	142279	107412	129690	97284	15060	11369
2009-10	162923	113158	148151	101938	16998	11806
20010-11	203555	130171	185745	117503	20944	13393
20011-12	243269	143560	222442	129521	24696	14574
20012-13	293616	158909	268902	143250	29425	15925
20013-14	343663	173409	315225	156671	34014	17163
20014-15	402283	189789	369576	171802	39341	18560
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2004-15)	**18.9**	**10.0**	**19.1**	**10.1**	**17.2**	**8.5**
आधार वर्ष 2011-12						
2011-12	247144	247144	228497	228497	23525	23525
2012-13	282368	256851	261327	236933	26459	24068
2013-14	317101	269650	292143	246915	29251	24874
2014-15	342951	279482	315732	255739	31142	25379
2015-16	369469	295622	337987	268333	33028	26426
2016-17 (अनंतिम)	425888	324778	391014	294890	37478	28580
2017-18 (त्वरित)	487628	361504	448584	328824	42242	31316
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-18)	**11.4**	**6.3**	**11.2**	**5.9**	**9.6**	**4.6**

टिप्पणी : 2016-17 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2017-18 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.3 : वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-17)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	62067	76700	73719	78632	84304	98395	103913	7.9
1.1	फसल	42608	53365	45223	46222	49008	59536	59432	4.2
1.2	पशुधन	12028	14811	18316	20621	22677	25309	28710	15.7
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4187	4571	5010	5258	5824	6359	6925	8.5
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	3244	3953	5170	6532	6795	7191	8845	18.2
2.	खनन एवं उत्खनन	199	234	1508	851	2670	3151	3874	79.9
	प्राथमिक	**62265**	**76934**	**75227**	**79483**	**86974**	**101546**	**107787**	**8.5**
3.	विनिर्माण	14666	10351	21209	29978	25476	27639	28310	19.4
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	3659	4422	3859	3313	5039	4835	5005	4.8
5.	निर्माण	27017	27810	31848	32678	32515	33586	35448	4.6
	द्वितीयक	**45341**	**42583**	**56916**	**65968**	**63031**	**66060**	**68763**	**9.6**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	43904	51755	52051	53410	66057	83295	104876	12.0
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	48672	48735	49959	62213	79109	100344	12.2
6.2	होटल एवं जलपान गृह	2796	3083	3316	3451	3844	4186	4532	8.1
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	17545	21616	26850	31889	34137	37242	42698	16.4
7.1	रेलवे	2751	3348	3957	4725	4784	4946	5114	12.7
7.2	पथ परिवहन	8405	10697	13479	15723	17568	20196	23547	18.8
7.3	जल परिवहन	49	26	17	21	22	26	29	-9.3
7.4	वायु परिवहन	31	58	46	79	158	179	254	42.2
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	893	1120	1425	1666	1880	2137	2425	18.9
7.6	भंडारण	74	84	85	93	100	106	112	7.1
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	5342	6282	7842	9582	9624	9653	11218	13.5
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	9774	11223	12188	13372	12893	14532	8.7
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	28023	31217	34604	36675	36401	38594	42051	6.2
10.	लोक प्रशासन	13587	14777	15768	17203	17676	23986	26636	10.4
11.	अन्य सेवाएं	22193	28043	34046	38383	44374	50886	60193	17.5
	तृतीयक	**134092**	**157182**	**174542**	**189748**	**212018**	**246896**	**290985**	**12.2**
12.	**आधार मूल्य पर कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**241698**	**276699**	**306685**	**335199**	**362023**	**414502**	**467535**	**10.8**
13.	उत्पादों पर कर	17169	21185	26236	27007	34787	38516	47017	17.2
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	15517	15820	19255	27340	27131	26923	19.0
15.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**282368**	**317101**	**342951**	**369469**	**425888**	**487628**	**10.9**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	1.6
17.	**प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**23525**	**26459**	**29251**	**31142**	**33028**	**37478**	**42242**	**9.1**

टिप्पणी : 2016-17 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2017-18 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.4 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-17)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	62067	68040	59516	59349	60754	66864	67779	0.1
1.1	फसल	42608	47493	37107	35254	35348	40021	38294	-3.5
1.2	पशुधन	12028	12525	14008	15359	16281	17556	19312	8.2
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4187	4253	4330	4218	4353	4492	4637	1.1
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	3244	3768	4071	4518	4772	4793	5535	8.2
2.	खनन एवं उत्खनन	199	216	1386	577	1789	1787	1849	60.0
	प्राथमिक	**62265**	**68256**	**60902**	**59926**	**62543**	**68651**	**69628**	**0.6**
3.	विनिर्माण	14666	9714	18893	25958	23371	25151	25835	17.5
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	3659	4017	4128	4270	4275	4587	4753	3.9
5.	निर्माण	27017	25608	27261	26019	28668	28957	29584	1.8
	द्वितीयक	**45341**	**39339**	**50282**	**56247**	**56315**	**58696**	**60172**	**7.3**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	43904	46729	45683	42626	50421	61638	75185	5.4
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	43945	42775	39877	47496	58547	71947	5.7
6.2	होटल एवं जलपान गृह	2796	2784	2908	2749	2925	3091	3238	1.7
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	17545	20372	23473	26054	28375	29996	34212	11.4
7.1	रेलवे	2751	3346	3965	4092	4070	3926	4359	7.1
7.2	पथ परिवहन	8405	9962	11373	12678	14010	15678	17788	12.9
7.3	जल परिवहन	49	24	15	17	18	20	22	-13.8
7.4	वायु परिवहन	31	54	38	64	126	139	192	35.2
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	893	1043	1202	1344	1499	1688	1896	13.3
7.6	भंडारण	74	79	71	75	80	83	85	1.9
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	5342	5863	6808	7785	8572	8463	9871	10.7
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	9580	10273	11653	12393	11845	13259	7.0
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	28023	28686	29819	30739	30032	31365	33454	2.1
10.	लोक प्रशासन	13587	13350	12752	13171	13132	17522	18729	3.6
11.	अन्य सेवाएं	22193	25297	27478	29002	32012	35248	40108	9.2
	तृतीयक	**134092**	**144015**	**149478**	**153245**	**166366**	**187613**	**214947**	**6.3**
12.	**आधार मूल्य पर कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**241698**	**251609**	**260662**	**269418**	**285223**	**314959**	**344747**	5.1
13.	उत्पादों पर कर	17169	19588	22638	26793	30900	33215	39211	14.8
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	14347	13650	16729	20501	23397	22454	14.5
15.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**256851**	**269650**	**279482**	**295622**	**324778**	**361504**	**5.3**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	1.6
17.	**प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**23525**	**24068**	**24874**	**25379**	**26426**	**28580**	**31316**	**3.7**

टिप्पणी : 2016-17 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2017-18 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.5 : वर्तमान मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-17)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	57852	71802	67874	72063	77284	90862	95425	7.5
1.1	फसल	39053	49248	40320	40687	43007	53027	52098	3.3
1.2	पशुधन	11795	14525	17975	20253	22321	24933	28287	15.9
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4141	4520	4953	5206	5769	6298	6856	8.6
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	2862	3509	4625	5917	6187	6604	8184	19.1
2.	खनन एवं उत्खनन	174	203	1291	724	2234	2667	3328	78.4
	प्राथमिक	**58025**	**72005**	**69166**	**72786**	**79519**	**93529**	**98753**	**8.1**
3.	विनिर्माण	12681	8450	19073	27523	23125	25182	25541	21.5
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	2431	2892	2554	2145	3393	3190	3152	4.9
5.	निर्माण	25764	26372	29909	30757	30582	31630	33244	4.4
	द्वितीयक	**40876**	**37713**	**51536**	**60426**	**57100**	**60002**	**61937**	**10.0**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	43256	50952	51087	52321	64037	80861	102133	11.6
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	40564	47998	47926	49031	60445	76950	97911	11.8
6.2	होटल एवं जलपान गृह	2692	2955	3161	3290	3592	3911	4222	7.4
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	14845	18612	22530	26925	28513	30864	35512	15.7
7.1	रेलवे	2022	2558	2996	3516	3431	3387	3357	10.9
7.2	पथ परिवहन	7582	9771	12282	14474	16228	18658	21814	19.3
7.3	जल परिवहन	44	20	10	13	14	15	17	-16.2
7.4	वायु परिवहन	15	40	22	53	130	144	215	56.9
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	761	971	1233	1469	1646	1869	2122	19.6
7.6	भंडारण	63	74	72	78	84	89	92	6.4
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	4359	5178	5916	7323	6980	6703	7894	9.8
8.	वित्तीय सेवाएं	8700	9601	11035	11963	13099	12590	14191	8.5
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	25298	28025	30922	32624	32049	33921	37035	5.6
10.	लोक प्रशासन	10485	11490	12339	13598	14163	19632	21730	11.7
11.	अन्य सेवाएं	21567	27259	33112	37338	42061	48230	57201	16.8
	तृतीयक	**124151**	**145940**	**161025**	**174769**	**193921**	**226099**	**267801**	**11.9**
12.	**आधार मूल्य पर कुल निवल राजकीय मूल्यवर्धन**	**223052**	**255658**	**281727**	**307980**	**330540**	**379629**	**428491**	**10.6**
13.	उत्पादों पर कर	17169	21185	26236	27007	34787	38516	47017	17.2
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	15517	15820	19255	27340	27131	26923	19.0
15.	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद**	**228497**	**261327**	**292143**	**315732**	**337987**	**391014**	**448584**	**10.6**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	1.6
17.	**प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**21750**	**24487**	**26948**	**28671**	**30213**	**34409**	**38860**	**8.9**

टिप्पणी : 2016-17 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2017-18 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.6 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-17)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	57852	63491	54487	53929	55165	61042	61413	-0.5
1.1	फसल	39053	43675	32908	30738	30658	35105	32918	-4.6
1.2	पशुधन	11795	12260	13706	15042	15962	17227	18951	8.3
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4141	4206	4280	4173	4304	4439	4580	1.1
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	2862	3350	3593	3975	4240	4271	4964	8.4
2.	खनन एवं उत्खनन	174	187	1187	468	1424	1389	1414	56.0
	प्राथमिक	**58025**	**63678**	**55674**	**54396**	**56589**	**62431**	**62827**	**0.0**
3.	विनिर्माण	12681	7896	16913	23761	21257	22947	23424	19.6
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	2431	2542	2904	3226	2801	3128	3157	4.8
5.	निर्माण	25764	24235	25437	24238	26866	27068	27518	1.5
	द्वितीयक	**40876**	**34674**	**45253**	**51225**	**50924**	**53142**	**54100**	**7.7**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	43256	45972	44805	41669	48614	59496	72843	4.9
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	40564	43309	42038	39062	45914	56647	69870	5.2
6.2	होटल एवं जलपान गृह	2692	2663	2767	2607	2700	2849	2973	0.8
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	14845	17490	19386	21654	23454	24460	28159	10.5
7.1	रेलवे	2022	2605	3088	3040	2893	2596	2904	4.5
7.2	पथ परिवहन	7582	9077	10265	11514	12759	14280	16260	13.1
7.3	जल परिवहन	44	18	7	10	10	10	11	-22.7
7.4	वायु परिवहन	15	37	17	39	100	108	158	48.2
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	761	899	1021	1169	1293	1454	1640	13.6
7.6	भंडारण	63	68	60	62	66	67	68	0.6
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	4359	4785	4927	5819	6332	5945	7118	7.6
8.	वित्तीय सेवाएं	8700	9412	10095	11454	12156	11585	12974	6.9
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	25298	25724	26548	27285	26295	27448	29172	1.4
10.	लोक प्रशासन	10485	10191	9553	9910	9933	13574	14412	3.6
11.	अन्य सेवाएं	21567	24550	26613	28082	29971	32936	37580	8.2
	तृतीयक	**124151**	**133339**	**137000**	**140053**	**150422**	**169498**	**195139**	**5.7**
12.	**आधार मूल्य पर कुल निवल राजकीय मूल्यवर्धन**	**223052**	**231691**	**237927**	**245674**	**257935**	**285071**	**312066**	**4.6**
13.	उत्पादों पर कर	17169	19588	22638	26793	30900	33215	39211	14.8
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	14347	13650	16729	20501	23397	22454	14.5
15.	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद**	**228497**	**236933**	**246915**	**255739**	**268333**	**294890**	**328824**	**4.9**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	1.6
17.	**प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**21750**	**22201**	**22776**	**23223**	**23987**	**25950**	**28485**	**3.3**

टिप्पणी : 2016-17 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2017-18 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.7 : 2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद

(रुपए)

जिला	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पटना	43448 (1)	48719 (1)	53428 (1)	57823 (1)	63063 (1)
नालंदा	8219 (14)	9152 (11)	9787 (10)	10971 (11)	12561 (8)
भोजपुर	8775 (8)	10146 (8)	10134 (8)	11537 (9)	12459 (10)
बक्सर	8368 (12)	8992 (15)	8812 (18)	9732 (20)	11289 (15)
रोहतास	9544 (7)	10950 (6)	10908 (7)	12265 (6)	13909 (6)
कैमूर	7564 (21)	8441 (22)	7785 (27)	9539 (22)	10412 (24)
गया	8660 (9)	9135 (12)	9519 (15)	10504 (18)	11897 (13)
जहानाबाद	7490 (24)	8588 (19)	8478 (22)	9322 (24)	11182 (17)
अरवल	6475 (33)	7028 (35)	7283 (35)	8133 (35)	9125 (34)
नवादा	6739 (31)	7409 (32)	7602 (30)	8437 (31)	9560 (30)
औरंगाबाद	7575 (20)	7922 (29)	8189 (23)	9293 (25)	11012 (18)
सारण	7522 (23)	7938 (28)	8559 (20)	9576 (21)	10615 (23)
सीवान	7377 (26)	8864 (16)	8042 (26)	9192 (26)	10685 (22)
गोपालगंज	7646 (17)	8059 (26)	8543 (21)	10386 (19)	12129 (12)
पश्चिम चंपारण	8476 (11)	9484 (10)	9706 (11)	10577 (17)	9971 (27)
पूर्व चंपारण	6223 (35)	8457 (21)	7571 (31)	8790 (29)	10735 (21)
मुजफ्फरपुर	9814 (5)	11602 (5)	12159 (5)	14082 (5)	15402 (5)
सीतामढ़ी	6180 (37)	7301 (33)	7456 (32)	8274 (33)	9538 (31)
शिवहर	5541 (38)	6128 (38)	5438 (38)	6208 (38)	7092 (38)
वैशाली	7728 (16)	9604 (9)	9937 (9)	11591 (8)	12490 (9)
दरभंगा	7614 (18)	8516 (20)	9036 (16)	10798 (12)	10932 (19)
मधुबनी	6216 (36)	7643 (30)	7455 (33)	10607 (15)	9241 (33)
समस्तीपुर	7559 (22)	8729 (18)	8843 (17)	10705 (14)	10762 (20)
बेगूसराय	12419 (3)	15001 (3)	14235 (4)	18433 (3)	17587 (3)
मुंगेर	15791 (2)	17034 (2)	18554 (2)	21011 (2)	22051 (2)
शेखपुरा	7209 (28)	8105 (25)	7775 (28)	8377 (32)	9687 (29)
लखीसराय	9549 (6)	10209 (7)	10950 (6)	11870 (7)	13073 (7)
जमुई	7584 (19)	8028 (27)	8186 (24)	8944 (28)	10166 (25)
खगड़िया	8517 (10)	9111 (13)	9642 (12)	10603 (16)	11515 (14)
भागलपुर	12097 (4)	13351 (4)	14253 (3)	15870 (4)	17324 (4)
बांका	6882 (30)	7596 (31)	7724 (29)	7756 (37)	9269 (32)
सहरसा	8164 (15)	8744 (17)	9591 (14)	11268 (10)	12197 (11)
सुपौल	6382 (34)	6790 (36)	7043 (36)	8193 (34)	8492 (37)
मधेपुरा	6920 (29)	6602 (37)	6979 (37)	8096 (36)	8609 (36)
पूर्णिया	7419 (25)	8228 (23)	8743 (19)	9357 (23)	10099 (26)
किशनगंज	7312 (27)	8120 (24)	8085 (25)	9126 (27)	9928 (28)
अररिया	6635 (32)	7251 (34)	7376 (34)	8534 (30)	8776 (35)
कटिहार	8267 (13)	9060 (14)	9594 (13)	10721 (13)	11278 (16)
बिहार	**10076**	**11369**	**11806**	**13393**	**14574**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जिलों का दर्जा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.8 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

जिला	जनसंख्या का हिस्सा	पेट्रॉल		डीजल		रसोई गैस	
		2017-18	औसत (2016-18)	2017-18	औसत (2016-18)	2017-18	औसत (2016-18)
पटना	5.6	89581	80259 (13.0)	234168	228519 (10.2)	132485	125381 (13.4)
नालंदा	2.8	15191	12820 (2.1)	65879	58685 (2.6)	28923	25097(2.7)
भोजपुर	2.6	16443	14274 (2.3)	57905	54580 (2.4)	31329	27867 (3)
बक्सर	1.6	11319	9632 (1.6)	35515	35094 (1.6)	17063	14865(1.6)
रोहतास	2.9	20910	17875 (2.9)	79844	78806 (3.5)	29683	26424(2.8)
कैमूर	1.6	8884	7814 (1.3)	32027	33773 (1.5)	11989	9663 (1)
गया	4.2	27239	23220 (3.8)	98296	89718 (4)	37406	32906(3.5)
जहानाबाद	1.1	5569	4592 (0.7)	24093	20577 (0.9)	12313	10734(1.1)
अरवल	0.7	3511	2886 (0.5)	12030	11267 (0.5)	6021	5141(0.5)
नवादा	2.1	9570	7847 (1.3)	41525	37659 (1.7)	19634	16945(1.8)
औरंगाबाद	2.4	14959	12688 (2.1)	77374	68281 (3.1)	19734	17042(1.8)
सारण	3.8	26705	23458 (3.8)	97138	95408 (4.3)	40451	35603(3.8)
सीवान	3.2	26166	23447 (3.8)	55846	56404 (2.5)	37809	33097(3.5)
गोपालगंज	2.5	22197	19976 (3.2)	46967	50099 (2.2)	33756	29321(3.1)
पश्चिम चंपारण	3.8	25170	23383 (3.8)	68964	71621 (3.2)	37384	31381(3.4)
पूर्व चंपारण	4.9	33850	31594 (5.1)	95038	106588 (4.8)	54671	45144(4.8)
मुजफ्फरपुर	4.6	43453	37675 (6.1)	142303	139000 (6.2)	63121	54733(5.8)
सीतामढ़ी	3.3	15140	14916 (2.4)	41984	45435 (2)	37033	29620(3.2)
शिवहर	0.6	2339	1934 (0.3)	5570	5407 (0.2)	6842	5453(0.6)
वैशाली	3.4	29462	26079 (4.2)	76018	78876 (3.5)	43749	38818(4.1)
दरभंगा	3.8	24505	20947 (3.4)	63146	61621 (2.8)	49806	40535 (4.3)
मधुबनी	4.3	24183	23506 (3.8)	54883	54799 (2.4)	46754	37132 (4)
समस्तीपुर	4.1	26369	22588 (3.7)	87672	83463 (3.7)	39784	32133(3.4)
बेगूसराय	2.8	17443	15268 (2.5)	107525	108837 (4.9)	41171	32986(3.5)
मुंगेर	1.3	7014	6160 (1.0)	35224	32438 (1.4)	17741	15671(1.7)
शेखपुरा	0.6	2998	2526 (0.4)	21717	17432 (0.8)	5332	4448(0.5)
लखीसराय	1.0	3798	3189 (0.5)	20498	18599 (0.8)	8125	6918(0.7)
जमुई	1.7	7602	6397 (1.0)	25853	23586 (1.1)	12853	9999(1.1)
खगड़िया	1.6	6630	5775 (0.9)	32326	32377 (1.4)	12937	10171(1.1)
भागलपुर	2.9	19500	17035 (2.8)	81132	77205 (3.4)	33918	29275(3.1)
बांका	2.0	8362	7081 (1.1)	27434	26155 (1.2)	12546	9979(1.1)
सहरसा	1.8	9887	8562 (1.4)	38039	37429 (1.7)	15424	12713(1.4)
सुपौल	2.1	12805	11837 (1.9)	35062	36487 (1.6)	15674	11896(1.3)
मधेपुरा	1.9	11587	9950 (1.6)	33942	33590 (1.5)	13823	11357(1.2)
पूर्णिया	3.2	23620	20331 (3.3)	85874	82992 (3.7)	21542	18080(1.9)
किशनगंज	1.6	10329	9458 (1.5)	20760	21548 (1)	9878	7709(0.8)
अररिया	2.7	17496	17024 (2.8)	47704	53756 (2.4)	15836	12974(1.4)
कटिहार	3.0	15246	13508 (2.2)	71134	70046 (3.1)	20115	16604(1.8)
बिहार	**100.0**	**697032**	**617509 (100)**	**2278409**	**2238157 (100)**	**1094656**	**935814 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े राज्य के आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

तालिका प 1.9 : डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत

(करोड़ रु.)

जिला	जनसंख्या का हिस्सा	2015-16		2016-17		2017-18		औसत उपलब्धि (2015-18)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
पटना	5.6	300	466.11	500	525.83	545	479.14	490.4 (16.5)
नालंदा	2.8	180	248.51	270	244.12	262	162.40	218.3 (7.4)
भोजपुर	2.6	200	176.27	195	88.73	115	106.08	123.7 (4.2)
बक्सर	1.6	50	79.27	85	86.48	93	106.32	90.7 (3.1)
रोहतास	2.9	60	116.35	125	125.03	134	113.73	118.4 (4.0)
कैमूर	1.6	24	44.85	50	51.36	55	50.28	48.8 (1.6)
गया	4.2	70	72.69	80	94.94	102	104.00	90.5 (3.0)
जहानाबाद	1.1	24	35.27	40	47.79	51	51.22	44.8 (1.5)
अरवल	0.7	16	18.82	20	22.13	24	24.25	21.7 (0.7)
नवादा	2.1	105	106.57	120	125.98	135	55.76	96.1 (3.2)
औरंगाबाद	2.4	25	64.20	70	59.35	64	70.14	64.6 (2.2)
सारण	3.8	190	241.05	260	265.49	270	307.76	271.4 (9.1)
सीवान	3.2	90	126.68	140	121.40	140	115.68	121.3 (4.1)
गोपालगंज	2.5	85	96.81	110	78.61	89	75.98	83.8 (2.8)
पश्चिम चंपारण	3.8	40	41.71	50	46.36	50	18.58	35.6 (1.2)
पूर्व चंपारण	4.9	45	57.56	65	66.84	72	79.64	68 (2.3)
मुजफ्फरपुर	4.6	80	93.98	110	112.67	121	131.16	112.6 (3.8)
सीतामढ़ी	3.3	30	39.02	45	34.85	37	35.28	36.4 (1.2)
शिवहर	0.6	5	9.22	10	9.18	10	9.19	9.2 (0.3)
वैशाली	3.4	100	97.91	120	111.56	120	115.83	108.4 (3.7)
दरभंगा	3.8	90	100.30	115	115.64	124	121.45	112.5 (3.8)
मधुबनी	4.3	62	69.09	80	59.29	64	53.97	60.8 (2.0)
समस्तीपुर	4.1	75	81.28	90	74.96	80	64.74	73.7 (2.5)
बेगूसराय	2.8	55	51.24	60	49.16	53	48.90	49.8 (1.7)
मुंगेर	1.3	40	66.77	75	62.40	67	57.23	62.1 (2.1)
शेखपुरा	0.6	12	21.61	25	20.21	22	18.99	20.3 (0.7)
लखीसराय	1.0	15	21.61	25	20.21	22	18.99	20.3 (0.7)
जमुई	1.7	24	22.68	25	26.17	28	21.29	23.4 (0.8)
खगड़िया	1.6	15	12.75	15	12.04	13	13.66	12.8 (0.4)
भागलपुर	2.9	100	93.84	105	79.83	86	82.25	85.3 (2.9)
बांका	2.0	12	20.58	25	21.52	23	25.31	22.5 (0.8)
सहरसा	1.8	37	35.35	40	33.67	36	28.49	32.5 (1.1)
सुपौल	2.1	27	28.87	35	37.66	40	22.60	29.7 (1.0)
मधेपुरा	1.9	27	25.34	30	22.73	25	19.12	22.4 (0.8)
पूर्णिया	3.2	35	30.68	35	49.78	53	32.66	37.7 (1.3)
किशनगंज	1.6	10	7.62	10	11.78	13	5.66	8.4 (0.3)
अररिया	2.7	10	9.56	10	15.73	17	10.73	12 (0.4)
कटिहार	3.0	35	24.56	35	41.57	45	21.12	29.1 (1.0)
बिहार	**100.0**	**2400**	**2956.58**	**3300**	**3073.05**	**3300**	**2879.58**	**2969.70 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े बिहार में जिले का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 2

राजकीय वित्तव्यवस्था

जो महत्वपूर्ण घटना वित्त वर्ष 2017-18 की खास पहचान बनी, वह जुलाई 2017 में 101वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने के जरिए पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर का आरंभ थी। इसके चलते भारत वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत और समरूप कर प्रणाली के साथ साझा बाजार बन गया। वर्ष 2017-18 में देश, खास कर बिहार में सार्वजनिक वित्तव्यवस्था का समग्र परिदृश्य कई कारणों से असुरक्षित बना रहा। जैसे, केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद राज्य सरकारों द्वारा वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव ने राज्यों की वित्तव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। बिहार समेत अनेक राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं ने भी राजस्व व्यय पर अपना दबाव डाला। जैसा कि बजटों के अध्ययन में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दर्शाया गया है, सभी राज्य सरकारों के लिए समेकित संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में गिरावट दिखी है।

2.1 वित्तीय स्थिति का अवलोकन

बाद के खंडों में राज्य सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण सबसे पहले तो राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का सार-संक्षेप प्रस्तुत करके (तालिका 2.1) और उसके बाद बिहार तथा अन्य प्रमुख राज्यों से संबंधित 8 प्रमुख प्रदर्शन सूचकों (परफॉमेंस इंडिकेटर्स) की तुलना करके (तालिका 2.2) किया गया है। बिहार के लिए वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों का और 2018-19 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) का उपयोग किया गया है। हालांकि अन्य राज्यों के लिए वास्तविक आंकड़ों का उपयोग 2016-17 तक ही किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए पुनरीक्षित अनुमान (आर.ई.) का और 2018-19 के लिए बजट अनुमान का उपयोग किया गया है।

वर्ष 2004-05 से ही बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। राजस्व अधिशेष 2013-14 के 6,441 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 14,823 करोड़ रु. हो गया जो अभी तक का सर्वोच्च स्तर है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष और भी बढ़कर 21,312 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में राजस्व शेष गत वर्ष (2016-17) से लगभग 4,000 करोड़ रु. बढ़ा। वर्ष 2016-17 में राजस्व अधिशेष में वस्तुतः 2015-16 की अपेक्षा कमी आई थी। इसका कारण विभिन्न कारणों से कर और करेतर राजस्वों के लगभग सारे महत्वपूर्ण घटकों की वृद्धि दरों का घटना, खास कर आर्थिक गतिविधियों का समग्रतः धीमा पड़ जाना था।

वर्ष 2017-18 में कुल कर राजस्व में 5,597 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 8,251 करोड़ रु. थी। हालांकि, करेतर राजस्व 1,104 करोड़ रु. बढ़ा जो पिछले साल 217 करोड़ रु. ही बढ़ा था। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान और अंशदान 2017-18 में 5,161 करोड़ रु. बढ़ा जबकि पिछले साल इसमें 993 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी हालांकि इसमें वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति के कारण मिलने वाले 3,041 करोड़ रु. भी शामिल हैं। इस वर्ष राजस्व व्यय 7,859 करोड़ रु. बढ़ा जो गत वर्ष के 11,149 करोड़ रु. से कम है। वहीं पूंजीगत परिव्यय महज 1,699 करोड़ रु. बढ़ा जो गत वर्ष 3,242 करोड़ रु. बढ़ा था। कर्ज अदायगी समेत कुल पूंजीगत व्यय 2,266 करोड़ रु. बढ़ा जबकि पूंजीगत उधारियों में वर्ष के दौरान 8,409 करोड़ रु. की भारी कमी दर्ज की गई।

राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा 2016-17 के 8,289 करोड़ रु. से घटकर 2017-18 में 5,251 करोड़ रु. रह गया। प्राथमिक घाटे में कमी के कारण 2017-18 में सकल राजकोषीय घाटा भी 2016-17 के 16,480 करोड़ रु. से घटकर 2017-18 में 14,305 करोड़ रु. रह गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत है और एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन) अधिनियम द्वारा विहित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा से नीचे है।

राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में हुई 7,859 करोड़ रु. की वृद्धि में विकासमूलक व्यय की वृद्धि का योगदान 5,091 करोड़ रु. था जिसका वृद्धि में 64 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्ति में हासिल 23 प्रतिशत की वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि थी। यहां तक कि राज्य सरकार के अपने राजस्व में भी 2015-16 में भी 23 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, 2017-18 का साल कम विकास का साल था। राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति में मात्र 11 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि अपने कर राजस्व में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो 2016-17 के 23,742 करोड़ रु. से 2017-18 में 23,136 करोड़ रु. रह गया। यह निस्संदेह राज्य सरकार के अपने राजस्व में गिरावट के रुझान की निरंतरता है जिसका आरंभ 2016-17 में हुआ था जब यह एक वर्ष पूर्व के 25,449 करोड़ रु. से 7 प्रतिशत घटकर 23,742 करोड़ रु. रह गया था। यह निस्संदेह राज्य सरकार के अपने राजस्व में गिरावट के रुझान की निरंतरता है। इसकी शुरुआत 2016-17 में हुई थी जब यह एक वर्ष पूर्व के 25,449 करोड़ रु. से लगभग 7 प्रतिशत घटकर 23,742 करोड़ रु. रह गया था।

अपने राजस्व में गिरावट की पूर्ति केंद्रीय अनुदानों में 5,161 करोड़ रु. बढ़ने से हुई जिसमें पिछले वर्ष ठहराव आ गया था जब मात्र 993 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी। चौदहवें वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) की अनुशंसा के बाद केंद्रीय विभाज्य कोष से राज्यों को होने वाला सकल संवितरण 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाने से केंद्रीय करों में राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ा है। हालांकि चौदहवें आयोग के पहले दो वर्षों में केंद्रीय अनुदानों में ठहराव के कारण यह वृद्धि कम प्रभावी हो गई थी। सौभाग्यवश, 2017-18 में यह 25 प्रतिशत बढ़कर 25,720 करोड़ रु. तक पहुंच गया और वर्तमान वित्तवर्ष में इसके 80 प्रतिशत बढ़कर 46.431 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में अपने कर और करेतर स्रोतों से बिहार के अपने राजस्व में मात्र 500 करोड़ रु. की वृद्धि हुई, वहीं कुल कर राजस्व 11,862 करोड़ रु. बढ़ गया।

बिहार के कुल राजस्व में केंद्रीय करों के हिस्से का हमेशा ही आधा से अधिक योगदान रहा है। अपवाद सिर्फ 2014-15 था जब यह घटकर लगभग 47 प्रतिशत रह गया था। वर्ष 2017-18 में बिहार के कुल राजस्व में इसका 55 प्रतिशत से भी अधिक योगदान है। वर्ष 2015-16 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी होने के बाद से बिहार का हिस्सा तत्काल बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में इस घटक में एक वर्ष पूर्व के 20 प्रतिशत की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत वृद्धि हुई और रकम 65,083 करोड़ रु. हो गई। वर्तमान वित्तवर्ष में इसके 17 प्रतिशत बढ़कर 76,172 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है।

वर्ष 2017-18 में कुल उधार मात्र 13,169 करोड़ रु. था जो एक वर्ष पूर्व के 21,577 करोड़ रु. से काफी कम है। वहीं, ब्याज भुगतान 9,054 करोड़ रु. था जो गत वर्ष से 863 करोड़ रु. अधिक है। बकाया ऋण के स्तर में 2017-18 में थोड़ी गिरावट आई जो गत वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 32.6 प्रतिशत से 32.2 प्रतिशत रह गया। वर्तमान वित्तवर्ष में इसके 33.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। विगत छः वर्षों (2013-19) के दौरान राजकीय वित्तव्यवस्था के रुझान और सारांश तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1 : प्राप्ति और व्यय

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ब.अ.
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**68919**	**78418**	**96123**	**105585**	**117447**	**158051**
a	कर राजस्व	54790	57713	74372	82623	88220	107174
b	करेतर राजस्व	1545	1558	2186	2403	3507	4446
c	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12584	19146	19566	20559	25720	46431
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**62477**	**72570**	**83616**	**94765**	**102624**	**136740**
a	सामान्य सेवाएं, जिसमें	22018	26408	27972	30607	33374	40234
	ब्याज भुगतान	5459	6129	7098	8191	9054	10763
b	सामाजिक सेवाएं	26395	31713	35943	40737	45769	66922
c	आर्थिक सेवाएं	14060	14445	19696	23417	23476	29578
d	सहायता अनुदान	4	4	4	4	4	6
3	**राजस्व घाटा**	**-6441**	**-5848**	**-12507**	**-10819**	**-14823**	**-21312**
4	**पूंजीगत प्राप्ति**	**9922**	**15411**	**18402**	**21600**	**13191**	**23204**
a	लोक ऋण आदि	9907	13918	18383	21577	13169	22795
b	ऋण एवं अग्रिम वसूली	15	1493	19	23	22	408
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**17928**	**22128**	**28712**	**31537**	**33803**	**40251**
a	पूंजीगत परिव्यय	14001	18150	23966	27208	28907	32417
b	ऋण एवं अग्रिम	807	369	621	114	243	507
c	लोक ऋण	3120	3609	4125	4215	4654	7326
6	**कुल व्यय**	**80405**	**94698**	**112328**	**126302**	**136427**	**176990**
a	योजना व्यय	33678	43939	53732	60840	65027	92318
b	योजनेतर व्यय	46728	50759	58596	65462	71400	84673
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**8352**	**11178**	**12062**	**16480**	**14305**	**11204**
8	**प्राथमिक घाटा**	**2893**	**5050**	**4964**	**8289**	**5251**	**440**
9	**कुल ऋणग्रहण**	**9907**	**13918**	**18383**	**21577**	**13169**	**22795**
a	आंतरिक ऋणग्रहण	9357	13199	17565	20065	11771	20520
b	केंद्र सरकार से ऋण	550	718	818	1512	1399	2275
10	**लोक ऋण अदायगी**	**3120**	**3609**	**4125**	**4215**	**4654**	**7326**
11	**बकाया देनदारी**	**86939**	**99056**	**116578**	**138722**	**156777**	**172246**
12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**317101**	**342951**	**369469**	**425888**	**487628**	**515634**
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में						
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**21.7**	**22.9**	**26.0**	**24.8**	**24.1**	**30.7**
a	कर राजस्व	**17.3**	**16.8**	**20.1**	**19.4**	**18.1**	**20.8**
b	करेतर राजस्व	**0.5**	**0.5**	**0.6**	**0.6**	**0.7**	**0.9**
c	सहायता अनुदान एवं अंशदान	**4.0**	**5.6**	**5.3**	**4.8**	**5.3**	**9.0**
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**19.7**	**21.2**	**22.6**	**22.3**	**21.0**	**26.5**
a	सामान्य सेवाएं, जिसमें	**6.9**	**7.7**	**7.6**	**7.2**	**6.8**	**7.8**
	ब्याज भुगतान	**1.7**	**1.8**	**1.9**	**1.9**	**1.9**	**2.1**
b	सामाजिक सेवाएं	**8.3**	**9.2**	**9.7**	**9.6**	**9.4**	**13.0**
c	आर्थिक सेवाएं	**4.4**	**4.2**	**5.3**	**5.5**	**4.8**	**5.7**
d	सहायता अनुदान	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
3	**राजस्व घाटा**	**-2.0**	**-1.7**	**-3.4**	**-2.5**	**-3.0**	**-4.1**
4	**पूंजीगत प्राप्ति**	**3.1**	**4.5**	**5.0**	**5.1**	**2.7**	**4.5**
a	लोक ऋण आदि	**3.1**	**4.1**	**5.0**	**5.1**	**2.7**	**4.4**
b	ऋण एवं अग्रिम वसूली	**0.0**	**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**5.7**	**6.5**	**7.8**	**7.4**	**6.9**	**7.8**
a	पूंजीगत परिव्यय	**4.4**	**5.3**	**6.5**	**6.4**	**5.9**	**6.3**
b	ऋण एवं अग्रिम	**0.3**	**0.1**	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.1**
c	लोक ऋण	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.0**	**1.0**	**1.4**
6	**कुल व्यय**	**25.4**	**27.6**	**30.4**	**29.7**	**28.0**	**34.3**
a	योजना व्यय	**10.6**	**12.8**	**14.5**	**14.3**	**13.3**	**17.9**
b	योजनेतर व्यय	**14.7**	**14.8**	**15.9**	**15.4**	**14.6**	**16.4**
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**2.6**	**3.3**	**3.3**	**3.9**	**2.9**	**2.2**
8	**प्राथमिक घाटा**	**0.9**	**1.5**	**1.3**	**1.9**	**1.1**	**0.1**
9	**कुल ऋणग्रहण**	**3.1**	**4.1**	**5.0**	**5.1**	**2.7**	**4.4**
a	आंतरिक ऋणग्रहण	**3.0**	**3.8**	**4.8**	**4.7**	**2.4**	**4.0**
b	केंद्र सरकार से ऋण	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.4**	**0.3**	**0.4**
10	**लोक ऋण अदायगी**	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.0**	**1.0**	**1.4**
11	**बकाया देनदारी**	**27.4**	**28.9**	**31.6**	**32.6**	**32.2**	**33.4**

टिप्पणी : बकाया देनदारी में लोक ऋण के साथ-साथ लघु बचत, भविष्य निधि और अन्य लोखों, आरक्षित निधि, और नागरिक जमा एवं अग्रिम जैसी लोक लेखा संबंधी देनदारियां भी शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

राजस्व लेखा

पहले भी चिन्हित किया गया है कि 2017-18 में बिहार का राजस्व अधिशेष बढ़ा है। यह वृद्धि वस्तुतः केंद्रीय अनुदानों और करों के केंद्रीय विभाज्य कोष में अपने हिस्से में वृद्धि के कारण हुई है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में 11,862 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसमें 47 प्रतिशत हिस्सा कर राजस्व में वृद्धि का और 43 प्रतिशत केंद्रीय अनुदानों का था जबकि शेष वृद्धि करेतर राजस्व बढ़ने के कारण हुई। पहले भी देखा गया है कि कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य सरकार के अपने राजस्व का 23 प्रतिशत हिस्सा है जो पिछले साल 25 प्रतिशत था। ये दोनो अनुपात 2014-15 में दर्ज 29 प्रतिशत से गिरावट दर्शाते हैं। वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्ति में 55 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय करों के हिस्से का था जो 2016-17 में 56 प्रतिशत था। वहीं, इस वर्ष कुल राजस्व में शेष 22 प्रतिशत (2016-17 में 20 प्रतिशत) हिस्सा केंद्रीय अनुदानों का था।

वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय में 2016-17 की अपेक्षा 7,859 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसमें सामाजिक सेवाओं का 5,032 करोड़ रु. (64 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं का मात्र 59 करोड़ रु. (1 प्रतिशत से भी कम) और सामान्य सेवाओं का 2,767 करोड़ रु. (35 प्रतिशत) हिस्सा था। इस वृद्धि से 2017-18 में कुल राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का 45 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं का 23 प्रतिशत और सामान्य सेवाओं का 32 प्रतिशत हिस्सा हो गया। वर्ष 2016-17 में ये आंकड़े क्रमशः 43 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 32 प्रतिशत थे। यह दर्शाता है कि इनके सापेक्ष हिस्सों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2017-18 में इस वृद्धि में से सामान्य सेवाओं में 2,767 करोड़ रु. वृद्धि हुई जिसमें अकेले ब्याज भुगतान के लिए 863 करोड़ रु. अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। वर्ष 2016-17 में इसमें 1,093 करोड़ रु. अतिरिक्त व्यय हुआ था। वर्ष 2017-18 में पेंशन भुगतान पर भी 1,785 करोड़ रु. अतिरिक्त व्यय हुआ जो 2016-17 में 658 करोड़ रु. था। इस प्रकार, 2017-18 में सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय में हुई वृद्धि में इन दोनो शीर्षों का संयुक्त हिस्सा 96 प्रतिशत था। हाल के वर्षों में राज्य सरकार की पेंशन देनदारी तेजी से बढ़ती गई है और लगभग 11 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2013-14 के मात्र 9,482 करोड़ रु. से 2017-18 में 14,293 करोड़ रु. पहुंच गई है। वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय बढ़ने में राज्य सरकार के कर्मचारियों को होने वाले वेतन भुगतान का भी 1,995 करोड़ रु. योगदान है जो 2016-17 में 860 करोड़ रु. था। वर्ष 2017-18 में वेतन भुगतान 17,779 करोड़ रु. पहुंच गया। राज्य सरकार के वेतन और पेंशन व्यय पर इस अध्याय में बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

चार्ट 2.1 : बिहार सरकार का राजस्व लेखा (करोड़ रु.)

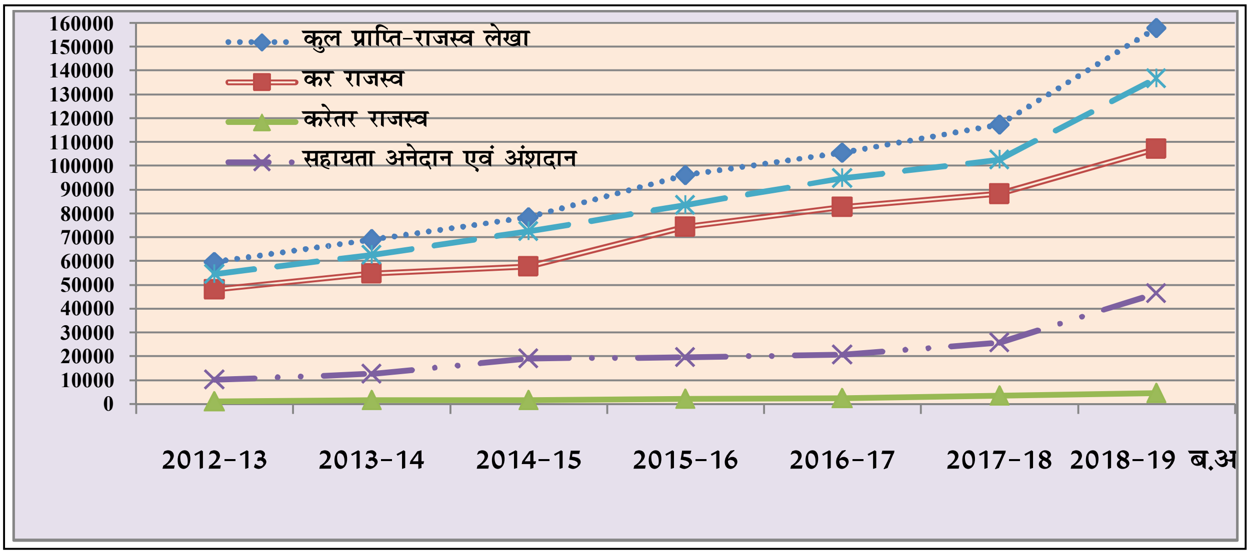

विकासमूलक राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय

वर्ष 2017-18 में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक राजस्व व्यय गत वित्तवर्ष से 6,790 करोड़ रु. बढ़ा। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय 80 प्रतिशत बढ़कर 54,456 करोड़ रु. से 98,152 करोड़ रु. हो गया। वहीं, विकासेतर राजस्व व्यय इस अवधि में 48 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ा और 25,945 करोड़ रु. से 38,271 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 के कुल पूंजीगत परिव्यय 28,907 करोड़ रु. में से 21,884 करोड़ रु. (76 प्रतिशत) का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया - सड़कों एवं पुलों की परिवहन अधिसंरचना के निर्माण पर 5,402 करोड़ रु. (19 प्रतिशत), विद्युत परियोजनाओं पर 6,931 करोड़ रु. (24 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 2,665 करोड़ रु. (9 प्रतिशत) तथा शेष अन्य क्षेत्रों में। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4,258 करोड़ रु. था। इसमें से 13 प्रतिशत हिस्सा (565 करोड़ रु.) राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं में सुधार पर, 41 प्रतिशत (1,763 करोड़ रु.) जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार पर और 36 प्रतिशत (1,519 करोड़ रु.) शैक्षिक अधिसंरचना में सुधार पर खर्च हुआ।

राजस्व लेखे के अधिशेष ने बिहार की विकास गाथा में शुरू से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले भी कहा जा चुका है कि 2016-17 में राजस्व अधिशेष की प्रक्रिया धीमी हुई लेकिन 2017-18 में यह पुनः बढ़ गया। राजस्व अधिशेष में वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ने और केंद्रीय अनुदानों में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी (जो पिछले 5 वर्षों की अवधि में 17 प्रतिशत थी) जबकि उस अवधि में राजस्व व्यय भी 13 प्रतिशत की दर से बढ़ा (जो पिछले 5 वर्षों की अवधि में 15 प्रतिशत था)। फलतः, राजस्व अधिशेष में टिकाऊ परिघटना के कारण राज्य सरकार अपने पूंजीगत परिव्यय को 2013-14 से लगातार जिस दर से बढ़ा पा रही थी उसका वहीं आवेग बनाए नहीं रख सकी। पूंजीगत परिव्यय इस प्रक्रिया का मुख्य शिकार हुआ और इसकी वृद्धि दर 2016-17 के 31 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 19 प्रतिशत रह गई।

वर्ष 2017-18 में राज्य का पूंजीगत परिव्यय सहित कुल विकासमूलक व्यय 97,771 करोड़ रु. था जो 2016-17 के कुल व्यय के 72 प्रतिशत के लगभग बराबर ही था। राज्य सरकार राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों में विकासमूलक व्यय की उच्च वृद्धि दर बरकरार रखने के लिए कृतसंकल्प है। यह 2018-19 के बजट अनुमान में भी प्रतिबिंबित होता है जिसमें इसका पिछले वर्ष से 31 प्रतिशत अधिक बढ़कर 1,28,917 करोड़ रु. होना अनुमानित है। विकासेतर सामान्य सेवाओं पर व्यय भी 2017-18 में 2016-17 के 34,935 करोड़ रु. से बढ़कर 38,271 करोड़ रु. पहुंच गया जो गत वर्ष से मात्र 9 प्रतिशत अधिक है।

बिहार की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया 2006-07 में शुरू हुई थी जब पूंजीगत परिव्यय 2005-06 के महज 2,084 करोड़ रु. से बढ़कर 5,211 करोड़ रु. हो गया था। वर्ष 2006-07 से ही राज्य सरकार ने हर बजट में पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जो बहुगुणक प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज विकास में रूपांतरित हो गया। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत परिव्यय 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से और कुल विकासमूलक व्यय 16 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वर्ष 2017-18 में पूंजीगत परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत था जबकि 2013-14 में यह मात्र 4.4 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय में इसका हिस्सा 21 प्रतिशत था जबकि 2013-14 में यह 17 प्रतिशत था।

चार्ट 2.2 : बिहार सरकार का पूंजीगत लेखा (करोड़ रु.)

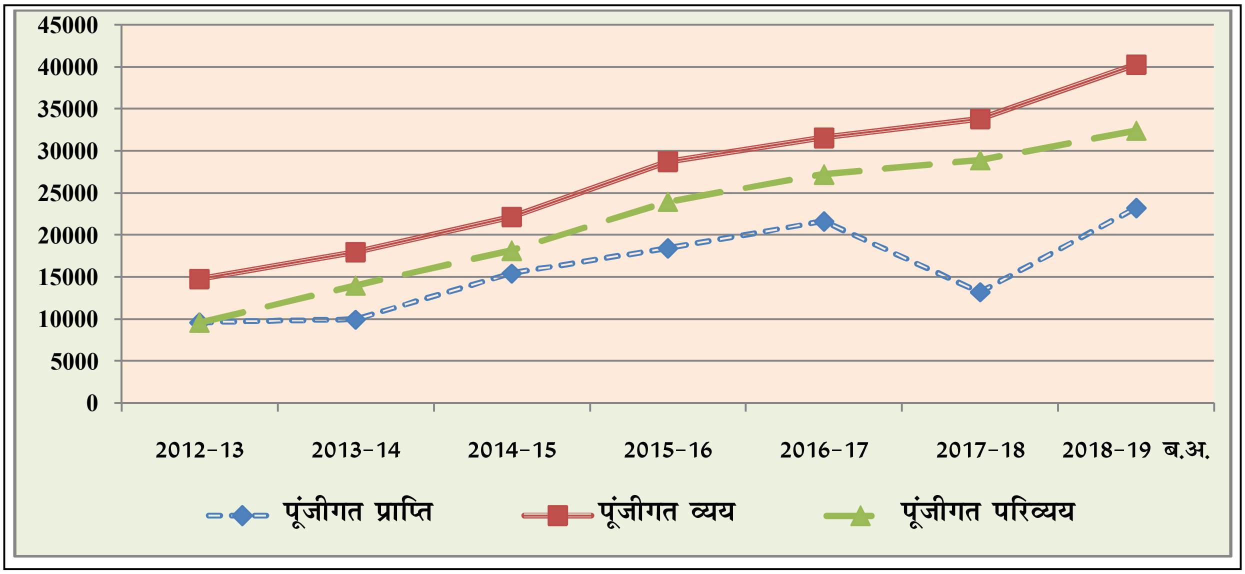

संसाधन एकत्रीकरण

राज्य सरकार का कुल कर राजस्व 13 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2013-14 के 54,790 करोड़ रु. से 2017-18 में 88,220 करोड़ रु. हो गया। इस अवधि में राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 4 प्रतिशत की कम वार्षिक दर से बढ़ा और 19,961 करोड़ रु. से 23,136 करोड़ रु. हो गया। इसके पूर्व के 5 वर्षों की अवधि में इसकी वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 के दौरान अपने कर राजस्व में लगभग 3 प्रतिशत गिरावट के कारण इसकी वृद्धि दर नकारात्मक रही है। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष में इसके लगभग 34 प्रतिशत बढ़कर 31,002 करोड़ रु. पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में राज्य के कुल कर राजस्व में गत वर्ष से 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2013-14 से लेकर 2017-18 तक के पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से राज्य सरकार को होने वाला अंतरण 17 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जबकि केंद्रीय अनुदानों में लगभग 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज हुई।

कर राजस्व में वृद्धि के विपरीत, राज्य में करेतर राजस्व के तहत प्राप्तियों में करेतर राजस्व की प्रकृति के कारण बिना किसी पैटर्न के उतार-चढ़ाव होता रहा है। यह 2013-14 के 1,545 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 3,507 करोड़ रु. हो गया। पिछले 5 वर्षों की अवधि में राज्य सरकार का करेतर राजस्व 23 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है और वर्तमान वित्तवर्ष में इसके 27 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

बकाया लोक ऋण

राज्य सरकार के लोक ऋण में दो ही घटक शामिल होते हैं - राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं सहित बाजार से लिया गया आंतरिक ऋण तथा केंद्र सरकार से लिया गया ऋण। यह दूसरा घटक बारहवें वित्त आयोग की

अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप लगातार घटता गया है। राज्य सरकार लोक लेखा के कुछ मदों के लिए न्यासी के बतौर भी काम करती है जो अन्य देनदारियों में शामिल होते हैं। इन पर बाद में चर्चा की जाएगी।

राज्य सरकार पर बकाया सार्वजनिक देनदारी 2013-14 में 86,939 करोड़ रु. थी। वर्ष 2017-18 में बकाया देनदारी, जिसमें लघु बचत, भविष्य निधि और अन्य लेखे, आरक्षित निधि और नागरिक जमा तथा अग्रिम जैसे लोक लेखा के कारण होने वाली देनदारियां शामिल हैं, बढ़कर 1,56,777 करोड़ रु. पहुंच गई। वहीं, राजस्व प्राप्ति के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात 2013-14 में 7.9 प्रतिशत था जो 2017-18 में थोड़ा घटकर 7.7 प्रतिशत रह गया। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत की उच्च सीमा से नीचे है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच ऋण सेवा भुगतान लगभग 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए 8,579 करोड़ रु. से बढ़कर 13,708 करोड़ रु. हो गया जबकि बकाया लोक ऋण इस अवधि में लगभग 16 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। ब्याज भुगतान 2013-14 में 5,459 करोड़ रु. (ऋण सेवा भुगतान का 64 प्रतिशत) था और 2017-18 में 9,054 करोड़ रु. (ऋण सेवा भुगतान का 66 प्रतिशत)। वहीं, इस अवधि में मूलधन की अदायगी 3,120 करोड़ रु. से बढ़कर 4,654 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में लोक ऋण की बकाया देनदारियों का बढ़कर 1,72,246 करोड़ रु. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 33.4 प्रतिशत) और ऋण सेवा भुगतान 2017-18 के 32 प्रतिशत बढ़कर 18,089 करोड़ रु. पहुंच जाना अनुमानित है।

हाल के वर्षों में ऋण संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। यह सबसे पहले तो यह परिवर्तन केंद्र सरकार के अधिक ब्याज वाले ऋणों को बाजार के कम ब्याज वाले ऋणों से बदल देने के कारण और उसके बाद बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप केंद्र सरकार के ऋणों के समेकन और 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 वर्ष की अवधि में भुगतान हेतु पुनर्व्यवस्थित करने के कारण हुआ। आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि अगर राज्य सरकारें ऋण लेना चाहती हैं, तो उन्हें जरूरत मुताबिक बाजार से ऋण लेना चाहिए और केंद्र सरकार की मदद अनुदानों तक ही सीमित रहनी चाहिए। फलत: कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के ऋणों का अनुपात काफी घट गया था लेकिन हाल के वर्षों में यह बढ़ता गया है। केंद्रीय ऋण 2013-14 से 2017-18 के बीच 550 करोड़ रु. से बढ़कर 1,399 करोड़ रु. हो गया है और 2018-19 के बजट अनुमान में इसके 2,275 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। हालांकि इस अवधि में कुल लोक ऋण में केंद्रीय ऋणों का हिस्सा 9.9 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत रह गया है।

ऋण देनदारियों के साथ बर्ताव के मामले में 2013-14 में नया दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह पूर्व में अपनाए जाने वाले तरीके से भिन्न था जिसमें लघु बचतों, भविष्य निधि और अन्य लेखों की शुद्ध प्राप्तियों को राज्य सरकार की कुल ऋण देनदारियों में शामिल किया जाता था। बहरहाल, नए भारत सरकार लेखाकरण मानक (आइ.जी.ए.एस.) 10 के तहत संचित निधि में ऋण की प्राप्ति और लोक लेखा के कारण राज्य सरकार के पास स्वत: आने वाली देनदारियों में अंतर किया गया है। हालांकि इस मानक को औपचारिक रूप से अपनाया नहीं गया है और यह भी अंतर्विरोधों से रहित नहीं है, लेकिन इसने राज्य सरकार की बकाया देनदारियों को

पुनर्परिभाषित कर दिया है। पहले राज्य सरकार के समस्त ऋणों में आंतरिक ऋण, केंद्र सरकार के ऋण और लघु बचतों एवं भविष्य निधि लेखे के ऋण शामिल होते थे। जहां पहले दो ऋण राज्य सरकार की भविष्य निधि में होने वाली उधारियों के अंग हैं, वहीं लघु बचतों और भविष्य निधि के लेखों का संधारण राज्य सरकार के लोक लेखा में किया जाता है। नए लेखाकरण मानक के अनुसार अब लोक ऋण में संचित निधि से होने वाली उधारियां ही शामिल हैं। शेष तीन प्रमुख लोक लेखा शेष राज्य सरकार की 'अन्य देनदारियों' में शामिल हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार के नगद शेष में मिला दिया जाता है। 'अन्य देनदारियों' में भविष्य निधि और अन्य लेखे, आरक्षित निधि, तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं। यह नया वर्गीकरण राज्य सरकार के लेखों में लोक ऋण और अन्य देनदारियों के मामले में व्यक्त होने लगा है।

भारत में लघु बचत योजनाएं हमेशा पारिवारिक बचतों का महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। फरवरी 1999 में लघु बचत समिति की रिपोर्ट के अनुपालन के कारण भारतीय लोक लेखा में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एन.एस.एस.एफ.) की स्थापना की गई थी जो अप्रील 1999 से प्रभावी है। सारी लघु बचतों के संग्रहण इसी कोष में जमा किए जाते हैं और जमाकर्ताओं द्वारा सारी निकासी इस कोष के अंदर हुए संचय से की जाती है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष द्वारा लघु बचतों के शुद्ध संग्रहणों का केंद्र सरकार द्वारा तय बंटवारे के फार्मूला के अनुरूप राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों (एसएसजीएस) में निवेश किया जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष से राज्य सरकार को दिए जाने वाले बकाया ऋण 2017-18 के आरंभ में 23,218 करोड़ रु. हो गए थे। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष की योजनाओं के संचालन से अलग रखने की अनुशंसा की और अनुशंसा की कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष की योजनाओं में राज्य सरकारों की संलग्नता अभी तक लिए गए ऋणों की देनदारियों को निपटाने तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। उसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन अनुशंसाओं के संबंध में सभी राज्यों से अपने विचार देने को कहा था। बिहार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष के ऋण व्यवस्था से बाहर होना पसंद किया है। फलतः, 2017-18 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष से कोई नया ऋण नहीं लिया गया। बल्कि 1,769 करोड़ रु. का भुगतान ही किया गया जिससे वर्ष के अंत तक बकाया शेष 21,450 करोड़ रु. रह गया।

वर्ष 2006-07 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के लागू होते ही बिहार में राजकोषीय अनुशासन शुरू कर दिया गया था। बिहार के सकल राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को 2006-07 में एक वर्ष पूर्व के 4.43 प्रतिशत से घटाकर 2.92 प्रतिशत पर ले लाया गया था। वर्ष 2009-10 को छोड़ दें, जब यह उससे थोड़ा बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया था, तो उसके बाद से वह 3 प्रतिशत की सीमा में ही रहा। वह वस्तुतः 2008-09 में आई आर्थिक मंदी का परिणाम था। हालांकि वर्ष 2016-17 में यह अनुपात 3.9 प्रतिशत पहुंच गया था और पुनः अधिनियम की सीमा से अधिक हो गया था। सौभाग्यवश, 2017-18 में यह एफआरबीएम की 3.0 प्रतिशत की सीमा के ठीक नीचे 2.9 प्रतिशत तक आ गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इसके और भी घटकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत तक आ जाने का अनुमान है। धनराशि के रूप में देखें तो सकल राजकोषीय घाटा 2013-14 के 8,352 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 14,305 करोड़ रु. हो गया।

राजकीय वित्तव्यवस्था की विकासोन्मुखता

राज्य सरकार बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति कृतसंकल्प है। राज्य में अधिसंरचना पर सार्वजनिक निवेश पिछले एक दशक में कईगुना बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में कुल विकासमूलक व्यय 2013-14 के 54,691 करोड़ रु. से बढ़कर 97,771 करोड़ रु. हो गया। इस अवधि में विकासमूलक व्यय विकासेतर व्यय की अपेक्षा तेज दर से बढ़ा है। फलतः कुल बजट में विकासमूलक व्यय का हिस्सा 2013-14 के 68.0 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 71.7 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के मामले में देखा जा सकता है कि व्यय 2013-14 और 2017-18 के बीच 1858 करोड़ रु. से 129 प्रतिशत बढ़कर 4,258 करोड़ रु. हो गया। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय भी इस अवधि में 10,811 करोड़ रु. से 102 प्रतिशत बढ़कर 21,884 करोड़ रु. हो गया। अधिसंरचना के अधिकांश घटकों के लिए पूंजीगत लेखे में व्यय राजस्व लेखे में व्यय की अपेक्षा अधिक था, जैसे कि सड़क एवं पुल में 80 प्रतिशत, ऊर्जा एवं विद्युत में 62 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 67 प्रतिशत, परिवहन में 79 प्रतिशत आदि। सड़क और पुल पर सार्वजनिक निवेश पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है। गौरतलब है कि बिहार में पथ घनत्व 219 किमी (प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल) है और इसके लिहाज से बिहार का देश में तीसरा स्थान है। बिहार का पथ घनत्व संपूर्ण भारत के आंकड़े (मात्र 143 किमी) से काफी अधिक है। इसी प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2017-18 में 280 किलोवाट आवर हो गई। परिसंपत्तियों के निर्माण और उनके रखरखाव का अभिन्न संबंध है। अधिक अधिसंरचना का अर्थ अधिक रखरखाव भी होता है। आरंभिक चरण में अधिसंरचना के विकास पर अधिक व्यय होता है लेकिन बाद के चरण में रखरखाव पर व्यय अधिक हो सकता है। यह बात तालिका 6.1 से स्पष्ट है जिसमें दिखता है कि सड़कों और पुलों पर राजस्व व्यय 11.1 प्रतिशत है जबकि पूंजीगत व्यय कम - 7.1 प्रतिशत है।

राज्य सरकार के कुशल व्यय प्रबंधन का पता योजना व्यय की मात्रा से चलता है जो स्थापना एवं कार्यापित व्यय से अधिक हो गया। वर्ष 2011-12 में योजना व्यय 23,008 करोड़ रु. था जिसका कुल बजट में 38.2 प्रतिशत योगदान था। वहीं, 2017-18 में बढ़कर यह 1,36,427 करोड़ रु. हो गया जो कुल बजट का 52.3 प्रतिशत है। इस प्रकार, स्पष्ट है कि योजना व्यय स्थापना एवं कार्यार्पित व्यय की अपेक्षा तेज दर से बढ़ रहा है।

2.2 राजकोषीय प्रदर्शन

तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) के दौरान अन्य राज्य सरकारों के मुकाबले बिहार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए वर्तमान विश्लेषण में इन 8 सूचकों का उपयोग किया गया है - (1) सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व अधिशेष का अनुपात, (2) सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) समूहित संवितरण (एॅग्रीगेट डिसबर्समेंट) के साथ विकासेतर व्यय का अनुपात, (4) राजस्व प्राप्ति के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात, (5) राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात, (6) राजस्व व्यय के

साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात, (7) समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण (ग्रॉस ट्रांसफर) का अनुपात, और (8) केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात।

(1) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व अधिशेष का अनुपात :** यह अनुपात दर्शाता है कि सकल राजकोषीय घाटा में राजस्व अधिशेष का किस हद तक योगदान है। आदर्श स्थिति में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राजस्व लेखे में अधिशेष होना चाहिए। पहले भी गौर किया गया है कि राज्य के राजस्व लेखे में प्रचुर अधिशेष थे। बिहार के राजस्व अधिशेष के चलते राज्य सरकार को अपना पूंजीगत परिव्यय के वित्तीयन के लिए लिए गए उधार की अपेक्षा काफी अधिक व्यय बढ़ाने की गुंजाइश बनी। वर्ष 2016-17 में बिहार का राजस्व अधिशेष सकल राजकोषीय घाटा के 66 प्रतिशत के बराबर था जो 2017-18 में काफी बढ़कर 104 प्रतिशत हो गया। गत तीन वर्षों के दौरान देश के 17 बड़े राज्यों में से बिहार के अलावा 6 राज्यों - छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश - के राजस्व लेखों में ही लगातार यथेष्ट अधिशेष रहा है। कनार्टक इन सभी वर्षों में अपने राजस्व लेखे में अधिशेष बनाए रखने भर में सक्षम रहा है।

(2) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात :** अपने राजस्व लेखों में सुधार के स्वाभाविक परिणामस्वरूप बिहार में पूंजीगत परिव्यय का परिमाण गत तीन वर्षों में काफी रहा है। वर्ष 2017-18 में पूंजीगत परिव्यय सकल राजकोषीय घाटे के दूने से अधिक था जो 2016-17 में 1.7 गुना था। वर्ष 2018-19 में इस अनुपात का और भी बढ़कर लगभग तीनगुना हो जाना अनुमानित है। पूंजी परिव्यय का ऐसा उच्च स्तर दर्ज करा पाने वाले अन्य प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश हैं।

(3) **समूहित संवितरण के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात :** मुख्यतः प्रशासनिक या सामान्य सेवाओं के लिए होने वाले विकासेतर व्यय का कुल व्यय में कम ही हिस्सा रहे तो बेहतर है। बिहार में कुल व्यय में विकासेतर राजस्व व्यय का हिस्सा 2017-18 में लगभग 25 प्रतिशत था जो 2016-17 के बराबर ही है। वर्ष 2017-18 में चार राज्यों - केरल, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश - का अनुपात 30 प्रतिशत से ऊपर था। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में ही यह अनुपात 20 प्रतिशत से नीचे था।

(4) **राजस्व प्राप्ति के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात :** यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक विकासमूलक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका। बिहार में 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्ति का 28 प्रतिशत हिस्सा विकासेतर राजस्व व्यय पर चला गया था जो 2016-17 के 29 प्रतिशत से थोड़ा कम है। वर्ष 2018-19 में इस अनुपात का और भी घटकर 25.5 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है। पंजाब में यह अनुपात 60 प्रतिशत से भी अधिक और केरल में 59 प्रतिशत था। झारखंड, ओडिशा, और छत्तीसगढ़ - तीन राज्यों में ही यह अनुपात बिहार से कम था।

(5) **राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात :** अधिक ऋणग्रस्तता के कारण अधिकांश राज्यों की वित्तव्यवस्था के लिए ब्याज भुगतान स्थायी बोझ बने रहते हैं। हालांकि बिहार में राजस्व व्यय का कम ही हिस्सा ब्याज भुगतान पर खर्च होता रहा है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में बिहार का अनुपात व्यवहारत: समान स्तर पर था (क्रमश: 8.6 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत) और वर्तमान वित्तवर्ष में इसके और भी घटकर 7.9 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ - चार राज्यों को छोड़कर शेष सभी में यह अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक था। यह अनुपात सबसे अधिक 21 प्रतिशत पंजाब में और उसके बाद 19 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में था।

(6) **राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात :** कुल राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात राज्य सरकार की राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों के लिहाज से उसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। वर्ष 2016-17 में बिहार के अपने कर और करेतर राजस्व मिलकर अपने कुल राजस्व व्यय के 27.6 प्रतिशत की पूर्ति करते थे। वर्ष 2015-16 में यह लगभग 33 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था जो 2017-18 में सिर्फ 26 प्रतिशत रह गया। वित्तीय आत्मनिर्भरता के वांछित स्तर को हासिल कर पाना अभी दूर की बात है। इस मामले में अन्य सभी प्रमुख राज्यों की स्थिति काफी अच्छी है। वर्ष 2017-18 में 17 में से 7 राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब और तमिलनाडु - ने अपना 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व व्यय अपने राजस्व से पूरा किया था।

(7) **समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात :** यह अनुपात केंद्रीय संसाधनों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को सामने लाता है। बिहार के मामले में ऐसी निर्भरता हमेशा से काफी अधिक रही है। बिहार के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हमेशा ही केंद्रीय अंतरणों से पूरा हुआ है। वर्ष 2007-08 के सर्वोच्च 72 प्रतिशत से गिरकर यह 2016-17 में 64 प्रतिशत पर आ गया था लेकिन 2017-18 में यह पुन: थोड़ा बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया। केंद्र सरकार के अंतरणों पर किसी भी अन्य बड़े राज्य की इतनी अधिक निर्भरता नहीं है। वर्ष 2017-18 में अन्य बड़े राज्यों में से छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के ही कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से का वित्तपोषण केंद्रीय अंतरणों से हुआ था। वहीं केंद्रीय अंतरणों से पांच अन्य राज्यों - आंध्र प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल - के कुल व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से का वित्तीयन हुआ था।

(8) **केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात :** वर्ष 2016-17 में ऋण सेवा भुगतान में बिहार को हुए सकल अंतरण का 15 प्रतिशत हिस्सा ही गया था जो 2017-18 में उससे भी थोड़ा घटकर 14.9 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में और भी घटकर इसका 14.5 प्रतिशत ही रह जाना अनुमानित है। इस मामले में बिहार का प्रदर्शन देश के अनेक प्रमुख राज्यों से काफी अच्छा है हालांकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ का अनुपात भी इस मामले में बिहार जैसा ही था। पंजाब और हरियाणा के मामले में 2017-18 में यह अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक था। पंजाब के मामले में स्थिति तीनों वर्षों में बुरी थी और ऋण सेवा भुगतान केंद्र सरकार से होने वाले सकल अंतरण का लगभग तिगुना था। गुजरात, केरल और महाराष्ट्र की स्थिति भी चिंताजनक थी।

तालिका 2.2 : प्रमुख राजकोषीय सूचक

राज्य	क. राजस्व घाटा : सकल राजकोषीय घाटा (%)			ख. पूंजीगत परिव्यय : सकल राजकोषीय घाटा (%)		
	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
बिहार	-65.7	-103.6	-190.2	165.1	202.1	289.3
झारखंड	-19.5	-111.7	-85.2	106.6	183.5	164.2
पश्चिम बंगाल	63.4	37.1	0.0	44.7	72.6	108.2
ओडिशा	-98.7	-61.6	-64.3	197.0	149.8	158.3
उत्तर प्रदेश	-36.2	-45.1	-61.5	124.6	139.6	168.5
मध्य प्रदेश	-13.6	-2.4	-1.0	98.6	116.9	109.6
राजस्थान	39.1	69.2	62.2	36.6	77.4	91.8
महाराष्ट्र	22.1	32.1	30.4	66.2	69.3	71.8
गुजरात	-35.6	-27.1	-23.4	133.7	125.3	118.6
पंजाब	13.8	68.7	63.6	8.2	21.1	32.4
हरियाणा	60.5	47.6	57.7	26.1	79.7	54.8
कर्नाटक	-4.5	-1.1	-0.3	98.1	88.2	86.3
आंध्र प्रदेश	55.6	14.6	-21.6	49.1	82.9	118.5
केरल	58.5	57.3	53.6	38.2	38.0	43.1
तमिलनाडु	23.1	45.1	39.3	36.9	59.6	63.6
हिमाचल प्रदेश	-15.8	35.4	40.5	59.9	55.3	54.2
छत्तीसगढ़	-136.3	-32.7	-44.5	233.9	130.8	144.6

राज्य	ग. विकासेतर व्यय : समूहित संवितरण (%)			घ. विकासेतर व्यय : राजस्व प्राप्तियां (%)		
	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
बिहार	24.2	24.5	22.7	29.0	28.4	25.5
झारखंड	22.0	22.3	23.1	27.7	25.7	26.8
पश्चिम बंगाल	31.9	26.6	25.6	43.0	40.0	37.5
ओडिशा	20.4	23.4	23.4	23.9	27.9	28.0
उत्तर प्रदेश	29.7	32.3	34.6	38.5	39.0	42.6
मध्य प्रदेश	22.2	25.7	24.0	28.1	32.4	30.7
राजस्थान	24.2	23.8	25.1	36.0	33.7	35.2
महाराष्ट्र	30.8	29.9	32.6	38.6	37.6	41.9
गुजरात	26.7	25.9	28.7	33.0	32.9	37.1
पंजाब	22.0	32.6	32.6	61.3	64.7	57.3
हरियाणा	25.9	27.0	26.1	42.0	38.8	43.9
कर्नाटक	21.8	22.8	23.8	27.7	29.6	31.2
आंध्र प्रदेश	19.7	24.6	21.9	33.2	31.9	26.9
केरल	42.4	42.3	42.0	61.7	59.2	58.0
तमिलनाडु	30.7	35.4	36.0	45.6	48.7	49.4
हिमाचल प्रदेश	27.0	29.5	31.4	37.1	41.1	42.8
छत्तीसगढ़	21.4	19.5	20.8	23.6	22.9	24.4

राज्य	च. ब्याज भुगतान : राजस्व व्यय (%)			छ. राज्य का अपना राजस्व : राजस्व व्यय (%)		
	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
बिहार	8.6	8.8	7.9	27.6	26.0	25.9
झारखंड	9.3	8.1	9.4	29.5	31.6	30.7
पश्चिम बंगाल	19.5	19.4	18.8	36.2	33.8	33.1
ओडिशा	6.2	6.2	6.1	47.5	43.9	43.1
उत्तर प्रदेश	15.9	14.8	18.3	48.6	39.3	47.1
मध्य प्रदेश	7.6	8.9	8.3	44.6	41.5	42.1
राजस्थान	13.9	12.8	12.7	44.0	44.2	46.4
महाराष्ट्र	14.6	13.4	12.7	70.0	68.5	70.0
गुजरात	17.1	16.2	15.9	74.9	75.6	74.6
पंजाब	21.1	21.3	18.8	60.8	57.0	61.2
हरियाणा	15.4	15.2	16.5	58.8	71.1	70.9
कर्नाटक	9.1	10.0	10.0	67.3	63.5	62.5
आंध्र प्रदेश	10.6	12.1	10.5	42.5	44.6	47.2
केरल	13.3	13.3	12.9	56.9	59.7	63.0
तमिलनाडु	13.7	15.2	15.3	62.6	58.6	57.4
हिमाचल प्रदेश	13.3	12.5	12.7	34.5	31.1	30.5
छत्तीसगढ़	6.0	5.3	5.9	51.1	42.7	39.5

राज्य	ज. सकल अंतरण : समूहित संवितरण (%)			झ. ऋण सेवा : सकल अंतरण (%)		
	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
बिहार	64.1	67.6	70.6	15.3	14.9	14.5
झारखंड	48.3	48.4	51.7	21.8	21.1	22.7
पश्चिम बंगाल	44.1	43.2	46.3	54.8	71.3	69.4
ओडिशा	51.0	52.4	52.4	15.8	14.3	15.4
उत्तर प्रदेश	42.9	52.6	46.4	40.6	33.3	45.0
मध्य प्रदेश	45.5	48.1	47.3	19.6	21.7	26.9
राजस्थान	34.9	36.0	35.7	40.2	45.9	50.5
महाराष्ट्र	21.8	22.3	20.8	76.8	75.2	87.4
गुजरात	23.7	21.9	22.3	83.3	92.4	90.9
पंजाब	11.3	14.8	17.4	293.3	299.8	231.7
हरियाणा	14.6	14.6	7.5	127.6	128.4	305.2
कर्नाटक	27.4	29.1	29.6	41.9	41.0	42.9
आंध्र प्रदेश	30.2	42.6	44.8	93.3	35.2	31.1
केरल	22.3	23.7	22.0	80.6	88.1	95.5
तमिलनाडु	22.2	26.5	28.8	63.0	62.7	64.6
हिमाचल प्रदेश	48.8	47.6	48.8	41.5	39.4	36.8
छत्तीसगढ़	49.9	51.2	54.4	13.7	13.1	13.2

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट : 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक

राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता

पूर्ववर्ती विश्लेषण का विस्तार उन कारकों को चिन्हित करने के लिए किया जा सकता है जो विकासमूलक गतिविधियों को अधिक गुंजाइश देकर राज्य को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाते हैं। इसके लिए यह जानना आवश्यक होगा कि विकासमूलक गतिविधियों के वित्तपोषण के साधन टिकाऊ हैं या नहीं, अर्थात वे ऋण का भार ज्यादा बढ़ाए बिना राज्य सरकार की व्यय संबंधी बढ़ी जरूरतें पूरी करते हैं या नहीं। दूसरे, वित्तपोषण के साधनों के लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) की जांच करना भी प्रासंगिक होगा कि वे राजस्व बढ़ाकर पूरे किए जाते हैं या ऋण लेकर। साथ ही, इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि व्यय का बढ़ा हुआ स्तर राज्य के लिए अधिक जोखिम तो नहीं पैदा करता है और उसे वित्तपोषण के स्रोतों के मामले में असुरक्षित तो नहीं बना देता है। राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), लचीलापन और सुभेद्यता (वल्नरेबिलिटी) को मापने वाले कुछ कारक तालिका 2.3 में प्रस्तुत किए गए हैं और उन पर नीचे चर्चा की गई है।

1. **ब्याज अनुपात :** इसकी गणना ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर में कुल राजस्व और ब्याज प्राप्ति के अंतर से भाग देकर की जाती है। इसका ऊंचा अनुपात अपनी राजस्व प्राप्तियों से किसी नए ऋण को चुकाने और अपना राजस्व व्यय पूरा करने की राज्य सरकार की कमजोर क्षमता दर्शाता करता है। बिहार के लिए यह अनुपात हाल के वर्षों में निम्न स्तर पर रहा है। वर्ष 2013-14 में यह अनुपात 9.3 प्रतिशत था लेकिन 2017-18 में यह घटकर 8.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार इसे और भी घटकर 7.8 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

2. **पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्ति :** यह अनुपात बताता है कि पूंजीगत प्राप्ति का पूंजी निर्माण में किस हद तक उपयोग किया जा रहा है। 100 प्रतिशत से कम अनुपात दीर्घकालिक आधार पर टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि यह बताएगा कि पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय हेतु किया जा रहा है। बिहार में यह अनुपात 2007-08 में 373 प्रतिशत के स्वस्थ स्तर पर था लेकिन क्रमशः घटते हुए 2013-14 में 141 प्रतिशत रह गया था जिसके बाद 2017-18 में बढ़कर यह 219 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार राज्य सरकार की संपूर्ण पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग पूंजीगत परिव्यय हेतु हो रहा है और परिव्यय के एक हिस्से का वित्तपोषण राजस्व लेखे के अधिशेष से हो रहा है।

3. **राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद :** यह राज्य सरकार की कर प्राप्ति और उसकी कर क्षमता के बीच मौजूद फासले का एक महत्वपूर्ण सूचक है। निम्न अनुपात से निम्न कर अनुपालन (टैक्स कंप्लाएंस) का भी पता चलता है। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपनी कुल कर प्राप्ति का अनुपात 2008-09 तक 4 प्रतिशत के आसपास गतिरुद्ध रहा था लेकिन 2015-16 तक यह अनुपात सुधरकर 6.7 प्रतिशत हो गया था। हालांकि यह अनुपात 2017-18 में पुनः घटकर 5.4 प्रतिशत रह गया। वर्तमान वित्तवर्ष में इसका 6.9 प्रतिशत पहुंच जाना अनुमानित है। चूंकि यह अनुपात अन्य राज्यों से काफी कम है इसलिए राज्य की अभी तक भी अदोहित कर संभावना के दोहन की अभी काफी गुंजाइश है।

4. **बकाया देनदारी/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद :** यह अनुपात सूचित करता है कि राज्य सरकार कहीं ऋण फांस में तो नहीं जकड़ गई है जिससे अपने बूते निकल पाना उसके लिए संभव नहीं है। उच्च अनुपात से राज्य सरकार के लिए वित्तीय फेरबदल की बहुत कम गुंजाइश बचती है और लचीलापन की कमी व्यक्त होती है। यहां गौरतलब है कि कुल देनदारी, जिसमें लोक लेखा की देनदारी भी शामिल थी, 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 27.4 प्रतिशत के बराबर था जो बढ़कर 2017-18 में 31.2 प्रतिशत हो गया और वर्तमान वित्तवर्ष में इसके और भी बढ़कर 33.4 प्रतिशत पहुंच जाना अनुमानित है। अवहनीय (अनसस्टेनेबल) स्तर पर पहुंचने के पहले ऋण भार को नियंत्रित करने की जरूरत है।

5. **प्राथमिक घाटा :** इसे सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाकर निकाला जाता है। इससे अतीत की देनदारियों पर विचार किए बिना, जिसके लिए अभी ब्याज भुगतान किया जाना है, राज्य सरकार

की वर्तमान नीतियों के प्रभाव की माप होती है। ऋण की दीर्घकालिक सुस्थिरता की आवश्यक शर्त यह है कि प्राथमिक लेखे में घाटा नहीं होना चाहिए। वर्ष 2008-09 में बिहार में 1,246 करोड़ रु. का प्राथमिक अधिशेष था लेकिन उसके बाद से 2010-11 को छोड़कर, जिसमें 349 करोड़ रु. का मामूली अधिशेष मौजूद था, बिहार अपने प्राथमिक लेखे में अधिशेष कायम नहीं कर सका। वर्ष 2017-18 में प्राथमिक घाटा पिछले साल के 8,289 करोड़ रु. से घटकर 5,251 करोड़ रु. रह गया। वर्ष 2018-19 में और भी घटकर इसके मात्र 440 करोड़ रु. रह जाने का अनुमान है।

6. **राज्य के अपने कर और करेतर राजस्वों की उछाल :** राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों की उछाल (बायोएंसी) में काफी उतार-चढ़ाव दिखता है लेकिन 2014-15 को छोड़कर 2015-16 तक इसमें उछाल रहा है। वर्ष 2014-15 में यह बहुत निम्न स्तर पर था। करेतर राजस्व के मामले में इन वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव काफी अधिक रहा। वर्ष 2016-17 में करेतर राज्य के मामले में उछाल का स्तर बहुत निम्न था जिसमें 2017-18 में सुधार हुआ और वर्तमान वित्तवर्ष में उसमें और भी सुधार होने की आशा है। करेतर राजस्व के मामले में उछाल में ऐसा व्यापक उतार-चढ़ाव मुख्यतः इसके शीर्षों (जैसे कि खनिजों से रॉयल्टी) के आर्थिक चक्रों के प्रति अत्यंत संवदेनशील होने कारण होता है।

तालिका 2.3 : राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक

सूचक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
क. सुस्थिरता (सस्टेनेबलिटी)						
ब्याज अनुपात (%)	9.26	9.82	8.57	8.62	8.29	7.84
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्ति की उछाल	1.9	0.5	2.9	-0.4	-0.2	5.9
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति की उछाल	2.9	0.1	5.2	0.7	3.2	4.7
बकाया ऋण में वृद्धि (%)	13.6	13.9	17.7	19.0	13.0	9.9
कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%)	15.7	13.8	22.6	9.8	11.2	34.6
राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%)	23.7	3.7	23.9	-5.4	1.9	33.0
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (%)	12.3	8.2	7.7	15.3	14.5	5.7
ख. लचीलापन (फ्लेक्सिबलिटी)						
कुल कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	17.3	16.8	20.1	19.4	18.1	20.8
पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्ति (%)	141.1	117.8	130.2	126.0	219.1	139.7
राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	6.3	6.1	6.9	5.6	4.7	6.0
राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9
बकाया देनदारी/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	27.42	28.88	31.55	32.57	32.15	33.40
ग. सुभेद्यता (वल्नरेबलिटी)						
राजस्व घाटा (करोड़ रु.)	-6441	-5848	-12507	-10819	-14823	-21312
राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)	8352	11178	12062	16480	14305	11204
प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)	2893	5050	4964	8289	5251	440
प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	34.6	45.2	41.2	50.3	36.7	3.9
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	-77.1	-52.3	-103.7	-65.7	-103.6	-190.2

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

पूंजीगत परिव्यय के लिए पूंजीगत प्राप्तियों के बेहतर उपयोग और बेहतर ऋण प्रबंधन के जरिए राज्य सरकार ने अधिक लचीलापन हासिल किया और वह अपने संसाधनों को विकासमूलक व्यय की दिशा में मोड़ने के लिहाज से बेहतर स्थिति में रही। हालांकि ऋण भार बढ़ रहा है जो चिंता की बात है। साथ ही, सुभेद्यता के लिहाज से देखें, तो अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय अंतरणों पर अत्यधिक निर्भर है। इस निर्भरता में कमी की जा सकती है क्योंकि अभी भी अपना कर राजस्व बढ़ाने की अप्रयुक्त संभावना मौजूद है। चूंकि वस्तु एवं सेवा कर क्रमशः साम्यावस्था में पहुंचेगा इसलिए निर्भरता में कमी आने की आशा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर और प्रबंधनीय ब्याज अनुपात के कारण राज्य सरकार के लिए अपनी वित्तव्यवस्था के मामले में अभी भी कुछ लचीलापन मौजूद है। सारांश रूप में, गौरतलब है कि जहां सारे प्रमुख सूचक हाल के वर्षों में राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार का संकेत देते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में समस्याएं भी मौजूद हैं। जैसे, ब्याज भुगतान अभी भी जोखिम पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य के प्राथमिक लेखे में उच्च घाटा चिंता की बात बनी हुई है।

2.3 घाटा प्रबंधन

वर्ष 2016-17 से 2018-19 (बजट अनुमान) तक की अवधि के लिए कुछ प्रमुख राज्यों के राजस्व लेखों और राजस्व एवं पूंजी लेखों की संयुक्त स्थिति तालिका 2.4 में दर्शाई गई है। आर्थिक सुस्ती के कारण 2010-11 के बाद से बिहार के राजस्व अधिशेष में जो गिरावट आ गई थी, उससे उबरते हुए 2015-16 में बिहार के राजस्व लेखे में अधिशेष सर्वाधिक 12,507 करोड़ रु. तक पहुंच गया था। राजस्व अधिशेष घटकर 2016-17 में 10,820 करोड़ रु. रह गया। हालांकि 2017-18 में राजस्व अधिशेष बढ़कर 14,823 करोड़ रु. हो गया और वर्तमान वित्तवर्ष में और भी बढ़कर इसके 21,312 करोड़ रु. पहुंच जाने का अनुमान है।

तालिका 2.4 : राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति

(करोड़ रु.)

राज्य	राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)			पारंपरिक घाटा (+)/ अधिशेष (-)		
	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
बिहार	-10820	-14823	-21312	-883	-5789	-4265
झारखंड	-1968	-7756	-6386	5103	0	0
पश्चिम बंगाल	16085	11006	0	166	7438	-2603
ओडिशा	-9259	-8873	-9980	1116	846	1061
उत्तर प्रदेश	-20283	-18515	-27099	8606	8235	7485
मध्य प्रदेश	-3769	-576	-263	2742	1441	1438
राजस्थान	18114	20166	17455	7444	9297	3968
महाराष्ट्र	8536	14843	15375	2167	12100	4943
गुजरात	-5947	-5977	-5998	-2115	3948	4217
पंजाब	7311	14310	12539	1656	10118	6775
हरियाणा	15907	8226	16624	3391	52	8402
कर्नाटक	-1293	-384	-106	4929	6416	4754
आंध्र प्रदेश	17194	4018	-5235	5763	5628	1595
केरल	15485	13080	12860	10297	2370	1668
तमिलनाडु	12964	18370	17491	-1771	1890	2142
हिमाचल प्रदेश	-920	2628	3168	1179	4543	4500
छत्तीसगढ़	-5521	-3188	-4445	-280	671	683

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

चार्ट 2.3 : सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)

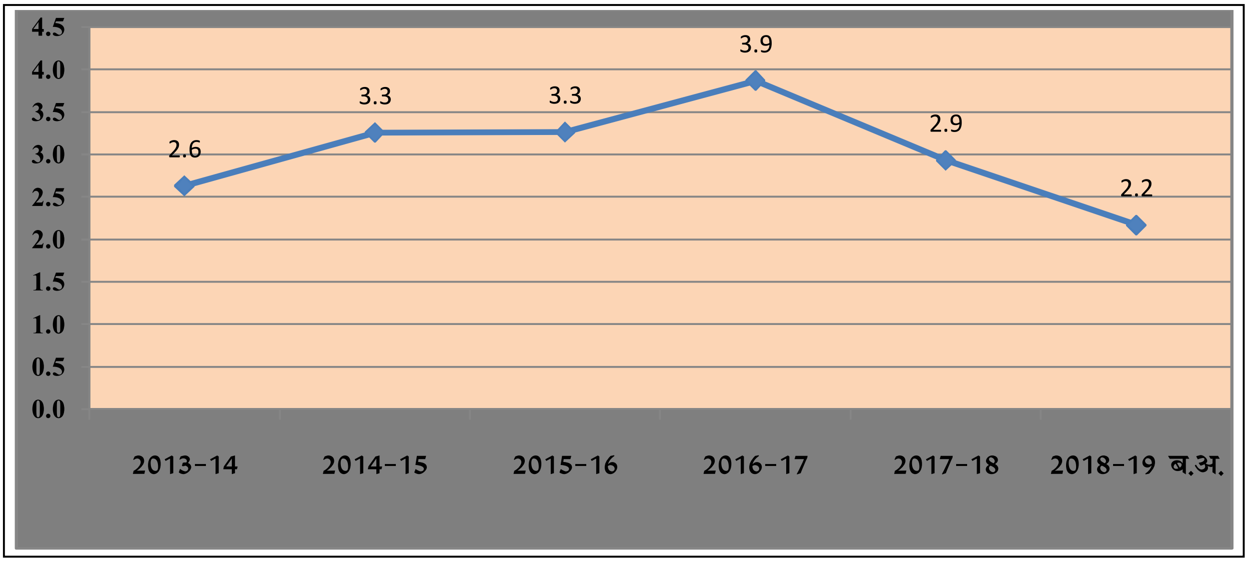

किसी राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा उसके वित्तीय प्रदर्शन का एक संवेदनशील सूचक होता है क्योंकि इससे उसका कुल संसाधन अंतराल व्यक्त होता है। तालिका 2.5 में देश के प्रमुख राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। तीन राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) का सकल राजकोषीय घाटा 2017-18 में 40,000 करोड़ रु. से अधिक था। उच्च घाटा वाले अन्य राज्य पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश थे जिनका सकल राजकोषीय घाटा 25,000 करोड़ रु. से अधिक था। वर्ष 2017-18 में झारखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपने सकल राजकोषीय घाटा को 10,000 करोड़ रु. के नीच रखने में सफल रहे। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2016-17 में 16,480 करोड़ रु. था जो 2017-18 में घटकर 14,305 करोड़ रु. रह गया और वर्तमान वित्तवर्ष में उसके और भी घटकर 11,204 करोड़ रु. रह जाने का अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर भी बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सिर्फ 2016-17 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा अधिदेशित 3 प्रतिशत सीमा से ऊपर गया। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में यह सीमा के अंदर आ गया।

तालिका 2.5 : सकल राजकोषीय घाटा

राज्य	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)			राज्य	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)		
	2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)		2016-17	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
बिहार	16480	14305	11204	पंजाब	52840	20821	19720
झारखंड	10106	6943	7495	हरियाणा	26311	17279	28809
पश्चिम बंगाल	25385	29698	23805	कर्नाटक	28692	35408	40828
ओडिशा	9377	14394	15521	आंध्र प्रदेश	30909	27603	24205
उत्तर प्रदेश	55989	41074	44053	केरल	26479	22809	23995
मध्य प्रदेश	27687	24083	26780	तमिलनाडु	56172	40736	44481
राजस्थान	46346	29122	28041	हिमाचल प्रदेश	5839	7420	7821
महाराष्ट्र	38617	46202	50586	छत्तीसगढ़	4050	9738	9997
गुजरात	16720	22073	25594				

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

तालिका 2.6 में राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना दर्शाई गई है। इसमें देखा जा सकता है कि 2015–16 तक राजस्व अधिशेष लगभग आधे पूंजीगत परिव्यय का वित्तीयन करता रहा है। इसके कारण राज्य सरकार के लिए पूंजीगत परिव्यय में प्रचुर वृद्धि करने की गुंजाइश बनी। लेकिन 2016–17 में राजस्व अधिशेष से पूंजीगत परिव्यय के लगभग 40 प्रतिशत भाग का ही वित्तीयन हो पाया। हालांकि 2017–18 में राजस्व अधिशेष पुन: बढ़कर पूंजीगत परिव्यय के लगभग आधे तक पहुंच गया। गौरतलब है कि राजस्व अधिशेष को खाली करने के बाद पूंजीगत परिव्यय लगभग पूरे राजकोषीय घाटे के लिए जवाबदेह है, जो यह सूचित करता है कि बिहार में लिए जाने वाले उधार का उपयोग अब अत्यंत जरूरी सामाजिक और भौतिक अधिसंरचनाओं के निर्माण में हो रहा है। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे में शुद्ध ऋणप्रदान का हिस्सा हमेशा ही बहुत कम रहा है जो 2017–18 में भी नगण्य था।

तालिका 2.6 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राजस्व घाटा	-6441	-5848	-12507	-10819	-14823	-21312
पूंजीगत परिव्यय	14001	18150	23966	27208	28907	32417
शुद्ध ऋण-प्रदान	792	-1124	603	91	221	99
सकल राजकोषीय घाटा	**8352**	**11178**	**12062**	**16480**	**14305**	**11204**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	317101	342951	369469	425888	487628	515634
सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	**2.6**	**3.3**	**3.3**	**3.9**	**2.9**	**2.2**

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

चार्ट 2.4 : सकल राजकोषीय घाटा की संरचना (करोड़ रु.)

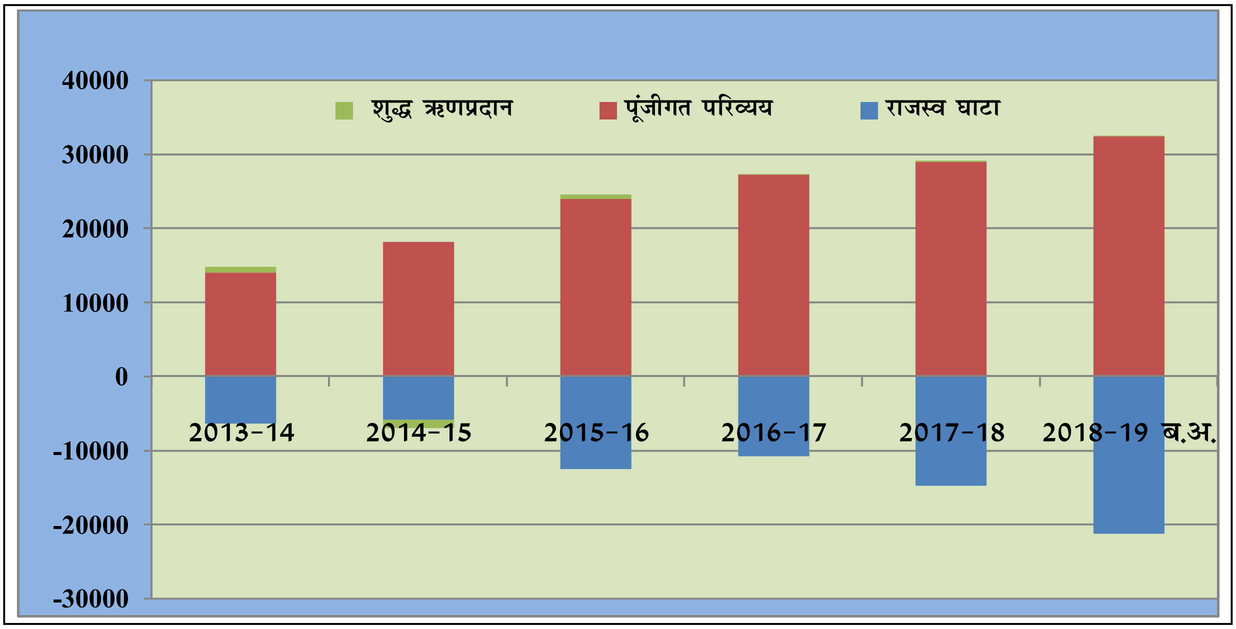

तालिका 2.7 में दर्शाया गया है कि हाल के वर्षों में सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन किस तरह किया गया। संचित निधि में होने वाले शुद्ध ऋणग्रहण में मुख्यत: आंतरिक बाजार के ऋण और केंद्रीय ऋण शामिल थे। केंद्रीय ऋण का कुल ऋणग्रहण में बहुत कम हिस्सा था। वर्ष 2017-18 में सकल राजकोषीय घाटे में शुद्ध ऋणग्रहण का हिस्सा 8,516 करोड़ रु. (59.5 प्रतिशत) अधिक था और लोक लेखा के शुद्ध शेष के हिस्से के द्वारा सकल राजकोषीय घाटा के 5,721 करोड़ रु. (40 प्रतिशत) का वित्तीयन किया। इस प्रकार, राज्य सरकार को सकल राजकोषीय घाटा के वित्तीयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अपना सिर्फ 68 करोड़ रु. नगद शेष निकालना पड़ा।

तालिका 2.7 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
शुद्ध ऋणग्रहण	6788	10309	14258	17362	8516	15469
शुद्ध लोक लेखा	1606	551	-1983	-893	5721	-901
नगद शेष में शुद्ध कमी (आरंभिक शेष - अंतिम शेष)	-42	319	-214	10	68	-3364
सकल राजकोषीय घाटा	**8352**	**11178**	**12062**	**16480**	**14305**	**11204**
प्रतिशत संरचना						
शुद्ध ऋणग्रहण	81.3	92.2	118.2	105.4	59.5	138.1
शुद्ध लोक लेखा	19.2	4.9	-16.4	-5.4	40.0	-8.0
नगद शेष में शुद्ध कमी	-0.5	2.9	-1.8	0.1	0.5	-30.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

2.4 नगद प्रबंधन

31 मार्च 2018 को राज्य सरकार का कुल नगद शेष 22,081 करोड़ रु. था जो 31 मार्च 2017 को 17,062 करोड़ रु. ही था। इसमें से 17,396 करोड़ (79 प्रतिशत) का निवेश नगद शेष निवेश लेखा में किया गया (जिसमें 2016-17 में 13,002 करोड़ का निवेश किया गया था), 186 करोड़ रु. विभागीय अधिकारियों के पास नगद के रूप में मौजूद थे और 342 करोड़ रु. विभिन्न विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम के बतौर रखे थे। वहीं, 4,111 करोड़ रु. का निवेश परिशोधन निधि (सिंकिंग फंड) जैसे चिन्हित कोषों में किया गया। फलत: भारतीय रिजर्व बैंक के पास 47 करोड़ रु. का शुद्ध ऋण नगद शेष रह गया। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार के निवेशों पर 800 करोड़ रु. ब्याज के बतौर प्राप्त हुए जबकि यह रकम उसके पिछले साल 804 करोड़ रु. थी।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम 1.73 करोड़ रु. दैनिक नगद शेष रखना होता है जिसके नहीं रखने पर उसे सामान्य अग्रिम या विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ता है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूरे साल अपना न्यूनतम दैनिक नगद शेष बनाए रखने में सफल रही।

2.5 राज्य सरकार द्वारा दी गई जमानतें

वर्ष 2017-18 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त गारंटी 5,174 करोड़ रु. (कुल राजस्व प्राप्ति का 4.5 प्रतिशत) थी जबकि 2016-17 के अंत में यह 4,721 करोड़ रु. थी। इसमें से 3,717 करोड़ रु. की विद्युत क्षेत्र के ऋण के संबंध में, 127 करोड़ रु. की बिहार राज्य वित्त निगम के संबंध में और 461 करोड़ रु. की ऋणमूलक सहकारी समितियों और आवासीय सहयोग समितियों के संबंध में गारंटी दी गई थी। वर्ष 2017-18 में गारंटी कमीशन के रूप में 2.38 करोड़ रु. प्राप्त हुए जबकि गत वर्ष 63 लाख रु. प्राप्त हुए थे। वर्ष 2017-18 में सभी प्रतिभूतियों पर 97.21 करोड़ रु. ब्याज प्राप्त हुआ।

2.6 ऋण प्रबंधन

तालिका 2.8 में राज्य सरकार की 2013-14 से 2018-19 तक की बकाया ऋण देनदारियों को (गारंटियों को छोड़कर) दर्शाया गया है। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया देनदारियों का प्रतिशत 27 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 1,56,777 करोड़ रु. पहुंच गईं जिसमें से 73 प्रतिशत देनदारी संचित निधि में होने वाली उधारियों के लिए लोक ऋण संबंधी देनदारी है। यह आंकड़ा विगत ऋणग्रहण का संचित प्रभाव है जो 2013-14 से 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। तालिका 2.8 यह भी दर्शाती है कि इस बकाया लोक ऋण में 91 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा बाजार से उठाए गए आंतरिक ऋणों का है और शेष 9 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिले ऋणों का। केंद्रीय ऋणों का हिस्सा क्रमशः घटते जाने से बकाया ऋणों की संरचना में विगत वर्षों के दौरान ढांचागत परिवर्तन हुआ है। इसका कारण बारहवें वित आयोग की अनुशंसाएं हैं जिनके अनुसार आने वाले वर्षों में केंद्रीय ऋण को राज्य सरकार के ऋण पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं रह जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान रुझान को देखने पर बिहार के मामले में ऐसा नहीं लगता है – कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं।

तालिका 2.8 : बकाया देनदारियां

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
लोक ऋण						
आंतरिक ऋण	55624	65848	79990	96595	104525	118743
केंद्रीय ऋण	8638	8722	8838	9596	10182	11433
योग	**64262**	**74570**	**88829**	**106191**	**114707**	**130176**
अन्य देनदारियां						
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	9048	8865	8792	8891	8811	8811
आरक्षित निधियां	2081	1836	1435	723	26	26
जमा राशियां एवं अग्रिम	11353	13589	17327	22721	33233	33233
अन्य देनदारियां	**22482**	**24290**	**27554**	**32335**	**42070**	**42070**
योग (लोक ऋण + अन्य देनदारियां)	**86744**	**98860**	**116382**	**138526**	**156777**	**172246**
बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	27	29	31	33	32	33

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2017-18 के अंत में राज्य सरकार की कुल देनदारी में लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा लोक लेखा की देनदारी का था हालांकि शब्द के वास्तविक अर्थ में यह ऋण नहीं था। लेकिन लोक लेखा के संसाधनों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया अवश्य जाता है और राज्य के इन लेखों में संचित राशि को वापस करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। गौरतलब है कि आरक्षित निधियों और जमाराशियों एवं अग्रिमों के तहत कुछ देनदारियां ब्याजरहित होती होंगी क्योंकि राज्य सरकार के पास इनमें विश्वास वश रकम रखी जाती है। राज्य सरकार की आंतरिक उधारियों में राष्ट्रीय लघु बचत कोष का अच्छा-खासा योगदान रहता था लेकिन राज्य सरकारों को इस योजना से बाहर होने की स्वीकृति मिलने के बाद बिहार ने 2017-18 में इससे कोई नया ऋण नहीं लिया।

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा संचित निधि में ली गई लोक ऋण की उधारियों में काफी कमी आई और ये 2016-17 के 21,577 करोड़ रु. से 13,169 करोड़ रु. रह गईं। ये उधारियां बाजार और अन्य आंतरिक स्रोतों तथा केंद्र सरकार से ली गई थीं। वर्ष 2017-18 में कुल 11,771 करोड़ रु. की आंतरिक उधारियों में से (जो 2016-17 में 20,065 करोड़ रु. थीं) 10,000 करोड़ रु. बाजार से और 1,771 करोड़ रु. वित्तीय संस्थाओं से लिए गए थे। राज्य सरकार ने 2017-18 में बांड के जरिए कोई रकम उधार नहीं ली।

31 मार्च, 2018 को राज्य सरकार की संचित निधि के तहत बकाया देनदारियों की संरचना तालिका 2.9 में दर्शाई गई है। तालिका में दिखता है कि राज्य सरकार के कुल बकाया आंतरिक ऋण में 18.7 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय लघु बचत कोष का और 64.4 प्रतिशत हिस्सा बाजार के ऋण का है। लगभग पूरा बकाया केंद्रीय ऋण राज्य योजना की योजनाओं के लिए लिए गए हैं।

तालिका 2.9 : संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना

उधारियों की प्रकृति	वर्ष में लिया गया		बकाया शेष		2017 से 2018 में प्रतिशत वृद्धि	31.03.18 को बकाया शेष की प्रतिशत संरचना
	2016-17 (करोड़ रु.)	2017-18 (करोड़ रु.)	31.03.2017 (करोड़ रु.)	31.03.2018 (करोड़ रु.)		
क. आंतरिक ऋण	**20,065**	**11,771**	**96,595**	**1,04,525**	**8.2**	**91.1**
बाजार के ऋण	17,700	10,000	64989	73897	13.7	64.4
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0	0	0	0	0.0	0.0
बांड	777	0	2351	2351	0.0	2.0
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,588	1,771	6029	6820	13.1	5.9
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0	0	23218	21450	-7.6	18.7
अन्य	0	0	7	7	0.0	0.0
ख. केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम	**1511.59**	**1398.65**	**9595.81**	**10181.92**	**6.1**	**8.9**
योजनेतर ऋण	4.21	0	54	1	-98.9	0.0
केंद्रीय योजना की योजनाओं के लिए ऋण	1507.38	0	1	1	0.0	0.0
राज्य योजना की योजनाओं के लिए ऋण	0	0	9493	191	-98.0	0.2
केंद्र प्रायोजित योजना की योजनाओं के लिए ऋण	0	7.19	1	1	0.0	0.0
अन्य ऋण	0	1391.46	47	9989	21,211.7	8.7
योग (क+ख)	**21,577**	**13,169**	**1,06,191**	**1,14,707**	**8.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.10 में राज्य सरकार के कर्ज अदायगी संबंधी दायित्व को दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा अकेले संचित निधि के मामले में की जाने वाली मूलधन की कुल अदायगी 41,357 करोड़ रु. पहुंच गई थी जबकि ब्याज भुगतान 9,054 करोड़ रु. था। अतीत के भारी ऋणग्रहण के कारण विगत 5 वर्षों में ब्याज का बोझ 3,595 करोड़ रु. बढ़ा है। ऋण सेवा का कुल वार्षिक बोझ 2013-14 में 25,272 करोड़ रु. था जो 2016-17 में 58,892 करोड़ रु. हो गया था लेकिन कम उधारियों के चलते 2017-18 में काफी (लगभग 14 प्रतिशत) घटकर 50,411 करोड़ रु. रह गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इसे 45,792 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है जो गत वर्ष से 9 प्रतिशत कम होगा।

तालिका 2.10 : लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
आंतरिक ऋण की अदायगी	2559	2975	3423	3460	3841	6302
केंद्रीय ऋणों की अदायगी	561	634	702	754	813	1024
अन्य देनदारियों की अदायगी	16694	25463	34384	46487	36704	27702
कुल अदायगी	19813	29072	38508	50701	41357	35029
कुल ब्याज भुगतान	5459	6129	7098	8191	9054	10763
ऋण सेवा का कुल बोझ	**25272**	**35200**	**45606**	**58892**	**50411**	**45792**

टिप्पणी : देनदारियों में लघु बचत और भविष्य निधि की प्राप्ति और भुगतान की राशियां, आरक्षित निधि और बिहार सरकार के लोक लेखा के तहत हुआ जमा शामिल हैं।

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

अगर लोक ऋण का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाय तो ये आर्थिक विकास का शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। तालिका 2.11 में देखा जा सकता है कि 2013-14 तक राज्य सरकार द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि अधिकांशतः उनका उपयोग मौजूद ऋण देनदारियों की अदायगी के लिए किया गया था। हालांकि उसके बाद से 2016-17 तक कुल उधारियों से राज्य के खजाने में शुद्ध उद्भवन (ऍक्रूअल) लगातार बढ़ा। हालांकि 2017-18 में यह स्थिति पलटती दिखी। वर्ष 2017-18 में कुल 13,169 करोड़ रु. उधार लिया गया जिसमें 4,654 करोड़ रु. का मौजूद लोक ऋण का मूलधन चुकाने के लिए और 9,054 करोड़ रु. का ब्याज भुगतान के लिए उपयोग किया गया। अगर राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली और अतीत के बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की छोटी राशि को भी ध्यान में रखें, तो उसकी परिणति राज्य सरकार के लिए संसाधन के बतौर 1,061 करोड़ रु. के शुद्ध आगमन के रूप में हुई जो प्राप्त शुद्ध ऋण का मात्र 8 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में यह रकम 10,100 करोड़ रु. अर्थात कुल उधारियों का 47 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के

अनुसार अधिक उधारियों के कारण राज्य सरकार को अपनी विकास संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए 7,301 करोड़ रु. का उपयोग करने की स्थिति में होना चाहिए जो इस वर्ष शुद्ध ऋणग्रहण का 32 प्रतिशत है।

तालिका 2.11 : प्राप्त शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण	550	718	818	1512	1399	2275
प्राप्त आंतरिक ऋण	9357	13199	17565	20065	11771	20520
प्राप्त कुल लोक ऋण	**9907**	**13918**	**18383**	**21577**	**13169**	**22795**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	15	1493	19	23	22	408
ब्याज भुगतान	5459	6129	7098	8191	9054	10763
प्राप्त ब्याज	269	345	584	940	1577	2187
चुकाया गया ऋण	3120	3609	4125	4215	4654	7326
प्राप्त शुद्ध लोक ऋण	**1613**	**6018**	**7763**	**10135**	**1061**	**7301**
प्राप्त शुद्ध ऋण कुल ऋणग्रहण के प्रतिशत के बतौर	**16.3**	**43.2**	**42.2**	**47.0**	**8.1**	**32.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

2.7 कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात

तालिका 2.12 में 2016-17 में विभिन्न राज्यों के अपने कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपातों की तुलना दर्शाई गई है। देखा जा सकता है कि बिहार के मामले में यह अनुपात 5.6 प्रतिशत था जो सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम था। हालांकि 2018-19 के बजट अनुमान में इसके बढ़ने और 6.0 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान किया गया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे अनेक राज्यों के लिए उनके अपने कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 8 प्रतिशत के ऊपर हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व के अनुपात की बात करें जिसमें केंद्रीय अंतरण और अनुदान भी शामिल होते हैं, तो 2016-17 में बिहार का 25 प्रतिशत अनुपात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के साथ तुलनीय था। इन राज्यों के उच्च अनुपात करों में विभाज्य कोष से राज्यों के हिस्से और केंद्रीय अनुदानों के कारण केंद्र सरकार से होने वाली बड़ी रकम के ही सूचक हैं।

तालिका 2.12 : राज्यों के कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2016-17)

राज्य	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर (करोड़ रु.)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर : राजस्व प्राप्ति	राज्य का अपना कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल राजस्व : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
बिहार	105585	23742	425888	22.5	5.6	24.8
झारखंड	47054	13299	194475	28.3	6.8	24.2
पश्चिम बंगाल	117832	45466	657883	38.6	6.9	17.9
ओडिशा	74299	22852	323218	30.8	7.1	23.0
उत्तर प्रदेश	256875	85966	974120	33.5	8.8	26.4
मध्य प्रदेश	123307	44194	469393	35.8	9.4	26.3
राजस्थान	109026	44372	599029	40.7	7.4	18.2
महाराष्ट्र	204693	136592	1826296	66.7	7.5	11.2
गुजरात	109842	64443	984453	58.7	6.5	11.2
पंजाब	47985	27747	352421	57.8	7.9	13.6
हरियाणा	52497	34026	434608	64.8	7.8	12.1
कर्नाटक	133214	82956	895080	62.3	9.3	14.9
आंध्र प्रदेश	98984	44181	546104	44.6	8.1	18.1
केरल	75612	42176	481839	55.8	8.8	15.7
तमिलनाडु	140231	85941	1009145	61.3	8.5	13.9
हिमाचल प्रदेश	26264	7039	102977	26.8	6.8	25.5
छत्तीसगढ़	53685	18945	213649	35.3	8.9	25.1

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

चार्ट 2.5 : राज्य का कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)

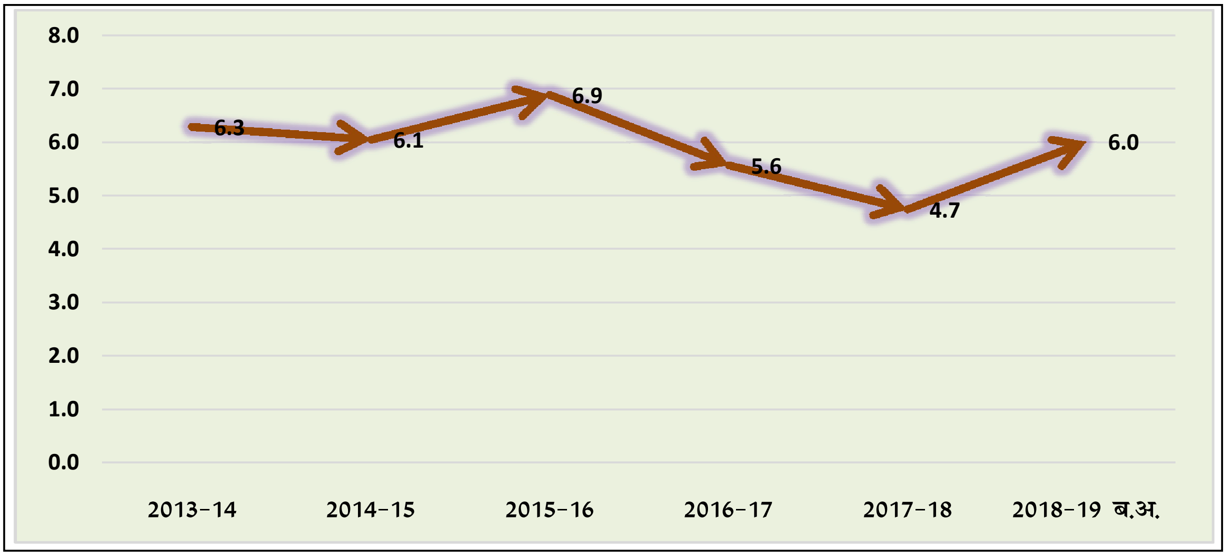

2.8 राजस्व लेखा : प्राप्ति और व्यय

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का सारांश तालिका 2.13 में दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व प्राप्ति 14.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 13.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ा। अत: 2016-17 को छोड़कर इन पांचों वर्षों में राजस्व अधिशेष साल दर साल बढ़ता गया। हालांकि इस अवधि में कर और करेतर, दोनों मिलाकर राज्य का अपना राजस्व मात्र 5.5 प्रतिशत की काफी धीमी दर से बढ़ा है। यह 2013-14 के 21,505 करोड़ रु. से बढ़कर 2015-16 में 27,635 करोड़ रु. हो गया था जिसके बाद वह घटकर 2016-17 में 26,145 करोड़ रु. रह गया था। लेकिन अगले साल उसमें थोड़ी वृद्धि हुई और 2017-18 में यह 26,643 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 2017-18 के स्तर से राजस्व प्राप्ति में 34.6 प्रतिशत और राजस्व व्यय में तेज 29.7 प्रतिशत की तेज वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में राजस्व अधि ोष के लिए बजट अनुमान काफी अधिक µ 21,312 करोड़ रु. है। राज्य सरकार का अपना राजस्व 2013-14 में अपने राजस्व व्यय के 34.4 प्रतिशत की पूर्ति करता था जो 2017-18 में और भी घटकर 26 प्रतिशत रह गया।

तालिका 2.13 : राजस्व लेखा : प्राप्ति

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्ति	68919	78418	96123	105585	117447	158051
राजस्व व्यय	62477	72570	83616	94765	102624	136740
राजस्व अधिशेष	-6441	-5848	-12507	-10819	-14823	-21312
राज्य का अपना कर + करेतर राजस्व	21505	22308	27635	26145	26643	35448
राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर	31.2	28.4	28.7	24.8	22.7	22.4
राज्य का केंद्रीय करों का हिस्सा कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर	50.5	47.1	50.9	55.8	55.4	48.2
केंद्रीय अनुदान कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर	18.3	24.4	20.4	19.5	21.9	29.4
राज्य का अपना राजस्व राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	34.4	30.7	33.0	27.6	26.0	25.9

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.13 में दिए गए आंकड़ों से राज्य सरकार के कुल कर एवं करेतर राजस्वों के साथ इसके अपने कर एवं करेतर राजस्वों की आसानी से तुलना की जा सकती है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल होता है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में इसके अपने कर राजस्व का हिस्सा 2013-14 में 31.2 प्रतिशत था जिसके बाद से उसमें गिरावट आती गई और 2017-18 में यह 22.7 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर आ गया। वर्ष 2013-14 में इससे कुल राजस्व व्यय के एक-तिहाई से अधिक हिस्से का वित्तपोषण होता था जो अब कुल राजस्व व्यय के एक-चौथाई हिस्से का वित्तपोषण कर पा रहा है। इस कारण राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर बनी

हुई है। वर्ष 2014-15 को छोड़कर इन सभी वर्षों में बिहार के कुल राजस्व का आधा से अधिक हिस्सा विभाज्य करों के केंद्रीय पूल से आया। कुल राजस्व में शेष हिस्सा केंद्रीय अनुदानों का था। वर्ष 2013-14 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को होने वाले प्रत्यक्ष अंतरण का प्रचलन काफी कम कर दिया गया है और ऐसे अंतरण अब राज्य बजट के जरिए हो रहे हैं। फलत:, 2013-14 में राज्य सरकार के कुल राजस्व में केंद्रीय अनुदानों का हिस्सा 18.3 प्रतिशत था जो 2017-18 में बढकर 21.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में उसका 29.4 प्रतिशत पहुंच जाना अनुमानित है।

तालिका 2.14 में राज्य सरकार के कुल व्यय का इसके विकासमूलक और विकासेतर व्ययों में बंटवारा दर्शाया गया है। राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत, दोनो के संयुक्त लेखों में विकासमूलक व्यय का हिस्सा काफी बढ़ा। यह वर्ष 2005-06 के 50 प्रतिशत से भी कम रहता था जिससे बढ़कर यह 2013-14 में 68 प्रतिशत और 2017-18 में और भी बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया। रकम के रूप में देखें तो 2013-14 से 2017-18 के बीच पांच वर्षों में यह लगभग दूना हो गया है जो इसकी उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 2.14 : राजस्व लेखा : व्यय पैटर्न

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
विकासेतर व्यय	25714	30405	34251	35502	38656	48219
विकासमूलक व्यय	54691	64293	78077	90800	97771	128772
कुल व्यय	80405	94698	112328	126302	136427	176990
विकासमूलक व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के बतौर	68.0	67.9	69.5	71.9	71.7	72.8

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

अगर एक महत्वपूर्ण तत्व - ब्याज भुगतान की बात करें, तो तालिका 2.15 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की अधिक वसूली के कारण सकल और शुद्ध ब्याज भुगतानों के बीच अंतर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ये ऋण मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों को दिए जाते हैं। तालिका 2.16 दर्शाती है, जिसे पहले भी जोर देकर कहा गया है, कि पूंजीगत परिव्यय काफी बढ़ा है और राजस्व लेखे से प्रचुर अधिशेष पाकर और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रबलित करते हुए यह 2013-14 के 14,001 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 28,907 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इसका बढ़कर 32,417 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

तालिका 2.15 : ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
सकल ब्याज भुगतान	5459	6129	7098	8191	9054	10763
शुद्ध ब्याज भुगतान	5190	5784	6514	7251	7477	8576

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.16 : राजस्व बनाम पूंजीगत परिव्यय

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
कुल कर राजस्व	54790	57713	74372	82623	88220	107174
अपना कर राजस्व	19961	20750	25449	23742	23136	31002
अपना करेतर राजस्व	1545	1558	2186	2403	3507	4446
अपना कर + करेतर राजस्व	21505	22308	27635	26145	26643	35448
पूंजीगत परिव्यय	14001	18150	23966	27208	28907	32417
पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के प्रतिशत के बतौर	17.41	19.17	21.34	21.54	21.19	18.32

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार केंद्रीय संसाधनों पर किस हद तक निर्भर है, इसे तालिका 2.17 में देखा जा सकता है। इस तालिका में 2013-14 से 2017-18 के बीच बिहार को होने वाले संसाधनों के सकल और निवल अंतरण के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान तथा केंद्रीय ऋण शामिल होते हैं। राज्य सरकार को होने वाला संसाधनों का शुद्ध अंतरण 2017-18 में इसके कुल व्यय के 67 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2013-14 में इससे राज्य सरकार की व्यय संबंधी 59 प्रतिशत जरूरतों की पूर्ति हुई थी। वर्ष 2018-19 में इसका हिस्सा 70 प्रतिशत रहना अनुमानित है। पहले भी गौर किया गया है कि राज्य सरकार के कुल व्यय में इसके अपने संसाधनों का योगदान 2013-14 के 27 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 19.5 प्रतिशत रह गया। शेष की पूर्ति केंद्रीय अंतरणों और उधार से की गई। वर्ष 2017-18 में कुल संवितरणों का लगभग 48 प्रतिशत भाग केंद्रीय करों में इसके हिस्से का और 19 प्रतिशत केंद्रीय अनुदानों का था जबकि केंद्र सरकार से मिले ऋणों का हिस्सा सिर्फ 0.4 प्रतिशत था। बाकी हिस्सा बाजार से ऋण के रूप में जुटाना पड़ा था।

तालिका 2.17 : केंद्र सरकार से होने वाला संसाधनों का अंतरण

(करोड़ रु.)

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
संवितरणों का पूर्णयोग	80405	94698	112328	126302	136427	176990
केंद्रीय करों में हिस्सा	34829	36963	48923	58881	65083	76172
केंद्र से सहायता अनुदान	12584	19146	19566	20559	25720	46431
केंद्र से सकल ऋण	550	718	818	1512	1399	2275
संसाधनों का सकल अंतरण	47963	56828	69306	80951	92202	124879
केंद्र से शुद्ध ऋण	-11	85	116	758	586	1251
संसाधनों का शुद्ध अंतरण	47402	56194	68604	80197	91390	123855
अपना कर + करेतर राजस्व	21505	22308	27635	26145	26643	35448

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

2.9 संसाधन प्रबंधन

राज्य सरकार को कर और करेतर, दोनों प्रकार के स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार, करेतर राजस्व में राज्य सरकार के अपने करेतर राजस्व के साथ-साथ योजना और योजनेतर प्रयोजनों के लिए मिलने वाले केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में संपत्ति तथा पूंजीगत अंतरणों पर कर, सामग्रियों (कोमोडिटीज) एवं सेवाओं पर कर और कृषि आय कर शामिल होते हैं। इनमें से दूसरा घटक राज्य सरकार के अपने राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। सामग्रियों और सेवाओं पर लगने वाले करों के मामले में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 2017 में शुरू हुआ जब वस्तु एवं सेवा कर ने अनेक केंद्रीय करों और उगाहियों (लेवी) की जगह ले ली जिस पर पहले भी चर्चा की गई है। फलतः 2017-18 के लिए राज्य सरकार के राजस्व लेखे में निम्नलिखित चीजें शामिल होंगी - (1) सामग्रियों और सेवाओं से प्राप्त सभी कर और शुल्क, जिन्हें पूर्ववती कर व्यवस्था के तहत पहली तिमाही के लिए लिया गया था; (2) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएटी) के तहत प्राप्त कर जिसने 1 जुलाई 2017 से अपने प्रभावी होने के बाद उनमें से अधिकांश करों की जगह ले ली, और (3) वर्ष के दौरान उन करों और शुल्कों से प्राप्ति जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर में समाहित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार के करेतर राजस्वों का संग्रहण सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाता है। इनमें विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध-व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां, उनसे प्राप्त लाभांश एवं मुनाफे, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। करेतर राजस्व में अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है।

केंद्रीय करों के हिस्से में मुख्यतः आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपदा कर के हिस्से शामिल होते हैं। इनका संग्रहण तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पांच साल पर गठित होने वाले वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है। योजना और योजनेतर व्ययों के बीच अंतर 2017-18 से समाप्त कर दिया गया है। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा योजना और योजनेतर प्रयोजनों के लिए अलग-अलग दिए जाने वाले अनुदान अब राज्य सरकार के विवेकाधीन अपनी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च करने के लिए होंगे। इसके अलावा, राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में होने वाला धनराशि का सीधा अंतरण अब लगभग समाप्त हो गया है। अतः राज्य सरकार अब केंद्रीय अनुदानों का अधिक लचीलापन के साथ उपयोग कर सकती है। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिनिधान (डवॉल्यूशन) और इन संस्थागत परिवर्तनों के कारण राज्य सरकारों के पास और उसके नियंत्रण में अधिक संसाधन उपलब्ध होने लगे हैं।

तालिका 2.18 में 2013-14 से 2018-19 तक के लिए राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन वर्षों में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का लगभग 70-80 प्रतिशत भाग करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से और सहायता अनुदानों के जरिए केंद्र सरकार से आया। वर्ष 2013-14 में इनका हिस्सा राज्य सरकार के कुल राजस्व का 69 प्रतिशत था जो 2017-18 में बढ़कर 77

प्रतिशत से भी अधिक हो गया। कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान मात्र 23 प्रतिशत था – 20 प्रतिशत कर राजस्व का और महज 3 प्रतिशत करेतर राजस्व का।

अपना कर राजस्व

राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2013-14 के 19,961 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 23,742 करोड़ रु. हो गया था जो 2017-18 में घटकर 23,136 करोड़ रु. रह गया। वहीं इस अवधि में करेतर राजस्व 1,545 करोड़ रु. से बढ़कर 3,507 करोड़ रु. हो गया। हालांकि याद रखने की जरूरत है कि करेतर राजस्व में कुछ वर्ष विशेष अंतरण भी शामिल होते हैं जो हर वर्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे, 2015-16 में झारखंड सरकार से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान एवं वसूलियों के रूप में 177 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। वर्ष 2016-17 में यह रकम मात्र 15 करोड़ रु. थी जो 2017-18 में बढ़कर 203 करोड़ रु. हो गई। इसलिए अधिकांश वर्षों में कर राजस्व की तरह करेतर राजस्व की वृद्धि के मामले में कोई निश्चित पैटर्न नहीं हो सकता है।

राज्य सरकार का कुल राजस्व 14.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए 2013-14 के 68,919 करोड़ रु. से 2017-18 में 1,17,447 करोड़ रु. हो गया। इसके मुकाबले राज्य सरकार की अपनी कुल राजस्व प्राप्ति इस अवधि में मात्र 5.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी जिसमें कर राजस्व मात्र 3.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से और करेतर राजस्व 22.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि में केंद्र सरकार के अनुदान भी 19.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़े, हालांकि इसमें 2014-15 में बहुत कम वृद्धि हुई। बहरहाल, गत वित्तवर्ष से केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजकीय क्रियान्वयन अभिकरणों को होने वाले अनुदानों का सीधा अंतरण काफी कम हो जाने से अधिकांश अनुदान अब राज्य सरकार के बजट के जरिए ही दिए जाते हैं जिसका पहले भी उल्लेख किया गया है। इस परिवर्तन के कारण 2014-15 से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले केंद्रीय अनुदानों का परिमाण काफी बढ़ गया है। राज्य सरकार के राजस्वों के अन्य सभी घटकों के विकास की तुलना में अपने राजस्वों की वृद्धि दर कम होने के कारण कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 2013-14 के 31 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 22.7 प्रतिशत रह गया। यह हिस्सा 2018-19 में और भी घटकर 22.4 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

तालिका 2.18 : राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
I. राज्य का अपना राजस्व	**21505**	**22308**	**27635**	**26145**	**26643**	**35448**
(क) कर राजस्व	19961	20750	25449	23742	23136	31002
(ख) करेतर राजस्व	1545	1558	2186	2403	3507	4446
II. केंद्र से प्राप्ति	**47413**	**56109**	**68488**	**79440**	**90804**	**122604**
(क) विभाज्य करों का हिस्सा	34829	36963	48923	58881	65083	76172
(ख) सहायता अनुदान	12584	19146	19566	20559	25720	46431
III. कुल राजस्व प्राप्ति	**68919**	**78418**	**96123**	**105585**	**117447**	**158051**
कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत	31.2	28.4	28.7	24.8	22.7	22.4

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम कर अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व वाले अप्रत्यक्ष करों में से बिक्री/ व्यापार कर (पेट्रॉलियम, पेट्रॉलियम उत्पादों और अल्कोहल को छोड़कर), राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क (अल्कोहल को छोड़कर), मनोरंजन कर, विलासिता कर, लौटरी पर कर तथा विज्ञापन कर को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया है। अभी तक इन करों को वाणिज्य कर विभाग द्वारा एकत्र किया जाता था जो इन करों के बदले अब सिर्फ राज्य वस्तु एवं सेवा कर वसूल रहा है। वर्ष 2017-18 में इन करों को वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पहले सिर्फ वित्तवर्ष की पहली तिमाही तक वसूला गया था। वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक इन करों से होने वाली प्राप्तियों का ब्योरा तालिका 2.19 में दर्शाया गया है। पेट्रॉलियम क्षेत्र राज्य के मूल्यवर्धित कर में अकेला सबसे बड़ा योगदाता था और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व में आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण योगदाता बना रहेगा जब तक कि इस क्षेत्र को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में नहीं ले लाया जाता है।

तालिका 2.19 : विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	6747	15000
बिक्री/ व्यापार कर	8453	8607	10603	11874	8298	7890
माल एवं यात्री कर	4349	4451	6087	6246	1645	0
राज्य उत्पाद शुल्क	3168	3217	3142	30	-3	0
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2712	2699	3409	2982	3726	4700
वाहन कर	837	964	1081	1257	1600	2000
भूमि राजस्व	202	277	695	971	779	1000
विद्युत कर एवं शुल्क	141	375	298	224	239	310
अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/ शुल्क	50	105	69	81	20	0
आय-व्यय पर अन्य कर	48	55	65	79	87	102
अन्य	98	160	134	160	107	102
योग	**19961**	**20750**	**25449**	**23742**	**23136**	**31002**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 में राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोत राज्य वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर (मूल्यवर्धित कर), माल एवं यात्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क तथा वाहन कर थे। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की कुल कर प्राप्ति में इन पांचों करों का संयुक्त हिस्सा 95 प्रतिशत था।

वर्ष 2017-18 में कुल कर प्राप्ति में राज्य वस्तु एवं सेवा कर, पेट्रॉलियम और पेट्रॉलियम उत्पादों पर बिक्री कर तथा अब वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर लिए गए माल एवं यात्री कर का संयुक्त योगदान 16,690 करोड़ रु. था जो वर्ष में कुल कर प्राप्ति का 72 प्रतिशत था यह हिस्सा उसके पिछले वर्ष 76 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में कुल कर प्राप्ति में स्टांप एवं निबंधन शुल्क का 16 प्रतिशत तथा वाहन कर का 6.9 प्रतिशत हिस्सा था। राज्य सरकार के कर राजस्व की संरचना तालिका 2.20 में दर्शाई गई है और उनकी वृद्धि दरें तालिका 2.21 में। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा पेट्रॉलियम पर मूल्यवर्धित कर से कुल 22,890 करोड़ रु. प्राप्ति का अनुमान किया गया है जो गत वर्ष से 37 प्रतिशत से भी अधिक है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में इसका लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा होगा जो 2017-18 में 72 प्रतिशत था।

तालिका 2.20 : कर राजस्व की संरचना (प्रतिशत)

राजस्व के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर					29.2	48.4
बिक्री/ व्यापार कर	42.3	41.5	41.7	50.0	35.9	25.4
माल एवं यात्री कर	21.8	21.5	23.9	26.3	7.1	0.0
राज्य उत्पाद शुल्क	15.9	15.5	12.3	0.1	0.0	0.0
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	13.6	13.0	13.4	12.6	16.1	15.2
वाहन कर	4.2	4.6	4.2	5.3	6.9	6.5
भूमि राजस्व	1.0	1.3	2.7	4.1	3.4	3.2
विद्युत कर एवं शुल्क	0.7	1.8	1.2	0.9	1.0	1.0
अन्य	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.3
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बजट अनुमान तक प्रमुख कर शीर्षों के बीच सर्वाधिक 27.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर वाहन कर में दर्ज की गई है और उसके बाद 24.9 प्रतिशत स्टांप एवं निबंधन शुल्क में। इस अवधि विद्युत कर एवं शुल्क की मात्र 6.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर और माल एवं यात्री कर से कुल संग्रहण में वस्तु एवं सेवा कर शुरू होने के पहले साल में वस्तुतः 7.9 प्रतिशत गिरावट आई। वस्तु एवं सेवा कर की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में स्थिरता आने पर इसमें सुधार आने की आशा है। यह भी गौरतलब है कि अधिकांश करों की वार्षिक वृद्धि दरों में व्यापक उतार-चढ़ाव दिखता है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से की अनौपचारिक प्रकृति को दर्शाता है।

तालिका 2.21 : कर राजस्व की वृद्धि दरें

राजस्व के स्रोत	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर/ बिक्री कर, व्यापार कर आदि/ माल एवं यात्री कर	1.8	23.2	12.0	-7.9	37.1
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	-0.5	26.3	-12.5	24.9	26.2
वाहन कर	15.1	12.2	16.2	27.3	25.0
भूमि राजस्व	37.4	150.8	39.7	-19.8	28.4
विद्युत कर एवं शुल्क	165.2	-20.5	-24.9	6.8	29.6
अन्य कर और शुल्क	63.5	-16.5	19.4	-33.0	-4.7
योग	**4.0**	**22.6**	**-6.7**	**-2.6**	**34.0**

तालिका 2.22 में देखा जा सकता है कि 2017–18 में राज्य सरकार के कुल अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का मात्र 28 प्रतिशत योगदान था। शेष 72 प्रतिशत हिस्सा अप्रत्यक्ष करों का था। तालिका के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा लगातार बढ़ता गया है। वर्ष 2013–14 और 2017–18 के बीच यह हिस्सा 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 27.8 प्रतिशत हो गया है। यह एक सकारात्मक रुझान है।

तालिका 2.22 : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा

स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	80.3	78.9	78.2	76.8	72.2	73.8
राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	19.7	21.1	21.8	23.2	27.8	26.2
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

करेतर राजस्व

तालिका 2.24 में राज्य सरकार के प्रमुख कर राजस्वों की संरचना को और तालिका 2.25 में उनकी वृद्धि दरों को दर्शाया गया है। राज्य सरकार के करेतर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हमेशा से 'अलौह खनन एवं धातु उद्योग' से प्राप्ति के बतौर वर्गीकृत खानों एवं खनिजों से रॉयल्टी रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ब्याज प्राप्ति है। राज्य में उपलब्ध खनिज गौण खनिज हैं जिनमें ईंट की मिट्टी, पत्थर, चूना पत्थर, बालू आदि शामिल हैं जिनका उपयोग स्थावर संपदा के क्षेत्र में होता है। वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक इसमें लगातार लगभग 17.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होती रही है। इसकी तुलना में करेतर राजस्व के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व – ब्याज प्राप्ति में इस अवधि में 55.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 को छोड़ दें तो 2013–18 तक की अवधि में वृद्धि दर हमेशा 60 प्रतिशत से अधिक रही है हालांकि उसका आधार निम्न रहा है। इसकी वृद्धि दरों में

उतार-चढ़ाव ब्याज प्राप्ति की प्रकृति के कारण होते हैं जो ऋणों और उन पर उपलब्ध राहतों की प्रकृति से जुड़े होते हैं। वर्ष 2017-18 में राज्य के कुल करेतर राजस्व में इन दोनों स्रोतों का संयुक्त हिस्सा 2,660 करोड़ रु. बढ़ा जो पिछले वर्ष से 37 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2017-18 में इस दोनो स्रोतों का संयुक्त हिस्सा राज्य के कुल करेतर राजस्व का लगभग 76 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इन दोनो स्रोतों से प्राप्ति के 42 प्रतिशत बढ़कर 3,787 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान किया गया है।

तालिका 2.23 : प्रमुख करेतर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	569	880	971	998	1083	1600
ब्याज प्राप्ति	269	345	584	940	1577	2187
विविध सामान्य सेवाएं	0	2	1	6	3	1
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	10	22	73	100	26	20
पुलिस	27	30	66	42	86	46
वृहत सिंचाई	1	1	15	14	22	50
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	14	11	41	17	21	18
सड़क और पुल	41	55	42	42	67	72
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	30	30	40	40	55	47
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	28	29	24	36	49	36
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	-1	0	0	0	0	0
अन्य	555	154	328	168	518	368
योग	**1545**	**1558**	**2186**	**2403**	**3507**	**4446**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

कुल करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्ति का हिस्सा 2016-17 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 45 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 में इसका हिस्सा मात्र 17 प्रतिशत था। इस लेखे में प्राप्ति 2013-14 के 269 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 1,577 करोड़ रु. हो गई। करेतर राजस्व के अलौह खनन एवं धातु उद्योग जैसे अन्य घटकों की वृद्धि दर 2015-16 से काफी निम्न रही है। वर्ष 2017-18 में इसमें मात्र 8.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जिससे राज्य के कुल करेतर राजस्व में इसका हिस्सा गत वर्ष के 41.5 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत से भी नीचे चला गया। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच राज्य सरकार का करेतर राजस्व 22.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है लेकिन सार-दर-साल काफी भिन्नता रही है।

तालिका 2.24 : करेतर राजस्वों की संरचना

(प्रतिशत)

राजस्व के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	36.8	56.5	44.4	41.5	30.9	36.0
ब्याज प्राप्तियां	17.4	22.1	26.7	39.1	45.0	49.2
विविध सामान्य सेवाएं	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.7	1.4	3.3	4.2	0.7	0.5
अन्य करेतर राजस्व	45.0	19.9	25.5	14.9	23.3	14.3
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.25 : करेतर राजस्वों की वृद्धि दरें (प्रतिशत)

राजस्व के स्रोत	वार्षिक वृद्धि दरें						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-19)
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)	
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	11.4	54.6	10.4	2.7	8.5	47.8	18.1
ब्याज प्राप्ति	61.2	27.9	69.3	61.0	67.8	38.7	55.8
विविध सामान्य सेवाएं	-98.7	611.0	-48.3	512.0	-45.2	-80.2	25.4
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.7	113.9	233.5	37.6	-74.1	-22.2	12.9
अन्य करेतर राजस्व	63.7	-55.5	79.9	-35.5	127.7	-22.0	6.0
योग	**36.1**	**0.9**	**40.3**	**9.9**	**45.9**	**26.8**	**25.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2017-18 के बजट में प्रस्तावित राजस्व अनुमान की उस वर्ष हुए वास्तविक संग्रहण (तालिका 2.26) के साथ तुलना करने पर दिखता है कि राज्य सरकार द्वारा समग्र राजस्व संग्रहण में बजट अनुमान से लगभग 8,231 करोड़ रु. (24 प्रतिशत) की कमी थी। बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व में 9,460 करोड़ रु. (29.6 प्रतिशत) कमी आई जिसकी आंशिक पूर्ति करेतर राजस्व में 633 करोड़ रु. (18 प्रतिशत) की मामूली अधिकता से हुई। कर राजस्व में बड़ी गिरावट वस्तु एवं सेवा कर/ बिक्री एवं व्यापार कर/ माल एवं यात्री कर (8,310 करोड़ रु.) और स्टांप एवं निबंधन शुल्क (874 करोड़ रु.) के मामले में आई। हालांकि भूमि राजस्व के मामले में 179 करोड़ रु. का अधिक संग्रहण हुआ।

तालिका 2.26 : कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2017-18)

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अंतर अधिकता (-)/कमी (+)	प्रतिशत अंतर अधिकता (-)/कमी (+)
अपना कर राजस्व				
राज्य वस्तु एवं सेवा कर/ बिक्री कर, व्यापार कर आदि/ माल एवं यात्री कर	25000	17036	7964	31.9
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	4600	3726	874	23.5
वाहन कर	1800	1600	200	12.5
भूमि राजस्व	600	779	-179	-22.9
योग	**32001**	**23136**	**8864**	**27.7**
अपना करेतर राजस्व				
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	1350	1083	267	24.7
ब्याज प्राप्तियां	619	1577	-958	-60.8
विविध सामान्य सेवाएं	0	3	-3	-100.0
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	256	26	230	890.6
पुलिस	42	86	-44	-51.2
वृहद सिंचाई	38	22	16	71.0
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	44	21	23	104.9
सड़क एवं पुल	72	67	5	7.9
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	43	55	-12	-21.1
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	15	49	-34	-69.1
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0	0	-87.9
अन्य	395	518	-123	-23.7
योग	**2874**	**3507**	**-633**	**-18.0**
कुल योग	**34875**	**26643**	**8231**	**23.6**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

संग्रहण व्यय

प्रमुख करों का संग्रहण व्यय तालिका 2.27 में दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि यह व्यय वाहन कर के मामले में अपेक्षाकृत अधिक रहा है। दूसरे, अधिसंरचना के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण वाहन कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर/ मूल्यवर्धित कर को छोड़कर सभी प्रमुख करों के मामले में कुल संग्रहण के प्रतिशत के बतौर संग्रहण व्यय हाल के वर्षों में घटता गया है।

तालिका 2.27 : कर संग्रहण व्यय

वर्ष	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के प्रतिशत में	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के प्रतिशत में
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा बिक्री कर, व्यापार कर आदि			स्टांप एवं निबंधन शुल्क		
2013-14	8453	70	0.8	2712	55	2.0
2014-15	8607	96	1.1	2699	52	1.9
2015-16	10603	90	0.8	3409	55	1.6
2016-17	11874	117	1.0	2982	48	1.6
2017-18	15045	144	1.0	3726	54	1.4
	वाहन कर			राज्य उत्पाद शुल्क		
2013-14	837	30	3.6	3168	45	1.4
2014-15	964	38	4.0	3217	50	1.6
2015-16	1081	40	3.7	3142	50	1.6
2016-17	1257	46	3.7	-3	92	—
2017-18	1600	62	3.9	0	82	—

सोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने राजस्व का अनुपात

तालिका 2.28 में राज्य सरकार के अपने कर और करेतर राजस्वों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर दर्शाया गया है जो संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता की एक माप है। अपने कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2013-14 के 6.3 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़ते हुए 2015-16 में 6.9 प्रतिशत पहुंच गया था लेकिन 2017-18 में तेजी से घटकर 4.7 प्रतिशत रह गया। यह अनुपात अन्य राज्यों से काफी कम है। वर्ष 2013-14 में केंद्रीय अंतरणों एवं अनुदानों सहित कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.7 प्रतिशत था जो 2017-18 में बढ़कर 24.1 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इसके 30.7 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। जहां बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने कर का अनुपात देश में लगभग सबसे कम है वहीं राज्य सरकार को होने वाले केंद्रीय अंतरणों की बड़ी मात्रा के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व का अनुपात काफी ऊंचा है।

तालिका 2.28 : कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में

सूचक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
अपना कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर	6.3	6.1	6.9	5.6	4.7	6.0
अपना करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9
कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर	21.7	22.9	26.0	24.8	24.1	30.7
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल राजस्व की उछाल (अनुपात)	1.3	1.7	2.9	0.6	0.8	6.0
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य के अपने करों की उछाल (अनुपात)	1.9	0.5	2.9	-0.4	-0.2	5.9

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.29 में राज्य सरकार के प्रमुख कर और करेतर राजस्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से उछाल अर्थात उत्फुल्लता अनुपात (बायोएंसी रेशियो) प्रस्तुत किया गया है। हाल के वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अच्छी-खासी वृद्धि दर को देखते हुए इन करों द्वारा और अधिक राजस्व एकत्रित करने की काफी संभावना मौजूद है। वर्ष 2017-18 में इन प्रमुख करों में से स्टांप एवं निबंधन शुल्क ओर वाहन कर में उछाल आया था। करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में ब्याज प्राप्ति में 2017-18 में अधिक उछाल दिखा।

तालिका 2.29 : महत्वपूर्ण कर और करेतर राजस्व स्रोतों की उछाल

राजस्व के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
बिक्री कर, व्यापार कर (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)	-0.2	0.2	3.0	0.8	-2.1	-0.9
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2.0	-0.1	3.4	-0.8	1.7	4.6
वाहन कर	2.0	1.8	1.6	1.1	1.9	4.4
भूमि राजस्व	-0.1	4.6	19.5	2.6	-1.4	4.9
विद्युत कर एवं शुल्क	3.1	20.3	-2.6	-1.6	0.5	5.2
कुल कर राजस्व	**1.1**	**0.7**	**3.7**	**0.7**	**0.5**	**3.7**
अलौह धातु	0.9	6.7	1.3	0.2	0.6	8.3
ब्याज प्राप्ति	5.0	3.4	9.0	4.0	4.7	6.7
कुल करेतर राजस्व	**2.9**	**0.1**	**5.2**	**0.7**	**3.2**	**4.7**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

2.10 कर विषयक विभागों का प्रदर्शन

वाणिज्य कर विभाग

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व की अवधि में वाणिज्य कर विभाग 8 अधिनियमों के तहत राजस्व संग्रहित करता रहा है - 1. बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (वैट), 2. बिहार स्थानीय क्षेत्र उपभोग, उपयोग या बिक्रीजन्य वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1993 (ई.टी.), 3. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी.), 4. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (ई.डी.), 5. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (ई.एन.टी.), 6. होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988 (एच.एल.टी), 7. बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (एडीवी.) तथा 8. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं नियोजन अधिनियम, 2011 (पी.टी.)। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद भी प्रशासनिक विभागों की संरचना में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि विद्युत शुल्क और पेशा कर तथा पेट्रॉलियम और पेट्रॉलियम उत्पादों को छोड़कर इनमें से 6 कर/ शुल्क वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हो गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर के आरंभ के कारण विभाग द्वारा वसूले जाने वाले कुल कर के हिस्से में कमी नहीं आई है। वस्तुत: इसमें काफी वृद्धि हुई है जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी। विभाग राज्य वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण के लिए भी जिम्मेवार है जिससे हुई प्राप्ति तालिका 2.31 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.30 में 2013-14 से 2017-18 तक संग्रहित कर दर्शाए गए हैं। जिन करों को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया है उनमें जून 2017 के बाद दर्शाई गई संग्रहण की रकम इन करों के पिछले बकाए की है। पेट्रॉलियम और पेट्रॉलियम उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर के संग्रहण से वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पहले की तरह ही प्रचुर राजस्व आना जारी है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर से होने वाले संग्रहण को तालिका 2.31 में दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 (की अंतिम तीन तिमाहियों) में वस्तु एवं सेवा

कर (राज्य वस्तु एवं सेवा कर और अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति अनुदान) के मामले में कुल संग्रहित रकम 9,788 करोड़ रु. थी जबकि 2018-19 की पहली दो तिमाहियों में संग्रहित रकम 8,132 करोड़ रु. है। दरों में लगातार कमी के बावजूद संग्रहण में उत्तरोत्तर इजाफा हो रहा है। यह बेहतर कर अनुपालन और जीएसटीएन पोर्टल के अधिक कुशल कामकाज का संकेत देता है। तालिका 2.32 में राज्य सरकार के कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा दर्शाया गया है। ऐसा दिखता है कि इसका हिस्सा 2016-17 के 79 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 87.6 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.30 : विभिन्न अधिनियमों के तहत वाणिज्य कर संग्रहण

(करोड़ रु.)

वर्ष	बी.एस.टी./ वैट	सी.एस.टी.	ई.एन.टी.	ई.डी.	एडीवी.	एच.एल.टी.	ई.टी.	पी.टी.	**योग**
2013-14	8546	83	39	141	1	10	4283	53	**13156**
2014-15	8796	71	46	373	1	11	4406	55	**13758**
2015-16	10726	60	55	297	1	11	6162	66	**17378**
2016-17	11908	70	70	226	1	11	6389	77	**18751**
2017-18 जून '17 तक	1893	13	13	29	0	1	877	4	**2832**
2017-18 (जुलाई '17 से मार्च '18 तक)	6438	43	4	208	0	2	879	84	**7658**
2018-19 (सितंबर '18 तक)	2358	7	0	104	0	0	354	11	**2834**

सोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.31 : राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण

(करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर की अदायगी	अग्रिम/ अस्थायी अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर की अदायगी	सहायता अनुदान	**कुल योग**
2017-18 (जुलाई '17 से मार्च '18 तक)	2362.90	3831.95	552.00	3041.00	**9787.85**
2018-19 (सितंबर '18 तक)	2242.67	4043.34	789.00	1057.00	**8132.01**

सोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.32 : कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा

रकम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राज्य का कुल राजस्व (करोड़ रु.)	68919	78418	96123	105585	117447
राज्य का अपना कर राजस्व (करोड़ रु.)	19961	20750	25449	23742	23136
वाणिज्य करों से राजस्व (करोड़ रु.)	13156	13758	17378	18751	20277
कुल राजस्व में वाणिज्य करों का हिस्सा (%)	19.1	17.5	18.1	17.8	17.3
राज्य के अपने करों में वाणिज्य करों का हिस्सा (%)	65.9	66.3	68.3	79.0	87.6

सोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अभी विभाग केवल स्टाम्प और निबंधन शुल्क से संग्रहित करों के लिए जवाबदेह है। तालिका 2.33 में 2013-14 से 2017-18 तक स्टांप तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त राजस्व का विवरण दर्शाया गया है। आंकड़ों के रुझानों से पता चलता है कि स्टांप शुल्क के संग्रहण में लगातार वृद्धि हुई है। यह 2013-14 के 2,968 करोड़ रु. से 2015-16 में 3,295 करोड़ रु. पहुंच गया था। लेकिन 2016-17 में इसमें थोड़ी गिरावट आई थी और यह 3,257 करोड़ रु. रह गया था। वर्ष 2017-18 में संग्रहण 17 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाते हुए बढ़कर 3,824 करोड़ रु. हो गया। पिछले 5 वर्षों (2013-18) में समग्र वार्षिक वृद्धि दर मात्र 6.5 प्रतिशत रही है। स्टांप शुल्क का सबसे महत्वपूर्ण घटक निस्संदेह नन-जुडिशियल स्टांप शुल्क है जिसका कुल संग्रहण में लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा है।

तालिका 2.33 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मुद्रित नॉन-जूडिशियल स्टांप	320	330	391	339	410
बैंक चालान के जरिए जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क	1856	1750	2024	2064	2436
एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप	28	30	32	26	34
स्पेशल एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा	16	18	20	17	20
राजस्व स्टांप	2	2	2	2	2
न्यायिक (जूडीशियल) स्टांप	36	37	40	37	43
उप योग	**2257**	**2167**	**2508**	**2485**	**2945**
अभिलेख निबंधन शुल्क	668	646	741	730	832
भूस्वामी निबंधन शुल्क	32	31	34	31	36
भूस्वामी संबंधी प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) शुल्क	4	4	5	4	4
अभिलेखों तथा अभारित चीजों की खोज के लिए प्राप्त शुल्क	4	5	5	5	5
प्रमाणित प्रतियों के लिए प्राप्त शुल्क	2	2	2	2	2
उप योग	**711**	**688**	**787**	**772**	**879**
योग	**2968**	**2855**	**3295**	**3257**	**3824**

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.34 में 2018-19 के लिए सितंबर 2018 तक स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से हुआ जिलावार राजस्व संग्रहण दर्शाया गया है। आशानुरूप, पटना जिला इस स्रोत में सर्वाधिक (लगभग 19.6 प्रतिशत) योगदान करता है - अपने तत्काल बाद वाले जिले मुजफ्फरपुर से तीनगुने से भी अधिक।

तालिका 2.36 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2018-19 (सितंबर 2018 तक)

(करोड़ रु.)

जिला	अभिलेखों की संख्या	स्टांप और निबंधन शुल्कों से कुल प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति लक्ष्य के प्रतिशत में	प्रति अभिलेख प्राप्ति (रु.)
पटना	44511	419.9	436.24	96.25	94336
नालंदा	16361	53.25	57.56	92.51	32547
भोजपुर	17163	61.98	63.66	97.36	36113
बक्सर	8645	29.69	30.90	96.08	34344
रोहतास	15774	61.51	62.71	98.09	38995
कैमूर	9681	25.73	22.91	112.31	26578
गया	21995	96.14	93.61	102.70	43710
जहानाबाद	5372	18.29	22	83.14	34047
अरवल	3648	8.31	9.35	88.88	22780
नवादा	11635	29.95	30.89	96.96	25741
औरंगाबाद	13454	51.09	51.5	99.20	37974
सारण	19838	54.33	59.93	90.66	27387
सीवान	18911	53.85	59.94	89.84	28475
गोपालगंज	15746	48.73	54.76	88.99	30948
पश्चिम चंपारण	25387	58.28	55.24	105.50	22957
पूर्व चंपारण	34018	100.75	105.38	95.61	29617
मुजफ्फरपुर	29454	118.89	123.59	96.20	40365
सीतामढ़ी	21189	56.93	57.56	98.91	26868
शिवहर	4338	9.21	8.89	103.60	21231
वैशाली	21297	71.85	73.98	97.12	33737
दरभंगा	20371	67.68	65.57	103.22	33224
मधुबनी	27624	58.94	59.42	99.19	21337
समस्तीपुर	27752	64.6	65.55	98.55	23278
बेगूसराय	14829	58.49	59.83	97.76	39443
मुंगेर	4487	21.55	22.94	93.94	48028
शेखपुरा	4590	9.88	9.82	100.61	21525
लखीसराय	4858	16.02	17.8	90.00	32977
जमुई	8912	19.82	19.66	100.81	22240
खगड़िया	7174	19.69	19.21	102.50	27446
भागलपुर	14941	97.78	85.64	114.18	65444
बांका	10901	23.75	23.89	99.41	21787
सहरसा	10529	32.3	33.24	97.17	30677
सुपौल	9849	23.84	28.56	83.47	24206
मधेपुरा	11189	28.16	30.88	91.19	25168
पूर्णिया	21027	61.05	63.65	95.92	29034
किशनगंज	15128	25.98	27.13	95.76	17173
अररिया	18611	34.04	37.91	89.79	18290
कटिहार	21281	49.33	48.7	101.29	23180
योग	**612470**	**2141.56**	**2200**	97.34	34966

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

2.11 वस्तु एवं सेवा कर

पहले भी कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के पहले बिहार में कर राजस्व 7 महत्वपूर्ण शीर्षों के तहत वसूला जाता था - (1) बिक्री/ व्यापार कर आदि, (2) स्टांप एवं निबंधन शुल्क, (3) माल एवं यात्री कर, (4) राज्य उत्पाद शुल्क, (5) वाहन कर, (6) भूमि राजस्व, और (7) विद्युत कर एवं शुल्क। अब वस्तु एवं सेवा कर ने मूल्यवर्धित कर और माल एवं यात्री कर, दोनो को समाहित कर लिया है। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार को इन दोनो करों से कोई 18,000 करोड़ रु. का राजस्व-प्राप्त हुआ था। इसकी जगह 2017-18 में (अगस्त से मार्च तक) वस्तु एवं सेवा कर से कुल 9,788 करोड़ रु. की प्राप्ति हुई। वस्तु एवं सेवा कर का माहवार संग्रहण तालिका 2.35 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.35 : बिहार में वस्तु एवं सेवा कर से हुआ संग्रहण

(करोड़ रु.)

	अगस्त 2017	सितंबर 2017	अक्तूबर 2017	नवंबर 2017	दिसंबर 2017	जनवरी 2018	फरवरी 2018	मार्च 2018	योग
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	375.61	262.51	308.49	284.58	263.26	281.54	270.80	316.80	**2362.87**
अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर	275.49	346.13	491.63	528.44	565.22	537.11	549.89	538.03	**3831.95**
योग	**651.1**	**608.64**	**800.12**	**777.02**	**828.48**	**818.65**	**820.69**	**854.83**	**6194.82**
राज्य वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अनुदान	**0**	**0**	**692**	**1054**	**0**	**373**	**552***	**922**	**3593.00**

टिप्पणी : * अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर को दर्शाता है।

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

101वें संविधान संशोधन में राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए एक अवधि तक क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान किया गया है जिसका विस्तार पांच वर्षों तक हो सकता है। इसके कारण वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की जरूरत पड़ी जिसमें प्रावधान किया गया कि किसी वित्तवर्ष में क्षतिपूर्ति की रकम की गणना के मकसद से 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा और तबसे राजस्व की वृद्धि दर पांच वर्षों की अवधि के लिए 14 प्रतिशत प्रति वर्ष मानी जाएगी। आधार वर्ष के कर राजस्व में राज्य मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, ऑक्ट्रॉय, स्थानीय निकाय कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर आदि से राज्यों को प्राप्त हाने वाले कर राजस्व होंगे। हालांकि, आधार वर्ष के राजस्व में शराब, पेट्रॉल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल पर मूल्यवर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर से प्राप्त किसी राजस्व को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बिहार के लिए आधार रकम तय करने के लिए, जिस पर 14 प्रतिशत वृद्धि दर की गणना की जाएगी। उसमें से में शराब, पेट्रॉल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल पर मूल्यवर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर से संग्रहण और विद्युत शुल्क तथा पेशा कर को बिक्री कर के कुल राजस्व से घटा देना होगा।

पहले भी कहा गया है कि पेट्रॉलियम उत्पाद व्यावसायिक कर के अकेले सबसे बड़े योगदाता रहे हैं। वर्ष 2016-17 में उनका योगदान 5,118 करोड़ रु. का था। इसका योगदान 2016-17 में दूसरे सबसे प्रमुख योगदाता - विद्युत सामग्रियों (1,374 करोड़ रु.) का लगभग चारगुना था। अपने योगदान के क्रम में अन्य महत्वपूर्ण योगदाता थे - सीमेंट, अनिबंधित दूकानदार एवं निर्माण संवेदक, भारत निर्मित विदेशी शराब, एफ.एम.सी.जी., कच्चा तेल, चारपहिए और वाहनों के चेसिस, दोपहिए-तिपहिए तथा औषधियां और औषधि-द्रव्य आदि। बिहार में पिछले तीन वर्षों में पेट्रॉलियम उत्पादों से प्राप्त बिक्री कर राजस्व तालिका 2.36 में दर्शाया गया है। पिछले 6 वर्षों में इसमें 15.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। व्यावसायिक करों से प्राप्त राजस्व में इस अवधि में 17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। पहले भी कहा गया है कि दो को छोड़कर सारे व्यावसायिक करों को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया है। इन अलग रखे गए करों से प्राप्त प्राप्तियां कुल संग्रहण की तुलना में नगण्य हैं।

तालिका 2.36 : पेट्रॉलियम उत्पादों से बिक्री कर का संग्रहण

सामग्री का नाम	संग्रहण (करोड़ रु.)		
	2014-15	2015-16	2016-17
पेट्रॉलियम उत्पाद	3284	4385	5118
कच्चा तेल	635	1350	702
डीजल	2	4	4
रसोई गैस (एलपीजी)	7	9	12
किरासन तेल	2	3	3
पेट्रॉल	2	3	0
योग	**3932**	**5754**	**5839**
बिक्री कर (मूल्यवर्धित कर) से कुल संग्रहण	**8796**	**10726**	**11908**
कुल मूल्यवर्धित कर में पेट्रॉलियम राजस्व का प्रतिशत हिस्सा	**44.7**	**53.6**	**49.0**

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

2.12 व्यय प्रबंधन

राज्य सरकार के व्ययों को तीन मुख्य कामकाजी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इन सेवाओं पर राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के अलावा व्यय के अन्य क्षेत्र पूंजीगत लेखे के ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी, तथा स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान होते हैं। राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण भी देती है। गौरतलब है कि ऋणों के मूलधन की अदायगी जहां पूंजीगत लेखे से होती है, वहीं ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं के तहत व्यय के राजस्व लेखे से होता है।

तालिका 2.37 में 2013-14 से 2018-19 के बजट अनुमान तक राज्य सरकार का विभिन्न शीर्षों के तहत होने वाला व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका 2.38 में इस अवधि में राज्य सरकार के व्यय की संरचना प्रस्तुत की गई है और तालिका 2.39 में व्यय की प्रतिशत संरचना। और तालिका 2.40 में विभिन्न व्यय मदों की वार्षिक वृद्धि दरें वर्णित हैं। इन चारो तालिकाओं से हमें राज्य सरकार के व्यय पैटर्न के बारे में पर्याप्त समझ हासिल हो जाती है।

तालिका 2.37 : संचित निधि से व्यय

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	22018	26408	27972	30607	33374	40234
सामाजिक सेवाएं	26395	31713	35943	40737	45769	66922
आर्थिक सेवाएं	14060	14445	19696	23417	23476	29578
सहायता अनुदान	4	4	4	4	4	6
पूंजीगत परिव्यय	14001	18150	23966	27208	28907	32417
लोक ऋणों की अदायगी	3120	3609	4125	4215	4654	7326
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	807	369	621	114	243	507
योग	**80405**	**94698**	**112328**	**126302**	**136427**	**176990**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

वर्ष 2013-14 और 2017-18 के बीच राज्य सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 17 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 21 प्रतिशत हो गया। राज्य की अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए पूंजीगत परिव्यय में लगातार वृद्धि बहुत जरूरी है और राज्य सरकार उच्च स्तर का पूंजीगत परिव्यय जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है। वर्तमान वित्तवर्ष में भी बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय में इसका हिस्सा घट सकता है लेकिन रकम के लिहाज से परिव्यय में 3,500 करोड़ रु. अर्थात 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय विकासेतर प्रकृति का होता है और 2017-18 में कुल व्यय में इसका हिस्सा 24.5 प्रतिशत था जो लगभग एक वर्ष पहले जितना ही है। वर्ष 2017-18 में अन्य घटकों का हिस्सा इस प्रकार था : सामाजिक सेवाएं - 33.5 प्रतिशत, आर्थिक सेवाएं - 17.2 प्रतिशत, पूंजीगत परिव्यय - 21.2 प्रतिशत, लोक ऋण की अदायगी - 3.4 प्रतिशत और ऋण एवं अग्रिम - 0.2 प्रतिशत। वर्ष 2014-15 से कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा अधिकांशतः सामान्य सेवाओं की कीमत पर बढ़ा है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा लगभग एक जैसा रहा है और विगत वर्षों में व्यय पैटर्न में मामूली ढांचागत परिवर्तन ही होता दिखा है। पिछले 5 वर्षों में पूंजीगत परिव्यय 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की प्रभावी दर से बढ़ा हालांकि राज्य के अपने राजस्व की वृद्धि गतिरुद्ध होने से हाल के वर्षों में इसकी वृद्धि धीमी हुई है। इसके बावजूद 2013-14

से 2017-18 के बीच इसमें 15,000 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि हुई। पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि ने राज्य की अर्थव्यवस्था को देश के सभी बड़े राज्यों के बीच सबसे तेज विकास वाले राज्यों में ला खड़ा किया है। सामाजिक सेवाओं के हिस्से में गिरावट दर्शाती है कि जिन धनराशियों का उपयोग पहले प्रशासन चलाने के लिए किया जा रहा था, उन्हें अब विकास पर खर्च के लिए और अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के लिए अधिकाधिक उपयोग में लाया जा रहा है।

तालिका 2.38 : सरकारी व्यय की संरचना

(प्रतिशत)

व्यय शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	27.4	27.9	24.9	24.2	24.5	22.7
सामाजिक सेवाएं	32.8	33.5	32.0	32.3	33.5	37.8
आर्थिक सेवाएं	17.5	15.3	17.5	18.5	17.2	16.7
पूंजीगत परिव्यय	17.4	19.2	21.3	21.5	21.2	18.3
लोक ऋणों की अदायगी	3.9	3.8	3.7	3.3	3.4	4.1
ऋण एवं अग्रिम	1.0	0.4	0.6	0.1	0.2	0.3
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.39 में राज्य सरकार के कुल व्यय की संरचना अधिक विस्तार से प्रस्तुत है। तालिका में दिखता है कि अब व्यय में बड़ा हिस्सा राज्य के विकास हेतु आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का है जो सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में 75 प्रतिशत हिस्सा राजस्व लेखे का और 25 प्रतिशत पूंजीगत लेखे का था जो लगभग गत वर्ष जैसा ही है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा विकासमूलक प्रकृति का और 28 प्रतिशत विकासेतर प्रकृति का था। यह भी लगभग गत वर्ष जैसा ही है। वर्ष 2013-14 में ये हिस्से क्रमशः 68 और 32 प्रतिशत थे। पहले भी देखा गया है कि हाल के वर्षों में राजस्व लेखे में लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रखकर राज्य सरकार अपनी ऋण समस्या का अच्छी तरह प्रबंधन करने में सफल रही है। फलतः, राजस्व लेखे में प्रचुर अधिशेष रह पाया है। इसके कारण कुल व्यय में अब ऋण सेवा का 10 प्रतिशत (मूलधन की अदायगी का 3.4 प्रतिशत और ब्याज भुगतान का 6.6 प्रतिशत) हिस्सा था। ऋण भार को प्रबंधनीय सीमा में रखने के कारण राज्य सरकार अधिसंरचना के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने के सक्षम हो गई जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

तालिका 2.39 : कुल व्यय की प्रतिशत संरचना

व्यय शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राजस्व लेखा	77.7	76.6	74.4	75.0	75.2	77.3
विकासेतर राजस्व व्यय	26.9	27.5	24.5	23.9	24.1	22.3
विकासमूलक राजस्व व्यय	50.8	49.2	49.9	51.1	51.1	54.9
सामान्य सेवाएं (लोक निर्माण)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
सामाजिक सेवाएं	32.8	33.5	32.0	32.3	33.5	37.8
आर्थिक सेवाएं	17.5	15.3	17.5	18.5	17.2	16.7
पूंजीगत लेखा	22.3	23.4	25.6	25.0	24.8	22.7
विकासेतर पूंजीगत व्यय	5.0	4.6	6.0	4.2	4.2	4.9
सामान्य सेवाएं (लोक निर्माण को छोड़कर)	1.1	0.8	2.3	0.9	0.8	0.8
लोक ऋण की अदायगी (सामान्य सेवाएं)	3.9	3.8	3.7	3.3	3.4	4.1
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम (सामान्य सेवाएं)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विकासमूलक पूंजीगत व्यय	17.3	18.7	19.6	20.8	20.6	17.8
पूंजीगत परिव्यय (सामान्य लोक निर्माण, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं)	16.3	18.4	19.0	20.7	20.4	17.6
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम (सामाजिक और आर्थिक सेवाएं)	1.0	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3
कुल विकासेतर व्यय	31.9	32.1	30.5	28.1	28.3	27.2
कुल विकासमूलक व्यय	68.1	67.9	69.5	71.9	71.7	72.8
कुल व्यय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.40 में व्यय के विभिन्न घटकों की वृद्धि दरें दर्शाई गई हैं। इसमें दिखता है कि 2013-14 से 2018-19 के बीच सामाजिक सेवा और आर्थिक सेवा पर व्यय भी 15 प्रतिशत से अधिक की उच्च दर से बढ़ रहा है। लेकिन सामान्य सेवाओं पर व्यय 11.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी दर से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का कुल व्यय भी 15.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

तालिका 2.40 : व्यय की वृद्धि दरें

व्यय शीर्ष	वार्षिक वृद्धि दरें						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-18)
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)	
सामान्य सेवाएं	18.1	19.9	5.9	9.4	9.0	20.6	11.5
सामाजिक सेवाएं	14.2	20.1	13.3	13.3	12.4	46.2	18.3
आर्थिक सेवाएं	10.6	2.7	36.4	18.9	0.3	26.0	16.5
पूंजीगत परिव्यय	3.7	5.0	4.1	2.3	-6.3	49.8	6.7
लोक ऋणों की अदायगी	21.6	23.4	29.8	9.8	7.2	19.1	16.7
ऋण एवं अग्रिम	46.1	29.6	32.0	13.5	6.2	12.1	17.8
योग	**1.6**	**15.7**	**14.3**	**2.2**	**10.4**	**57.4**	**15.5**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

सामान्य सेवाओं में भी कुछ शीर्षों के व्यय को एक हद से अधिक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये मद अधिकांशतः भारित व्यय (चार्ज्ड एक्सपेंडिचर) वाले हैं, जैसे पेंशन तथा ब्याज भुगतान, न्यायिक सेवा, कारा, पुलिस आदि से संबंधित व्यय जिन्हें राज्य सरकार बहुत जोखिम उठाकर ही कम कर सकती है। इन सभी मदों का खर्च लगातार बढ़ता रहा है। हालांकि राज्य सरकार के कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का हिस्सा घटता गया है लेकिन रकम के रूप में देखें तो 2013-14 से 2017-18 के बीच यह व्यय लगभग 11.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार बढ़ा है। यह वृद्धि ब्याज भुगतान और पेंशन व्यय में तेज वृद्धि के साथ-साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायपालिका, विधानमंडल, कर संबंधी विभागों तथा लोक निर्माण पर बढ़े व्यय के कारण हुई है।

राजस्व व्यय

तालिका 2.41 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय का ब्योरा दर्ज है। राजस्व व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच यह 78 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 75 प्रतिशत रह गया। इन पांच वर्षों के दौरान वार्षिक औसत वृद्धि दर राजस्व व्यय के मामले में 13 प्रतिशत, पूंजीगत व्यय के मामले में 17 प्रतिशत और कुल व्यय के मामले में 14 प्रतिशत थी।

तालिका 2.41 : राजस्व व्यय का ब्योरा

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राजस्व व्यय (आर.ई.)	62477	72570	83616	94765	102624	136740
पूंजीगत व्यय (सी.ई.)	17928	22128	28712	31537	33803	40251
कुल व्यय (टी.ई.)	80405	94698	112328	126302	136427	176990
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	317101	342951	369469	425888	487628	515634
कुल व्यय (टी.ई.) की वृद्धि दर (%)	16.2	17.8	18.6	12.4	8.0	29.7
राजस्व व्यय (आर.ई.) की वृद्धि दर (%)	14.7	16.2	15.2	13.3	8.3	33.2
पूंजीगत व्यय (सी.ई.) की वृद्धि दर (%)	21.6	23.4	29.8	9.8	7.2	19.1
आर.ई./ टी.ई.(%)	77.7	76.6	74.4	75.0	75.2	77.3
टी.ई./ जी.एस.डी.पी.(%)	25.4	27.6	30.4	29.7	28.0	34.3
आर.ई./ जी.एस.डी.पी.(%)	19.7	21.2	22.6	22.3	21.0	26.5
राजस्व प्राप्ति (आर.आर.)/ टी.ई. (%)	85.7	82.8	85.6	83.6	86.1	89.3
जी.एस.डी.पी. के मुकाबले आर.ई. की उछाल	1.20	1.98	1.97	0.87	0.57	5.79
आर.आर. के मुकाबले आर.ई. की उछाल	0.94	1.17	0.67	1.35	0.74	0.96

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

वर्ष 2017-18 में सरकार का कुल व्यय बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 28 प्रतिशत के और राजस्व व्यय 21 प्रतिशत के बराबर था। उछाल के अनुपातों से दिखता है कि 2013-14 से 2017-18 के बीच राजस्व व्यय की विकास दर पहले तीन वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर से अधिक थी जो 2016-17 से धीमी हो गई। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में भी राजस्व व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अपेक्षा काफी अधिक तेज दर से बढ़ना अनुमानित है क्योंकि सामान्य और सामाजिक सेवाओं पर काफी अधिक व्यय का अनुमान है।

वेतन और पेंशन पर व्यय

वेतन और पेंशन सभी सरकारों के लिए व्यय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद होते हैं। वेतन और पेंशन व्यय के रुझान तालिका 2.42 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय में वेतन और पेंशन के संयुक्त व्यय का हिस्सा 30 प्रतिशत था जो उसके पिछले साल 32 प्रतिशत था। पांच वर्ष पहले यह 37.5 प्रतिशत था।

वर्ष 2013-14 में कुल राजस्व व्यय में अकेले सरकारी कर्मचारियों के वेतन व्यय का 22.5 प्रतिशत हिस्सा था जो क्रमशः घटते हुए 2017-18 में 17 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार, 2017-18 में राजस्व व्यय में पेंशन का 14 प्रतिशत हिस्सा था जो पांच वर्ष पूर्व 15 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच इन दोनो लेखों पर व्यय में लगभग 8,554 करोड़ रु. की बड़ी वृद्धि हुई है - वेतन के मामले में 3,742 करोड़ रु. की और पेंशन के मामले में 4,811 करोड़ रु. की। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच वेतन भुगतान 6 प्रतिशत और पेंशन भुगतान 11 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि में दोनो खातों पर कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 6.6 प्रतिशत के बराबर था जबकि पांच वर्ष पूर्व यह 7.4 प्रतिशत था। चार्ट 2.6 में 2013-14 से 2017-18 तक वेतन और पेंशन पर हुआ व्यय दर्शाया गया है।

तालिका 2.42 : वेतन और पेंशन पर व्यय

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वेतन पर व्यय	14037	14607	14924	15784	17779
वेतन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	4.4	4.3	4.0	3.7	3.6
वेतन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	20.4	18.6	15.5	14.9	15.1
वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	22.5	20.1	17.8	16.7	17.3
पेंशन पर व्यय	9482	11345	11850	12508	14293
वृद्धि दर	13.4	19.6	4.5	5.5	14.3
पेंशन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	3.0	3.3	3.2	2.9	2.9
पेंशन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	13.8	14.5	12.3	11.8	12.2
पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	15.2	15.6	14.2	13.2	13.9
वेतन और पेंशन पर कुल व्यय	23518	25952	26774	28292	32072
कुल व्यय जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	7.4	7.6	7.2	6.6	6.6
कुल व्यय राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	34.1	33.1	27.9	26.8	27.3
कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	37.6	35.8	32.0	29.9	31.3

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.6 : वेतन और पेंशन पर व्यय (करोड़ रु.)

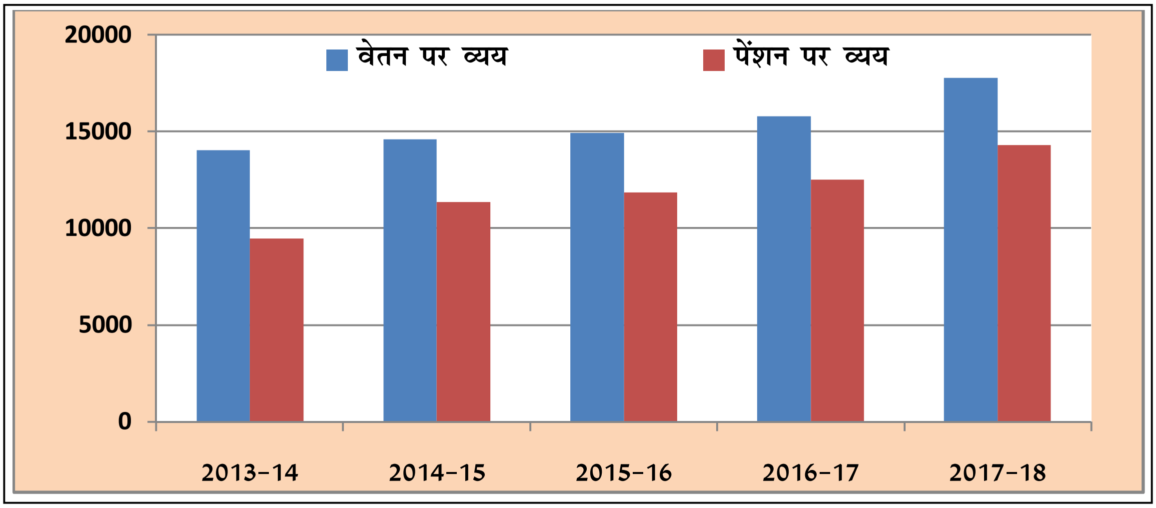

2.13 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता का निर्णय सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के निर्माण के लिए समर्पित व्यय के अनुपात तथा सामान्य सेवाओं के विकासेतर व्यय की तुलना में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक व्यय के अनुपात से किया जाता है। इस लिहाज से व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मापदंड हैं : (1) कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का अनुपात तथा (4) इन सेवाओं पर किए जा रहे गैर-वेतन व्यय का अनुपात। ये अनुपात जितने ऊंचे होंगे, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 2.43 में 2013-14 से 2018-19 तक के 6 वर्षों के दौरान इन अनुपातों को दर्शाया गया है।

तालिका 2.43 : व्यय की गुणवत्ता के मापदंड

व्यय शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	14001	18150	23966	27208	28907	32417
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	62477	72570	83616	94765	102624	136740
जिसमें से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का	40455	46158	55639	64154	69245	96500
(i) वेतन घटक (करोड़ रु.)	9072	9176	9108	9349	10458	12092
वेतन घटक (%)	22.4	19.9	16.4	14.6	15.1	12.5
(ii) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.)	31384	36982	46531	54805	58788	84407
गैर-वेतन घटक (%)	77.6	80.1	83.6	85.4	84.9	87.5
पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%)	17.4	19.2	21.3	21.5	21.2	18.3
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (%)	77.7	76.6	74.4	75.0	75.2	77.3
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	12.8	13.5	15.1	15.1	14.2	18.7
पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	4.4	5.3	6.5	6.4	5.9	6.3

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

इन सारे मापदंडों के आधार पर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि हाल के वर्षों में बिहार में व्यय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। विगत वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा बढ़ा है हालांकि 2017-18 में इसमें थोड़ी गिरावट आई। कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के हिस्से के मामले में भी यही रुझान दिखा। जहां कुल व्यय में राजस्व व्यय के हिस्से को अबाध बढ़ने नहीं दिया गया है, वहीं 2013-14 से 2017-18 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक 77.6 प्रतिशत से बढ़कर 87.5 प्रतिशत हो गया। यह दर्शाता है कि बिहार में सामाजिक वित्तव्यवस्था का प्रबंधन विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और राज्य के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

2.14 क्षेत्रगत व्यय

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि उपलब्ध कराना आर्थिक विकास और नागरिकों के कल्याण के बीच संपर्क स्थापित करने के लिहाज से बहुत जरूरी है। यह वांछित संपर्क सामाजिक सेवाओं पर पर्याप्त व्यय करके ही स्थापित किया जा सकता है। तालिका 2.44 में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि में तथा 2018-19 के बजट अनुमान में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे व्ययों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

राज्य सरकार की सामाजिक विकास की चिंता इस क्षेत्र के लिए बढ़े आबंटन से काफी हद तक व्यक्त होती है जो 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2013-14 के 28,253 करोड़ रु. से 2017-18 में 50,028 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इसमें 22,073 करोड़ रु. (44 प्रतिशत) की वृद्धि अनुमानित है। सामाजिक सेवा क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा बीच में थोड़े-बहुत उतार-चढ़ाव के साथ 2013-14 के 6.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 8.5 प्रतिशत पहुंच गया।

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक (अर्थात वस्तुतः पहले से निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर खर्च की जाने वाली रकम) 2013-14 में 73 प्रतिशत था जो 2017-18 में 82 प्रतिशत हो गया। वेतन घटक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मामले में कुल राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा (2017-18 में 47 प्रतिशत) रहा है, हालांकि इसके हिस्से में भी साल दर साल कमी आती गई है। जलापूर्ति, स्वच्छता, तथा आवास एवं नगर विकास के मामले में वेतन घटक कुल राजस्व व्यय का वस्तुतः बहुत छोटा हिस्सा रहा है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच सामाजिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय 1,858 करोड़ रु. से बढ़कर 4,258 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में इसका तेजी से बढ़कर 5,179 करोड़ रु. तक पहुंचना अनुमानित है जिसका कारण मुख्यतः जलापूर्ति, स्वच्छता, तथा आवास एवं नगर विकास में और उसके बाद शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के मामले में प्रचुर वृद्धि है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 900 करोड़ रु. से अधिक वृद्धि का अनुमान है, वहीं राजस्व व्यय में 21,000 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि अनुमानित है।

तालिका 2.44 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

व्यय शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	15047	16531	19155	20226	24833	33411
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	14344	16267	18605	19152	23315	32252
(क) वेतन घटक (%)	33.7	30.0	24.0	22.8	20.4	15.8
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	66.3	70.0	76.0	77.2	79.6	84.2
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	704	263	550	1074	1519	1159
पूंजीगत परिव्यय (%)	4.7	1.6	2.9	5.3	6.1	3.5
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2574	3604	4571	5493	6182	7564
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	2113	3288	3481	4622	5617	6456
(क) वेतन घटक (%)	74.8	48.6	52.6	48.3	46.9	48.4
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	25.2	51.4	47.4	51.7	53.1	51.6
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	460	316	1091	870	565	1108
पूंजीगत परिव्यय (%)	17.9	8.8	23.9	15.8	9.1	14.7
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	3605	4542	4518	8786	7609	18763
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	2967	3639	3694	7463	5676	16263
(क) वेतन घटक (%)	7.9	6.5	6.3	3.1	4.6	1.6
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	92.1	93.5	93.7	96.9	95.4	98.4
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	638	903	824	1323	1933	2500
पूंजीगत परिव्यय (%)	17.7	19.9	18.2	15.1	25.4	13.3
योग (सामाजिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	28253	33386	38684	44329	50028	72101
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	26395	31713	35943	40737	45769	66922
(क) वेतन घटक (%)	26.6	22.4	19.2	17.7	17.6	13.5
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	73.4	77.6	80.8	82.3	82.4	86.5
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1858	1674	2740	3592	4258	5179
पूंजीगत परिव्यय (%)	6.6	5.0	7.1	8.1	8.5	7.2

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार (परिशिष्ट 1)

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 2.45 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादक क्षमता सृजित होती है। वर्ष 2017-18 में कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा एवं विद्युत, उद्योग एवं खनिज तथा परिवहन का आर्थिक सेवाओं पर होने वाले राजस्व और पूंजीगत, दोनों लेखों के संयुक्त व्यय में लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2017-18 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 48 प्रतिशत भाग पूंजीगत खाते में किया गया जो एक वर्ष पहले से थोड़ा अधिक है। आर्थिक सेवाओं के मामले में पूंजीगत परिव्यय 2013-14 के 10,811 करोड़ रु. से काफी बढ़कर 2017-18 में 21,884 करोड़ रु. हो गया। विगत पांच वर्षों के दौरान इसमें निरंतर वृद्धि हुई और 2017-18 में कुल पूंजीगत परिव्यय (28,907 करोड़ रु.) में इसका लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 2.45 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	3670	3615	4120	2414	3824	5176
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3193	3431	3515	2287	3626	4935
(क) वेतन घटक (%)	14.7	13.9	14.6	22.7	16.3	16.4
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	85.3	86.1	85.4	77.3	83.7	83.6
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	477	185	605	128	198	242
पूंजीगत परिव्यय (%)	13.0	5.1	14.7	5.3	5.2	4.7
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2838	2444	2836	2844	3967	3994
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1039	1020	1151	1048	1301	1384
(क) वेतन घटक (%)	56.3	58.0	57.0	56.9	51.2	52.9
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	43.7	42.0	43.0	43.1	48.8	47.1
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1799	1424	1685	1796	2665	2610
पूंजीगत परिव्यय (%)	63.4	58.3	59.4	63.1	67.2	65.3
ऊर्जा एवं विद्युत						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	5133	7948	8945	13437	11236	9864
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3236	3773	6151	7698	4305	4439
(क) वेतन घटक (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	98.0
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1897	4175	2794	5739	6931	5425
पूंजीगत परिव्यय (%)	37.0	52.5	31.2	42.7	61.7	55.0
उद्योग एवं खनिज						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	1115	564	1230	1116	866	936
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	580	561	1201	888	756	862
(क) वेतन घटक (%)	11.0	11.5	5.2	5.7	7.8	11.8
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	89.0	88.5	94.8	93.0	90.7	88.2
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	535	3	29	228	110	74
पूंजीगत परिव्यय (%)	48.0	0.5	2.4	20.4	12.8	7.9
परिवहन						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	5471	5194	6130	7388	6804	7856
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1381	996	1712	1787	1402	2320
(क) वेतन घटक (%)	15.4	21.7	13.9	13.0	19.0	15.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	84.6	78.3	86.1	87.0	81.0	85.0
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	4090	4198	4417	5601	5402	5536
पूंजीगत परिव्यय (%)	74.8	80.8	72.1	75.8	79.4	70.5
योग (आर्थिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	24871	29173	37305	44943	45360	53520
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	14060	14445	19696	23417	23476	29578
(क) वेतन घटक (%)	14.6	14.4	11.2	9.2	10.2	10.3
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	85.4	85.6	88.8	90.8	89.8	89.7
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	10811	14728	17609	21526	21884	23942
पूंजीगत परिव्यय (%)	43.5	50.5	47.2	47.9	48.2	44.7

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार (परिशिष्ट 1)

वर्ष 2017-18 में आर्थिक सेवाओं पर कुल परिव्यय में सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा एवं विद्युत का (11,236 करोड़ रु.) और उसके बाद परिवहन (6,804 करोड़ रु.) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का (3,967 करोड़ रु.) था। इस पूरी अवधि में आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय के गैर-वेतन घटक का हिस्सा सामाजिक सेवाओं की तरह ही ऊंचा बना रहा और 2017-18 में 90 प्रतिशत था। वेतन घटक सिर्फ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के मामले में ऊंचा था; 2017-18 में कुल व्यय का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा इसी मद में था जो 2015-16 में भी इतना ही था। ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र के मामले में वेतन भुगतान लगभग पूरी तरह से विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण से संबंधित कंपनियों द्वारा किया गया।

हालांकि अगर कुल राजस्व व्यय में कुल कार्यार्पित व्यय (कमिटेड एक्सपेंडीचर) पर विचार किया जाय, तो जैसा कि तालिका 2.46 में दर्शाया गया है, पता चलता है कि राज्य सरकार के विकासमूलक कार्यक्रमों पर वास्तव में किए गए राजस्व व्यय का अनुपात सामाजिक सेवाओं (तालिका 2.45) और आर्थिक सेवाओं (तालिका 2.46) के गैर-वेतन घटकों की तुलना में काफी कम है। ऊर्जा एवं विद्युत तथा परिवहन के मामले में कार्यार्पित व्यय विद्युत कंपनियों और राज्य परिवहन निगम को राज्य सरकार के राजस्व बजट से दी गई सब्सिडी और सहायता के कारण बहुत ऊंचा है।

तालिका 2.46 : स्थापना और कार्यार्पित व्यय कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत में : 2017-18

(करोड़ रु.)

मुख्य शीर्ष	स्थापना और कार्यार्पित व्यय	कुल राजस्व व्यय	स्थापना और कार्यार्पित व्यय कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत में	वेतन घटक जैसा पहले दर्शाया गया है
सामाजिक सेवाएं				
शिक्षा	11121	23315	47.7	20.4
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3104	5617	55.3	46.9
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	1621	5676	28.6	4.6
कुल सामाजिक सेवाएं	19254	45769	42.1	17.6
आर्थिक सेवाएं				
कृषि एवं सहवर्ती कार्य	849	3626	23.4	16.3
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1158	1301	89.0	51.2
ऊर्जा एवं विद्युत	3872	4305	89.9	1.0
उद्योग एवं खनिज	67	756	8.8	7.8
परिवहन	1376	1402	98.2	19.0
कुल आर्थिक सेवाएं	14327	23476	61.0	10.2

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार (विवरण 15)

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

तालिका 2.47 में 2013-14 से 2017-18 तक तथा 2018-19 के बजट अनुमान लिए सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 2,596 रु. से बढ़कर 4,199 रु. हो गया; वहीं, सेवाओं के मामले में भी काफी वृद्धि हुई - 2,286 रु. से 3,807 रु.। इस अवधि में प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय भी 1,287 रु. से बढ़कर 2,426 रु. हो गया।

तालिका 2.47 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
अनुमानित जनसंख्या (करोड़)	10.9	11.1	11.4	11.6	11.9	12.2
कुल व्यय (करोड़ रु.)						
शिक्षा, खेल एवं संस्कृति	15047	16531	19155	20226	24833	33411
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2574	3604	4571	5493	6182	7564
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	3605	4542	4518	8786	7609	18763
सामाजिक सेवाएं	28253	33386	38684	44329	50028	72101
आर्थिक सेवाएं	24871	29173	37305	44943	45360	53520
पूंजीगत परिव्यय	14001	18150	23966	27208	28907	32417
सामान्य सेवाएं	23351	28157	31589	32697	36139	43529
प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)						
शिक्षा, खेल एवं संस्कृति	1383	1485	1682	1737	2084	2742
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	237	324	401	472	519	621
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	331	408	397	754	639	1540
सामाजिक सेवाएं	2596	2999	3397	3806	4199	5916
आर्थिक सेवाएं	2286	2621	3276	3859	3807	4392
पूंजीगत परिव्यय	1287	1631	2105	2336	2426	2660
सामान्य सेवाएं	2146	2530	2774	2807	3033	3572

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

2.15 2018-19 के बजट अनुमान और 2017-18 की वास्तविक रकमों की तुलना

इस खंड में 2018-19 के बजट की तुलना 2017-18 में राज्य सरकार की वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के साथ की जाएगी जिसे तालिका 2.48 में दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 के लेखों में राज्य सरकार की संचित निधि में 5,789 करोड़ रु. का घाटा दिखा, वहीं 2018-19 के बजट में 4,265 करोड़ रु. का अधिशेष होता दिखता है। वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्ति में लगभग 40,604 करोड़ रु. और राजस्व व्यय में 34,116 करोड़ रु. वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2018-19 में 21,312 करोड़ रु. का राजस्व अधिशेष अनुमानित है जो 2017-18 के 14,823 करोड़ रु. राजस्व अधिशेष से काफी अधिक है।

तालिका 2.48 : 2017-18 की वास्तविक रकम और 2018-19 के बजट अनुमान का सारांश

(करोड़ रु.)

	2017-18	2018-19 (ब.अ.)		2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राजस्व लेखा			**पूंजीगत लेखा**		
प्राप्ति			प्राप्ति		
कर राजस्व	88220	107174	लोक ऋण	13169	22795
करेतर राजस्व	3507	4446	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	22	408
अनुदान और अंशदान	25720	46431			
कुल राजस्व प्राप्ति	**117447**	**158051**	**कुल पूंजीगत प्राप्तियां**	**13191**	**23204**
व्यय			व्यय		
सामान्य सेवाएं	33374	40234	पूंजीगत परिव्यय	28907	32417
सामाजिक सेवाएं	45769	66922	लोक ऋण	4654	7326
आर्थिक सेवाएं	23476	29578	ऋण और अग्रिम	243	507
अनुदान एवं अंशदान	4	6			
कुल राजस्व व्यय	**102624**	**136740**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**33803**	**40251**
घाटा : राजस्व लेखा	**-14823**	**-21312**	**घाटा : पूंजीगत लेखा**	**20612**	**17047**
संचित निधि की प्राप्ति	**130638**	**181255**	**संचित निधि से व्यय**	**136427**	**176990**
निवल संचित निधि (प्राप्ति - व्यय)	**-5789**	**4265**			
आकस्मिक निधि					
आय			व्यय		
आकस्मिक निधि का योग			**आकस्मिक निधि का योग**		
लोक लेखा			**लोक लेखा**		
प्राप्ति			**संवितरण**		
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1844	1364	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1924	1464
आरक्षित कोष	1415	1318	आरक्षित कोष	2111	1319
जमा और अग्रिम	43180	25306	जमा और अग्रिम	32866	25207
सस्पेंस तथा विविध	388812	700	सस्पेंस तथा विविध	392626	1600
प्रेषण (रेमिटेंस)	9863	0	प्रेषण	9865	0
कुल प्राप्ति : लोक लेखा	**445114**	**28688**	**कुल संवितरण : लोक लेखा**	**439393**	**29589**
शुद्ध परिणाम : लोक लेखा (प्राप्ति - व्यय)	**5721**	**-901**			
शुद्ध परिणाम : सभी लेखे (प्राप्ति - व्यय)	**-68**	**3364**			

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में पूंजीगत लेखे के तहत व्यय में 2017-18 की अपेक्षा 6,448 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया है। वर्ष 2018-19 में मुख्यत: लोक ऋण से पूंजीगत प्राप्तियों में 10,013 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है। इससे पूंजीगत लेखे में 17,047 करोड़ रु. का शुद्ध घाटा रह जाता है। वर्ष 2017-18 में यह घाटा 20,612 करोड़ रु. था। वर्ष 2018-19 में ऋण अदायगी में 2017-18 से मात्र 2,672 करोड़ रु. की वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा ऋणप्रदान में 264 करोड़ रु. की कमी अनुमानित है। पूंजीगत परिव्यय में 3,510 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है। पूंजीगत लेखे में 17,047 करोड़ रु. के घाटा की राजस्व लेखे के 21,312 करोड़ रु. के अधिशेष से पूरी तरह भरपाई हो जाना अनुमानित है। इसके बाद भी बजट में 4,265 करोड़ रु. का अधिशेष रह जाएगा। वर्ष 2018-19 में लोक लेखा में 901 करोड़ रु. का शुद्ध घाटा रहना अनुमानित है और सभी लेखों का शुद्ध परिणाम 3,364 करोड़ रु. का अधिशेष होगा। वर्ष 2017-18 के लेखे में मात्र 68 करोड़ रु. का घाटा मौजूद था।

राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय का ढांचा तालिका 2.49 में प्रस्तुत है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि प्राप्ति की संरचना में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2018-19 में संचित निधि में कुल प्राप्ति में कर राजस्व का 59.1 प्रतिशत हिस्सा है जो एक वर्ष पहले 67.5 प्रतिशत था। जहां इन दोनो वर्षों में करेतर राजस्व के हिस्से में बहुत कम अंतर दिखता है, वहीं लोक ऋण का हिस्सा लगभग 2.5 प्रतिशत बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार के अनुदानों का हिस्सा 2017-18 के 19.7 प्रतिशत से काफी बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है।

व्यय की संरचना में भी दोनो वर्षों के बीच कुछ अंतर दिखता है। जहां सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2017-18 के 33.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 37.8 प्रतिशत हो गया है, वहीं पूंजीगत परिव्यय 21.4 प्रतिशत से घटकर 18.3 प्रतिशत रह गया है। सामान्य सेवाओं पर व्यय भी 2017-18 के 24.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 22.7 प्रतिशत हो गया है। अन्य घटकों में बहुत मामूली बदलाव हुआ है।

तालिका 2.49 : संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय

प्राप्ति	2017-18	2018-19 (ब.अ.)	व्यय	2017-18	2018-19 (ब.अ.)
राजस्व लेखा			**राजस्व लेखा**		
कर राजस्व	67.5	59.1	सामान्य सेवाएं	24.5	22.7
करेतर राजस्व	2.7	2.5	सामाजिक सेवाएं	33.5	37.8
सहायता अनुदान और अंशदान	19.7	25.6	आर्थिक सेवाएं	17.2	16.7
पूंजीगत लेखा			**पूंजीगत लेखा**		
लोक ऋण	10.1	12.6	लोक ऋण की अदायगी	3.4	4.1
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.0	0.2	ऋण एवं अग्रिम	0.2	0.3
अंतर-राज्य भुगतान	0.0	0.0	पूंजीगत परिव्यय	21.2	18.3
योग	**100.0**	**100.0**	**योग**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

अध्याय - 3

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र के टिकाऊ विकास के बड़े निहितार्थ हैं। समग्र अर्थव्यस्था में विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और गरीबी घटाने में इसकी भूमिका इसकी प्रचुर अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों के कारण पैदा होती है। यह मानते हुए कि राज्य की आबादी का 88.7 प्रतिशत से कम हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहता है, कृषि क्षेत्र समग्र विकास की कुंजी हो जाता है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताओं को दो मुख्य चीजें व्यक्त करती हैं - पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लगभग 74 प्रतिशत श्रमशक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती गतिविधियों पर निर्भर है और दूसरा, गंगा के मैदानों के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन ग्रामीण आबादी का कल्याण बढ़ाने के लिए उच्च कृषि उत्पादकता का प्रचुर अवसर उपलब्ध कराते हैं। हाल के वर्षों में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तरह बिहार का आर्थिक विकास भी कृषि क्षेत्र से दूसरी ओर जाता दिखता है जो ढांचागत परिवर्तन का संकेत देता है। इसके बावजूद, कृषि क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान है।

हालांकि बिहार में कृषि क्षेत्र जलवायु और जलवायु से भिन्न, दोनो प्रकार के कारकों से उत्पन्न जोखिमों और चुनौतियों से खाली नहीं है। फसल की उपज, टुकड़ों में बंटी जोतें, वर्षा संबंधी अनियमितताएं, जमीन के मामले में विषमरूपता और सूचना संबंधी असंतुलन से यह क्षेत्र लगातार पीड़ित है। इन चुनौतियों के बावजूद बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था अत्यंत विविधतापूर्ण है जिसकी महत्वपूर्ण फसलें अनाज, दलहन, तेलहन, ईख, फल और सब्जियां हैं। कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए कृषि रोडमैप-3 (2017-22) में इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आवश्यक व्यापक योजनाओं और कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया है। उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों का लाभ उठाने के लिए सरकार की योजना में गंगा के किनारे जैविक कृषि कॉरीडोर विकसित करने पर राज्य द्वारा विशेष बल दिया गया है। यह देखते हुए कि 2000 में बिहार के विभाजन के बाद खनिज संसाधन झारखंड राज्य में चले गए हैं, राज्य में विकास को दिशा देने में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के विस्तार की मुख्य भूमिका होगी। बिहार में कृषि व्यवस्था की सक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए लागत सामग्रियों के इष्टतम उपयोग और उत्पादकता वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत होगी जिसमें जलवायु, कीमत और नीति संबंधी कारक मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में बिहार में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के रुझानों और तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

3.1 बिहार की कृषि-जलवायु विवरणी

भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा है। यहां की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है जिसमें गर्मी के मौसम में मार्च से मई के दौरान सर्वोच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है जबकि जाड़े के मौसम में दिसंबर-जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। बिहार में खरीफ, रबी और गरमा

(जायद) – खेती के तीन मौसम हैं जिनमें चावल, गेहूं और मक्का के साथ-साथ अनेक बागवानी फसलें पैदा होती हैं। गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। उत्तर बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पानी आता है और अधिकांश क्षेत्र बाढ़प्रवण हैं। वहीं दक्षिण बिहार मध्य भारत की नदियों से पानी से लाभान्वित होता है लेकिन सूखाप्रवण है। तालिका 3.1 में बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों –उत्तर-पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर-पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान – की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ये विशेषताएं ही मिट्टी के गुणों, भौगोलिक क्षेत्र, वर्षापात और तापमान को निर्धारित करती हैं जिन सबसे फसल पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है। तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान कम औसत वर्षापात वाला है जहां सामान्यत: 1,102 मिमी के आसपास वर्षा होती है। इस क्षेत्र में 17 जिले हैं। दूसरी ओर उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूवी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है –क्रमश: 1,235 मिमी और 1,382 मिमी।

तलिका 3.1 : बिहार के कृषि जलवायु जोन

जोन	मिट्टी का प्रकार	औसत वर्षापात (मिमी)	तापमान (डिग्री से.)	मुख्य फसलें	जिले
उत्तर-पश्चिमी जलोढ़ मैदान	मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुआही दोमट से चिकनी दोमट तक बाढ़प्रवण	1235	अधिकतम : 36.6 न्यूनतम : 7.7	चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची	पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय
उत्तर-पूर्वी जलोढ़ मैदान	हल्का से मध्यम गठन, हल्की अम्लीय, बलुआही से सिल्टयुक्त दोमट तक	1382	अधिकतम : 33.8 न्यूनतम : 8.8	मक्का, जूट, अनारस	पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज
दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान	जलोढ़ से बलुआही दोमट तक	1102	अधिकतम : 37.1 न्यूनतम : 7.8	चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरुद	शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

3.2 बिहार में जल संसाधन

बिहार को भरपूर भूजल और भूतल जलस्रोतों का अवदान प्राप्त है। गंगा के साथ-साथ इसकी सहायक नदियां –गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गू, सकरी और क्यूल बिहार में कृषि और कृषीतर प्रयोजनों के लिए पानी उपलब्ध कराने में योगदान करती हैं। बिहार की कृषि मुख्यत: वर्षा पर निर्भर है जिसके जलस्रोत दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून पर निर्भर हैं। राज्य का 57 प्रतिशत कृष्य क्षेत्र ही सिंचित है। असमान वर्षा और बार-बार बाढ़ और सूखा के कारण फसल उत्पादन चक्र और उपज पर असर पड़ता है। कृषि रोडमैप-3 में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या दूर करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। जलवायु के लिहाज से लचीली खेती को बढ़ावा देने और ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और सिंचाई के ढांचे स्थापित करने से राज्य में कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

बिहार में वर्षापात का परिदृश्य

चूंकि बिहार में कृषि कार्य अभी भी काफी हद तक वर्षा के पानी पर निर्भर हैं इसलिए वर्षापात में उतार-चढ़ाव और उसका महीने के अनुसार वितरण इसके कृषि क्षेत्र में प्रदर्शन के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। बिहार में 2001 से 2017 तक और 2018 के पहले नौ महीनों में मौसमवार वार्षिक वर्षापात के रुझान तालिका 3.2 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.2 : बिहार में विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात

(वर्षापात मिमी में)

वर्ष	जाड़े की बारिश (जनवरी-फरवरी)	गर्मी की बारिश (मार्च-मई)	दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर)	उत्तर-पश्चिम मानसून (अक्तूबर-दिसंबर)	योग
2001	20.9 (137.2)	86.7 (113.5)	908.2 (107.1)	192.2 (323.2)	1208 (120.9)
2002	48.9 (320.9)	66.8 (87.4)	896.9 (105.7)	33.2 (55.8)	1045.8 (104.6)
2003	19.2 (126)	93 (121.7)	767.6 (90.5)	128.9 (216.7)	1008.7 (100.9)
2004	23.7 (155.5)	41.4 (54.2)	906.1 (106.8)	60.1 (101.1)	1031.3 (103.2)
2005	0.1 (0.7)	89.5 (117.2)	777.6 (91.7)	30.2 (50.8)	897.4 (89.8)
2006	0.1 (0.7)	90 (117.8)	925.9 (109.2)	27.8 (46.7)	1043.7 (104.4)
2007	28.3 (185.7)	76.4 (100)	1360 (160.3)	40.5 (68.1)	1506.1 (150.7)
2008	30.6 (200.8)	61.8 (80.9)	1084 (127.8)	19.3 (32.5)	1196 (119.7)
2009	0.1 (0.7)	98.2 (128.5)	699.2 (82.4)	71.1 (119.6)	868.6 (86.9)
2010	0.7 (4.9)	49.3 (64.5)	584.4 (68.9)	43.4 (73)	677.9 (67.8)
2011	5.2 (34.1)	79.4 (103.9)	1028 (121.2)	0.5 (0.8)	1113.1 (111.4)
2012	11.2 (73.5)	31.3 (41)	704.2 (83)	51.2 (86.1)	797.9 (79.8)
2013	17.1 (112.2)	73.8 (96.6)	518.4 (61.1)	164.3 (276.3)	773.6 (77.4)
2014	33.3 (218.5)	96.1 (125.8)	788.3 (92.9)	41.9 (70.5)	959.6 (96)
2015	11.7 (76.8)	89.3 (116.9)	690.7 (81.4)	4.3(7.2)	796 (79.6)
2016	7.5 (49.2)	72.6 (95.1)	936.9 (110.5)	54.5 (91.7)	1071.6 (107.2)
2017	0.4 (2.7)	103.1 (135)	843.2(99.4)	47.6(80)	994.4 (99.5)
2018 (सितंबर तक)	0	65.3	689.6	-	754.9
औसत (2001-2017)	15.2	76.4	848.2	59.5	999.4

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े औसत के प्रतिशत बतौर वास्तविक वर्षापात को व्यक्त करते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार में 2001 से 2017 के बीच वर्षापात का वार्षिक औसत 999.4 मिमी रहा है। लगभग 84.9 प्रतिशत वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण जून से सितंबर के बीच हो गई थी। बारिश का शेष 15.1 प्रतिशत हिस्सा जाड़े की बारिश, गर्मी की बारिश और उत्तर-पश्चिमी मॉनसून का था। वर्ष 2018 में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण 689.6 मिमी ही बारिश हुई जो औसत वर्षा (848.2 मिमी) से लगभग 20 प्रतिशत कम है। वास्तविक वर्षापात

का मौसमवार वितरण दर्शाता है कि बिहार में वर्षा के मामले में बहुत अधिक अंतर रहता है। कम या अनियमित बारिश का फसलों पर दबाव पड़ना तय है जिसका राज्य की बढ़ती आबादी की खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा पर स्पष्टतः खराब असर होता है।

चार्ट 3.1 में बिहार में होने वाले वार्षिक वर्षापात का 2001 से 2017 तक का ब्योरा प्रस्तुत है। 17 वर्षों की इस अवधि में बिहार में 2010 के 677.9 मिमी से 2007 के 1,506.1 मिमी तक वार्षिक वर्षा हुई। वर्ष 2018 में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण होने वाली वर्षा में दीर्घावधि वर्षापात के औसत से 20 प्रतिशत से भी अधिक की कमी आई। इसके कारण खरीफ फसलों की बुआई पिछड़ गई। वर्षा के पैटर्न और उसकी मात्रा में ऐसे बदलाव का फसलों की उपज पर स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है। राज्य में जल प्रबंधन और संरक्षण संबंधी ढांचों की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य में खेती मौसम के सामने असुरक्षित हो जाती है।

चार्ट 3.1 : बिहार में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2017)

(मिमी में)

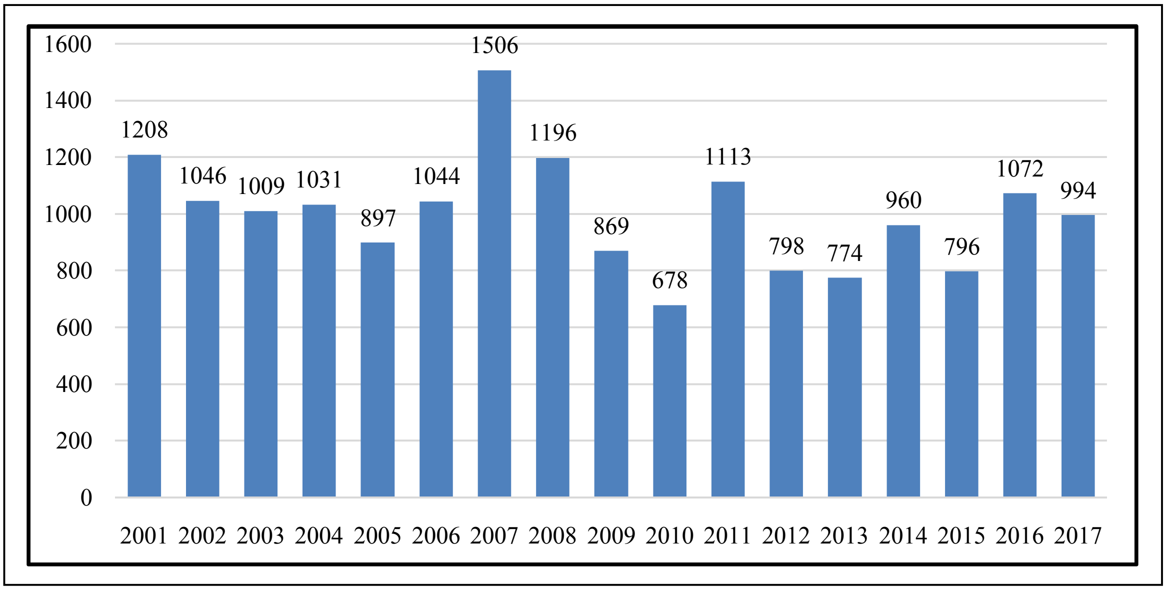

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार के दक्षिणी और उत्तरी मैदानों में भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्षापात के पैटर्न में भी अंतर रहता है। वार्षिक वर्षापात की जिलावार विवरणी तालिका प 3.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से 2017 में भी सर्वाधिक 2089 मिमी वर्षा किशनगंज में हुई जबकि सबसे कम 588 मिमी वर्षा में अरवल में हुई। वर्ष 2017 में राज्य के 38 में से 17 जिलों में राज्य के औसत वार्षिक वर्षापात (994 मिमी) से कम वर्षा हुई। वर्ष 2018 में भी दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण सर्वाधिक 1,358 मिमी वर्षा किशनगंज में हुई और सबसे कम 395 मिमी जहानाबाद में। स्पष्ट है कि जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से उत्तरी जिलों में औसतन अधिक वर्षा होती है। फलतः बिहार के दक्षिणी जिलों में भूजल का स्तर भी नीचे रहता है जिससे क्षेत्र सूखाप्रवण हो जाता है जबकि उत्तरी जिले अत्यंत बाढ़ और जल जमाव से प्रभावित होते हैं।

सिंचाई

राज्य में कृषि क्षेत्र मुख्यतः मॉनसून पर निर्भर है। इस कारण खेती के लिए पर्याप्त, समय पर और सुनिश्चित सिंचाई के लिए बिहार के दक्षिणी और उत्तरी भागों के जल संसाधन संबंधी विभिन्न अवदानों के रचनातंत्रों की पहचान करना जरूरी हो जाता है। उन्नत बीज, उर्वरक और खेती की नई विधियों आदि उत्पादकता बढ़ाने वाली लागत सामग्रियों को अपनाने के संदर्भ में सिंचाई वर्षा पर आश्रित कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंचाई की उपलब्धता से सूखाप्रवण क्षेत्रों में रबी मौसम में खेती करने में और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने तथा फसल पैटर्न में विविधता लाने के लिए अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों को अपनाने में मदद मिलती है।

पूर्वी भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी सिंचाई क्षमता का काफी हद तक उपयोग नहीं हो पाया है। वर्षा के मामले में फसलों की संवेदनशीलता को देखते हुए वर्षा में कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई में निवेश करना जरूरी हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने बेहतर जल प्रबंधन और नहरों की क्षमता पुनः बहाल करने और उनका विस्तार करने, नदियों के पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में ले जाने के लिए उन्हें जोड़ने, कमांड क्षेत्र विकास, बाढ़ नियंत्रण, और भूतल तथा भूजल सिंचाई जैसे उपायों के जरिए सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिहाज से विशेष पहल करने का विचार किया है। कृषि रोडमैप-3 (2017-22) में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर लगाने के जरिए भूजल के उपयोग पर नजर रखने जैसे राज्य सरकार के प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इससे भूजल संसाधन के अतिदोहन में कमी आने की आशा है। सिंचाई की स्थिति पर अध्याय 6 में गहराई से चर्चा की गई है जिसमें राज्य में सभी अधिसंरचनात्मक विकासों पर विचार किया गया है।

3.3 भूमि संसाधन

भूमि संसाधन की आपूर्ति की सीमाओं को देखते हुए उत्पादक कार्यों के लिए भूमि संसाधनों के विभिन्न उपयोगों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास, खाद्य आपूर्ति और पारिस्थितिकी के प्रबंधन पर जमीन के उचित प्रभाव के लिए उसका युक्तिसंगत उपयोग जरूरी है। समुद्रतट रहित राज्य के रूप में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94 लाख हेक्टेयर ही है जबकि पूरे देश की 8.6 प्रतिशत आबादी यहीं रहती है।

भूमि उपयोग पैटर्न

तालिका 3.3 में राज्य में भूमि के उपयोग का 2012-13 से 2016-17 तक के पैटर्न का रुझान दर्शाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भूमि उपयोग का पैटर्न लगभग अपरिवर्तित रहा है। पिछले पांच वर्षों में वनक्षेत्र 6.22 लाख हे. पर स्थिर रहा है जो कुल क्षेत्रफल का 6.6 प्रतिशत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान यही पैटर्न बीरान और अकृष्य भूमि (4.6 प्रतिशत), पेड़-बागान वाली भूमि (2.6 प्रतिशत), परती भूमि (1.3 प्रतिशत), कृष्य बंजर भूमि (0.5 प्रतिशत), स्थायी चरागाह क्षेत्र (0.2 प्रतिशत), और जल निकाय (3.8 प्रतिशत) के मामले में जारी रहा है। वर्ष 2016-17 में सकल कृष्य क्षेत्र 76.54 लाख हे. था। राज्य में फसल सघनता 2012-13 के 1.44 से थोड़ी बढ़कर 2016-17 में 1.45 हो गई। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच कुल अकृष्य भूमि में थोड़ी वृद्धि वर्तमान परती भूमि में वृद्धि के कारण हुई हो 2012-13 के 7.67 लाख हे. से बढ़कर 2016-17 में 8.68 लाख हे. हो गया। वहीं कृषि वर्ष में वास्तविक बुआई क्षेत्र को दर्शाने वाले शुद्ध बुआई क्षेत्र में थोड़ी कमी आई है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 2012-13 के 54.02 लाख हे. से घटकर 2016-17 में 52.93 लाख हे. रह गया। बिहार में 2016-17 में कुल मिलाकर 56.55 प्रतिशत जमीन पर खेती हुई।

तालिका 3.3 : बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2012-13 से 2016-17)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भौगोलिक क्षेत्रफल	9359.57 (100)	9359.57 (100)	9359.57 (100)	9359.57 (100)	9359.57 (100)
1. वन	621.64 (6.64)	621.64 (6.64)	621.64 (6.64)	621.64 (6.64)	621.64 (6.64)
2. बंजर एवं अकृष्य भूमि	431.72 (4.61)	431.72 (4.61)	431.72 (4.61)	431.72 (4.61)	431.72 (4.61)
3. कृषीतर उपयोग वाली भूमि	1708.37 (18.25)	1712.29 (18.29)	1712.1 (18.29)	1713.02 (18.3)	1718.59 (18.36)
भूमि क्षेत्र	1352.89 (14.45)	1356.8 (14.5)	1359.77 (14.53)	1360.65 (14.54)	1366.15 (14.6)
जल क्षेत्र	355.48 (3.8)	355.49 (3.8)	352.33 (3.76)	352.37 (3.76)	352.44 (3.77)
4. कृष्य ऊसर भूमि	45.02 (0.48)	44.89 (0.48)	44.67 (0.48)	44.46 (0.48)	44.41 (0.47)
5. स्थायी चरागाह	15.6 (0.17)	15.47 (0.17)	15.33 (0.16)	15.23 (0.16)	15.14 (0.16)
6. बागानी भूमि	246.34 (2.63)	247.36 (2.64)	247.81 (2.65)	247.95 (2.65)	248.05 (2.65)
7. परती भूमि (वर्तमान परती को छोड़कर)	121.78 (1.3)	120.49 (1.29)	119.41 (1.28)	119.24 (1.27)	119.08 (1.27)
8. वर्तमान परती	766.7 (8.19)	913.49 (9.76)	888.59 (9.49)	961.42 (10.27)	868.01 (9.27)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	3957.17 (42.28)	4107.32 (43.88)	4081.27 (43.61)	4154.68 (44.39)	4066.64 (43.45)
निवल बुआई क्षेत्रफल	5402.39 (57.72)	5252.25 (56.12)	5278.32 (56.39)	5204.89 (55.61)	5292.93 (56.55)
सकल बुआई क्षेत्रफल	7777.52	7580.14	7672.95	7572.41	7654.36
फसल सघनता	1.44	1.44	1.45	1.45	1.45

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

विभिन्न जिलों में 2015-16 में भूमि उपयोग के विविधतापूर्ण पैटर्न पर गौर करना दिलचस्प है। तालिका प 3.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में भूमि उपयोग पैटर्न का 2015-16 का जिलावार विवरण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2015-16 में 5 जिलों में निवल बुआई क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से भी अधिक था जबकि पूरे राज्य में निवल बुआई क्षेत्र का औसत 55.6 प्रतिशत था। ये जिले हैं - बक्सर (86.8 प्रतिशत), नालंदा (77.1 प्रतिशत), मधेपुरा (74. 4 प्रतिशत), भोजपुर (72.4 प्रतिशत) और सीवान (72.3 प्रतिशत)। वहीं, 5 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम था। ये जिले हैं -बांका (37.5 प्रतिशत), गया (37.4 प्रतिशत), लखीसराय (34.4 प्रतिशत), मुंगेर (32.4 प्रतिशत) और जमुई (27.4 प्रतिशत)। वर्ष 2015-16 में 18 जिलों में फसल सघनता राज्य के औसत (1.45) से अधिक थी। वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक 2.05 फसल सघनता अररिया में और सबसे कम 1.12 नवादा में थी। राज्य के कुल वन क्षेत्र में कैमूर, जमुई, पश्चिम चंपारण, गया, रोहतास और नवादा जिलों का संयुक्त हिस्सा 81.4 प्रतिशत था। गया, पूर्णिया, अररिया, लखीसराय और सारण में 4 प्रतिशत से अधिक जमीन 2015-16 में परती थी। वहीं मधेपुरा, समस्तीपुर, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण,

मधुबनी, बक्सर, अरवल, सीतामढ़ी, दरभंगा, नालंदा, शेखपुरा, और शिवहर जैसे जिले सौभाग्यशाली थे कि वहां बीरान और अकृष्य भूमि 4 प्रतिशत से कम थी।

बिहार में जोतें

बढ़ती आबादी को देखते हुए सीमित भूमि संसाधन बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। बिहार आबादी के मामले में देश का तीसरा बड़ा राज्य है और 2011 में यहां का जनसंख्या घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था इसलिए हाल के वर्षों में राज्य में जमीन के कृषीतर वैकल्पिक उपयोग की मांग और भूखंडों के टुकड़े होने की प्रक्रिया बढ़ी है। तालिका 3.4 में बिहार में 2010-11 और 2015-16, दो वर्षों के दौरान जोतों का वितरण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2015-16 के आंकड़े अनंतिम हैं क्योंकि उनका उल्लेख सबसे हाल की कृषि गणना, 2015-16 में किया गया है। बिहार के लगभग 91.2 प्रतिशत कृषक परिवार सीमांत (1 हे. से कम जोतों वाले) किसान हैं जिनके पास 2015-16 में कुल भूक्षेत्र का 57.7 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 3.4 : बिहार में जोतों का वितरण

आकार आधारित श्रेणी	कार्यशील जोतों की सं. (हजार)			कार्यशील जोतों का क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)			कार्यशील जोतों का औसत क्षेत्रफल (हे.)	
	2015-16	2010-11	प्रतिशत परिवर्तन	2015-16	2010-11	प्रतिशत परिवर्तन	2015-16	2010-11
सीमांत	14971	14744	1.54	3728	3669	1.61	0.25	0.25
लघु	944	948	-0.45	1178	1186	-0.64	1.25	1.25
लघु-मध्यम	414	415	-0.16	1076	1073	0.26	2.60	2.59
मध्यम	81	81	-0.09	431	415	3.75	5.29	5.09
वृहत	3	3	-1.28	45	45	-1.12	14.48	14.45
सभी	16413	16191	1.37	6457	6388	-1.09	0.39	0.39

टिप्पणी : प्रतिशत अंतर क्षेत्रफल के आंकड़ों पर आधारित हैं; 2015-16 के आंकड़े चरण-1 के (अतंतिम परिणाम) हैं।
स्रोत : कृषि गणना, 2015-16

बिहार में जोतों का औसत आकार बहुत छोटा है – 2015-16 में 0.39 हे.। राज्य में मुश्किल से 3 प्रतिशत किसान परिवारों की जोतें 2015-16 में अर्ध-मध्यम और मध्यम आकार की थीं। जोतों की संख्या की बात करें, तो इसमें सीमांत जोतों के मामले में थोड़ी वृद्धि हुई है जबकि अन्य सारी श्रेणी की जोतों की संख्या घटी है। यह बिहार में विगत पांच वर्षों में जोतों की असमानता में थोड़ी वृद्धि दर्शाता है। जोतों की ऐसी असमानता और जमीन का टुकड़ों में बंटना बिहार में कृषि विकास की राह में गंभीर बाधा है।

3.4 फसल पैटर्न

जलोढ़ मैदानों की कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों के कारण बिहार फसल प्रणाली में विविधता लाने में सक्षम हुआ है। लोगों की आहार और पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए अनाज के अलावा दलहन, फल और सब्जियां

बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फसलों की विविधता से किसानों को जोखिम प्रबंधन में भी मदद मिलती है। तालिका 3.5 में बिहार में 2012-13 से 2017-18 के बीच फसल पैटर्न के रुझान दर्शाए गए हैं। इन वर्षों में लगभग अपरिवर्तित फसल पैटर्न से पता चलता है कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यत: अनाज उपजाने वाली अर्थव्यवस्था है जहां 85 प्रतिशत से अधिक जमीन पर अनाज वाली फसलें उपजाई जाती हैं। पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दलहनों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जोर देने के बावजूद इसमें लगातार कमी आई है जो 2012-13 के 7.1 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 6.8 रह गई। इस तथ्य पर गौर करते हुए कि बिहार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, धान उपजाने के बाद खाली हुए खेतों में दलहनों और तिलहनों की खेती के लिए पूर्वी भारत में चलने वाली 'परती धनहर क्षेत्रों का लक्ष्यीकरण' (टीआरएफए) योजना राज्य में भी चलाई गई है। राज्य में अनाजों और दलहनों को मिलाकर 93.7 प्रतिशत सकल कृष्य क्षेत्र पर खाद्यान्नों की खेती होती है। सकल कृष्य क्षेत्र के लगभग 3.3 प्रतिशत हिस्से पर ईख की खेती होती है जो राज्य में कृषि के सीमित व्यवसायीकरण को सूचित करता है।

तालिका 3.5 : बिहार में फसल पैटर्न

फसलें	क्षेत्रफल का प्रतिशत					
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खाद्यान्न	93.02	92.89	93.25	93.27	93.60	93.72
अनाज	85.9	85.8	86.14	86.18	86.69	86.94
दलहन	7.11	7.08	7.09	7.07	6.90	6.77
तिलहन	1.59	1.74	1.63	1.69	1.53	1.46
रेशेदार फसलें	1.94	1.71	1.58	1.58	1.53	1.50
ईख	3.46	3.66	3.56	3.46	3.35	3.33
कुल क्षेत्रफल	100	100	100	100	100	100

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

3.5 उत्पादन और उत्पादकता के रुझान

पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कृषि की उत्पादकता काफी बढ़ी है। राज्य में प्रचुर जल की उपलब्धता और अच्छी मिट्टी के साथ-साथ अनेक प्रकार की खाद्य-अखाद्य फसलों के विविधीकरण के कारण यह विकास हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए अनाज वाली फसलों की उत्पादकता बढ़ाना हाल के वर्षों में बिहार की खेती की महत्वपूर्ण परिघटना रही है।

फसल क्षेत्र

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि में विभिन्न फसलों के उत्पादन के रुझान तालिका 3.6 में प्रस्तुत हैं। इन फसलों की वार्षिक वृद्धि दर तालिका के अंतिम कॉलम में दी गई है। बिहार में अनाजों के कुल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है जो 2013-14 के 15.72 लाख टन से 4.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2017-18 में

तालिका 3.6 : बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन स्तर

(हजार टन में)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)
कुल खाद्यान्न	16238.32	14750.04	14508.03	18560.78	17802.78	4.22
कुल अनाज	15716.3	14321.11	14087.25	18099.11	17348.61	4.41
कुल चावल	6649.59	8241.62	6802.22	8238.77	8093.16	4.00
बोड़ो चावल	798.68	1010.34	725.21	949.37	903.29	1.86
अगहनी चावल	5634.96	7049.73	5876.03	7065.07	7046.04	4.59
गरमा चावल	215.95	181.56	200.98	224.33	143.83	-5.84
गेहूं	6134.68	3570.21	4736.45	5985.84	6104.3	5.20
कुल मक्का	2904.24	2478.75	2517.1	3845.7	3120.77	6.00
खरीफ मक्का	778.21	825.15	692.7	624.3	535.88	-9.74
रबी मक्का	1199.39	913.78	1105.14	2131.51	1645.56	15.95
गरमा मक्का	926.64	739.82	719.26	1089.89	939.34	4.23
कुल मोटे अनाज	2932.03	2509.28	2548.58	3874.5	3151.15	5.96
जौ	14.25	13.43	13.9	16.29	16.47	4.94
ज्वार	1.31	1.55	1.71	1.91	1.45	4.21
बाजरा	3	3.73	4.64	4.05	4.97	11.54
रागी	7.14	9.84	9.89	3.46	4.18	-19.07
कोदो-सावां	2.09	1.98	1.34	3.1	3.31	14.66
कुल दलहन	522.02	428.93	420.78	461.67	454.17	-2.03
कुल खरीफ दलहन	30.96	33.69	28.98	29.3	22.01	-7.89
ऊड़द	14.14	14.36	12.05	11.49	7.06	-14.89
भदई मूंग	7.36	9.23	8.34	8.33	5.53	-6.52
कुल्थी	7.83	7.96	7.21	7.63	7.98	-0.04
घघरा	0.34	0.43	0.49	0.43	0.43	4.81
अन्य खरीफ दलहन	1.29	1.71	0.89	1.43	1.02	-6.28
कुल रबी दलहन	491.06	395.24	391.8	332.69	432.17	-4.19
अरहर (तूर)	36.46	28.54	37.13	33.17	28.63	-3.28
चना	70.34	57.49	58.55	66.5	67.18	0.54
मसूर	196.06	140.06	140.44	146.88	147.49	-5.08
मटर	18.35	17.31	17.94	16.74	16.94	-1.92
खेसारी	70.55	60.06	50.99	55.18	50.31	-7.33
गरमा मूंग	98.01	90.73	86.02	111.55	120.19	6.34
अन्य रबी दलहन	1.3	1.05	0.73	2.35	1.43	10.48
कुल तिलहन	157.18	127.01	126.52	125.86	124.24	-4.68
अंडी	0.15	0.09	0.04	0.07	0.02	-34.83
कुसुम	1.32	0.08	0.09	0.09	0.08	-42.24
तिल	1.99	2.56	2.39	1.78	1.38	-10.38
सूर्यमुखी	19.79	16.64	16.2	14.69	13.38	-8.68
सरसों-राई	117.14	92.89	94.39	97.68	98.49	-2.92
तीसी	15.87	14.16	12.91	10.56	10.31	-10.92
मूंगफली	0.91	0.59	0.5	0.99	0.58	-3.76
कुल रेशेदार फसलें	1745.08	1637.12	1630.6	1571	1280	-6.40
जूट	1498.08	1418.71	1308.6	1356	1110	-6.25
मेसता	247	218.41	322	215	170	-7.35
ईख	17938.65	21117.43	18175.59	18239.9	17610.12	-1.82

टिप्पणी : 1. वार्षिक चक्रवृद्धि दर (प्रतिशत) की गणना 5 वर्षों (2013-14 से 2017-18) के लिए की गई है।
2. ईख के लिए आंकड़े बिहार सरकार के गन्ना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

17.35 लाख टन हो गया। मुख्य अनाजों के उत्पादन में लगातार बढ़त का रुझान मक्का और चावल, दोनो में देखा जा सकता है जिनकी वृद्धि दरें पिछले पांच वर्षों के दौरान क्रमश: 6.0 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत रही हैं। मक्का का उत्पादन 2013-14 के 2.9 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 3.23 लाख टन हो गया और इसका अधिकांश श्रेय रबी और गरमा मक्का को जाता है। हालांकि दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में कमी का रुझान चिंता की बात है। मोटे अनाजों में बाजरा, जौ और ज्वार का उत्पादन पिछले पांच वर्षों में क्रमश: 11.5 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 3.15 लाख टन था जो 2013-14 से 2017-18 के बीच 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

यहां इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि बिहार की अनाज उत्पादक अर्थव्यवस्था में किसानों को प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के प्रयासों के कारण उत्पादन के मामले में प्रदर्शन सुधर रहा है। चावल सघनीकरण प्रणाली (श्री विधि), तथा जीरो टिलेज विधि के उपयोग और बिजली से चलने वाले नलकूपों के जरिए सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान के कारण उच्च उत्पादन के लक्ष्य हासिल किए जा सके। हाल के वर्षों में वर्षा में कमी-बेशी के बावजूद कुछ प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि का रुझान जलवायु परिवर्तन की चुनौती के सामने राज्य की कृषि के लचीलेपन का संकेत है।

तालिका 3.7 में बिहार में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों के 2013-14 से 2017-18 तक के उत्पादन के रुझान प्रस्तुत हैं। उत्पादकता की वार्षिक वृद्धि दर को तालिका के अंतिम कॉलम में दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच अनाजों की उत्पादकता 2,595 किग्रा से बढ़कर 2,839 किग्रा प्रति हे. हो गई। ऐसा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी कार्यक्रमों के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों, उपकरणों और यंत्रों के प्रावधान तथा जलवायु संबंधी जोखिम में कमी लाने के लिहाज से प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से किए गए लागातार प्रयासों के जरिए संभव हो पाया है। वर्ष 2017-18 में मुख्य अनाजों के बीच मक्का की उत्पादकता सबसे अधिक 4,607 किग्रा प्रति हे. थी जबकि चावल की सबसे कम 2,447 किग्रा प्रति हे.। चावल की उत्पादकता 2013-14 के 2,110 किग्रा प्रति हे. से बढ़कर 2017-18 में 2,447 किग्रा प्रति हे. हो गई जो 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। इसे जल जमाव के मुद्दों और राज्य में उन्नत बीजों की सीमित उपलब्धता के बावजूद हासिल किया गया है। मक्का की उत्पादकता 2013-14 के 3966 किग्रा प्रति हे. से बढ़कर 2017-18 में 4,607 किग्रा प्रति हे. हो गई जो इन पांच वर्षों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। गेहूं की उत्पादकता में भी मामूली वृद्धि देखी गई जो 5.9 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज करते हुए 2013-14 के 2,855 किग्रा प्रति हे. से 2017-18 में 2,905 किग्रा प्रति हे. हो गई। मोटे अनाजों के मामले में 2017-18 में 2013-14 से 7.3 प्रतिशत वृद्धि देखी गई।

हालांकि तिलहनों के कुल उत्पादन में 2013-14 से 2017-18 के बीच 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई लेकिन चुनिंदा तिलहनों के मामले में वृद्धि दर्ज की गई - अंडी 0.9 प्रतिशत, कुसुम 0.4 प्रतिशत, सूर्यमुखी 0.3 प्रतिशत और तिल 0.1 प्रतिशत। ऊड़द, भदई मूंग, कुल्थी, अरहर, चना, मसूर, मटर, खेसारी और गरमा मूंग राज्य

तालिका 3.7 : मुख्य फसलों की उत्पादकता का स्तर

(किग्रा/ प्रति हे.)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)
कुल अनाज	2595	2328	2320	2919	2839	4.1
कुल चावल	2110	2525	2104	2467	2447	2.8
बोड़ो चावल	1454	1739	1321	1705	1728	3.3
अगहनी चावल	2246	2711	2258	2618	2594	2.6
गरमा चावल	2342	2207	2472	2660	2119	-0.1
गेहूं	2855	1657	2244	2843	2905	5.9
कुल मक्का	3966	3508	3571	5335	4607	7.5
खरीफ मक्का	2814	2974	2559	2586	2400	-4.5
रबी मक्का	4522	3630	4421	7482	6138	14.3
गरमा मक्का	4820	4171	3903	5601	5047	3.9
कुल मोटे अनाज	3877	3425	3491	5194	4488	7.3
जौ	1398	1109	1304	1505	1587	5.7
ज्वार	1065	1068	1063	1065	1066	0.0
बाजरा	1138	1134	1133	1135	1134	-0.1
रागी	1015	1474	1429	723	994	-7.3
कोदो-सावां	754	757	756	379	752	-6.7
कुल दलहन	1044	848	844	936	954	-0.8
कुल खरीफ दलहन	886	892	821	855	855	-1.1
ऊड़द	912	913	883	885	890	-0.8
भदई मूंग	805	838	683	782	743	-2.3
कुल्थी	952	957	929	919	929	-0.9
अन्य खरीफ दलहन	752	757	753	753	754	0.0
कुल रबी दलहन	1056	844	846	879	960	-1.5
अरहर (तूर)	1667	1438	1577	1581	1548	-0.5
चना	1147	958	986	1120	1154	1.7
मसूर	1272	916	932	1005	1068	-2.5
मटर	1060	1010	1053	1020	1031	-0.5
खेसारी	1116	990	934	1059	1057	-0.4
गरमा मूंग	672	579	548	690	707	2.8
अन्य रबी दलहन	1010	1000	1010	1005	1005	0.0
कुल तिलहन	1279	1093	1059	1155	1208	-0.6
अंडी	956	958	953	961	1000	0.9
कुसुम	805	804	802	813	818	0.4
तिल	872	874	868	877	877	0.1
सूर्यमुखी	1410	1429	1421	1428	1429	0.3
सरसों-राई	1374	1100	1053	1180	1245	-1.3
तीसी	850	861	859	833	851	-0.3
मूंगफली	1024	1023	1018	1015	1019	-0.2
जूट	2571	2694	2508	2671	2393	-1.5
मेसता	2746	2402	3515	2369	1479	-11.8
ईख	63080	67040	68970	69060	65480	1.0

टिप्पणी : 1. वार्षिक चक्रवृद्धि दर (प्रतिशत) की गणना 5 वर्षों (2013-14 से 2017-18) के लिए की गई है।
2. ईख के लिए आंकड़े बिहार सरकार के गन्ना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

में उपजाए जाने वाले मुख्य दलहन हैं। राज्य में 2013-14 से 2017-18 के बीच रबी दलहनों की औसत उत्पादकता 960 किग्रा प्रति हे. थी जो खरीफ दलहनों की 855 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता से अधिक थी। वर्ष 2017-18 में दलहनों की उत्पादकता 954 किग्रा प्रति हे. थी जो गत वर्ष की 936 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता से अधिक थी। हालांकि दलहनों की बढ़ती उत्पादकता से उनके उत्पादन की गिरती वृद्धि दरों की भरपाई नहीं की जा सकी। राज्य सरकार दलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।

अतः 2013-14 से 2017-18 के बीच राज्य में मुख्य फसलों की समग्र उत्पादकता बढ़ने का रुझान है। बिहार में अनाजों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने का खाद्य आपूर्ति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए गहरा निहितार्थ है। जनसंख्या की तेज वृद्धि ने अनाजों के उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है और इसलिए प्रौद्योगिकी के मामले में अधिक निवेश करने की जरूरत है।

प्राकृतिक संसाधन के अवदान, कृषि-पारिस्थितिक स्थितियां, कीमत और अन्य संस्थाजनित कारक बिहार में फसलों की उत्पादकता के स्तर को प्रभावित करते हैं। उत्पादकता संबंधी प्रदर्शन के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर रहता है। जिलों में उत्पादन और उत्पादकता संबंधी प्रदर्शन के आधार पर तालिका 3.8 में चार प्रमुख फसलों (चावल, गेहूं, मक्का और दलहन) के मामले में 2017-18 में अग्रणी जिलों की सूची प्रस्तुत है।

तालिका 3.8 : मुख्य फसलों के उत्पादन/ उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण

फसल	श्रेणियां	2017-18	
		उत्पादन	उत्पादकता
चावल	विकसित जिले	रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर	भोजपुर, रोहतास, अरवल
	अल्पविकसित जिले	बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर	मधुबनी, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर
गेहूं	विकसित जिले	रोहतास, पूर्व चंपारण, बक्सर	पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा
	अल्पविकसित जिले	मुंगेर, किशनगंज, अरवल	पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज
मक्का	विकसित जिले	कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया	कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर
	अल्पविकसित जिले	औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास	लखीसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा
दलहन	विकसित जिले	पटना, औरंगाबाद, नालंदा	सारण, वैशाली, पटना
	अल्पविकसित जिले	मुंगेर, शिवहर, गोपालगंज	समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार के आंकड़ों के आधार पर संकलित

चावल का क्षेत्रफल और उत्पादन

चावल के उत्पादन और उत्पादकता के 2016-17 और 2017-18 के जिलावार आंकड़े तालिका प 3.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत किए गए हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़ों के साथ कुल क्षेत्रफल और उत्पादन में हर जिले का हिस्सा भी कोष्ठकों में दिया गया है। हर जिले की उत्पादकता की रैंकिंग भी प्रस्तुत की गई है। चावल की उत्पादकता भोजपुर, रोहतास और अरवल जिलों में अपेक्षाकृत अधिक है। 0.97 लाख हे. जमीन पर की गई खेती में चावल की 4,054 किग्रा प्रति हे. की सर्वोच्च उत्पादकता भोजपुर जिले में दर्ज की

गई जबकि 1,327 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता मुजफ्फरपुर जिले में देखी गई जहां 1.23 लाख हे. में इसकी खेती की गई थी। उत्पादन के स्तर पर विचार करने पर अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर हैं जिनका राज्य के कुल चावल उत्पादन में 22 प्रतिशत हिस्सा है।

गेहूं का क्षेत्रफल और उत्पादन

गेहूं की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के 2016-17 और 2017-18 के जिलावार आंकड़े तालिका प 3.4 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत किए गए हैं। उत्पादन के लिहाज से तीन अग्रणी जिले रोहतास, पूर्व चंपारण और बक्सर हैं जिनका बिहार के कुल गेहूं उत्पादन में 16.9 प्रतिशत संयुक्त हिस्सा है। वहीं कम उत्पादन वाले जिले मुंगेर, किशनगंज और अरवल हैं। उत्पादकता के मामले में अग्रणी जिले पटना, समस्तीपुर और मधेपुरा हैं जबकि कम उत्पादकता वाले जिले पश्चिम चंपारण, मधुबनी और किशनगंज हैं। गेहूं की सर्वोच्च 3,618 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता पटना जिले में दर्ज की गई और 1,862 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता किशनगंज जिले में।

मक्का का क्षेत्रफल और उत्पादन

मक्का की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के 2016-17 और 2017-18 के जिलावार आंकड़े तालिका प 3.5 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में उत्पादकता के मामले में विचार करने पर अग्रणी जिले कटिहार, पूर्णिया और समस्तीपुर हैं जबकि कम उत्पादकता वाले जिले लखीसराय, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा हैं। मक्के की सर्वोच्च 9,002 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता कटिहार जिले में दर्ज की गई जहां मक्के की 0.65 लाख हे. में खेती हुई। वहीं 1,4974 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता शेखपुरा जिले में दर्ज हुई। उत्पादन के लिहाज से तीन अग्रणी जिले कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया हैं।

दलहन का क्षेत्रफल और उत्पादन

दलहनों की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े तालिका प 3.6 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य में दलहन के उत्पादन में तीन अग्रणी योगदाता जिले पटना, औरंगाबाद और नालंदा हैं जिनका बिहार के कुल दलहन उत्पादन में 21.7 प्रतिशत संयुक्त हिस्सा है। सर्वोच्च 1,960 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता सारण जिले में दर्ज की गई और 475 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता पूर्णिया जिले में। वर्ष 2017-18 में दलहनों का सर्वोच्च क्षेत्रफल (0.47 लाख हे.) और सर्वोच्च उत्पादन (0.70 लाख टन) पटना जिले में दर्ज किया गया। फसलों की पोषक प्रजातियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकीय सहायता के साथ बीजों का उत्पादन और वितरण शुरू किया है। विशेष दलहन उत्पादन कार्यक्रम, कटनी-दौनी के बाद होने वाले नुकसान में कमी के लिए मशीन से छंटाई और दलाई आदि कुछ अन्य योजनाएं हैं जिनका लक्ष्य राज्य में दलहन उत्पादन में सहायता देना है।

ईख का उत्पादन और क्षेत्रफल

बिहार देश का एक प्रमुख ईख उत्पादक राज्य है। यहां लगभग 3 लाख हे. जमीन पर ईख की खेती की जाती है। महत्वपूर्ण नगदी फसल के रूप में यह कुशल और अर्धकुशल, दोनो तरह के मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराता है। यह बिहार के एक प्रमुख कृषि-प्रसंस्करण उद्योग को भी सहायता देता है जो चीनी उद्योग की लागत सामग्री है। अच्छी जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों से ईख का उत्पादन और उपज बढ़ाने की गुंजाइश बनती है। बिहार में 2013-14 से 2017-18 तक ईख के उत्पादन और उत्पादकता संबंधी प्रदर्शन का

ब्योरा क्रमशः तालिका 3.6 और 3.7 में प्रस्तुत है। वर्ष 2017-18 में 176.10 लाख टन ईख का उत्पादन हुआ और ईख की उत्पादकता 65.48 टन प्रति हे. थी।

ईख की खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार आंकड़े तालिका प 3.7 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। राज्य के कुल ईख उत्पादन के 55 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन पश्चिम चंपारण जिले में हुआ जहां 145.33 लाख हे. जमीन पर ईख की खेती की गई थी जो राज्य में ईख की खेती के कुल क्षेत्रफल का 54.0 प्रतिशत है। पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण और गोपालगंज जिलों का बिहार के कुल ईख उत्पादन और ईख की खेती के कुल क्षेत्रफल में संयुक्त रूप से क्रमशः 78.1 प्रतिशत 76.3 प्रतिशत और हिस्सा है। ईख की सर्वाधिक 92.14 टन प्रति हे. उत्पादकता पटना जिले में दर्ज की गई और सबसे कम 48.83 टन प्रति हे. बक्सर जिले में ईख की खेती के लिए काफी पानी की जरूरत होती है और कीड़ों के प्रकोप से बचे रहने के लिए पर्याप्त उर्वरक भी देना जरूरी होता है। जल जमाव, पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग और वर्षा पर निर्भरता की स्थिति में पानी के उपयोग की कम कुशलता की समस्याएं राज्य में ईख की उत्पादकता को सीमित कर देती हैं।

ईख उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण उपलब्ध कराने के अलावा, उन्हें अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए प्रमाणित ईख बीजों की खरीद के लिए 160 रु. प्रति क्विंटल (अजा/ अजजा के लिए 200 रु. प्रति क्विंटल) सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिहाज से मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना शुरू की गई थी। प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के तहत ईख उत्पादकों को सब्सिडीशुदा दरों पर प्रमाणित/ निर्बंधित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके लिए लाभार्थियों का चुनाव पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है। प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचारों के बारे में किसानों की जानकारी बढ़ाने के लिए ईख की खेती की नई विधियों से संबंधित अनेक जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

बागवानी

फलों और सब्जियों वाला बागवानी क्षेत्र बिहार में कृषि विकास का प्रमुख वाहक रहा है। मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियों के मामले में लचीलापन को देखते हुए इस क्षेत्र का महत्व हाल के वर्षों में, खास कर छोटे किसानों के लिए बढ़ता गया है। पोषण संबंधी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण उनकी स्थानीय मांग भी बढ़ी है। श्रम-प्रधान क्षेत्र होने के नाते ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी से प्रचुर रोजगार और आमदनी के मौके मिलते हैं। जल्दी बर्बाद होने वाले और मौसमी होने के कारण बागवानी वाली फसलों के लिए भंडारण और प्रसंस्करण की आधुनिक विधियों में अधिक निवेश जरूरी होता है ताकि उनके पोषण मूल्य को बचाए रखा जा सके। अनुकूल कृषि-जलवायु स्थितियां, मिट्टी की स्थलाकृति, जल संसाधन, नई प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण रोपन सामग्री और सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकों के कारण बिहार में फलों और सब्जियों सहित विभिन्न प्रकार की खाद्य उत्पादों का उत्पादन संभव हो पाता है।

फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन

बिहार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि दिखी है। बिहार की गंगा की जलोढ़ मिट्टी उर्वर है और कम खर्च पर सब्जियों के उत्पादन में मददगार है। फलों में बिहार की शाही लीची और मालदह आम अपने स्वाद और सुगंध के लिए देश भर में मशहूर है। देश में लीची के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा अकेले बिहार में उपजता है। 'लीची सुरक्षा अभियान' कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार द्वारा लीची का उत्पादन, गुणवत्ता और भंडारण अवधि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

तालिका 3.9 में 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के लिए 9 प्रमुख फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के रुझान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017-18 में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 3.09 लाख हे. और कुल उत्पादन 42.29 लाख टन था। वर्ष 2017-18 में बिहार में प्रमुख फलों के उत्पादन का स्तर इस प्रकार था - आम 14.81 लाख टन, अमरुद 3.74 लाख टन, लीची 2.34 लाख टन, केला 15.51 लाख टन, अन्नानास 1.17 लाख टन, पपीता 0.44 लाख टन, आंवला 0.28 लाख टन, तरबूज 0.30 लाख टन और खरबूजा 0.13 लाख टन। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के बीच उत्पादन की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर आंवला के मामले में देखी गई जबकि पपीता के मामले में यह वृद्धि नकारात्मक थी। फलों के बीच आम की खेती सबसे अधिक जमीन पर होती दिखी जिसका 2017-18 में फलों की खेती वाली जमीन में 49.4 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, कुल फलों के उत्पादन में सर्वाधिक 36.7 प्रतिशत हिस्सा केला का था। स्पष्ट है कि बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान पपीता को छोड़कर सभी फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हालांकि कुल क्षेत्रफल में लीची का हिस्सा लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रहा लेकिन उसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उच्च सघनता वाले फलोद्यान लगाने के राज्य सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप किसानों को आम, लीची और अमरुद का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

तालिका 3.9 : बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

वर्ष	2015-16		2016-17		2017-18		वार्षिक चक्रवृद्धि दर
क्षेत्रफल/ उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादन
आम	149.14	1464.93	149.96	1472.38	152.64	1480.58	0.53
अमरुद	29.34	370	29.38	370.37	30.63	373.70	0.50
लीची	32.1	198.0	32.2	198.6	32.50	234.20	8.76
केला	34.8	1535.3	35.1	1527.8	35.15	1550.65	0.50
अनारस	4.3	116.3	4.3	116.6	4.34	117.46	0.50
पपीता	1.6	53.4	1.6	43.9	1.98	44.04	-9.22
आंवला	1.5	13.5	0.9	14.2	1.68	27.61	43.01
तरबूज	1.4	29.7	1.4	29.7	1.41	30.00	0.50
खरबूजा	1.7	12.9	1.7	12.9	1.72	13.03	0.50
अन्य	32.4	310.9	32.4	311.0	47.19	357.63	7.25
योग	288.3	4105.0	288.9	4097.5	309.24	4228.90	1.50

स्रोत : बागवानी विभाग, बिहार सरकार

सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन

अनेक प्रकार की कृषि-जलवायु और मिट्टी संबंधी स्थितियों के कारण राज्य में सब्जियों का उत्पादन स्तर अत्यंत उत्साहवर्धक है। स्थानीय बाजार की मांगें पूरी करने के साथ-साथ बिहार की सब्जियां पूरे देश में जाती हैं। राज्य में बागवानी उत्पादों के उत्पादन में सब्जियों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है। सब्जियों की अत्यंत लचीली मांग के कारण बिहार में उनके उत्पादन की संभावना बढ़ी है क्योंकि छोटी जोतों में पारिवारिक श्रम करके उनका उत्पादन करना उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

तालिका 3.10 में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में बिहार में होने वाली महत्वपूर्ण सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। इस अवधि में सब्जियों का कुल उत्पादन 2015-16 के 142.42 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 148.12 लाख टन हो गया। वर्ष 2017-18 में सब्जियों का कुल उत्पादन इस प्रकार था : आलू 63.78 लाख टन, बैंगन 12.92 लाख टन, प्याज 12.60 लाख टन, गोभी 11.94 लाख टन, टमाटर 10.11 लाख टन, भिंडी 8.54 लाख टन, पत्तागोभी 7.79 लाख टन, और मूली 2.49 लाख टन। पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक 9.0 प्रतिशत वृद्धि गोभी के मामले में दर्ज की गई है जबकि करेला के मामले में सबसे कम 0.15 प्रतिशत वृद्धि दिखी। वर्ष 2017-18 में मिर्च को छोड़कर सारी सब्जियों का उत्पादन गत वर्ष से बढ़ा। आंकड़ों से 2015-16 से 2017-18 के बीच प्याज, टमाटर, गोभी, बैंगन और पत्तागोभी आदि प्रमुख सब्जियों का उत्पादन काफी बढ़ने का पता चलता है।

तालिका 3.10 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	आलू	प्याज	टमाटर	गोभी	पत्तागोभी	बैंगन
2015-16	क्षेत्रफल	319.13	54.03	45.81	65.71	40.52	57.62
	उत्पादन	6345.52	1247.34	1001.01	1003.9	719.81	1138.05
2016-17	क्षेत्रफल	320.48	54.06	46.21	66.11	41.18	57.88
	उत्पादन	6377.71	1248.96	1009.6	1003.74	725.9	1141.2
2017-18	क्षेत्रफल	320.48	54.57	46.26	66.36	40.92	58.2
	उत्पादन	6377.71	1259.81	1011.02	1193.74	778.55	1291.54
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	0.25	0.5	0.5	9.05	4	6.53
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	भिंडी	मिर्च	लौकी	खीरा/ ककड़ी	पटल	करेला
2015-16	क्षेत्रफल	57.9	44.8	40.3	3.6	6.6	9.7
	उत्पादन	763	418.3	631.6	67	69.6	67.3
2016-17	क्षेत्रफल	58	45.24	40.35	3.6	6.83	9.71
	उत्पादन	765.95	476.84	634.73	67	72.13	67.32
2017-18	क्षेत्रफल	59.23	45.25	40.7	3.64	6.83	9.72
	उत्पादन	854.28	422.48	637.92	67.67	73.3	67.5
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	5.81	0.5	0.5	0.5	2.62	0.15
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	मटर	मूली	गाजर	शक्करकंद	अन्य	योग
2015-16	क्षेत्रफल	10.4	24.3	9.1	0.9	29	819.41
	उत्पादन	65.7	246.5	53.4	8.4	395.4	14241.82
2016-17	क्षेत्रफल	10.54	24.35	9.15	0.9	29.18	823.75
	उत्पादन	64.24	246.99	53.73	8.4	397.79	14362.22
2017-18	क्षेत्रफल	10.55	24.55	9.19	0.91	29.5	826.86
	उत्पादन	66.56	248.97	53.93	8.48	398.59	14812.05
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	0.65	0.5	0.5	0.48	0.4	1.98

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गणना 3 वर्षों (2015-16 से 2017-18) के लिए की गई है।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

प्रौद्योगिकी संबंधी विकासों के कारण राज्य में बागवानी उत्पादों का विविधीकरण हो रहा है। बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने बागवानी उत्पादों की कटाई-तुड़ाई के बाद उनके प्रबंधन में वृद्धि के लिए अनेक पहलकदमियों की शुरुआत की है। कृषि रोडमैप-3 (2017-22) में फलों और सब्जियों की जैविक खेती पर जोर दिया गया है। उत्पादों के कटाई-तुड़ाई के बाद प्रबंधन के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 23 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शेष 15 जिलों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अपना लक्ष्य बना रहा है। गुणवत्तापूर्ण रोपन सामग्री की उपलब्धता, (सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय में), टिस्सू कल्चर प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और समेकित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है। किफायती भंडारण इकाइयों का निर्माण, विपणन हेतु शीत शृंखला का विकास, और पॉली हाउस या शेडनेट हाउस में खेती जैसी अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म-सिंचाई योजनाओं के जरिए जलापूर्ति के कारण भी बागवानी उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ी है। सिंचाई के इस तरीके से पारंपरित तरीकों के मुकाबले पानी की 60 प्रतिशत बचत होती है।

3.6 कृषि लागत सामग्रियां

बिहार की कृषि की दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून पर निर्भरता और बाजारोन्मुख खेती पर बढ़ते जोर को देखते हुए लागत सामग्रियों की समय से उपलब्धता उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टिकाऊ खेती के लिहाज से चावल-गेहूं जैसी मुख्य फसलों की ही नहीं, दलहन, तिलहन, ईख, फल और सब्जियों की भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कृषि लागात सामग्रियां जरूरी हैं। इस खंड में बिहार में कृषि के लिए प्रमुख लागत सामग्रियों - बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, कृषि ऋण और प्रसार (एक्सटेंशन) सेवाओं - पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

बीज

बीज फसल उत्पादन के लिए बीज सबसे जरूरी है और गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा हासिल करने के लिए अत्यंत जरूरी है। हरित क्रांति के जरिए सक्षमित आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभों के कारण बिहार की कृषि में उच्च उपज और संसाधनों का उपयोग बढ़ाने में मदद मिली है। साथ ही, कृषि रोडमैप-3 में भी रेखांकित किया गया है कि बीजों के समुचित प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सहकारी समितियों के जरिए अधिसंरचना निर्माण में प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचारों और जलवायु के लिहाज से लचीले बीजों के उत्पादन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है।

तालिका 3.11 में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में मुख्य अनाजों, दलहनों और तिलहनों की बीज प्रतिस्थापन दरें प्रस्तुत हैं। धान की बीज प्रतिस्थापन दर 2015-16 के 39.13 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में बढ़कर 40.74 प्रतिशत हो गई। बीज प्रतिस्थापन दर सबसे अधिक रबी मक्का के मामले में रही है जिसका 2015-16 से 2017-18 तक का औसत 84.4 प्रतिशत है। चावल और मक्का जैसी फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दरें कृषि रोडमैप-3 के अनुसार निधारित चावल के लिए 42 प्रतिशत और मक्का के लिए 86 प्रतिशत के लक्ष्य के समीप पहुंच गई हैं। गेहूं के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2017-18 में 17.84 प्रतिशत थी जो अभी भी 31 प्रतिशत की लक्षित दर तक नहीं पहुंची है। चना और मटर जैसी रबी फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरें

2015-16 और 2017-18 के बीच बढ़ी हैं। हालांकि दलहन और तिलहन जैसी अन्य फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरें प्रमाणित बीजों की उपलब्धता संबंधी चुनौतियों के कारण लक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस संबंध में राज्य में गुणवत्तापूर्ण बीजों की मांग पूरी करने के लिए बीज संबंधी अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं।

बिहार राज्य बीज निगम की राज्य में बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण और कृषि-क्लीनिकों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने के साथ-साथ किसानों के लिए धान, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन और वितरण के लिए भी खास योजनाएं हैं। इस पहल से गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर आपूर्ति में ही मदद नहीं मिलेगी, निजी बीज कंपनियों पर निर्भरता भी घटेगी। इन सबके अलावा, राज्य सरकार बीजों के वितरण और विपणन नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण संबंधी सहायता उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2017-18 में खरीफ मौसम के लिए 30.96 हजार क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य था लेकिन वास्तव में बीज बहुगुणन उसका 70 प्रतिशत (21.82 हजार क्विंटल) ही हो सका। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना और समेकित बीज ग्राम कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाएं राज्य में शुरू की गई हैं ताकि राज्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। इसका राज्य में बीज प्रतिस्थापन दरों पर काफी असर पड़ा है।

तालिका 3.11 : प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें

(आवश्यकता और आपूर्ति हजार क्विंटल में/ बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

फसलें	2015-16			2016-17			2017-18		
	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर
खरीफ फसलें									
धान	409.38	273.96	39.13	431.25	317.54	42.88	428.4	319.08	40.74
मक्का	90	9.05	10.45	90	11.96	13.82	81.7	13.05	15.97
ऊड़द	1.73	1.46	27	1.78	-	-	-	-	-
अरहर	7.84	1.5	15.01	6.02	1.05	8.72	3.24	1.56	11.55
मूंग	1.6	0.45	19.18	1.65	0.32	13.5	0.9	-	-
रबी फसलें									
गेहूं	912	616.39	27.12	930	465.16	20.3	720.75	390.13	17.84
मक्का	90	70.65	80.66	112.5	108.78	87.02	73.1	72.68	85.51
चना	29.44	6.58	8.32	30.36	2.99	3.58	16.56	5.83	9.8
मटर	8.96	1.18	2.7	9.24	0.2	0.76	5.04	0.95	5.13
मसूर	27.52	1.07	1.25	28.38	6.24	7.33	15.48	5.14	9.17
राई/ सरसों	3.59	2.28	36.33	8.21	4.44	58.65	2.57	1.67	31.56

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

उर्वरक

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सबसे पहले हरित क्रांति के दौरान हुआ था जो अभी भी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लागत सामग्री बने हुए हैं। हरित क्रांति की इस बीज-उर्वरक वाली प्रौद्योगिकी के लिए कृषि में उच्च उत्पादकता हासिल करने के लिहाज से रासायनिक उर्वरकों और बीजों के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सब्सिडीशुदा दर पर उपलब्ध कराना जरूरी था। निस्संदेह, बीजों, पोषक तत्वों, कृषि यंत्रों, ऋण और पानी की समय से उपलब्धता कृषि में उत्पादन वृद्धि को प्रभावित करने वाले परस्पर सहयोगी कारक हैं। फसलों को पोषण उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उचित मात्रा में उपयोग करने की जरूरत है।

तालिका 3.12 : बिहार में उर्वरकों के उपयोग के रुझान

(हजार टन)

उर्वरक का प्रकार	2015-16			2016-17			2017-18		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
यूरिया	954.2	1403.9	2358.1	882.7	1094.8	1977.5	885.6	1154.0	2039.6
डाइ अमोनियम फास्फेट	186.4	356.4	542.8	148.7	383.1	531.8	250.5	431.8	682.3
सिंगल सुपर फास्फेट	47.6	26.2	73.7	33.3	33.1	66.4	41.1	30.9	72.0
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	48.3	105.5	153.7	50.6	179.2	229.8	81.6	163.2	244.9
अमोनियम सल्फेट	2.6	15.8	18.4	6.0	13.4	19.4	7.5	25.3	32.8
मिश्रित	150.3	201.6	351.8	53.4	187.2	240.6	58.1	204.0	262.2
उप-योग	1389.2	2109.3	3498.5	1174.7	1890.8	3065.5	1324.4	2009.3	3333.7
नाइट्रोजन	499.8	749.9	1249.8	444.0	609.2	1053.2	464.2	649.0	1113.2
फासफोरस	128.1	212.8	340.9	85.2	223.6	308.8	134.9	251.4	386.2
पोटाश	35.4	70.7	106.2	31.8	115.0	146.7	52.2	109.6	161.8
योग (एनपीके)	663.4	1033.4	1696.8	561.0	947.8	1508.8	651.2	1010.0	1661.2
कुल योग	**2052.6**	**3142.7**	**5195.3**	**1735.7**	**2838.6**	**4574.3**	**1975.6**	**3019.2**	**4994.9**
उर्वरकों की खपत (किग्रा प्रति हे.)	160.4	240.2	201.1	137.0	205.3	173.2	153.6	217.5	187.0

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

रासायनिक उर्वरकों को उनके पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिनमें नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस शामिल हैं। बिहार में 2015-16 से 2017-18 तक विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपभोग के रुझान तालिका 3.12 में प्रस्तुत हैं। इन वर्षों में नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस के अनुपात बिहार में 7:2:1 पर अपरिवर्तित रहे हैं जो राज्य में उर्वरकों के पोषकों के संतुलित उपयोग को दर्शाते हैं। वर्ष 2017-18 में बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 49.95 लाख टन थी जो 2015-16 के 51.95 लाख से थोड़ा कम थी। वर्ष 2017-18 में बिहार में उर्वरकों की कुल खपत में यूरिया की खपत का 40.8 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि बिहार में उर्वरकों की लगभग 60 प्रतिशत खपत रबी मौसम के दौरान होती है। बिहार में रबी

मौसम के दौरान उर्वरकों की खपत 217.5 किग्रा प्रति हे. थी जो खरीफ में प्रयुक्त 153.6 किग्रा प्रति हे. से काफी अधिक है। तीनो कृषि मौसमों में अलग-अलग फसलों के लिए पोषक तत्वों की अलग-अलग मात्रा में जरूरत होती है जो सभी प्रकार की फसलों के लिए उर्वरकों की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत जतलाती है। राज्य सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि छोटे किसानों को भी उर्वरक समय से उपलब्ध हो जाएं ताकि वे भरपूर पोषण वाली फसलें उपजा सकें क्योंकि लागत व्यय बढ़ने से उनकी सक्षमता के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी।

उर्वरकों के उपयोग के रुझानों के 2016-17 और 2017-18 के लिए जिलावार ब्योरा तालिका प 3.8 और तालिका प 3.9 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। बिहार के उत्तरी और दक्षिणी जिलों के बीच उर्वरकों की खपत के मामले में काफी अंतर है। वर्ष 2017-18 में कुल उर्वरकों के लगभग 65.7 प्रतिशत हिस्से का उपयोग उत्तर बिहार में किया गया। सर्वाधिक 2.87 लाख टन उर्वरकों की खपत मधेपुरा में हुई और सबसे कम 0.19 लाख टन शिवहर में। उर्वरकों के उपयोग से पानी की कुशलता और उत्पादकता काफी बढ़ती है, तब भी फसलों के प्रकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का संतुलित उपयोग उच्च कृषि उत्पादन की कुंजी है। सब्सिडी के प्रावधानों का विस्तार भी नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस से आगे जाकर फसलों की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग की दिशा में हो रहा है।

जैविक कृषि

उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को महसूस करते हुए राज्य सरकार अब जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों को बरकरार रखने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से मुक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मदद मिलेगी। राज्य सरकार रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को केंचुआ खाद और जैव-उर्वरक उपलब्ध करा रही है। जैविक कॉरीडोर की स्थापना कृषि रोडमैप-3 का हिस्सा है और 2017-22 की अवधि में लगभग 25,000 एकड़ जमीन को उसके तहत लाने की बात सोची गई है जिसके लिए 255.00 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित है। इस मकसद से किसानों को चुनिंदा अभिकरणों से जैविक लागत सामग्रियां खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया और मुंगेर जिलों में गंगा नदी के किनारे के गांवों के किसानों को चिन्हित किया गया है। जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन अभिकरण के बतौर कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) को जिम्मेवारी दी गई है। बिहार राज्य बीज एवं जैव प्रमाणन अभिकरण (BSSOCA) जैविक उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया में संलग्न है और जैविक खेती करने वाले किसानों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है।

कृषि यंत्र

बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण बिहार में संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए कृषि कार्यों के यंत्रीकरण की जरूरत पैदा हुई। हालांकि विकास संबंधी साहित्य में छोटी जोतों में यंत्रीकरण होना चाहिए या नहीं इस पर विवाद है, लेकिन कार्यों को समय पर पूरा करने, लागत सामग्रियों की उच्च कुशलता, कम लागत और उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता बिहार में कृषि कार्यों के यंत्रीकरण की जरूरत को

स्थापित करते हैं। साथ ही, मजदूरों के बाहर जाने के कारण सस्ते मजदूरों की उपलब्धता में काफी कमी होने से भी कृषि कार्यों में मशीनों के उपयोग को काफी बल मिला।

बिहार में राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं के जरिए खरीदे गए कृषि यंत्रों की संख्या तालिका 3.13 में दर्शाई गई है। बिहार में खरीदे गए कृषि उपकरणों की संख्या के मामले में मिलाजुला रुझान रहा है। वर्ष 2015-16 में बिहार में सब्सिडी का उपयोग करके 4,617 ट्रैक्टर खरीदे गए लेकिन उसके बाद योजना ने किसी किसान को आकर्षित नहीं किया। कंबाइन हार्वेस्टरों की संख्या 2015-16 के 177 से बढ़कर 2017-18 में 249 हो गई। तालिका के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि सब्सिडी योजना के जरिए जीरो टिलेज, पंपसेट, पावर टिलर और शारीरिक शक्ति से चलने वाले उपकरणों की खरीद में 2015-16 से 2017-18 के बीच थोड़ी गिरावट आई। हालांकि सब्सिडी वाले थ्रसरों की संख्या 2015-16 के 2,460 से बढ़कर 4,722 हो गई। जिसका अर्थ सिर्फ दो वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक वृद्धि है। इस प्रकार कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने से बिहार में कृषि यंत्रीकरण को काफी बढ़ावा मिला है हालांकि हाल के वर्षों में इसके रुझान में नियमितता नहीं रही है।

तालिका 3.13 : सब्सिडी के जरिए खरीदे गए कृषि यंत्रों की संख्या

कृषि यंत्र	2015-16	2016-17	2017-18
ट्रैक्टर	4617	शून्य	शून्य
कंबाइन हार्वेस्टर	177	182	249
जीरो टिलेज	1537	1269	1087
पंपसेट	5787	6725	3797
पावर टिलर	1636	1402	926
शारीरिक शक्तिचालित यंत्र/ उपकरण	46590	23908	13635
थ्रसर	2460	4044	4722
योग	**62804**	**37530**	**24416**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

कृषि उपकरणों के लिए 2016-17 और 2017-18 में कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी के जिलावार वितरण के आंकड़े तालिका प 3.10 और तालिका प 3.11 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक संख्या में कंबाइन हार्वेस्टर रोहतास जिले में (29.3 प्रतिशत) और जीरो टिलेज मशीनें कैमूर जिले में (34.0 प्रतिशत) प्राप्त की गईं। वर्ष 2017-18 में राज्य में सब्सिडी का उपयोग करके खरीदे गए पंपसेट में सबसे अधिक हिस्सा भोजपुर जिले का था।

राज्य सरकार ने किसानों को सब्सिडीशुदा कीमत पर गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्रों की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए विभिन्न जिलों में वार्षिक कृषि यंत्रीकरण मेले लगाना जारी रखा है। छोटे और सीमांत किसानों को मशीन उपलब्ध कराने का मकसद 50 प्रतिशत तक सब्सिडी पर मशीनों के पैकेज देने के जरिए हासिल किया जा रहा

है। जीविका, कृषक हितरक्षा समूहों, सहकारी समितियों और अन्य ग्राम संगठनों के साथ मिलकर राज्य सरकार 'पहले संपर्क पहले सेवा' के आधार पर कस्टम किराया केंद्र स्थापित करने में सहयोग देती है। कटनी-दौनी के बाद होने वाले नुकसानों में कमी, खास कर अनाजों और दलहनों के लिए मिलों को कृषि उपकरणों के लिए विशेष सहायता दी जा रही है जिससे कृषि उत्पादों का बेहतर प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा।

कृषि ऋण

कृषि ऋण उत्पादक कृषि कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ने के अलावा संस्थागत ऋणों से किसानों को पूंजीगत परिसंपत्तियों में निवेश करने, उत्पादन की अनिश्चितताओं के दौरान जोखिमों में कमी लाने और नई प्रौद्योगिकियां अपनाने की ताकत मिलती है। बैंकों और सहकारी समितियों जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण पाने के बाद किसानों के लिए स्थानीय महाजनों से महंगा कर्ज लेने की निर्भरता भी घटती है। कृषि ऋण से किसानों को कार्यशील पूंजी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकासमूलक गतिविधियां तेज करने में भी मदद मिलती है।

विभिन्न संस्थागत स्रोतों द्वारा, जिनमें व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैक और केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं, 2013-14 से 2017-18 तक दिए गए कृषि ऋण के स्रोत-वार विवरण तालिका 10.18 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2013-14 में कृषि ऋण के लिए समग्र उपलब्धि का स्तर लगभग 95 प्रतिशत था। यह स्तर 2015-16 में बढ़कर 97.3 प्रतिशत हो गया लेकिन 2017-18 में घटकर 86.0 प्रतिशत रह गया। ऋण का सकल प्रवाह 2013-14 में 28,770 करोड़ रु. था जो 2017-18 में बढ़कर 42,161 करोड़ रु. हो गया। हालांकि लागत सामग्रियों की बढ़ती कीमत और किसानों द्वारा आधुनिक लागत सामग्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए कृषि ऋण का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है। वर्ष 2017-18 में कृषि ऋण में तीन अलग-अलग स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार था - व्यावसायिक बैंक 58.7 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 35.3 प्रतिशत और केंद्रीय सहकारी बैंक 6.0 प्रतिशत। इस प्रकार व्यावसायिक बैंकों ने बिहार में पिछले पांच वर्षों में कृषि ऋण की बढ़ती मांग की सबसे अधिक पूर्ति की है।

सहकारी बैंकों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की जिलावार स्थिति तालिका प 3.12 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2017-18 में सहकारी ऋण की आपूर्ति के लक्ष्य पटना, नवादा, मधुबनी, नालंदा, भोजपुर और गोपालगंज में अपेक्षाकृत अधिक थे। वहीं खगड़िया, बेगूसराय, पूर्व चंपारण और समस्तीपुर में उपलब्धियां लक्ष्य के समीप या उससे अधिक थीं। लेकिन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, शेखपुरा, लखीसराय, दरभंगा और जमुई जैसे जिलों में सहकारी ऋण संबंधी कार्य शून्य या नगण्य हैं।

किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण राज्य में कृषि के वित्तपोषण को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया रहा है। लगभग दो दशक पहले शुरू हुई यह इस योजना से किसान अपनी लागत सामग्रियों से संबंधित खर्च पूरे करने के लिए बैंकों से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 50,000 रु. तक ऋण ले सकते हैं। वर्ष 2017-18 में राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में हासिल हुई उपलब्धि लक्ष्य का लगभग 35.5 प्रतिशत थी।

प्रसार सेवाएं

कृषि में प्रसार सेवाओं की व्यापक गुंजाइश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करने और अपनाने के लिए ही नहीं, भागीदारीमूलक दृष्टिकोण के जरिए किसानों की क्षमतावृद्धि के लिए भी है। कृषि में तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में प्रसार सेवाओं को सरकार से काफी प्रोत्साहन मिला है। वित्तवर्ष 2017-18 में फसल संगोष्ठियां, कृषि मेले, और कृषि पर जन माध्यमों के कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किसानों और प्रसारकर्मियों के बीच संपर्क-संवाद भरपूर बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। राज्य सरकार ने राज्य के मछली पालकों को सलाह संबंधी सेवाएं देकर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन प्रसार सेवा अधिकारी (एफईएसओ) की नियुक्ति शुरू की है। इसके अलावा, राज्य सरकार की वार्षिक कृषि रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में सब्जियों की जैविक खेती के लिए लगभग 13,000 किसानों का प्रत्यक्ष लाभांतरण के पोर्टल के जरिए आधार सत्यापन के साथ निबंधन किया गया है। प्रखंड स्तर पर विषयवस्तु विशेषज्ञों और किसान सलाहकारों की नियुक्ति, किसान पाठशालाओं के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा किसान विकास शिविरों और किसान चौपालों के आयोजन से जानकारी देने का काम बढ़ा है। युवाओं का कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सपोजर विजिट, कृषक प्रशिक्षण और खास-खास फसलों से संबंधित निदर्शन गतिविधियों जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चौबीसो घंटे सेवाएं उपलब्ध कराने वाले किसान कॉल सेंटरों की अवधारणा का लक्ष्य किसानों की खास-खास फसलों से संबंधित चिंताओं को दूर करना है।

3.7 पशुपालन, मछली पालन और दुग्ध उत्पादन

पशुधन विकास बिहार की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका का पूरक स्रोत उपलब्ध कराता है। इसके सहवर्ती क्षेत्र लाभप्रद रोजगार का अवसर ही नहीं उपलब्ध कराते हैं, फसल नहीं होने की स्थिति में, खास कर छोटे किसानों के लिए जोखिम में कमी भी लाते हैं। साथ ही, लोगों की पोषण संबंधी बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिए यह क्षेत्र प्रोटीन अन्य मुख्य पोषक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। वर्ष 2017-18 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्र का 5.30 प्रतिशत और मत्स्य क्षेत्र का 1.53 प्रतिशत योगदान था। अधिकांशत: वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसल उत्पादन में अनिश्चितता को देखते हुए पशुधन क्षेत्र का विकास ग्रामीण परिवारों के लिए आपदा घटाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, गरीब परिवारों की भागीदारी इस क्षेत्र में काफी अधिक है इसलिए पशुधन क्षेत्र के विकास से विकास प्रक्रिया अधिक समावेशी हो जाती है।

पशु संपदा

तालिका 3.14 में पशु गणना की पिछली तीन रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न प्रजाति के पशुओं की संख्या प्रस्तुत की है। पशुगणना 2012 के अनुसार, बिहार में पशुओं की कुल संख्या 2003 के 269.57 लाख से 22 प्रतिशत बढ़कर 2012 में 329.39 लाख हो गई। वर्ष 2012 में कुल पशुधन में दुधारू पशुओं का 60.1 प्रतिशत हिस्सा था जिसमें 122.32 लाख गायें और 75.67 लाख भैंसें थीं। गरीबों की गाय मानी जाने वाली बकरियों की आबादी भी 2003 के 96.06 लाख से बढ़कर 121.54 लाख हो गई थी। दूसरी ओर मुर्गियों की संख्या में थोड़ी कमी आई थी जो 2003 के 139.68 लाख से घटकर 127.48 लाख रह गई थी।

तालिका 3.14 : पशु संपदा (2003, 2007 और 2012)

(आंकड़े हजार में)

पशुधन और पॉल्ट्री	2003	2007	2012
गाय-बैल	10470	12408	12232
3 वर्ष से अधिक के नर	3020	2737	1915
3 वर्ष से अधिक की मादाएं	3643	4919	5982
बछड़े-बछड़ियां	3807	4752	4334
भैंस-भैंसा	5766	6690	7567
3 वर्ष से अधिक के नर	274	329	300
3 वर्ष से अधिक की मादाएं	2901	3546	4017
बछड़े-बछड़ियां	2590	2815	3250
भेड़	346	218	232
बकरा-बकरी	9606	10167	12154
सूअर	627	632	650
घोड़ा-घोड़ी	115	51	49
अन्य	0	0	55
कुल पशुधन	26957	30167	32939
कुल पॉल्ट्री पक्षी	13968	11420	12748

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन में गाय-बैलों की संख्या सर्वाधिक 37.1 प्रतिशत थी और उनके बाद बकरियों की 36.9 प्रतिशत और भैंसों की 23.0 प्रतिशत। वर्ष 2007 से 2012 के बीच भैंसों की संख्या में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि भैंस पालने की अधिक पसंद को स्पष्ट सूचित करती है। इसका कारण बिहार की जलवायु भैंसों के अधिक अनुकूल होना और उनकी अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होना हो सकता है। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि बिहार पशुधन और पक्षी संपदा के मामले में संपन्न है।

वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार पशु संपदा में जिलावार भिन्नता के आंकड़े तालिका प 3.13 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। पशुधन की कुल संख्या के लिहाज से विभिन्न जिलों के बीच भारी अंतर है। राज्य के उत्तर-पूर्वी भाग में बकरियों और मुर्गियों-बत्तखों का उच्च संकेंद्रण है जहां की जलवायु इन पशु-पक्षियों के पालन के लिहाज से अपेक्षाकृत अनुकूल है। वहीं गायों-भैसों की संख्या के मामले में सर्वाधिक हिस्से वाले जिले गायों के मामले में अररिया, गया, कटिहार, बांका और मधुबनी तथा भैंसों के मामले में मधेपुरा, मधुबनी, पूर्व चंपारण, नालंदा और गया हैं। पॉल्ट्री पक्षियों के मामले में राज्य के प्रमुख जिले कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज और अररिया हैं जिनका संयुक्त रूप से राज्य की कुल पक्षी संपदा में 30.9 प्रतिशत हिस्सा है।

तालिका 3.15 में 2013-14 से 2017-18 तक के लिए पशुधन सेवाओं की प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017-18 में पूरे बिहार में कुल 44.67 लाख पशुओं का इलाज किया गया था जिनकी संख्या 2016-17 के 41.03 लाख से अधिक है। इसके साथ-साथ राज्य में 2017-18 में 526.72 लाख पशुओं का प्रतिरक्षण भी किया गया और 28.23 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण की योजनाओं के अलावा राज्य सरकार ने गायों और बकरियों के प्रजनन, तथा पशु चिकित्सा सेवाओं के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाए हैं। राज्य सरकार ने राज्य में गायों-भैंसो की रक्षा और पशुधन विकास के आधुनिकीकरण के लिए गोशालाओं और पशु गृहों के विकास को भी बढ़ावा दिया है।

तालिका 3.15 : बिहार में पशुधन सेवाएं

वर्ष	उपचारित पशु (लाख)	प्रतिरक्षण (लाख)	कृत्रिम गर्भाधान (लाख)
2013-14	25.12	147.57	24.14
2014-15	32.99	26.24	26.40
2015-16	38.26	163.31	26.31
2016-17	41.03	296.45	26.20
2017-18	44.67	526.72	28.23

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशुधन से संबंधित विभिन्न सेवाओं की जिलावार उपलब्धि तालिका प 3.14 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017-18 में जिन जिलों में पशुओं का सबसे अधिक इलाज किया गया उनमें समस्तीपुर (2.91 लाख), पटना (2.40 लाख) और गया (2.20 लाख) प्रमुख हैं। वहीं अररिया (28.24 लाख), गया (26.94 लाख) मधुबनी (22.15 लाख), सुपौल (21.38 लाख) और पूर्व चंपारण (20.38 लाख) जिलों में पशुओं का सबसे अधिक प्रतिरक्षण किया गया जिनका 2017-18 में कुल राज्य में संयुक्त रूप से 22.6 प्रतिशत हिस्सा था। इसी प्रकार 2017-18 में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, पटना, गोपालगंज, खगड़िया और बक्सर में से प्रत्येक में एक लाख से अधिक पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। कुल मिलाकर 2017-18 में अधिकांश जिलों में गत वर्ष की अपेक्षा पशुओं के इलाज, प्रतिरक्षण और कृत्रिम गर्भाधान की संख्या बढ़ी है।

पशुधन और मत्स्य उत्पादों का उत्पादन

पशुधन और मत्स्य उत्पादों के उत्पादन के 2013-14 से 2017-18 तक के रुझान तालिका 3.16 में प्रस्तुत हैं। मात्रा के लिहाज से देखें, तो बिहार में दूध का उत्पादन 2013-14 के 71.97 लाख टन से बढ़कर 2017-18 में 92.41 लाख टन हो गया जो इन पांच वर्षों में 6.33 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। अंडों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई जिसकी वृद्धि दर इस अवधि में 6.84 रही। बिहार में 2017-18 में 121.85 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार, राज्य में मांस उत्पादन 4.34 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2013-14 के 2.92 लाख टन से 2017-18 में 3.43 लाख टन हो गया।

तालिका 3.16 : बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन

वर्ष	दूध (लाख टन)	अंडे (करोड़)	ऊन (लाख किग्रा)	मांस (लाख टन)	मछली (लाख टन)
2013-14	71.97	93.08	2.71	2.92	4.32
2014-15	77.75	98.35	2.78	2.94	4.79
2015-16	82.88	100.21	2.4	3.02	5.07
2016-17	87.10	111.17	2.81	3.26	5.09
2017-18	92.41	121.85	2.98	3.43	5.87
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)	6.33	6.84	2.03	4.34	6.97

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गणना पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के लिए की गई है।
स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पटना स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान (एएचपीआइ) विभिन्न के टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के बतौर काम करता है। संस्थान द्वारा पशु संक्रमणों तथा रोगों पर शोध भी किया जाता है। बिहार में पशुधन का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के लिए प्रमुख एजेंडा है जो राज्य में गोशालाओं के विकास से स्पष्ट है। अभी तक 86 गोशालाएं राज्य में निबंधित हो चुकी हैं और बेहतर अधिसंरचना के साथ उनके आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मछली पालन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी बढ़ाने में अपनी प्रचुर भूमिका के कारण बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास में मत्स्य पालन क्षेत्र का केंद्रीय स्थान है। राज्य में मौजूद प्रचुर ताजा जल संसाधन मछलीपालन क्षेत्र के विकास के लिए आवेग प्रदान करते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76 प्रतिशत हिस्सा (352.37 हजार हे.) जल संसाधनों का है। वर्ष 2017-18 में राज्य के कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मछली पालन और जल कृषि का लगभग 8.17 प्रतिशत हिस्सा था। तालिका 3.16 से स्पष्ट है कि राज्य में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए 2013-14 के 4.32 लाख टन से 2017-18 में 5.87 लाख टन हो गया जो 6.97 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। राज्य में मछली पालन बड़ी संख्या में भूमिहीन लोगों और छोटे किसानों के लिए जीविका के उत्पादक स्रोत का काम करता है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के मछली उत्पादन और मत्स्य-बीज वितरण के जिलावार आंकड़े तालिका प 3.15 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। मछली उत्पादन में 2017-18 में बिहार के तीन अग्रणी मत्स्य उत्पादक जिले मधुबनी (65.7 हजार टन), दरभंगा (54.0 हजार टन) और पूर्व चंपारण (51.62 हजार टन) थे जिनका राज्य के कुल मछली उत्पादन में संयुक्त रूप से लगभग 29.1 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2017-18 में मत्स्य-बीजों के मामले में तीन शीर्ष जिले दरभंगा (1,750 लाख), मधुबनी (1,626 लाख), और पूर्व चंपारण (731 लाख) थे। मछली उत्पादकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिहाज से ली गई राज्य सरकार की विभिन्न पहलकदमियों ने राज्य में मछली पालन की संभावना को साकार करने में मदद की है। मत्स्य बीजों के लिए तालाबों, और मत्स्य बीज प्रजनन स्थलों के निर्माण के लिए आवश्यक औजारों और उपकरणों, विपणन के लिए वितरण वाहनों, और तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए सब्सिडी की उपलब्धता के चलते राज्य में मछली और मत्स्य बीज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। राज्य में मछली की उत्पादकता बढ़ाने के लिहाज से

मछली चारा खरीदने के लिए मछली पालकों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मछली–चारा मिल लगाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में लागत की आधी रकम उपलब्ध कराई जा रही है जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रु. है। मछुआरों को हर साल पड़ने वाले सूखों और आने वाली बाढ़ों के जोखिम से बचाने के लिए सहकारी समितियों के जरिए बीमा आच्छादन किया जा रहा है। मछली मारने का पारंपरिक पेशा जारी रखने के लिए मछुआरों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के साथ मिलकर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

दूध उत्पादन

दूध उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बिहार में महत्वपूर्ण कृषि उद्यम रहा है जो लोगों, खास कर भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को अतिरिक्त रोजगार और आमदनी के अवसर उपलब्ध कराता है। लोगों की बढ़ती मांगें पूरी करने के लिए दूध उत्पादक ताजा दूध के अलावा उच्च गुणवत्तावाले पशु प्रोटीन उत्पादों का भी उत्पादन करते हैं। दूध क्षेत्र के लिए उत्पादन और प्रसंस्करण संबंधी सुविधाएं दुग्ध सहयोग समितियों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जिन्हें गव्य विकास निदेशालय और कॉम्फेड के जरिए प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाता है। गांवों में हरे चारे की पूरक आपूर्ति के लिए सभी जिलों में पशु चारा कारखाने स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में कुल दूध उत्पादन 2017–18 में 92.41 लाख टन था। राज्य में दूध उत्पादन की मुख्य स्रोत गायें हैं जिनका कुल दूध उत्पादन में लगभग 58.6 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद भैंसों का 39.2 प्रतिशत और बकरियों का 2.2 प्रतिशत हिस्सा है।

राज्य में दूध उत्पादन का 2016–17 और 2017–18 का जिलावार रुझान तालिका प 3.16 और तालिका प 3.17 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। गायों-भैंसों से दूध उत्पादन में पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सुपौल जिले अग्रणी हैं। इसी प्रकार 2017 में बकरियों से दूध उत्पादन में अररिया, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और कटिहार जिले आगे हैं। दूध उत्पादकों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिहाज से स्वच्छ दूध उत्पादन के मकसद से दुग्धशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए गव्य उद्यमिता विकास योजना शुरू की गई है। शीत शृंखलाओं का विस्तार, दुग्ध संयंत्रों का सुदृढ़ीकरण और विपणन नेटवर्क से राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ेगा। दुग्ध उद्योग और बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ (कॉम्फेड) का व्यापक विश्लेषण अध्याय 4 में उद्यमिता क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है।

परिशिष्ट

तालिका प 3.1 : विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात

(वर्षापात मिमी में)

जिला	2017					2018 (सितंबर तक)			
	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	उत्तर-पश्चिम मानसून	योग	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	योग
पटना	0.0	40.1	627.3	15.2	682.6	0	25.2	582.2	607.4
नालंदा	0.0	26.2	653.9	18	698.1	0	31.4	647.9	679.3
भोजपुर	0.0	39	727.4	7.9	774.3	0	19.1	723.6	742.7
बक्सर	0.0	28.4	655.5	20.4	704.3	0	25.3	691.3	716.6
रोहतास	0.0	11	739	4.2	754.2	0	1.5	607.5	609
कैमूर	0.0	2.8	818.3	0.3	821.4	0	16.5	837.2	853.7
गया	0.0	7.9	790.4	9.1	807.4	0	16	747.2	763.2
जहानाबाद	0.0	11.3	617.6	7.3	636.2	0	0.9	394.5	395.4
अरवल	0.0	23.2	564.8	0	588	0	0	581.4	581.4
नवादा	0.0	8.3	575	34.4	617.8	0	24.5	651.3	675.8
औरंगाबाद	0.4	17.2	851.3	5	873.9	0	2.2	727.7	729.9
सारण	0.0	68.1	716.6	0	784.6	0	37.4	464	501.4
सीवान	0.0	77.2	696.2	1.3	774.7	0	74.5	599.9	674.4
गोपालगंज	5.5	74.4	717.6	3.4	800.9	0	75.5	665.7	741.2
पश्चिम चंपारण	9.0	114.3	1107.3	7.7	1238.4	0	156.5	1011.8	1168.3
पूर्व चंपारण	0.0	125.6	813.6	0	939.3	0	71.2	716.4	787.6
मुजफ्फरपुर	0.0	119.6	745.9	0.2	865.7	0	55.2	483.5	538.7
सीतामढ़ी	0.0	105.8	891	1.2	997.9	0	89.5	877.3	966.8
शिवहर	0.0	143.6	918	0	1061.6	0	83.6	678.1	761.7
वैशाली	0.0	109.2	880.8	4.5	994.5	0	59.1	493.2	552.3
दरभंगा	0.0	174	963.8	6.9	1144.6	0	57.7	513.6	571.3
मधुबनी	0.0	216.1	1180.6	12.3	1409	0	61	836.3	897.3
समस्तीपुर	0.0	134.1	819.8	19.7	973.6	0	111.1	622.3	733.4
बेगूसराय	0.0	73.8	671.3	48.8	794	0	78.6	584.2	662.8
मुंगेर	0.0	86.5	744.8	179.6	1010.8	0	99.9	818.4	918.3
शेखपुरा	0.0	67.3	658.1	39.7	765.1	0	26.1	525.7	551.8
लखीसराय	0.0	54	733.5	133.2	920.7	0	73.4	561.7	635.1
जमुई	0.0	73.6	732.6	228.4	1034.6	0	84.7	582.1	666.8
खगड़िया	0.0	118.8	702.3	85.2	906.3	0	35.9	509.7	545.6
भागलपुर	0.0	174	999.2	232.5	1405.7	0	120	728.8	848.8
बांका	0.0	93.2	806	226	1125.2	0	33.8	699.2	733
सहरसा	0.0	242.8	1071.3	38.9	1353	0	81.3	556.4	637.7
सुपौल	0.0	200.4	1193.9	27.6	1421.9	0	138.2	843.6	981.8
मधेपुरा	0.0	235.8	948.2	67.8	1251.8	0	102.7	765.6	868.3
पूर्णिया	1.0	289.6	926.8	68.4	1285.8	1	94.6	942.5	1037.1
किशनगंज	0.0	235.5	1818.6	34.3	2088.5	0	138.5	1358.1	1496.6
अररिया	0.0	154.9	1029.7	48.6	1233.2	0	151.6	852.8	1004.4
कटिहार	0.0	141.8	933.4	172.3	1247.5	0	126.9	722.6	849.5
बिहार	**0.4**	**103.1**	**843.2**	**47.6**	**994.4**	**0**	**65.3**	**689.6**	**754.9**

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.2 : भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2015-16)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल (1)	वन (2)	बंजर एवं अकृष्य भूमि (3)	गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि (4)			कृषि योग्य ऊसर भूमि (5)
				भूमि क्षेत्र	जल क्षेत्र		
					बारहमासी	अस्थायी	
पटना	317.2 (100)	0.1 (0)	12.4 (3.9)	67.8 (21.4)	10.3 (3.3)	2.1 (0.6)	0.7 (0.2)
नालंदा	232.7 (100)	4.6 (2)	1.2 (0.5)	35.9 (15.4)	2.5 (1.1)	7.1 (3)	0.2 (0.1)
भोजपुर	237.3 (100)	0 (0)	6.7 (2.8)	30.3 (12.8)	2.8 (1.2)	1.5 (0.6)	0.6 (0.2)
बक्सर	167 (100)	0 (0)	2.2 (1.3)	13.2 (7.9)	3.2 (1.9)	1.1 (0.7)	0.6 (0.4)
रोहतास	390.7 (100)	66.7 (17.1)	16.8 (4.3)	39.4 (10.1)	9 (2.3)	0.6 (0.2)	1.1 (0.3)
कैमूर	342.5 (100)	113 (33)	19.3 (5.6)	31.1 (9.1)	2.5 (0.7)	1.6 (0.5)	1.9 (0.5)
गया	493.8 (100)	77.8 (15.8)	27.5 (5.6)	63.4 (12.8)	3.8 (0.8)	6.1 (1.2)	3.2 (0.7)
जहानाबाद	94 (100)	0.6 (0.7)	3.3 (3.5)	13.9 (14.8)	0.8 (0.9)	0.5 (0.6)	0.1 (0.1)
अरवल	62.6 (100)	0 (0)	2.2 (3.5)	9.2 (14.6)	0.6 (0.9)	0.8 (1.3)	0.1 (0.1)
नवादा	248.7 (100)	63.8 (25.6)	11.2 (4.5)	25.8 (10.4)	3 (1.2)	7 (2.8)	1.1 (0.4)
औरंगाबाद	330 (100)	18.8 (5.7)	16.4 (5)	56.3 (17.1)	1.7 (0.5)	1.7 (0.5)	1.8 (0.5)
सारण	264.9 (100)	0 (0)	17.9 (6.8)	28.8 (10.9)	3.5 (1.3)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
सीवान	224.4 (100)	0 (0)	8.7 (3.9)	29.8 (13.3)	2 (0.9)	0.6 (0.2)	0.7 (0.3)
गोपालगंज	203.8 (100)	0 (0)	5.5 (2.7)	31.3 (15.4)	2.1 (1)	0.5 (0.2)	1.4 (0.7)
पश्चिम चंपारण	484.4 (100)	91.8 (18.9)	2.9 (0.6)	71.2 (14.7)	15.2 (3.1)	8.8 (1.8)	1.2 (0.3)
पूर्व चंपारण	431.7 (100)	0.1 (0)	8.1 (1.9)	51.6 (12)	10.1 (2.3)	15.2 (3.5)	0.3 (0.1)
मुजफ्फरपुर	315.4 (100)	0 (0)	5.3 (1.7)	51.6 (16.4)	7.8 (2.5)	4.1 (1.3)	0.3 (0.1)
सीतामढ़ी	221.9 (100)	0 (0)	1.8 (0.8)	45.2 (20.4)	2.5 (1.1)	16 (7.2)	0.1 (0.1)
शिवहर	43.5 (100)	0 (0)	0.4 (0.9)	10 (23)	1.3 (2.9)	0.2 (0.3)	0 (0)
वैशाली	201.5 (100)	0 (0)	24.1 (12)	30.5 (15.1)	5.8 (2.9)	2 (1)	0.1 (0.1)
दरभंगा	254.1 (100)	0 (0)	1.3 (0.5)	44.3 (17.4)	9.4 (3.7)	7.4 (2.9)	0.1 (0.1)
मधुबनी	353.5 (100)	0 (0)	2.2 (0.6)	71.3 (20.2)	13.4 (3.8)	2.2 (0.6)	0.5 (0.1)
समस्तीपुर	262.4 (100)	0 (0)	3.8 (1.5)	54.7 (20.9)	8.2 (3.1)	0.8 (0.3)	0 (0)
बेगूसराय	187.8 (100)	0 (0)	18 (9.6)	30.2 (16.1)	7.7 (4.1)	4 (2.1)	0 (0)
मुंगेर	139.8 (100)	28.5 (20.4)	11.4 (8.2)	20.9 (15)	5.8 (4.2)	5.3 (3.8)	0.9 (0.7)
शेखपुरा	62.1 (100)	0 (0)	1 (1.6)	7.8 (12.5)	0.9 (1.4)	2 (3.2)	0.2 (0.4)
लखीसराय	128.6 (100)	13.5 (10.5)	7 (5.5)	9.3 (7.2)	1.2 (0.9)	4.8 (3.7)	0.7 (0.5)
जमुई	305.3 (100)	92.9 (30.4)	28.6 (9.4)	39.6 (13)	2.2 (0.7)	2.8 (0.9)	10.3 (3.4)
खगड़िया	149.3 (100)	0 (0)	13.6 (9.1)	19.3 (12.9)	7.7 (5.2)	4.2 (2.8)	0.6 (0.4)
भागलपुर	254.3 (100)	0.1 (0)	22.4 (8.8)	54.9 (21.6)	6.6 (2.6)	9.6 (3.8)	2.3 (0.9)
बांका	305.6 (100)	46.3 (15.2)	43 (14.1)	36.9 (12.1)	2.9 (0.9)	3.1 (1)	7.9 (2.6)
सहरसा	164.6 (100)	0 (0)	10.8(6.6)	22.3 (13.5)	4.8 (2.9)	2.3 (1.4)	0.4 (0.2)
सुपौल	238.6 (100)	0 (0)	20.2(8.5)	39.2 (16.4)	9.8 (4.1)	3.1 (1.3)	1.4 (0.6)
मधेपुरा	179.6 (100)	0 (0)	3.9(2.2)	26.9 (15)	3.9 (2.1)	1.2 (0.6)	0 (0)
पूर्णिया	313.9 (100)	0.1 (0)	12.3(3.9)	38.1 (12.1)	6.9 (2.2)	1.6 (0.5)	1.1 (0.4)
किशनगंज	189.1 (100)	0.4 (0.2)	11.2(5.9)	25.9 (13.7)	7.3 (3.8)	2.7 (1.4)	1.2 (0.6)
अररिया	271.7 (100)	0.8 (0.3)	5(1.8)	40.9 (15.1)	6.4 (2.4)	6.5 (2.4)	0.5 (0.2)
कटिहार	291.4 (100)	1.8 (0.6)	22.1(7.6)	42.2 (14.5)	12.1 (4.2)	4.2 (1.4)	0.6 (0.2)
बिहार	**9359.6 (100)**	**621.6 (6.6)**	**431.7 (4.6)**	**1360.7 (14.5)**	**207.4 (2.2)**	**145 (1.5)**	**44.5 (0.5)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 3.2 : भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2015-16) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिला	स्थायी चरागाह (6)	बागान (7)	परती भूमि (8)	वर्तमान परती (9)	कुल अकृष्य भूमि (10) (2 से 9 तक)	निवल बुआई क्षेत्र (11)	सकल बुआई क्षेत्र (12)	फसल सघनता (13)
पटना	0.1 (0)	1 (0.3)	1.5 (0.5)	63.5 (20)	159.5 (50.3)	157.8 (49.7)	203.5 (64.1)	1.3 (0.4)
नालंदा	0 (0)	1.3 (0.6)	0.2 (0.1)	0.4 (0.2)	53.3 (22.9)	179.4 (77.1)	245.3 (105.4)	1.4 (0.6)
भोजपुर	0.1 (0)	2.1 (0.9)	2.4 (1)	19 (8)	65.5 (27.6)	171.9 (72.4)	209.2 (88.1)	1.2 (0.5)
बक्सर	0 (0)	0.8 (0.5)	0.6 (0.3)	0.3 (0.2)	22 (13.2)	145 (86.8)	209.5 (125.5)	1.4 (0.9)
रोहतास	0.1 (0)	2.9 (0.7)	0.7 (0.2)	2 (0.5)	139.3 (35.7)	251.4 (64.3)	343.3 (87.9)	1.4 (0.3)
कैमूर	0.1 (0)	0.8 (0.2)	0.1 (0)	28.5 (8.3)	198.8 (58)	143.7 (42)	205 (59.9)	1.4 (0.4)
गया	2.1 (0.4)	3.9 (0.8)	11.3 (2.3)	110.3 (22.3)	309.3 (62.6)	184.4 (37.4)	228.1 (46.2)	1.2 (0.3)
जहानाबाद	0.1 (0.1)	0.7 (0.8)	0.2 (0.2)	31.2 (33.1)	51.5 (54.7)	42.6 (45.3)	78.8 (83.8)	1.9 (2)
अरवल	0.1 (0.2)	0.9 (1.5)	1.6 (2.5)	5.8 (9.2)	21.2 (33.9)	41.4 (66.1)	46.9 (74.8)	1.1 (1.8)
नवादा	0.9 (0.3)	0.7 (0.3)	2.6 (1.1)	19.2 (7.7)	135.2 (54.4)	113.5 (45.6)	127.3 (51.2)	1.1 (0.5)
औरंगाबाद	0.5 (0.2)	0.6 (0.2)	1.1 (0.3)	35.6 (10.8)	134.5 (40.8)	195.5 (59.2)	271.1 (82.1)	1.4 (0.4)
सारण	0.1 (0.1)	8.6 (3.3)	3.6 (1.4)	38.5 (14.5)	101.4 (38.3)	163.5 (61.7)	207 (78.1)	1.3 (0.5)
सीवान	0.1 (0.1)	9 (4)	1.4 (0.6)	8.9 (4)	62.2 (27.7)	162.2 (72.3)	224.7 (100.1)	1.4 (0.6)
गोपालगंज	0.2 (0.1)	7.5 (3.7)	2.3 (1.1)	11.9 (5.8)	62.7 (30.8)	141.1 (69.2)	210.4 (103.2)	1.5 (0.7)
पश्चिम चंपारण	1.1 (0.2)	6.5 (1.3)	2.2 (0.5)	38.3 (7.9)	239.1 (49.4)	245.2 (50.6)	397.2 (82)	1.6 (0.3)
पूर्व चंपारण	0.4 (0.1)	27.2 (6.3)	2.9 (0.7)	29 (6.7)	144.9 (33.6)	286.8 (66.4)	423.7 (98.1)	1.5 (0.3)
मुजफ्फरपुर	0 (0)	17.5 (5.5)	1.3 (0.4)	36.4 (11.5)	124.2 (39.4)	191.1 (60.6)	288.2 (91.4)	1.5 (0.5)
सीतामढ़ी	1.4 (0.6)	14 (6.3)	0.5 (0.2)	13.9 (6.3)	95.3 (42.9)	126.6 (57.1)	232.1 (104.6)	1.8 (0.8)
शिवहर	0 (0)	3.7 (8.4)	0.8 (1.9)	4.7 (10.8)	21 (48.4)	22.5 (51.6)	44.7 (102.8)	2 (4.6)
वैशाली	0.3 (0.2)	9.8 (4.9)	0.3 (0.1)	8.9(4.4)	81.8 (40.6)	119.7 (59.4)	176.5 (87.6)	1.5 (0.7)
दरभंगा	0.1 (0.1)	12.5 (4.9)	2.1 (0.8)	25(9.8)	102.2 (40.2)	151.9 (59.8)	179.2 (70.5)	1.2 (0.5)
मधुबनी	1.3 (0.4)	24 (6.8)	2.9 (0.8)	2(0.6)	119.8 (33.9)	233.7 (66.1)	342.6 (96.9)	1.5 (0.4)
समस्तीपुर	0.1 (0)	8.3 (3.2)	0.9 (0.3)	23.1(8.8)	99.9 (38.1)	162.5 (61.9)	290.6 (110.8)	1.8 (0.7)
बेगूसराय	0 (0)	3.8 (2)	0.8 (0.4)	9.7 (5.2)	74.2 (39.5)	113.6 (60.5)	169.4(90.2)	1.5 (0.8)
मुंगेर	0.2 (0.1)	0.6 (0.4)	1.9 (1.3)	18.9 (13.5)	94.5 (67.6)	45.3 (32.4)	51.7(36.9)	1.1 (0.8)
शेखपुरा	0 (0)	0.3 (0.5)	1.6 (2.6)	4.9 (7.8)	18.7 (30.1)	43.4 (69.9)	57.2(92.2)	1.3 (2.1)
लखीसराय	0.1 (0)	0.4 (0.3)	6.2 (4.8)	41.2 (32.1)	84.4 (65.6)	44.2 (34.4)	64.4(50.1)	1.5 (1.1)
जमुई	1.6 (0.5)	2.1 (0.7)	16 (5.2)	25.5 (8.4)	221.6 (72.6)	83.7 (27.4)	150.5(49.3)	1.8 (0.6)
खगड़िया	0.2 (0.1)	3.1 (2.1)	2.2 (1.4)	12.3 (8.3)	63.2 (42.3)	86.2 (57.7)	126.7(84.8)	1.5 (1)
भागलपुर	0.6 (0.2)	6.8 (2.7)	4.9 (1.9)	15.4 (6)	123.3 (48.5)	131 (51.5)	162.2 (63.8)	1.2 (0.5)
बांका	1.1 (0.3)	7.5 (2.4)	11.1 (3.6)	31.3 (10.3)	191 (62.5)	114.6 (37.5)	151.6 (49.6)	1.3 (0.4)
सहरसा	1.1 (0.7)	4.4 (2.7)	3.7 (2.3)	16.1 (9.8)	65.9 (40)	98.7 (60)	185.7 (112.8)	1.9 (1.1)
सुपौल	0.2 (0.1)	3.1 (1.3)	9.4 (3.9)	11.5 (4.8)	98 (41.1)	140.6 (58.9)	236.6 (99.2)	1.7 (0.7)
मधेपुरा	0.1 (0)	7.2 (4)	1 (0.6)	2 (1.1)	46 (25.6)	133.6 (74.4)	205.3 (114.3)	1.5 (0.9)
पूर्णिया	0 (0)	8.9 (2.8)	4.6 (1.5)	89.7 (28.6)	163.4 (52.1)	150.5 (47.9)	200.3 (63.8)	1.3 (0.4)
किशनगंज	0.4 (0.2)	5.2 (2.8)	3 (1.6)	34.2 (18.1)	91.4 (48.4)	97.6 (51.6)	139.8 (73.9)	1.4 (0.8)
अररिया	0.2 (0.1)	19.2 (7.1)	3.5 (1.3)	72.3 (26.6)	154.4 (56.8)	117.3 (43.2)	241.1 (88.7)	2.1 (0.8)
कटिहार	0.1 (0)	11.1 (3.8)	5.9(2)	20.1 (6.9)	120.2 (41.3)	171.2 (58.7)	245.1 (84.1)	1.4 (0.5)
बिहार	**15.2 (0.2)**	**248 (2.6)**	**119.2 (1.3)**	**961.4 (10.3)**	**4154.7 (44.4)**	**5204.9 (55.6)**	**7572.4 (80.9)**	**1.5 (0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.3 : चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2016-17			2017-18		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	61.37 (1.8)	184.64 (2.2)	3009 (14)	72.1 (2.2)	216.66 (2.7)	3005 (14)
नालंदा	115.09 (3.4)	358.38 (4.3)	3114 (10)	119.79 (3.6)	381.09 (4.7)	3181 (13)
भोजपुर	98.9 (3)	257.29 (3.1)	2601 (17)	97.11 (2.9)	393.67 (4.9)	4054 (1)
बक्सर	87.78 (2.6)	284.34 (3.5)	3239 (9)	87.48 (2.6)	306.03 (3.8)	3498 (6)
रोहतास	193.38 (5.8)	640.72 (7.8)	3313 (8)	190.72 (5.8)	739.67 (9.1)	3878 (2)
कैमूर	118.1 (3.5)	316.28 (3.8)	2678 (16)	117.43 (3.6)	400.63 (5)	3412 (9)
गया	98.65 (3)	327.85 (4)	3323 (7)	100.02 (3)	342.28 (4.2)	3422 (8)
जहानाबाद	35.88 (1.1)	108.64 (1.3)	3028 (13)	35.53 (1.1)	117.59 (1.5)	3310 (11)
अरवल	41.71 (1.2)	145.71 (1.8)	3493 (3)	42.52 (1.3)	159.9 (2)	3761 (3)
नवादा	68.66 (2.1)	237.33 (2.9)	3457 (4)	77.05 (2.3)	247.15 (3.1)	3208 (12)
औरंगाबाद	175.2 (5.2)	619.15 (7.5)	3534 (2)	178.07 (5.4)	638.83 (7.9)	3588 (4)
सारण	76.45 (2.3)	151.59 (1.8)	1983 (26)	62.39 (1.9)	116.16 (1.4)	1862 (24)
सीवान	90.48 (2.7)	177.47 (2.2)	1961 (28)	91 (2.8)	151.3 (1.9)	1663 (34)
गोपालगंज	83.02 (2.5)	134.16 (1.6)	1616 (37)	83.24 (2.5)	145.62 (1.8)	1749 (30)
पश्चिम चंपारण	148.49 (4.4)	290.9 (3.5)	1959 (29)	140.28 (4.2)	238.73 (2.9)	1702 (32)
पूर्व चंपारण	185.07 (5.5)	346.11 (4.2)	1870 (32)	188.95 (5.7)	270.04 (3.3)	1429 (37)
मुजफ्फरपुर	124.09 (3.7)	169.91 (2.1)	1369 (38)	122.74 (3.7)	162.92 (2)	1327 (38)
सीतामढ़ी	96.29 (2.9)	204.63 (2.5)	2125 (25)	97.9 (3)	180.6 (2.2)	1845 (26)
शिवहर	22.12 (0.7)	35.78 (0.4)	1617 (36)	22.02 (0.7)	36.87 (0.5)	1675 (33)
वैशाली	39.62 (1.2)	85.9 (1)	2168 (23)	42.03 (1.3)	89.26 (1.1)	2124 (21)
दरभंगा	78.61 (2.4)	144.4 (1.8)	1837 (33)	78.57 (2.4)	135.76 (1.7)	1728 (31)
मधुबनी	206.62 (6.2)	363.13 (4.4)	1757 (34)	203.4 (6.2)	303.34 (3.7)	1491 (36)
समस्तीपुर	88.67 (2.7)	222.67 (2.7)	2511 (19)	97.11 (2.9)	202.59 (2.5)	2086 (22)
बेगूसराय	27.18 (0.8)	84.52 (1)	3109 (11)	18.68 (0.6)	51.44 (0.6)	2753 (16)
मुंगेर	24.45 (0.7)	91.74 (1.1)	3752 (1)	27.18 (0.8)	76.67 (0.9)	2821 (15)
शेखपुरा	22.08 (0.7)	63.27 (0.8)	2865 (15)	30.7 (0.9)	71.27 (0.9)	2322 (18)
लखीसराय	71.39 (2.1)	220.01 (2.7)	3082 (12)	31.68 (1)	107.29 (1.3)	3387 (10)
जमुई	18.15 (0.5)	61.05 (0.7)	3364 (6)	65.8 (2)	165.66 (2)	2518 (17)
खगड़िया	22.25 (0.7)	42.68 (0.5)	1918 (31)	18.9 (0.6)	42.04 (0.5)	2224 (19)
भागलपुर	32 (1)	74.22 (0.9)	2319 (20)	33.69 (1)	115.95 (1.4)	3442 (7)
बांका	95.54 (2.9)	323.63 (3.9)	3387 (5)	91.76 (2.8)	325.73 (4)	3550 (5)
सहरसा	78.69 (2.4)	135.79 (1.6)	1726 (35)	67.54 (2)	120.25 (1.5)	1780 (28)
सुपौल	104.63 (3.1)	203.08 (2.5)	1941 (30)	101.31 (3.1)	159.45 (2)	1574 (35)
मधेपुरा	84.09 (2.5)	217.78 (2.6)	2590 (18)	71.91 (2.2)	133.25 (1.6)	1853 (25)
पूर्णिया	120.95 (3.6)	276.75 (3.4)	2288 (21)	110.9 (3.4)	217.59 (2.7)	1960 (23)
किशनगंज	78.41 (2.3)	167.19 (2)	2132 (24)	78.53 (2.4)	140.19 (1.7)	1785 (27)
अररिया	115.83 (3.5)	227.56 (2.8)	1965 (27)	157.36 (4.8)	275.84 (3.4)	1753 (29)
कटिहार	109.9 (3.3)	242.53 (2.9)	2207 (22)	53.51 (1.6)	113.85 (1.4)	2128 (20)
बिहार	**3339.78 (100)**	**8238.77 (100)**	**2467**	**3306.9 (100)**	**8093.16 (100)**	**2447**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.4 : गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2016-17			2017-18		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	60.44 (2.9)	200.79 (3.4)	3322 (8)	68.18 (3.2)	246.69 (4)	3618 (1)
नालंदा	84.13 (4)	265.35 (4.4)	3154 (12)	80.5 (3.8)	253.45 (4.2)	3149 (11)
भोजपुर	50.36 (2.4)	166.61 (2.8)	3309 (9)	71.5 (3.4)	213.08 (3.5)	2980 (16)
बक्सर	82.73 (3.9)	278.86 (4.7)	3371 (6)	78.75 (3.7)	272.22 (4.5)	3456 (5)
रोहतास	140.55 (6.7)	460.38 (7.7)	3276 (10)	140.75 (6.7)	472.04 (7.7)	3354 (7)
कैमूर	81.29 (3.9)	176.69 (3)	2174 (35)	68.51 (3.3)	161.44 (2.6)	2356 (33)
गया	71.95 (3.4)	199.49(3.3)	2773 (19)	71.95 (3.4)	231.67 (3.8)	3220 (10)
जहानाबाद	23.39 (1.1)	46.06(0.8)	1970 (36)	23.43 (1.1)	58.33 (1)	2490 (28)
अरवल	14.28 (0.7)	37.75(0.6)	2643 (22)	13.56 (0.6)	31.54 (0.5)	2327 (34)
नवादा	50.6 (2.4)	141.05(2.4)	2787 (18)	43.03 (2)	132.29 (2.2)	3075 (14)
औरंगाबाद	71.13 (3.4)	165.65(2.8)	2329 (31)	70.32 (3.3)	177.44 (2.9)	2523 (27)
सारण	89.82 (4.3)	312.71(5.2)	3482 (3)	77.6 (3.7)	243.27 (4)	3135 (12)
सीवान	90.18 (4.3)	263.04(4.4)	2917 (16)	90.63 (4.3)	262.86 (4.3)	2901 (19)
गोपालगंज	77.64 (3.7)	263.96(4.4)	3400 (4)	74.21 (3.5)	192.6 (3.2)	2595 (26)
पश्चिम चंपारण	69.57 (3.3)	154.24(2.6)	2217 (33)	70.31 (3.3)	160.94 (2.6)	2289 (36)
पूर्व चंपारण	118.63 (5.6)	287.31(4.8)	2422 (29)	118.82 (5.7)	289.77 (4.7)	2439 (31)
मुजफ्फरपुर	92.18 (4.4)	257.33(4.3)	2792 (17)	91.87 (4.4)	258.18 (4.2)	2810 (21)
सीतामढ़ी	87.8 (4.2)	273.72(4.6)	3118 (13)	87.79 (4.2)	258.99 (4.2)	2950 (18)
शिवहर	14.31 (0.7)	34.72(0.6)	2425 (28)	14.45 (0.7)	44.55 (0.7)	3083 (13)
वैशाली	43.14 (2)	143.46(2.4)	3326 (7)	40.75 (1.9)	132.67 (2.2)	3256 (9)
दरभंगा	59.88 (2.8)	150.01(2.5)	2505 (23)	57.92 (2.8)	173.99 (2.9)	3004 (15)
मधुबनी	92.17 (4.4)	176.07(2.9)	1910 (38)	90.46 (4.3)	196.94 (3.2)	2177 (37)
समस्तीपुर	49.36 (2.3)	185.32(3.1)	3755 (2)	55.97 (2.7)	202.36 (3.3)	3616 (2)
बेगूसराय	60.6 (2.9)	228.99(3.8)	3779 (1)	57.33 (2.7)	200.23 (3.3)	3492 (4)
मुंगेर	13.89 (0.7)	34.32(0.6)	2470 (24)	13.89 (0.7)	38.83 (0.6)	2795 (22)
शेखपुरा	22.19 (1.1)	52.05(0.9)	2345 (30)	21.93 (1)	60.66 (1)	2766 (23)
लखीसराय	29.4 (1.4)	89.22(1.5)	3035 (15)	29.69 (1.4)	88.05 (1.4)	2966 (17)
जमुई	46.11 (2.2)	102.98(1.7)	2233 (32)	42.92 (2)	105.71 (1.7)	2463 (29)
खगड़िया	29.34 (1.4)	89.31(1.5)	3044 (14)	28.48 (1.4)	97.21 (1.6)	3414 (6)
भागलपुर	48.35 (2.3)	163.6(2.7)	3384 (5)	47.5 (2.3)	156.47 (2.6)	3294 (8)
बांका	32.96 (1.6)	88.2(1.5)	2676 (20)	33.13 (1.6)	90.88 (1.5)	2743 (24)
सहरसा	49.76 (2.4)	133(2.2)	2673 (21)	49.38 (2.3)	140.53 (2.3)	2846 (20)
सुपौल	51.18 (2.4)	100.6(1.7)	1965 (37)	52.62 (2.5)	126.33 (2.1)	2401 (32)
मधेपुरा	9.6 (0.5)	30.57(0.5)	3184 (11)	32.03 (1.5)	115.71 (1.9)	3612 (3)
पूर्णिया	35.39 (1.7)	85.96(1.4)	2429 (27)	19.78 (0.9)	48.7 (0.8)	2462 (30)
किशनगंज	17.73 (0.8)	39.25(0.7)	2214 (34)	17.77 (0.8)	33.09 (0.5)	1862 (38)
अररिया	36.22 (1.7)	88.81(1.5)	2452 (25)	25.36 (1.2)	58.14 (1)	2293 (35)
कटिहार	7.58 (0.4)	18.45(0.3)	2435 (26)	28.25 (1.3)	76.45 (1.3)	2706 (25)
बिहार	**2105.81 (100)**	**5985.84 (100)**	**2843**	**2101.31 (100)**	**6104.3 (100)**	**2905**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.5 : मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2016-17			2017-18		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	6.34 (0.9)	13.91 (0.4)	2194 (31)	5.56 (0.8)	24.58 (0.8)	4418 (12)
नालंदा	8.05 (1.1)	36.56 (1)	4540 (14)	6.92 (1)	29.48 (0.9)	4263 (14)
भोजपुर	2.64 (0.4)	5.16 (0.1)	1957 (34)	2.11 (0.3)	5.24 (0.2)	2482 (33)
बक्सर	1.28 (0.2)	3.01 (0.1)	2357 (30)	1.35 (0.2)	3.59 (0.1)	2665 (31)
रोहतास	0.08 (0)	0.13 (0)	1663 (37)	0.07 (0)	0.22 (0)	3027 (26)
कैमूर	0.35 (0)	0.73 (0)	2098 (32)	0.12 (0)	0.43 (0)	3612 (20)
गया	4.39 (0.6)	13.71 (0.4)	3124 (24)	2.88 (0.4)	8.81 (0.3)	3057 (25)
जहानाबाद	0.44 (0.1)	2.08 (0.1)	4751 (12)	0.4 (0.1)	1.66 (0.1)	4163 (15)
अरवल	0.52 (0.1)	2.93 (0.1)	5684 (7)	0.45 (0.1)	2.09 (0.1)	4634 (9)
नवादा	1.51 (0.2)	4.38 (0.1)	2910 (25)	1.21 (0.2)	4.38 (0.1)	3622 (19)
औरंगाबाद	1.18 (0.2)	2.84 (0.1)	2414 (29)	0.23 (0)	0.6 (0)	2658 (32)
सारण	24.99 (3.5)	109.42 (2.8)	4378 (16)	26.89 (4)	84.13 (2.7)	3129 (24)
सीवान	18.02 (2.5)	85.09 (2.2)	4724 (13)	18.96 (2.8)	53.14 (1.7)	2802 (29)
गोपालगंज	11.28 (1.6)	31.74 (0.8)	2815 (26)	14.9 (2.2)	41.2 (1.3)	2765 (30)
पश्चिम चंपारण	5.37 (0.7)	18.39 (0.5)	3423 (21)	4.9 (0.7)	15.91 (0.5)	3245 (23)
पूर्व चंपारण	46.68 (6.5)	122.28 (3.2)	2619 (28)	46.09 (6.8)	111.43 (3.6)	2418 (34)
मुजफ्फरपुर	31.38 (4.4)	56.62 (1.5)	1804 (35)	35.04 (5.2)	54.01 (1.7)	1542 (37)
सीतामढ़ी	5.38 (0.7)	21.83 (0.6)	4057 (17)	5.34 (0.8)	21.07 (0.7)	3945 (16)
शिवहर	1.5 (0.2)	6.68 (0.2)	4439 (15)	1.63 (0.2)	5.71 (0.2)	3503 (21)
वैशाली	32.39 (4.5)	123.48 (3.2)	3813 (19)	32.18 (4.8)	105.22 (3.4)	3269 (22)
दरभंगा	14.36 (2)	101.96 (2.7)	7100 (3)	9.38 (1.4)	34.47 (1.1)	3675 (18)
मधुबनी	0.09 (0)	0.34 (0)	3953(18)	0.17 (0)	0.84 (0)	5078 (7)
समस्तीपुर	61.88(8.6)	300.39 (7.8)	4855(11)	66.89 (9.9)	444.68 (14.2)	6648 (3)
बेगूसराय	56.44 (7.8)	211.4 (5.5)	3745 (20)	46.45 (6.9)	99.95 (3.2)	2152 (35)
मुंगेर	2.19 (0.3)	4.3 (0.1)	1962 (33)	2.2 (0.3)	6.61 (0.2)	3002 (27)
शेखपुरा	0.68 (0.1)	1.19 (0)	1758 (36)	0.61 (0.1)	0.91 (0)	1497 (38)
लखीसराय	4.44 (0.6)	1.86 (0)	420 (38)	2.47 (0.4)	5.03 (0.2)	2032 (36)
जमुई	4.43 (0.6)	11.99 (0.3)	2704 (27)	3.42 (0.5)	9.75 (0.3)	2852 (28)
खगड़िया	63.53 (8.8)	404.63 (10.5)	6369 (6)	59.51 (8.8)	295.74 (9.5)	4953 (8)
भागलपुर	40.7 (5.6)	138.49(3.6)	3403 (22)	38.91 (5.7)	179.46 (5.8)	4613 (10)
बांका	10.37 (1.4)	33.89(0.9)	3267 (23)	10.13 (1.5)	39.09 (1.3)	3859 (17)
सहरसा	29.68 (4.1)	165.1(4.3)	5564 (8)	26.14 (3.9)	134.49 (4.3)	5145 (6)
सुपौल	15.26 (2.1)	83.79(2.2)	5491 (9)	17.91 (2.6)	100.1 (3.2)	5641 (5)
मधेपुरा	40.89 (5.7)	214.46(5.6)	5246 (10)	37.61 (5.6)	166.7 (5.3)	4432 (11)
पूर्णिया	36.93 (5.1)	285.54(7.4)	7731(2)	30.53 (4.5)	205.7 (6.6)	6738 (2)
किशनगंज	3.51 (0.5)	23(0.6)	6561(4)	3.56 (0.5)	23.3 (0.7)	6541 (4)
अररिया	42.25 (5.9)	274.13(7.1)	6489(5)	48.9 (7.2)	212.19 (6.8)	4339 (13)
कटिहार	89.55 (12.4)	928.28 (24.1)	10366(1)	65.42 (9.7)	588.87 (18.9)	9002 (1)
बिहार	**720.91 (100)**	**3845.7 (100)**	**5335**	**677.44 (100)**	**3120.77 (100)**	**4607 (48)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.6 : दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2016-17			2017-18		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	46.9 (9.4)	57.97 (12.5)	1236 (4)	46.9 (9.9)	69.92 (15.4)	1491 (3)
नालंदा	26.51 (5.3)	26.22 (5.6)	989 (18)	25.43 (5.3)	28.76(6.3)	1131 (11)
भोजपुर	14.83 (3)	17.86 (3.8)	1204 (5)	12.8 (2.7)	13.76 (3)	1076 (12)
बक्सर	7.14 (1.4)	9.28 (2)	1299 (2)	7.71 (1.6)	10.88(2.4)	1410 (4)
रोहतास	10.94 (2.2)	14.07 (3)	1286 (3)	10.92 (2.3)	11.41(2.5)	1046 (13)
कैमूर	12.47 (2.5)	11.46 (2.5)	919 (22)	11.46 (2.4)	10.81(2.4)	944 (19)
गया	19.57 (3.9)	21.71 (4.7)	1109 (9)	18.78 (3.9)	16.68(3.7)	888 (22)
जहानाबाद	15.63 (3.1)	14.88 (3.2)	952 (20)	14.54 (3.1)	18.44(4.1)	1268 (6)
अरवल	6.06 (1.2)	5.39 (1.2)	889 (24)	5.65 (1.2)	4.66(1)	825 (25)
नवादा	9.33 (1.9)	7.91 (1.7)	848 (26)	9.58 (2)	12.27(2.7)	1281 (5)
औरंगाबाद	31.74 (6.4)	26.04 (5.6)	820 (28)	31.06 (6.5)	29.8(6.6)	959 (17)
सारण	2.84 (0.6)	2.27 (0.5)	798 (31)	2.39 (0.5)	4.68 (1)	1960 (1)
सीवान	4.31 (0.9)	4.37 (0.9)	1015 (15)	3.76 (0.8)	4.48 (1)	1190 (9)
गोपालगंज	2.05 (0.4)	2.03 (0.4)	991 (17)	1.58 (0.3)	1.14 (0.3)	718 (31)
पश्चिम चंपारण	9.83 (2)	11.21 (2.4)	1140 (7)	9.79 (2.1)	7.72 (1.7)	789 (27)
पूर्व चंपारण	10.51 (2.1)	9.96 (2.1)	947 (21)	9.94 (2.1)	11.76 (2.6)	1183 (10)
मुजफ्फरपुर	27.46 (5.5)	12.63 (2.7)	460 (38)	27.71 (5.8)	15.74 (3.5)	568 (35)
सीतामढ़ी	6.26 (1.3)	4.85 (1)	775 (32)	6.12 (1.3)	4.57 (1)	748 (30)
शिवहर	2.08 (0.4)	1.27 (0.3)	609 (36)	2.11 (0.4)	1.22 (0.3)	577 (34)
वैशाली	8.71 (1.8)	4.99 (1.1)	574 (37)	8.64 (1.8)	13.19 (2.9)	1526 (2)
दरभंगा	11.5 (2.3)	9.87 (2.1)	858 (25)	12.12 (2.5)	9.16 (2)	756 (29)
मधुबनी	24.03 (4.8)	19.25 (4.1)	801 (30)	23.51 (4.9)	21.72 (4.8)	924 (21)
समस्तीपुर	18.49 (3.7)	15.45 (3.3)	836 (27)	15.77 (3.3)	8.77 (1.9)	556 (36)
बेगूसराय	4.92 (1)	5.02 (1.1)	1021 (14)	4.96 (1)	4.98 (1.1)	1003 (14)
मुंगेर	3.75 (0.8)	3.65 (0.8)	975 (19)	2.3 (0.5)	2.25 (0.5)	980 (16)
शेखपुरा	6.76 (1.4)	7.9 (1.7)	1168 (6)	5.02 (1.1)	6.2 (1.4)	1235 (7)
लखीसराय	10.06 (2)	13.23 (2.8)	1314 (1)	10.42 (2.2)	12.6 (2.8)	1209 (8)
जमुई	12.11 (2.4)	13.75 (3)	1135 (8)	8.61 (1.8)	8.24 (1.8)	957 (18)
खगड़िया	8.04 (1.6)	7.23 (1.6)	900 (23)	6.82 (1.4)	6.31 (1.4)	925 (20)
भागलपुर	12.55 (2.5)	10.17 (2.2)	810 (29)	12.06 (2.5)	9.37 (2.1)	777 (28)
बांका	9.36 (1.9)	10.13 (2.2)	1083 (10)	9.2 (1.9)	7.43 (1.6)	807 (26)
सहरसा	20.23 (4.1)	15.35 (3.3)	759 (33)	20.1 (4.2)	12.73 (2.8)	633 (33)
सुपौल	26.33 (5.3)	19.49 (4.2)	740 (34)	32.14 (6.8)	16.09 (3.5)	501 (37)
मधेपुरा	20.14 (4.1)	13.37 (2.9)	664 (35)	19.55 (4.1)	16.76 (3.7)	857 (24)
पूर्णिया	6.87 (1.4)	7.1 (1.5)	1033 (11)	5.45 (1.1)	2.59 (0.6)	475 (38)
किशनगंज	9.44 (1.9)	9.71 (2.1)	1028 (13)	9.49 (2)	6.22 (1.4)	656 (32)
अररिया	9.59 (1.9)	9.9 (2.1)	1032 (12)	5.15 (1.1)	4.49 (1)	871 (23)
कटिहार	7.96 (1.6)	7.93 (1.7)	997 (16)	6.46 (1.4)	6.37 (1.4)	986 (15)
बिहार	**497.3 (100)**	**464.83 (100)**	**935**	**476 (100)**	**454.17 (100)**	**954**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.7 : ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता टन/ हे. में)

जिला	2016-17			2017-18		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	0.38 (0.14)	3.52 (0.19)	92.14 (2)	0.38 (0.14)	3.52 (0.2)	92.14 (1)
नालंदा	0.06 (0.02)	0.64 (0.04)	101.03 (1)	0.06 (0.02)	0.39 (0.02)	63.84 (15)
भोजपुर	0.39 (0.15)	2.03 (0.11)	52.04 (36)	0.33 (0.12)	1.66 (0.09)	50 (36)
बक्सर	0.28 (0.1)	1.44 (0.08)	52 (37)	0.18 (0.07)	0.89 (0.05)	48.83 (37)
रोहतास	0.25 (0.09)	1.56 (0.09)	62.42 (16)	0.21 (0.08)	1.26 (0.07)	60.01 (18)
कैमूर	0.13 (0.05)	0.68 (0.04)	54.53 (33)	0.1 (0.04)	0.52 (0.03)	52.22 (35)
गया	0.15 (0.06)	1.11 (0.06)	73.99 (5)	0.15 (0.06)	1.11 (0.06)	73.99 (3)
जहानाबाद	0.1 (0.04)	0.61 (0.03)	59.75 (20)	0.1 (0.04)	0.61 (0.03)	59.75 (20)
अरवल	0.01 (0)	0.06 (0)	65.79 (12)	0.01 (0)	0.06 (0)	65.79 (11)
नवादा	0.21 (0.08)	1.21 (0.07)	56.81 (26)	0.21 (0.08)	1.21 (0.07)	56.81 (27)
औरंगाबाद	0.1 (0.04)	0.72 (0.04)	73.98 (6)	0.1 (0.04)	0.72 (0.04)	73.98 (4)
सारण	0.89 (0.34)	4.85 (0.27)	54.79 (32)	1.17 (0.43)	8.54 (0.49)	73.17 (6)
सीवान	1.39 (0.52)	7.64 (0.42)	55.16 (31)	1.35 (0.5)	9.86 (0.56)	73.21 (5)
गोपालगंज	21.16 (8.01)	146.41 (8.03)	69.19 (8)	25.11 (9.34)	162.99 (9.26)	64.92 (12)
पश्चिम चंपारण	132.86 (50.31)	925.22 (50.72)	69.64 (7)	145.33 (54.04)	992.1 (56.34)	68.27 (8)
पूर्व चंपारण	43.31 (16.4)	344.71 (18.9)	79.59 (4)	34.7 (12.9)	220.85 (12.54)	63.65 (16)
मुजफ्फरपुर	7.13 (2.7)	46.68 (2.56)	65.43 (13)	8.17 (3.04)	54.35 (3.09)	66.54 (9)
सीतामढ़ी	12.07 (4.57)	74.87 (4.1)	62.02 (17)	15.45 (5.75)	92.44 (5.25)	59.82 (19)
शिवहर	3.62 (1.37)	21.37 (1.17)	59.04 (22)	3.59 (1.33)	20.83 (1.18)	58.08 (25)
वैशाली	1.23 (0.47)	8.02 (0.44)	65.27 (14)	1.24 (0.46)	8.19 (0.46)	65.93 (10)
दरभंगा	2.12 (0.8)	14.07 (0.77)	66.5 (11)	1.56 (0.58)	10.11 (0.57)	64.83 (14)
मधुबनी	5.14 (1.95)	34.25 (1.88)	66.66 (10)	4.28 (1.59)	27.75 (1.58)	64.83 (13)
समस्तीपुर	6.35 (2.4)	40.08 (2.2)	63.16 (15)	6.05 (2.25)	33.51 (1.9)	55.38 (30)
बेगूसराय	7.47 (2.83)	45.11 (2.47)	60.42 (19)	5.88 (2.19)	33.68 (1.91)	57.3 (26)
मुंगेर	0.18 (0.07)	1.08 (0.06)	60.86 (18)	0.18 (0.07)	1.08 (0.06)	60.86 (17)
शेखपुरा	0.32 (0.12)	1.86 (0.1)	58.86 (23)	0.32 (0.12)	1.86 (0.11)	58.86 (22)
लखीसराय	0.02 (0.01)	0.11 (0.01)	56.14 (27)	0.02 (0.01)	0.11 (0.01)	56.14 (29)
जमुई	0.29 (0.11)	1.74 (0.1)	59.27 (21)	0.29 (0.11)	1.74 (0.1)	59.27 (21)
खगड़िया	1.1 (0.42)	6.28 (0.34)	57.31 (25)	0.38 (0.14)	2.19 (0.12)	58.16 (24)
भागलपुर	4.89 (1.85)	27.3 (1.5)	55.82 (29)	2.4 (0.89)	12.95 (0.74)	53.92 (33)
बांका	3.08 (1.17)	17.22 (0.94)	55.93 (28)	2.2 (0.82)	12.36 (0.7)	56.3 (28)
सहरसा	1.29 (0.49)	7.12 (0.39)	55.22 (30)	1.29 (0.48)	7.12 (0.4)	55.22 (31)
सुपौल	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
मधेपुरा	4.68 (1.77)	25.04 (1.37)	53.57 (35)	4.68 (1.74)	25.04 (1.42)	53.57 (34)
पूर्णिया	0.9 (0.34)	5.26 (0.29)	58.46 (24)	0.9 (0.33)	5.26 (0.3)	58.46 (23)
किशनगंज	0.22 (0.08)	2.05 (0.11)	91.51 (3)	0.22 (0.08)	2.05 (0.12)	91.51 (2)
अररिया	0.28 (0.11)	1.52 (0.08)	54.07 (34)	0.28 (0.1)	1.52 (0.09)	54.07 (32)
कटिहार	0.08 (0.03)	0.55 (0.03)	68.74 (9)	0.08 (0.03)	0.55 (0.03)	68.74 (7)
बिहार	**264.1(100)**	**1824.02 (100)**	**69.06**	**268.94 (100)**	**1761.01 (100)**	**65.48**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.8 : बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2016-17)

(हजार टन में)

जिला	यूरिया	डीएपी	एसएसपी	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	अमोनियम सल्फेट	मिश्रित	योग	नाइट्रोजन	फॉस्फोरस	पोटाश	योग(NPK)	कुल योग
पटना	71.5	19.7	1.9	6.7	2.2	5.7	107.7	38	11	4	52.8	160.5
नालंदा	88.8	20.7	6.5	1.6	0.4	5.7	123.8	45	12	2	59.2	182.9
भोजपुर	62.9	11.2	1.7	0.5	1	10.7	88.1	33	8	1	41.5	129.6
बक्सर	51.2	5.2	0.5	0.4	1	9.4	67.6	26	4	0	31.4	99
रोहतास	101.4	20.9	8.1	2	0	24.1	156.6	54	17	4	75.2	231.8
कैमूर	49	7.6	3	0.2	0	7.6	67.3	25	6	1	31.5	98.8
गया	66.8	14.6	3	1	0	8.8	94.2	35	9	1	44.8	139
जहानाबाद	22.2	2.5	0.2	0.2	0	1	26.1	11	1	0	12.4	38.5
अरवल	19.6	2.6	0.2	0.2	0	0.7	23.2	10	1	0	11.1	34.3
नवादा	26.1	3.5	0.8	0.1	0	1.6	32.1	13	2	0	15.1	47.2
औरंगाबाद	61.9	14.6	5.9	0.7	0	10.7	93.9	33	10	1	44	137.9
सारण	51.4	7.4	0	0.4	0	6.8	66	26	5	0	31.3	97.3
सीवान	38.9	3.8	0	0.1	0	2.4	45.2	19	2	0	21.4	66.7
गोपालगंज	21.5	1.1	0	0.5	0	2.2	25.4	11	1	0	11.9	37.2
पश्चिम चंपारण	68.2	20.4	0.3	10.1	1.6	6.9	107.5	37	11	6	53.8	161.3
पूर्व चंपारण	99.5	25.3	3.2	7.8	0.1	8.7	144.6	52	14	5	71.1	215.7
मुजफ्फरपुर	90.1	22.9	2.4	12.7	0.1	10	138.2	47	13	8	68.7	206.9
सीतामढ़ी	42.6	11.7	0.4	3.5	0.7	2.2	61	22	6	2	30.3	91.4
शिवहर	7.5	1.5	0	0.6	0	0.4	9.9	4	1	0	4.9	14.8
वैशाली	73.9	25.6	1.2	14.7	3.4	9.8	128.7	41	14	9	64.4	193.1
दरभंगा	39.7	11.9	0.4	4.9	0.4	3.3	60.6	21	6	3	30.5	91.1
मधुबनी	36.1	15.3	0.1	5.3	0.6	2.8	60.3	20	8	3	31	91.3
समस्तीपुर	65.9	18.2	1.7	10.8	0.1	4.3	101	34	10	7	50.8	151.8
बेगूसराय	65.9	37.9	2.3	18.7	3	11.2	139.1	40	20	12	71.9	211
मुंगेर	14.5	2	0.4	1.9	0	0.6	19.4	7	1	1	9.4	28.8
शेखपुरा	11	2.3	0.3	0.3	0	1.1	15	6	1	0	7.2	22.1
लखीसराय	18.6	3.2	1.5	0.1	0	0.7	24	9	2	0	11.2	35.2
जमुई	45.2	14.2	0.7	2.4	0.1	1.4	64.1	24	7	2	32.1	96.2
खगड़िया	67.9	15.8	2	12.4	1.1	5.2	104.4	35	9	7	51.4	155.8
भागलपुर	38.6	8.5	1.2	2.9	0.1	1.5	52.9	20	4	2	25.8	78.7
बांका	37.1	10.5	0.2	7.6	0.2	4.5	60.1	20	6	5	30.3	90.4
सहरसा	34.9	16.4	0.1	9.6	0.1	9.2	70.2	21	9	6	36	106.3
सुपौल	46.5	13.7	0.4	12.3	0.4	9.5	82.9	26	8	8	41.7	124.6
मधेपुरा	103.3	39.2	6.6	24.5	1.8	16	191.3	58	22	15	95.2	286.5
पूर्णिया	19.8	5.3	1.4	1.6	0	0.7	28.8	10	3	1	14	42.9
किशनगंज	77.8	25.3	2.9	21.1	0.4	12.5	140.1	43	15	13	70.4	210.4
अररिया	75.2	28	3.7	15.8	0.8	16.4	139.9	43	17	10	69.6	209.6
कटिहार	64.4	21.3	0.9	13.6	0	4.1	104.4	34	11	8	53.4	157.8
बिहार	**1977.5**	**531.7**	**66.5**	**229.8**	**19.5**	**240.6**	**3065.5**	**1053**	**308.8**	**147**	**1508.8**	**4574.3**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.9 : बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2017-18)

(हजार टन में)

जिला	यूरिया	डीएपी	एसएसपी	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	अमोनियम सल्फेट	मिश्रित	योग	नाइट्रोजन	फॉस्फोरस	पोटाश	योग(NPK)	कुल योग
पटना	75.9	15.9	3.6	1.6	1	6.1	104	39	9	1	49.6	153.7
नालंदा	99.5	24.5	8.4	1.6	0.7	10.6	145.3	52	15	2	69.5	214.8
भोजपुर	70.7	20.1	2.2	1.4	0.4	10.9	105.6	38	12	1	51.4	157
बक्सर	60.1	14.7	1	1	0	11.2	88	32	9	1	42.5	130.6
रोहतास	111.5	25.8	8.6	3.1	0	21.8	170.8	59	19	4	82.6	253.4
कैमूर	61.3	16.2	4.3	0.9	0	10.3	93	33	10	1	44.4	137.3
गया	62.4	22.1	2.7	2.2	0	5.6	95	34	12	2	47.2	142.1
जहानाबाद	21	3.6	0	0.4	0.2	0.8	26.2	11	2	0	12.7	38.9
अरवल	17.9	3.6	0.1	0.4	0	0.5	22.5	9	2	0	11	33.5
नवादा	25	5	1.3	0.2	0	1.9	33.4	13	3	0	15.9	49.3
औरंगाबाद	61.5	18.5	7.7	1.6	0	9.5	98.9	33	12	1	46.4	145.2
सारण	54.9	16.3	0.3	2.3	0	4.7	78.5	29	9	2	39.2	117.7
सीवान	45.6	9.5	0	0.8	0	4.1	60	23	5	1	29.2	89.2
गोपालगंज	26	4.4	0.1	0.8	0	2.1	33.4	13	2	1	16.1	49.6
पश्चिम चंपारण	71.4	29.3	1.6	12.2	3.3	8.4	126.2	40	16	8	63.7	189.9
पूर्व चंपारण	93.7	35	3.3	10.6	0.7	11.1	154.4	51	19	7	77.8	232.2
मुजफ्फरपुर	80.8	27.9	1.8	13.9	0.1	8.4	132.8	44	15	9	67.7	200.6
सीतामढ़ी	43	12.7	0.7	5.1	0.6	6.3	68.4	23	7	4	34.2	102.6
शिवहर	8.7	2.2	0.1	0.8	0	0.6	12.3	5	1	0	6.2	18.5
वैशाली	70.2	36.4	2.4	14.4	5.9	8.6	137.9	41	19	9	69.9	207.9
दरभंगा	40.7	15.6	1.1	6	1.3	6.2	70.9	23	9	4	36	107
मधुबनी	40.5	21.9	0.1	3.6	0.7	3.1	69.8	23	11	2	36.4	106.2
समस्तीपुर	62.8	22.4	1.6	10.5	0.1	5.6	103	34	12	6	52.2	155.2
बेगूसराय	63.2	29.3	2.2	13.6	4	8.6	120.9	37	16	9	61.2	182.1
मुंगेर	15.4	3.8	0.1	1.1	0	0.6	21	8	2	1	10.5	31.5
शेखपुरा	12.4	2.7	0.4	0.2	0	0.7	16.3	6	1	0	7.8	24.1
लखीसराय	19.7	4.2	1.6	0	0	1.4	27	10	3	0	12.8	39.8
जमुई	45.6	14.4	1	2.1	0.1	4	67.2	24	8	2	33.7	101
खगड़िया	75.2	24.4	1.1	13	1.5	7.7	122.9	41	13	8	62.1	184.9
भागलपुर	38.2	11.4	0.7	3.5	0.4	3.2	57.4	20	6	2	28.8	86.2
बांका	37.3	13	0.1	8.9	0.3	4.7	64.3	20	7	6	33.3	97.6
सहरसा	40.5	19.7	0.1	10.2	0.1	9	79.5	24	11	7	41.4	120.9
सुपौल	54.6	21.4	0.1	14.8	0.9	9.8	101.5	31	12	9	52.3	153.8
मधेपुरा	94.9	40.6	5.4	24.7	5.2	20.8	191.7	56	24	15	95.3	287
पूर्णिया	20.6	9.1	0.7	2.8	0.2	2.5	35.8	12	5	2	18.2	54
किशनगंज	72.5	29.4	1.9	20.1	1.6	11	136.6	41	16	12	69.6	206.2
अररिया	68.6	30.4	2.8	19.3	3.5	12.8	137.4	40	17	12	69.6	207
कटिहार	75.7	24.8	0.7	15.3	0.3	6.9	123.7	41	13	9	62.9	186.6
बिहार	**2039.5**	**682.3**	**72**	**244.9**	**32.8**	**262.2**	**3333.6**	**1113.2**	**386.2**	**161.8**	**1661.2**	**4994.9**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.10 : कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2016-17)

जिला	ट्रैक्टर	कंबाइन हार्वेस्टर	जीरो टिलेज	पंपसेट	पावर टिलर	शारीरिक शक्तिचालित औजार	थ्रसर
पटना	2498	7	33	317	175	293	151
नालंदा	1806	14	24	166	310	265	131
भोजपुर	1366	6	163	133	6	317	71
बक्सर	788	15	47	125	0	125	2
रोहतास	2483	31	170	174	4	148	84
कैमूर	1788	14	95	116	0	304	23
गया	2057	17	11	241	286	919	116
जहानाबाद	1168	4	2	73	204	617	51
अरवल	423	1	0	56	21	65	143
नवादा	917	14	5	120	74	392	75
औरंगाबाद	1076	8	5	170	15	89	189
सारण	3469	0	76	540	13	544	165
सीवान	1207	6	5	200	4	203	94
गोपालगंज	2288	5	5	229	0	734	109
पश्चिम चंपारण	4023	4	27	246	40	1273	191
पूर्व चंपारण	3480	0	32	373	1	553	145
मुजफ्फरपुर	2194	0	4	351	1	1009	16
सीतामढ़ी	3488	0	39	272	1	1477	254
शिवहर	964	0	6	35	0	464	8
वैशाली	3878	0	30	144	19	1074	112
दरभंगा	261	0	13	21	0	6	3
मधुबनी	2902	0	27	257	0	920	342
समस्तीपुर	5906	0	23	514	0	2723	33
बेगूसराय	1343	3	6	112	0	260	15
मुंगेर	620	0	2	64	10	285	12
शेखपुरा	412	12	4	28	9	171	69
लखीसराय	893	6	7	83	0	435	36
जमुई	623	4	1	67	38	197	41
खगड़िया	1047	2	1	89	0	707	42
भागलपुर	1753	0	23	251	7	807	47
बांका	2049	3	32	183	105	995	85
सहरसा	3582	0	16	124	0	1612	125
सुपौल	1748	0	2	115	0	571	18
मधेपुरा	1734	0	1	120	1	953	60
पूर्णिया	2729	0	8	220	30	835	162
किशनगंज	1294	0	9	79	2	217	86
अररिया	3052	0	313	184	0	686	634
कटिहार	2033	6	2	133	26	663	104
बिहार	**75342**	**182**	**1269**	**6725**	**1402**	**23908**	**4044**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.11 : कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2017-18)

जिला	ट्रैक्टर	कंबाइन हार्वेस्टर	जीरो टिलेज	पंपसेट	पावर टिलर	शारीरिक शक्तिचालित औजार	थ्रसर
पटना	3048	12	21	84	134	182	238
नालंदा	1176	24	20	60	203	121	93
भोजपुर	1168	14	115	88	1	205	46
बक्सर	739	27	74	118	0	32	24
रोहतास	1656	73	239	59	1	62	144
कैमूर	778	31	370	44	1	125	44
गया	1835	6	1	152	238	311	345
जहानाबाद	527	2	2	26	72	236	62
अरवल	461	0	0	29	22	104	114
नवादा	725	11	2	30	54	216	123
औरंगाबाद	1211	12	5	62	18	55	346
सारण	2343	2	30	89	1	250	229
सीवान	2005	7	6	227	0	177	316
गोपालगंज	1876	11	9	112	0	210	211
पश्चिम चंपारण	3572	6	3	258	29	669	95
पूर्व चंपारण	5230	0	39	212	0	796	190
मुजफ्फरपुर	2833	0	9	257	1	649	170
सीतामढ़ी	2989	0	22	56	0	983	199
शिवहर	734	0	9	69	4	236	32
वैशाली	2505	0	10	66	0	613	90
दरभंगा	860	0	4	36	0	0	32
मधुबनी	2606	0	8	75	1	535	300
समस्तीपुर	4518	1	7	200	0	137	121
बेगूसराय	3175	2	15	44	1	318	86
मुंगेर	779	0	3	84	4	308	51
शेखपुरा	765	1	4	22	3	233	87
लखीसराय	1062	0	14	96	0	328	149
जमुई	993	0	2	68	58	366	53
खगड़िया	836	1	0	16	0	397	97
भागलपुर	2533	0	7	265	2	865	110
बांका	1912	1	20	171	47	720	66
सहरसा	2417	0	3	42	0	679	76
सुपौल	4161	0	1	133	1	402	57
मधेपुरा	2054	0	2	124	0	654	44
पूर्णिया	3124	0	10	58	4	624	221
किशनगंज	933	1	0	74	1	76	10
अररिया	1145	0	1	45	0	263	32
कटिहार	2253	4	0	146	25	498	19
बिहार	**73537**	**249**	**1087**	**3797**	**926**	**13635**	**4722**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.12 : जिलावार सहकारी ऋण वितरण

जिला	लक्ष्य (लाख रु.)			उपलब्धि (लाख रु.)		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	11433	3990	7197	3072.4 (26.9)	3065.15 (76.8)	680.33 (9.5)
नालंदा	4303	5586	5758	770.75 (17.9)	794.01 (14.2)	276.37 (4.8)
भोजपुर	5391	6383	5758	592.86 (11)	473.78 (7.4)	528.01 (9.2)
बक्सर	3926	3724	3359	351.83 (9)	297.41 (8)	300.55 (8.9)
रोहतास	2351	3458	3838	2051.04 (87.2)	2043.55 (59.1)	1947.09 (50.7)
कैमूर	1647	2926	2879	1036.47 (62.9)	864.05 (29.5)	849.86 (29.5)
गया	3047	1596	1439	374.15 (12.3)	296.02 (18.5)	168.91 (11.7)
जहानाबाद	1018	532	480	38.89 (3.8)	4.7 (0.9)	4.7 (1)
अरवल	383			18.4 (4.8)		
नवादा	2865	6118	6237	2078 (72.5)	589.36 (9.6)	1785.03 (28.6)
औरंगाबाद	3208	5320	4798	1434.97 (44.7)	558.77 (10.5)	406.95(8.5)
सारण						
सीवान	3393	4242	3838	2296.54 (67.7)	1049.7 (24.7)	765.77 (20)
गोपालगंज	1092	6383	5758	1773.31 (162.4)	1618.93 (25.4)	2376.75 (41.3)
पश्चिम चंपारण	3583	2128	2877	567.91 (15.9)	556.63 (26.2)	581.06 (20.2)
पूर्व चंपारण	2199	4256	3838	3046.64 (138.5)	2385.44 (56)	2946 (76.8)
मुजफ्फरपुर	2997	4256	3838	575.96 (19.2)	341.67 (8)	259.1 (6.8)
सीतामढ़ी	1601	3192	2879	224.72 (14)	209.91 (6.6)	245.36 (8.5)
शिवहर	286	532	480	55.46 (19.4)	68.4 (12.9)	49.56 (10.3)
वैशाली	964	1862	1919	64.53 (6.7)	6.52 (0.4)	66.91 (3.5)
दरभंगा						
मधुबनी	7907	6118	6237	6661.54 (84.2)	6532.86 (106.8)	3478.72 (55.8)
समस्तीपुर	3398	2660	2879	3088.95 (90.9)	1916.27 (72)	2053.88 (71.3)
बेगूसराय	11727	3458	4318	10047.5 (85.7)	9127.11 (263.9)	6312.49 (146.2)
मुंगेर	563			17.11 (3)		
शेखपुरा	814					
लखीसराय	1532					
जमुई	977					
खगड़िया	3388	2394	2399	3791.35 (111.9)	5100.63 (213.1)	3850.35 (160.5)
भागलपुर	1265	2660	3359	289.47 (22.9)	346.03 (13)	310.85 (9.3)
बांका	1557	3458	3359	33.69 (2.2)	24.35(0.7)	22.62 (0.7)
सहरसा	–	–	–		–	–
सुपौल	–	–	–	–	–	–
मधेपुरा	–	–	–	–	–	–
पूर्णिया	3464	4522	4798	327.56 (9.5)	412.04 (9.1)	478.69 (10)
किशनगंज	3540	2128	2399	209.11 (5.9)	87.23 (4.1)	173.28(7.2)
अररिया	2180	2926	3359	584.01 (26.8)	283.52 (9.7)	611.66 (18.2)
कटिहार	2001	3192	3359	87.5 (4.4)	60.61 (1.9)	137.79 (4.1)
बिहार	**100000**	**100000**	**103636**	**45562.62 (45.6)**	**39129.56 (39.1)**	**31785.66 (30.7)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.13 : जिलावार पशु संपदा (2012)

(आंकड़े हजार में)

जिला	गाय	भैंस	सूअर	भेड़	ब्करी	पॉल्ट्री पक्षी
पटना	306 (2.5)	293 (3.9)	39 (5.9)	13 (5.7)	179 (1.5)	401 (3.1)
नालंदा	176 (1.4)	317 (4.2)	23 (3.5)	8 (3.5)	157 (1.3)	520 (4.1)
भोजपुर	204 (1.7)	202(2.7)	131 (20.2)	19 (8.1)	115 (0.9)	161 (1.3)
बक्सर	162 (1.3)	183 (2.4)	8 (1.3)	16 (6.7)	81 (0.7)	80 (0.6)
रोहतास	396 (3.2)	299 (3.9)	11 (1.7)	14 (6.0)	369 (3.0)	187 (1.5)
कैमूर	204 (1.7)	222 (2.9)	8 (1.3)	43(18.5)	111 (0.9)	131 (1.0)
गया	654 (5.3)	314 (4.2)	83 (12.8)	10 (4.2)	428 (3.5)	496 (3.9)
जहानाबाद	80 (0.7)	132 (1.7)	16 (2.5)	2 (0.9)	73 (0.6)	95 (0.7)
अरवल	53 (0.4)	73 (1.0)	4 (0.6)	2 (1.0)	50 (0.4)	134 (1.0)
नवादा	307 (2.5)	130 (1.7)	28 (4.3)	3 (1.1)	224 (1.8)	274 (2.1)
औरंगाबाद	364 (3.0)	200 (2.6)	11 (1.7)	25 (10.9)	209 (1.7)	377 (3.0)
सारण	321 (2.6)	187(2.5)	8 (1.3)	5(2.2)	188 (1.5)	325 (2.5)
सीवान	295 (2.4)	149 (2.0)	10 (1.6)	2(0.9)	235 (1.9)	232 (1.8)
गोपालगंज	188 (1.5)	115 (1.5)	6 (1.0)	0(0.2)	211 (1.7)	146 (1.1)
पश्चिम चंपारण	367 (3.0)	260 (3.4)	17 (2.7)	2(1.0)	593 (4.9)	466 (3.7)
पूर्व चंपारण	360 (2.9)	340 (4.5)	16 (2.5)	2(0.7)	725 (6.0)	684 (5.4)
मुजफ्फरपुर	344 (2.8)	278 (3.7)	5 (0.8)	2(0.8)	564 (4.6)	853 (6.7)
सीतामढ़ी	151 (1.2)	186 (2.5)	6 (1.0)	0(0.1)	366 (3.0)	281 (2.2)
शिवहर	40 (0.3)	47 (0.6)	1 (0.2)	0(0.0)	96 (0.8)	48 (0.4)
वैशाली	213 (1.7)	169 (2.2)	2 (0.3)	2(0.7)	299 (2.5)	756 (5.9)
दरभंगा	260 (2.1)	222 (2.9)	9 (1.3)	1(0.2)	302 (2.5)	480 (3.8)
मधुबनी	526 (4.3)	380 (5.0)	16 (2.4)	1(0.5)	400 (3.3)	259 (2.0)
समस्तीपुर	467 (3.8)	241 (3.2)	3 (0.5)	3(1.1)	387 (3.2)	551 (4.3)
बेगूसराय	363 (3.0)	99 (1.3)	4 (0.6)	0(0.0)	231 (1.9)	256 (2.0)
मुंगेर	167 (1.4)	52 (0.7)	8 (1.2)	0(0.1)	169 (1.4)	141 (1.1)
शेखपुरा	67 (0.5)	46 (0.6)	5 (0.8)	1(0.5)	64 (0.5)	60 (0.5)
लखीसराय	126 (1.0)	58 (0.8)	4 (0.6)	1(0.6)	107 (0.9)	45 (0.4)
जमुई	459 (3.8)	78 (1.0)	33 (5.0)	11(4.6)	351 (2.9)	189 (1.5)
खगड़िया	239 (2.0)	88 (1.2)	4 (0.7)	0(0.0)	228 (1.9)	148 (1.2)
भागलपुर	509 (4.2)	191 (2.5)	9 (1.4)	1(0.2)	582 (4.8)	358 (2.8)
बांका	552 (4.5)	142 (1.9)	21 (3.3)	16(6.9)	377 (3.1)	212 (1.7)
सहरसा	298 (2.4)	163 (2.1)	11 (1.7)	0(0.0)	347 (2.9)	138 (1.1)
सुपौल	475 (3.9)	313 (4.1)	11 (1.7)	16 (7.1)	448 (3.7)	176 (1.4)
मधेपुरा	346 (2.8)	820 (10.8)	7 (1.1)	1(0.3)	403 (3.3)	198 (1.6)
पूर्णिया	499 (4.1)	133 (1.8)	19 (2.9)	0(0.0)	516 (4.2)	559 (4.4)
किशनगंज	411 (3.4)	45 (0.6)	12 (1.8)	1(0.6)	407 (3.4)	736 (5.8)
अररिया	678 (5.5)	300 (4.0)	16 (2.4)	3(1.4)	980 (8.1)	722 (5.7)
कटिहार	605 (4.9)	101 (1.3)	23 (3.5)	6 (2.7)	580 (4.8)	876 (6.9)
बिहार	**12232 (100.0)**	**7567 (100.0)**	**650 (100.0)**	**232 (100.0)**	**12154 (100.0)**	**12748 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.14 : पशुधन संबंधी सेवाओं में जिलावार उपलब्धि

जिला	इलाज किए गए पशु (लाख)		प्रतिरक्षण (लाख)		कृत्रिम गर्भाधान (लाख)	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
पटना	2.15	2.40	8.42	16.52	3.26	1.32
नालंदा	1.29	1.60	6.59	13.48	0.11	0.72
भोजपुर	1.05	1.19	5.24	10.95	3.06	1.44
बक्सर	0.60	0.54	4.32	8.98	0.35	1.01
रोहतास	1.25	1.30	8.84	14.91	0.12	0.86
कैमूर	0.38	0.55	5.50	11.07	0.05	0.51
गया	2.16	2.20	13.59	26.94	1.27	0.72
जहानाबाद	0.82	0.73	2.86	5.50	0.06	0.32
अरवल	0.40	0.35	1.63	3.22	0.03	0.19
नवादा	1.36	1.10	6.26	11.71	0.12	0.26
औरंगाबाद	1.39	1.37	8.08	15.78	0.11	0.33
सारण	1.78	1.95	6.86	13.40	0.48	0.80
सीवान	0.94	0.83	6.47	9.80	0.32	0.63
गोपालगंज	0.74	0.95	4.74	10.81	0.41	1.21
पश्चिम चंपारण	1.03	1.18	10.96	18.21	0.03	0.51
पूर्व चंपारण	1.39	1.76	12.62	20.38	0.10	0.93
मुजफ्फरपुर	1.54	1.94	10.60	18.11	5.18	2.37
सीतामढ़ी	1.05	1.15	6.17	9.83	0.04	0.53
शिवहर	0.15	0.28	1.61	2.53	0.02	0.41
वैशाली	0.97	1.09	6.40	10.68	0.29	1.47
दरभंगा	1.29	1.58	7.42	13.15	0.12	0.71
मधुबनी	1.26	1.24	12.28	22.15	0.05	0.53
समस्तीपुर	2.28	2.91	10.56	19.16	4.12	3.31
बेगूसराय	1.73	1.74	6.69	12.76	3.94	2.32
मुंगेर	0.74	0.82	3.54	6.13	0.33	0.55
शेखपुरा	0.68	0.63	1.67	3.03	0.04	0.13
लखीसराय	0.51	0.54	2.75	4.98	0.12	0.52
जमुई	0.77	0.77	8.33	15.18	0.03	0.08
खगड़िया	0.71	0.70	5.17	9.22	0.04	1.12
भागलपुर	1.47	1.26	11.68	19.53	0.95	0.59
बांका	0.87	0.94	10.19	18.91	0.25	0.59
सहरसा	0.80	1.06	7.46	12.84	0.03	0.27
सुपौल	1.26	1.18	11.71	21.38	0.30	0.13
मधेपुरा	1.06	1.23	11.72	16.63	0.04	0.18
पूर्णिया	1.28	1.40	10.56	17.81	0.30	0.23
किशनगंज	0.48	0.56	7.79	12.93	0.04	0.07
अररिया	0.68	0.72	17.40	28.24	0.06	0.16
कटिहार	0.70	0.93	11.79	19.87	0.03	0.19
बिहार	**41.03**	**44.67**	**296.45**	**526.72**	**26.20**	**28.23**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.15 : मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन

जिला	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)
	2015-16		2016-17		2017-18	
पटना	15.47	308.88	15.63	225	17.43	467.8
नालंदा	17.61	360	17.62	360	20.33	365.25
भोजपुर	10.05	60	10.07	60.05	12.2	62.5
बक्सर	6.91	45	6.92	84	6.69	85.02
रोहतास	6.75	100	6.78	175	8.44	178.3
कैमूर	9.95	124	9.98	125	12.51	127.5
गया	6.5	1.86	6.5	150	8.07	152.15
जहानाबाद	1.26	15	1.26	15	1.26	16.05
अरवल	1.37	20	1.37	20	1.26	21.03
नवादा	5.4	0	5.5	1	4.9	1.5
औरंगाबाद	7.02	70	8.13	70	9.15	75
सारण	9.71	48.4	9.71	56.8	11.25	57.25
सीवान	6.21	20	6.22	20	7.27	21.02
गोपालगंज	9.25	23.2	9.41	16.25	10.8	17.3
पश्चिम चंपारण	23.1	460	23.2	461	25.02	462.15
पूर्व चंपारण	50.4	216	50	725	51.62	731.02
मुजफ्फरपुर	21.75	480	21.75	520	25.6	520
सीतामढ़ी	12.24	596	12.25	598	12.41	599.7
शिवहर	2.05	5	2.2	6	2.62	35
वैशाली	15.09	95.2	15.09	96	18.9	97.25
दरभंगा	44	450	44	1000	54	1750
मधुबनी	51.45	150	51.8	1600	65.65	1625.65
समस्तीपुर	13.08	300	14.02	320	14.24	320.3
बेगूसराय	21.76	25	21.81	0	24.1	0
मुंगेर	9.4	20	9.4	20	9.2	18
शेखपुरा	2.93	10	2.93	10	2.91	15
लखीसराय	7.9	0	7.9	0	6.75	0
जमुई	2.35	0.5	2.35	1.5	2.51	2
खगड़िया	18.9	125	20	120	23.89	124.3
भागलपुर	13.6	364	13.61	375	14.09	377.25
बांका	9.89	0	9.91	0	9.98	0
सहरसा	6.7	25	6.85	10	8.82	11.5
सुपौल	10.54	3.1	8.1	2.2	12.95	10
मधेपुरा	3.73	46	3.82	1.25	4.3	15
पूर्णिया	12.05	63	12.1	70	16.4	160
किशनगंज	6.17	112	6.19	115	5.75	117.25
अररिया	10.85	28.6	10.85	33.5	13.13	95
कटिहार	23.5	470	23.85	470	31.45	472.25
बिहार	**506.89**	**5240.74**	**509.08**	**7932.55**	**587.85**	**9206.29**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.16 : बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2016-17)

(हजार टन में)

जिला	संकर गाय	स्थानीय गाय	कुल गाएं	भैंस	योग (गाय + भैंस)	बकरी	कुल उत्पादन
पटना	278.92 (10.1)	16.49 (0.7)	295.41 (5.7)	174.23 (5.2)	469.65 (5.5)	3.78 (1.9)	473.42 (5.4)
नालंदा	99.73 (3.6)	27.03 (1.1)	126.76 (2.5)	208.19 (6.2)	334.95 (3.9)	3.16 (1.6)	338.1 (3.9)
भोजपुर	135.62 (4.9)	25.95 (1.1)	161.57 (3.1)	124.71 (3.7)	286.28 (3.4)	2.67 (1.3)	288.95 (3.3)
बक्सर	69.38 (2.5)	52.64 (2.2)	122.02 (2.4)	148.24 (4.4)	270.26 (3.2)	3.09 (1.5)	273.35 (3.1)
रोहतास	28.81 (1)	47.36 (2)	76.17 (1.5)	108.77 (3.2)	184.94 (2.2)	1.26 (0.6)	186.2 (2.1)
कैमूर	62.33 (2.2)	32.53 (1.4)	94.86 (1.8)	86.17 (2.6)	181.03 (2.1)	1.25 (0.6)	182.29 (2.1)
गया	39.81 (1.4)	129.65 (5.5)	169.46 (3.3)	123.59 (3.7)	293.04 (3.4)	7.11 (3.5)	300.16 (3.4)
जहानाबाद	25.26 (0.9)	13.4 (0.6)	38.67 (0.8)	56.51 (1.7)	95.18 (1.1)	1.33 (0.7)	96.52 (1.1)
अरवल	29.56 (1.1)	2.99 (0.1)	32.55 (0.6)	37.45 (1.1)	70 (0.8)	1.08 (0.5)	71.08 (0.8)
नवादा	18.32 (0.7)	64.93 (2.7)	83.24 (1.6)	57.57 (1.7)	140.82 (1.7)	3.28 (1.6)	144.1 (1.7)
औरंगाबाद	31.82 (1.1)	90.6 (3.8)	122.43 (2.4)	99.57 (3)	221.99 (2.6)	4.75 (2.3)	226.75 (2.6)
सारण	116.54 (4.2)	61.89 (2.6)	178.43 (3.5)	87.37 (2.6)	265.8 (3.1)	2.93 (1.4)	268.73 (3.1)
सीवान	53.38 (1.9)	62.66 (2.6)	116.04 (2.3)	77.59 (2.3)	193.64 (2.3)	3.44 (1.7)	197.07 (2.3)
गोपालगंज	38.39 (1.4)	36.65 (1.5)	75.04 (1.5)	58.43 (1.7)	133.47 (1.6)	3.23 (1.6)	136.7 (1.6)
पश्चिम चंपारण	60.43 (2.2)	92.2 (3.9)	152.63 (3)	97.09 (2.9)	249.72 (2.9)	8.71 (4.3)	258.43 (3)
पूर्व चंपारण	39.14 (1.4)	103.97 (4.4)	143.11(2.8)	136.58 (4.1)	279.69 (3.3)	10.81 (5.3)	290.5 (3.3)
मुजफ्फरपुर	182.48 (6.6)	18.98 (0.8)	201.46 (3.9)	125.15 (3.7)	326.62 (3.8)	8.73 (4.3)	335.35 (3.9)
सीतामढ़ी	23.92 (0.9)	16.52 (0.7)	40.44 (0.8)	85.66 (2.6)	126.1 (1.5)	6.46 (3.2)	132.56 (1.5)
शिवहर	11.99 (0.4)	7.91 (0.3)	19.9 (0.4)	21.3 (0.6)	41.2 (0.5)	1.78 (0.9)	42.97 (0.5)
वैशाली	161.56 (5.8)	4.81 (0.2)	166.36 (3.2)	74.51 (2.2)	240.87 (2.8)	4.52 (2.2)	245.39 (2.8)
दरभंगा	50.88 (1.8)	58.7 (2.5)	109.59 (2.1)	120.6 (3.6)	230.19 (2.7)	5.11 (2.5)	235.29 (2.7)
मधुबनी	9.13 (0.3)	124.89 (5.3)	134.02 (2.6)	144.22 (4.3)	278.24 (3.3)	7.07 (3.5)	285.31 (3.3)
समस्तीपुर	317.68 (11.5)	12.18 (0.5)	329.85 (6.4)	105.06 (3.1)	434.92 (5.1)	5.75 (2.8)	440.67 (5.1)
बेगूसराय	286.27 (10.3)	6.18 (0.3)	292.45 (5.7)	49.89 (1.5)	342.34 (4)	3.74 (1.8)	346.08 (4)
मुंगेर	63.92(2.3)	35.16 (1.5)	99.08 (1.9)	30.82 (0.9)	129.9 (1.5)	3.4 (1.7)	133.3 (1.5)
शेखपुरा	27.37 (1)	13.08 (0.5)	40.45 (0.8)	26.82 (0.8)	67.26 (0.8)	1.09 (0.5)	68.35 (0.8)
लखीसराय	58.36 (2.1)	16.07 (0.7)	74.43 (1.4)	31.08 (0.9)	105.51 (1.2)	1.54 (0.8)	107.04 (1.2)
जमुई	12.78 (0.5)	95.54 (4)	108.33 (2.1)	38.65 (1.2)	146.97 (1.7)	5.5 (2.7)	152.48 (1.8)
खगड़िया	172.66 (6.2)	27.52 (1.2)	200.18 (3.9)	57.51 (1.7)	257.7 (3)	3.78 (1.9)	261.48 (3)
भागलपुर	141.61 (5.1)	91.66 (3.9)	233.27 (4.5)	90.27 (2.7)	323.55 (3.8)	7.8 (3.8)	331.35 (3.8)
बांका	27.36 (1)	126.34 (5.3)	153.69 (3)	62.85 (1.9)	216.54 (2.5)	5.66 (2.8)	222.2 (2.6)
सहरसा	20.72 (0.7)	84.1 (3.5)	104.82 (2)	85.95 (2.6)	190.77 (2.2)	5.45 (2.7)	196.22 (2.3)
सुपौल	2.46 (0.1)	116.44 (4.9)	118.9 (2.3)	211.19 (6.3)	330.1 (3.9)	7.07 (3.5)	337.17 (3.9)
मधेपुरा	17.66 (0.6)	88.2 (3.7)	105.86 (2.1)	84.93 (2.5)	190.79 (2.2)	5.93 (2.9)	196.71 (2.3)
पूर्णिया	23.73 (0.9)	131.98 (5.5)	155.72 (3)	52.47 (1.6)	208.19 (2.4)	6.43 (3.2)	214.62 (2.5)
किशनगंज	13.55 (0.5)	120.02 (5)	133.57 (2.6)	26.52 (0.8)	160.09 (1.9)	6.06 (3)	166.15 (1.9)
अररिया	7.64 (0.3)	163.75 (6.9)	171.4 (3.3)	98.88 (2.9)	270.28 (3.2)	29.51 (14.5)	299.78 (3.4)
कटिहार	10.18 (0.4)	157.33 (6.6)	167.51 (3.3)	50.66 (1.5)	218.17 (2.6)	8.67 (4.3)	226.84 (2.6)
बिहार	**2771.38 (100)**	**2378.31 (100)**	**5149.69 (100)**	**3357.05 (100)**	**8506.74 (100)**	**202.92 (100)**	**8709.65 (100)**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.17 : बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2017-18)

(हजार टन में)

जिला	संकर गाय	स्थानीय गाय	कुल गाएं	भैंस	योग (गाय + भैंस)	बकरी	कुल उत्पादन
पटना	285.03 (9.8)	17.38 (0.7)	302.41 (5.6)	196.06 (5.4)	498.47 (5.5)	3.9 (1.9)	502.37 (5.4)
नालंदा	118.36 (4.1)	28.14 (1.1)	146.49 (2.7)	213.99 (5.9)	360.49 (4)	3.16 (1.5)	363.65 (3.9)
भोजपुर	138.97 (4.8)	24.48 (1)	163.45 (3)	136.9 (3.8)	300.35 (3.3)	2.75 (1.3)	303.1 (3.3)
बक्सर	71.19 (2.4)	62.37 (2.5)	133.56 (2.5)	159.29 (4.4)	292.85 (3.2)	3.12 (1.5)	295.97 (3.2)
रोहतास	29.45 (1)	50.54 (2)	79.99 (1.5)	118.35 (3.3)	198.33 (2.2)	1.08 (0.5)	199.41 (2.2)
कैमूर	63.93 (2.2)	35.42 (1.4)	99.36 (1.8)	92.98 (2.6)	192.34 (2.1)	1.23 (0.6)	193.56 (2.1)
गया	40.91 (1.4)	144.68 (5.8)	185.59 (3.4)	132.16 (3.7)	317.75 (3.5)	7.33 (3.5)	325.08 (3.5)
जहानाबाद	25.9 (0.9)	13 (0.5)	38.9 (0.7)	64.59 (1.8)	103.49 (1.1)	1.34 (0.6)	104.82 (1.1)
अरवल	30.26 (1)	2.88 (0.1)	33.14 (0.6)	41.53 (1.1)	74.67 (0.8)	1.09 (0.5)	75.75 (0.8)
नवादा	18.79 (0.6)	68.63 (2.7)	87.42 (1.6)	60.83 (1.7)	148.25 (1.6)	3.49 (1.7)	151.74 (1.6)
औरंगाबाद	34.99 (1.2)	94.66 (3.8)	129.66 (2.4)	106.86 (3)	236.52 (2.6)	4.8 (2.3)	241.31 (2.6)
सारण	127.62 (4.4)	63.17 (2.5)	190.79 (3.5)	90.98 (2.5)	281.77 (3.1)	2.94 (1.4)	284.71 (3.1)
सीवान	54.81 (1.9)	64.82 (2.6)	119.63 (2.2)	80.87 (2.2)	200.5 (2.2)	3.44 (1.7)	203.94 (2.2)
गोपालगंज	39.27 (1.3)	42.84 (1.7)	82.11 (1.5)	62.77 (1.7)	144.88 (1.6)	3.26 (1.6)	148.14 (1.6)
पश्चिम चंपारण	61.83 (2.1)	93.53 (3.7)	155.35 (2.9)	101.33 (2.8)	256.68 (2.8)	9.04 (4.4)	265.72 (2.9)
पूर्व चंपारण	40.22 (1.4)	108.95 (4.4)	149.17 (2.8)	150.05 (4.1)	299.23 (3.3)	11.13 (5.4)	310.36 (3.4)
मुजफ्फरपुर	194.68 (6.7)	19.5 (0.8)	214.19 (4)	138.27 (3.8)	352.45 (3.9)	8.92 (4.3)	361.37 (3.9)
सीतामढ़ी	24.46 (0.8)	17.39 (0.7)	41.86 (0.8)	89.1 (2.5)	130.95 (1.4)	6.56 (3.2)	137.51 (1.5)
शिवहर	12.26 (0.4)	8.23 (0.3)	20.49 (0.4)	22.35 (0.6)	42.84 (0.5)	1.79 (0.9)	44.63 (0.5)
वैशाली	180.5 (6.2)	5.01 (0.2)	185.5 (3.4)	81.8 (2.3)	267.31 (3)	4.54 (2.2)	271.85 (2.9)
दरभंगा	53.14 (1.8)	64.72 (2.6)	117.87 (2.2)	130.3 (3.6)	248.17 (2.7)	5.2 (2.5)	253.37 (2.7)
मधुबनी	9.85 (0.3)	122.01 (4.9)	131.86 (2.4)	151.68 (4.2)	283.54 (3.1)	7.12 (3.4)	290.67 (3.1)
समस्तीपुर	338.76 (11.6)	12.38 (0.5)	351.14 (6.5)	111.42 (3.1)	462.56 (5.1)	5.78 (2.8)	468.34 (5.1)
बेगूसराय	294.73 (10.1)	6.23 (0.2)	300.96 (5.6)	52.66 (1.5)	353.62 (3.9)	3.76 (1.8)	357.38 (3.9)
मुंगेर	74.02 (2.5)	40.08 (1.6)	114.09 (2.1)	36.01 (1)	150.1 (1.7)	3.42 (1.7)	153.53 (1.7)
शेखपुरा	28.06 (1)	13.3 (0.5)	41.35 (0.8)	28.56 (0.8)	69.91 (0.8)	1.1 (0.5)	71.01 (0.8)
लखीसराय	61.33 (2.1)	16.73 (0.7)	78.06 (1.4)	34.61 (1)	112.67 (1.2)	1.48 (0.7)	114.16 (1.2)
जमुई	12.94 (0.4)	110.02 (4.4)	122.95 (2.3)	42.36 (1.2)	165.31 (1.8)	5.79 (2.8)	171.1 (1.9)
खगड़िया	176.25 (6)	28.78 (1.2)	205.03 (3.8)	63.3 (1.7)	268.33 (3)	3.81 (1.8)	272.15 (2.9)
भागलपुर	145.64 (5)	99.11 (4)	244.74 (4.5)	102.46 (2.8)	347.21 (3.8)	7.93 (3.8)	355.14 (3.8)
बांका	28.22 (1)	144.15 (5.8)	172.37 (3.2)	68.85 (1.9)	241.22 (2.7)	5.98 (2.9)	247.2 (2.7)
सहरसा	21.28 (0.7)	85.77 (3.4)	107.05 (2)	92.08 (2.5)	199.12 (2.2)	5.48 (2.6)	204.6 (2.2)
सुपौल	2.51(0.1)	121.44 (4.9)	123.95 (2.3)	220.23 (6.1)	344.18 (3.8)	7.15 (3.5)	351.33 (3.8)
मधेपुरा	18.39(0.6)	89.76 (3.6)	108.15 (2)	91.55 (2.5)	199.7 (2.2)	5.94 (2.9)	205.65 (2.2)
पूर्णिया	24.33(0.8)	138.35 (5.5)	162.68 (3)	60.65 (1.7)	223.33 (2.5)	6.55 (3.2)	229.89 (2.5)
किशनगंज	13.87(0.5)	120.76 (4.8)	134.63 (2.5)	29.49 (0.8)	164.13 (1.8)	6.33 (3.1)	170.46 (1.8)
अररिया	7.81(0.3)	164.8 (6.6)	172.61 (3.2)	105.61 (2.9)	278.22 (3.1)	30.3 (14.7)	308.53 (3.3)
कटिहार	10.52(0.4)	156.18 (6.2)	166.71 (3.1)	56.49 (1.6)	223.2 (2.5)	8.8 (4.3)	232 (2.5)
बिहार	**2915.06 (100)**	**2500.21 (100)**	**5415.27 (100)**	**3619.37 (100)**	**9034.64 (100)**	**206.85 (100)**	**9241.49 (100)**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 4

उद्यम क्षेत्र

किसी विकासशील देश में टिकाऊ आर्थिक विकास की प्रक्रिया मुख्यत: ढांचागत परिवर्तन से तय होती है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ढांचागत परिवर्तन बिहार और भारत, दोनो में देखा गया है, हालांकि बिहार में विकास की गति संपूर्ण भारत से धीमी रही है। इसका आंशिक कारण ऐतिहासिक है। इसके अलावा, द्वितीयक क्षेत्र की कीमत पर तृतीयक क्षेत्र के बढ़ने के कारण भी ऐसा हुआ है और यह निस्संदेह राष्ट्रीय परिघटना है। बहरहाल, हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने ऐसी अनेक नीतियां अपनाई हैं जिनसे आने वाले वर्षों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की आशा है। इन नीतियों में अधिसंरचना का विकास और उद्यमिता के कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना, दोनो शामिल हैं। खास कर यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य में बिजली के क्षेत्र में नाटकीय सुधार हुआ है, और दूसरे, 'व्यवसाय सुगमता' के लिहाज से भी राज्य के दर्जा में सुधार हुआ है।

बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर विगत वर्षों में अस्थिर रही है और संपूर्ण आर्थिक विकास पर इसका बहुत कम प्रभाव हुआ है (तालिका 4.1)। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 2016-17 में 7.6 प्रतिशत और 2017-18 में 2.7 प्रतिशत थी। हालांकि 2017-18 के त्वरित अनुमान में इसकी विकास प्रक्रिया धीमी होती दिखती है। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगितामूलक सेवाओं की वृद्धि दर इस अवधि में पुन: अस्थिर हो गई जो 2015-16 के 0.1 प्रतिशत से लेकर 2016-17 के 7.3 प्रतिशत तक थी।

तालिका 4.1 : बिहार में स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक विकास दरें

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (त्वरित)
खनन एवं उत्खनन	540.6	-58.3	210.0	-0.1	3.5
विनिर्माण	94.5	37.4	-10.0	7.6	2.7
बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगितामूलक सेवाएं	2.8	3.4	0.1	7.3	3.6
निर्माण	6.5	-4.5	10.2	1.0	2.2
द्वितीयक क्षेत्र	27.8	11.9	0.1	4.2	2.5
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.9	3.6	5.8	9.9	11.3

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 4.2 में देश के विभिन्न राज्यों में 2014–15 से 2016–17 तक के तीन वर्षों के दौरान सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान प्रस्तुत किया गया है। इससे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के सीमित आकार का स्पष्ट पता चलता है। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2016–17 में 19.2 प्रतिशत रह गया जो 2015–16 से 1.2 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। अन्य सभी राज्यों में 2016–17 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा तेलंगाना के 25.5 प्रतिशत से लेकर छत्तीसगढ़ के 48.0 प्रतिशत तक था। हालांकि गौरतलब है कि तृतीयक क्षेत्र के अपेक्षाकृत तेज विकास ने कृषीतर क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास सुनिश्चित कर दिया है। राज्य सरकार विकास पथ को औद्योगिक क्षेत्र की ओर मोड़ने के लिए पिछले पांच वर्षों से अपनी औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों का पालन कर रही है।

तालिका 4.2 : भारत के विभिन्न राज्यों में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17
आंध्र प्रदेश	27.5	27.5	26.7	महाराष्ट्र	34.8	35.1	34.1
असम	31.0	38.0	38.0	ओडिशा	40.2	43.6	42.1
बिहार	**21.1**	**20.4**	**19.2**	पंजाब	25.0	25.2	25.0
छत्तीसगढ़	47.6	48.3	48.0	राजस्थान	30.5	31.5	31.0
गुजरात	47.2	49.8	49.8	तमिलनाडु	33.6	36.2	36.9
हरियाणा	31.2	31.1	30.5	तेलंगाना	23.7	25.7	25.5
झारखंड	43.5	41.3	37.1	उत्तर प्रदेश	26.5	28.2	29.1
कर्नाटक	26.5	27.6	27.4	पश्चिम बंगाल	24.4	25.0	26.9
केरल	27.3	27.4	27.0				
मध्य प्रदेश	27.3	29.3	27.0	**भारत**	**31.1**	**31.6**	**31.5**

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)

4.1 उद्योगों की स्थिति

देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी औद्योगिक क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक, दोनो प्रकार के क्षेत्र हैं। इस खंड में इन दोनो क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। जहां औपचारिक क्षेत्र की स्थिति पर वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआइ) के आंकड़ों के आधार पर चर्चा की जाएगी, वहीं अनौपचारिक क्षेत्र की स्थिति पर अनिगमितकृषीतर उद्यमों (अनइनकॉर्पोरेटेड नन–एॅग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेज) पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के हाल के आंकड़ों का उपयोग करके विश्लेषण किया जाएगा।

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में शामिल उद्योग

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण भारत में उद्योगों के बारे में सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक है जो देश में उद्योगों के विभिन्न पहलुओं के आंकड़े उपलब्ध कराता है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में पूरा कारखाना क्षेत्र शामिल रहता है जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत निबंधित कारखाना कही जाने वाली औद्योगिक इकाइयां शामिल होती हैं। इसके अलावा, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में 10 या अधिक कामगारों वाली विद्युत–चालित या

20 से अधिक इकाइयों वाली बिना बिजली वाली और बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (रोजगार की स्थिति) अधिनियम, 1966 के तहत निबंधित बीड़ी और सिगार इकाइयों पर भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तहत नहीं निबंधित बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण में लगी विद्युत इकाइयों को भी शामिल किया जाता है।

यह सुविदित बात है कि उचित अधिसंरचना को देखते हुए बिहार में कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयां तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में हैं। इस दिशा में बिहार ने जबर्दस्त संभावना दर्शाई है जो विगत 10 वर्षों की अवधि में इसके कृषि आधारित उद्योगों की 19.2 प्रतिशत वृद्धि दर से स्पष्ट है (तालिका 4.3)।

तालिका 4.3 : कारखानों और चालू कारखानों की संख्या

वर्ष	कारखानों की संख्या			चालू कारखानों की संख्या		
	कृषि आधारित	कृषीतरआधारित	योग	कृषि आधारित	कृषीतरआधारित	योग
बिहार						
2006-07	278 (17)	1323 (83)	1601 (100)	228 (16)	1182 (84)	1410 (100)
2007-08	466 (26)	1319 (74)	1785 (100)	404 (25)	1209 (75)	1613 (100)
2008-09	437 (25)	1340 (75)	1777 (100)	377 (24)	1172 (76)	1549 (100)
2009-10	510 (27)	1409 (73)	1919 (100)	454 (26)	1271 (74)	1725 (100)
2010-11	918 (33)	1889 (67)	2807 (100)	822 (32)	1725 (68)	2547 (100)
2011-12	1126 (35)	2106 (65)	3232 (100)	1014 (35)	1858 (65)	2872 (100)
2012-13	1141 (34)	2206 (66)	3347 (100)	1005 (34)	1941 (66)	2946 (100)
2013-14	1148 (34)	2272 (66)	3420 (100)	1036 (33)	2096 (67)	3132 (100)
2014-15	1232 (35)	2298 (65)	3530 (100)	1129 (38)	1813 (62)	2942 (100)
2015-16	1251 (35)	2372 (65)	3623 (100)	1092 (37)	1826 (63)	2918 (100)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	18.3	8.4	11.0	19.2	6.9	10.2
भारत						
2006-07	54902 (38)	89809 (62)	144711 (100)	51681 (37)	86937 (63)	138618 (100)
2007-08	62189 (42)	84196 (58)	146385 (100)	59124 (42)	81443 (58)	140567 (100)
2008-09	67259 (43)	88063 (57)	155322 (100)	64005 (43)	86285 (57)	150290 (100)
2009-10	65409 (41)	93469 (59)	158878 (100)	62299 (41)	90336 (59)	152635 (100)
2010-11	87520 (43)	117011 (57)	204531 (100)	69249 (42)	97387 (58)	166636 (100)
2011-12	93251 (43)	124303 (57)	217554 (100)	72769 (41)	102939 (59)	175708 (100)
2012-13	87803 (40)	134317 (60)	222120 (100)	68698 (38)	110403 (62)	179101 (100)
2013-14	87775 (39)	136803 (61)	224578 (100)	70993 (38)	114697 (62)	185690 (100)
2014-15	95887 (42)	134546(58)	230433 (100)	77049 (41)	112417 (59)	189466 (100)
2015-16	90762 (39)	142354(61)	233116 (100)	73427 (38)	117635 (62)	191062 (100)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	6.1	6.7	6.5	3.6	4.4	4.1

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल योग में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की विकास दर संपूर्ण भारत में हासिल विकास दर की लगभग पांचगुनी थी। कृषीतर उद्योगों के मामले में भी बिहार में विकास दर संपूर्ण भारत के स्तर पर हासिल विकास दर से अधिक थी। राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 विकसित की है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के संकल्प दस्तावेज में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि ''इस नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति सहयोगी अधिसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, और संशोधित ढांचा वाले सहायता पैकेज और संतुलित क्षेत्रीय विकास, अर्थात राज्य के सारे भौगोलिक क्षेत्रों को समान रूप से निवेश के लाभ उपलब्ध कराने पर जोर देने के साथ भावी विकास के मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है।''

तालिका 4.4 से पता चलता है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का आकार छोटा ही है। वर्ष 2015-16 में भारत के कुल चालू कारखानों की संख्या में बिहार के चालू कारखानों का हिस्सा मात्र 1.5 प्रतिशत था जबकि बिहार में ऐसे उद्योगों की विकास दर 10 प्रतिशत थी जो पूरे देश की 4 प्रतिशत विकास दर से काफी अधिक है। बिहार में उद्योगों के स्वास्थ्य को समझने के लिए स्थिर पूंजी की कुल रकम, कार्यशील पूंजी, रोजगार, उत्पाद मूल्य आदि अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है। बिहार में 2015-16 में इन सारे सूचकों के मामले में 2014-15 की तुलना में थोड़ी गिरावट आई थी। हालांकि इन सूचकों में गिरावट अकेले बिहार में नहीं आई थी। संपूर्ण भारत के स्तर पर भी इन सूचकों में या तो मामूली परिवर्तन हुआ था या वे गतिरुद्ध रहे थे। आशा की जा सकती है कि औद्योगीकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रबल प्रतिबद्धता के कारण आने वाले वर्षों में मुख्य सूचकों की विकास संबंधी संभावनाओं में सुधार होगा।

तालिका 4.5 दर्शाती है कि बिहार के उद्योगों की उत्पादक क्षमता अपेक्षाकृत कम है जिसके कारण पूंजी और श्रम पर कम प्रतिफल मिल पाता है। पूंजी और श्रम के मामले में निम्न प्रतिफल की व्याख्या भारत के बरअक्स बिहार में उद्योगों के कुछ ढांचागत अनुपातों की सहायता से की जा सकती है। जैसे, 2015-16 में बिहार में प्रति कारखाना स्थिर पूंजी की औसत मात्रा मात्र 3.39 करोड़ रु. थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर यह 14.70 करोड़ थी। यहां चिंता की बात यह है कि बिहार में प्रति चालू कारखाना स्थिर पूंजी की औसत मात्रा की वृद्धि दर लगभग गतिरुद्ध रही है। इसी प्रकार, प्रति चालू कारखाना निवल मूल्यवर्धन भी 2015-16 से 2014-15 में 1.97 करोड़ रु. से घटकर 1.80 करोड़ रु. रह गया है जो संपूर्ण भारत के औसत का मात्र 32 प्रतिशत है।

बिहार के उद्योगों की अन्य राज्यों और संपूर्ण भारत के उद्योगों के साथ संक्षिप्त तुलना करने पर बिहार में औद्योगिक उत्पादन का निम्न स्तर स्पष्ट दिखता है। इसका मुख्य कारण कम पूंजी लगाया जाना है (तालिका 4.6)। बिहार में सकल उत्पाद मूल्य में सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा मात्र 12.7 प्रतिशत था जबकि देश के सभी राज्यों के बीच तेलंगाना में यह अनुपात सर्वाधिक 24.1 प्रतिशत था। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में श्रमिकों के अवशोषण की क्षमता बहुत निम्न है। वर्ष 2015-16 में बिहार में उद्योगों में कुल रोजगार 1.19 लाख था जो देश के सभी राज्यों के बीच उद्योगों के कुल रोजगार का मात्र 0.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार, प्रति कारखाना श्रमिकों की संख्या बिहार में मात्र 41 थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 75 थी। बिहार में कारखानों में प्रति

व्यक्ति वार्षिक मजदूरी–वेतन (बोनस सहित) बहुत कम नहीं था। वर्ष 2015–16 में बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी–वेतन (बोनस सहित) 1,19,305 रु. था जो एक वर्ष पहले 97,790 रु. ही था (तालिका 4.7)। यह तर्क दिया जा सकता है कि मजदूरी–वेतन (बोनस सहित) में वृद्धि एक महत्वपूर्ण फीचर है क्योंकि बिहार में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है जिसके कारण मजदूरों, खास कर विभिन्न कुशल कामगार आबादी के मामले में उसमें कमी का रुझान रहता है।

तालिका 4.4 : बिहार और भारत में उद्योग

वर्ष	चालू कारखानों की संख्या (हजार में)		स्थिर पूंजी (हजार करोड़ में)		कार्यशील पूंजी (हजार करोड़ में)	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
2006-07	139	1.41 (1.0)	715	2.95 (0.4)	282	1.61 (0.6)
2007-08	141	1.61 (1.1)	845	3.01 (0.4)	317	1.64 (0.5)
2008-09	150	1.55 (1.0)	1056	3.03 (0.3)	311	1.47 (0.5)
2009-10	153	1.73 (1.1)	1352	4.45 (0.3)	388	0.95 (0.2)
2010-11	167	2.55 (1.5)	1607	5.26 (0.3)	620	2.47 (0.4)
2011-12	176	2.87 (1.6)	1950	7.55 (0.4)	589	(-)0.24 (-0.04)
2012-13	179	2.95 (1.6)	2180	6.47 (0.3)	603	2.48 (0.4)
2013-14	186	3.13 (1.7)	2374	8.04 (0.3)	1011	5.88 (0.6)
2014-15	189	2.94 (1.6)	2474	9.94 (0.4)	641	3.49 (0.5)
2015-16	191	2.92 (1.5)	2810	9.92 (0.4)	741	1.45 (0.2)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	4	10	17	17	13	9.7
वर्ष	नियोजित व्यक्ति (हजार में)		उत्पादों के मूल्य (हजार करोड़ रु.)		निवल मूल्यवर्धन (हजार करोड़ रु.)	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
2006-07	10328	67 (0.6)	2409	19.04 (0.8)	396	0.32 (0.1)
2007-08	10453	74 (0.7)	2776	21.87 (0.8)	482	1.16 (0.2)
2008-09	11327	74 (0.7)	3273	29.54 (0.9)	528	3.18 (0.6)
2009-10	11792	87 (0.7)	3733	2.83 (0.1)	592	2.32 (0.4)
2010-11	12695	106 (0.8)	4676	36.05 (0.8)	705	4.42 (0.6)
2011-12	13430	127 (0.9)	5776	60.17 (1.0)	837	5.64 (0.7)
2012-13	12950	116 (0.9)	6026	51.68 (0.9)	852	1.30 (0.2)
2013-14	13538	114 (0.8)	6555	55.30 (0.8)	895	5.15 (0.6)
2014-15	13881	146 (1.1)	6884	58.76 (0.9)	975	5.82 (0.6)
2015-16	14300	119 (0.8)	6862	47.73 (0.7)	1072	5.23 (0.5)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	4	8	14	52	11	25

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े संपूर्ण भारत के आंकड़ों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

तालिका 4.5 : बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात

विशेषताएं	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
प्रति चालू कारखाना स्थिर पूंजी (लाख रु.)	1217	220 (18.1)	1278	257 (20.1)	1306	338 (25.9)	1470	339.9 (23.1)
प्रति नियोजित व्यक्ति स्थिर पूंजी (लाख रु.)	16.9	5.6 (33.1)	17.5	7.1 (40.4)	17.8	6.8 (38.2)	19.6	8.3 (42.3)
प्रति चालू कारखाना श्रमिकों की संख्या	56	34 (60.7)	56	31 (54.6)	57	43 (75.2)	58	35.4 (60.7)
प्रति चालू कारखाना नियोजित व्यक्तियों की संख्या	72	40 (55.6)	73	36 (49.7)	73	50 (67.8)	75	41.0 (54.8)
प्रति चालू कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	476	44 (9.2)	482	165 (34.1)	515	197 (38.5)	561	180 (32.0)
प्रति नियोजित व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	6.6	1.1 (17.0)	6.6	4.5 (68.6)	7.0	4.0 (56.7)	7.5	4.4 (58.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े संपूर्ण भारत के आंकड़ों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

तालिका 4.6 : औद्योगिक क्षेत्र के सकल उत्पाद मूल्य और सकल मूल्यवर्धन का राज्यवार विवरण (2015-16)

राज्य	चालू कारखानों की संख्या	सकल उत्पाद मूल्य (करोड़ रु.)	सकल मूल्यवर्धन		
			रकम करोड़ रु. में	योगफल में प्रतिशत हिस्सा	सकल उत्पाद मूल्यके प्रतिशत के बतौर
आंध्र प्रदेश	12864	233776	38806	3.0	16.6
बिहार	**2918**	**47734**	**6083**	**0.5**	**12.7**
छत्तीसगढ़	2641	97317	13994	1.1	14.4
गुजरात	18545	1154039	210956	16.6	18.3
हरियाणा	6523	395350	61778	4.9	15.6
झारखंड	2462	114749	18109	1.4	15.8
कर्नाटक	10289	437723	78685	6.2	18.0
केरल	6890	122691	18299	1.4	14.9
मध्य प्रदेश	3878	193423	35710	2.8	18.5
महाराष्ट्र	22165	1168017	248475	19.5	21.3
ओडिशा	2634	137118	23855	1.9	17.4
पंजाब	10308	185520	26715	2.1	14.4
राजस्थान	8176	240800	43076	3.4	17.9
तमिलनाडु	29925	699001	131349	10.3	18.8
तेलंगाना	13073	188520	45417	3.6	24.1
उत्तर प्रदेश	12585	428136	64679	5.1	15.1
पश्चिम बंगाल	8215	270938	30607	2.4	11.3
भारत	**191062**	**6862354**	**1273280**	**100.0**	**18.6**

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

तालिका 4.7 : औद्योगिक क्षेत्र नियोजित व्यक्तियों का राज्यवार विवरण (2015-16)

राज्य	चालू कारखानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति			प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी, वेतन और बोनस (रु.)
		संख्या	योगफल में प्रतिशत हिस्सा	प्रति कारखाना रोजगार	
आंध्र प्रदेश	12864	520056	3.6	40	218851
बिहार	**2918**	**119496**	**0.8**	**41**	**119305**
छत्तीसगढ़	2641	171906	1.2	65	318016
गुजरात	18545	1563868	10.9	84	250789
हरियाणा	6523	717193	5.0	110	256909
झारखंड	2462	179639	1.3	73	381914
कर्नाटक	10289	1005074	7.0	98	260647
केरल	6890	338920	2.4	49	201370
मध्य प्रदेश	3878	358323	2.5	92	231787
महाराष्ट्र	22165	1970456	13.8	89	336213
ओडिशा	2634	257842	1.8	98	268148
पंजाब	10308	609675	4.3	59	165171
राजस्थान	8176	508574	3.6	62	225663
तमिलनाडु	29925	2326458	16.3	78	202188
तेलंगाना	13073	689537	4.8	53	174454
उत्तर प्रदेश	12585	941293	6.6	75	217689
पश्चिम बंगाल	8215	634835	4.4	77	197890
भारत	**191062**	**14000000**	**100.0**	**75**	**238796**

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

अभी तक बिहार में औद्योगिक क्षेत्र ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सीमित भूमिका निभाई है जबकि राज्य में प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की संभावना है – खास कर कृषि आधारित उद्योगों के मामले में। महसूस किया गया है कि कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार दुहरी भूमिका निभाएगा। एक ओर तो इससे शीघ्र नष्ट होने वाली चीजों के मूल्यवर्धन के लिए बिहार की फसलों और बागवानी उत्पादों का उपयोग होगा, और दूसरी ओर इससे कुशल और अर्ध-कुशल श्रमशक्ति के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा क्योंकि कृषि आधारित उद्योग आम तौर पर श्रम-प्रधान होते हैं। इसके अलावा, श्रमिकों की प्रचुरता को देखते हुए बिहार को अनिगमित लघु-स्तरीय उद्यमों के केंद्र के बतौर भी विकसित किया जा सकता है जहां निवेश की कम जरूरत होती है और श्रमिकों के उपयोग के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है।

अनिगमित कृषीतर उद्यम

अनिगमित कृषीतर उद्यम (यूएनएई) सामान्यत: वैसी औद्योगिक इकाइयां होती हैं, जो छोटी होती हैं और उन्हें वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में इकाइयों की संख्या बहुत अधिक

है और राज्य तथा देश के समग्र औद्योगिक उत्पादन में उनका अच्छा-खासा योगदान रहता है। दुर्भाग्यवश, इस क्षेत्र के बारे में हर साल संग्रहित किए जान वाले उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस कमी की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा इस क्षेत्र पर कुछ अंतराल पर सर्वेक्षण किया जाता है। सबसे हाल का सर्वेक्षण 2015-16 से संबंधित है।

तालिका 4.8 : हर क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार उद्यमों का राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र-वार प्रतिशत वितरण

राज्य	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण और शहरी		
	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी
आंध्र प्रदेश	6.0	5.8	6.0	5.1	3.2	4.7	5.6	3.9	5.3
असम	2.5	4.0	2.6	1.0	1.6	1.2	1.8	2.3	1.9
बिहार	**7.5**	**6.3**	**7.4**	**3.4**	**3.2**	**3.4**	**5.7**	**4.0**	**5.4**
छत्तीसगढ़	1.8	0.9	1.5	1.1	1.3	1.1	1.4	1.2	1.3
गुजरात	3.1	2.6	3.0	8.0	5.9	7.5	5.3	5.0	5.2
हरियाणा	1.1	1.8	1.2	1.7	2.6	1.9	1.4	2.4	1.5
झारखंड	3.8	3.2	3.7	1.3	1.0	1.2	2.7	1.6	2.5
कर्नाटक	5.4	5.6	5.4	6.2	8.3	6.7	5.8	7.6	6.0
केरल	2.8	8.5	3.3	4.0	4.9	4.2	3.3	5.9	3.7
मध्य प्रदेश	4.3	3.2	4.2	4.4	3.9	4.2	4.3	3.7	4.2
महाराष्ट्र	5.9	5.9	5.9	8.5	11.5	9.2	7.1	10.0	7.5
ओडिशा	4.6	4.1	4.6	1.6	1.6	1.6	3.3	2.3	3.1
पंजाब	1.8	2.7	2.0	2.6	3.2	2.7	2.2	3.1	2.3
राजस्थान	3.9	3.9	3.9	4.7	4	4.6	4.3	4.0	4.2
तमिलनाडु	4.7	7.5	4.9	10.5	12.1	10.9	7.2	10.8	7.8
तेलंगाना	4.2	1.9	4.0	4.3	3.8	4.2	4.3	3.3	4.1
उत्तर प्रदेश	15.0	13.8	14.9	14.4	10.2	13.4	14.8	11.2	14.2
पश्चिम बंगाल	18.0	11.9	17.4	11.2	7.6	10.4	15.0	8.8	14.0
उप-योग	98.9	97.7	98.7	98.5	97.9	98.3	98.6	97.9	98.5
संपूर्ण भारत	100	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

इस डेटाबेस के अनुसार बिहार में अनिगमित कृषीतर उद्यमों की कुल संख्या लगभग 34.48 लाख थी जो देश के ऐसे सारे उद्यमों का 5.4 प्रतिशत है। उद्यमों की संख्या के संदर्भ में स्पष्ट है कि देश के सभी उद्यमों में बिहार का 5.4 प्रतिशत हिस्सा देश की आबादी में बिहार के 8.6 प्रतिशत हिस्से से कम था (तालिका 4.8)। इनमें 53.07 लाख श्रमिकों के काम करने का अनुमान था। अनिगमित कृषीतर उद्यमों में परिवार आधारित स्वामित्व या साझेदारी वाले उद्यमों की बहुलता थी, खास कर स्वश्रम उद्यमों (ओएई) की। उद्यमों का बहुत छोटा हिस्सा कच्चे

मालों की उपलब्धता और अपने उत्पादों/ सेवाओं की मांग के आधार पर सिर्फ खास मौसम में संचालित होता है। सिर्फ बाजार के लिए उत्पादन में लगे ऐसे उद्यमों के सकल मूल्यवर्धन के लिहाज से बिहार का हिस्सा देश के कुल सकल मूल्यवर्धन में 4.5 प्रतिशत था (तालिका 4.9)। साथ ही, कुल सकल मूल्यवर्धन में बिहार का हिस्सा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, और झारखंड से अधिक था। इसके अलावा, बिहार में उद्यमों का कुल सकल मूल्यवर्धन 51.6 हजार करोड़ रु. था। राज्य के अंदर देखें, तो सकल मूल्यवर्धन में ग्रामीण बिहार का 52 प्रतिशत और शहरी बिहार का 48 प्रतिशत हिस्सा था। शहरीकरण के निम्न स्तर को देखते हुए बिहार में शहरी उद्यमों का मूल्यवर्धन सचमुच बहुत अधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत के सकल मूल्यवर्धन में बिहार के ग्रामीण उद्यमों का 7.7 प्रतिशत योगदान था जो ग्रामीण उद्यमों के राज्य के आनुपातिक हिस्से अधिक था।

तालिका 4.9 : सभी राज्यों में उद्यमों की संख्या और सकल मूल्यवर्धन में विभिन्न राज्यों का प्रतिशत हिस्सा

राज्य	ग्रामीण उद्यम		शहरी उद्यम		सभी उद्यम	
	संख्या में हिस्सा	सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा	संख्या में हिस्सा	सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा	संख्या में हिस्सा	सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा
आंध्र प्रदेश	6.0	5.1	4.7	3.4	5.3	3.9
असम	2.6	2.6	1.2	1.0	1.9	1.5
बिहार	**7.4**	**7.7**	**3.4**	**3.1**	**5.4**	**4.5**
छत्तीसगढ़	1.5	1.0	1.1	0.9	1.3	1.0
गुजरात	3.0	5.3	7.5	7.8	5.2	7.0
हरियाणा	1.2	2.2	1.9	2.8	1.5	2.7
झारखंड	3.7	3.1	1.2	0.8	2.5	1.5
कर्नाटक	5.4	6.6	6.7	8.6	6.0	8.0
केरल	3.3	6.7	4.2	5.2	3.7	5.7
मध्य प्रदेश	4.2	3.2	4.2	3.5	4.2	3.4
महाराष्ट्र	5.9	8.0	9.2	13.3	7.5	11.8
ओडिशा	4.6	3.1	1.6	1.2	3.1	1.8
पंजाब	2.0	2.3	2.7	2.8	2.3	2.7
राजस्थान	3.9	4.9	4.6	4.8	4.2	4.9
तमिलनाडु	4.9	6.4	10.9	10.4	7.8	9.2
तेलंगाना	4.0	2.9	4.2	3.7	4.1	3.5
उत्तर प्रदेश	14.9	12.8	13.4	10.2	14.2	11.0
पश्चिम बंगाल	17.4	10.8	10.4	6.0	14.0	7.4
उप-योग	98.7	98.4	98.3	97.8	98.5	98.0
संपूर्ण भारत	100	100	100	100	100	100

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

तालिका 4.10 में विभिन्न राज्यों का प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन प्रस्तुत किया गया है। अनिगमित कृषीतर उद्यमों का प्रति उद्यम वार्षिक सकल मूल्यवर्धन संपूर्ण भारत के स्तर पर 181.9 हजार रु. और बिहार का 149.7 हजार रु. अनुमानित था। ग्रामीण बिहार के लिए प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन 110.9 हजार रु. अनुमानित था जो संपूर्ण भारत के औसत से अधिक है। उल्लेखनीय है कि बिहार में ग्रामीण और शहरी, दोनो स्वश्रम उद्यमों का प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन संपूर्ण भारत के औसत से काफी अधिक था। हालांकि प्रतिष्ठानों के मामले में परिदृश्य ठीक उलटा था। इसका अर्थ हुआ कि ग्रामीण और शहरी बिहार के प्रतिष्ठान संपूर्ण भारत की तुलना में छोटे पैमाने के थे जिनमें विस्तार की गुंजाइश है।

तालिका 4.10 : विभिन्न राज्यों के लिए क्षेत्रवार और उद्यम के अनुसार प्रति उद्यम वार्षिक सकल मूल्यवर्धन (हजार रु.)

राज्य	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण और शहरी
आंध्र प्रदेश	90.8	188.7	132.4
असम	105.9	219.8	140.1
बिहार	**110.9**	**239.0**	**149.7**
छत्तीसगढ़	71.7	211.3	130.4
गुजरात	183.6	270.6	244.6
हरियाणा	197.2	392.4	315.4
झारखंड	87.6	173.4	108.2
कर्नाटक	128.5	336.2	240.8
केरल	217.4	324.6	276.4
मध्य प्रदेश	81.9	215.0	147.2
महाराष्ट्र	143.2	378.6	283.5
ओडिशा	72.5	190.8	102.1
पंजाब	129.1	271.1	211.4
राजस्थान	132.7	276.5	208.1
तमिलनाडु	138.2	250.5	214.4
तेलंगाना	77.4	231.7	154.4
उत्तर प्रदेश	90.8	199.2	140.8
पश्चिम बंगाल	65.8	151.4	96.7
संपूर्ण भारत	106.1	261.6	181.9

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

श्रमिकों की उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण सूचक प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन है (तालिका 4.11)। बिहार में प्रति श्रमिक वार्षिक सकल मूल्यवर्धन 97.2 हजार रु. था जो संपूर्ण भारत स्तर के 103.7 हजार रु. के लगभग बराबर है। प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन के मामले में बिहार और संपूर्ण भारत के स्तर पर बहुत कम फासला था।

ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ग्रामीण बिहार में प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन 80.5 हजार रु. था जो संपूर्ण भारत स्तर के 69.2 हजार रु. प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन से काफी अधिक है।

अगर हम तालिका 4.11 में वर्णित उजरती (भाड़े के) मजदूरों की अनुमानित संख्या और प्रति उजरती मजदूर परिलब्धियों (इमॉल्यूमेंट्स) पर विचार करें, तो दिखता है कि प्रति उजरती मजदूर परिलब्धि बिहार में 63.7 हजार रु. और संपूर्ण भारत के स्तर पर 87.5 हजार रु. थी। यह भी गौरतलब है कि 2015-16 में अनिगमित उद्यमों में 874.1 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ था। छोटे पैमाने के उत्पादन और बाजार में सीमित अवसरों को देखते हुए, उत्पादन प्रक्रिया में लगे लोग लगभग 5,000 रु. प्रति माह कमा रहे थे जिससे से वे गरीबी रेखा के ऊपर रह पा रहे थे।

तालिका 4.11 : विभिन्न राज्यों में उजरती मजदूरों की अनुमानित संख्या और प्रति उजरती मजदूर वार्षिक सकल मूल्यवर्धन

(हजार रु.)

राज्य	उजरती मजदूरों की अनुमानित संख्या (हजार)	प्रति श्रमिक वार्षिक सकल मूल्यवर्धन			हर उजरती मजदूर पर परिलब्धियां
		ग्रामीण	शहरी	सभी	
आंध्र प्रदेश	1358	60.2	101.6	79.9	79
असम	463	77.4	122.7	93.7	54
बिहार	**874**	**80.5**	**124.9**	**97.2**	**64**
छत्तीसगढ़	364	38.9	96.5	65.5	62
गुजरात	1934	112.9	140.0	132.9	108
हरियाणा	728	113.9	184.6	160.1	125
झारखंड	423	57.8	98.0	69.6	69
कर्नाटक	2260	85.5	155.2	129.4	104
केरल	1624	127.3	161.0	147.2	126
मध्य प्रदेश	1244	50.3	104.3	80.0	77
महाराष्ट्र	2924	95.1	173.8	148.7	110
ओडिशा	561	45.6	98.7	60.9	63
पंजाब	729	95.9	139.7	125.0	79
राजस्थान	1265	85.9	145.7	120.3	94
तमिलनाडु	3277	80.6	121.0	109.6	92
तेलंगाना	930	64.7	122.1	99.9	95
उत्तर प्रदेश	3645	53.0	100.8	76.8	59
पश्चिम बंगाल	2497	45.6	90.1	63.3	59
संपूर्ण भारत	29436	69.2	131.8	103.7	88

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

अनिगमित कृषीतर उद्यमों को अक्सर विकास का कारक नहीं माना जाता है। हालांकि उक्त विश्लेषण से स्पष्ट रेखांकित होता है कि ये उद्यम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अच्छा-खासा योगदान करते हैं, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और अंतत: स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि बिहार में अनिगमित उद्यमों की संख्या और उनके संचालन का पैमाना राज्य के कारखानों से कम नहीं है (जिन पर पहले ही विचार किया जा चुका है)।

4.2 कृषि आधारित उद्योग

जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई थी, कृषि आधारित उद्योग बिहार में आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण वाहक हो सकते हैं। अनाजों के साथ-साथ रेशेदार फसलों, तिलहनों, फलों, सब्जियों और ईख की खेती राज्य में आर्थिक विकास को बल देने के लिहाज से कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए जबर्दस्त अवसर उपलब्ध करा सकती है। साथ ही, राज्य में पशु संसाधनों की बड़ी संख्या से कृषि आधारित उद्योगों की संभावना और भी बढ़ जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

बिहार में जिस प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं, उन्हें देखते हुए राज्य को कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त हो सकता है। बिहार औद्योगिक नीति 2016 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है और इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इस बात को दुहराना जरूरी है कि कृषि व्यवसाय को किसानों के लिए अधिक फलदायी बनाने के लिहाज से जल्दी बर्बाद होने वाले फलों और सब्जियों से सामग्रियों में मूल्यवर्धन के अवसर उपलब्ध होते हैं। बाजारों का विस्तार और क्षमता का बेहतर उपयोग उसे राज्य में आर्थिक विकास में रूपांतरित कर देगा।

चीनी उद्योग

चीनी उद्योग बिहार का एक प्रमुख उद्योग है। ईख की खेती और चीनी के उत्पादन को बिहार के कृषि रोडमैप में भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ईख की खेती से चीनी के उत्पादन तक विभिन्न स्तरों पर मूल्यवर्धन के दौरान रोजगार पैदा करने की काफी संभावना है। अभी राज्य में निजी क्षेत्र में 11 चीनी मिल चल रहे हैं जिनमें से 9 निजी क्षेत्र में हैं और 2 सार्वजनिक क्षेत्र में। वर्ष 2017-18 के पेराई के मौसम में बिहार में 747.89 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई जो गत वर्ष से 176.75 लाख क्विंटल अधिक है। वर्ष 2017-18 में कुल 71.54 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ जो 2016-17 के 52.48 लाख क्विंटल से अधिक है। वर्ष 2017-18 में चीनी प्राप्ति की दर में भी 2017-18 से 0.40 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई जो गत वर्ष के 9.17 प्रतिशत से बढ़कर 9.57 प्रतिशत हो गई। यह भी उल्लेखनीय है कि चीनी मिल औसतन 125 दिनों तक चालू रहे जिससे उनकी स्थापित क्षमता का बेहतर उपयोग हुआ।

ईख की उत्पादकता और चीनी प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत वित्तवर्ष 2017-18 में त्रिस्तरीय बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य कदम इस प्रकार हैं :

(1) 16 चुनिंदा प्रजाति के प्रमाणित ईख बीजों की खरीद पर किसानों को 160 रु. (अजा/ अजजा किसानों के लिए 200 रु.) प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जा रही है। किसी किसान को इस योजना का लाभ ईख की खेती वाली अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए ही मिलेगा। साथ ही, राज्य सरकार

द्वारावैज्ञानिक तरीके से चुनिंदा उन्नत प्रजाति के बीजों के उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है।

(2) आधारिक बीजों के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को 25,000 रु. प्रति हे. की दर से सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, शोध केंद्रों – भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान (लखनऊ) और ईख अनुसंधान संस्थान (पूसा) – के जरिए प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन का ढांचा विकसित किया गया है।

(3) ईख उपजाने वालों को पौधा रक्षक रसायनों की खरीद के लिए कुल कीमत की 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है जिसकी अधिकतम रकम 2,000 रु. प्रति हेक्टेयर है।

(4) ईख के साथ अंतर्वर्ती फसल लगाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन ढांचा लागू है।

(5) किसानों को ट्रेंचर की खरीद के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

(6) तकनीकी प्रचार-प्रसार की व्यवस्था और प्रकार कार्य की निगरानी भी सुनिश्चित की गई है।

(7) वर्ष 2017-18 के ईख पेराई के मौसम में चीनी मिलों के अर्थसंकट में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने ईख पर से खरीद कर हटा दिया है और क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा लिया जाने वाला कमीशन घटाकर ईख की कीमत के 1.8 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत कर दिया है।

तालिका 4.12 : चीनी मिलों का प्रदर्शन

चीनी मिल का नाम	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)
	2015-16			2016-17			2017-18		
बगहा	74.91	7.44	9.97	82.60	7.33	8.88	113.75	10.36	9.11
हरिनगर	115.1	11.51	9.95	126.44	11.60	9.23	175.55	17.67	10.04
नरकटियागंज	75.84	7.58	10.00	88.06	8.54	9.70	118.08	12.17	10.31
मझौलिया	42.2	4.03	9.65	49.93	4.50	9.03	60.51	5.46	9.00
सासामुसा	12.8	1.16	9.29	16.15	1.32	8.42	4.88	0.31	6.35
गोपालगंज	33.03	3.30	9.93	38.81	3.55	9.20	55.11	5.19	9.45
सिधवलिया	45.84	4.30	9.37	47.69	4.37	9.18	58.24	5.38	9.24
रीगा	36.45	3.40	9.38	32.70	2.86	8.72	46.90	4.08	8.77
हसनपुर	31.13	3.19	10.18	29.00	2.88	9.94	38.97	4.08	10.47
लौरिया	27.22	2.58	9.46	32.63	2.96	9.08	40.10	3.65	9.13
सुगौली	20.73	1.84	8.95	27.13	2.57	9.47	35.80	3.19	9.03
योग	515.2	50.33	9.77	571.14	52.48	9.17	747.89	71.54	9.57

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

दूध उत्पादन उद्योग

पशु संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में, खास कर बिहार में हमेशा से पारिवारिक अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग रहे हैं। पशु संसाधनों से होने वाली आमदनी को फसल उत्पादन से होने वाली आय में कमी-बेशी के झटके से उबारने वाला माना जाता है। एक स्वतंत्र अध्ययन में अनुमान किया गया है कि छोटे और सीमांत जमीन मालिकों के कुल पारिवारिक आय में पशु संसाधनों का एक-तिहाई योगदान होता है। ग्रामीण परिवारों को आमदनी के मामले में असुरक्षित स्थिति से बचाने के लिए बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक महासंघ (कॉम्फेड) ने बिहार में त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे की शुरुआत की थी - गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला स्तर पर दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर दुग्ध महासंघ।

कॉम्फेड के अंतर्गत अभी नौ दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां काम कर रही हैं और 2017-18 तक 21,002 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी थीं। चालू सहकारी समितियों की संख्या 2016-17 के 14,785 से 2.8 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 15,203 हो गई। हालांकि प्रति चालू दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति दूध की कुल खरीद में थोड़ी कमी आई है, लेकिन परियोजना के 10 में से 4 स्थानों पर इसमें वृद्धि दर्ज हुई है।

कॉम्फेड के द्वारा कई तरह की गतिविधियां चलाई जाती हैं जिनमें दूध संग्रहण, दुग्ध उत्पादों का विपणन, और पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं के प्रावधान शामिल हैं। कॉम्फेड द्वारा दुग्ध उत्पादों के विपणन में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। खुदरा दूकानों की संख्या 2016-17 के 15,857 से 11.8 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 17,726 हो गई। दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर और आइसक्रीम की बिक्री में 2016-17 से 2017-18 के बीच काफी वृद्धि हुई है। यह अनिवार्यतः दुग्ध उद्योग में मूल्यवर्धन की कॉम्फेड की क्षमता को सूचित करती है।

तालिका 4.13 : विभिन्न दुग्ध संघों/ परियोजनाओं के तहत दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या

(संख्या)

संघ/ परियोजना की अवस्थिति	2016-17			2017-18		
	संगठित समितियां	कार्यशील समितियां	निबंधित समतियां	संगठित समितियां	कार्यशील समितियां	निबंधित समतियां
वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना	4179	2554	1301	4383	2726	1311
देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी	2197	2036	1097	2272	2132	1122
मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर	2434	1948	1115	2529	2030	1172
तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर	3329	1941	1003	3521	2032	1003
शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा	3327	2301	1256	3533	2368	1262
विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर	1724	1160	300	1828	1355	346
मगध दुग्ध परियोजना, गया	1890	1606	193	2048	1784	247
कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया	704	569	36	828	726	39
रांची दुग्ध परियोजना, रांची	907	670	71	60	50	12
सभी दुग्ध	20691	14785	6372	21002	15203	6514

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.14 : विभिन्न परियोजनाओं द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण

(हजार किलोग्राम में)

संघ/ परियोजना	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वृद्धि दर
वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना	224.85	282.09	318.91	307.73	273.66	263.3	3.2
देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी	343.80	375.20	409.72	457.52	427.53	454.86	5.8
मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर	282.99	340.57	354.51	353.67	354.26	349.65	4.3
तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर	133.53	181.87	196.87	191.55	205.73	196.35	8.0
शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा	176.17	206.24	257.57	258.29	199.55	189.65	1.5
विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर	48.34	54.88	70.13	72.94	60.34	72.71	8.5
मगध दुग्ध परियोजना, गया	13.19	22.55	39.53	39.82	35.36	40.54	25.2
कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया					21.85	18.64	--
कोशी दुग्ध संघ, सुपौल	15.55	20.98	29.24	41.48	16.22	17.75	2.7
रांची/ बोकारो/ जमशेदपुर दुग्धशाला	6.48	10.50	13.84	17.43	17.84	23.8	29.7
योग	1244.90	1495.88	1690.32	1740.43	1612.34	1627.25	5.5

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.15 : प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दुग्ध संग्रहण

(किलोलीटर प्रतिदिन में)

संघ/ परियोजना की अवस्थिति	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	97.37	122.17	108.88	123.58	107.15	96.59
बरौनी	210.4	229.62	206.2	232.24	209.99	213.35
समस्तीपुर	202.28	243.44	177.17	192.1	181.86	172.24
मुजफ्फरपुर	87.91	119.73	100.24	100.6	105.99	96.63
आरा	90.02	105.39	108.49	106.2	86.72	80.09
भागलपुर	74.83	84.95	86.26	71.02	52.02	53.66
गया	23.64	40.41	35.08	30.19	22.02	22.72
पूर्णिया	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	32.61	25.75
सुपौल	34.02	45.9	30.78	42.03	28.51	24.46
रांची दुग्धशाला	140.89	213.55	277.64	347.17	312.98	371.16
योग	118.29	141.96	120.59	124.18	108.67	102.11

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.16 : कॉम्फेड की गतिविधियां

सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सहयोग समितियां						
संगठित	13691	16675	18385	19543	20769	22018
कार्यशील	10524	12654	14189	14016	14842	15936
निर्बंधित	4943	5420	5754	6042	6384	6643
सदस्यों की संख्या (लाख)	7.59	8.73	9.42	10.04	10.86	11.4
दुग्ध संग्रहण						
दुग्ध संग्रहण (लाख किग्रा प्रतिदिन)	12.45	14.95	16.9	17.4	16.13	16.27
उत्पादों का विपणन						
खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या	9558	10944	12299	13099	15857	17726
दूध (लाख लीटर प्रतिदिन)	9.2	10.76	11.52	12.18	13.45	14.55
घी (टन)	1717	2043	1669	1643	1342	1513
लस्सी (टन)	6426	6747	4385	4103	4975	6387
पेड़ा (टन)	1242	1638	1173	1190	1314.42	1236
पनीर (टन)	3022	3542	3385	3946	4300	4523
दही (टन)	3132	8595	7498	8088	9110	10290
गुलाबजामुन (टन)	1105	1331	1152	1220	1365	1360
आइसक्रीम (टन)	1083	1248	1702	1743	1375	1577
सेवाएं						
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या	2329	2897	3117	3275	3436	3852
कृत्रिम गर्भाधान (लाख)	15.66	18.44	20.3	21.37	20.41	21.62
टीकाकरण (लाख)	17.73	22.81	15.53	18.05	17.01	12.31
कृमिनाशन (लाख)	12.92	11.67	12.92	16.46	14.3	14.49
बीज वितरण (टन)	757.14	885.61	930.93	1016.79	1279.53	1554.23
पशु आहार वितरण (टन)	61273	54707	56143	62130	53810	46889

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

4.3 गैर-कृषि आधारित उद्योग

हथकरघा

बिहार में पावरलूम और कपड़ा बुनने वाले ऑटोमेटेड लूम के वर्चस्व को देखते हुए हथकरघा का बचा रहना और उन्नति करना रणनीतिक उत्पादन और विपणन संबंधी निर्णयों पर निर्भर करता है। देखा गया है कि हथकरघा पर बने कपड़ों की मांग देश-विदेश में समाज के अभिजात तबके के द्वारा की जाती है। ऐसी संभावना वाले बाजार

के लिए हथकरघा के उपयोग राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान होता है और यह क्षेत्र अपने चरम स्तर पर काम कर सकता है। हथकरघा उद्यमों तथा इस क्षेत्र में काम करने वाले बड़ी संख्या में श्रमिकों की आमदनी और खैरियत बढ़ाने के लिए नीतियां तैयार करना भी जरूरी है। बिहार में हथकरघा के केंद्रीकरण वाले स्थानों पर ध्यान देने पर पाया गयाकि कम से कम 15 जिले विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण में शामिल हैं।

तालिका 4.17 : बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले

जिला	उत्पाद
भागलपुर	रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े
बांका	तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े
गया	रेशमी और सूती कपड़े
नालंदा	सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियां और सजावटी कपड़े
नवादा	तसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान
दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी	महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीज के कपड़े
औरंगाबाद, रोहतास	ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियां
कैमूर	ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियां
पटना, सीवान	सूती कपड़े, सजावटी कपड़े,
पूर्णिया, कटिहार	जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां, आंतरिक सज्जा सामग्रियां

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

केंद्र सरकार द्वारा भागलपुर में हथकरघा महासंकुल के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना के तहत भागलपुर और बांका जिलों में 10 बड़े संकुल, दो रंगाई घर और एक डिजाइनर स्टूडियो तथा उत्पादन विकास केंद्र होंगे। इन 10 संकुलों के निर्माण के लिए वस्त्र मंत्रालय ने 1,715.15 लाख रु. क्रियान्वयन अभिकरण के लिए स्वीकृत करा दिए हैं। इसके अलावा, उक्त दसो संकुलों में बुनाई, रंगाई और डिजाइनिंग में श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तालिका 4.18 में 2017-18 में चलाए गए ऐसे प्रशिक्षण की प्रगति का ब्योरा दिया गया है। उसके अलावा, बुनकरों के कौशल में सुधार के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 सरकारी संस्थानों में चलाया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धि का ब्योरा तालिका 4.19 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.18 : कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा

प्रशिक्षण के आइटम	लक्ष्य	उपलब्धि
बुनाई	12	4
रंगाई	10	10
डिजाइनिंग	8	8

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

तालिका 4.19 : प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां

(संख्या)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लक्ष्य	204	204	204	204	204	204
उपलब्धि	163	160	167	169	156	138
उपलब्धि का प्रतिशत	79.9	78.4	81.9	82.8	76.4	67.6

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

भागलपुर हथकरघा महासंकुल के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्पादन की कुशलता में सुधार लाने के लिए नए हथकरघे, जैकार्ड, बॉबिन मशीन, टेक-अप मोशन, लेट-ऑफ मोशन और रीड आदि की खरीद के लिए 123.642 लाख रु. स्वीकृत किए।

रेशम उत्पादन

रेशम उत्पादन रेशम आधारित उद्योगों को लागत सामग्री उपलब्ध कराने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग रहा है। बिहार में तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है – मलबरी, तसर और अंडी। मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के तहत कोशी अंचल के सात जिलों को मलबरी (शहतूत) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से चुना गया था। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में मलबरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 1,975 किसानों को पंपसेट, 2,447 किसानों को रेशम कीट पालन उपकरण, और 642 किसानों को पालन गृह के निर्माण हेतु सहायता आवंटित की गई है। किसानों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जीविका को 1,415.10 लाख रु. खर्च किए। राज्य सरकार ने मलबरी उत्पादन के लिए 100 उत्पादक समूहों को 800 लाख रु. देने का भी वचन दिया है। जीविका को मलबरी परियोजना के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेवारी दी गई है, और जीविका को उद्योग विभाग का सहयोग मिलेगा। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने जीविका को खास तौर पर मलबरी परियोजना के लिए 3,262.31 लाख रु. उपलब्ध कराए। राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं क्योंकि मलबरी की खेती का क्षेत्रफल अभी तक बढ़कर 845 हेक्टेयर हो गया है।

साथ ही, मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012-17) का भी राज्य के छः जिलों – बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और रोहतास में क्रियान्वयन किया गया है। उत्तर बिहार के कुल जलजमाव-ग्रस्त क्षेत्रों को भी तसर विकास के लिए उपयुक्त पाया गया है। इस परियोजना के तहत बांका, जमुई और नवादा जिलों के 2,094 लाभार्थी लाभान्वित हुए और लाभार्थियों को तसर कीट पालने का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने 62.82 लाख रु. का व्यय किया। बुनियादी के तहत तसर कताई के प्रशिक्षण के लिए भी 11.16 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

अंडी रेशम का उत्पादन बेगूसराय जिले तक सीमित है। मुजफ्फरपुर के उद्योग निदेशक (रेशम) और जीविका को 312.542 लाख रु. व्यय वाली अंडी विकास परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी दी गई है।

तालिका 4.20 : रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां (2013-14 से 2018-19)

वर्ष	रेशम का प्रकार	पौधरोपण (हे.)	रोगमुक्त कीट पालन (लाख)	कुल कॉकून उत्पादन	कच्चा रेशम (टन)
2013-14	मलबरी	117	5.07	122.73 (टन)	15.08
	तसर	608	7.10	386.94 (लाख)	37.89
	अंडी	575	0.81	6.50 (टन)	5.2
2014-15	मलबरी	184	5.04	162.16 (टन)	19.5
	तसर	5198	7.48	293.88 (लाख)	32.95
	अंडी	232	1.19	10.20 (टन)	8.16
2015-16	मलबरी	136	5.78	202.56 (टन)	22.55
	तसर	2325	9.21	466.00 (लाख)	42
	अंडी	161	1.19	9.50 (टन)	7.6
2016-17	मलबरी	340	5.69	191.69 (टन)	23.49
	तसर	1218	8.62	482.20 (लाख)	43.51
	अंडी	232	1.27	12.43 (टन)	9.94
2017-18	मलबरी	362	4.54	138.74 (टन)	17.17
	तसर	-	8.64	426.73 (लाख)	36.00
	अंडी	276	1.31	12.1 (टन)	9.68
2018-19	मलबरी	58	0.48	7.59 (टन)	0.80
	तसर	-	0.34	4.28 (लाख)	-
	अंडी	175	0.10	0.58 (टन)	0.47

स्रोत : उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन, बिहार सरकार

खादी एवं ग्रामोद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) पर खादी उत्पादक इकाइयों समेत ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी है। आयोग राज्य स्तर पर अपने केंद्रीय निदेशालय और खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षदों के जरिए काम करता है। इसकी प्रोत्साहन-मूलक गतिविधियों में नए कौशलों का विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शोध एवं विकास शामिल हैं। आयोग राज्य स्तर की इकाइयों को अपने उत्पादों के विपणन में अपनी राष्ट्रीय बाजार नीति और विज्ञापन के जरिए सहयोग देता है। आयोग पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन कोष योजना (स्फूर्ति -SFRTI) और 2008 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए भी जवाबदेह है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तथा राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य उद्यमियों, खास कर पारंपरिक कारीगरों को बैंक ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन तालिका 4.21 में प्रस्तुत है। तालिका से स्पष्ट होता है कि क्रियान्वयन अभिकरणों को योजना के लिए लगभग बराबर भूमिका निभानी होती है। लक्ष्य और उपलब्धि की बात करें, तो 2016-17 में 2015-16 की अपेक्षा दोनो में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि 2017-18 में उनमें गिरावट आई। वर्ष 2017-18 में लाभार्थियों की कुल संख्या में 2,255 कारीगरी इकाइयां थीं जिन्हें कुल 6,407.64 लाख रु. मार्जिन मनी प्राप्त हुई।

बिहार में कुल 84 खादी संस्थाएं हैं जिनमें से 65 अभी कार्यशील हैं। कमजोर तबके के लोगों और महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिहाज से शिथिल पड़ी इकाइयों को सक्रिय करने और बुनकरों का प्रलायन रोकने के लिए राज्य सरकार द्वरा 2017-18 में अनेक योजनाएं चलाई गई हैं।

(क) लगभग 2,000 नए चरखे मंगवाने का आदेश दिया गया है जिनमें से 500 का वितरण खादी संगठनों के बीच किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी पर 176 करघों की खरीद के लिए 29 संस्थाओं को सब्सिडी उपलब्ध कराई गई। अधिकांश करघे खरीदे जा चुके हैं और शेष 40 प्रतिशत रकम उन्हें शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ग) रेशमी कपड़ों के निर्माण के लिए भागलपुर और उसके आसपास की 17 संस्थाओं को 600 नए कटिया चरखे दिए गए हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही 300 और कटिया चरखे खरीदेगी।

(घ) त्रिपुरारी मॉडल का चरखा खरीदने के लिए 29 संस्थाओं को स्थिर पूंजी की जरूरत पूरी करने के लिहाज से 4.31 करोड़ रु. दिए गए हैं।

(च) कॉकून और अन्य कच्चे माल खरीदने और बुनकरों को भुगतान करने के लिए खादी संस्थाओं को 2.05 करोड़ रु. कार्यशील पूंजी दी गई है।

(छ) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने खादी संस्थाओं को खादी वस्त्रों की बाजार में चलने वाली 100 डिजाइनें उपलब्ध कराई हैं। उनमें से 50 डिजाइनों के आधार पर 2,000 पोशाकें तैयार करके आजमाने के लिहाज से बाजार में बेचा जा चुका है।

(ज) चंपारणसत्याग्रह शताब्दी वर्ष में खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए आरा, राजगिर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में खादी मेलों का आयोजन किया गया।

(झ) खादी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी संस्थाओं को 10 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई गई।

(ट) 16.94 करोड़ रु. के व्यय से पटना में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और 7.40 करोड़ रु. के व्यय से मौजूदा खादी शोरूम की साज-सज्जा कराई जाएगी।

तालिका 4.21 : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन

अभिकरण		खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र	योग
2015-16					
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	909 (30.0)	909 (30.0)	1211 (40.0)	3029 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	1817.16(30.0)	1817.16 (30.0)	2422.88 (40.0)	6057.20 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	189 (7.8)	195 (8.0)	2046 (84.2)	2430 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	544.60 (8.3)	543.00 (8.2)	5500.95 (83.49)	6588.55 (100.0)
2016-17					
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	1122 (29.9)	1122 (29.9)	1506 (40.2)	3750 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	2244 (29.4)	2248 (30.0)	3008 (40.1)	7500 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	532 (16.5)	313 (9.7)	2389 (73.9)	3234 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	810.33 (9.7)	995.34 (11.9)	6530.83 (78.3)	8336.5 (100.0)
2017-18					
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	855 (30)	855 (30)	1140 (40)	2850 (100)
	वित्तीय (लाख रु.)	1695.93(30)	1695.93 (30)	2261.24 (40)	5653.1 (100)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	324 (14.3)	223 (9.9)	1708 (75.7)	2255 (100)
	वित्तीय (लाख रु.)	622.58(9.7)	689.58 (10.8)	5095.33 (79.5)	6407.64 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल योगफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

लघु उद्योग

लघु उद्योगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अतिलघु एवं लघु उद्योग संकुल विकास कार्यक्रम के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों का विकास किया गया। नालंदा के कन्हैयागंज में सामान्य सुविधा केंद्र को 51.33 लाख रु., सिलाव खाजा संकुल को 51.33 लाख रु., लखीसराय चावल मिलों को 82.34 लाख रु., मेहसी सीप बटन उद्योग को 147.85 लाख रु. और बथना सीप बटन संकुल को 145.63 लाख रु. उपलब्ध कराए गए। इनके अतिरिक्त, कसेरा टोली और अन्य स्थानों के पीतल-कांसा बर्तन संकुल के लिए 1,004.55 लाख रु. स्वीकृत किए गए।

4.4 सहयोगदाता संस्थाएं

उद्योग मित्र

उद्योग मित्र की स्थापना परियोजना विवरणी विकसित करने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श देने तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने के जरिए स्थानीय उद्यमियों की सहायता के लिए की गई थी। वर्ष 2011-12 तक उद्योग मित्र द्वारा कोई 5,419 उद्यमियों को परामर्श सेवाओं द्वारा लाभान्वित किया गया था। पिछले तीन वर्षों में उद्योग मित्र द्वारा काफी बड़ी संख्या में मामलों को संभाला गया। वर्ष

2017-18 में उद्योग मित्र को 140.00 लाख रु. आबंटित किए गए और वह पूरी की पूरी स्वीकृत रकम का व्यय करने में सक्षम रहा जिसे उसके बेहतर प्रदर्शन का सूचक माना जा सकता है। उद्यमी मित्र द्वारा 2017-18 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं :

(1) नए उद्यमों की स्थापना के लिए 819 उद्यमियों को सहायता दी गई।

(2) जनवरी से अक्तूबर 2018 तक उद्योग मित्र कॉल सेंटर को कुल 16,267 कॉल प्राप्त हुए और उद्यमियों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता दी गई।

(3) मई 2017 में जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों, बिआडा के जोनल और केंद्रीय अधिकारियों, तथा कार्यकारी अधिकारियों के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016, बिहार स्टार्ट-अप नीति 2017, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया, तथा वस्तु एवं सेवा कर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

(4) नवंबर 2017 में भारतीय उद्योग महासंघ (सीआइआइ) के साथ मिलकर एक परिधान बैठक का आयोजन किया गया और जून 2017 में मुंबई में 'निवेश' (इनवेस्ट) नाम से रोड शो आयोजित किया गया।

तालिका 4.22 : उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष	आबंटित रकम (लाख रु.)	खर्च रकम (लाख रु.)	खर्च रकम (प्रतिशत में)	लाभान्वित उद्यमियों की सं.
2011-12	100.00	67.48	67.5	753
2012-13	104.00	78.73	75.7	596
2013-14	120.00	101.13	84.3	583
2014-15	98.60	88.94	90.2	664
2015-16	110.30	92.37	83.8	906
2016-17	110.00	110.29	100.0	1098
2017-18	140.00	140.00	100.00	819

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

जिला उद्योग केंद्र

सभी जिलों में उद्योगों के समान रूप से विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। जिला उद्योग केंद्रों का मुख्य कार्यभारप्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति में सहयोग देना है। ये केंद्र अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण नोडल अभिकरण के रूप में उभरे हैं।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत बिआडा का गठन उद्योगों के लिए अधिसंरचना विकसित करने के लिए किया गया था। विभिन्न कार्यों के साथ-साथ बिआडा ने विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन के अधिग्रहण में मुख्य भूमिका निभाई है। बिहार में जमीन की किल्लत को देखते हुए औद्योगिक इकाइयों को जमीन आबंटित करने का महत्व काफी बढ़ जाता है। अभी बिआडा के चार क्षेत्रीय कार्यालय (पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा) हैं जिनके अंतर्गत 50 औद्योगिक क्षेत्र या विकास केंद्र और मेगा औद्योगिक पार्क हैं। तालिका 4.23 में अक्तूबर 2018 तक की बिआडा की भूमि अधिग्रहण की और अन्य गतिविधियां दर्शाई गई हैं। तालिका से स्पष्ट है कि कुल 5,185.24 एकड़ अधिग्रहित में से 1,048.42 एकड़ जमीन मुकदमेबाजी से ग्रस्त है। यहां चिंता की बात यह है कि सितंबर 2017 से अक्तूबर 2018 के बीच विवादग्रस्त जमीन की मात्रा कम ही सही लेकिन 1,028.56 एकड़ से बढ़कर 1,048.42 एकड़ हो गई है।

तालिका 4.23 : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और गतिविधियों का ब्योरा (अक्तूबर, 2018)

क्षेत्रीय कार्यालय	कुल अधिग्रहित जमीन और शेड		अधिसंरचना, प्रशासनिक खंड, सड़क आदि के लिए आरक्षित जमीन (एकड़)	कुल आबंटित जमीन और शेड		मुकदमे वाली जमीन (एकड़)	आबंटन लायक कुल खाली जमीन और शेड	
	जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)		जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)		जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)
पटना	2700.38	230	270.39	2303.60	207	81.38	44.87	23
भागलपुर	1347.29	148	75.36	391.33	145	851.37	29.23	3
दरभंगा	725.61	158	157.43	273.07	131	54.53	28.20	13
मुजफ्फरपुर	411.96	144	56.16	449.68	142	61.14	20.11	16
योग	**5185.24**	**680**	**559.34**	**3417.82**	**625**	**1048.42**	**122.41**	**55**

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

हाल के वर्षों में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संकुलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सर्वप्रथम, उद्योगों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया दुरुस्त करने के लिहाज से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 में संशोधन किया गया है। 5 करोड़ रु. से नीचे के निवेश संबंधी निर्णय औद्योगिक विकास आयोग द्वारा, 5 से 15 करोड़ रु. के मामले में उद्योग विभाग के मंत्री द्वारा, 15 से 30 करोड़ रु. के मामले में संयुक्त रूप से उद्योग विभाग और वित्त विभाग के मंत्रियों द्वारा तथा 30 करोड़ रु. से अधिक के मामले में राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

दूसरे, अधिनियम के जरिए राज्य में औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। तदनुरूप, अभी निवेशकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन देने और 30 दिनों के अंदर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की प्रथम चरा की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए सामान्य आवेदन पत्र का उपयोग किया जा सकता है। 30 दिनों के अंदर वास्तविक अनापत्ति नहीं मिलने की स्थिति में आवेदकों को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के सचिवालय द्वारा समकक्ष अनापत्ति उलब्ध कराई जाती है। अधिनियम में संबंधित विभाग/प्राधिकार द्वारा अनापत्ति नहीं देने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।

तीसरे, बिहार में औद्योगिक निवेश को आसान बनाने के लिए 2016-17 में निम्नलिखित कदम उठाए गए - 5 सीट वाले कॉल सेंटर का उपयोग करके सूचनाएं उपलब्ध कराना, श्रम कानून संबंधी सुधार, संस्थागत सुधार, पयार्वरण कानून को लागू करना, उत्पादन शुरू करने के लिए सभी प्रकार की अनापत्तियां देना और वित्तीय स्वीकृति के लिए सिंगल-विंडो अनापत्ति पोर्टल।

चौथे, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2016 में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना-संबधी औद्योगिक सेवाओं (जैसे विद्युत और इलक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर), वस्त्र, प्लास्टिक एवं रबर, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखरेख, चमड़ा और तकनीकी शिक्षा जैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। तदनुरूप, इन उद्योगों के लिए स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क और जमीन संबंधी शुल्क 100 प्रतिशत वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 10 करोड़ रु. तक सावधि ऋण पर ब्याज भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अभी तक कुल 12427.48 करोड़ निवेश के 1081 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 920 को पहले चरण की अनापत्ति उपलब्ध करा दी गई है। इनमें से कुल 2363.35 करोड़ रु. निवेश के 447 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित हैं। कुल 1896.07 करोड़ रु. निवेश वाली अन्य 212 इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पात्र इकाइयों को आरटीजीएस/नेफ्ट के जरिए सब्सिडी अंतरित कर दी जाती है।

और अंत में, व्यवसाय में आसानी और सूचना पाने के लिए 'औद्योगिक संवाद पोर्टल' ने काम करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2016 में 2,389 इकाइयों को जमीन वितरित की गई थी। वर्ष 2017 में उत्पादन करने वाली इकाइयों की संख्या 2016 के 1,624 से बढ़कर 1,647 हो गई। अभी 285 अन्य इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

4.5 बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017

बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 बिहार में नवाचार प्रेरित उद्यमिता की गुंजाइश उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण पहल है। भौतिक अधिसंरचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने बिहार में स्थित भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान (आइआइटी), पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी), पटना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), और केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थाना (सीपेट) का सहयोग प्राप्त किया है। ये संस्थान इनक्यूबेटरों की व्यवस्था करेंगे और उन्हें अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराएंगे। इस नीति के तहत अभी तक 4,025 आवदेनों की छानबीन की गई है और फरवरी 2016 तक 905 आवेदनों को चुना गया। इन 905 आवेदकों की व्यवस्था के लिए 19 इनक्यूबेटरों से संपर्क किया गया और उन्हें 856 आवेदक आबंटित कर दिए गए। चयन प्रक्रिया में जांच के बाद 27 इनक्यूबेटरों को 65.60 लाख रु. की धनराशि बिहार स्टार्ट-अप कोष न्यास से मिली है।

4.6 व्यवसाय सुगमता

व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनस) विश्व बैंक द्वारा विकसित एक सूचकांक है जिसके जरिए सारे सूचकों की अग्रणी प्राप्तांक से दूरी की गणना की जाती है और उसमें सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। व्यवसाय का पसंदीदा गंतव्य बनने के लिए खुद को सामने लाने के मामले में बिहार ने जबर्दस्त प्रगति की है। राज्य सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता के मामले में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं। राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए इन उपायों के परिणाम 2018 में व्यवसाय सुगमता सूचकांक में व्यक्त होते हैं। मार्च 2018 में राज्य का उपलब्धि स्तर गत वर्ष के 75.82 प्रतिशत से बढ़कर 87.47 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह राज्य में व्यवसाय के वातावरण को स्पष्ट दर्शाता है और बिहार को व्यवसाय करने के पसंदीदा गंतव्यों में से एक बना देता है।

4.7 खनन एवं उत्खनन

झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार में खनन और उत्खनन संबंधी गतिविधियों में काफी गिरावट आई और उसी तरह उससे राजस्व प्राप्ति में भी। सीमित गुंजाइश को देखते हुए राज्य सरकार के कठिन प्रयास विगत वर्षों के दौरान इससे होने वाली राजस्व वृद्धि में व्यक्त होते हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार का लक्ष्य खनन क्षेत्र से 1,100 करोड़ रु. राजस्व प्राप्त करना था जबकि प्राप्त राजस्व 994 करोड़ था जो लक्ष्य का 90.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार, 2017-18 में खनन क्षेत्र ने 1,030 करोड़ रु. का योगदान किया जो 1,350 करोड़ रु. के लक्ष्य का 76.3 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने 2018-19 के लिए 1,600 करोड़ रु. का लक्ष्य रखा है जिसमें से सितंबर 2018 तक 524 करोड़ रु. संग्रहित किए जा चुके हैं।

विगत वर्षों के दौरान बिहार सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और ई-गवर्नेंस की विधियां अपनाई हैं। जैसे, ईंट भट्ठों से राजस्व संग्रहण के कुशल प्रबंधन के लिए विभाग ने जियो-मैपिंग अप्लीकेशन का उपयोग करके मोबाइल-ऍप विकसित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संतुलन के लिए दीर्घस्थायी बालू एवं पत्थर खनन नीति विकसित की है।

तालिका 4.24 : बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व

(लाख रु.)

स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. मुख्य खनिज	107.3	99.1	57.5	152.85
2. गौण खनिज				
(i) ईंट	2659.1	4295.6	3639.9	3934.47
(ii) बालू	50542.1	42806.3	45765.2	41066.77
(iii) स्टोन + क्रशर	7516.9	11097.9	11140.6	12784.91
(iv) मोरम	0.5	56.4	0.0	0
(v) मिट्टी	270.3	271.4	833.4	485.42
(vi) निर्माण विभाग	24074.5	36413.5	35999.8	41893.12
(vii) ट्रांजिट पास	42.4	40.7	25.2	1039.12
(viii) अन्य	278.7	626.2	1564.9	1636.48
3. बकाया	443.3	1392.9	383.7	172.82
योग	**85935.0**	**97100.0**	**99410.2**	**108265.96**

स्रोत : खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार

4.8 पर्यटन

बिहार ऐतिहासिक और धार्मिक विरासतों के मामले में समृद्ध कुछ राज्यों में से एक है। पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों की भव्यता हर साल हजारों पर्यटकों को बिहार की ओर आकर्षित करती है। बिहार को वैश्विक और घरेलू स्तर पर अधिक आकर्षक बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जनसुविधाओं और पर्यटकों के अनुकूल अधिसंरचना का प्रावधान किया है।

पर्यटक की संभावनाओं के व्यवस्थित तरीके से दोहन के लिए पर्यटन विभाग ने राज्य में 8 पर्यटन परिपथों की पहचान की है – बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, रामायण परिपथ, शिव-शक्ति परिपथ, सूफी परिपथ, सिख परिपथ,

गांधी परिपथ और प्रकृति/ वन्यजीव परिपथ। तालिका 4.25 में पर्यटन के लिए स्वीकृत बजट और वास्तविक व्यय प्रस्तुत किया गया है। तालिका से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं – पहला, बजट की मात्रा 2011–12 के 30.4 करोड़ रु. से 300 प्रतिशत बढ़कर 91.02 करोड़ रु. हो गई है, और दूसरा, बजट का उपयोग हमेशा ही उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा है। यह बिहार को देश के पर्यटनन मानचित्र पर स्थापित करने के मामले में बिहार सरकार की गंभीरता को स्पष्ट दर्शाता है।

तालिका 4.25 : पर्यटन विभाग का व्यय विवरण

वर्ष	स्वीकृत बजट (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	व्यय बजट के प्रतिशत में
2011-12	30.4	29.9	98.4
2012-13	100.1	99.3	99.2
2013-14	65.5	59.4	90.7
2014-15	118.1	87.4	74.0
2015-16	66.0	65.4	99.0
2016-17	94.5	86.4	91.5
2017-18	91.0	76.7	84.3

स्रोत : बजट दस्तावेज, बिहार सरकार

वहीं, तालिका 4.26 में हाल के वर्षों में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत हैं। इससे पता चलता है कि आने वाले पर्यटकों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी है। वर्ष 2016 से 2017 के बीच आने वाले पर्यटकों की संख्या 13.4 प्रतिशत बढ़ी है। अधिक उत्साह की बात है कि 2016 से 2017 के बीच आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी 7.1 प्रतिशत बढ़ी है। अगर वर्तमान रुझान जारी रहे, तो पर्यटन परिपथों में सेवा क्षेत्र उन्नति करने लगेगा और ऐसी जगहों पर रोजगार की उपलब्धता को आवेग मिलेगा।

तालिका 4.26 : बिहार में पर्यटकों का आगमन

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (हजार में)		
	देशी	विदेशी	योग
2011	183.9	9.7	193.6
2012	214.5	11.0	225.4
2013	215.9	7.7	223.6
2014	225.4	8.3	233.7
2015	280.3	9.2	289.5
2016	285.2	10.1	295.3
2017	324.1	10.8	334.9
सितंबर 2018तक	187.2	7.7	194.9

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 5

कौशल विकास

बिहार जैसी श्रम-सुलभ अर्थव्यवथा में कौशल विकास लोगों की आर्थिक उन्नति और सामाजिक गतिशीलता की कुंजी है। किसी व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक हैसियत इससे तय होती है कि वह किस तरह के काम या पेशे से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति जो काम करता है, वह उस काम को करने के लिए उसके पास मौजूद कौशलों पर आधारित होता है। अत: कौशल जीवन बिताने के लिए किसी पर्याप्त लाभप्रद पेशे में प्रवेश करने का प्रवेशद्वार है। साथ ही, काम करने के जरूरी तकनीकी कौशलों में तेज बदलाव को देखते हुए, उपयुक्त प्रकार के कौशल विकास का भारी महत्व है। मोटे तौर पर कहें, तो कौशलों के ये प्रकार हो सकते हैं - बुनियादी कौशल, व्यावसायिक कौशल, और उद्यमिता कौशल। बुनियादी कौशलों में हिसाब-किताब, साक्षरता, संवाद, डिजिटल साक्षरता आदि शामिल हैं। ये रोजमर्रे के काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। वहीं व्यावसायिक कौशल या तकनीकी जानकारी उस व्यक्ति के पेशे से संबंधित होती है। और उद्यमिता कौशल वे होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए स्वरोजगार में लगने में मददगार होते हैं। इसमें प्रबंधकीय कौशल, व्यवसाय विकास कौशल और अन्य संबंधित कौशल शामिल होते हैं।

जैसा कि पहले कहा गया है, कैरियर विकास के अवसरों के बढ़े क्षेत्रों की मांगें पूरी करने के लिए कौशल विकास या वृद्धि जरूरी है। तकनीकी उन्नति और नवाचार के साथ काम के दायरे का विस्तार होने से बुनियादी बदलाव आया है। युवाओं के लिए आवश्यक है कि वे उभरते हुए अवसरों का उपयोग करने के लिए अपनी ऊर्जा और कौशलों को साथ-साथ काम में लाएं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने और उससे सुपरिचित होने के लिए युवा आबादी को खुद को तत्परता के साथ बेहतर स्थिति में लाने के लिहाज से फायदा मिलेगा।

5.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

भारत में कौशल विकास का पारिस्थितिकी तंत्र विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल है जो नितांत भिन्न स्थितियों वाले लोगों के लिए विभिन्न स्तरों के कौशलों की गुंजाइश देता है। भारत में कौशल विकास को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है - शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण। यहां मुख्य फोकस आम तौर पर पारंपरिक शिक्षा पर रहा है जिसे सफलता और कैरियर के प्रगतिशील पथ का प्रवेश-पत्र समझा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, अक्सर इस रास्ते से तैयार श्रमशक्ति के पास काम संबंधी कुशलता या तो होती ही नहीं है या होती भी है तो बहुत कम। फलत: भारत में कुशल श्रमशक्ति की कमी दिख रही है जबकि अनेक क्षेत्रों में काम उपलब्ध हैं।

कौशल विकास आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है जहां की 62 प्रतिशत से भी अधिक आबादी कामकाजी उम्र (15 से 59 वर्ष) वाली है और 54 प्रतिशत से भी अधिक आबादी की उम्र 25 वर्ष से कम है। भारत में जनसांख्यिक संक्रमण श्रमशक्ति में

हर साल शामिल होने वाले 1.2 करोड़ युवक-युवतियों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना अनिवार्य बना देता है। इस श्रमशक्ति को रोजगार के लिहाज से सक्षम बनाने के लिए युवक-युवतियों को आवश्यक शिक्षा और कौशलों से लैश करना जरूरी है। इस जनसांख्यिक लाभांश की प्राप्ति के लिहाज से, जिसके अगले 25 वर्षों तक बरकरार रहने की आशा है, देश के लिए जरूरी होगा कि उन्हें रोजगार के लायक ज्ञान और कौशलों से लैश किया जाय ताकि वे देश के आर्थिक विकास में प्रचुर योगदान कर सकें। भारत में अपनी खुद की मांगें पूरी करने के साथ-साथ स्थानीय श्रमशक्ति की कमी का सामना करने वाले अनेक देशों की श्रमशक्ति की कमी पूरी करने भी संभावना है। इसे अंशत: पूरी दुनिया में उभरते आर्थिक वातावरण के लिए प्रासंगिक कौशलों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करने के जरिए हासिल किया जा सकता है। यह चुनौती कौशल प्रशिक्षण हेतु बड़े पैमाने पर परिमाणात्मक विस्तार के मामले में ही नहीं है, इसमें उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्यभार भी शामिल है।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, 2015 ने 2009 की पूर्ववर्ती नीति की जगह ले ली है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास संबंधी चुनौतियों का गति, मानक और टिकाऊपन के लिहाज से एक हद तक सामना करना है। देश के अंदर चलने वाली कौशल विकास संबंधी सारी गतिविधियों को एक व्यापक रूपरेखा या ढांचा उपलब्ध कराने का लक्ष्य उन्हें आम मानकों की दिशा में लाना और इस प्रकार कौशल विकास को मांगों के पैटर्न से जोड़ना है। उद्देश्यों और संभावित परिणामों का निर्धारण करने के अतिरिक्त नीति में उन उद्देश्यों और संभावित परिणामों की प्राप्ति के लिए समग्र संस्थागत ढांचे की भी पहचान की गई है। कौशल विकास मुख्य हितधारकों - सरकार (राज्य और केंद्र, दोनो), उद्योग और व्यापार संगठन - तथा अन्य हितधारकों की साझा जिम्मेवारी है। यह नीति देश में समावेशी विकास प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कौशल विकास को उन्नत रोजगार प्राप्ति क्षमता और उत्पादकता से जोड़ती है। उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट प्रयास भी कौशल विकास की इस रणनीति के पूरक के बतौर काम करते हैं जिनसे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

उक्त नीति के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) की स्थापना कौशल प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिहाज से सारे क्षेत्रों और राज्यों के कनवर्जेंस के लिए की गई है। साथ ही, 'कुशल भारत' का सपना साकार करने के लिए मिशन कौशल विकास के प्रयासों को सुदृढ़ और समन्वित ही नहीं करेगा, सभी क्षेत्रों में वांछित स्तर का कौशल विकास हासिल करने के लिए निर्णय प्रक्रिया में भी तेजी लाएगा। इसका क्रियान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित कुशल संस्थागत तंत्र के जरिए किया जाएगा। मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य संस्थागत तंत्रों को दो स्तरों में बांटा गया है - शीर्ष स्तर पर नीतिगत मार्गदर्शन के लिए शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल), और मिशन के कार्यकारी स्कंध के रूप में संचालन समिति (स्टीयरिंग कमिटी) और मिशन निदेशालय। मिशन निदेशालय को तीन अन्य संस्थानों का सहयोग प्राप्त होगा - राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)। मिशन के सुगम कामकाज के लिए इन तीनों संस्थानों का मिशन निदेशालय के साथ

क्षैतिक जुड़ाव होगा। अभी मिशन के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्माण खंडों के बतौर सात उप-मिशन प्रस्तावित हैं।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) एक सक्षमता आधारित रूपरेखा (फ्रेमवर्क) है जिसमें विभिन्न स्तरों के ज्ञान, कौशलों और अभिक्षमता (ऍप्टीट्यूड) के अनुसार सभी योग्यताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक से दस तक ग्रेड वाले इन स्तरों को शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणामों (लर्निंग आउटकम) के लिहाज से निर्धारित किया गया है जिसे वे औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सीखने के जरिए हासिल करेंगे। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा को दिसंबर 2013 में अधिसूचित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता रूपरेखा (एनवीईक्यूएफ) सहित अन्य सारी रूपरेखाओं की जगह राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा द्वारा ले ली गई है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के तहत शिक्षार्थी किसी सक्षमता के लिए किसी औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक अधिगम के जरिए किसी स्तर पर वांछित प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। इस लिहाज से राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा एक गुणवत्ता सुनिश्चय रूपरेखा है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा को राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण का सहयोग प्राप्त है और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) के जरिए किया जा रहा है। अन्य चीजों के साथ-साथ राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति के कामकाज में विभिन्न प्रत्यायन मानकों (एक्रेडिटेशन नॉर्म्स) के लिए स्वीकृति प्रदान करना, वंचित तबकों की जरूरतें पूरी करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना, विभिन्न अभिकरणों के बीच विवादों की समीक्षा करना, और राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा को अंतर्राष्ट्रीय योग्यता रूपरेखाओं के साथ संरेखित करना शामिल है।

इस मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस 'कौशल प्रमाणन योजना' का उद्देश्य युवक-युवतियों को उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण पाने में सक्षम बनाना है जो बेहतर जीविका सुनिश्चित करने में उनकी मदद कर सके। पूर्वज्ञान मान्यता (आरपीएल) के तहत पहले से शिक्षा या कौशल का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण और मूल्यांकन, दोनो के पूरे शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

5.2 बिहार में कौशल विकास का परिदृश्य

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.41 करोड़ जनसंख्या वाला बिहार देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहां की लगभग 58 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है जो इस उम्र समूह में देश में सर्वाधिक है। बिहार में साक्षरता दर 63.8 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता दर 73.4 प्रतिशत है और महिला साक्षरता दर 53.3 प्रतिशत। विगत वर्षों के दौरान यहां की अर्थव्यवस्था की विकास दर दो अंकों में रही है। यह असाधारण प्रदर्शन पहले की अवधि में हासिल उपलब्धि से ही अधिक नहीं है, देश के सभी राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग 31 प्रतिशत हिस्सा 15 वर्ष से कम उम्र का और 61 प्रतिशत हिस्सा 15 से 59 वर्ष तक अर्थात कामकाजी उम्र का है। कामकाजी उम्र समूह वाली आबादी काफी बड़ी है और उसे राज्य की श्रमशक्ति में शामिल होना चाहिए जहां अधिकांश लोगों के लिए जीविका का स्रोत सवैतनिक काम करना है। सुपोषित और उत्पादित श्रमशक्ति का जीवंत अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में भारी योगदान होता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कामकाजी उम्र वाली आबादी में श्रमिकों का लगभग 31 प्रतिशत हिस्सा था। महिला श्रमिकों का हिस्सा काफी कम - मात्र 19 प्रतिशत था जबकि पुरुषों का हिस्सा 46 प्रतिशत था। सभी श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का हिस्सा 38.5 प्रतिशत था। यह भी देखा गया कि लगभग 53 प्रतिशत श्रमिक खेत मजदूर थे और बिहार में लगभग 74 प्रतिशत श्रमिक सिर्फ खेती में लगे हुए थे।

बिहार कौशल विकास मिशन

युवाओं की रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और पेशेवर ज्ञान उपलब्ध कराने के मकसद से व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि के साथ बिहार कौशल विकास मिशन (बीडीएसएम) का गठन 2010 में किया गया था। कौशल प्रशिक्षण के जरिए मिशन द्वारा कुशल जनशक्ति की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए कौशल की कमियों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। बिहार कौशल विकास मिशन (बीडीएसएम) संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत 23 जून, 2010 को निबंधित एक संस्था है। मिशन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(क) नीतिगत रूपरेखा के जरिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में सहायता करना।

(ख) बिहार के युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी मदद करना।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन का अनुश्रवण करना।

(घ) अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगार, दोनो प्रकार के लोगों के लिए उनके कौशल उन्नयन के लिहाज से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने में सहायता देना।

(च) राज्य में निजी क्षेत्र की सहायता से टिकाऊ आधार पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष क्षेत्र और कार्य आधारित रणनीतियां सूत्रबद्ध करना।

(छ) उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय और स्थान के अनुरूप लाभों में अधिकाधिक वृद्धि और आबादी के सबसे जरूरतमंद तबकों को उनकी उपलब्धता के लिए समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना।

विभिन्न चुनौतियों ध्यान में रखते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल विकास के वातावरण के विभिन्न पहलुओंको दिशाबद्ध किया गया है। इनमें शामिल हैं :

(क) **केंद्रीय धनराशि की प्राप्ति :** मिशन ने केंद्रीय योजनाओं और संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की पहचान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू किया है जिनके जरिए उन योजनाओं को राज्य में शुरू किया जा सकता है।

(ख) **प्रशिक्षण केंद्रों का समूह :** कार्यक्षेत्र (डोमेन) और अन्य कौशल विकास परियोजना के लिए कौशल युवा कार्यक्रम (केवाइपी) केंद्रों के अलावा कौशल विकास केंद्रों को भी मिशन के पोर्टल के जरिए मिशन की सूची में नामांकित होना चाहिए। उसके बाद कौशल विकास केंद्र राज्य सरकार के किसी विभाग के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकते हैं।

(ग) **प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी दिशानिर्देश :** मिशन ने अपने अधिकार क्षेत्र की सारी योजनाओं के लिए तथा उन अन्य योजनाओं के लिए जिनके लिए खास तौर पर दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार किया है। संबंधित विभागों को मिशन द्वारा तय दिशानिर्देशों के अनुसार ही योजनाएं चलानी हैं।

(घ) **रोजगार के लिए वातावरण का निर्माण :** मिशन ने नौकरी और स्वरोजगारों के सुगमीकरण ओर युवक-युवतियों में रोजगार प्राप्ति की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग के साझीदारों के साथ संपर्क-संवाद शुरू किया है। नौकरी में सहयोग के लिए खास रोजगार मेले और परिसर आधारित भर्ती के आयोजन किए जा रहे हैं।

(च) **पाठ्यक्रम/ क्षेत्र संबंधी पेशकश को अंतिम रूप देना :** विभिन्न हितधारकों के परामर्श से मिशन ने ऐसे पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है जिनमें युवाओं में रोजगार पाने की काफी संभावना है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के स्तरों के साथ दिशाबद्ध सरकारी प्रशिक्षण साझीदारों के पाठ्यक्रम और कार्यक्षेत्र कौशल विकास पाठ्यक्रम इसके उदाहरण हैं।

(छ) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ढांचा :** मिशन ने राज्य में चलने वाले सारे कौशल विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए सशक्त और व्यापक तंत्र विकसित किया है।

(ज) **प्रत्याशियों की गोलबंदी और निबंधन :** मिशन ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में लक्षित प्रत्याशियों का निबंधन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील संवाद एवं गोलबंदी अभियान चलाया है।

(झ) **लक्ष्य निर्धारण :** राज्य सरकार द्वारा तय एक करोड़ युवाओं के प्रशिक्षण के समग्र भौतिक लक्ष्य को देखते हुए मिशन द्वारा हर विभाग के लिए वार्षिक भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

(ट) **प्रयासों का समेकन :** मिशन का लक्ष्य समन्वित ढंग से कौशल विकास प्रयासों के मार्गदर्शन के लिहाज से बिहार के लिए कौशल नीति और रोडमैप तैयार करना है।

(ठ) **सामान्य व्यय संबंधी मानक :** केंद्रीय योजनाओं के संचालय के लिए सुझाए गए आम दिशानिर्देशों के अनुरूप मिशन द्वारा मानकीकृत व्यय मानक उपलब्ध कराया जाता है।

रणनीतिक हस्तक्षेप

बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा हाल के समय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई पहलकदमियां ली गई हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(क) **कौशल विकास मूल्य श्रृंखला का सूचना, शिक्षा एवं संचार (आइसीटी) सक्षमीकरण :** तत्काल ऑनलाइन अनुश्रवण, व्यवस्थित रिपोर्टिंग, प्रभावी और कुशल निर्णय, और विभिन्न प्रक्रियाओं के पूर्ण परिवर्तन के लिहाज से कम समय सुनिश्चित करने के लिए मिशन द्वारा कौशल विकास की पूरी मूल्य श्रृंखला को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित बनाया गया है। इन प्रक्रियाओं में प्रत्याशी प्रबंधन, प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधन, प्रशिक्षण कैलेंडर, सीखने से संबंधित नियत कार्य (लर्निंग एसाइनमेंट), मूल्यांकन एवं प्रमाणन, नियोजन एवं नियोजनोपरांत लक्ष्यानुसरण (पोस्ट-प्लेसमेंट ट्रैकिंग), वित्त प्रबंधन, तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं।

(ख) **सामाजिक समावेश का सुनिश्चय :** मिशन द्वारा महिलाओं, तृतीयलिंगियों, कारावासियों आदि विशेष लक्षित समूहों के लिए प्रमुख योजनाएं बनाने पर विचार किया है।

(ग) **गुणवत्ता सुनिश्चय और प्रशिक्षण चक्र की अवधि में कमी :** मिशन द्वारा कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) के साथ मिलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस) और क्वालिटी पैक (क्यूपी) के पाठ्यक्रमों के लिए श्रव्य-दृश्य विषय वस्तुओं के उपयोग, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, और मूल्यांकन अनुरोध प्रक्रिया का स्वचालन सुनिश्चित किया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन परिणाम और प्रमाणन संबंधी अपडेट मिशन द्वारा सुनिश्चित किए गए कुछ ठोस कदम हैं। मिशन द्वारा समय पर अपडेट किए जाने से प्रशिक्षण का कैलेंडर भी नियमित होता है।

बिहार कौशल प्रशिक्षण मिशन के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

कौशल युवा कार्यक्रम राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक 'आर्थिक हल, युवाओं का बल' का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 15 से 28 वर्ष उम्र वाले सभी आकांक्षियों के लिए लक्षित है। यह उम्र सीमा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 33 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष और नि:शक्तता-ग्रस्त व्यक्यिों के लिए 33 वर्ष है। इसके लिए शैक्षिक जरूरत कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। इस कार्यक्रम के जरिए मिशन का इरादा बिहार के युवा वर्ग के लिए रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने का है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में तीन घटक शामिल होंगे - जीवन कौशल, संवाद कौशल (अंग्रेजी और हिंदी) तथा बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता। इन तीनो घटकों को कवर करने वाले पाठ्यक्रम की अवधि 240 घंटे होगी - जीवन कौशल के लिए 40 घंटे, संवाद कौशल के लिए 80 घंटे और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता के लिए 120 घंटे। युवा कौशल कार्यक्रम की कुछ खास विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(क) सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए 534 प्रखंडों में से प्रत्येक में न्यूनतम एक कौशल विकास केंद्र।

(ख) अनिवार्य प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रमाणन (ऑनसेट) कार्यक्रम के जरिए प्रमाणित प्रशिक्षकों का मजबूत समूह विकसित किया गया है।

(ग) जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी सामाजिक गोलबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके चलते पहुंच और भागीदारी बढ़ेगी।

(घ) जीवन कौशलों, संवाद कौशलों (अंग्रेजी और हिंदी) तथा बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता से युवा वर्ग में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी।

(च) उच्च गुणवत्ता वाली विषयवस्तु और ई-लर्निंग माध्यम का उपयोग।

(छ) सत्रों से भागने पर रोक के लिए सीखने का क्रमावर्ती तरीका (सिक्वेंसियल मोड) उपलब्ध कराया जाता है।

(ज) वेब पोर्टल के जरिए हर प्रत्याशी की प्रगति की कदम-दर-कदम प्रगति का केंद्रित अनुश्रवण।

(झ) ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रमाणन की अंतर्निर्मित और समेकित प्रक्रिया।

कौशल युवा कार्यक्रम की उपलब्धियां तालिका 5.1 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.1 : कौशल युवा कार्यक्रम की उपलब्धियां (नवंबर 2018 तक)

सूचक	संख्या
कुल शामिल जिले	38
कुल शामिल प्रखंड	534
कुल स्वीकृत केंद्र	1726
कुल नामांकित प्रत्याशी	1,081,832
कुल प्रत्याशी जिनकी पुष्टि हो गई	6,27,281
प्रशिक्षण पूरा करने वाले कुल प्रत्याशी	5,45,106
प्रमाणित किए गए कुल प्रत्याशी	4,20,439

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

डोमेन स्किलिंग

डोमेन स्किलिंग किसी खास क्षेत्र (डोमेन) और मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण के जरिए कौशल विकास के श्रमशिक्त में नया प्रवेश करने वाले किसी पूर्व अनुभव से रहित व्यक्ति को कौशल विकास के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण है। इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी स्वतंत्र तृतीयपक्षीय अभिकरण या राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय ख्याति वाले अभिकरण द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित कौशल हासिल करने के बाद किसी प्रत्याशी द्वारा रोजगार या परिणाम आधारित काम में लगने का कारण बनने की आशा की जाती है। इससे कोई आकांक्षी सवैतनिक रोजगार/ स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनता है जिसके कारण उसकी आमदनी बढ़ सकती है और वह टिकाऊ जीविका हासिल कर सकता है। पाठ्यक्रम के लिए न्यनूतम योग्यता के मापदंड को पूरा करने वाले 15 से 59 वर्ष उम्र वाले कामकाजी उम्र समूह के प्रत्याशी अगर डोमेन स्किल प्राप्त करने के लिए इच्छुक हों, तो वे इनके द्वारा स्वीकृत किसी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं

– क्वालिटी पैक्स – नेशनल ओपन स्कूलिंग (क्यूपी-एनओएस)/ बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा पर्षद (बीबीओएसई)/ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस)/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)/ बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा स्वीकृत कोई अन्य संस्थान।

जिन कौशल विकास केंद्रों के पास सामान्य और खास पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक अधिसंरचना होगी उन्हें युवक–युवतियों को किसी खास डोमेन के कार्यक्रमों में से किसी के प्रशिक्षण की पेशकश करने के लिए ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया के जरिएपैनल में शामिल किया जाता है। मिशन के दिशानिर्देशों का पालन करने वाली सारी योजनाओं को स्वरोजगार सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत नियोजन सुनिश्चित करना होगा। सवैतनिक रोजगार और स्वरोजगार के लिए नियोजन के प्रतिशत का ब्योरा क्रियान्वयन विभाग द्वारा पाठ्यक्रम की प्रकृति और उनके लक्ष्य समूह के रुझानों के अनुरूप तय किया जाएगा। बिहार में डोमेन स्किलिंग कार्यक्रम के बारे में तालिका 5.2 में विवरण प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.2 : डोमेन स्किलिंग की स्थिति (नवंबर 2018 तक)

मापदंड	संख्या
स्वीकृत केंद्रों की कुल संख्या	859
चालू केंद्रों की कुल संख्या	488
पेश किए गए क्वालिटी पैक्स – नेशनल ओपन स्कूलिंगपाठ्यक्रमों की कुल संख्या	131
कौशल के कुल शामिल क्षेत्र	26
सरकार के प्रशिक्षण साझीदारों द्वारा निर्धारित कुल पाठ्यक्रम	48
अभी तक हुआ कुल नामांकन	39885
अभी तक जारी कुल प्रमाणपत्र	7942

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती योजना

बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा एक योजना को भारत में मौजूद उद्योग और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा बल दी और आमंत्रित की जाने वाली नवाचारी योजनाओं के हिस्से के बतौर सामने लाया गया है जो कौशल विकास वातावरण की कुछ बुनियादी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकती है। इस योजना के तहत उद्योगों के नजरिए से वर्तमान कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इस योजना को नियुक्ति–प्रशिक्षण–तैनाती (आरटीडी) योजना के नाम से जाना जाता है। नियुक्ति–प्रशिक्षण–तैनाती मॉडल को मिशन द्वारा उद्योग की जरूरतें पूरी करने और बिहार के युवक–युवतियों को रोजगार पाने में सहायता देने की जरूरत के लिहाज से अपवाद के बतौर शुरू किया गया है। यह योजना एक नवाचारी पहल है जिसका लक्ष्य मिशन के समग्र उद्देश्यों को पूरा करना है। बिहार में नियुक्ति–प्रशिक्षण–तैनाती योजना की उपलब्धियां तालिका 5.3 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.3 : नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती की स्थिति (नवंबर 2018 तक)

मापदंड	संख्या
चालू नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनातीपाठ्यक्रमों की संख्या	13
कुल पेश पाठ्यक्रम	7
प्रशिक्षण पूरा कर चुके बैच	56
प्रशिक्षण ले रहे बैच	0
कुल प्रशिक्षित प्रत्याशी	1248
प्रशिक्षण ले रहे कुल प्रत्याशी	0
भारत के लिए प्रशिक्षित कुल प्रत्याशी	781
भारत के लिए कुल तैनाती	253
विदेशों के लिए कुल प्रशिक्षण	467
विदेशों के लिए कुल तैनाती	349
संचित तैनाती	602

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

सेतु पाठ्यक्रम के साथ पूर्वज्ञान की मान्यता

पूर्वज्ञान मान्यता (आरपीएल) की असंगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति के मौजूद कौशलों को मान्यता देने और उन्नत करने का अद्वितीय और कुशल दृष्टिकोण है। इस योजना के जरिए सीखने की औपचारिक प्रक्रियाओं के बाहर से हासिल ज्ञान और कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है और औपचारिक मान्यता प्रदान की जाती है। पूर्वज्ञान मान्यता का प्रमाणपत्र किसी अन्य कौशल विकास प्रमाणपत्र के समतुल्य होगा। इससे उन्हें बेहतर और टिकाऊ जीविका के लिए उदग्र और क्षैतिज, दोनो तरह से आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध होगा। इसे बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा स्वीकृत अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा इसके दिशानिर्देशों के तहत विहित मानकों के अनुसार चलाया जाता है। पूर्वज्ञान मान्यता को चलाने वाले अभिकरणों और संस्थाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किन्हीं अन्य अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद तय किए गए अभिकरण शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

दिसंबर 2018 में बिहार कौशल विकास मिशन ने कौशल विकास केंद्र चलाने के लिए प्रशिक्षण-दाताओं को मिशन के पैनल में शामिल करने के तीसरे चरण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रित किया है। कौशल विकास केंद्र बिहार में वर्णित रोजगार संबंधी भूमिकाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक का क्रियान्वयन करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रगति का ब्योरा तालिका 5.4 और तालिका 5.5 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.4 : बिहार में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्थिति

योजना के तहत श्रेणी	स्थिति
1	पैनल में शामिल प्रशिक्षण केंद्र — 23
	प्रशिक्षण केंद्रों के लिए स्मार्ट स्वीकृति प्राप्त — 26
	चालू प्रशिक्षण केंद्र— 3
2	मखाना की खेती के लिए क्यूपी-एनओएस का प्रारूप स्वीकृत/ प्रशिक्षण साझीदार फाइनल और केंद्रों का निबंधन जारी
3	पाठ्यक्रम चिन्हित; तौर-तरीकों पर राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद से सूचना मांगी जा रही है
4	पैनल में शामिल प्रशिक्षण केंद्र— 19
	प्रशिक्षण केंद्रों के लिए स्मार्ट स्वीकृति प्राप्त — 15
	चालू प्रशिक्षण केंद्र— 3

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.5 : पेश पाठ्यक्रम और जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम

चालू केंद्र	पेश पाठ्यक्रम और क्षेत्र	जारी प्रशिक्षण	प्रशिक्षण पूरा
6	5 क्षेत्रों में 5 पाठ्यक्रम	470	220

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य - वित्तीय लेखाकरण में प्रमाणपत्र - वस्तु एवं सेवा कर प्रशिक्षण

ऐसी श्रमशक्ति तैयार करने के लिए जिसमें समझ हो कि वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कैसे लगाया जाता है और जो बिहार के छोटे और मध्यम उद्यमियों को वस्तु एवं सेवा कर विवरणी दाखिल करने में मदद करे, मिशन की बिहार के युवक-युवतियों को वांछित कौशल प्रशिक्षण देने के लिए मार्च 2019 से 120 घंटे का पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। बिहार के सभी 101 अनुमंडलों में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित करके इन युवक-युवतियों को बिहार राज्य - वित्तीय लेखाकरण में प्रमाणपत्र (बीएस-सीएफए) पाठ्यक्रम का नि:शुल्क प्रशिक्षण देने की पेशकश की जाएगी। पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा मिशन के ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। मिशन की अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) पर इस ई-कंटेंट को अर्ध-ऑनलाइन मोड में चलाया जाएगा। ऐसे केंद्रों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

कौशल विकास का वित्तीय पक्ष

पिछले तीन वित्तवर्षों में बजट आबंटन और बजट के उपयोग का ब्योरा तालिका 5.6 में प्रस्तुत है। बिहार में कौशल विकास योजनाएं चलाने के लिए अलग-अलग विभागों के अलग-अलग बजट हैं। वस्तुतः मिशन के अलावा, 15 विभाग कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगे हैं। मिशन द्वारा इन विभागों की कौशल विकास योजनाओं के लिए पूरी क्रियान्वयन प्रक्रिया का सुगमीकरण किया जाता है। विभागों को उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट आबंटित करने, तथा लक्ष्य समूह, पाठ्यक्रम और स्थान तय करने की स्वतंत्रता होती है।

तालिका 5.6 : कौशल विकास योजनाओं के लिए विभागवार बजट आबंटन की स्थिति

(लाख रु.)

क्र. सं.	विभाग का नाम	बजट की रकम		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग	20687.48	30346.03	41922.82
2	स्वास्थ्य विभाग	--	100	436.02
3	गृह विभाग (कारा एवं सुधारमूलक सेवाएं)	--	--	25.00
4	शिक्षा विभाग	5096.00	4414.00	7845.00
5	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	--	--	1000.00
6	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	--	--	600.00
7	उद्योग विभाग	2067.84	2834.51	1990.00
8	अजा/ अजजा कल्याण विभाग	605	1500.00	1700
9	कृषि विभाग	913.53	1200.00	1200.00
10	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2500.00	2000.00	300.00
11	नगर विकास एवं आवास विभाग	14261.0	7899	4445.80
12	पर्यटन विभाग	--	100	1000
13	ग्रामीण विकास विभाग	3595	21576	30400.00
14	समाज कल्याण विभाग	861	1000	1307
15	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1000	1000	1500.0
16	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	200	700	900.00

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका से स्पष्ट है कि परियोजना, प्रबंधन और वित्तीय संसाधनों के लिहाज से श्रमशक्ति में नए शामिल होने वाले लोगों के कौशल प्रशिक्षण की भारी संभावना है। वहीं श्रमिकों के कौशल उन्नयन या दुबारा कौशल उपलब्ध कराने की भी भारी जरूरत है। राज्य सरकार की निजी अभिकरणों द्वारा बाजार-आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की भी योजना है। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभावी क्रियान्वयन करने पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से राज्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रचुर आर्थिक और सामाजिक लाभ पाने का अवसर उपलब्ध होगा। हाल के समय में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा चली गतिविधियों का ब्योरा तालिका प 5.1(सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट

तालिका प 5.1 : बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किए गए आयोजन और कार्य, 2017-18

क्र. सं.	आयोजनों का नाम	स्थान	तिथि
1	कौशल युवा कार्यक्रम पर 13 एपीसोड का दूरदर्शन सीरियल ''टर्निंग पाइंट''	पटना	8 मई 2017
2	कौशल युवा कार्यक्रम केंद्र के समन्वयकों के उन्मुखीकरण का आयोजन	पटना	12 जून 2017
3	दक्षिण बिहार के लिए अधिगम सुगमकर्ताओं के उन्मुखीकरण का आयोजन	पटना	13 और 15 जून 2017
4	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार में डोमेन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ	पटना	1 जुलाई 2017
5	कौशल युवा कार्यक्रम के विद्यार्थियों के हित में विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन, और लैपटॉप वितरण	पटना	15 जुलाई 2017
6	प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकन एवं प्रमाणन, एसएससी के पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या, विषयवस्तु और पुस्तकों की उपलब्धता तथा नियोजन पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन	पटना	20 सितंबर 2018
7	पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या, विषयवस्तु और पुस्तकों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा के लिए एसएससी, प्रकाशकों और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के साथ बैठक का आयोजन	पटना	22 सितंबर 2018
8	बिहार कौशल विकास मिशन एमकेसीएल की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन	पुणे	6 अक्तूबर 2017
9	प्रथम नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती (आरटीडी) कार्यशाला का आयोजन	गुरुग्राम	18 नवंबर 2017
10	मोटरवाहन, निर्माण, लौह एवं इस्पात, बीएसएफआइ, औषधि, सेवा क्षेत्रों के उद्योगों के साथ साझेदारी की संभावना तलाशने के लिए द्वितीय नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती कार्यशाला का आयोजन	मुंबई	9 दिसंबर 2017
11	कौशल युवा कार्यक्रम के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार कौशल युवा कार्यक्रम के अधिगम सुगमकर्ताओं की क्षमतावृद्धि के लिए मिशन के प्रशिक्षण का आरंभ .	पटना	18 से 20 दिसंबर 2018
12	तीन दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन	पटना	29, 30 और 31 जनवरी 2018
13	राज्यस्तरीय कौशल प्रतिस्पर्धा का आयोजन; प्रतिस्पर्धा में 26 कौशलों से 166 सहभागियों की भागीदारी	पटना	20 से 22 अप्रील 2018
14	विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर कार्यशाला का आयोजन	पटना	18 मई 2018
15	मिशन द्वारा तृतीय नियुक्ति-प्रशिक्षण-तैनाती (आरटीडी) कार्यशाला का आयोजन	बंगलोर	22 जून 2018
16	विश्व युवा कौशल दिवस, 2018 का आयोजन	पटना	15 जुलाई 2018
17	प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप मेला) का आयोजन	गया	20 जुलाई 2018

18	रोजगार शिविरों का आयोजन	गया, छपरा, पटना और दरभंगा	17, 19, 20, 24 और 25 अगस्त 2018
19	सितंबर 2018 में तीन जिलों में जिला रोजगार शिविर सह पेशेवर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन	जमुई, शेखपुरा और बांका	जमुई में 1-2 सितंबर, शेखपुरा में 8-9 सितंबर और बांका में 15-16 सितंबर 2018
20	प्रमंडल-स्तरीय रोजगार सह प्रशिक्षुता शिविर का आयोजन	कटिहार, सुपौल, डेहरी-ऑन-सोन, गोपालगंज और बांका	3, 5, 8, 10 और 12 अक्तूबर 2018
21	श्रम संसाधन विभाग के रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय और जैक्वार फाउंडेशन के बीच उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण को सहयोग उपलब्ध कराने के लिहाज से नलसाजी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए समझौता-पत्र हस्ताक्षरित	पटना	12 अक्तूबर 2018
22	कौशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन	पुणे	16 अक्तूबर 2018
23	रोजगार शिविर का आयोजन	गया	3 से 5 नवंबर 2018
24	कौशल प्रशिक्षण हेतु अजा और अजजा परिवारों के सर्वेक्षण के बारे में मिशन द्वारा डीएसएम के एकदिवसीय उन्मुखीकरण का आयोजन	पटना	16 नवंबर 2018
25	रोजगार शिविर का आयोजन	पटना	17 नवंबर 2018
26	बिहार कौशल विकास मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से रोजगार शिविर का आयोजन	पटना	4 से 6 दिसंबर 2018
27	बिहार कौशल विकास मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से रोजगार-सह-प्रशिक्षुता शिविर का आयोजन	भागलपुर	14 से 16 दिसंबर 2018
28	बिहार में उद्यमिता की संभावना और जरूरत पर कार्यशाला का आयोजन	पटना	20 दिसंबर 2018
29	प्रमंडल-स्तरीय रोजगार-सह-प्रशिक्षुता शिविर का आयोजन	लखीसराय, बेगूसराय और कैमूर	22, 23 और 25 दिसंबर 2018

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 6

अधिसंरचना

ठोस अधिसंरचना की उपलब्धता का अर्थव्यवस्था के साथ-साथ किसी क्षेत्र के लोगों के जीवन पर भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बेहतर अधिसंरचना बेहतर सेवा प्रदान, समावेशिता, व्यापक बाजारों की उपलब्धता और प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक - सभी क्षेत्रों के लिए सशक्त अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों का कारण बनती है। अधिसंरचना सेवाओं का विकास करना निजी क्षेत्र के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त जवाबदेही होती है। राज्य सरकार ने अनेक जारी और प्रस्तावित कार्यक्रमों के जरिए अधिसंरचना को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है। बिहार में भौतिक संरचना में गत दशक के दौरान काफी मजबूती आई। इस अध्याय में सड़क नेटवर्क, पथ परिवहन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, सिंचाई अधिसंरचना, टेलीफोन नेटवर्क, डाक नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना जैसे क्षेत्रों पर विचार किया गया है। विद्युत क्षेत्र और शहरी अधिसंरचना पर इस रिपोर्ट के अन्य अध्यायों में अलग से विचार किया गया है।

हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने अधिसंरचना क्षेत्र में काफी निवेश किया है। यह निवेश परिवहन क्षेत्रों में, खास कर सड़क क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ किया गया है क्योंकि लोगों तक इस क्षेत्र की व्यापक पहुंच होती है। बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर परिवहन के विभिन्न माध्यमों का सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में योगदान चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है। पथ परिवहन के योगदान की 12.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है जबकि वायुमार्ग के योगदान में 35.2 प्रतिशत उससे भी अधिक वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। रेलमार्ग के मामले में भी वृद्धि दर दो अंकों में दर्ज की गई है। वहीं जल परिवहन के मामले में आरंभिक वर्षों (2012-13 और 2013-14) में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी लेकिन विगत चार वर्षों में 10.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसके चलते सकल राजकीय मूल्यवर्धन में परिवहन क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 5.2 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, सकल राजकीय मूल्यवर्धन में परिवहन के अन्य क्षेत्रों का योगदान भी इस अवधि में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया। ये रुझान राज्य के लोगों की उन्नति को दर्शाते हैं जो परिवहन की आधुनिक सेवाओं का अधिक उपयोग करने में सक्षम हैं।

चार्ट 6.1 : सकल राजकीय मूल्यवर्धन में विभिन्न परिवहन क्षेत्रों का योगदान (लाख रु. में)

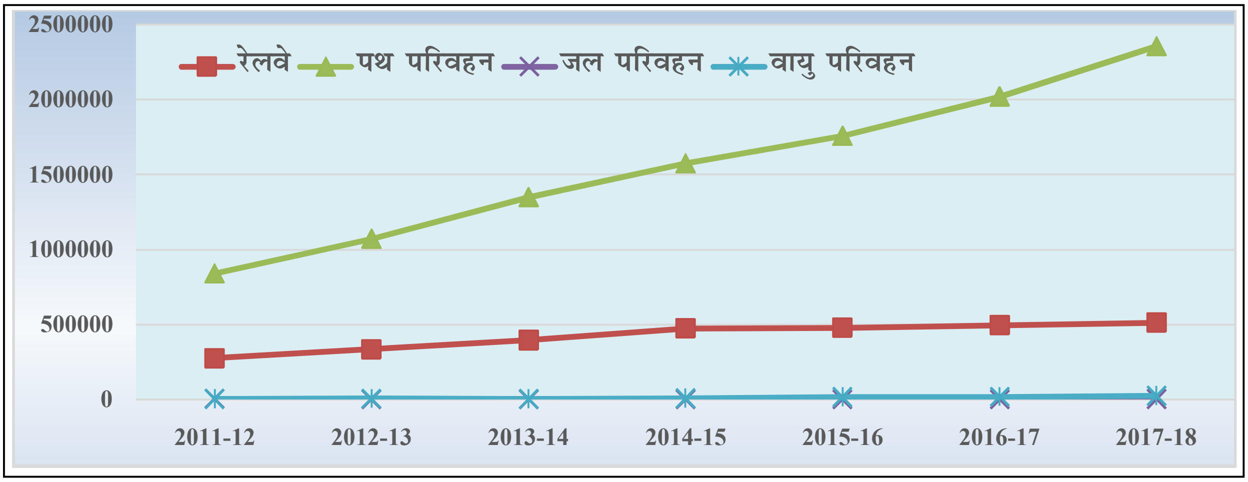

6.1 सड़क नेटवर्क

सड़क नेटवर्क किसी भी क्षेत्र में, खास कर बिहार जैसे अल्पविकसित क्षेत्र में भौतिक अधिसंरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। सड़क नेटवर्क की जरूरत अर्थव्यवस्था की विभिन्न गतिविधियों में मदद के लिए होती है, जैसे कि कृषि उत्पादों का विपणन, औद्योगीकरण और सेवा प्रदान में। परिवहन के विभिन्न माध्यमों के बीच देखें तो पथ परिवहन के जरिए 80 प्रतिशत से भी अधिक मालों और यात्रियों की ढुलाई होती है। सड़कों के निर्माण और रखरखाव से अच्छा-खासा रोजगार भी पैदा होता है। इस पृष्ठभूमि में सड़क नेटवर्क का विस्तार पूरे राज्य में हो रहा है जिससे वस्तुओं और यात्रियों का सुगम प्रवाह सुनिश्चित हो रहा है। कृषि क्षेत्र की उच्च संभावना को देखते हुए ग्रामीण सड़क नेटवर्क में भी प्रचुर वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए काफी निवेश किया है।

राज्य सरकार ने 2005-06 से ही अधिसंरचना पर निवेश के लिए हर बजट में ध्यान दिया है जो इसके बहुगणक प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के उच्च विकास में रूपांतरित हो गया है। यह सार्वजनिक निवेश गत सात वर्षों के दौरान 16.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और 2012-13 के 5,988 करोड़ रु. से 2018-19 के बजट अनुमान में 17,585 करोड़ रु. पहुंच गया है। इसका अर्थ सड़क क्षेत्र में 7 वर्षों में तिगुनी वृद्धि है। राज्य सरकार के सात में से एक निश्चय (घर तक पक्की गली नलियां) ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में काफी निवेश किया गया है (तालिका 6.1)। राज्य सरकार ने अपने बजट के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से का व्यय सड़कों और पुलों पर किया है। वर्ष 2017-18 में सड़कों पर व्यय का आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में 29.0 प्रतिशत, विकासमूलक व्यय में 11.6 प्रतिशत और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2.7 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 6.1 : बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश

(करोड़ रु. में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (ब.अ.)	**वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-19)**
सड़कों और पुलों पर कुल व्यय	5988	7392	9816	14125	14993	13158	17585	**16.3**
सड़कों और पुलों पर राजस्व व्यय	823	1375	991	1709	1776	1398	2312	**11.1**
सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय	3291	4083	4177	4403	5326	5373	5473	**7.1**
ग्रामीण सड़कों पर राजस्व व्यय	1874	1934	4648	8013	7892	6388	9799	**29.5**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय	20246	24871	29173	37305	44943	45360	53520	**16.5**
विकासमूलक व्यय	47282	54691	64293	78077	90800	113067	128772	**19.1**
कुल बजट	69207	80405	94698	112328	126302	160086	176990	**17.5**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	282368	317101	342951	369469	425888	487628	543627	**11.4**
सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश निम्नलिखित के प्रतिशत के बतौर								
आर्थिक सेवाएं	29.6	29.7	33.6	37.9	33.4	29.0	32.9	**-**
विकासमूलक व्यय	12.7	13.5	15.3	18.1	16.5	11.6	13.7	**-**
कुल बजट	8.7	9.2	10.4	12.6	11.9	8.2	9.9	**-**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.1	2.3	2.9	3.8	3.5	2.7	3.2	**-**

स्रोत : राज्य के बजट दस्तावेज, बिहार सरकार

वर्ष 2004-05 और 2016-17 के बीच राष्ट्रीय उच्चपथों में 1,302 किमी, राज्य उच्चपथों में 1871 किमी और अन्य सड़कों में 1,29,477 किमी की वृद्धि हुई है (तालिका 6.2)। इस अवधि में सर्वाधिक 3,259 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ महाराष्ट्र में बनाए गए और उसके बाद 2,884 किमी उत्तर प्रदेश तथा 2,660 किमी कर्नाटक में। वहीं, सर्वाधिक 9,988 किमी राज्य उच्चपथ कनार्टक में बनाए गए और उसके बाद 6,776 किमी राजस्थान में तथा 5,763 किमी महाराष्ट्र में। देश में बिहार का राष्ट्रीय और राज्य उच्चपथों के निर्माण के मामले में छठा और अन्य सड़कों के मामले में पांचवां स्थान था।

गत दशक में सड़कों और पुलों पर निवेश काफी बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि बिहार सड़क घनत्व (प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई) के मामले में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है। बिहार में मार्च 2017 में प्रति 100 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई 219 किमी थी जो 143 किमी के राष्ट्रीय औसत से तो काफी अधिक है (चार्ट 6.2)। प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व केरल में 517 किमी और बंगाल में 357 किमी था।

तालिका 6.2 : भारत के प्रमुख राज्यों का सड़क नेटवर्क

राज्य	राष्ट्रीय उच्चपथ			राज्य उच्चपथ			कुल सड़क नेटवर्क		
	2004-05	2009-10	2016-17	2004-05	2009-10	2016-17	2004-05	2009-10	2016-17
आंध्र प्रदेश	4472	4537	5465	8349	10470	6485	206125	232280	174367
बिहार	**3537**	**3642**	**4839**	**2382**	**3989**	**4253**	**73834**	**124363**	**206484**
छत्तीसगढ़	2184	2184	3078	3213	3213	4462	73993	87733	95809
गुजरात	2871	3245	4971	19176	18460	17201	143660	153521	179144
हरियाणा	1468	1512	2622	2536	2523	1801	28673	36032	48482
झारखंड	1805	1805	2654	-	1886	1296	11783	20772	66786
कर्नाटक	3843	4396	6503	9590	20905	19578	200112	274896	345515
केरल	1440	1457	1812	3523	4341	4342	143276	200625	200808
मध्य प्रदेश	5200	4670	5194	8099	10115	10934	165340	185898	289940
महाराष्ट्र	4176	4176	7435	33237	32629	39000	272684	399416	613418
ओडिशा	3704	3704	4838	4957	3798	4187	213820	229132	288083
पंजाब	1557	1557	2769	1515	1477	1133	45767	77912	108379
राजस्थान	5585	5585	7906	8412	11218	15188	144898	217543	254279
तमिलनाडु	4183	4832	4946	7226	9384	11752	170823	188037	261035
उत्तर प्रदेश	5599	6774	8483	9097	8739	7147	244442	329185	422412
पश्चिम बंगाल	2325	2578	2956	3337	4505	3612	89699	290170	316730
संपूर्ण भारत	**65569**	**70548**	**101011**	**133177**	**158497**	**176166**	**2669996**	**3571510**	**4703293**

स्रोत : परिवहन अनुसंधान स्कंध, पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 6.2 : मार्च 2017 में भारतीय राज्यों का पथ घनत्व (किमी प्रति 100 वर्ग किमी)

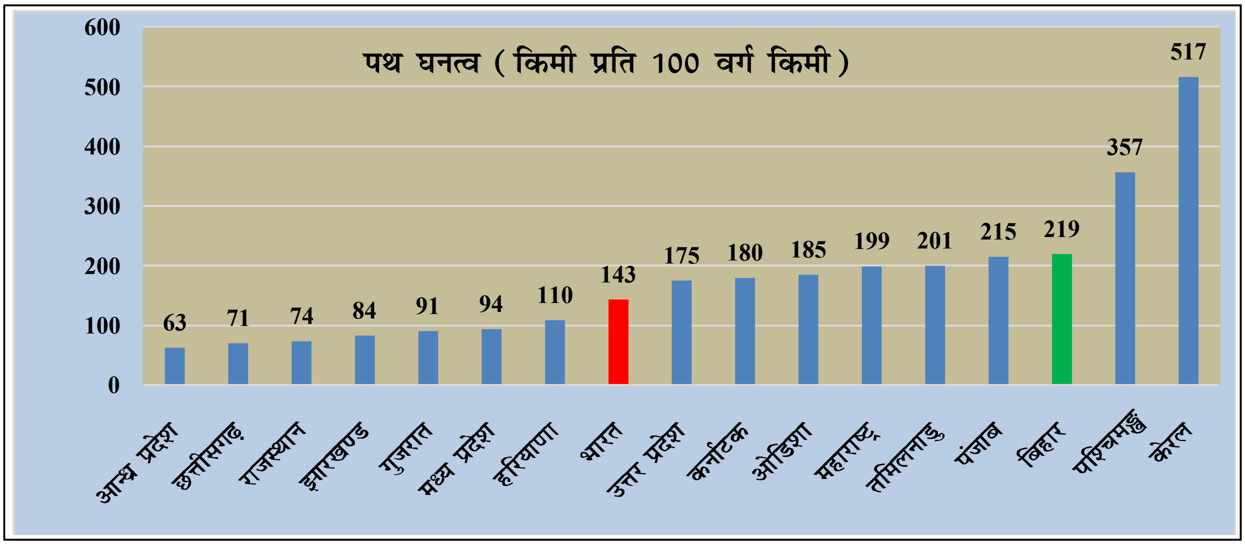

तालिका 6.3 में बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों, लोक निर्माण विभाग के अन्य (OPWD) पथों, ग्रामीण पथों, शहरी पथों और परियोजना पथों की लंबाई के विवरण प्रस्तुत हैं। तालिका में गत चार वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणी की सड़कों की लंबाई के मामले में प्रगति दर्शाई गई है। राष्ट्रीय उच्चपथों का सड़कों की कुल लंबाई में 2 प्रतिशत और पक्की सड़कों की लंबाई में 4 प्रतिशत हिस्सा है। सभी प्रकार की सड़कों में राज्य उच्चपथों का भी लगभग यही हिस्सा था। चूंकि बिहार मुख्यत: ग्राम-प्रधान राज्य है इसलिए राज्य की लगभग 80 प्रतिशत सड़कें ग्रामीण पथों के अंतर्गत हैं। कुल सड़क नेटवर्क में लोक निर्माण विभाग के अन्य पथों,शहरी पथों और परियोजना पथों का संयुक्त हिस्सा लगभग 10-12 प्रतिशत है। तालिका 6.3 में यह भी दिखता है कि अन्य सड़कों की तुलना में ग्रामीण पथों का अधिक विस्तार हुआ है और दूसरे, कुल ग्रामीण पथों में पक्की सड़कों का हिस्सा भी काफी बढ़ा है।

तालिका 6.3 : बिहार में प्राधिकरण के अनुसार कुल और पक्की सड़कों की लंबाई

(लंबाई किमी में)

सड़क का प्रकार	2012		2013		2014		2015	
	कुल	पक्की	कुल	पक्की	कुल	पक्की	कुल	पक्की
राष्ट्रीय उच्चपथ	4105 (2.96)	4105 (6.28)	4168 (2.11)	4168 (3.56)	4467 (2.13)	4467 (4.31)	4701 (2.28)	4701 (4.34)
राज्य उच्चपथ	4857 (3.51)	4857 (7.43)	4483 (2.27)	4483 (3.83)	4389 (2.09)	4389 (4.24)	4426 (2.15)	4426 (4.09)
लोक निर्माण विभाग के अन्य पथ	9030 (6.52)	9030 (13.82)	9401 (4.77)	9401 (8.04)	10128 (4.83)	10128 (9.77)	10128 (4.92)	10128 (9.36)
ग्रामीण पथ	108759 (78.52)	42747 (65.41)	167579 (84.96)	94421 (80.75)	179392 (85.52)	80431 (77.62)	175373 (85.13)	84794 (78.33)
शहरी पथ	8918 (6.44)	3819 (5.84)	8760 (4.44)	3661 (3.13)	8823 (4.21)	3699 (3.57)	8823 (4.28)	3699 (3.42)
परियोजना पथ	2848 (2.06)	797 (1.22)	2848 (1.44)	797 (0.68)	2559 (1.22)	508 (0.49)	2559 (1.24)	508 (0.47)
योग	**138517 (100)**	**65355 (100)**	**197239 (100)**	**116931 (100)**	**209758 (100)**	**103622 (100)**	**206010 (100)**	**108256 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े योगफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : परिवहन अनुसंधान स्कंध, पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ, मुख्य जिला पथ और ग्रामीण पथ नेटवर्क की जिलावार प्रगति के रुझान तालिका प 6.1, तालिका प 6.2, तालिका प 6.3 और तालिका प 6.4 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। इन तालिकाओं में राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ, मुख्य जिला पथ और ग्रामीण पथ – चार प्रकार की सड़कों में जिलों के बीच आए अंतर दर्शाए गए हैं। मानचित्र 6.1 में बिहार में जिलों का कुल सड़क नेटवर्क दर्शाया गया है।

मानचित्र 6.1 : बिहार में 2018 में जिलावार सड़क नेटवर्क (रेंज किमी में)

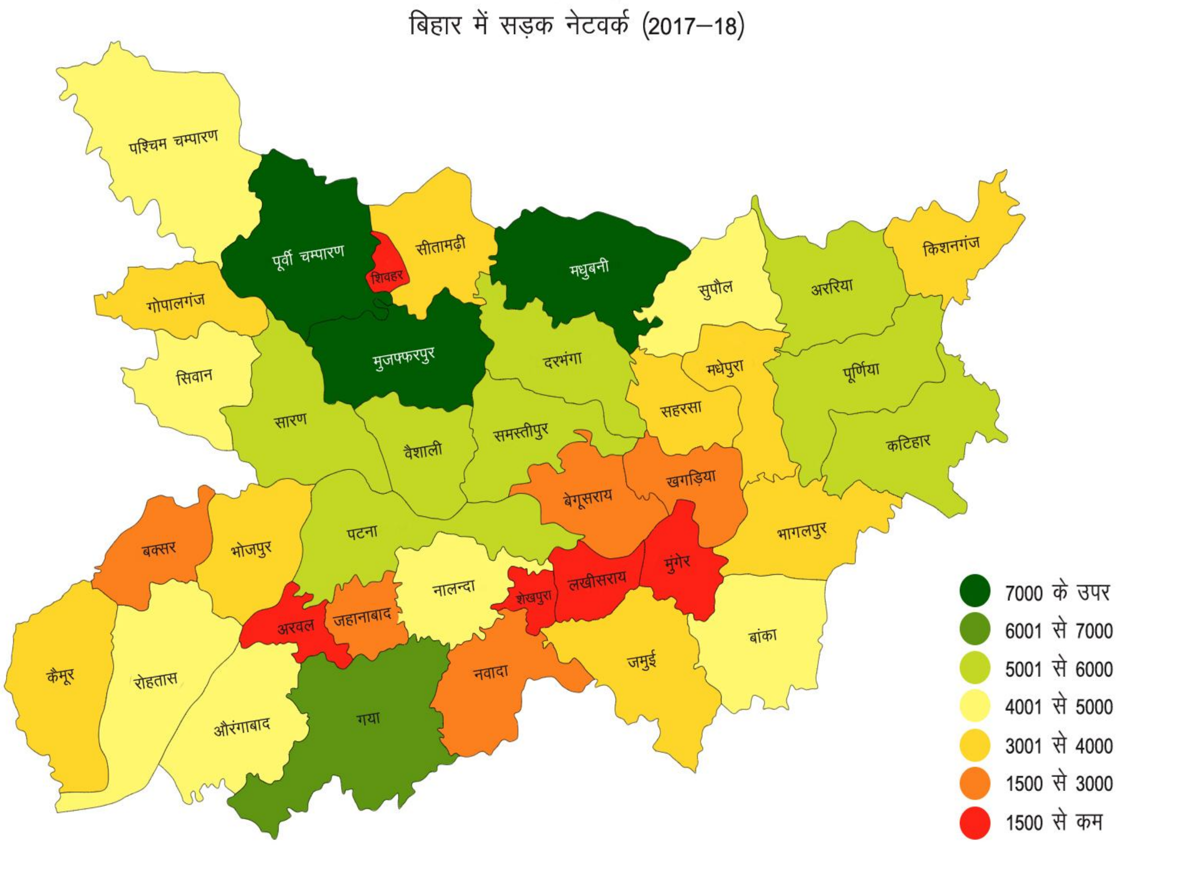

मानचित्र पैमाने पर खड़ा नहीं है

स्रोत : पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, मुख्य जिला पथ और ग्रामीण पथ शामिल है।

बिहार सघन आबादी वाला राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किमी भोगोलिक क्षेत्रफल में 1106 से कम लोग नहीं रहते हैं। अतः सुगम परिवहन के लिए सड़कों की चौड़ाई भी मायने रखती है। चौड़ाई के अनुसार सड़क नेटवर्क की चार श्रेणियां हैं – एक लेन (3.75 मीटर), मध्यवर्ती लेन (5.50 मीटर), दो-लेन (7.00 मीटर) और द्वयाधिक-लेन (7.00 मीटर से अधिक)। चार्ट 6.3 में तीन प्रकार की सड़कों (राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ और मुख्य जिला पथों) की चौड़ाई के अनुसार अवस्थिति दर्शाई गई है।लगभग 80 प्रतिशत राष्ट्रीय उच्चपथ और 70 प्रतिशत राज्य उच्चपथ दो या अधिक लेन वाले हैं। लेकिन 13 प्रतिशत मुख्य जिला पथ ही दो लेन वाले थे। 53 प्रतिशत मुख्य जिला पथ एक लेन वाले और 33 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले थे।

चार्ट 6.3 : बिहार में सितंबर 2018 में चौड़ाई के अनुसार राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ और मुख्य जिला पथ नेटवर्क की स्थिति

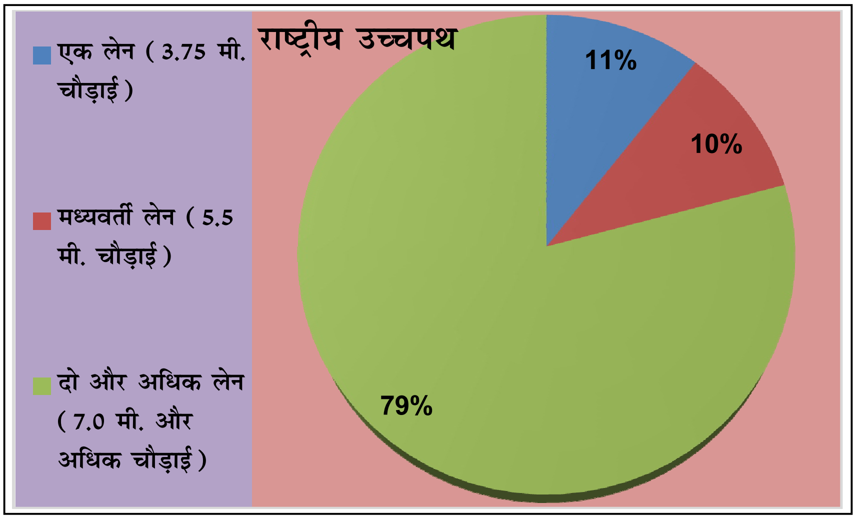

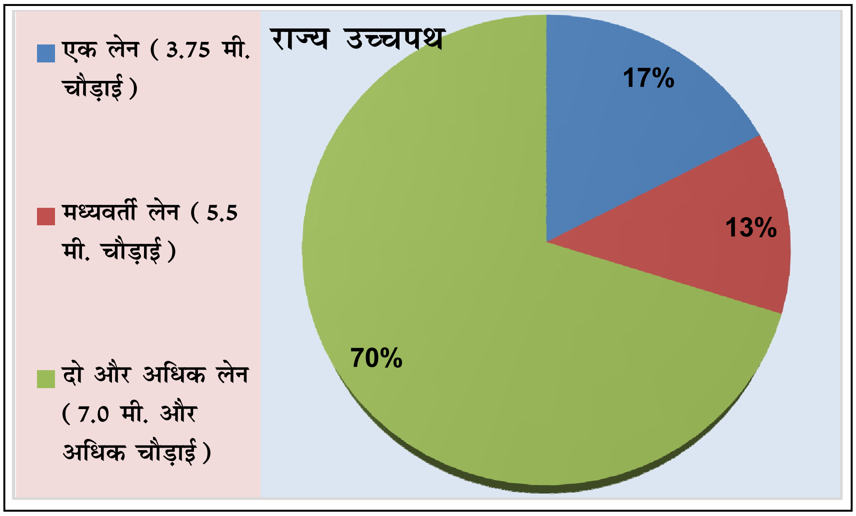

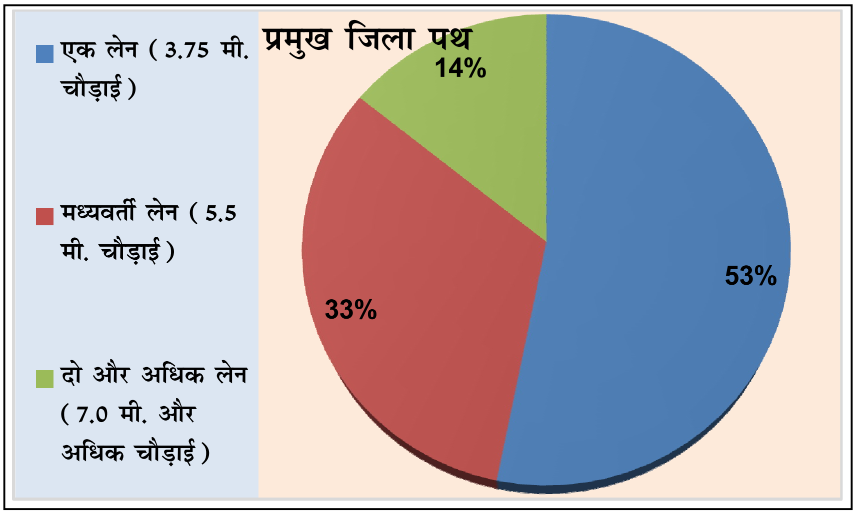

राष्ट्रीय उच्चपथ

राष्ट्रीय उच्चपथ देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रियों और वस्तुओं के आने-जाने के लिए मुख्य पथ हैं। ये पूरे देश में आड़े-तिरछे फैले हुए हैं जो देश और राज्य की राजधानियों, मुख्य बंदरगाहों और रेलवे जंक्शनों तथा सीमावर्ती सड़कों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय उच्चपथ पूरे देश में राज्यों और अन्य देशों के बीच व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। हालांकि बिहार के सड़क नेटवर्क में उनका मात्र 2.3 प्रतिशत हिस्सा है। ये राज्य के सभी प्रमुख और फीडर सड़कों को जोड़ने वाले कारक अवश्य हैं।

सितंबर 2018 तक राज्य में कुल 43 राष्ट्रीय उच्चपथ थे जिनकी कुल लंबाई का 4,917 किमी हिस्सा बिहार में था। वर्ष 2014 में उनकी संख्या 35 और कुल लंबाई 4,321 किमी ही थी। इन चार वर्षों के दौरान इनमें 8 और उच्चपथों के जुड़ जाने से उनकी कुल लंबाई 4,917 किमी हो गई। तालिका 6.4 में बिहार से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्चपथों की सूची दी गई है। राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल लंबाई में बड़ा (79 प्रतिशत) हिस्सा दो या द्वयाधिक लेन वाली सड़कों का और शेष 21 प्रतिशत हिस्सा एक और मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों का है (चार्ट 6.3)। इस पर गौर करना सुखद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विगत वर्षों में दो और द्वयाधिक लेन वाली सड़कों का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। तालिका प 6.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में राष्ट्रीय उच्चपथों की जिलावार लंबाई दी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि गत 6 वर्षों में 19 जिलों में राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई नहीं बढ़ी है। वहीं तीन जिलों में इनकी लंबाई सबसे अधिक बढ़ी है। ये जिले हैं – जमुई (108 किमी), सीवान (77.2 किमी) और बांका (74 किमी)। सितंबर 2018 तक पटना (8.03 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (5.28 प्रतिशत) और मधुबनी (4.8 प्रतिशत) राष्ट्रीय उच्चपथों में हिस्से के लिहाज से अग्रणी जिले थे।

तालिका 6.4 : बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की संख्या और लंबाई (सितंबर 2018 तक)

(लंबाई किमी में)

क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)	क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)	क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)	क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)
1	2	205.7	**12**	82	147.0	**23**	106	135.1	**34**	327A	25.1
2	19	93.0	**13**	83	125.0	**24**	107	180.0	**35**	122A	31.8
3	28	267.3	**14**	84	74.0	**25**	57A	13.0	**36**	333A	198.9
4	28A	66.7	**15**	85	92.0	**26**	28B	112.0	**37**	527A	28.2
5	30	230.0	**16**	98	152.0	**27**	110	90.0	**38**	219	46.8
6	30A	69.0	**17**	99	11.2	**28**	2C	105.0	**39**	333B	18.4
7	31	404.0	**18**	101	65.0	**29**	333	146.7	**40**	133B	7.5
8	57	310.0	**19**	102	75.0	**30**	527C	64.2	**41**	727A	4.5
9	77	139.0	**20**	103	59.0	**31**	327E	227.1	**42**	227A	147.0
10	80	190.0	**21**	104	214.0	**32**	131A	81.1	**43**	120	145.0
11	81	55.0	**22**	105	55.0	**33**	133	11.0	**योग**		**4917.2**

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय उच्चपथों का निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार सरकार द्वारा किया जाता है। तालिका 6.5 में राष्ट्रीय उच्चपथ के विकास और रखरखाव पर 2010-11 से 2015-16 के बीच बिहार और संपूर्ण भारत में व्यय दर्शाया गया है। बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों के विकास पर व्यय 2010-11 में 199 करोड़ रु. था जो पूरे देश में व्यय का मात्र 1.29 प्रतिशत था। रकम के लिहाज से देखें तोयह बढ़कर 2015-16 में 708 करोड़ रु. हो गया और संपूर्ण भारत में व्यय में इसका हिस्सा भी बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, राष्ट्रीय उच्चपथ के रखरखाव पर व्यय का हिस्सा भी बढ़कर 2010-11 के 2.5 प्रतिशत से 2015-16 में 4.2 प्रतिशत हो गया। लेकिन उनके विकास और रखरखाव को मिलाकर किए गए कुल व्यय में राज्य का हिस्सा मात्र 1.9 प्रतिशत है।लंबाई की बात करें, तो कुल राष्ट्रीय उच्चपथों में बिहार का हिस्सा कम ही नहीं है, घटा भी है और 2010-11 के 5.13 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.86 प्रतिशत रह गया है।

तालिका 6.5 : राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई और उनके विकास तथा रखरखाव पर हुआ व्यय

(करोड़ रु.)

वर्ष	राष्ट्रीय उच्चपथ (किमी में)		राष्ट्रीय उच्चपथ विकास पर व्यय		राष्ट्रीय उच्चपथ के रखरखाव पर व्यय		राष्ट्रीय उच्चपथ पर कुल व्यय		संपूर्ण भारत में बिहार का प्रतिशत हिस्सा	
	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	लंबाई में	व्यय में
2010-11	3642	70934	199	16869	37	1488	236	18357	5.13	1.29
2011-12	4106	76818	232	25287	51	1082	283	26369	5.35	1.07
2012-13	4168	82246	129	16319	42	1460	171	17779	5.07	0.96
2013-14	4467	91287	271	20264	145	1803	417	22067	4.89	1.89
2014-15	4701	97991	277	23689	201	2524	477	26213	4.80	1.82
2015-16	4913	101009	708	40317	107	2525	815	42843	4.86	1.90

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की सबसे बड़ी उच्चपथ परियोजना -राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना (एनएचडीपी) -का क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ विकास प्राधिकरण करता है। इस परियोजना का आरंभ जनवरी 2000 में हुआ था और तब से अभी तक इसके चार चरणों का काम पूरा किया गया है। परियोजना के तहत बिहार 2,621 किमी राष्ट्रीय उच्चपथों की प्राप्ति से लाभान्वित हुआ है। इस परियोजना के अतिरिक्त बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथ की अन्य परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। विश्व बैंक परियोजनाओं के तहत 5,262 करोड़ रु. के परिव्यय से 965 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ का निर्माण किया जाना है। इसी प्रकार जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जीका) 92.9 किमी लंबाई में राष्ट्रीय उच्चपथ-82 (गया-हिसुआ-राजगिर-नालंदा-बिहारशरीफ खंड) को चार लेन वाली सड़क में उत्क्रमित करने की पथ परियोजना को सहयोग दे रहा है। केंद्र सरकार इस परियोजना का क्रियान्वयन 1,408 करोड़ रु. के व्यय से कर रही है (तालिका 6.6)।

तालिका 6.6 : राष्ट्रीय उच्चपथों के चौड़ीकरण की स्थिति

परियोजना	लंबाई (किमी)	अभ्युक्ति
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना (चार/ छः लेन)		
स्वर्ण चतुर्भुज - 1	206	206 किमी निर्माण पूरा
पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर - 2	487	481किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना - 3	1130	546किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना - 4	527	177किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना उत्तर प्रदेश/ झारखंड सीमा पर - 5	206	51किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना - 7 (पटना रिंग रोड)	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के चरण में
योग	**2556**	**-**
राष्ट्रीय परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय के बजट परिव्यय के तहत (दो लेन)	453	2055 करोड़ रु.
राष्ट्रीय उच्चपथ कार्य परियोजना (2017-18) चरण-1	103	368 करोड़ रु.
राष्ट्रीय उच्चपथ की अतिरिक्तकार्य परियोजना (2017-18) चरण-1	93	478 करोड़ रु.
विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त योजना के तहत	512	3207 करोड़ रु.
वाम अतिवाद पथ विकास योजना (दो लेन)	32	काम पूरा (पुल का काम प्रगति पर)
सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत (चार लेन)	190	5840.5 करोड़ रु.
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (राष्ट्रीय उच्चपथ-82 के गया-हिसुआ-राजगिर-नालंदा-बिहारशरीफ खंड को 4 लेन में बदलना	93	1408 करोड़ रु.

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सीमावर्ती, धार्मिक और पिछड़े क्षेत्रों को संपर्क उपलब्ध कराने लिहाज से राष्ट्रीय उच्चपथों के विकास के लिए बिहार में कुल 82 परियोजनाएं स्वीकृत हैं जिनका कुल परिव्यय 54,700 करोड़ रु. है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन दो अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है - भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण द्वारा 24 परियोजनाएं और राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा 58 परियोजनाएं। इसके अलावा, राष्ट्रीय उच्चपथ क्षेत्र के लिए भारतमाला परियोजना नामक एक नए व्यापक कार्यक्रम का आरंभ किया गया है जिसका फोकस गंभीर अधिसंरचनात्मक कमियों को दूर करके पूरे देश में मालों और यात्रियों के आवागमन की दक्षता बढ़ाना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों के दौरान किया जाएगा। इससे बिहार राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल 949 किमी लंबाई वाली 9 परियोजनाओं से लाभान्वित होगा (तालिका 6.7)।

तालिका 6.7 : बिहार में भारतमाला कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं

(लंबाई किमी में)

क्र. सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	परियोजना का नाम	लंबाई	क्र. सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	परियोजना का नाम	लंबाई
1		औरंगाबाद-दरभंगा	271	**6**		मुजफ्फरपुर-साहेबगंज	25
2		सासाराम-पटना	143	**7**	19	छपरा-पटना	55
3		पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर	48	**8**	30	मोहनिया-आरा	118
4	28	मुजफ्फरपुर-बेगूसराय	117	**9**	31	रजौली-बख्तियारपुर	107
5		पटना-साहेबगंज	65	**योग**			**949**

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

राज्य उच्चपथ नेटवर्क

राज्य उच्चपथ मुख्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, पर्यटक-स्थल, मुख्य कृषि उत्पाद बाजार, राज्य की राजधानी और नजदीकी राष्ट्रीय उच्चपथों तथा राज्य उच्चपथों को जोड़ते हैं। सितंबर 2018 तक बिहार में राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 4,006 किमी थी जिनका राज्य की कुल सड़कों में 2.06 प्रतिशत हिस्सा था। राज्य सरकार राज्य उच्चपथों का लगातार चौड़ीकरण कर रही है और उनकी गुणवत्ता का अनुरक्षण कर रही है। फलतः लगभग 70.1 प्रतिशत राज्य उच्चपथ दो या अधिक लेन वाले, 12.5 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले और 17.4 प्रतिशत एक लेन वाले हैं (चार्ट 6.3)। वर्ष 2004-05 में राज्य उच्चपथोंकी कुल लंबाई 2,382 किमी थी जो सितंबर 2018 तक बढ़कर 4,006 किमी हो गई। राष्ट्रीय उच्चपथों की जिलावार लंबाई तालिका प 6.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। राज्य उच्चपथों के राष्ट्रीय उच्चपथों में बदलने से 25 जिले लाभान्वित हुए हैं। सितंबर 2018 तक दरभंगा (5.59 प्रतिशत), गया (5.24 प्रतिशत) और पटना (5.19 प्रतिशत) कुल राज्य उच्चपथ नेटवर्क में हिस्से के लिहाज से अग्रणी जिले थे।

एशियाई विकास बैंक ने महत्वाकांक्षी बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना के तहत राज्य में सड़क नेटवर्क के चौड़ीकरण में सहयोग करने के लिए सहमति दे दी है। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-1 के तहत 2,630 करोड़ रु. के व्यय से कुल 825.42 किमी लंबाई वाली 9 सड़कों को दो लेन वाली सड़कों में बदला गया। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत 2,547 करोड़ रु. के व्यय से कुल 388 किमी लंबाई में 5 राज्य उच्चपथों को दो लेन में उत्क्रमित करने के लिए चुना गया है।एशियाई विकास बैंक ने बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत 1,659 करोड़ रु. के व्यय से चार और उच्चपथों को दो लेन में उत्क्रमित करने के लिए सहमति दी है। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के वित्तपोषण से 45 प्रतिशत से अधिक काम पूरा भी किया जा चुका है। एशियाई विकास बैंक ने पटना के समीप राष्ट्रीय उच्चपथ-30 पर कच्ची दरगाह से वैशाली में राष्ट्रीय उच्चपथ-103 पर बिदुपुर के बीच 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड पुल के निर्माण के लिए भी सहयोग दिया है। परियोजना का कुल व्यय 4,988 करोड़ रु. है और परियोजना की कुल लंबाई 22.76 किमी है। एशियाई विकास बैंक ने इसके लिए 3,000 करोड़ रु. की सहायता दी है और शेष 1,988 करोड़ रु. का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-3 के तहत दो लेन वाली सड़कों में उत्क्रमण के लिए 5 राज्य उच्चपथों को चुना गया है जिनकी कुल लंबाई 231.75 किमी है जिसकी लागत 1859.58 करोड़ रु. है। साथ ही, एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषण के तहत राज्य उच्चपथों के दो लेन में उत्क्रमण की 814.8 किमी लंबाई वाली 14 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा, एशियाई विकास बैंक द्वारा दो-लेन में उत्क्रमण के लिए राज्य उच्चपथ की 8 परियायेजनाएं पाइपलाइन में हैं। केंद्रीय आर्थिक कार्य मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान कर दी है।

गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर के बीच रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण से यात्रियों और सामानों के लिए दूरी और यात्रा के समय में कमी आई है। इससे गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव घटाने में भी मदद मिली है। नए पुल का कुल व्यय 2921 करोड़ रु. था। इसके निर्माण में 1,240 करोड़ रु. राज्यांश का भुगतान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से किया गया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत समर्थित एक अन्य परियोजना पटना के ऐम्स (राष्ट्रीय उच्चपथ-98) से शुरू होकर दीघा घाट तक की 11.90 किमी लंबी उत्थित (एलिवेटेड)/ अर्ध-उत्थित पथ परियोजना है। इस परियोजना का कुल व्यय 1289.25 करोड़ रु. है। इसका लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

गंगा नदी का सौंदर्यीकरण और सफाई राज्य सरकार की एक प्राथमिकता है। अभी पटना में दीघा से दीदारगंज तक 21.5 किमी लंबे गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 7.6 किमी लंबाई में विभाजित मालवहन मार्ग सहित चार लेन वाले उत्थित पथ का निर्माण भी शामिल है। इसका 20 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और इसके 2019 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना का कुल व्यय 3,160 करोड़ रु. है जिसमें आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) का 2,000 करोड़ रु. का ऋण भी शामिल है।

राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी साझेदारी की कुछ परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। इसके तहत कुल 1,602.74 करोड़ रु. के व्यय से गंगा नदी पर राष्ट्रीय उच्चपथ-31 के बख्तियारपुर बाइपास और राष्ट्रीय उच्चपथ-28 स्थित ताजपुर को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 5.5 किमी लंबे पुल और 40.2 किमी लंबे संपर्क पथ का निर्माण शामिल है। अभी तक लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है।

तालिका 6.8 : राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य का विवरण

अभिकरण-वार सड़क/ पुल	लंबाई (किमी)	अभ्युक्ति
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-1) 9 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	825.4	व्यय 2,629.86 करोड़ रु. - काम पूरा
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2) 5 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	374.3	व्यय 2,547.01 करोड़ रु. - काम प्रगति पर
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 हेतु अतिरिक्त वित्तीयन) 4 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	254.5	व्यय 1,658.69 करोड़ रु. - 45.23 प्रतिशत काम पूरा। शेष काम काम प्रगति पर।
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-3) 5 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	231.8	व्यय 1,859.58 करोड़ रु.
एशियाई विकास बैंक (परियोजना पाइपलाइन में) 4 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	814.8	चरण-1 303.2 किमी/ चरण-2 511.6 किमी
एशियाई विकास बैंक (6 लेन गंगा पुल और सड़क परियोजना)	9.8 किमी पुल 13.0 किमी सड़क	व्यय 4988.40 करोड़ रु. - काम प्रगति पर
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (गगा पुल) दीघा से सोनपुर के बीच संपर्क पथ	गगा नदी पर पुल	पुल तैयार और संपर्कपथ का काम प्रगति पर (व्यय 2,921 करोड़ रु.)
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पटना एम्स से दीघाघाट)	11.9	व्यय 1,289.25 करोड़ रु. - 88.59 प्रतिशत काम पूरा
हुडको (सड़क)	21.5 किमी गंगा पथ7.6 किमी उत्थित पथ	व्यय 3,160.00 करोड़ रु. - 21 प्रतिशत काम पूरा। 2019 में पूरा होना है।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (राष्ट्रीय उच्चपथ-31 पर बख्तियारपुर से राष्ट्रीय उच्चपथ-28 पर ताजपुर के बीच गंगा पर ग्रीनफील्ड पुल)	5.5 किमी पुल 40.2 किमी सड़क	व्यय 1,602.74 करोड़ रु. - 40 प्रतिशत काम पूरा

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

मुख्य जिला पथ

मुख्य जिला पथ राज्य तथा राष्ट्रीय उच्चपथों, उत्पादन और विपणन के क्षेत्रों को तथा आसपास के मुख्य जिला पथों को आपस में जोड़ते हैं। ये जिले के अंदर आवाजाही के लिए मुख्य सड़कों का काम करते हैं। राज्य में विभिन्न चौड़ाइयों वाले मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई 12,356.85 किमी है। हालांकि राज्य में अधिकांश (53. 15 प्रतिशत) मुख्य जिला पथों की चौड़ाई कम (3.5 मी. से कम) है और वे बढ़ते परिवहन घनत्व से निपटने के लिए अक्षम है। इसे देखते हुए राज्य सरकार इन सड़कों को कम से कम मध्यवर्ती लेन वाली (5.50 मी. चौड़ी) सड़कों में बदल देने का प्रयास कर रही है। कुल मुख्य जिला पथों में से 1,760 किमी को दो से अधिक लेन वाली सड़कों में और 4,030 किमी को मध्यवर्ती या दो लेन चौड़ाई वाली सड़कों में बदल दिया गया है (तालिका 6.3)। मुख्य जिला पथों का क्रियान्वयन विभिन्न योजनाओं के तहत किया जाता है और उनका वित्तपोषण राज्य योजना, नाबार्ड के ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ), केंद्रीय सड़क कोष, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ संपर्क परियोजना कोष, भारत-नेपाल सीमा पथ विकास कार्यक्रम, आर्थिक महत्ववान पथ, अंतर्राष्ट्रीय महत्ववान पथ और वित्त आयोग के अनुदानों के जरिए किया जाता है। तालिका प 6.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में बिहार में पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य जिला पथों की जिलावार लंबाई दर्शाई गई है। मुख्य जिला पथ नेटवर्क के लिहाज से सितंबर 2018 तक गया (6.18 प्रतिशत), पटना (5.42 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (4.39 प्रतिशत) का राज्य में सर्वाधिक हिस्सा था।

राज्य योजना की योजनाएं

राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्य जिला पथ योजना और अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत किया जाता है। विभागीय निर्माण कार्य के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का क्रियान्वयन किया जाता है। अभियंत्रण, अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) एवं निर्माण विधि को वहां उपयोग में लाया गया है जहां संवेदक को डिजाइन से शुरू करके अधिप्राप्ति, निर्माण, पूरा करने और राज्य सरकार को सौंपने तक के सारे कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाता है। राज्य सरकार में पथ परिसंपत्ति अनुरक्षण संविदा प्रणाली भी अपनाई गई है जो प्रदर्शन आधारित और पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस परिणाम और प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदा (ओपीआरएमसी) को 2013 में अपनाया गया था और यह 2018-19 तक ही जारी रहेगी। यह योजना सफल हुई है इसलिए इसका विस्तार अगले सात वर्षों के लिए किया जाएगा। अभी 3,075.97 करोड़ रु. के व्यय से 1,712.24 किमी सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। वर्ष 2017-18 में कुल 515.13 किमी मुख्य जिला पथों के जीर्णोद्धार का काम पूरा किया गया। वर्ष 2018-19 में मुख्य जिला पथ क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रु. और राज्य योजना के अनुसूचित जाति घटक के तहत 945 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

ग्रामीण पथों का निर्माण नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के जरिए किए गए वित्तपोषण से भी किया जाता है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 16 वें से 21 वें ट्रेंच तक 9,886.99 करोड़ रु. के कुल व्यय वाली कुल 297 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। लगभग 342.6 किमी सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा इस कोष में से 914.05 करोड़ रु. ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए हैं।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना

बिहार को कई जिलों में वामपंथी अतिवाद का सामना करना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में राज्य के 5 अतिवाद प्रभावित जिलों - अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई और जहानाबाद को केंद्र सरकार द्वारा पथ आवश्यकता

योजना-1 के तहत कुल 41 पथ परियोजनाओं के लिए चुना गया है। कुल 674.3 किमी लंबाई वाली इन परियोजनाओं का कुल व्यय 616.3 करोड़ रु. है। इसके तहत 71.8 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, 68.1 किमी राज्य उच्चपथ और 534.4 किमी मुख्य जिला पथ शामिल हैं। वर्ष 2018-19 में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना के तहत 515 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। पथ आवश्यकता योजना के द्वितीय चरण (आरआरपी-2) के तहत, 6 जिलों (औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका और मुजफ्फरपुर) में कुल 1,052.3 किमी लंबाई वाली 60 पथ परियोजनाएं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चुनी गई हैं।

केंद्रीय सड़क कोष

केंद्रीय सड़क कोष नियमावली, 2014 के अनुसार, आर्थिक महत्व की सड़कों और अंतर-राज्य सहयोग की सड़कों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया क्रियान्वित की गई है। इस कोष के तहत 70 प्रतिशत धनराशि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुरूप आबंटित की जाती है और शेष 30 प्रतिशत राशि राज्य में इंधन की कुल खपत के आधार पर। कुल 248.8 किमी लंबाई में सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 540.36 करोड़ रु. और फ्लाइ-ओवर पुल के निर्माण के लिए 411.31 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के लिए इस कोष से 197.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना

भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत-नेपाल सीमावर्ती सड़क का महत्व बहुत बढ़ जाता है। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 1,656 करोड़ रु. के व्यय से 552 किमी लंबाई वाले राज्य उच्चपथों को दो लेन वाली मानक सड़कों बदलने का राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसमें राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण अनापत्ति और उपयोगिता परिवर्तन के लिए 2,279 करोड़ रु. अंशदान भी कर रही है। इसके अतिरिक्त उन सीमावर्ती सड़कों के संरेखण में आने वाले 121 पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा 983.81 करोड़ रु. उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत-नेपाल सीमा पथ में 127.3 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, जल संसाधन विभाग की 82.0 किमी सड़कें ओर 211.0 किमी ग्रामीण पथ शामिल हैं।

ग्रामीण सड़क नेटवर्क

ग्रामीण पथ गांवों-टोलों को नजदीकी शहरों बाजारों, राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ और मुख्य जिला पथ से जोड़ने के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। राज्य सरकार पर्याप्त अधिसंरचना और सेवा उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। ग्रामीण पथ कृषि और सहवर्ती गतिविधियों में उत्पादकता सुधारने में भी मदद करते हैं। ये सड़कें कृषि-भिन्न क्षेत्र के लोगों को कुशल मूल्यश्रृंखला प्रबंधन के जरिए बाजार से संपर्क कराने और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी मदद देती हैं। इन सड़कों से ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने हर संपर्कविहीन गांव-टोले को पक्की सड़क और नालियों से जोड़ने के लिए एक निश्चय किया है। 'घर तक पक्की गली-नालियां' निस्संदेह राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक है। ग्रामीण पथों पर सार्वजनिक निवेश लगभग 30 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है और 2012-13 के 1,874 करोड़ रु. से 2018-19 में 9,799 करोड़ रु. पहुंच गया है। छः वर्षों की अवधि में यह पांचगुनी से भी अधिक वृद्धि है। सितंबर 2018 तक राज्य में कुल 1,29,473 किमी ग्रामीण पथ थे जिनमें से 53 प्रतिशत पक्के थे। मार्च 2015 तक पक्की सड़कों का अनुपात मात्र 35 प्रतिशत था जिसके बाद से इसमें 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। पक्की सड़कों की लंबाई 2014-15 के 48,794.11 किमी से बढ़कर

सितंबर 2018 तक 73,782.11 किमी हो गई। पिछले पांच वर्षों में बिहार में पक्की ग्रामीण पथों की प्रगति तालिका प 6.4 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। चूंकि ग्रामीण पथ संपर्क राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसलिए पिछले पांच वर्षों में पक्की ग्रामीण सड़कों की लंबाई 24,988 किमी बढ़ी है। इसमें सर्वाधिक 1,405 किमी वृद्धि रोहतास जिले में 1,254 किमी मुजफ्फरपुर में और 1,234 किमी औरंगाबाद जिले में हुई है। सितंबर 2018 में ग्रामीण पथों में हिस्से के लिहाज से शीर्ष तीन जिले मुजफ्फरपुर (5.02 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (4.96 प्रतिशत) और मधुबनी (4.36 प्रतिशत) थे।

गरीबी निवारण की रणनीति के बतौर असंपर्कित गांव-टोलों को संपर्क उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ दिसंबर 2000 में किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 का आरंभ 2013 में मौजूद ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिहाज से किया गया था। पूर्व में पूरी योजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था लेकिन 2015-16 से पैटर्न बदलकर हिस्सेदारी वाला कर दिया गया और अब राज्य सरकार को व्यय के 40 प्रतिशत का अंशदान करना पड़ता है। योजना के तहत 'समेकित कार्ययोजना' जिलों के नाम से ज्ञात 11 वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों की पहचान की है। इन जिलों में 250 या अधिक आबादी वाले गांव-टोले बारहमासी ग्रामीण पथसंपर्क के हकदार हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अन्य जिलों में 500 या अधिक आबादी वाले गांव-टोलों को बारहमासी पथ संपर्क के तहत शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सितंबर 2018 तक 22,646 करोड़ रु. के व्यय से 48,299 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है जिनका कुल ग्रामीण सड़कों में 65.5 प्रतिशत हिस्सा है।वामपंथी अतिवाद प्रभावित 47 प्रखंडों के 100 और उससे अधिक आबादी वाले 1,444 गांव-टोले इस योजना के तहत आच्छादित हैं। लेकिन योजना के तहत उनको छोड़कर कहीं भी समेकित कार्ययोजना वाले जिलों में 250 तथा शेष जिलों में 500 से कम आबादी वाले गांव-टोलों को पथसंपर्क नहीं उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इस खाई को पाटने के लिए राज्य के सभी जिलों में असंपर्कित गांव-टोलों को पथ संपर्क उपलब्ध कराने के लिहाज से राज्य सरकार ने दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है - मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना तथा ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6144 करोड़ रु. के व्यय से 8,607 किमी ग्रामीण पथों का और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 533 करोड़ रु. के व्यय से 674 किमी ग्रामीण पथों का निर्माण कराया गया। विभिन्न योजनाओं के तहत 630 उच्चस्तरीय बाढ़-सह्य पुलों का भी निर्माण कराया गया है।

तालिका 6.9 : निर्मित ग्रामीण पथों की कार्यक्रम-वार लंबाई (सितंबर 2018 तक)

योजना का नाम	पथ निर्माण (किमी)	पुल निर्माण (सं.)	व्यय (करोड़ रु.)
ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	672.53		533.22
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	8607.02		6143.70
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	48299.01	260	22645.72
राज्य योजना	2907.64	331	3018.84
राज्य योजना की अन्य योजनाएं	13295.91	39	5933.90
योग	**73782.11**	**630**	**38275.38**

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड

बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना 2009 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत राज्य के अंदर या बाहर सड़क, पुल, सुरंग और अन्य भौतिक अधिसंरचना के निर्माण, मरम्मत ओर रखरखाव के मकसद से की गई थी। यह एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित निगम है। निगम ने राज्य उच्चपथ की 14 परियोजनाओं को दो-लेन में बदलने और एशियाई विकास बैंक समर्थित परियोजना के तहत गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल निर्माण की एक परियोजना अपने हाथ में ली है। 1,408.5 करोड़ रु. के व्यय से 95 किमी लंबी गया-मानपुर-हिसुआ-राजगिर-नालंदा-बिहारशरीफ सड़क की परियोजना जापानी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के द्वारा स्वीकृत की गई है। दो परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी-साझेदारी के तहत हैं - राष्ट्रीय उच्चपथ-31 पर कजरा गांव से राष्ट्रीय उच्चपथ-28 पर चार लेन वाली सड़कों के निर्माण के लि। इन परियोजनाओं के अलावा चार लेन वाला दीघा-दीदारगंज लोकनायक गंगा पथ, ऐम्स से दीघा तक चार लेन वाला 12.27 किमी लंबा उत्थित पथ और दीघा से ऐम्स तक संपर्क पथ के लिए भी अभियंत्रण, अधिप्राप्ति एवं निर्माण मोड के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। तालिका 6.10 में विगत वर्षों के दौरान निगम की वित्तीय विवरणी प्रस्तुत की गई है। इस पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि निगम अपने आरंभ से ही लाभ अर्जित कर रहा है। निगम का टर्नओवर गत 7 वर्षों में लगभग चौगुना बढ़ा है।

तालिका 6.10 : बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
टर्नओवर (करोड़ रु.)	426.31	915.06	956.89	730.1	879.27	1221.22	1624.3	1339.3
मुनाफा + कर (करोड़ रु.)	37.12	94.63	66.45	46.69	56.5	88.5	119.69	101.54
मुनाफा (करोड़ रु.)	23.99	75.25	53.12	37.35	44.7	69.42	93.87	79.59
बिहार राज्य पथ परियोजना-1								
लक्ष्य (करोड़ डॉलर)	6.62	11.0	13.24	5.08	-	-	-	-
उपलब्धि (करोड़ डॉलर)	6.06	11.48	12.53	5.08	-	-	-	-
उपलब्धि (प्रतिशत)	91.6	104.4	94.61	100	-	-	-	-
बिहार राज्य पथ परियोजना-2								
लक्ष्य (करोड़ डॉलर)		4.44	2.55	4.00	2.80	4.16	4.65	4.00
उपलब्धि (करोड़ डॉलर)	-	2.64	1.69	3.12	2.76	3.86	4.41	3.34
उपलब्धि (प्रतिशत)	-	62.51	66.12	78	98.68	92.78	94.78	83.5
बिहार राज्य पथ परियोजना-2 के तहत अतिरिक्त वित्तपोषण								
लक्ष्य (करोड़ डॉलर)	-	-	-	2.3	4.2	4.3	2.7	1.8
उपलब्धि (करोड़ डॉलर)	-	-	-	2.2	3.7	4.3	2.4	1.2
उपलब्धि (प्रतिशत)	-	-	-	93.91	88.31	100	89.82	69.95
मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान (करोड़ रु.)	5.00	5.00	8.00	3.50	2.00	3.00	3.00	7.00

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट - 2017-18, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के तहत उपलब्धि

बिहार राज्य पथ विकास निगम अपने जन्मकाल से ही मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करता रहा है। इसके अलावा, निगम को नई पहल और उपायों के साथ-साथ निगमोचित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी अनेक महत्वपूर्ण करने होते हैं। इनमें से कुछ नीचे प्रस्तुत हैं :

निगमोचित सामाजिक दायित्व के तहत, निगम ने 35 स्ट्रेचर, और तीन सीट वाली 60 कुर्सियां पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को दान में दी हैं।

महात्मा गांधी पुल पर सुगम और कुशल यातायात प्रणाली के लिए 250 ट्रफिक ट्रॉली उपलब्ध कराई गई है। इनकी कुल कीमत 30 लाख रु. थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चपथ-19 पर अबाध यातायात उपलब्ध कराने के लिए वैशाली के जिलाधिकारी को 18 लाख रु. के व्यय से कुल 150 ट्रॉली उपलब्ध कराई गई है।

निगम ने निशांत बालिका निवासगृह की 6 लड़कियों को सहायता उपलब्ध कराई है और 2016-17 में उनके अध्ययन के लिए 47,132 रु. उपलब्ध कराए हैं। पूर्व में 2011-12 में भी 11 लड़कियों को 1.97 लाख रु. की सहायता उपलब्ध कराई गई थी। 26.36 लाख रु. के व्यय से दानापुर के महादलित बालिका विद्यालय में बहुद्देश्यीय हॉल बनवाया गया। आशादीप मानसिक एवं शारीरिक नि:शक्त बाल संस्थान को 6.25 लाख रु. कीमत का टाटा विंगर वाहन दान में दिया गया है।

निगम ने राज भवन से लेकर सचिवालय तक के आसपास सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का वित्तीय दायित्व लिया है। इस परियोजना का व्यय 800 लाख रु. है। निगम सगुना मोड़ के शताब्दी स्मारक का रखरखाव भी करता है। साथ ही, निगम ने पटना साहिब के ऐतिहासिक मंगल तालाब का भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया है।

निगम ने 50,000 रु. प्रायोजित करने के जरिए बिहार कप के लिए चतुर्थ अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट को भी सहायता प्रदान की है।

6.2 पुल क्षेत्र

बिहार सघन आबादी वाला राज्य है जिससे होकर अनेक नदियां बहती हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार बसाहटों के बीच दूरी कम करने और वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन को आसान बनाने के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण करती रही है। गंगा नदी राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। वर्ष 2005 तक गंगा नदी पर मात्र चार पुल थे - बक्सर, पटना, मोकामा और भागलपुर में। उल्लेखनीय है कि दो और पुलों (आरा-छपरा और जयप्रकाश पुल) का निर्माण पूरा हो गया है और चार अन्य पुलों का निर्माण कार्य जारी है। ये चारो पुल हैं - 6 लेन वाला कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल, बख्तियारपुर-ताजपुर पुल, मुंगेर पुल और सुल्तानगंज-अगुआनीघाट (सुल्तानगंज) पुल। सुल्तानगंज पुल अद्वितीय विशेषताओं वाला है। चूंकि पुल डॉल्फीन अभयारण्य क्षेत्र में अवस्थित है इसलिए पुल से लटकी हुई शीशे की डॉल्फीन वेधशाला का निर्माण कराया जाएगा। यह पुल केबल स्टेड और एक्स्ट्रा डोज स्पैन के समन्वय से बना है। दो पायों के बीच सबसे अधिक दूरी 270 मी. है। पुल पर इंटेलीजेंट ट्रफिक सिस्टम भी लगा हुआ है।

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर संपर्क के लिए राज्य सरकार ने गंगा नदी पर पांच अन्य पुलों के निर्माण का निर्णय लिया है जो बक्सर पुल, जयप्रकाश पुल, महात्मा गांधी पुल, राजेंद्र पुल और विक्रमशिला पुल के समानांतर होंगे।राज्य सरकार ने अन्य प्रमुख नदियों पर भी पुल बनवाए हैं। जैसे गंडक नदी पर चार पुलों का निर्माण शुरू किया गया है जिनमें से दो (धनहा-रतवल और गोपालगंज-बेतिया) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अन्य दो (सत्तरघाट और बंगराघाट) पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और उनका निर्माण क्रमशः जून 2019 और अगस्त 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना है। वहीं कोशी नदी पर तीन पुल (कोशी महासेतु, बलुहा घाट पुल और विजय घाट पुल) बनकर तैयार हो गए हैं। डुमरी घाट पुल के जीर्णोद्धार का काम भी पूरा हो गया है। इनके अलावा भेजा घाट और फुलौत घाट में दो अन्य पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्ष 2005 तक सोन नदी पर सिर्फ दो पुल थे। राज्य सरकार ने अभी अरवल-सहार पुल का निर्माण किया है जो चालू हो चुका है। इसके अतिरिक्त दो और पुलों (दाउदनगर-नासरीगंज तथा कोइलवर पुल के समानांतर 6 लेन वाला पुल) के निर्माण का काम प्रगति पर है। वर्ष 2005 तक चालू दो पुलों के अतिरिक्त अभी बागमती नदी पर 8 नए पुल चालू हैं। वर्ष 2005 तक फल्गू नदी पर एक ही पुल था। हालांकि राज्य सरकार ने 6 अन्य पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी जिनमें से चार का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दो निर्माणाधीन हैं। अब बूढ़ी गंडक नदी पर 30 से भी अधिक पुल हैं। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत मार्च 2006 से सितंबर 2018 तक राज्य में कुल 6,233 छोटे-बड़े पुलों और पुलियों का निर्माण कराया गया है। इस अवधि में अन्य योजनाओं के तहत भी राज्य सरकार ने 704 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण कराया है।

राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा नाबार्ड ने भी बिहार में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत ऋणों के जरिए महापुलों के निर्माण में सहयोग दिया है। ये महापुल हैं - (1) पूर्व चंपारण में गंडक नदी पर चकिया-सत्तारघाट उच्चस्तरीय पुल, (2) गंडक नदी पर मुजफ्फरपुर और सरारी के बीच बंगरा घाट पुल, (3) कोशी नदी पर बलुआ घाट और गंडौल के बीच पुल, (4) दाउदनगर (औरंगाबाद) और नासरीगंज (रोहतास) के बीच सोन नदी पर 4 लेन वाला उच्चस्तरीय पुल, (5) अगवानी घाट (खगड़िया) तथा सुल्तानगंज (भागलपुर) के बीच गंगा नदी पर पुल, (6) गंडक नदी पर धनहा और रतवल के बीच पुल, (7) गंडक नदी पर गोपालगंज और बेतिया के बीच पुल और (8) कोशी नदी पर विजयघाट पुल। नाबार्ड ने बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 253 परियोजनाओं के लिए कुल 7,652.54 करोड़ रु. का ऋण उपलब्ध कराया है। इन पुल परियोजनाओं में से 196 पूरी हो गई हैं।

राज्य योजना से पटना शहर में बेली रोड पर राजाबाजार और जेडी महिला कॉलेज के बीच फ्लाइओवर और जीपीओ गोलंबर से स्टेशन रोड होकर चिरैयाटांड तक फ्लाइओवर तथा चिरैयाटांड पुल के गांधी मैदान की ओर विस्तार का काम पूरा हो गया है। इनके अलावा भी राज्य योजना से कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं -करबिगहिया होकर मीठापुर-चिरैयाटांड को जोड़ने वाला फ्लाइओवर, आर-ब्लॉक चौराहा होकर मीठापुर फ्लाइओवर को भिखारी ठाकुर फ्लाइओवर से जोड़ने वाला फ्लाइओवर, बेली रोड पर ललित भवन और विद्युत भवन के बीच कई ओर से आने वाली सड़कों पर रास्ते बदलने के लिए 'लोहिया पथ चक्र', और छपरा में गांधी चौक से नगरपालिका चौक के बीच डबल-डेकर फ्लाइओवर (केंद्रीय सड़क कोष से)। इन सारी परियोजनाओं के लिए काम प्रगति पर है।

केंद्रीय सड़क कोष के तहत 525.00 करोड़ रु. के व्यय से 69 पुलों का निर्माण हो रहा है। इनमें से अधिकांश जून 2019 तक पूरी हो जाएंगी।

विश्वबैंक पोषित योजनाओं के तहत पुलों का निर्माण दो चरणों में हाथ में लिया गया है। पहले चरण में 164.00 करोड़ रु. के व्यय से 69 पुलों का निर्माणकार्य पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 540.00 करोड़ रु. के व्यय से 58 पुलों का निर्माण हो रहा है। दूसरे चरण के तहत 8 पुलों का निर्माणकार्य पूरा हो गया है।

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना बनाईहै और इसका क्रियान्वयन मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना द्वारा किया जा रहा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को 25 लाख रु. से ऊपर की परियोजनाएं लेने के लिए अधिकृत किया गया है जबकि 25 लाख रु. से कम व्यय वाले पुलों के निर्माण के लिए जिला प्रशासन को स्वायत्तता दी गई है। वर्ष 2016-17 में 182.61 करोड़ रु. के व्यय से 60 पुलों, 2017-18 में 114.38 करोड़ रु. के व्यय से 33 पुलों और 2018-19 में (सितंबर तक) 29.02 करोड़ रु. के व्यय से 9 पुलों का निमार्णकार्य पूरा किया गया है।

तालिका 6.11 : मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल (2017-18)

प्रमंडल	परियोजनाओं की संख्या	व्यय (करोड़ रु.)	प्रमंडल	परियोजनाओं की संख्या	व्यय (करोड़ रु.)
पटना	7	16.29	मुंगेर	0	0.00
भागलपुर	4	19.41	पूर्णिया	6	24.57
दरभंगा	4	12.88	सारण	2	3.10
कोशी	1	4.94	तिरहुत	3	10.31
मगध	6	22.88	**योग**	**33**	**114.38**

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

रेल उपरिपुलों (ओवरब्रीज) का निर्माण 2005 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर किया जा रहा है। 22 रेल उपरिपुलों (ओवरब्रीज) में से 14 का काम इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा और 8 का काम इरकॉन तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। इरकॉन द्वारा रेलवे से संबंधित काम किया जाता है जबकि निगम संपर्क पथ के लिए जिम्मेवार है। वर्ष 2010 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर इरकॉन द्वारा 11 रेल उपरिपुलों के निर्माण का काम हाथ में लिया गया है जिनमें से 8 पूरे हो चुके हैं। रेलवे के अनुरोध पर व्यय में 50:50 अनुपात में साझेदारी के आधार पर पथ निर्माण विभाग और रेलवे के बीच रेल उपरिपुल की 47 परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेलवे के पास प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2018-19 में पुल क्षेत्र के लिए 375 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. की स्थापना सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 11 जून 1975को की गई थी। निगम का उद्देश्य पुलों का निर्माण करना है। निगम हाल के वर्षों में हर साल 100 करोड़ रु. से अधिक सकल लाभ अर्जित कर रहा है। हालांकि कम परियोजनाएं हाथ में लेने के कारण निगम को 2017-18 में सिर्फ 78 करोड़ रु. का मुनाफा हुआ। निगम ने 2013-14 से 2017-18 तक के पांच वर्षों के दौरान 6,545 करोड़ रु. के व्यय से कुल 661 पुलों का निर्माण किया है। निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति का कुशल प्रबंधन किया रहा है

और उसे लगातार मुनाफा हुआ है। निगम का सर्वोच्च टर्नओवर 2016-17 में 1,840 करोड़ रु. था जबकि सर्वाधिक कुल राजस्व 2014-15 में 183 करोड़ रु. था (तालिका 6.12)।

तालिका 6.12 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. का विवरण

वर्ष	पुलों की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	टर्नओवर (कार्य निष्पादन) (करोड़ रु.)	कुल राजस्व (करोड़ रु.)	प्रशासनिक व्यय (करोड़ रु.)	सकल लाभ (करोड़ रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2012-13	136	788	1273	142	35	107.0	63.8
2013-14	119	1152	1481	159	39	120.1	72.5
2014-15	179	730	1739	183	44	139.1	80.9
2015-16	176	2839	1699	151	43	107.7	70.3
2016-17	103	1188	1840	147	39	108.2	68.8
2017-18	84	638	1501	118	40	78.09	37.99

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

6.3 पथ परिवहन

पथ परिवहन अर्थव्यवस्था का स्नेहक है जो किसी क्षेत्र के विकास की गति तेज करता है। यह आर्थिक विकास और लोगों की उन्नति में सहयोग करता है। तालिका 6.13 में 2015-16 में भारत के प्रमुख राज्यों में निबंधित मोटरवाहनों की संख्या के विवरण दर्शाए गए हैं।भारत में कुल निबंधित मोटरवाहनों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में थी जिसका संपूर्ण भारत के योगफल में 12.1 प्रतिशत हिस्सा था। उसके बाद तमिलनाडु (10.5 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (10.4 प्रतिशत) का स्थान था। वहीं बिहार में 54.82 लाख निबंधित वाहन थे और देश के कुल निबंधित वाहनों में राज्य का 2.4 प्रतिशतहिस्सा था जो सिर्फ झारखंड ओर छत्तीसगढ़ से अधिक था। मार्च 2016 के अंत तक बिहार में 5.0 लाख निबंधित मालवाही वाहन और 49.8 लाख गैर-मालवाही वाहन चल रहेथे।

राज्य सरकार का परिवहन विभाग नए वाहनों का निबंधन करता है जिससे मोटरवाहन अधिनियम के तहत उसे राजस्व प्राप्त होता है। तालिका 6.14 में राज्य में 2011-12 से 2017-18 के बीच निबंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या दर्शाई गई है। निबंधित वाहनों की वृद्धि के शीर्ष तीन वाहक थे - ट्रक (20.8 प्रतिशत), दोपहिया (19.8 प्रतिशत), कार (19.0 प्रतिशत) और ट्रेलर (17.5 प्रतिशत)। निबंधित मोटरवाहनों की संख्या 17.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है। वर्ष 2017-18 में कुल 11.18 लाख वाहनों का निबंधन हुआ जिनकी संख्या 2011-12 में मात्र 4.39 लाख थी। राज्य में मोटरवाहन अधिनियम के तहत कर संग्रहण के जरिए संग्रहित कुल राजस्व 2011-12 के 558 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 1,625 करोड़ रु. हो गया है। गत पांच वर्षों के दौरान इसमें 17.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वाहनों के निबंधन के मामले में जिलावार जानकारी तालिका प 6.5 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। राज्य की राजधानी होने के नाते पटना सबसे समृद्ध जिला है जो जिले में कार और जीप जैसे विलासिता वाले वाहनों के सर्वाधिक 45 प्रतिशत स्वामित्व से स्पष्ट है। ट्रैक्टरों की संख्या के लिहाज से अग्रणी जिला पूर्व चंपारण है। इसी प्रकार ट्रकों के स्वामित्व के मामले में मुजफ्फरपुर आगे है।

तालिका 6.13 : भारत के प्रमुख राज्यों में निबंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या (2015-16)

(आंकड़े हजार में)

राज्य	मालवाही				गैर-मालवाही				कुल योग (मालवाही + गैर-मालवाही
	बस	टैक्सी	हल्के मोटर वाहन (सवारी)	मालवाही वाहन	दोपहिया	कार	जीप	विविध	
आंध्र प्रदेश	41 (3.0)	78 (3.3)	444 (7.0)	342 (3.3)	6824 (4.0)	500 (2.0)	10 (0.5)	278 (2.3)	8728 (3.8)
बिहार	**31 (2.2)**	**91 (3.9)**	**236 (3.7)**	**141 (1.3)**	**4039 (2.4)**	**267 (1.0)**	**125 (5.5)**	**552 (4.6)**	**5482 (2.4)**
छत्तीसगढ़	58 (4.2)	22 (1.0)	37 (0.6)	205 (1.9)	3879 (2.3)	255 (1.0)	21 (0.9)	334 (2.8)	4810 (2.1)
गुजरात	83 (6.0)	115 (4.9)	718 (11.2)	1009 (9.6)	14919 (8.8)	2260 (8.8)	184 (8.1)	1073 (8.9)	20361 (8.9)
हरियाणा	53 (3.9)	53 (2.3)	164 (2.6)	551 (5.2)	5454 (3.2)	1712 (6.7)	--	643 (5.3)	8633 (3.8)
झारखंड	72 (5.2)	22 (1.0)	99 (1.5)	159 (1.5)	1644 (1.0)	252 (1.0)	58 (2.5)	171 (1.4)	2477 (1.1)
कर्नाटक	87 (6.2)	246 (10.5)	415 (6.5)	658 (6.3)	11769 (7.0)	1916 (7.5)	46 (2.0)	894 (7.4)	16292 (7.1)
केरल	112 (8.1)	108 (4.6)	610 (9.5)	557 (5.3)	6472 (3.8)	2071 (8.1)	--	288 (2.4)	10172 (4.4)
मध्य प्रदेश	47 (3.4)	59 (2.5)	125 (2.0)	375 (3.6)	8701 (5.1)	820 (3.2)	47 (2.1)	847 (7.0)	11141 (4.8)
महाराष्ट्र	131 (9.5)	237 (10.1)	703 (11.0)	1397 (13.3)	20356 (12.0)	3407 (13.3)	517 (22.8)	1223 (10.2)	27870 (12.1)
ओडिशा	26 (1.9)	103 (4.4)	122 (1.9)	324 (3.1)	4629 (2.7)	310 (1.2)	48 (2.1)	269 (2.2)	5833 (2.5)
पंजाब	42 (3.0)	8 (0.3)	1034 (16.2)	352 (3.4)	6863 (4.1)	--	--	769 (6.4)	9064 (3.9)
राजस्थान	103 (7.4)	132 (5.6)	180 (2.8)	617 (5.9)	10258 (6.1)	899 (3.5)	397 (17.5)	1046 (8.7)	13632 (5.9)
तमिलनाडु	179 (12.9)	374 (16.0)	381 (6.0)	973 (9.2)	19507 (11.5)	2132 (8.3)	60 (2.7)	597 (5.0)	24203 (10.5)
उत्तर प्रदेश	58 (4.2)	105 (4.5)	275 (4.3)	563 (5.3)	19259 (11.4)	1746 (6.8)	584 (25.8)	1347 (11.2)	23936 (10.4)
पश्चिम बंगाल	45 (3.2)	127 (5.4)	77 (1.2)	407 (3.9)	4797 (2.8)	878 (3.4)	--	157 (1.3)	6488 (2.8)
संपूर्ण भारत	**1385 (100)**	**2341 (100)**	**6392 (100)**	**10516 (100)**	**168975 (100)**	**25635 (100)**	**2265 (100)**	**12048 (100)**	**230031 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े संपूर्ण भारत में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 6.14 : निबंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण

वाहनों का प्रकार	वाहनों की संख्या (हजार में)							**वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-18)**
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
ट्रक	10	10	11	13	14	20	23	**20.8**
बस	1	2	2	2	2	3	3	**11.4**
कार	23	24	23	28	31	34	50	**19.0**
टैक्सी	9	14	12	7	6	5	6	**-15.7**
जीप	9	10	9	9	12	9	13	**7.1**
ऑटो	21	30	35	31	37	42	37	**4.3**
दुपहिया	331	362	420	477	549	593	929	**19.8**
ट्रैक्टर	23	30	31	34	35	38	33	**2.2**
ट्रेलर	11	11	8	12	18	20	14	**17.5**
अन्य	1	2	2	2	2	1	11	**32.2**
योग	**439**	**496**	**553**	**615**	**704**	**764**	**1118**	**17.6**
राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)	**558**	**669**	**835**	**967**	**1071**	**1250**	**1625**	**17.2**

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

राज्य में सुशासन उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग को अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग रोकने की जिम्मेवारी दी गई है। राज्य सरकार ने प्रवर्तन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया है और राज्य में नाकों तथा अन्य मुख्य बिंदुओं पर 'धर्मकांटा' (वे-ब्रिज) स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, राज्य में अवैध वाहनों का प्रवेश नियंत्रित करने के लिए वाहनों पर उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट लगाए गए हैं। राज्य में जिला परिवहन कार्यालयों को मजबूती देने के लिए हर जिले में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए जा रहे हैं। कुल 5 जिला सामान्य सुविधा केंद्र निर्माणाधीन हैं और 4 अन्य जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र भवनों के निर्माण के लिए जमीन आबंटित कर दी गई है। ई-गवर्नेंस के तहत सभी प्रकार के लाइसेंस, वाहन निबंधन और परमिट शुल्कों का खास पोर्टल पर ई-पेमेंट का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पूरे राज्य में चालू हो गई है और इससे परिवहन विभाग को राजस्व बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस ई-पेमेंट का क्रियान्वयन वित्त विभाग के ओ-ग्रास पोर्टल के जरिए किया जाता है। आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं द्वारा व्यावसायिक वाहनों के स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिहाज से उनके लिए निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। यह छूट तिपहियों, मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए लागू है। राज्य में ध्वनि और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को ई-रिक्शा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

परिवहन विभाग ने राज्य में पथ परिवहन की मजबूती के लिए अनेक उपाय अपनाए हैं। उनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं :

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना : सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त और कुशल परिवहन प्रणाली का निर्माण बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्व का काम है। इस योजना के तहत राज्य में मौजूद यात्री परिवहन व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण युवक-युवतियों और समाज के सीमांतकृत समूहों का सशक्तीकरण करना है ताकि वे भी मुख्य धारा का अंग बन सकें। योजना के तहत राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात सोची गई है।

बिहटा, पटना में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र : वर्तमान वाहन निरीक्षण प्रणाली अकुशल है और इसमें कई कमियां हैं। मौजूदा प्रचलन की व्यक्तिपरकता खत्म करने और अधिक वस्तुनिष्ठ व्यवहार अपनाने के लिए निरीक्षण एवं प्रमाण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें ब्रेक, सस्पेंशन, स्पीडोमीटर, उत्सर्जन आदि के लिए दृश्य (पूर्वनिर्धारित दिशानिर्देशों के साथ) और स्वचालित जांच, दोनो का संयोजन शामिल है। 16.50 करोड़ रु. के व्यय से निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र की स्थापना बिहटा में राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 एकड़ जमीन पर की जाएगी जिसके लिए पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

वाहन चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आइटीडीआर), औरंगाबाद : यह परिवहन विभाग और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। मुख्यमंत्री द्वारा 3 मई 2018 को इसका उद्घाटन किया गया है। संस्थान में विश्वस्तरीय व्यवस्था और गुणवत्ता संबंधी मानदंड अपनाए गए हैं। 25 एकड़ से भी अधिक जमीन पर फैले इस संस्थान में वैज्ञानिक ढंग से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों वाले प्रशिक्षण और जांच ट्रैक हैं। परियोजना का कुल व्यय 25.15 करोड़ रु. है।

साझा आवागमन : जितने अधिक लोग परिवहन के साझा माध्यमों का उपयोग करते हैं, उतना ही सार्वजनिक वाहनों का उपयोग होता है, कारों की संख्या घटती है और परिवहन के लिए कुल मिलाकर कम जगह की जरूरत पड़ती है। साझा माध्यम सार्वजनिक परिवहन के पूरक का काम करते हैं जिससे शहरों में आने-जाने में सहूलियत होती है। साझा माध्यमों का महत्व बढ़ना जारी रहेगा और सार्वजनिक हस्तियों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभों में व्यापक और समान रूप से भागीदारी होगी, उनसे बातचीत करने के अवसरों को चिन्हित करें। बिहार टैक्सी समूहक नीति 2019 अधिसूचित की गई है और यह 4 जनवरी से प्रभावी हो गई है। इसके तहत टैक्सी या मोटरबाइक के जरिए यात्रियों की यात्रा व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को इन्हें चलाने की इजाजत दी गई है। रेंट-ए-कैब (कैब भाड़े पर लें) नीति भी अधिसूचित की गई है जो 4 जनवरी 2019 से प्रभावी है। इस नीति के तहत नागरिक आसानी और जरूरत के अनुरूप पर्यटन परमिट वाले वाहनों को किराए पर ले सकेंगे।

डिजीलॉकर और एम-परिवर्तन : डिजिलॉकर प्लेटफार्म के जरिए प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस और निबंधन प्रमाणपत्र मूल दस्तावेज के समकक्ष हैं। कागजरहित शासन के विचार के लिए लक्षित डिजीलॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के डिजिटल तरीके से जारी और सत्यापित करने का एक प्लेटफार्म है जिससे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग करने की जरूरत खत्म हो जाती है। विभाग ने यातायात संबंधी नियमों को लागू करने के लिहाज से व्यापक डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए एम-परिवर्तन ऍप का क्रियान्वयन किया है। ये ऍप विभिन्न सेवाओं और सूचनाओं के लिए पहुंच उपलब्ध कराएंगे और नागरिकों को यातायात संबंधी उल्लंघन या सड़क दुर्घटना के बारे में सूचना देने के साथ-साथ कर भुगतान में भी सक्षम बनाएंगे।

हैंड-हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी के जरिए ई-चालान : परिवहन संबंधी उल्लंघनों के लगभग तुरंत प्रबंधन, आंकड़ों के रखरखाव, अभियोजन संबंधी रिपोर्ट तैयार करने और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त दंड देने के लिहाज से अभियोजन के लिए सीसीटीवी और हैंड-हेल्ड डिवाइस/ टर्मिनल के जरिए ई-चालान की स्वीकृति। ई-चालान प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यातायात संबंधी सारे उल्लंघनों को तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाता है और चोरी के वाहनों पर नजर रखी जाती है तथा तदनुरूप कानूनी कार्रवाई की जाती है। अभी सीसीटीवी आधारित ई-चालान और हैंड-हेल्ड डिवाइस के जरिए ई-चालान का पटना में क्रियान्वयन हो रहा है और विभाग की इसे शीघ्र ही राज्य के सभी अन्य भागों में लागू कर देने की योजना है।

वाहन 4.0 और सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन : सभी 38 जिलों में सॉफ्टवेयर वाहन 4.0 और सारथी 4.0 में उत्क्रमित कर दिए गए हैं। इसके चलते विभाग के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आई है। इससे कि बिहार में होने वाले सारे वाहनों का निबंधन राष्ट्रीय ई-रजिस्टर में भी रिकॉर्ड हो जाना भी सुनिश्चित होता है। साथ ही, वाहनों के खरीदारों को होने वाली असुविधा पर काबू पाने के लिए विक्रेताओं के स्थान पर ही वाहनों

के निबंधन की सुविधा दी गई है। राजस्व चालान/ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रतीक्षा का समय घटाकर न्यूनतम कर दिया गया है।

ई-गवर्नेंस : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्रीय भूमिका निभाती है क्योंकि सभी नागरिकों के लिए सेवाओं में और विभाग के लिए प्रशासन और सेवाओं, दोनो में पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता और उत्तरदायित्व जरूरी होता है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय में मानवचालित सेवाओं के कारण होने वाली समन्वय की समस्याओं पर काबू पाने में मददगार है। इसके जरिए मोटरवाहन कर और शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का निबंधन, ऑनलाइन परमिट सेवा तथा ऑनलाइन लाइसेंस सेवाओं की ऑनलाइन भुगतान सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

पथ सुरक्षा : पथ सुरक्षा देश में प्रमुख सामाजिक चिंता के रूप में उभर रहा है। जहां नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहीं तेज से तेज चलने वाले वाहनों का भी बड़ी मात्रा में आविष्कार हो रहा है जिससे पथ सुरक्षा एक गंभीर सवाल बन गया है। दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण और पथ परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पथ सुरक्षा नीति 2015 स्वीकार की गई है। उसके बाद बिहार पथ सुरक्षा कार्ययोजना और पथ सुरक्षा कोष का भी निर्माण किया गया है। पथ सुरक्षा परिषद नियमावली 2018 भी तैयार और स्वीकार की गई है। राज्य पथ सुरक्षा परिषद् और जिला पथ सुरक्षा समिति को सशक्त अनुश्रवण प्रणाली के जरिए अधिक प्रभावी बनाया गया है। पथ सुरक्षा को कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है और राज्य के आम लोगों के लिए नियमित आधार पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्कूली वाहन प्रबंधन नीति तैयार की गई है। दुर्घटनाओं में कमी के लिए गति-नियंत्रक डिवाइस और चमकने वाले टेप लगाना अनिवार्य बना दिया गया है। सुनागरिक नीति और दुर्घटना-प्रवण स्थान नीति का निर्माण किया गया है। राज्य के सभी जिलों में टॉल फ्री नंबर 1099 वाले 44 उन्नत जीवनरक्षी एंबुलेंस और टॉल फ्री नंबर 102 वाले 749 बुनियादी जीवनरक्षी एंबुलेंस उपलब्ध हैं। ये एंबुलेंस सेवाएं राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।

हर साल फरवरी माह के पहले सप्ताह में पथ सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम/ क्रियाकलाप चलाए जाते हैं, श्रव्य-दृश्य शो, स्लाइड शो, बैनर प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं। इस अवसर पर बस चालकों/ कंडक्टरों को दुर्घटनाओं के मामले में जागरूक किया जाता है और गलतियां दुहराने से बचने के लिए चेतावनी दी जाती है। बड़ी/ घातक दुर्घटनाओं और उनके कारणों का उल्लेख करते हुए पोस्टर, अपील, निर्देश आदि जारी किए जाते हैं। औरंगाबाद स्थित वाहन चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान में 2,000 आवेदकों को विभाग ने भारी मोटरवाहनों के लाइसेंस के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने की एक योजना तैयार की है।

नगर बस सेवा :बड़े और मंझोले शहरों में बसें लोगों के आवागमन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े शहरों के लिए सुप्रबंधित और सुव्यवस्थित आधुनिक बसों की जरूरत होती है जो किफायती दर पर कुशल सार्वजनिक परिहवन सेवा उपलबध करा सके। मुख्यमंत्री ने 3 मई 2018 को नगर बस सेवा का उद्घाटन किया है। काफी कम समय में उनके प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री यात्रा कर रहे हैं और अभी पटना में 11 मार्गों पर 117 बसें चल रही हैं। विद्यार्थियों/ बुजुर्गों/ शारीरिक रूप से नि:शक्त लोगों को विशेष छूट दी जा रही है और बसों के पास उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा महिलाओं के लिए उनमें 65 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की स्थापना पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत 1959 में की गई थी। यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला निगम है। राज्य सरकार इस निगम के जरिए लोगों को सुगम परिवहन सेवाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रही है। निगम का राजस्व संग्रहण उल्लेखनीय तेजी से बढ़ रहा है और 2017-18 में इसने 124.8 करोड़ रु. संग्रहित किए हैं जो गत वर्ष संग्रहित 61.4 करोड़ रु. के दूने से भी अधिक है। गत पांच वर्षों में निगम का राजस्व 58 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। निगम द्वारा ढोए जाने वाले यात्रियों की संख्या 12.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है।वर्ष 2017-18 में निगम द्वारा 212.0 लाख यात्री ढोए गए थेजबकि 2012-13 में उनकी संख्या 146.6 लाख ही थी।

तालिका 6.15 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का राजस्व संग्रहण और ढोए गए यात्रियों की संख्या

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-18)
राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)	26.0	21.1	21.6	24.9	61.4	124.8	**58.4**
ढोए गए यात्रियों की संख्या (लाख)	146.6	152.3	110.6	126.6	184.5	212.0	**12.4**

स्रोत : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार सरकार

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

यात्रियों को सुरक्षित, साफ-सुथरी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा राज्य में सार्वजनिक परिवहन की मजबूती के लिए, अभी निगम द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 410 बसें चलाई जा रही हैं। साथ ही, 231 बसें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत चल रही हैं। पटना की बढ़ती आबादी के आलोक में, पटना और आसपास में आसान और तेज परिवहन के लिए 107 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रियों के लाभ के लिए निगम ने कई उपाय किए हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं :

जयप्रकाश सेनानी के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के लिए मुफ्त पास देकर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता के बतौर लिया है और सिर्फ महिलाओं के लिए विशेष बसें उपलब्ध कराई हैं। साथ ही, आम बसों में 65 प्रतिशत प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है।

निगम निःशक्त लोगों को 50 किमी तक की यात्रा के लिए किराए में 50 प्रतिशत छूट देता है। उनके लिए हर बस में दो सीट भी आरक्षित कर दी गई है।

भारत सरकार के आवास एवं नगर विकास मंत्रालय द्वारा निगम को 'सर्वोत्तम सिटी बस सेवा' के लिए 'शून्य से शतक तक' श्रेणी के तहत प्रशंसनीय गतिविधि पुरस्कार दिया गया है।

श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती उत्सव के अवसर पर निगम द्वारा2.32 लाख श्रद्धालुओं को 120 बसों की मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई गई।

निगम द्वारा चंपारण सत्याग्रह शताब्दी उत्सव में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य सहभागियों को भी 220 बसें उपलब्ध कराई गईं।

बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आसान, आरामदेह और बार-बार यात्रा के लिहाज से 3 बसें उपलब्ध कराने के लिए एक आपसी समझौता किया गया है। इसी प्रकार, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा के लिए 13 बसें उपलब्ध कराई गई हैं।

बिहार और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बिहार तथा नेपाल, दोनो के लोग एक-दूसरे के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से आते-जाते रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में आपसी समझौते के तहत दैनिक परिवहन सेवाओं के लिए दो बसें बोधगया-पटना-काठमांडु के लिए और चार बसें पटना-जनकपुर के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

6.4 रेलवे नेटवर्क

केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 1996 में पूर्व–मध्य जोन की स्थापना की थी जो 2002 से काम कर रहा है। बिहार में रेलवे के संपर्क और सेवाओं में सुधार के लिए नई लाइनों, गॉज परिवर्तन, विद्युतीकरण, रेल उपरिपुल और वर्तमान अधिसंरचना के रखरखाव का काम प्रगति पर है। रेलवे नेटवर्क ने सामाजिक और आर्थिक विकास में हमेशा महत्वपूर्ण भमिका निभाई है। यह लाखों यात्रियों और बड़े पैमाने पर सामान ढुलाई का किफायती साधन है। मार्च 2016 में बिहार में कुल 6,870 किमी रेल ट्रैक और 3,731 किमी रेलमार्ग था। देश के आंकड़ों में बिहार का 5. 6 प्रतिशत हिस्सा था। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किमी पर रेलमार्ग घनत्व 39.6 किमी था। हालांकि प्रति लाख आबादी पर रेलमार्ग की लंबाई बिहार में मात्र 4.9 किमी थी।

बिहार में रेलवे की नई पहलकदमियां

वर्ष 2014 में रेलवे ने बिहार में 151 किमी नई लाइनों का निर्माण 108 किमी ट्रैक का दुहरीकरण, 163 किमी का बड़ी लाइन में गॉज परिवर्तन, 478 किमी रेलमार्ग का विद्युतीकरण और 15 रेल उपरिपुलों का निर्माण किया। राज्य के यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 36 जोड़ी नई रेलगाड़ियां चलाई गईं और विभिन्न स्थानों पर 81 जोड़ी रेलगाड़ियों के नई जगहों पर रुकने का प्रावधान किया गया। बिहार में रेलवे की अन्य उपलब्धियां नीचे वर्णित हैं :

विनिर्माण इकाई :बिहार में दो ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण किया जा रहा है। मधेपुरा रेल इंजन कारखाने ने काम करना शुरू कर दिया है और मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना भी शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा।

सुरक्षा : महत्वपूर्ण रेलमार्गों के सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग बहुत जल्दी बंद कर दिए जाएंगे। अभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग पर गेट मित्र तैनात किए गए हैं। समेकित सुरक्षा प्रणाली (आइएसएस) भी स्थापित की गई है जिसके तहत पटना जंक्शन पर 117 और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चार अन्य स्टेशनों –मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, रक्सौल और छपरा में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम प्रगति पर है।

समर्पित मालवाही मार्ग : मालवाही सेवाओं में सुधार के लिए रेलवे दो समर्पित मालवाही मार्गों का विकास कर रही है। 1,840 किमी लंबा पूर्वी समर्पित मालवाही मार्ग बिहार के चार जिलों (कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया) से होकर गुजरता है। 6,900 करोड़ रु. के व्यय से इस कॉरीडोर का 240 किमी हिस्सा बिहार में बन रहा है। कैमूर और औरंगाबाद जिलों में लगभग 60 प्रतिशत हिस्से में काम पूरा हो गया है।

वाहन सेवाएं : हाल में 32 फुट ओवरब्रिज, 10 एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ियां), 905 प्लेटफार्म शेड, 161 पानी बिक्री मशीन, और निःशक्त लोगों के लिए 27 प्रमुख स्टेशनों पर शौचालय निर्मित किए गए हैं। साथ ही, बिहार में 68 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म बढ़ाए या ऊंचे किए गए हैं।

6.5 वायु मार्ग

वायु परिवहन किसी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि और उन्नति का एक सूचक है। वायु परिवहन में 2011-12 से 35.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। वायु परिवहन कासकल राजकीय मूल्यवर्धन 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 में मात्र 31 करोड़ रु. था जो 2017-18 में छःगुना बढ़कर 192 करोड़ रु. हो गया। इस

वृद्धि को वायु परिवहन की सेवाओं में दर्ज हुई असाधारण वृद्धि के साथ जोड़ा जा सकता है जिसका ब्योरा तालिका 6.16 में प्रस्तुत है। बिहार में वायु-यात्रा करने वाले देशी-विदेशी यात्रियों की संख्या में 2017-18 में गत वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 में कुल 31.11 लाख यात्रियों ने वायु-यात्रा की जबकि 2016-17 में उनकी संख्या 21.12 लाख थी। वर्ष 2017-18 में देशी यात्रियों की संख्या में 2014-15 से 2017-18 के बीच 37.07 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई जबकि वायुयानों का आवागमन इस अवधि में 28.27 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। वहीं माल ढुलाई में छःगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है जो 2004-05 के 1,035 टन से बढ़कर 2017-18 में 6,318 टन हो गया।

तालिका 6.16 : पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई

वर्ष	वायुयानों का आवागमन (सं.)	यात्रियों की सं. (लाख में)	माल ढुलाई (हजार टन में)
2004-05	3844	1.76	1.035
2009-10	10734	5.53	2.532
2014-15	11060	11.97	5.198
2015-16	13947	15.84	4.414
2016-17	15508	21.12	6.591
2017-18	24479	31.11	6.318
2018-19 (सितंबर 18 तक)	16557	20.59	5.722
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2014-18)	**28.27**	**37.07**	**10.37**

स्रोत : भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पटना

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)

भारत में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) का आरंभ अक्तूबर 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत किया गया था। इस योजना को आम तौर पर उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार और सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में राज्य सरकारें उड़ान के लिए 80:20 के अनुपात में सब्सिडी उपलब्ध कराती हैं। उड़ान-1 के तहत वायु संपर्क के लिए बिहार के किसी भी शहर को नहीं चुना गया था। हालांकि यह जानना सुखद है कि अब दरभंगा को उड़ान-2 के तहत शामिल किया गया है और हवाईअड्डा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। काम 2019 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। एक निजी वायु सेवा ने हवाईअड्डा के तैयार हो जाने के बाद दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बंगलोर तक उड़ान शुरू करने की योजना बनाई है।

6.6 भवन निर्माण

राज्य सरकार आर्थिक विकास के लिए बेहतर अधिसंरचना उपलब्ध कराने का प्रयास करती रही है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का एक काम स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक संस्थान, प्रशासनिक ढांचा, सामुदायिक भवन, संग्रहालय,

तथा भंडारगृह, किसान भवन आदि अन्य सेवाओं के लिए नए भवन बनाना भी है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अनेक निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई हैं और सारी परियोजनाएं तय समय में पूरी हो गई हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार को पटना में सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र के उत्कृष्ट निर्माण के लिए निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा 2018 में दशम विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। विभिन्न निर्माण कार्य पर राज्य सरकार का व्यय 2008-09 में 218 करोड़ रु. था जो 2016-17 में बढ़कर 1,771 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान और भी अधिक - 3,960 करोड़ रु. है जिसमें पूंजीगत का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा व्यय है। चार्ट 6.4 में निर्माण पर सार्वजनिक व्यय का रुझान दर्शाया गया है। ये निवेश गुणवत्तापूर्ण अधिसंरचना निर्माण के लिए ही नहीं होते हैं, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। तालिका 6.17 में भवन निर्माण विभाग के तहत प्रमुख परियोजनाओं के विवरण प्रस्तुत हैं।

चार्ट 6.4 : भवन निर्माण विभाग द्वारा व्यय (करोड़ रु.)

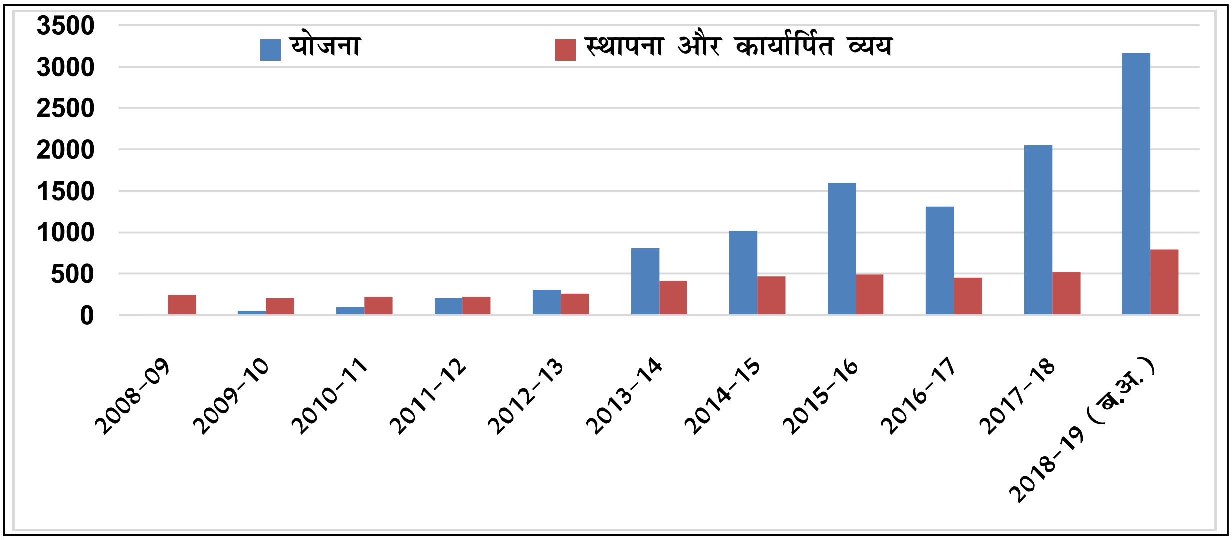

तालिका 6.17 : भवन निर्माण विभाग की प्रमुख परियोजनाएं (करोड़ रु.)

विभाग	प्रशासनिक स्वीकृति	समझौते की रकम	अभी तक हुआ व्यय
भवन निर्माण	2760.29	1064.35	883.94
सहकारिता	35.22	0.00	0.00
सामान्य प्रशासन	431.14	24.03	88.02
स्वास्थ्य	359.91	31.57	26.21
गृह	388.22	335.01	268.40
विधि	339.00	105.90	82.49
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2714.41	1272.13	618.88
पर्यटन	193.14	54.17	0.00
युवा, कला एवं संस्कृति	1451.74	442.86	390.21
योग	**8673.06**	**3330.02**	**2358.17**

स्रोत : भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

भवन निर्माण विभाग ने राज्य सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उनकी कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

महा (मेगा) परियोजनाएं : राज्य सरकार ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करने और भावी पीढ़ियों के लिए पुरातात्विक स्थलों को रेखांकित करने के लिए एक संग्रहालय के निर्माण की योजना बनाई। इसी पृष्ठभूमि में 517.34 करोड़ रु. के व्यय से पटना में विश्वस्तरीय बिहार संग्रहालय का निर्माण किया गया है। 490 करोड़ रु. के व्यय से 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले बापू सभागार नामक सम्मेलन केंद्र और 800 लोगों की क्षमता वाले ज्ञान भवन का निर्माण कराया गया है। वहीं, 388 करोड़ रु. के व्यय से ऊंची क्षमता के भूकंप-रोधी आरक्षी मुख्यालय भवन का निर्माण कराया गया है। उसमें एक हेलीपैड भी है और वह अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र है। राज्य में निर्मित सभ्यता द्वार मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से अधिक ऊंचा है।

पुरस्कार : बिहार संग्रहालय को इसकी डिजाइन के लिए इंटरनेशनल फोरम डिजाइन अवार्ड 2018 और क्यूरियस डिजाइन ब्लू एलिफैंट अवार्ड 2018 – दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसे सर्वोच्च सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र के लिए नीति आयोग के तहत निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा दशम विश्वकर्मा पुरस्कार – 2018 प्राप्त हुआ है।

ई-आवास योजना : इसके तहत ऑनलाइन आवेदन के जरिए सरकारी आवासों के आबंटन में पहुंच, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली के जरिए आवेदन अपनी स्थिति पर किसी भी समय नजर रख सकता है।

गुणवत्ता नियंत्रण : राज्य सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पूर्ण विकसित प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोगशाला की अनुपस्थिति में अधिकारियों को भवन निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच राज्य के बाहर की प्रयोगशालाओं में करानी पड़ती है जो महंगा और कठिन है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन : परियोजना अनुश्रवण सूचना प्रणाली के जरिए परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए एक ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली विकसित की गई है। सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिहाज से पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी विकसित की गई है।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

निगम की स्थापना 2008 में हुई थी और अभी तक इसने कुल 1,647 परियोजनाओं को पूरा किया है। इन परियोजनाओं का कुल व्यय 5,076.57 करोड़ रु. अनुमानित है। निगम के तहत हाल के वर्षों में तेज वृद्धि हुई है। अब इसकी और अधिक प्रौद्योगिकीय विकास की योजना है और एक ऑनलाइन परियोजना अनुश्रवण प्रणाली को उत्क्रमित और क्रियान्वित किया जा रहा है। निगम को अपने जन्मकाल से ही मुनाफा हो रहा है। वर्ष 2013-14 में इसे 9.43 करोड़ रु. का शुद्ध मुनाफा हुआ था जो 2016-17 में बढ़कर 18.63 करोड़ रु. हो गया। हालांकि 2017-18 में इसका मुनाफा घटकर 14.95 करोड़ रु. रह गया। तालिका 6.18 में निगम के वित्त प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं पर हुए व्यय का सारांश दर्शाया गया है। गौरतलब है कि निगम हर साल अच्छी-खासी

रकम निगमोचित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी पहलकदमियों के तहत खर्च करता है। वर्ष 2017-18 में यह रकम 40.14 लाख रु. थी।

तालिका 6.18 : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के वित्त प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय का सारांश

वर्ष	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड रु.)	टर्नओवर (करोड रु.)	कुल राजस्व (करोड रु.)	प्रशासनिक व्यय (करोड रु.)	सकल लाभ (करोड रु.)	शुद्ध लाभ (करोड रु.)	सीएसआर रिजर्व (लाख रु.)
2013-14	747	300.50	28.76	41.27	14.12	14.59	9.43	19.89
2014-15	128	637.49	58.18	72.51	17.24	41.21	26.78	25.55
2015-16	87	445.82	27.34	38.82	18.47	8.30	5.51	64.10
2016-17	400	568.76	39.26	57.47	14.02	28.59	18.63	52.06
2017-18	254	602.16	40.93	67.39	20.12	23.32	14.95	40.14

स्रोत : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

6.7 सिंचाई अधिसंरचना

बिहार कृषिमूलक अर्थव्यवस्था है और कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदाता है। सिंचाई अधिसंरचना उत्पादकता, फसल सघनता और फसलों के विविधीकरण में सुधार लाकर कृषि और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में अनाजों की उत्पादकता 2005-06 के 1,344 किग्रा प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2017-18 में 2,839 किग्रा प्रति हे. हो गई। इसी प्रकार, फसल सघनता भी 2005-06 के 1.31 से 2017-18 में 1.45 हो गई हालांकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच इसमें अंतर है। यहां सकल बुआई क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से में अनाज और दलहन की खेती होती है। कृषि में भी बड़ी संख्या में श्रमशक्ति लगी है खास कर महिला श्रमशक्ति। राज्य सरकार ने सिंचाई अधिसंरचना के लिए एक प्रमुख एजेंडा तय किया है और 2017 से 2022 तक के लिए कृषि रोडमैप-3 तैयार किया है। इस पृष्ठभूमि में वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई में सार्वजनिक निवेश विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। जैसा कि चार्ट 6.5 में दर्शाया गया है, 2007-08 से 2018-19 के बीच की अवधि में सिंचाई अधिसंरचना का निर्माण बढ़ा है। गौरतलब है कि 2012-13 से सिंचाई पर पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय की तुलना में अधिक रहा है।

चार्ट 6.5 : बिहार में सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के रुझान (करोड़ रु.)

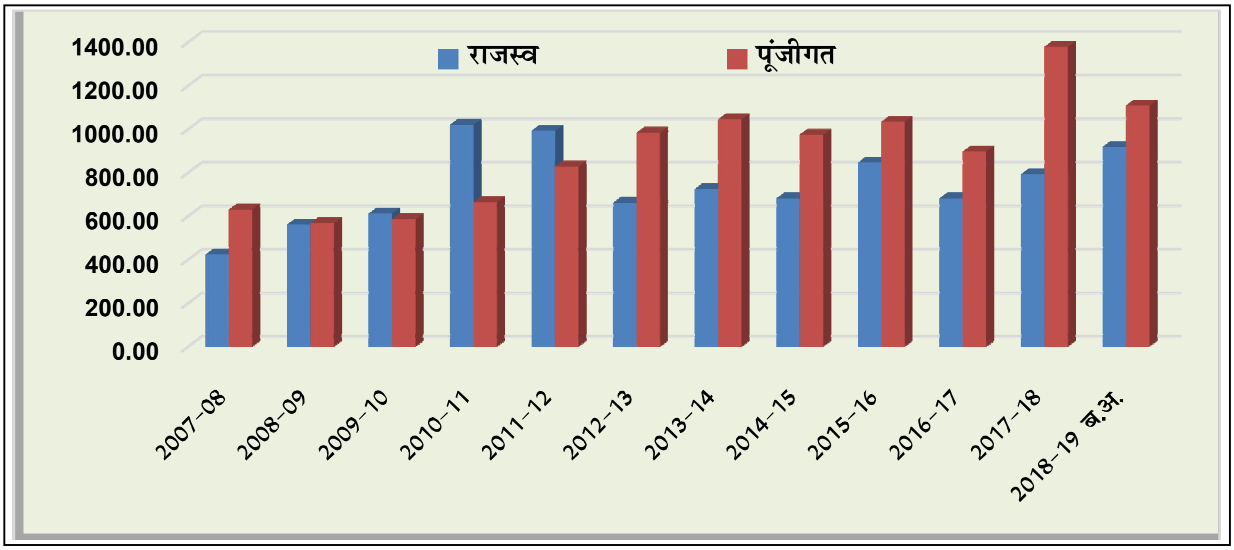

चरम सिंचाई क्षमता

बिहार में कृषि अभी भी वर्षा पर आश्रित है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण औसत वार्षिक वर्षापात लगभग 1000 मिमी होता है, जिसमें क्षेत्रों के बीच भिन्नता है। इस पृष्ठभूमि में सिंचाई सुविधाओं का परिमाण राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। सिंचाई प्रणाली मुख्यतः तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत है – (1) वृहद सिंचाई जिसके तहत 10,000 हे. से अधिक कृष्य कमांड क्षेत्र होता है, (2) मध्यम सिंचाई जिसके तहत 2,000 हे. से 10,000 हे. के बीच कृष्य कमांड क्षेत्र होता है, और (3) लघु सिंचाई जिसके तहत 2,000 हे. से कम कृष्य कमांड क्षेत्र होता है। तालिका 6.19 में बिहार में गत दो वर्षों के दौरान चरम सिंचाई क्षमता और वर्तमान उपयोग के विवरण दर्शाए गए हैं। राज्य में तीनों सिंचाई योजनाओं के तहत कुल 117.54 लाख हे. चरम सिंचाई क्षमता अनुमानित है। राज्य सरकार ने 2017-18 में 55,000 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की है जिसके कारण 2017-18 में सृजित सिंचाई क्षमता 2016-17 के 70.48 लाख हे. से बढ़कर 71.03 लाख हे. हो गई है। नई सिंचाई क्षमता सृजित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि सृजित सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग हो। नहर सिंचाई प्रणाली में बड़ी मात्रा में गाद जमने और टूट होने से कभी-कभी सृजित सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। वर्ष 2017-18 में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग वृहद सिंचाई के मामले में 80 प्रतिशत और लघु सिंचाई के मामले में 90 प्रतिशत था।

तालिका 6.19 : बिहार में चरम, सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता (मार्च के अंत में)

सिंचाई क्षमता का प्रकार	चरम क्षमता	2017		2018	
		सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता
(क) वृहद एवं मध्यम सिंचाई	53.53	29.69	26.72	29.91	23.8
(ख) लघु सिंचाई	64.01	40.79	36.7	41.12	36.99
(i) भूतल सिंचाई	15.44	8.14	7.32	8.35	7.50
(ii) भूजल सिंचाई	48.57	32.65	29.38	32.77	29.49
योग	**117.54**	**70.48**	**63.42**	**71.03**	**60.79**

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

वृहद एवं मध्यम सिंचाई की आठ योजनाओं के तहत 2017-18 में से 21.90 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है (तालिका 6.20)। इस प्रकार, वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से कुल 53.53 लाख हे. चरम सिंचाई क्षमता में से 29.91 लाख हे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 2018-19 में 1.88 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य विभिन्न योजनाओं के जरिए पूरा कर लिया जाएगा। इनमें चांकन सिंचाई योजना (7,700 हे.), ढाढ़र डाइवर्सन योजना (5,868 हे) और अन्य योजनाएं शामिल हैं।

तालिका 6.20 : वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सृजन (2017-18)

योजना का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता (हे. में)	योजना का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता (हे. में)
पूर्वी गंडक नहर चरण	2000	मुंगेर जिले के जलप्रपातों और पहाड़ों पर आधारित सिंचाई योजना	3733
पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	600	भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में 5 नलकूपों की स्थापना	200
ढाढ़र डायवर्सन योजना	5868	सीवान वीयर योजना	360
चाकन सिंचाई योजना	7700		
बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना	1438	**योग**	**21899**

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना

विभिन्न वर्षों में अलग-अलग मात्रा में वर्षा होने तथा प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य कारकों के कारण विगत वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधाओं के वास्तविक उपयोग में अंतर रहा है। ऐसी स्थिति में सिंचाई के उपयोग को वास्तव में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अनुपात से मापा जाता है। तालिका 6.21 में 2012-13 से 2017-18 तक वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं का यह अनुपात प्रस्तुत किया गया है। तालिका में आसानी से देखा जा सकता है कि सृजित सिंचाई क्षमता में विगत वर्षों के दौरान धीमा लेकिन लगातार विकास हुआ है। हालांकि उनके उपयोग के परिमाण में इन वर्षों के दौरान भिन्नता रही है। सिंचाई का उपयोग 2012-13 के 60.4 प्रतिशत से 2016-17 के 90.0 प्रतिशत तक रहा है।

तालिका 6.21 : बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं का जल उपयोग

(आंकड़े हजार हे. में)

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	खरीफ		रबी		गरमा		कुल प्रयुक्त सिंचाई क्षमता	उपयोग (%)
		लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई		
2012-13	2913	1491	1394	439	366	0	0	1760	60.4
2013-14	2921	1865	1614	567	491	15	15	2120	72.6
2014-15	2925	1865	1628	373	314	0	0	1942	66.4
2015-16	2946	1918	1718	485	382	28	26	2125	72.1
2016-17	2969	1982	1931	802	714	29	28	2672	90.0
2017-18	2991	2227	1954	430	399	29	28	2380	79.6

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 6.6 : बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग का पैटर्न

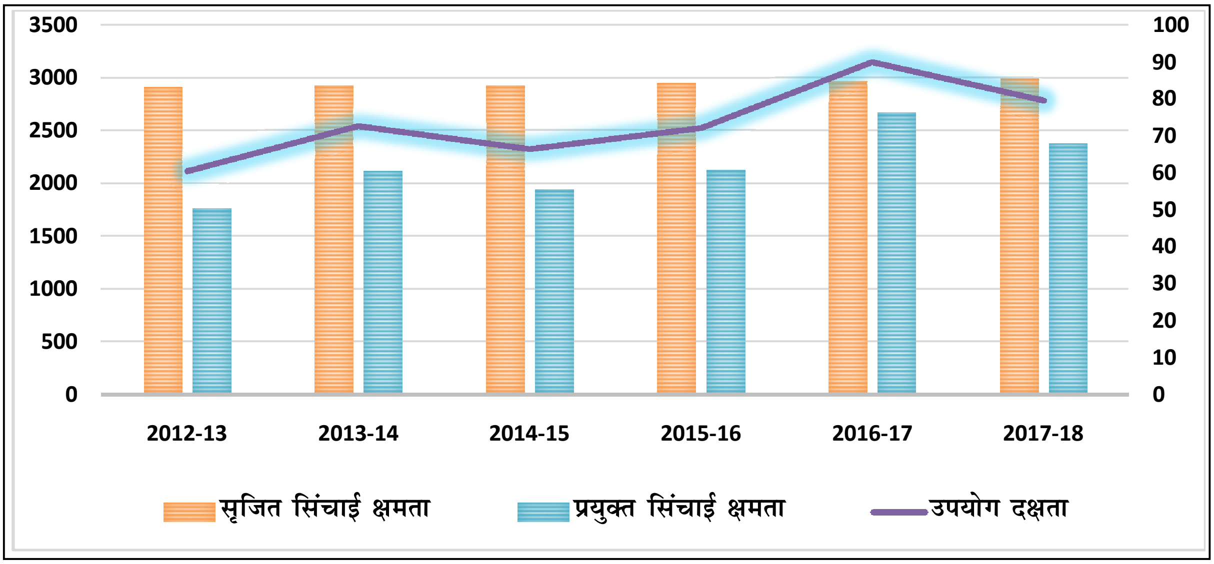

राज्य में सिंचाई अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें से कुछ पहल निम्नलिखित हैं :

अंतर्राष्ट्रीय परियोजना : बिहार में बाढ़ की समस्या पर काबू पाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक समाधान के बतौर हमेशा डैम और जलाशय निर्माण का सुझाव दिया जाता है। सप्तकोशी उच्च जलाशय परियोजना का प्रस्ताव भारत और नेपाल, दोनो के लिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत और जल परिवहन का लाभ प्राप्त करने के लिहाज से किया गया है। इस परियोजना से भारत में 9.76 लाख हे. और नेपाल में 5.46 लाख हे. जमीन की सिंचाई होगी। इस जलाशय से सप्तकोशी के जरिए 3,000 से 5,500 मेगावाट और सुनकोशी डायवर्सन परियोजना के जरिए 61 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन की संभावना है।

अंतर-राज्य परियोजना :इंद्रपुरी जलाशय योजना का निर्माण बिहार में सोन सिंचाई प्रणाली के पानी की समय से उपलब्धता और सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिहाज से किया जा रहा है। इसके साथ-साथ 400 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन की भी योजना है। सोन नदी का 80 किमी हिस्सा उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी जुड़ता है। वाणसागर जलाशय योजना मध्य प्रदेश की सोन घाटी में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ मिलकर निर्मित है जिसके व्यय में 2:1:1 अनुपात में साझेदारी है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए दिसंबर 2018 तक 441.05 करोड़ रु. व्यय किया है। वर्ष 1978 में हुए बिहार-पश्चिम बंगाल समझौते के तहत दो परियोजनाएं प्रस्तावित थीं। एक थीतिलैया-ढाढ़र डाइवर्सन योजना जिससे बिहार और झारखंड को लाभ होना था। निर्माण होने पर बिहार को इससे 31.70 हजार हे. जमीन की सिंचाई का लाभ मिलेगा। दूसरी योजना के तहत सोहगना बराज का निर्माण किया गया है और नहर प्रणाली निर्माणाधीन है। एक अन्य परियोजना ऊपरी महानंदा सिंचाई परियोजना है जिसका प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग के पास लंबित है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी पर स्थित फुलवारी बराज के जरिए 67.00 हजार एकड़ जमीन को सिंचाई उपलब्ध होना प्रस्तावित है। बिहार और झारखंड की भी अन्य साझा परियोजनाएं हैं - (1) उत्तर कोयल जलाशय योजना, (2) बटाने जलाशय योजना, (3) बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना, (4) चांदन जलाशय योजना, (5) अपर सकरी जलाशय योजना और (6) बरनार जलाशय योजना।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन : राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को लगातार मजबूती दी गई है। सिंचाई योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक शर्त है कि किसान सिंचाई प्रबंधन में भाग लें क्योंकि वहीं अंतिम उपभोक्ता हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं में जल संसाधनों और सिंचाई प्रणाली के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा करना और उसके जरिए पानी के उपयोग में किफायत और प्रणाली के संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिहार में जिन 81 निबंधित संस्थाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उनमें से 54 को सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित कर दिया गया है और शेष 27 संस्थाओं के मामले में हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। अन्य कृषक संस्थाओं की स्थिति तालिका 6.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 6.22 : मार्च 2018 में कृषक संस्थाओं की स्थिति

स्थिति	सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित	प्रणाली के हस्तांतरण के लिए तैयार संस्थाएं	निबंधन के लिए आवेदन समर्पित	प्रेरणा की प्रक्रिया में	**योग**
संख्या	54	27	30	511	**622**

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

राजस्व संग्रहण : सिंचाई योजनाओं के तहत पानी के उपयोग के लिए उपभोक्ता शुल्क के बतौर राजस्व संग्रहित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में कुल 38 करोड़ रु. का संग्रहण हुआ था। वर्ष 2018-19 में 50 करोड़ रु. संग्रहण का अनुमान है।

लघु सिंचाई

राज्य की चरम सिंचाई क्षमता 45 प्रतिशत बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं से और शेष 55 प्रतिशत लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित होने का अनुमान किया गया था। सृजित सिंचाई क्षमता का बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई के जरिए हुआ है और अभी लघु सिंचाई का सृजित क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा है। लघु सिंचाई में मुख्य योगदाता भूजल है जिसका लघु सिंचाई में 75 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है। भूजल की लगभग 80 प्रतिशत क्षमता का सृजन और उपयोग लघु सिंचाई के तहत किया गया है। लघु सिंचाई की 64.01 लाख हे. चरम क्षमता में से 41.51 लाख हे. (65 प्रतिशत) सृजित की जा चुकी है - 8.54 लाख हे. भूतल (सर्फेस) सिंचाई के तहत और 32.97 लाख हे. भूजल सिंचाई के तहत (तालिका 6.23)। लघु सिंचाई के तहत स्रोतवार क्षेत्रफल तालिका 6.24 में प्रस्तुत है जिसमें 2014-15 में 0.38 लाख हे. से 2012-13 में 2.82 लाख हे. तक अंतर आया दिखता है।

तालिका 6.23 : बिहार में लघु जल संसाधनों की स्थिति

(क्षमता लाख हे. में)

सिंचाई क्षमता का प्रकार	चरम क्षमता	मार्च 2017 में		मार्च 2018 में		सितंबर 2018 में	
		सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता
लघु सिंचाई	64.01	40.79	36.70	41.12	36.99	41.51	37.35
(i) भूतल सिंचाई	15.44	8.14	7.32	8.35	7.50	8.54	7.68
(ii) भूजल सिंचाई	48.57	32.65	29.38	32.77	29.49	32.97	29.67
योग	**64.01**	**40.79**	**36.70**	**41.12**	**36.99**	**41.51**	**37.35**

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 6.24 : लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र

(क्षेत्रफल हे. में)

स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भूतल नहरें	36315	26086	9310	-	2600	5500
तालाब (आहर-पइन सहित)	59407	41591	10934	28631	20500	15830
नलकूप (निजी और सरकारी)	161962	64251	15610	38440	86200	24000
अन्य स्रोत (उद्वह सिंचाई एवं दोन सिंचाई)	24220	9627	2564	5055	18000	10160
योग	**281904**	**141555**	**38418**	**72126**	**127300**	**55490**

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

लघु सिंचाई विभाग ने लघु सिंचाई के विस्तार के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। कृषि रोडमैप-3 (2017-22) के तहत राज्य सरकार की 8.25 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना है - 5.56 हे. आहर-पइन से, 1.82 लाख हे. वीयर योजना से, 0.88 लाख हे. उद्वह सिंचाई योजना से और 0.99 लाख हे. अन्य योजनाओं से।

भूतल सिंचाई योजना :पारंपरिक आहर-पइन सिंचाई प्रणाली, वीयर और सिंचाई तालाब जैसी लघु सिंचाई योजनाओं का तीन स्रोतों के तहत जीर्णोद्धार किया जाता है :

1. पारंपरिक आहर-पइन सिंचाई प्रणाली के जीर्णोद्धार की ये योजनाएं वित्तपोषण के तीन अलग-अलग स्रोतों के तहत काम कर रही हैं।

(क) **राज्य योजना :** इसके तहत 58 योजनाएं हैं जिनमें से 37 पूरी हो चुकी हैं और उनसे 28.23 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित हुई है। वहीं, उद्वह सिंचाई की 129 योजनाओं में से 90 पूरी हो चुकी हैं।सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर उद्वह सिंचाई से 10.32 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

(ख) **नाबार्ड का ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष :** इसके अंतर्गत आहर-पइन की 42 योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा हैजिनमें से 13 पूरी हो गई हैं। इन सभी आहर-पइन योजनाओं के पूरा हो जाने पर 22.79 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित होगी।इसके अतिरिक्त उद्वह सिंचाई के जरिए भी 2,560 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

(ग) **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :** अभी नवादा, रोहतास, कैमूर ओर सीतामढ़ी जिलों में आहर-पइन की 47 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें से 12 पूरी हो गई हैं। सारी योजनाओं के पूरा हो जाने पर उनसे 21.08 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

भूजल सिंचाई योजना : राजकीय नलकूप योजना के तहत कुल 10,242 नलकूपों में से 4,877 चालू नलकूपों के जरिए 2.86 लाख हे. सिंचाई क्षमता पुन:स्थापित हुई है।

बिहार शताब्दी नलकूप योजना : बिहार शताब्दी नलकूप योजना के तहत अभी तक किसानों द्वारा 14,202 निजी नलकूप लगाए गए हैं। 70 मीटर तक गहरे नलकूपों के लिए राज्य सरकार अधिकतम 15,000 रु. तक और 100 मी. तक गहरे नलकूपों के लिए राज्य सरकार अधिकतम 35,000 रु. तक अनुदान देती है। साथ ही, इस योजना के तहत मोटर पंपसेट की कीमत का 50 प्रतिशत सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रु. है। सारे अनुदान प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना के जरिए अंतरित किए जाते हैं।

टेलीमिट्री योजना (स्वचालित डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर) : इस योजना में राज्य के सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों में टेलीमिट्री उपकरण लगाए जाने हैं। 24.06 करोड़ रु. के व्यय से अभी तक 571 में से 486 टेलीमिट्री उपकरण लगाए जा चुके हैं।

नलकूपों का स्वामित्व : राज्य सरकार ने राजकीय नलकूपों के सही से काम करने और उनके रखरखाव के लिए उनको किसानों/ संघों/ जीविका समूहों/ पंचायतों आदि को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

बिहार की पांचवीं लघु सिंचाई गणना (2013-14)

यह गणना बिहार के सभी 38 जिलों में 534 प्रखंडों के 45,188 गांवों में की गई। पहली बार 35 से 70 मी. की मध्यम गहराई वाले नलकूपों और ऊर्जा के एक से अधिक स्रोतों के उपयोग वाली सिंचाई योजनाओं के बारे में आंकड़े संग्रहित किए गए।

वर्ष 2013-14 (पांचवीं गणना) में कुल 6.50 लाख सिंचाई योजनाएं अस्तित्व में थीं जिनमें से 6.43 लाख भूजल योजनाएं थीं और 6,495 भूतल योजनाएं। वर्ष 2006-07 (चौथी गणना) में कुल 6.63 लाख लघु सिंचाई योजनाएं थीं जिनमें से 6.51 लाख भूजल योजनाएं थीं और 12,127 भूतल योजनाएं।

चौथी और पांचवीं गणना की तुलना करने पर पता चला कि कृष्य कमांड क्षेत्र चौथी गणना के 24.26 लाख हे. से बढ़कर पांचवीं गणना में 38.35 लाख हे. हो गया है। सृजित सिंचाई क्षमता में भी वृद्धि हुई है जो चौथी गणना के 24.26 लाख हे. से बढ़कर पांचवीं गणना में 44.85 लाख हे. हो गया है।यह भी गौरतलब है कि प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में भारी वृद्धि हुई है जो उस अवधि में 7.22 लाख हे. से बढ़कर 34.80 लाख हे. हो गई।

वर्ष 2013-14 में 6.44 लाख सिंचाई योजनाएं चालू थीं और 5,875 योजनाएं बंद पड़ी थीं। चालू योजनाओं में कम गहरे नलकूप का 56.16 प्रतिशत, मध्यम गहरे नलकूप का 38.40 प्रतिशत और बहुत गहरे नलकूप का 1.97 प्रतिशत योगदान था। शेष 3.47 प्रतिशत योगदान कुओं का था।

अधिकांश (6.37 लाख) योजनाएं निजी स्वामित्व वाली थीं और 12,702 योजनाएं सार्वजनिक योजना के तहत। योजनाओं के बड़े हिस्से (88.95 प्रतिशत) को व्यक्तियों द्वारा खुद खर्च करके लगाया गया था और शेष 11.05 प्रतिशत को वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों (बैंक ऋण, सरकारी वित्तपोषण, स्थानीय महाजन आदि) के जरिए। उनके मालिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखें, तो 3.11 लाख योजनाएं अति पिछड़ी जातियों की, 63,512 योजनाएं अनुसूचित जनजातिकी, 43,743 अनुसूचित जाति की, और शेष 2.14 लाख अन्य लोगों के स्वामित्व वाली थीं।

पांचवीं गणना के अनुसार, 80.0 प्रतिशत लघु सिंचाई योजनाएं डीजल से चलने वाली थीं ओर 15.5 प्रतिशत विद्युत चालित। 18,034 योजनाएं व्यक्तिगत स्वामित्व वाली नहीं थीं।

6.8 दूरसंचार नेटवर्क

दूरसंचार क्षेत्र बिहार में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में संचार क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 2.2 प्रतिशत था जो 2017-18 में बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक इसका विकास 10.7 प्रतिशत की दर से हुआ जबकि 2017-18 में इसका विकास

16.6 प्रतिशत की दर से हुआ। तालिका 6.25 में प्रति 100 जनसंख्या पर राज्यवार टेलीफोन नेटवर्क दर्शाया गया है। दूरभाष घनत्व का अर्थ प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या होता है। इसमें विगत वर्षों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में - हर जगह सतत विकास होता रहा है। बिहार में दूरभाष घनत्व 2016 के 54 से बढ़कर 2018 में 63 हो गया। ग्रामीण दूरभाष घनत्व के मामले में बिहार का स्थान देश में नीचे से दूसरा है - 44 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति। वहीं, शहरी दूरभाष घनत्व के मामले में बिहार का स्थान ऊपर से दूसरा है -ठीक केरल के बाद। वर्ष 2018 में समग्र दूरभाष घनत्व का राष्ट्रीय औसत 93 कनेक्शनों का थाऔर 136 कनेक्शनों के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर था।

तालिका 6.25 : प्रमुख भारतीय राज्यों के दूरभाष घनत्व

राज्य	2016			2017			2018		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
आंध्र प्रदेश	51	177	86	60	192	97	61	189	53
बिहार	**36**	**166**	**54**	**41**	**187**	**61**	**44**	**221**	**63**
गुजरात	67	145	100	76	166	114	76	161	112
हरियाणा	65	123	86	65	136	91	69	211	121
कर्नाटक	53	179	102	59	198	113	62	182	109
केरल	62	220	102	70	248	115	75	260	122
मध्य प्रदेश	42	124	64	44	129	67	44	124	67
महाराष्ट्र	65	135	99	70	151	110	74	144	108
ओडिशा	50	160	69	58	184	81	62	164	80
पंजाब	72	150	106	81	166	118	81	180	123
राजस्थान	58	162	83	62	187	92	60	171	87
तमिलनाडु	85	140	118	94	151	128	105	155	136
उत्तर प्रदेश	42	145	66	46	168	74	46	164	73
पश्चिम बंगाल	53	145	80	62	169	93	63	159	91
संपूर्ण भारत	**51**	**154**	**83**	**57**	**172**	**93**	**59**	**166**	**93**

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ)

भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है जो पूरे देश में दूरसंचार संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। जनजातीय क्षेत्रों और वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क उपलब्ध कराना निगम का मुख्य एजेंडा है। राज्य में कुल 44.9 हजार गांवों का दूरसंचार संपर्क हुआ है और 35 नए वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। इसका क्षेत्र के लिहाज से 66 प्रतिशत, जनसंख्या के लिहाज से 85 प्रतिशत, और राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ तथा रेलमार्ग के लिहाज से 100 प्रतिशत आच्छादन है। बिहार में कुल गांवों के 68.5 प्रतिशत हिस्से को निगम की सेवा उपलब्ध है (तालिका 6.26)। तालिका 6.27 में राज्य में निगम की अधिसंरचना के विवरण उपलब्ध हैं।

तालिका 6.26 : बीएसएनएल की दूरसंचार जनसांख्यिकी

मद	कुल योग	आच्छादन (%)
क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	94613	66.01
जनसंख्या (करोड़)	10.41	84.68
राजस्व जिले (सं.)	38	100.00
राजस्व अनुमंडल (सं.)	102	100.00
प्रखंड मुख्यालय (सं.)	534	100.00
कुल गांव (सं.)	44874	68.49
राष्ट्रीय उच्चपथ (किमी)	3734	100.00
राज्य उच्चपथ (किमी)	4857	100.00
कुल रेलमार्ग (किमी)	3515	100.00

स्रोत : भारतीय संचार निगम लिमिटेड, पटना

तालिका 6.27 : बीएसएनएल नेटवर्क के फैलाव का विवरण

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
वायरलाइन वाले एक्सचेंज की संख्या	1193	1196	1196	1196	1196	1118
वायरलाइन वाले एनजीएन एक्सचेंज की संख्या	0	0	0	5	16	17
वायरलाइन वाले कनेक्शनों की कुल संख्या (लाख में)	2.08	1.95	1.66	1.56	1.37	1.25
वायरलाइन वाले ब्रॉडबैंड के लिए डीएसलैम एक्सचेंज की संख्या	1146	1160	1111	896	896	896
वायरलाइन वाले इंटरनेट/ ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या (लाख में)	0.57	0.59	0.59	0.59	0.52	0.50
मोबाइल बेस ट्रांसरिसीवर केंद्रों (बीटीएस) की संख्या	2834	3256	3734	3875	4562	4714
वायरलेस इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या (लाख में)	22.51	21.50	23.48	28.76	31.27	35.37
वाइ-फाइ हॉटस्पॉट की संख्या	0	0	0	6	10	20
विंग्स (वाइ-फाइ इंटरनेट टेलीफोनी) की संख्या	जुलाई 2018 से शुरू			91		

स्रोत : भारतीय संचार निगम लिमिटेड, पटना

केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार अधिसंरचना की मजबूती के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों से बिहार भी लाभान्वित हो रहा है।

मोबाइल खंड : अभी कुल 2जी के 3,170 बीटीएस और 3जी के 1,544 नोड बी काम कर रहेहैं। बिहार में मोबाइल नेटवर्क की मजबूती के लिए आठवें (4) चरण में 4जी के 323 बीटीएस और 3जी के 22 बीटीएस लगाने की अनंतिम योजना है।

लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड खंड : बिहार में अभी तक 1,118 लैंडलाइन एक्सचेंज और ब्रॉडबंड सेवाओं के लिए 896 डिएसलैम काम कर रहेहैं। विश्वस्तरीय सेवा के लिए इनको एनजीएन स्विचों के जरिए उत्क्रमित किया जा रहा है। अभी तक 17 एनजीएन लगाए जा चुके हैं और 95 हजार लाइनों के लिए एनजीएन स्विच लगाने की योजना है। साथ ही 2018-19 तक 407 सीडॉट एक्सचेंज को उत्क्रमित करके मैक्स नेक्स्ट जेन स्विच लगाने की भी योजना है। अभी तक ऐसे 47 स्विच उत्क्रमित किए गए हैं।

वाइ-फाइ हॉटस्पॉट खंड : कुल 11 वाइ-फाइ हॉटस्पॉट पहले से काम कर रहेहैं और पर्यटन स्थलों तथा तीर्थस्थलों में 99 और वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाने की योजना है।

फाइबर टू होम (एफटीएच) : राज्य सरकार ने सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और ई-गवर्नेंस के लिए भारत संचार निगम के साथ मिलकर हाइ-स्पीड एफटीएच बॉडबैड कनेक्शन की परियोजना शुरू की है। आरंभ में पहले चरण के तहत इसे 2,000 ग्राम पंचायतों में चालू किया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में इसे शेष 3,200 ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा।

यूएसओएफ परियोजना के तहत ग्रामीण वाइ-फाइ हॉटस्पॉट : सर्वव्यापी सेवा दायित्व (यूएसओ) परियोजना के तहत कुल 895 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की योजना है। इनमें से 9 लगाए जा चुके हैं और अन्य 380 को 2018-19 में वाइ-फाइ सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।

भारत नेट परियोजना : निगम भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अकेला क्रियान्वयन अभिकरण है। इस परियोजना के तहत हाइ-स्पीड ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के लिए 6,043 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 5,886 ग्राम पंचायतों में यह सेवा देने के लिए तैयार है। साथ ही, 110 ग्राम पंचायतों को वाइ-फाइ चौपाल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र मोबाइल परियोजना : निगम के जरिए वामपंथी अतिवाद से प्रभावित कुल 1,836 स्थानों पर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। गृह मंत्रालय द्वारा उन स्थानों की पहचान कर ली गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में यूएसओएफ से अधिकतम 275 करोड़ रु. की सब्सिडी के साथ 156 अतिरिक्त मोबाइल टावर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बिहार में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र परियोजना के तहत 250 बीटीएस लगाए जा चुके हैं।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं व्यवस्था (सीसीआईएनएस) परियोजना : इस परियोजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में 980 पुलिस थानों को रेडियो फ्रिक्वेंसी के तहत संपर्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

6.9 डाक नेटवर्क

भारतीय डाक नेटवर्क देश में संचार की रीढ़ रहा है और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। डाक, बैंकिंग, बीमा, मुद्रा अंतरण और खुदरा सेवाओं के जरिए इसकी पहुंच हमारे जीवन तक है। मार्च 2017 तक बिहार में कुल 9,047 डाकघर मौजूद थे जिनमें से 8,590 (95 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 457 (5 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। संपूर्ण भारत के डाक नेटवर्क में हिस्से के लिहाज से देखें, तो बिहार का देश में मात्र 5.8 प्रतिशत हिस्सा है। यह हिस्सा कम है क्योंकि देश की 8.6 प्रतिशत आबादी बिहार में रहती है। पत्रपेटियों के मामले में शीर्ष पांच राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं जिनका कुल

पत्रपेटियों में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार का देश की कुल पत्रपेटियों में 4.6 प्रतिशत हिस्सा है (तालिका 6.28)।

तालिका 6.28 : भारत के प्रमुख राज्यों में डाक नेटवर्क का विस्तार (31 मार्च, 2017 को)

(संख्या में)

राज्य	डाकघर			पत्रपेटियां		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
आंध्र प्रदेश	9602 (92.5)	774 (7.5)	10376 (6.7)	4331 (14.7)	25179 (85.3)	29510 (6.1)
बिहार	**8590 (94.9)**	**457 (5.1)**	**9047 (5.8)**	**3011 (13.4)**	**19422 (86.6)**	**22433 (4.6)**
छत्तीसगढ़	2890 (91.3)	274 (8.7)	3164 (2.0)	2717 (18.1)	12271 (81.9)	14988 (3.1)
गुजरात	8199 (91.3)	785 (8.7)	8984 (5.8)	4426 (18.2)	19951 (81.8)	24377 (5.0)
हरियाणा	2314 (86.1)	374 (13.9)	2688 (1.7)	1245 (18.7)	5403 (81.3)	6648 (1.4)
झारखंड	2846 (91.3)	272 (8.7)	3118 (2.0)	1277 (9.4)	12361 (90.6)	13638 (2.8)
कर्नाटक	8620 (89.2)	1046 (10.8)	9666 (6.2)	5894 (19.6)	24247 (80.4)	30141 (6.2)
केरल	4179 (82.6)	882 (17.4)	5061 (3.3)	3535 (22.9)	11889 (77.1)	15424 (3.2)
मध्य प्रदेश	7469 (90.2)	810 (9.8)	8279 (5.3)	4274 (11.1)	34121 (88.9)	38395 (7.9)
महाराष्ट्र	11569 (90.0)	1290 (10.0)	12859 (8.3)	7834 (17.1)	37982 (82.9)	45816 (9.4)
ओडिशा	7578 (92.7)	597 (7.3)	8175 (5.3)	2595 (12.4)	18266 (87.6)	20861 (4.3)
पंजाब	3410 (88.3)	454 (11.7)	3864 (2.5)	2705 (18.3)	12045 (81.7)	14750 (3.0)
राजस्थान	9675 (93.8)	636 (6.2)	10311 (6.7)	3636 (13.3)	23785 (86.7)	27421 (5.6)
तमिलनाडु	10280 (84.7)	1859 (15.3)	12139 (7.8)	9723 (23.5)	31652 (76.5)	41375 (8.5)
उत्तर प्रदेश	15735 (89.0)	1935 (11.0)	17670 (11.4)	7300 (12.9)	49290 (87.1)	56590 (11.7)
पश्चिम बंगाल	7779 (85.7)	1294 (14.3)	9073 (5.9)	4416 (16.3)	22615 (83.7)	27031 (5.6)
सभी राज्य	**139067 (89.7)**	**15898 (10.3)**	**154965 (100)**	**78188 (16.1)**	**407250 (83.9)**	**485438 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज ग्रामीण और शहरी कॉलमों के आंकड़े कुल और संपूर्ण भारत में राज्य का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, डाक विभाग, भारत

डाक विभाग नागरिकों को अनेक सेवाएं उपलब्ध कराता है जिनमें रुपए भेजना, बैंकिंग और बीमा भी शामिल हैं। विभाग की वित्तीय सेवाओं के जरिए मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे सामाजिक लाभों के भुगतान का काम भी किया जा रहा है। तालिका 6.29 में देश के प्रमुख राज्यों के विभिन्न प्रकार के लेखों और उनमें बकाया शेष का ब्योरा दिया गया है। डाकघर बैंक के 254 लाख खाताधारी हैं जिनका पूरे देश में 7.1 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में कुल बकाया शेष 25,549 करोड़ रु. था जिसका संपूर्ण भारत में 4.7 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 6.29 : डाकघरों में खातों और बाकी शेषों की संख्या (31, मार्च 2017को)

राज्य	खातों की सं. (लाख में)					बाकी शेष (करोड़ रु. में)				
	जमा	निवेश	मासिक आय योजना	सुकन्या/ महिला समृद्धि योजना	**योग**	जमा	निवेश	मासिक आय योजना	सुकन्या/ महिला समृद्धि योजना	**योग**
आंध्र प्रदेश	462	1	8	9	**480**	12530	1904	9413	1458	25306
बिहार	**236**	**1**	**14**	**4**	**254**	**15777**	**2077**	**7369**	**326**	**25549**
छत्तीसगढ़	39	0	1	2	**42**	4616	721	1724	151	7211
गुजरात	170	2	15	3	**190**	18200	7076	14154	358	39788
हरियाणा	54	1	3	4	**62**	9345	2560	3116	603	15624
झारखंड	111	0	4	5	**121**	3559	180	5286	287	9312
कर्नाटक	155	1	4	10	**170**	13502	3613	5469	1874	24457
केरल	124	0	4	3	**131**	10865	677	2198	573	14312
मध्य प्रदेश	230	1	5	4	**240**	11813	1389	3681	378	17261
महाराष्ट्र	283	6	15	8	**311**	18637	9463	25870	1235	55206
ओडिशा	126	0	4	3	**134**	8452	444	3318	419	12632
पंजाब	63	2	4	3	**71**	15752	6699	5846	437	28734
राजस्थान	179	2	5	4	**191**	12243	4326	5100	452	22121
तमिलनाडु	247	2	5	14	**268**	16507	3776	9490	2005	31778
उत्तर प्रदेश	326	2	14	14	**356**	34293	4915	16129	1413	56751
पश्चिम बंगाल	212	2	50	6	**270**	35148	3540	45210	547	84445
सभी राज्य	**3269**	**28**	**167**	**104**	**3567**	**278766**	**66619**	**180064**	**13827**	**539276**

टिप्पणी : जमा में बचत खातों, आवर्ती जमा, सावधि जमा और वरिष्ठ नागरिक जमा तथा निवेश में लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत योजनाएं शामिल हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, डाक विभाग, भारत

डाक विभाग ने पटना मुख्य डाकघर, भागलपुर जिला मुख्यालय और दरभंगा पीटीसी को विभागीय विरासत भवन घोषित किया है। विभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों में 13 परिक्षेत्रों में 34 डाक औषधालय चलाए जा रहेहैं। बिहार परिक्षेत्र भी उनमें से एक है जिसमें छपरा, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर को डाक औषधालयों के लिए चुना गया है। वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना) के 35 जिलों को चुना गया है। इसके द्वारा डाकघर की शाखाओं के जरिए डाकघर के काउंटरों पर दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत लाभ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। डाक विभाग ने अक्तूबर 2017 से इलक्ट्रॉनिक आइपीओ सेवा की भी बिहार, दिल्ली और कर्नाटक परिक्षेत्रों में पायलट आधार पर शुरुआत की है। पायलट के परिणामों के आधार इसका शीघ्र ही पूरे देश में विस्तार किया जाएगा।

6.10 सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना

वर्तमान सरकार की दो मुख्य प्राथमिकताएं हैं – सुशासन और न्यायपूर्ण विकास। राज्य सरकार ने सुशासन उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक पहलकदमियों के साथ सरकारी तंत्र को मजबूत किया है। सूचना प्रौद्योगिकी ई–गवर्नेंस की मूल आवश्यकता है। यह सुगम और समयबद्ध रूप में ई–गवर्नेंस चलाने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ई–गवर्नेंस मूलतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) के जरिए शासन चलाने का एक तरीका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सरकारी प्रक्रिया में तेजी लाकर त्वरित और उचित निर्णय लेने, पारदर्शिता बढ़ाने और उत्तरदायित्व लागू करने में मदद करता है। इससे भौगोलिक और जनसांख्यिक, दोनो लिहाज से सरकार की पहुंच बढ़ जाती है। अनेक ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के जरिए लगभग प्रत्येक विभाग ई–सेवाएं उपलब्ध कराता है। ई–गवर्नेंस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य आंकड़ा केंद्रों (एसडीसी), राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और मिडलवेयर गेटवेज के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी की अधिसंरचना का विकास किया जा रहा है। इन गेटवेज में राज्य ई–गवर्नेंस सेवा प्रदान गेटवे (एसएसडीजी), राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सेवा प्रदान गेटवे (एनएसडीजी) और मोबाइल ई–गवर्नेंस सेवा प्रदान गेटवे (एमएसडीजी) शामिल हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बिहार में प्रमुख क्षेत्र है। वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक इसका 10.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकासहुआ। वर्ष 2017–18 में इसका विकास 16.6 प्रतिशत की और भी तेज दर के साथ हुआ। वर्ष 2017–18 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में संचार क्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत योगदान था जो 2011–12 के 2.2 प्रतिशत से अधिक है। अभी इंटरनेट कनेक्शन के जरिए किसी भी जगह से घर से काम, दूरस्थ शिक्षा, ई-बैंकिंग, और ई–गवर्नेंस संभव हैं। राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार, सात निश्चय के तहत सुशासन के मकसद से मुफ्त वाइ–फाइ सेवा राज्य द्वारा संचालित सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत हाल के वर्षों से विभिन्न सरकारी शिक्षा संस्थानों, जैसे कि 16 विश्वविद्यालयों, 273 अंगीभूत महाविद्यालयों, 3 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 9 चिकित्सा महाविद्यालयों, 8 कृषि महाविद्यलयों और 10 अन्य शैक्षिक संस्थानों तथा नवनिर्मित संस्थानों में वाइ–फाइ हॉटस्पॉट के जरिए मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इस परियोजना का कुल व्यय 245.53 करोड़ रु. है।

सूचना प्रौद्योगिकी की सुगम सेवाओं के लिए राज्य में समुचित अधिसंरचना निर्मित की जा रही है और अनेक परियोजनाएं प्रगति पर हैं। समय, रकम और प्रयासों में बचत के लिहाज से सरकारी तंत्र को आंकड़े, आवाज और वीडियो आधारित संचार उपलब्ध कराने के मकसद से बिहार राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (बिस्वान) स्थापित किया गया है। इससे वीडियो कंफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सभी प्रखंड मुख्यालयों में 534 पीओपी (उपस्थिति बिंदु), अनुमंडल मुख्यालयों में 101, सभी जिलों में 38 और पटना स्थित राज्य मुख्यालय में एक पीओपीके जरिए इसकी सेवा प्रखंड मुख्यालयों से लेकर राज्य मुख्यालयों तक उपलब्ध होती है। इसके अलावा, राज्य सरकार सभी विचाराधीन कैदियों के लिए वीडियो कंफ्रेंसिंग के जरिए प्रक्रिया का अंग बन जाने के कारण उनके न्यायालय जाने की जरूरत खत्म होने से समय और संसाधनों के उचित उपयोग का पूरा समाधान उपलब्ध करानी की प्रक्रिया में है। राज्य में वीडियो कंफ्रेंसिंग के विभिन्न न्यायालयों में 403 पाइंट, कारागारों में 226 पाइंट और उच्च न्यायालय में एक पाइंट उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य आंकड़ा केंद्र के व्यय में कमी के लिहाज से उसकी क्षमतावृद्धि की जा रही है और एसडीसी क्लाउड स्थापित किया जा रहा है। आंकड़ा केंद्रों की सुरक्षा के लिए एक त्रिस्तीय आंकड़ा केंद्र की योजना बनाई जा रही है जो 2020 में कार्यशील होगा। राष्ट्रीय

ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत नेटवर्क (एनओएफएन) के कुल 2,500 पीओपी उपयोग के लिए तैयार हैं। हर पंचायत में वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाने और वाइ-फाइ उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सेवा केंद्र और ग्राम-स्तरीय उद्यमी (वीएलई) के लिए योजना बनाई गई है। इसके अलावा, अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों से सूचना की आसानी से उपलब्धता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। सेवा प्रदान में सुधार और सूचनाओं तथा आंकड़ों तक तेजी से पहुंच के लिए सेक्लैन (सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क) तैयार किया गया है। सेक्लैन के आच्छादन में ई-ऑफिस, न्यायालय आधारित मॉड्यूल, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, और सभी सचिवालय भवनों में इंटरनेट का उपयोग शामिल है। इन अधिसंरचनाओं से राज्य सरकार को ई-गवर्नेंस के लिए ई-सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। राज्य सरकार ई-गवर्नेंस उपलब्ध कराने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है जिसके जरिए सरकार और नागरिकों के बीच बिना आमने-सामने हुए (फेसलेस), बिना कागज (पेपरलेस) और बिना नगद (कैशलेस) संपर्क-संवाद हो सके। इस पृष्ठभूमि में सरकारी सेवाओं की क्षमता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इस मकसद से नालंदा जिले के राजगिर में 111.17 एकड़ जमीन पर सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आइटी सिटी) बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य की राजधानी पटना में अखंड इंटरनेट संपर्क और अबाध गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी टावर स्थापित किया जा रहा है।

परिशिष्ट

तालिका प 6.1 : बिहार में जिलावार राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (किमी में)

जिला	2013	2014	2015	2016	2017	2018	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-18)	प्रतिशत हिस्सा (2018)
पटना	395	395	395	395	395	395	0.0	8.03
नालंदा	177	177	177	177	177	177	0.0	3.60
भोजपुर	85	85	85	85	85	85	0.0	1.73
बक्सर	55	55	55	55	81	81	8.0	1.65
रोहतास	145	145	145	145	183	183	4.7	3.72
कैमूर	52	52	99	99	99	99	21.2	2.01
गया	120	120	120	120	155	155	5.3	3.15
जहानाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-
अरवल	134	134	134	134	134	134	0.0	2.73
नवादा	84	84	84	84	84	84	0.0	1.71
औरंगाबाद	137	137	137	137	186	186	6.3	3.79
सारण	181	181	181	181	227	227	4.7	4.62
सीवान	54	54	54	54	131	131	19.4	2.67
गोपालगंज	96	96	96	96	96	96	0.0	1.96
पश्चिम चंपारण	112	112	112	112	112	112	0.0	2.28
पूर्व चंपारण	94	94	94	94	126	126	6.0	2.56
मुजफ्फरपुर	258	259	259	259	259	259	0.1	5.28
सीतामढ़ी	136	168	168	168	168	168	4.3	3.41
शिवहर	22	22	22	22	22	22	0.0	0.45
वैशाली	128	128	128	128	128	128	0.0	2.60
दरभंगा	50	50	50	50	50	50	0.0	1.01
मधुबनी	208	208	236	236	236	236	3.9	4.80
समस्तीपुर	66	66	66	66	66	66	0.0	1.33
बेगूसराय	96	96	96	102	102	102	1.8	2.07
मुंगेर	97	73	73	85	85	85	-1.0	1.74
शेखपुरा	12	12	46	46	46	46	49.4	0.93
लखीसराय	45	45	51	51	51	51	3.5	1.03
जमुई	88	112	197	197	197	197	24.2	4.01
खगड़िया	92	92	92	92	92	92	0.0	1.88
भागलपुर	146	146	146	146	146	146	0.0	2.97
बांका	-	11	86	86	86	86	85.4	1.74
सहरसा	79	93	93	93	93	93	3.4	1.89
सुपौल	205	216	216	216	216	216	1.0	4.38
मधेपुरा	109	109	109	109	109	109	0.0	2.22
पूर्णिया	120	116	116	116	116	116	-0.8	2.35
किशनगंज	68	68	68	68	68	68	0.0	1.38
अररिया	154	154	154	154	154	154	0.0	3.12
कटिहार	102	158	158	165	158	158	9.7	3.21
बिहार	**4201**	**4321**	**4595**	**4621**	**4917**	**4917**	**3.9**	**100.00**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.2 : बिहार में जिलावार राज्य उच्चपथ नेटवर्क (किमी में)

जिला	2013	2014	2015	2016	2017	2018	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-18)	प्रतिशत हिस्सा (2018)
पटना	162	199	204	208	208	208	5.5	5.19
नालंदा	172	172	186	192	192	192	3.4	4.80
भोजपुर	153	153	177	167	167	167	2.7	4.17
बक्सर	79	79	78	78	52	52	-8.0	1.30
रोहतास	235	235	231	231	193	193	-4.1	4.81
कैमूर	99	99	91	85	85	85	-4.7	2.11
गया	219	219	247	240	210	210	0.1	5.24
जहानाबाद	-	-	33	33	33	33	0.0	0.83
अरवल	-	-	33	39	39	39	9.3	0.98
नवादा	170	170	185	212	186	186	4.0	4.64
औरंगाबाद	151	151	157	158	124	124	-3.4	3.08
सारण	202	202	196	202	166	166	-3.8	4.15
सीवान	159	159	157	156	86	86	-11.9	2.14
गोपालगंज	82	53	56	53	53	53	-8.4	1.31
पश्चिम चंपारण	102	102	115	115	115	115	3.8	2.87
पूर्व चंपारण	144	144	131	131	128	128	-3.2	3.20
मुजफ्फरपुर	70	70	76	76	76	76	2.3	1.90
सीतामढ़ी	49	49	94	94	94	94	21.4	2.35
शिवहर	14	14	12	12	12	12	-4.4	0.29
वैशाली	151	151	113	113	113	113	-8.3	2.83
दरभंगा	198	198	224	224	224	224	3.8	5.59
मधुबनी	132	132	99	98	98	98	-8.5	2.45
समस्तीपुर	222	222	194	194	194	194	-3.9	4.85
बेगूसराय	42	42	43	43	43	43	0.4	1.06
मुंगेर	11	35	34	34	34	34	24.8	0.85
शेखपुरा	53	53	22	22	22	22	-23.0	0.55
लखीसराय	59	59	49	49	49	49	-5.1	1.23
जमुई	133	109	63	63	63	63	-18.6	1.57
खगड़िया	15	15	18	16	21	21	7.8	0.54
भागलपुर	81	81	72	72	72	72	-3.5	1.80
बांका	215	204	169	169	169	169	-6.4	4.23
सहरसा	135	121	97	81	91	91	-11.3	2.26
सुपौल	150	139	133	134	134	134	-2.6	3.35
मधेपुरा	99	99	100	99	99	99	-0.3	2.46
पूर्णिया	161	149	141	141	141	141	-3.2	3.53
किशनगंज	49	50	49	49	49	49	-0.5	1.21
अररिया	95	94	69	69	69	69	-8.9	1.72
कटिहार	116	100	103	103	103	103	-2.2	2.56
बिहार	**4483**	**4426**	**4253**	**4253**	**4006**	**4006**	**-2.6**	**100.00**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.3 : बिहार में जिलावार मुख्य जिला पथ नेटवर्क (किमी में)

जिला	2013	2014	2015	2016	2017	2018	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-18)	प्रतिशत हिस्सा (2018)
पटना	458	496	565	562	562	670	5.5	5.42
नालंदा	318	390	445	448	448	473	8.6	3.82
भोजपुर	258	250	282	282	282	285	3.0	2.31
बक्सर	126	127	127	127	127	141	0.0	1.14
रोहतास	398	415	366	383	404	423	-0.5	3.42
कैमूर	233	239	264	269	269	302	4.2	2.45
गया	351	601	628	624	627	764	12.7	6.18
जहानाबाद	203	280	289	289	289	299	7.6	2.42
अरवल	-	-	69	65	65	65	-3.1	0.52
नवादा	137	158	157	172	151	145	2.8	1.18
औरंगाबाद	259	245	256	256	256	455	0.3	3.68
सारण	262	219	200	360	365	394	12.3	3.19
सीवान	329	250	292	306	306	301	0.6	2.44
गोपालगंज	312	322	353	353	353	355	3.4	2.87
पश्चिम चंपारण	317	299	294	293	302	377	-1.1	3.05
पूर्व चंपारण	310	330	409	474	462	458	12.3	3.71
मुजफ्फरपुर	394	431	456	467	467	542	4.3	4.39
सीतामढ़ी	222	287	214	214	214	250	-3.6	2.02
शिवहर	33	33	101	101	101	102	40.1	0.82
वैशाली	177	177	179	343	347	345	22.2	2.79
दरभंगा	403	373	412	472	475	485	5.8	3.93
मधुबनी	315	371	381	380	380	401	4.1	3.24
समस्तीपुर	321	385	411	429	429	507	7.1	4.10
बेगूसराय	202	247	246	209	209	209	-0.9	1.69
मुंगेर	45	53	46	46	46	53	-1.1	0.43
शेखपुरा	109	127	137	137	137	137	5.5	1.11
लखीसराय	58	87	91	93	93	104	10.4	0.84
जमुई	184	198	208	208	239	308	5.9	2.49
खगड़िया	129	212	243	243	243	239	15.0	1.94
भागलपुर	253	265	264	264	280	281	2.0	2.27
बांका	264	206	200	200	200	218	-5.8	1.76
सहरसा	358	332	279	279	279	286	-6.5	2.31
सुपौल	470	547	498	505	505	535	0.7	4.33
मधेपुरा	74	87	103	103	103	113	8.7	0.91
पूर्णिया	269	257	227	227	227	338	-4.5	2.74
किशनगंज	234	286	290	221	221	265	-3.6	2.14
अररिया	252	241	376	376	408	480	15.1	3.88
कटिहार	364	304	275	275	275	253	-6.4	2.04
बिहार	**9401**	**10128**	**10634**	**11054**	**11145**	**12357**	**4.4**	**100.00**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.4 : बिहार में जिलावार ग्रामीण पथ नेटवर्क (किमी में)

जिला	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 18 तक)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-18)	प्रतिशत हिस्सा (2018)
पटना	1420.04	1606.60	2085.92	2310.94	2359.26	18.8	3.20
नालंदा	1308.55	1467.32	1605.05	1886.34	1905.21	12.6	2.58
भोजपुर	1094.22	1224.84	1420.41	1594.55	1612.79	13.6	2.19
बक्सर	959.96	1072.94	1242.09	1501.09	1524.76	16.0	2.07
रोहतास	1264.76	1530.92	2079.70	2624.43	2670.14	28.4	3.62
कैमूर	1210.95	1243.77	1342.63	1924.28	1951.09	15.8	2.64
गया	1958.17	2302.30	2667.80	2976.55	3055.69	15.1	4.14
अरवल	467.93	529.41	721.45	1091.65	1097.17	33.0	1.49
जहानाबाद	195.87	221.61	260.13	336.52	347.23	19.5	0.47
नवादा	939.61	1063.06	1247.88	1702.84	1774.22	21.5	2.40
औरंगाबाद	1373.43	1893.87	2324.02	2587.05	2607.13	23.4	3.53
सारण	2018.03	2170.02	2650.30	2985.03	3041.03	14.7	4.12
सीवान	1482.75	1564.41	1736.40	1893.83	1956.93	8.7	2.65
गोपालगंज	1236.37	1398.80	1741.99	1856.46	1950.33	15.5	2.64
पश्चिम चंपारण	1815.14	1827.33	2745.03	2907.32	2928.62	20.0	3.97
पूर्व चंपारण	2515.46	2932.81	3407.93	3550.28	3657.42	12.6	4.96
मुजफ्फरपुर	2448.96	2983.84	3485.23	3667.60	3703.65	14.6	5.02
सीतामढ़ी	1345.04	1482.34	1987.90	2084.66	2158.74	17.4	2.93
शिवहर	308.38	348.90	409.56	455.82	472.63	14.3	0.64
वैशाली	1944.68	2087.04	2249.89	2366.61	2404.25	6.9	3.26
दरभंगा	1910.91	2141.97	2151.85	2284.50	2326.90	5.6	3.15
मधुबनी	2561.58	2750.67	3033.22	3177.49	3219.81	7.7	4.36
समस्तीपुर	1909.16	2046.84	2270.71	2594.10	2661.23	10.8	3.61
बेगूसराय	814.47	921.48	1081.69	1198.86	1208.51	14.1	1.64
मुंगेर	308.72	349.28	410.00	496.31	539.53	17.2	0.73
शेखपुरा	415.29	469.85	490.54	501.83	538.11	6.3	0.73
लखीसराय	316.51	358.09	420.35	461.83	514.68	13.8	0.70
जमुई	1092.07	1335.55	1650.36	2052.18	2080.52	23.4	2.82
खगड़िया	352.01	424.53	493.12	585.92	599.75	18.3	0.81
भागलपुर	1046.76	1284.29	1490.19	1625.21	1645.82	15.8	2.23
बांका	1367.49	1527.15	2102.13	2371.27	2420.98	21.8	3.28
सहरसा	893.31	923.81	949.19	1001.20	1075.95	3.8	1.46
सुपौल	1049.14	1126.39	1191.77	1294.16	1341.59	7.1	1.82
मधेपुरा	1013.38	1172.80	1211.47	1293.49	1349.60	7.9	1.83
पूर्णिया	1954.03	2310.75	2695.11	2888.24	2919.13	14.2	3.96
किशनगंज	1097.96	1455.35	1690.99	1675.69	1732.21	15.2	2.35
अररिया	1975.57	2021.98	2290.90	2452.26	2518.73	8.0	3.41
कटिहार	1407.46	1631.78	1767.64	1863.78	1910.78	9.7	2.59
योग	**48794.11**	**55204.68**	**64802.55**	**72122.20**	**73782.11**	**14.3**	**100.00**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.5 : बिहार में 2016-17 में निबंधित वाहनों के जिलावार आंकड़े

(संख्या)

जिला	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	तिपहिया	दोपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	योग
पटना	4262	415	22674	1866	5030	5124	137320	868	523	1560	179642
नालंदा	503	76	478	138	293	694	23354	1530	1007	382	28455
भोजपुर	552	52	514	167	380	1156	31975	1003	865		36664
बक्सर	162	13	269	38	188	480	11032	360	303		12845
रोहतास	848	81	893	105	92	985	22766	911	655	520	27856
कैमूर	155	37	155	48	111	244	12241	1142	615	1	14749
गया	996	139	1864	183	448	2589	31261	1606	886		39972
जहानाबाद	187	68	85	16	1	518	6158	793	330		8156
अरवल	26	1	33		1	51	2768	19	18	748	3665
नवादा	167	31	196	62	167	202	12192	1209	1083	1086	16395
औरंगाबाद	516	58	647	103	153	1540	14094	1145	1056		19312
सारण	400	24	602	119	467	515	29411	911	238	167	32854
सीवान	665	39	662	244	648	734	28479	1389	27	4	32891
गोपालगंज	255	26	801	47	130	137	21646	897	30	79	24048
पश्चिम चंपारण	1259	10	544	5	147	787	30636	592	22	13	34015
पूर्व चंपारण	623	46	1311	214	361	1175	38047	1632	2	264	43675
मुजफ्फरपुर	4810	1119	3457	777		1989	75019	553	73		87797
सीतामढ़ी	143	21	145	41	124	992	28817	1198	156		31637
शिवहर	5		18	11	15	20	2534	64	6	2	2675
वैशाली	555	61	4435	135	751	807	35520	896	488	343	43991
दरभंगा	824	18	1550	403	693	2591	32791	691	22	351	39934
मधुबनी	192	17	227	122	360	848	27300	1623	415	18	31122
समस्तीपुर	129	14	263	38	18	1226	38755	1092	490	210	42235
बेगूसराय	573	54	1178	174	139	1134	22997	858	541	161	27809
मुंगेर	118		82	87	70	320	9486	2	2	488	10655
शेखपुरा	119	8	35	26	28	79	2802	398	246		3741
लखीसराय	274	6	201	48	8	127	4283	398	182	5	5532
जमुई	101	6	33	24	58	549	9250	588	536	12	11157
खगड़िया	69	3	53	31	159	361	9729	372	317	812	11906
भागलपुर	685	19	1347	199	311	1208	13301	315	228	498	18111
बांका	164	19	68	27	32	200	6830	242	218	1081	8881
सहरसा	134	20	300	47	119	587	12549	924	178		14858
सुपौल	90	216	261	99	14	99	19121	1338	465	17	21720
मधेपुरा	55	15	338	10		935	16358	1172	354	95	19332
पूर्णिया	2026	79	2776	327	1005	4207	34354	893	160	2343	48170
किशनगंज	45	5	551	18	4	688	26447	624	39	101	28522
अररिया	24	11	551	10	123	746	17125	1279	650	12	20531
कटिहार	62	6	268	31	20	451	30037	1156	474	60	32565
बिहार	**22773**	**2833**	**49865**	**6040**	**12668**	**37095**	**928785**	**32683**	**13900**	**11433**	**1118075**

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 7

ऊर्जा क्षेत्र

तीव्र आर्थिक विकास के लिए बिजली की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बिजली सभी कृषीतर गतिविधियों के लिए ही नहीं, बिजली आधारित सिंचाई व्यवस्था के कारण कृषि कार्यों के लिए भी जरूरी है। पहले भी चर्चा की गई है कि बिहार की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ती रही है और इसलिए आने वाले वर्षों में विकास का वर्तमान आवेग सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ जाता है। उत्पादन संबंधी गतिविधियों के अलावा, बिजली जीवन को अधिक आरामदेह और आनंददायी बनाने वाली सुख-सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिहाज से घरों के लिए भी जरूरी है। निस्संदेह, विकास संबंधी सात बुनियादी संकल्पों को सूचित करने वाले राज्य सरकार के 'सात निश्चय' के तहत 'हर घर बिजली' इसका तीसरा घटक है। इस घटक के तहत हर घर के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए बिहार में विद्युत कंपनियां सभी विद्युतरहित गांवों में दिसंबर 2017 तक और सभी टोलों में अप्रील 2018 तक बिजली पहुंचा देने के लक्षित समय के अंदर ही बिजली पहुंचा देने में सफल रही हैं। इसके अलावा, सभी इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य भी दिसंबर 2018 के बजाय अक्तूबर 2018 तक ही हासिल कर लिया गया है।

7.1 बिजली की उपलब्धता

बिहार में बिजली की चरम मांग पूरी करने के मामले में काफी सुधार हुआ है और उपलब्धता 2011-12 के 1712 मेगावाट से 2017-18 में 4,535 मेगावाट हो गई है; अर्थात पिछले छः वर्षों में बिजली की उपलब्धता लगभग 165 प्रतिशत बढ़ी है (तालिका 7.1)। वर्तमान वित्त वर्ष में सितंबर 2018 तक चरम मांग 5,139 मेगावाट की नई ऊंचाई तक पहुंच गई है। तालिका से स्पष्ट है कि 2012-13 तक लगभग 30 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी (पीक डेफिसिट) रहती थी। वर्ष 2017-18 तक यह कमी घटकर लगभग 9 प्रतिशत रह गई। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे से बढ़कर 18-20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे से बढ़कर 22-24 घंटे हो जाने के कारण राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2016-17 में 280 किलोवाट आवर हो गई। यह छः वर्षों में लगभग 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाती है।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है (तालिका 7.2)। वर्ष 2017-18 में बिजली की खपत के मामले में शीर्ष तीन जिले थे - पटना (496.5 करोड़ यूनिट), गया (152.2 करोड़ यूनिट) और नालंदा (100.8 करोड़ यूनिट)। दूसरी ओर, सबसे पीछे के तीन जिले शिवहर (7.6 करोड़ यूनिट), अरवल (13.5 करोड़ यूनिट) और शेखपुरा (17.6 करोड़ यूनिट) थे।

तालिका 7.1 : विद्युत परिदृश्य (2011-12 से 2017-18)

विशेषताएं	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
चरम मांग (मेगावाट)	2500	2650	3150	3500	4112	4405	4965
चरम पूर्ति (मेगावाट)	1712	1802	2335	2831	3459	3769	4535
चरम कमी/ अधिशेष (मेगावाट) (-/+)	-788	-848	-815	-669	-653	-636	-430
चरम कमी/ अधिशेष (%) (-/+)	-31.5	-32.0	-25.9	-19.1	-15.6	-14.4	-9.4
ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	1445.4	1532.1	1821.2	2222.6	2555.0	2824.5	3009.5
ऊर्जा की उपलब्धता (करोड़ यूनिट)	1214.5	1326.7	1504.5	1873.1	2167.9	2397.8	2678.8
ऊर्जा की कमी/ अधिशेष (करोड़ यूनिट) (-/+)	-230.9	-205.4	-346.4	-349.5	-387.1	-426.7	-529.6
ऊर्जा की कमी/ अधिशेष (%) (-/+)	-16.0	-13.4	-19.0	-15.7	-15.2	-15.10	-12.34
प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट आवर)	134	145	160	203	258	272	280

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.2 : बिजली की जिलावार खपत

जिला	खपत (करोड़ यूनिट)				जिला	खपत (करोड़ यूनिट)			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	395.9	419.7	471.3	496.5	दरभंगा	38.1	48.2	52.2	57.0
नालंदा	67.2	81.3	94.0	100.8	मधुबनी	32.5	40.7	46.9	51.2
भोजपुर	38.0	49.4	60.1	71.5	समस्तीपुर	34.3	45.3	50.1	57.2
बक्सर	27.6	35.1	43.9	45.2	बेगूसराय	37.0	45.2	48.8	54.7
रोहतास	62.5	78.5	84.2	100.4	मुंगेर	25.5	31.0	36.8	38.2
कैमूर	35.8	43.2	54.6	71.2	शेखपुरा	11.4	13.6	16.5	17.6
गया	100.3	121.4	136.5	152.2	लखीसराय	17.1	21.3	30.0	32.7
जहानाबाद	21.6	27.3	33.7	36.3	जमुई	16.7	19.1	27.8	32.8
अरवल	6.9	9.5	12.0	13.5	खगड़िया	13.4	18.0	19.4	21.8
नवादा	16.1	28.6	37.4	46.6	भागलपुर	62.8	71.4	81.2	84.2
औरंगाबाद	32.1	49.7	75.9	87.7	बांका	16.1	21.5	30.8	29.6
सारण	45.9	60.5	66.1	74.0	सहरसा	18.5	28.2	30.9	30.0
सीवान	23.3	29.1	35.0	49.7	सुपौल	18.5	26.4	28.4	29.4
गोपालगंज	19.5	29.4	34.2	42.8	मधेपुरा	16.5	23.5	25.5	28.3
पश्चिम चंपारण	26.0	40.2	43.8	54.3	पूर्णिया	35.8	38.2	42.7	48.4
पूर्वी चंपारण	34.1	42.8	46.6	65.4	किशनगंज	14.3	18.8	19.7	21.5
मुजफ्फरपुर	73.5	91.6	93.7	98.6	अररिया	16.1	20.7	26.9	30.6
सीतामढ़ी	20.1	27.0	29.5	40.9	कटिहार	18.8	25.5	27.6	34.5
शिवहर	3.3	5.0	5.9	7.6					
वैशाली	44.4	58.6	63.6	64.0	**बिहार**	**1537.5**	**1884.5**	**2164.2**	**2418.9**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.2 बिजली की जरूरत का अनुमान

अपने सभी नागरिकों को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना निस्संदेह सामाजिक समानता का पर्यायवाची है। इसीलिए पहले भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 तक 'हर घर बिजली' पहुंचाने का संकल्प लिया है। हालांकि पहले भी बताया जा चुका है कि इसे लक्षित समय से दो महीने पहले ही अक्तूबर 2018 तक हासिल कर लिया गया है। अभी राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगले चरण में नए और डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद, दोनो प्रकार के खेती वाले पंपसेटों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसे मिशन मोड में चलाया जा रहा है और इसे दिसंबर 2019 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

आने वाले वर्षों में राज्य में बिजली की मांग में तेज उछाल आएगा। इसका मुख्य कारण पूर्ण विद्युतीकरण के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेवा कनेक्शन देना, खेतिहर उपभोक्ताओं की संख्या में तेज उछाल, वर्तमान उपभोक्ताओं की मांगों में वृद्धि (बिजली के उपकरणों के व्यापक उपयोग के कारण), और राज्य का औद्योगीकरण है। तालिका 7.3 में 2018-19 से 2020-21 की अवधि में सभी उपभोक्ताओं की बिजली की वार्षिक जरूरत का अनुमान पेश किया गया है।

तालिका 7.3 : ग्रामीण और शहरी घरों के लिए बिजली की वार्षिक आवश्यकता

(आंकड़े करोड़ यूनिट में)

घरों की श्रेणी	2018-19	2019-20	2020-21
वर्तमान विद्युतीकृत घर	1451.8	1610.8	1740.8
नए घर	37.2	84.8	91.6
कुल घरेलू आवश्यकता	1489.0	1695.6	1832.4
घरेलू से भिन्न उपभोक्ता	820.4	922.5	1049.2
नए कृषि कनेक्शन	75.0	103.4	155.1
योग	2384.4	2721.5	3036.7

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.4 में वितरण जनित ह्रास और राज्य के अंदर संचरण जनित ह्रास को ध्यान में रखते हुए राज्य की सीमा में बिजली की अनुमानित जरूरत दर्शाई गई है। वर्ष 2020-21 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 6,381 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 3,689.4 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है।

तालिका 7.4 : राज्य की सीमा में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग

सूचक	2018-19	2019-20	2020-21
मांग के अनुमान के अनुसार ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	2384.4	2721.5	3036.7
वितरण जनित ह्रास (प्रतिशत)	24	15	15
अंतर-राज्य संचरण जनित ह्रास (प्रतिशत)	3.92	3.92	3.92
राज्य की सीमा में ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	3262.4	3304.8	3689.4
0.734 लोड फैक्टर पर चरम मांग (मेगावाट)	5172	5868	6381
0.734 लोड फैक्टर पर चरम मांग (मेगावाट) (मात्र 50 प्रतिशत तक कृषि लोड सहित)	5032	5624	6091

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

मार्च 2018 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 3,889 मेगावाट थी। बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2020-21 तक विभिन्न स्रोतों से 2,522 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना पहले ही बना चुकी है। ये स्रोत हैं - अपने उत्पादन केंद्र, केंद्रीय उत्पादन केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए दीर्घकालिक/ मध्यकालिक खरीद समझौते (पीपीए)। इस बढ़ी क्षमता के स्रोतवार विवरण तालिका 7.5 में प्रस्तुत हैं। वर्तमान उत्पादन योजना के अनुसार, 2020-21 तक (नई या निर्माणाधीन परियोजनाओं अथवा जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण वाली पुरानी परियोजनाओं से) 2,522 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाने की आशा है। वर्ष 2020-21 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 6,411 मेगावाट हो जाने की आशा है, जिसमें से 5,053 मेगावाट पारंपरिक बिजली होगी और शेष 1358 मेगावाट अपारंपरिक।

तालिका 7.5 : क्षमता विस्तार का वर्षवार और स्रोतवार ब्योरा

(आंकड़े मेगावाट में)

स्रोत	मार्च 2018	प्रस्तावित संचयी क्षमता		
		2018-19	2019-20	2020-21
राजकीय क्षेत्र				
राजकीय तापविद्युत	110	0	0	0
राजकीय लघु जलविद्युत	10	10	10	10
केंद्रीय उत्पादन केंद्रों का हिस्सा				
केंद्रीय उत्पादन केंद्र -तापविद्युत	2596	3178	3708	3945
केंद्रीय उत्पादन केंद्र -जलविद्युत	469	719	719	719
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परियोजनाएं (केस 1)	260	537	537	537
संयुक्त उद्यम/ साझेदारी (तापविद्युत)	220	521	571	571
अपारंपरिक ऊर्जा/ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	224	229	629	629
योग	**3889**	**5194**	**6174**	**6411**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.6 : विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (2018-19 से 2020-21)

वर्ष	कुल क्षमता (मेगावाट)	राज्य की सीमा में अनुमानित चरम उपलब्धता (मेगावाट)	राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट)
2018-19	5194	4965	2619.0
2019-20	6174	5665	3212.4
2020-21	6411	5902	3663.5

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

हालांकि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की 0.73 प्रतिशत अतिरिक्त उपलब्धता के जरिए राज्य में 2018-19 में बिजली की 1.33 प्रतिशत चरम कमी की भरपाई 2019-20 में हो जाएगी। लेकिन कमी 2020-21 में थोड़ा बढ़कर 3.10 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है जिसकी पूर्ति बिजली की अल्पकालिक खरीद के जरिए होगी। ऊर्जा की जरूरत और उपलब्धता के बीच मौजूद फासले में लगातार कमी आने और 2018-19 में 19.72 प्रतिशत से 2020-21 में 0.70 प्रतिशत रह जाने की आशा है। इस कमी की पूर्ति खुले बाजार से बिजली खरीदकर की जाएगी।

तालिका 7.7 : विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी (2018-19 से 2020-21)

विद्युत आपूर्ति की स्थिति	2018-19	2019-20	2020-21
मात्र 50 प्रतिशत कृषिगत लोड (**)के साथ अनुमानित चरम आवश्यकता (मेगावाट)	5032	5624	6091
राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार अनुमानित चरम उपलब्धता (मेगावाट)	4965	5665	5902
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (मेगावाट)	(-) 67	(+) 41	(-)189
चरम मांग अधिशेष/ कमी (प्रतिशत)	(-) 1.33	(+) 0.73	(-) 3.10
राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता (करोड़ यूनिट)	3262.4	3304.8	3689.4
राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट)	2619.0	3212.4	3663.5
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (करोड़ यूनिट)	(-)643.4	(-)92.4	(-)25.9
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)	(-)19.72	(-) 2.80	(-)0.70

टिप्पणी : (**) 50 प्रतिशत कृषिगत लोड की आपूर्ति बारी-बारी से की जाएगी।
स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.3 विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा

अप्रील 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत किया गया था और उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और बिजली संबंधी अन्य गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेवारी दी गई थी। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2012 के तहत, नवंबर 2012 में बोर्ड को पांच कंपनियों में बांट दिया गया -(i) बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.एच.सी.एल.), (ii) बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.जी.सी.एल.), (iii) बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.टी.सी.एल.), (iv) उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) और (v) दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एस.बी.पी.डी.सी.एल.)। नई बनी कंपनियों के दायित्व संक्षेप में नीचे वर्णित हैं।

बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.एच.सी.एल.) : इस कंपनी को नई बनी चार कंपनियों - बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड - के शेयरों का स्वामित्व दिया गया है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का भी स्वामित्व दिया गया है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियां, संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व भी सुपुर्द किए गए हैं। यह मुख्यतः एक निवेश कंपनी होगी। यह अन्य कंपनियों के कार्यों का समन्वय करेगी, विवादों का निपटारा करेगी तथा उन्हें सारे आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी।

बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (बी.एस.पी.जी.सी.एल.) : यह कंपनी विद्युत उत्पादन में लगी अनुषंगी कंपनियों सहित अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों का समन्वय करने और उन्हें सुझाव देने के लिए जवाबदेह है। समन्वय और सुझाव की भूमिकाओं में उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा संबंधित

सुविधाओं से संबंधित सारे मामले शामिल हैं। यह ईंधन की खरीद और विभिन्न स्थलों तक उनकी ढुलाई तथा लंबित विवादों के निपटारे के लिए भी जवाबदेह है।

बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. (बी.एस.पी.टी.सी.एल.) : यह कंपनी विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण विषयक परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है तथा संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। योजना निर्माण और समन्वय संबंधी कार्यों के अलावा, उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों (लोड सेंटर) तक जोड़कर बिजली पहुंचाने के लिए अंतर-राज्य संचरण लाइनों की कुशल व्यवस्था विकसित करने की भी आशा कंपनी से की जाती है।

उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) : ये दोनो कंपनियां सभी उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, बिजली का व्यापार और विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करती हैं। ये योजनाएं हैं – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना), विशिष्ट पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), समेकित विद्युत विकास प्रणाली (आइ.पी.डी.एस.), राज्य योजना और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाएं। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाएं बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 और नियंत्रक के दिशानिर्देश के अनुसार वितरण की खुली उपलब्धता शुरू करने का काम भी दोनो कंपनियों का दायित्व है। वे विद्युत क्रय समझौतों तथा बिजली की खरीद या बिक्री संबंधी अन्य समझौतों के लिए निविदा जारी करती हैं, उन्हें अंतिम रूप देती हैं और निष्पादित करती हैं।

वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियों – बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आबंटन 3,110.92 करोड़ रु. था जो 2017-18 में बढ़कर 8,271.59 करोड़ रु. हो गया था। वर्ष 2018-19 के लिए परिव्यय 6,185.63 करोड़ रु. है। विभिन्न शीर्षों के तहत इसका ब्योरा तालिका 7.8 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.8 : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन

(करोड़ रु.)

वर्ष	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	राज्य योजना						बिहार राज्य जल विद्युत निगम (RIDF)	बाहरी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं	मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना	योग
		बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कं. लि.	उत्पादन	संचरण	वितरण	ब्रेडा	बिहार राज्य जल विद्युत निगम				
2013-14	2125.00	367.35	25.00	25.00	215.00	50.00	15.00	63.57	225.00	-	3110.92
2014-15	1650.00	369.21	61.68	661.00	1099.18	20.00	38.93	69.92	220.00	-	4189.92
2015-16	2274.00	64.43	181.01	448.99	486.00	60.00	15.00	67.80	66.26	-	3663.49
2016-17	1329.40	127.50	1155.00	700.00	3126.65	150.00	10.00	67.80	260.91	587.38	7514.64
2017-18	2600.00	1576.10	592.50	510.00	1680.00	249.90	10.00	67.80	235.29	750.00	8271.59
2018-19	2013.83	1399.14	61.85	500.00	1450.00	75.00	20.00	5.80	100.00	560.00	6185.63

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.4 वितरण कंपनियां

वितरण पूरी विद्युत आपूर्तिशृंखला का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि यह राजस्व अर्जित करने वाली अकेली शाखा है। इसी राजस्व के बूते राज्य सरकार केंद्रीय क्षेत्र से अधिक बिजली खरीदकर पूरी आपूर्तिशृंखला में सुधार कर पाती है। इस लिहाज से विद्युत क्षेत्र के सुधारों की प्रमुख चुनौती वितरण क्षेत्र का कुशल प्रबंधन है। बिहार में वितरण व्यवस्था दो वितरण कंपनियों के जिम्मे है – उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि.। मार्च 2018 तक ये कंपनियां 115 लाख से भी अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा दे रही थीं।

तालिका 7.9 : प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या (बिलिंग के आंकड़ों के अनुसार)

वर्ष	प्रभावी उपभोक्ताओं की संख्या								
	घरेलू	व्यावसायिक	औद्योगिक (निम्न विभव)	औद्योगिक (उच्च विभव)	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	ट्रैक्शन	कृषि	सार्वजनिक जल प्रदाय	योग
2012-13	3773077 (91.3)	279879 (6.8)	18816 (0.5)	1317 (0.03)	399 (0.01)	17 (नगण्य)	57838 (1.4)	1098 (0.03)	4132441 (100.0)
2013-14	3900733 (91.9)	273466 (6.4)	15851 (0.4)	1422 (0.03)	389 (0.01)	19 (नगण्य)	51989 (1.2)	1192 (0.03)	4245061 (100.0)
2014-15	5174585 (92.5)	346375 (6.2)	19599 (0.4)	1582 (0.03)	511 (0.01)	19 (नगण्य)	52980 (0.9)	1302 (0.02)	5596953 (100.0)
2015-16	7407609 (92.5)	488690 (6.1)	31405 (0.4)	1922 (0.03)	1237 (0.02)	19 (नगण्य)	75087 (0.9)	1760 (0.02)	8007729 (100.0)
2016-17	9499943 (91.9)	616512 (6.0)	57433 (0.6)	2050 (0.02)	679 (0.01)	22 (नगण्य)	162188 (1.6)	2030 (0.02)	10340859 (100.0)
2017-18	10616565 (91.8)	672149 (5.8)	79489 (0.7)	2541 (0.02)	2199 (0.02)	23 (नगण्य)	186436 (1.6)	3173 (.03)	11562575 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

दोनो वितरण कंपनियां अपने वितरण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए पहले से ही कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। इन जारी योजनाओं में ट्रांसफर्मर बदलना, नए ट्रांसफर्मर खरीदना, उच्च विभव और निम्न विभव वाली मौजूदा लाइनों के पुराने कंडक्टर बदलना और नई उच्च विभव और निम्न विभव लाइनें, पावर सिस्टम स्टैबलाइजर (पीएसएस) और बे निर्मित करना शामिल हैं।

7.5 कार्य संचालन और वित्त संबंधी स्थिति

बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरिण जनित ह्रास को छोड़कर) 2013-14 के 1,400.2 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2017-18 में 2,555.9 करोड़ यूनिट हो गई। बिजली की बिक्री बढ़ने के साथ राजस्व

संग्रहण भी बढ़ा है। वर्ष 2016–17 में लागत वसूली 90 प्रतिशत से अधिक थी लेकिन 2017–18 में यह 80 प्रतिशत रह गई है। दोनो विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति तालिका 7.10 में वर्णित है।

तालिका 7.10 : विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति

मद	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी
उत्पादन और खरीद (करोड़ यूनिट)	538.1	862.1	702.9	1038.8	892.9	1274.8	964.7	1338.0	1098.3	1457.6
बिक्री (करोड़ यूनिट)	360.5	463.7	500.4	581.4	650.5	719.9	719.5	866.1	874.5	950.3
ह्रास (प्रतिशत)	33.0	46.2	28.8	44.0	27.4	43.5	25.6	35.6	20.38	34.80
औसत राजस्व (रु./ यूनिट)	4.17	4.86	4.19	4.37	4.14	4.45	4.02	4.58	5.48	6.02
बिजली की बिक्री (करोड़ रु.)	1503.66	2254.77	2095.00	2540.28	2696.24	3202.37	2890.80	3971.21	4797.74	5717.51
सब्सिडी सहित कुल आय (करोड़ रु.)	2723.69	4190.81	3559.74	4610.37	4475.11	6309.15	4620.48	6754.77	5073.21	6189.13
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2797.95	4459.50	3856.53	5357.92	4814.55	7043.32	5133.91	7527.08	5813.70	8519.72
लागत वसूली (कुल आय/ कुल व्यय) (प्रतिशत)	97.4	94.0	92.3	86.0	92.9	89.6	90.0	89.7	87.3	72.6
वित्तीय घाटा (प्रतिशत)	2.6	6.0	7.7	14.0	7.1	10.4	10.0	10.3	12.7	27.4

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

एक तो तेज आर्थिक विकास और दूसरे, जनसंख्या में वृद्धि, दोनो ही कारणों से बिजली की मांग हाल के वर्षों में लगातार बढ़ती गई है। इसकी परिणति उच्च सकल संचरण एवं वितरण (ए.टी. एंड सी.) ह्रास में हुई है जिसका कारण खास तौर पर बड़े पैमाने के ग्रामीण विद्युतीकरण है (तालिका 7.11)। वर्ष 2017–18 में यह आंकड़ा 30.22 प्रतिशत था। वर्ष 2016–17 में तो यह आंकड़ा और भी अधिक (40.60 प्रतिशत) था। वितरण कंपनियां सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने के साथ-साथ बिल निर्माण और संग्रहण व्यवस्था में सुधार करके इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही हैं। इन ह्रासों में कमी लाने के लिए फीडर और वितरण ट्रांसफर्मर के स्तर पर लेखाकरण और अंकेक्षण जरूरी हैं और वितरण कंपनियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है।

तालिका 7.11 : बिहार में संचरण एवं वितरण ह्रास (टाइम सीरीज के आंकड़ों वाली तालिका)

वर्ष	संचरण एवं वितरण ह्रास (प्रतिशत)
2011-12	59.24
2012-13	54.63
2013-14	46.33
2014-15	43.82
2015-16	43.54
2016-17	40.60
2017-18	30.22

टिप्पणी : संचरण एवं वितरण ह्रास की गणना पीएफसी फॉर्मूला का उपयोग करके की गई है (नेपाल छोड़कर)

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.6 विद्युतीकरण और वितरण योजनाओं के कार्यक्रम

विद्युत आपूर्ति का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम हैं- समेकित विद्युत विकास योजना (आइपीडीएस) (पूर्व में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम - आर-एपीडीआरपी), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) तथा विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)। इन कार्यक्रमों की प्रगति नीचे प्रस्तुत है :

समेकित विद्युत विकास योजना

पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को नई शुरू की गई समेकित विद्युत विकास योजना (आइपीडीएस) में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के कई घटक हैं - वितरण क्षेत्र का सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमीकरण, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, शहरी क्षेत्रों में उप-संचरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफर्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं का मीटरीकरण।

पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के भाग-क के तहत 67 शहरों (4 फ्रैंचाइजी शहरों को छोड़कर) में काम पूरा हो गया है। योजना के भाग-ख के तहत 60 शहरों और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 7 शहरों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का काम भी पूरा हो गया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 7 शहरों में काम पूरा हो गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य काम के समय अनुश्रवण और नियंत्रण उपलब्ध कराना, ह्रास को न्यूनतम करना, लोड संतुलित करना और वोल्टेज संबंधी विवरणी में सुधार लाना है।

नई शुरू की गई योजना - समेकित विद्युत विकास योजना का क्रियान्वयन बिहार के 133 शहरों में किया जा रहा है। इसका मकसद उप-संचरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाना, फीडरों/ वितरण ट्रांसफर्मरों/ उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाना, और शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम और समेकित विद्युत विकास योजना के तहत पूंजीगत व्यय के विवरण तालिका 7.12 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 7.12 : पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम तथा समेकित विद्युत विकास योजना का पूंजीगत व्यय

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत परियोजना के घटक	परिव्यय (करोड़ रु.)	किया गया व्यय (करोड़ रु.)
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम–भाग क	253.68	156.29
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम–भाग ख	1155.21	988.55
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम-स्काडा	38.00	15.91
समेकित विद्युत विकास योजना (सूचना प्रौद्योगिकी और ERP)	67.68	0.00
समेकित विद्युत विकास योजना (प्रणाली सुदृढ़ीकरण)	2144.36	674.84
योग	**3658.93**	**1835.59**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

केंद्र सरकार ने समेकित विद्युत विकास योजना के तहत बिहार के छः और शहरों – मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कहलगांव, गया, बोधगया और आरा – में प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और अन्य सहायक कार्यों के लिए एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का व्यय 529.97 करोड़ रु. है। साथ ही उसने विभिन्न शहरों के लिए जीआइएस विद्युत उप-केंद्रों के लिए भी एक योजना स्वीकृत की है जिसका व्यय 179.80 करोड़ रु. है। अभी दूसरी योजना के लिए निविदा संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

केंद्र सरकार द्वारा बारहवीं और तेरहवीं योजनाओं के दौरान स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब केंद्र सरकार की नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना और कृषि तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए उचित आपूर्ति बहाल करने में सहयोग करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफर्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं के मीटरीकरण सहित उप-संचरण और वितरण अधिसंरचना का सुदृढ़ीकरण और क्षमतावृद्धि।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्वीकृत परिव्यय को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में अंतरित करके राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 88.7 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाला बिहार देश का सबसे अधिक ग्रामीणीकृत राज्य बना हुआ है। इस संबंध में राष्ट्रीय औसत 68.9 प्रतिशत ही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ग्रिड के साथ जुड़ाव में सुधार करना अत्यंत जरूरी है। इसे देखते हुए राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम पूरा कर दिया गया है। योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति तालिका 7.13 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.13 : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के तहत कार्य की प्रगति

A				B					
अभिकरण/ लक्ष्य/ उपलब्धि	दसवीं योजना	ग्यारहवीं योजना	योग	अभिकरण/ लक्ष्य/ उपलब्धि	ग्यारहवीं योजना चरण-2	बारहवीं योजना	विकेंद्रित वितरित उत्पादन के तहत	UEV में परिवर्तित विकेंद्रित वितरित उत्पादन	योग
अविद्युतीकृत ग्राम विद्युतीकरण (UEV)				अविद्युतीकृत ग्राम विद्युतीकरण					
लक्ष्य				लक्ष्य					
उ.बि.वि.वि.कं.	5954	4108	10062	उ.बि.वि.वि.कं.	384	1403	59	153	1999
द.बि.वि.वि.कं.	10627	697	11324	द.बि.वि.वि.कं.	757	327	154	68	1306
योग	16581	4805	21386	योग	1141	1730	213	221	3305
उपलब्धि				उपलब्धि					
उ.बि.वि.वि.कं.	5954	4108	10062	उ.बि.वि.वि.कं.	384	1403	59	153	1999
द.बि.वि.वि.कं.	10627	697	11324	द.बि.वि.वि.कं.	757	327	154	68	1306
योग	16581	4805	21386	योग	1141	1730	213	221	3305
अंशत: विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण (PEV)				अंशत: विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण (PEV)					
लक्ष्य				लक्ष्य					
उ.बि.वि.वि.कं.	-	5969	5969	उ.बि.वि.वि.कं.	3510	14819	0	0	18329
द.बि.वि.वि.कं.	-	106	106	द.बि.वि.वि.कं.	9534	7030	0	0	16564
योग	-	6075	6075	योग	13044	21849	0	0	34893
उपलब्धि				उपलब्धि					
उ.बि.वि.वि.कं.	-	5969	5969	उ.बि.वि.वि.कं.	3510	14819	0	0	18329
द.बि.वि.वि.कं.	-	106	106	द.बि.वि.वि.कं.	9534	7030	0	0	16564
योग	-	6075	6075	योग	13044	21849	0	0	34893

(गांवों की संख्या के आंकड़े)

टिप्पणी : उ.बि.वि.वि.कं. = उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी; द.बि.वि.वि.कं.=दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)

केंद्र सरकार की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए बनाई गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित योजना है। इस निधि के जरिए चिन्हित किए गए पिछड़े जिलों में हो रहे विकासमूलक प्रवाहों के पूरक के बतौर तथा उनको एक जगह लाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका लक्ष्य स्थानीय अधिसंरचना में और मौजूदा प्रवाहों के जरिए उपयुक्त ढंग से पूरी नहीं हो रही विकास संबंधी अन्य जरूरतों के मामले में मौजूद गंभीर कमियों को दूर करना है। निधि के जरिए स्थानीय तौर पर महसूस की जा रही जरूरतों के संबंध में भागीदारी आधारित योजना निर्माण, निर्णय लेने, और क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने में सहयोग किया जाता है। इसके जरिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में सुधार लाने में भी मदद की जाती है। इस योजना को चार भागों में बांटा गया है - चरण-1, चरण-2, चरण-2 (भाग-ग) और ग्रामीण विद्युतीकरण। उक्त योजनाओं का अनुमानित व्यय 6,309.56 करोड़ रु. है। दिसंबर 2018 तक 4,954.92 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके थे-उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के तहत 2,863.90 करोड़ रु. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी के तहत 2,091.02 करोड़ रु.।

सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली

'हर घर बिजली' राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक है। इसका लक्ष्य हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन देना है। सभी ग्रामीण बीपीएल परिवार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत आच्छादित हैं लेकिन ग्रामीण एपीएल परिवारों के लिए सेवा के कनेक्शन देने के लिए कोई योजना नहीं थी। इसीलिए ग्रामीण एपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत नया सेवा कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई। इसी बीच केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अक्तूबर 2017 में पूरे देश के हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य (सहज बिजली हर घर योजना) को स्वीकृति प्रदान करते हुए एक स्मारपत्र जारी किया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने कनेक्शन के लिए 3,000 रु. प्रति परिवार और सभी परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए 1,500 रु. प्रति परिवार स्वीकृत किया है।

योजना में प्रावधान है कि जो राज्य सरकारें पारिवारिक विद्युत कार्यक्रम खुद से चला रही हैं, उन्हें भी इस योजना के लागू होने की तिथि से इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकार की योजना सौभाग्य के साथ संगतिपूर्ण हो और उसमें इस योजना के सारे दिशानिर्देशों का पालन किया जाता हो। राज्य सरकार ने सौभाग्य योजना को अपना लिया है और मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना को सौभाग्य योजना में समाहित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 32,59,041 इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन देने के साथ योजना अक्तूबर 2018 में पूरी हो गई है। शहरी क्षेत्रों में मांग के आधार पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

रिकंडक्टरिंग योजना

विद्युत अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिहाज से 33 केवी, 11 केवी और निम्न विभव वाली लाइनों के सारे मौजूद कंडक्टरों, खंभों, ब्रैकेट और इनसुलेटरों को बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीकरण एवं

आधुनिकीकरण की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने 1,062 सर्किट किमी 33 केवी लाइन, 25,272 सर्किट किमी 11 केवी लाइन और 45,339 सर्किट किमी निम्न विभव लाइन को बदलने के लिए 3,070.23 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। इस रकम में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी का 1,652.15 करोड़ रु. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी का 1,418.08 करोड़ रु. हिस्सा है। मार्च 2018 में ई-निविदा के जरिए परिक्षेत्र-वार टर्न-की अभिकरणों को चुना गया है और योजना का काम तीन वर्षों के अंदर पूरा कर लेने के लिहाज से काम शुरू कर दिया गया है। 'हर घर बिजली' योजना का काम अक्तूबर 2018 में पूरा हो जाने के बाद इस योजना ने आवेग प्राप्त कर लिया है। इस योजना की प्रगति तालिका 7.14 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.14 : रिकंडक्टरिंग योजना की स्थिति

क्र.सं.	लाइन (सर्किट किमी में)	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी		दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी		योग	
		संभावना	उपलब्धि	संभावना	उपलब्धि	संभावना	उपलब्धि
1	33 केवी लाइन	684	4.30	378	5.00	1062	9.30
2	11 केवी लाइन	13357	499.30	11915	315.94	25272	815.24
3	निम्न विभव लाइन	25500	1567.33	19839	772.26	45339	2339.59

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.7 संचरण

संचरण नेटवर्क के जरिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति होती है। इसमें उच्च विभव वाली बिजली को निम्न विभव वाली में बदलने का काम भी शामिल होता है। संचरण नेटवर्क विद्युत उत्पादन और वितरण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। अत: संचरण प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां अधिकांशत: अन्य दो खंडों - उत्पादन और वितरण - की बढ़ती जरूरतों से संबंधित होती हैं। बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राज्य के अंदर और राज्यों के बीच, दोनो स्तरों पर सशक्त और विश्वसनीय संचरण नेटवर्क की जरूरत होती है। इसीलिए सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए चौबीसो घंटे बिजली की उपलब्धता की मांग पूरी करने के लिए वर्तमान संचरण व्यवस्था का उचित योजना के साथ सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

बिहार में संचरण व्यवस्था में लगभग 15,707 सर्किट किमी अति उच्च विभव वाली (ईएचवी) संचरण लाइनें, तथा 220/132 केवी स्तर पर कुल 7,710 एमवीए और 132/33 केवी स्तर के 12,680 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 142 ग्रिड उप-केंद्र हैं। वर्ष 2018-19 में यह क्षमता बढ़कर 16,000 सर्किट किमी संचरण लाइन, तथा 220/132 केवी स्तर पर 9,790 एमवीए और 132/33 केवी स्तर पर 14,220 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 150 ग्रिड उप-केंद्र हो जाना अनुमानित है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक चौबीसो घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु वांछित क्षमता का अनुमान किया गया है जो तालिका 7.15 में प्रस्तुत है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक अनुमानित

मांग को पूरी करने की कार्ययोजना तालिका 7.16 में दर्शाई गई है। चरम मांग की पूर्ति 2014-15 में 2,831 मेगावाट थी जो चार वर्षों में 81 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2018 में 5,139 मेगावाट हो गई।

तालिका 7.15 : बिजली की अनुमानित वांछित क्षमता (2018-19 से 2020-21)

मांग/ क्षमता	2018-19	2019-20	2020-21
चरम मांग (मेगावाट)	4904	5308	6016
चरम मांग की पूर्ति के लिए जरूरी संचरण क्षमता (मेगावाट)	9195	9953	11280
उपलब्ध क्षमता (एमवीए) 220/132 केवी स्तर पर 132/33 केवी स्तर पर	11090 14450	14510 15290	15200 15490

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.16 : संचरण के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना

वर्ष	नए ग्रिड उप-केंद्रों की संख्या	नई संचरण लाइनें (सर्किट किमी)
2018-19	▪ 400/220/132/33केवी - 0 अदद ▪ 400/220/132केवी - 0 अदद ▪ 220/132/33 केवी - 02 अदद ▪ 132/33 केवी - 06 अदद	▪ 400 केवी-0 ▪ 220 केवी-110 ▪ 132 केवी-315
2019-20	▪ 400/220/132/33 केवी - 0 अदद ▪ 400/220/132 केवी - 0 अदद ▪ 220/132/33 केवी - 03 अदद ▪ 132/33 केवी - 02 अदद	▪ 400 केवी-0 ▪ 220 केवी-500 ▪ 132 केवी-190
2020-21	▪ 400/220/132/33केवी - 02 अदद ▪ 400/220/132 केवी - 01 अदद ▪ 220/132/33 केवी - 07 अदद ▪ 132/33 केवी - 0 अदद	▪ 400 केवी-390 ▪ 220 केवी-400 ▪ 132 केवी-250

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.8 उत्पादन

मार्च 2018 तक राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,889 मेगावाट थी। इसमें से 81.9 प्रतिशत कोयला आधारित तापविद्युत से, 12.3 प्रतिशत जलविद्युत से और शेष 5.8 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध थी। स्वामित्व के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक 79.1 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र का, 17.8 प्रतिशत निजी क्षेत्र/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का और 3.1 प्रतिशत राजकीय क्षेत्र का था। बिहार में विद्यमान उत्पादन क्षमता का ब्योरा तालिका 7.17 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.17 : विद्यमान उत्पादन क्षमता (मार्च 2018)

(आंकड़े मेगावाट में)

स्वामित्व/ क्षेत्र	तापविद्युत				नाभिकीय	जलविद्युत (नवीकरणीय)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	कुल योग
	कोयला	गैस	डीजल	योग				
राज्य	110	0	0	110	0	10	0	120
निजी/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	480	0	0	480	0	0	214	694
केंद्र	2596	0	0	2596	0	469	10	3075
योग	3186	0	0	3186	0	479	224	3889

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में बची तीनो उत्पादन इकाइयों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) **बरौनी तापविद्युत केंद्र (बीटीपीएस)**

हालांकि बरौनी तापविद्युत केंद्र में 7 अलग-अलग इकाइयां हैं, लेकिन उनमें से 5 का कार्यकारी जीवनकाल समाप्त हो चुका है और वे उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम पूरा होने के बाद सातवीं इकाई में उत्पादन आरंभ हो चुका है। छठी इकाई के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम भी प्रगति पर है। 250-250 मेगावाट की दो नई इकाइयों (इकाई 8 और 9) का काम भी केंद्र के विस्तार कार्यक्रम के तहत जारी है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप, इन दोनो नई इकाइयों के लिए कोल लिंकेज और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इकाई 8 की क्षमतावृद्धि जनवरी 2018 में और इकाई 9 की मार्च 2018 में हासिल कर ली गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय तापविद्युत निगम की विशेषज्ञता का उपयोग करके इन इकाइयों द्वारा उत्पादित बिजली का खर्च कम करने के लिए राज्य सरकार ने बरौनी ताप विद्युत केंद्र का स्वामित्व राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया है।

(2) **कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल)**

कांटी बिजली उत्पादन निगम राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. का संयुक्त उपक्रम है जिनका इसकी इक्विटी में 65:35 अनुपात में हिस्सा है। यहां 110-110 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के बाद गत वर्ष से दोनो इकाइयों में उत्पादन आरंभ हो गया है। कार्यविस्तार कार्यक्रम के तहत 195-195 मेगावाट की दो नई इकाइयों (इकाई 3 और 4) का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, इसका 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया है।

(3) **कोशी जलविद्युत केंद्र (केएचपीएस)**

कोशी जलविद्युत केंद्र (कटैया), बीरपुर में 4.8-4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का निर्माण 1970 से 1978 के बीच हुआ था। नवंबर, 2003 में यह परियोजना बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) को

हस्तांतरित कर दी गई थी। चार में से तीन इकाइयों के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है और बिजली उत्पादन शुरू हो गया है।

(4) **पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना**

पश्चिम चंपारण के बाल्मीकिनगर स्थित पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना का आरंभ 1996-97 हुआ था। इसमें 5-5 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं।

(5) **सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन स्थित सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.65-1.65 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 1991-92 हुआ था।

(6) **सोन पूर्वी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना**

औरंगाबाद जिले के बारुन स्थित सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.65-1.65 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 1996-97 हुआ था।

(7) **अगनूर जलविद्युत परियोजना**

अरवल जिले की अगनूर जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2004-05 हुआ था।

(8) **ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2006-07 हुआ था।

(9) **त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना**

पश्चिम चंपारण जिले की त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.5-1.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(10) **नासरीगंज जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की नासरीगंज जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(11) **सेबारी जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की सेबारी जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2008-09 हुआ था।

(12) **जयनगरा जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की जयनगरा जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(13) **सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना में 0.35-0.35 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2009-10 हुआ था।

(14) **बेलसार जलविद्युत परियोजना**

अरवल जिले की बेलसार जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2011-12 हुआ था।

(15) **अरवल जलविद्युत परियोजना**

अरवल जिले की अरवल जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 1 इकाई है जिसका आरंभ 2011-12 हुआ था।

अभी बिहार में कुछ और विद्युत उत्पादन इकाइयों का काम प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर केंद्रीय क्षेत्र की बिजली पर राज्य की निर्भरता कम हो जाएगी। इन नई परियोजनाओं के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

(1) **नबीनगर चरण-1 संयंत्र :** यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। नबीनगर विद्युत उत्पादन निगम राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. का संयुक्त उपक्रम है जिनका इसकी इक्विटी में 50:50 अनुपात में हिस्सा है। इस विद्युत परियोजना के लिए 660-660 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माणकार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के बाद केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा राज्य में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करने के लिए कोल लिंकेज आबंटित कर दिया गया है। तीनों इकाइयों के पूरा होने का अनुमानित समय क्रमश: दिसंबर 2018, मार्च 2019 और अक्तूबर 2019 है। साथ ही राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, इसका 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया है।

(2) **बक्सर में विद्युत परियोजना :** चौसा में 660-660 मेगावाट की 2 इकाइयों वाली ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलुज जलविद्युत निगम के साथ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। परियोजना के लिए परियोजना क्षेत्र का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, चहारदीवारी के खंभों का निर्माण और कांटेदार तार से घेराबंदी का काम पूरा हो गया है। अभी तक इस मकसद से 1,035.74 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जा चुकी है। सतलुज जलविद्युत निगम को आम्रपाली कोल ब्लॉक आबंटित किया गया है। बिजली खरीद का समझौता कि बिहार की वितरण कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित हो चुका है और 85 प्रतिशत बिजली बिहार को आबंटित की गई है। पर्यावरण संबंधी अनापत्तिभी प्राप्त की जा चुकी है। मुख्य कार्य के लिए परामर्श सेवा का काम एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी को दिया गया है और परियोजना 2022 तक पूरी हो जाने की आशा है।

(3) **अतिविशाल विद्युत परियोजना (बांका) :** बांका में लगभग 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसके लिए 2,500 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नदी से 120 क्यूसेक पानी देने के लिए सहमति प्रदान की है। परियोजना की कार्यावधि से पहले की गतिविधियां चलाने के लिए विद्युत वित्त निगम ने दो विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) सम्मिलित किए हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए 73.1 करोड़ टन की आरक्षित क्षमता वाला बरहट और धुलिया नाला कोयला ब्लॉक आबंटित किया है। बिहार को इस परियोजना से 2,000 मेगावाट बिजली आबंटित की गई है।

तालिका 7.18 : विद्यमान और योजना वाली उत्पादन इकाइयों के विवरण

तापविद्युत संबंधी योजना	2016-17	2017-18	2018-19 (प्रगति पर)	2019-20	2022 तक (आगामी परियोजनाएं)	2022 के बाद
कांटी तापविद्युत परियोजना (2x110 मेगावाट) (2x195 मेगावाट)	220 मेगावाट	195 मेगावाट की यूनिट 3	195 मेगावाट की यूनिट 4 का काम पूरा	—	—	—
बरौनी तापविद्युत परियोजना (2x110 मेगावाट) (2x250 मेगावाट)	—	110 मेगावाट की यूनिट 7, नवंबर 16	500 मेगावाट यूनिट 8 - जनवरी 18 में क्षमतावृद्धि हासिल यूनिट 9, मार्च 18 में क्षमतावृद्धि हासिल (प्रत्येक 250 मेगावाट की) यूनिट 6, जनवरी 18 में संभावित (110 मेगावाट)	—	—	—
नबीनगर तापविद्युत परियोजना (3x660 मेगावाट) 1980 मेगावाट	—	—	660 मेगावाट यूनिट 1 : फरवरी 19	1320 मेगावाट यूनिट 2 : मई 19 यूनिट 3 : अक्तूबर 19 (प्रत्येक 660 मेगावाट की)	—	—
बक्सर तापविद्युत परियोजना (2x660 मेगावाट) सतलुज जलविद्युत निगम लि.	—	—	—	—	1320 मेगावाट 20.11.15 को समझौता-पत्र हस्ताक्षरित	—
बांका अतिविशाल विद्युत परियोजना (4000 मेगावाट)	—	—	—	—	—	4000 मेगावाट
कुल स्थापित क्षमता	**220 मेगावाट**	**525 मेगावाट**	**1990 मेगावाट**	**3310 मेगावाट**	**4630 मेगावाट**	**8,630 मेगावाट**

टिप्पणी : कजरा परियोजना के लिए राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और पीरपैंती परियोजना के लिए राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के साथ समझौतों का नवीकरण प्रक्रियाधीन है।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.9 नई योजनाएं/ परियोजनाएं

समेकित विद्युत विकास योजना (आइपीडीएस)

इस परियोजना के तहत वितरण फ्रैंचाइजी वाले 6 क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 133 वैधानिक शहरों में नेट-मीटरिंग, फीडरों/ वितरण ट्रांसफर्मरों/ उपभोक्ताओं के मीटरीकरण सहित उप-संचरण और वितरण नेटवर्क के

सुदृढ़ीकरण, और सरकारी भवनों पर सोलर पैनलों के प्रावधान से संबंधित काम शामिल हैं। परियोजना से चौबीसो घंटे बिजली की आपूर्ति और संचरण एवं वितरण ह्रास में कमी सुनिश्चित होगी। योजना का कुल स्वीकृत व्यय 2,100.50 करोड़ रु. है। पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम की जारी योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने समेकित विद्युत विकास योजना के तहत बिहार के छः शहरों – मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कहलगांव, गया, बोधगया और आरा – के लिए दो अतिरिक्त योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। 529.97 करोड़ रु. के व्यय वाली पहली योजना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और अन्य सहायक कार्यों के लिए लिए है। वहीं, 179.80 करोड़ रु. के व्यय वाली दूसरी परियोजना विभिन्न शहरों में जीआइएस विद्युत उप-केंद्रों के निर्माण के लिए है। केंद्र सरकार परियोजना का 60 प्रतिशत व्यय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी। शेष 40 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य सरकार तथा वितरण कंपनियों द्वारा की जाएगी। योजना के तहत अभी निविदा की प्रक्रिया चल रही है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार ने किया था। इसके उद्देश्यों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। काम प्रगति पर है और पूरा होने का लक्षित महीना दिसंबर 2019 है। परियोजना का कुल स्वीकृत व्यय 5,827.23 करोड़ रु. है। केंद्र सरकार परियोजना व्यय का 60 प्रतिशत भाग अनुदान के बतौर देगी और शेष 40 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है।

उज्ज्वल विद्युत वितरण सुनिश्चय योजना (उदय)

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संचालनात्मक और वित्तीय कायापलट के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उदय योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत संचालनात्मक और वित्तीय कुशलताओं में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जिनका अंतिम लक्ष्य 2019-20 तक (क) संचरण एवं वितरण ह्रास को घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना, और (ख) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत वसूल राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर को घटाकर शून्य के स्तर तक लाना है। इस संबंध में 22 फरवरी, 2016 को बिहार सरकार, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और वितरण कंपनियों (उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी) के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ था।

इस योजना में अगले दो वर्षों में वितरण कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण को राज्य सरकार द्वारा अपने जिम्मे ले लेने का प्रावधान किया गया है (50 प्रतिशत 2015-16 में और 25 प्रतिशत 2016-17 में)। उदय योजना के तहत बिहार की दोनो वितरण कंपनियों के कुल 3,109.05 करोड़ रु. ऋण में से 2,332.01 करोड़ रु. को राज्य सरकार द्वारा अपने जिम्मे ले लिया गया है।

अभी उदय के वेबसाइट पोर्टल (www.uday.gov.in) के जरिए संचरण एवं वितरण ह्रास तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूल राजस्व के बीच फासले में कमी लाने के लिए लक्षित सारे पैरामीटर ऑनलाइन कर दिए गए हैं जिस पर हर भागीदार कंपनी को अपनी प्रगति की रिपोर्ट मासिक/ त्रैमासिक आधार पर अपलोड करनी है।

हर गतिविधि के लिए प्राप्तांक दिए जाते हैं और मासिक/ त्रैमासिक उपलब्धि के आधार पर प्राप्त अंकों से भागीदार राज्यों की वितरण कंपनियों की रैंकिंग तय होती है। बिहार की दोनो वितरण कंपनियों ने 2017-18 में संचरण एवं वितरण ह्रास 2015-16 के 43.5 प्रतिशत से घटाकर 30.22 प्रतिशत पर ले लाया है। इस अवधि में आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूल राजस्व के बीच का अंतर भी 89 पैसे प्रति इकाई से घटाकर 58 पैसे प्रति यूनिट तक ले लाया गया है।

7.10 विद्युत क्षेत्र में हाल में हुए विकास

स्पॉट बिलिंग : राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एंड्रायड मोबाइल और ब्लू टूथ प्रिंटर के जरिए उन्हीं की जगह पर बिल तैयार करना शुरू कर दिया गया है।

टैरिफ युक्तिकरण : बिहार 'टैरिफ युक्तिकरण' (रैशनलाइजेशन) को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के उपाय के बतौर 2017-18 के लिए टैरिफ आदेश 'शून्य सब्सिडी' के आधार पर जारी किया गया है ताकि वह आपूर्ति का सही व्यय, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अपफ्रॉन्ट सब्सिडी और वितरण कंपनियों को दी जाने वाली सहायता (अगर दी जाती है, तो) को व्यक्त करे।

वी-वैलेट : राज्य में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वी-वैलेट के जरिए राजस्व संग्रहण का काम भी ग्रामीण राजस्व फ्रैंचाइजी सहित बिल निर्माण एवं संग्रहण अभिकरणों को सौंप दिया गया है। हालांकि कंपनी के अपने पॉस काउंटरों द्वारा शहरी क्षेत्रों में संग्रहण का काम जारी रहेगा।

ह्वाट्‌सऍप के जरिए बिजली चोरी के मामले में सुधार : उपभोक्ताओं द्वारा पूरे राज्य में बिजली की चोरी के मामले में सूचना देने के लिए एक अलग और खास इसी मकसद से एक नंबर (70333-55555) जारी किया गया है।

परियोजना अनुश्रवण ऍप : राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों की विभिन्न जारी परियोजनाओं के सघन और उसी समय अनुश्रवण के लिए 'डीसी-नाइन' नामक मोबाइल ऍप विकसित किया गया है। इस ऍप के जरिए परियोजना की ताजातरीन स्थिति और उसके निरीक्षण से संबंधित जानकारी को परियोजना के क्षेत्र में स्थित अधिकारियों द्वारा उसी स्थान से अपलोड किया जा सकता है। मुख्यालय में मौजूद अधिकारियों को सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस) के यह जानकारी मिल जाती है जिसके चलते परियोजना का लगातार अनुश्रवण होता रहता है।

टॉल फ्री नंबर 1912 : उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए चौबीसो घंटे काम करने वाला शुल्करहित नंबर (1912) शुरू किया गया है। इस नंबर पर शिकायत दर्ज करने पर उपभोक्ता को उनकी शिकायत के संबंध में कॉल या एसएमएस किया जाएगा। उपभोक्ताओं के साथ उच्च प्रबंधन के समय-समय पर संवाद के लिए भी व्यवस्था की गई है।

रिमोट मीटर रीडिंग : उच्च विभव और निम्न विभव औद्योगिक उपभोक्ताओं के मीटरों का मुख्यालय से ही पठन ले लिया जा रहा है।

प्रीपेड मीटरिंग : पटना में मीटर संबंधी बेहतर व्यवस्था के लिए विद्युत बोर्ड कॉलोनी में प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया गया है जिसका विस्तार चरणबद्ध ढंग से दूसरे उपभोक्ताओं तक भी किया जाएगा।

संचरण प्रणाली में नई तकनीकें : संचरण प्रणाली की नई परियोजनाओं में उप-केंद्र स्वचालन प्रणाली (एसएएस), ऑप्टीकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू), उच्च तापमान पर कम झोल वाले (एचटीएलएस) कंडक्टर और गैस इनसुलेटेड सिस्टम (जीआइएस) जैसे बिजली क्षेत्र की सबसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है।

जीआइएस मानचित्रण : 33 केवी, 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी स्तर पर बिजली लाइनों, विद्युत उप-केंद्रों और ग्रिड उप-केंद्रों के जीआइएस मानचित्रण का काम पूरा हो गया है।

7.11 बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)

बिहार की अधिकांश स्थापित क्षमता तापविद्युत संयंत्रों में संकेंद्रित है। इससे बिजली के स्वच्छ उत्पादन के संबंध में ही चिंता नहीं पैदा होती है, कोयला के अत्यंत उतार-चढ़ाव भरे मूल्य को देखते हुए वह राज्य के लिए आर्थिक बोझ भी बन जाता है। अत: जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ, राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) नामक अभिकरण भी बनाया है जो राज्य में बिजली उत्पादन के लिए गैर-परंपरागत स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार ब्रेडा को योजनाओं के लिए सब्सिडी देने और स्थापना व्यय के मकसद से धनराशि उपलब्ध कराती है।

तालिका 7.19 : ब्रेडा की उपलब्धियां (2016-17 से अक्तूबर 2018 तक)

2016-17		
क. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजना	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना	34 अदद	1.00
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय योजना के तहत 1kWp का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	186 अदद	2.78
जिला समाहरणालय, अस्पताल, अतिथिगृह का 25 kWp सौर विद्युतीकरण	35 अदद (875kWp)	15.45
जिला शेखपुरा और जिला जहानाबाद में दीवानी और सत्र न्यायालय भवनों में ई-कोर्ट मोड मिशन परियोजना के तहत 25 kWp के 2 सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	2 अदद (50kWp)	0.88
ख. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की योजनाएं		
राज्य की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार ईसीबीसी का प्रारूप तैयार करना		0.0475
ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता अभियान	3 अदद	0.04
विद्यालयों में ऊर्जा क्लब की स्थापना	5 अदद	0.0165

2017-18		
क. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजना	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना	280 अदद	8.63
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय योजना के तहत 1kWp का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	2135 अदद	32.00
भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में दीवानी और सत्र न्यायालय भवनों में ई-कोर्ट मोड मिशन परियोजना के तहत 40 kWp के 2 सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	80 kWp	0.88
मुख्यमंत्री आवास, नेक संवाद भवन में23 kWp का सोलर पावर प्लांट लगाना	23 kWp	0.276
जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कटिहार जिले में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	1425 अदद (57.01 kWp)	2.19
वामपंथी अतिवाद प्रभावित पुलिस थानों में 27 स्थानों पर3.6 kWp के ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट लगाना	97.2 kWp	1.21
सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाना	157 अदद	0.274
ख. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की योजनाएं		
विद्यालयों में ऊर्जा क्लबों की स्थापना	8 अदद	0.0264
समस्तीपुर और सारण जिलों के चुनिंदा 8 गावों में एलईडी बल्बों का वितरण	8 अदद	0.059
आदर्श किफायती ऊर्जा उपयोगकर्ता ग्राम परियोजना	1 अदद	0.025

2018-19 (अक्तूबर 2018 तक)		
क. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजना	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीययोजना के तहत 1kWp का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	490 अदद	7.34
गया और नालंदा जिलों में दीवानी और सत्र न्यायालय भवनों में ई-कोर्ट मोड मिशन परियोजना के तहत 40 kWp के 2 सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	80 kWp	0.88
BSEIDC के 62 स्थानों पर 5 kWp के ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट लगाना	310 kWp	3.875
वामपंथी अतिवाद प्रभावित पुलिस थानों में 44 स्थानों पर 3.6 kWp के ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट लगाना	158.4 kWp	1.98
कॉर्पोरेट सामाजिक पहल (सीएसआर) के तहत मंगल तालाब, पटना में40 kWp का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट और 04 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना	40 kWp	0.446
गया में 25 पुलिस थानों में 9 वाट के 04 स्ट्रीट लाइटों के साथ 500 Wp के ऑफ-ग्रिड सोलर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाना	12.5 kWp	0.31
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना	32 अदद	0.658
ख. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की योजनाएं		
ऊर्जा कुशल सरकारी विद्यालय : विद्यालयों में मुफ्त उपकरणों का प्रावधान	18 अदद	0.013
ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता अभियान	4 अदद	0.07
SME के लिए ऊर्जा संरक्षण पर	1 अदद	0.025

स्रोत : बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा), बिहार सरकार

7.12 बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

तापविद्युत के अलावा, बिहार में जल संसाधनों से जलविद्युत उत्पादन की भी संभावना मौजूद है और अभी कुछ जलविद्युत परियोजनाओं के जरिए इसका दोहन भी किया जा रहा है। बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि. की स्थापना राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार का प्रेक्षण करने के लिए की गई थी। दसवीं योजना के दौरान निगम ने लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अपने पूर्ववर्ती अधिदेश के अतिरिक्त, बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का भी अन्वेषण शुरू किया। राज्य में अभी 13 लघु जलविद्युत परियोजनाएं चालू हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। राज्य में 11 और योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिनका ब्योरा तालिका 7.20 में प्रस्तुत है।

अभी निगम राज्य में डगमारा और इंद्रपुरी परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने में भी लगा है। इन जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में 300 मेगावाट की इंद्रपुरी जलविद्युत परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण का काम प्रगति पर है। 130 मेगावाट की डगमारा परियोजना के लिए परियोजना वित्तीयन रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए रुचि अभिव्यक्ति (ईओआइ) प्रगति पर है।

तालिका 7.20 : निर्माणाधीन लघु जलविद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	जिला	क्षमता (मेगावाट)
काम की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक			
1	अमेठी (1x500 किवा)	रोहतास	0.5
2	तेजपुरा (2x750 किवा)	औरंगाबाद	1.5
3	पहरमा (2x500 किवा)	रोहतास	1.0
4	राजपुर (2x350 किवा)	सुपौल	0.70
काम की प्रगति 50 से 75 प्रतिशत के बीच			
5	मठौली (2x400 किलोवाट)	पश्चिम चंपारण	0.80
6	रामपुर (1x250 किलोवाट)	रोहतास	0.25
7	नटवार (1x250 किलोवाट)	रोहतास	0.25
8	सिपहा (2x500 किलोवाट)	औरंगाबाद	1.0
9	देहरा (2x500 किलोवाट)	औरंगाबाद	1.0
10	वलीदाद (1x700 किलोवाट)	अरवल	0.70
काम की प्रगति 50 प्रतिशत से कम			
11	बड़वल (2x800 किलोवाट)	पश्चिम चंपारण	1.6
योग			9.3 मेगावाट
क्षमता वृद्धि			54.30 मेगावाट + 9.30 मेगावाट
कुल योग			63.60 मेगावाट

स्रोत : बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि.

अध्याय - 8

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास समग्र समावेशी विकास प्रक्रिया का मुख्य घटक है और बिहार के संदर्भ में तो ऐसा और भी अधिक है क्योंकि यहां की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बिहार के लिए ग्रामीण विकास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सेवा क्षेत्र के बाद सबसे अधिक योगदान है। आरंभ में ग्रामीण विकास मुख्यत: कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों पर ही केंद्रित था क्योंकि बिहार और देश के अन्य हिस्सों में यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। लेकिन अब ग्रामीण विकास बहुआयामी निर्मिति है और यह गतिविधि के किसी अकेले क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ऐसा इसलिए कि ग्रामीण विकास ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को गहरे प्रभावित करता है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी शामिल हैं। अत: ग्रामीण विकास का लक्ष्य अब ग्रामीण आबादी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अधिसंरचना, सामाजिक न्याय और मानव क्षमता में सुधार करने वाले प्रभावी और लोकतांत्रिक निकायों के जरिए अपनी खुद की प्राथमिकताएं तय करने में सक्षम बनाना है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने उक्त एजेंडा की दिशा में अनेक पहलकदमियों की शुरुआत की है। ये पहल बिहार के लिए बहुत जरूरी हैं जहां आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है जिसका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य में भूख में कमी लाना ही नहीं, गरीबी के सभी स्वरूपों में कमी लाना जरूरी है।

इस अध्याय में बिहार में चलने वाले विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को फोकस किया गया है जो ग्रामीण लोगों के जीवन को प्रत्यक्षत: प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले तो बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना (बीआरएलपी) (जीविका) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शामिल हैं। दोनो के द्वारा ग्रामीण लोगों के रोजगार के अत्यंत महत्वपूर्ण एजेंडा पर काम करने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण लोगों की आवास और स्वच्छता संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अभी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पूरक के बतौर लोहिया स्वच्छ भारत मिशन का अपने संसाधन से क्रियान्वयन कर रही है। साथ ही, इस अध्याय में बिहार में ग्रामीण लोगों की खाद्य सुरक्षा संबंधी आयामों पर काम करने वाली जन वितरण प्रणाली पर चर्चा की गई है। और यह तो सर्वविदित है कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास की दिशा में अनेक सामूहिक प्रयासों के लिए ग्रामवासियों की गोलबंदी, दोनो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज के बारे में भी इस अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। ग्रामीण विकास के तीन अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन पर इस अध्याय के शेष हिस्से में चर्चा की गई है। ये हैं - गृहस्थल का वितरण, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।

8.1 गरीबी

गरीबी सामान्य रूप में किसी व्यक्ति के लिए भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए भौतिक संपत्तियों या साधनों की कमी है। भारत में गरीबी को सामान्यत: पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा विकसित

प्रविधि के अनुसार मापा जाता है। गरीबी के सबसे हाल के अनुमान 2011-12 के हैं और तालिका 8.1 में बिहार और भारत, दोनो के अनुमान 2004-05 के अनुमान के साथ प्रस्तुत हैं। तालिका में आसानी से गौर किया जा सकता है कि 2011-12 में बिहार में गरीबी अनुपात 2004-05 के 54.4 प्रतिशत से घटकर 33.7 प्रतिशत रह गया था। इसका अर्थ 7 वर्षों में ही 20.7 प्रतिशत अंकों की भारी गिरावट है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट और भी अधिक (21.6 प्रतिशत अंक) थी और गरीबी अनुपात 2004-05 के 55.7 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 31.4 प्रतिशत रह गया।

तालिका 8.1 : बिहार और भारत में गरीबी अनुपात (प्रतिशत)

	बिहार			भारत		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
गरीबी अनुपात						
2004-05	55.7	43.7	54.4	41.8	25.7	37.2
2011-12	34.1	31.2	33.7	25.7	13.7	21.9
गरीबी अनुपात में कमी	21.6	12.5	20.7	16.1	12.0	15.3

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

हालांकि संपूर्ण भारत के लिए गरीबी अनुपात कम था लेकिन इन दोनो वर्षों के बीच गरीबी में कमी की गति धीमी (15.3 प्रतिशत अंक) थी। तालिका प 8.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में भारत के विभिन्न राज्यों का 2004-05 और 2011-12, दोनो वर्षों के दौरान ग्रामीण शहरी और समग्र गरीबी अनुपात प्रस्तुत किया गया है। गरीबी अनुपातों के ये अनुमान स्वभावतः पुराने पड़ चुके हैं लेकिन, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि विगत वर्षों के दौरान बिहार में हुए तेज आर्थिक विकास के कारण गरीबी अनुपात में और भी अधिक गिरावट आना संभावित है।

भारत में गरीबी अनुपात के आधिकारिक अनुमान गरीबी रेखा पर आधारित हैं जिसका अनुमान खाद्य पदार्थों और कुछ अन्य खाद्येतर सामग्रियों के उपयोग के न्यूनतम स्तर को ध्यान मे रखकर किया जाता है। हालांकि गरीबी आर्थिक वंचना को ही व्यक्त नहीं करती। यह बहुआयामी निर्मिति है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर भी शामिल हैं। बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोग आमदनी के लिहाज से ही गरीब नहीं हैं। हो सकता है कि उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर संबंधी गंभीर वंचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा हो। बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआइ) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) विकसित किया। यह सूचकांक दस सूचकों पर आधारित है जिनमें से प्रत्येक के अलग-अलग भार हैं - स्वास्थ्य (पोषण एवं बाल मृत्यु), शिक्षा (स्कूली शिक्षा के वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति), और जीवन स्तर (रसोई का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल के स्रोत, बिजली, आवास और परिसंपत्तियां)। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पैमाना शून्य से 1 तक का है जिसमें शून्य का अर्थ कोई वंचना नहीं होना है जबकि एक सबसे गंभीर वंचना के स्तर को सूचित करता है। इस प्रविधि के तहत बहुआयामी गरीबी सूचकांक का अनुमान गरीबी की मौजूदगी या कुल गणना अनुपात (हेडकाउंट रेशियो) और गरीबी की औसत तीव्रता को गुणा करके किया जाता है। इस प्रकार, बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी से पीड़ित लोगों के अनुपात के साथ-साथ यह भी सूचित करता है कि वे किस हद तक वंचित हैं।

उक्त प्रविधि के आधार पर ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआइ) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने भारत सहित 105 विकासशील देशों के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक का अनुमान किया है। 0.121 बहुआयामी गरीबी सूचकांक के साथ भारत 105 देशों की सूची में 59वें स्थान पर है (तालिका 8.2)। बिहार के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.246 है। यह भी गौरतलब है कि इस प्रविधि के अनुसार भारत में गरीब आबादी का अनुपात 27.5 प्रतिशत और अत्यंत गरीब आबादी का अनुपात 8.6 प्रतिशत है। बिहार के लिए ये आंकड़े क्रमशः 52.2 प्रतिशत और 22.1 प्रतिशत हैं। यहां गौरतलब है कि ये गरीबी अनुपात पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा तैयार गरीबी अनुपातों से काफी अधिक हैं।

तालिका 8.2 : बिहार और भारत के लिए बहुआयामी गरीबी अनुपात

	बिहार	भारत
बहुआयामी गरीबी अनुपात	0.246	0.121
गरीब आबादी का प्रतिशत	52.2	27.5
अत्यंत गरीब आबादी का प्रतिशत	22.1	8.6

स्रोत : ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआइ) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

बिहार में गरीबी के बारे में गहराई से जानकारी पाने के लिए ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआइ) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने बिहार के विभिन्न जिलों के लिए भी इन अनुपातों के अनुमान किए हैं। ये अनुपात तालिका प 8.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका से पता चलता है कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी अनुपात वाले तीन जिले अररिया (0.346), मधेपुरा (0.337) तथा किशनगंज (0.325) हैं। गौरतलब है कि ये तीनो जिले उत्तर बिहार के हैं। दूसरी ओर, सबसे कम बहुआयामी गरीबी अनुपात वाले तीन जिले पटना (0.125), भोजपुर (0.171 और सीवान (0.172) हैं। यहां सीवान के अलावा बाकी दोनो जिले दक्षिण बिहार के हैं।

पहले भी कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी का अनुमान तीन समूहों के 10 सूचकों का उपयोग करके किया जाता है – स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन सूचकों में से प्रत्येक के लिहाज से आबादी की वंचना एक जैसी नहीं है। इस लिहाज से हर सूचक के वंचना के परिमाण का अलग-अलग विश्लेषण जरूरी है और इनके आंकड़े तालिका प 8.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका से आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार जिन चीजों के मामले में अपेक्षाकृत अधिक वंचित है, वे हैं – रसोई का ईंधन, स्वच्छता और आवास। पटना को छोड़ दें, जहां सभी सूचकों के मामले में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, तो रसोई के ईंधन के मामले में वंचना अररिया के 68.6 प्रतिशत से भोजपुर और मुंगेर, दोनो के 38.1 प्रतिशत के बीच है। इसी प्रकार, स्वच्छता के मामले में वंचना का स्तर अररिया के 66.7 प्रतिशत से सीवान के 37.4 प्रतिशत के बीच है। और आवास के मामले में वंचना का पैमाना मधेपुरा के 66.5 प्रतिशत से रोहतास के 34.7 प्रतिशत के बीच है। विभिन्न जिलों के लिए ये सूचक-वार वंचनाएं राज्य सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु खास जिले के लिए हस्तक्षेप रणनीति तैयार करने के लिहाज से बहुत उपयोगी हैं।

8.2 ग्रामीण विकास कार्यक्रम

अभी देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है। इनमें से कुछ कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं और अन्य कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा। हालांकि केंद्र सरकार के

कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। पहले भी उल्लेख किया गया है कि बिहार में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से रोजगार, आवास, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।

बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना (जीविका)

ग्रामीण आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए राज्य सरकार 2007 से ही बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना का संचालन कर रही है। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त कार्यक्रम है और जीविका के नाम से लोकप्रिय है। वर्ष 2007 में जीविका का आरंभ बिहार के 6 प्रखंडों में हुआ था। बाद में कार्यक्रम का क्रमिक विस्तार पूरे राज्य में कर दिया गया और अभी यह सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में चल रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य कौशल विकास और लाभप्रद स्वरोजगार के जरिए गरीबी में कमी लाना है। इस कार्यक्रम की मुख्य रणनीति स्वप्रबंधित समुदाय-स्तरीय संगठनों, खास कर महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए आमदनी और वित्तीय समावेश के टिकाऊ स्रोतों का निर्माण करना है।

अपने एक दशक से अधिक के कार्यकाल में जीविका ने काफी सफलता प्राप्त की है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के मामले में जीविका की उपलब्धि तालिका 8.3 में प्रस्तुत है। सितंबर 2018 तक बिहार में कम से कम 8.17 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका था। वर्ष 2014-15 में यह संख्या 3.65 लाख थी। इसी प्रकार, ग्राम संगठनों और संकुल-स्तरीय संघों की भी संख्या बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में जहां 14.4 हजार ग्राम संगठन थे, वहीं अभी उनकी संख्या 51.3 हजार हो गई है। इसी प्रकार, समुदाय-स्तरीय संघों की संख्या भी 2014-15 के 231 से बढ़कर 2018-19 में 843 हो गई है। स्वयं सहायता समूहों के प्रभावी संचालन के लिए उनका बैंकों के साथ ऋण-संपर्क होना बहुत जरूरी है। वर्ष 2014-15 में जहां 33.2 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्कित थे, वहीं यह अनुपात अभी बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया है।

तालिका 8.3 : जीविका की प्रगति

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 सितंबर 18 तक
गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	365150	470220	610808	790411	817169
गठित ग्राम संगठनों की संख्या	14363	31229	35681	46756	51299
गठित संकुल स्तरीय संघों की संख्या	231	318	415	706	843
बैंकों के साथ ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	121181	221261	391314	587616	655302
बैंक ऋण की रकम (करोड़ रु.)	659	1300	2993	5358	6205

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में जीविका की उपलब्धियों की बात करें, तो वे निस्संदेह अत्यंत प्रशंसनीय हैं (तालिका 8.4)। जैसे स्वयं सहायता समूहों के तहत 4.64 लाख परिवारों ने धान की खेती के लिए नए और नवाचारी उत्पादकता-वर्धी व्यवहारों को अपनाया है। इसी प्रकार, गेहूं और सब्जियों की खेती में भी नवाचार अपनाया गया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए इन प्रचलनों के स्पष्ट निहितार्थ हैं। पोषण को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक परिवारों ने रसोई बाड़ी में सब्जियां उपजाना भी शुरू किया है। बेहतर खेती के लिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने मुर्गीपालन, दूध उत्पादन और बकरी पालन जैसी खेती से भिन्न आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार किया है। इनमें से मुर्गीपालन अधिक व्यापक है और न्यूनतम 1.81 लाख स्वयं सहायता समूह

सदस्य इस काम में लगे हैं। काम के अवसर बढ़ाने के लिए जीविका ने परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों (पीआइए) और ग्रामीण स्वयं सहायता प्रशिक्षण संस्थानों (रूसेटी) के जरिए 1.95 लाख युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित किया है। सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के मामले में भी जीविका ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। दोनो की उपलब्धियां तालिका 8.4 में वर्णित हैं। सर्वप्रथम असुरक्षित स्थिति में कमी के लिए अभी 22.4 हजार ग्राम संगठन खाद्य सुरक्षा कोष का प्रबंधन कर रहे हैं और 30.3 हजार ग्राम संगठन स्वास्थ्य सुरक्षा कोष का भी प्रबंधन कर रहे हैं। दूसरे, जीविका ने राज्य में खुले में शौच में कमी लाने में भी काफी योगदान किया है।

स्वच्छता के साथ-साथ जीविका को बिहार में सभी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जीवन बीमा का आच्छादन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए भी नोडल अभिकरण तय किया गया है। अभी जीविका की कुछ नई पहलकदमियों में शामिल है - (क) घर पर दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी) खोलना, (ख) स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के बीच सोलर लैंप बांटना, (ग) छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए विपणन व्यय में कमी लाने के मकसद से ग्रामीण खुदरा बाजार शुरू करना, और (घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ साझेदारी में कोशी अंचल में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति शुरू करना।

तालिका 8.4 : स्वयं सहायता समूहों द्वारा जीविका से संबंधित गतिविधियों का विस्तार (2017-18)

गतिविधियां	संख्या
कृषि	
धान की खेती (उत्पादकता वृद्धि हस्तक्षेप) करने वाले किसानों की संख्या	464126
गेहूं की खेती करने वाले किसानों की संख्या	343531
सब्जी की खेती करने वाले किसानों की संख्या	355504
रसोई बाड़ी में सब्जी उपजाने वाले किसानों की संख्या	292211
कृषीतर	
मुर्गीपालन संबंधी हस्तक्षेप में शामिल स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	181566
दूध उत्पादन संबंधी हस्तक्षेप में शामिल स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	52624
बकरी संबंधी हस्तक्षेप में भागीदार परिवारों की संख्या	32888
कृषीतर हस्तक्षेप में शामिल स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	203575
रोजगार सृजन	
परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों और रूसेटी द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की संख्या	195322
परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों और रूसेटी द्वारा तथा नियोजन मेलों आदि में नियोजित ग्रामीण युवाओं की संख्या	236946
असुरक्षित स्थिति में कमी	
खाद्य सुरक्षा कोष पाने वाले ग्राम संगठनों की संख्या	22427
स्वास्थ्य सुरक्षा कोष पाने वाले ग्राम संगठनों की संख्या	30347

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

जीविका की उपलब्धियों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में इसे ग्रामीण जीविका कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में चिन्हित किया है। अभी जीविका के साधनसेवी असम और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जीविका कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्रों के कम रोजगार पाने वाली या बेरोजगार श्रमशक्ति को उत्पादक काम में लगाना मनरेगा का मुख्य फोकस है। कार्यक्रम द्वारा हर ग्रामीण परिवार के वयस्कों शारीरिक परिश्रम वाले या अकुशल श्रम की मांग करने पर हर साल न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। केंद्र सरकार की यह योजना सर्वप्रथम 2005 में देश के 200 जिलों में लागू हुई थी। लेकिन अब इसका विस्तार पूर्णतः शहरी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कर दिया गया है। बिहार के लिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के 11 प्रतिशत लोग ही शहरी क्षेत्रों मे रहते हैं। रोजगार के अवसरों के जरिए मनरेगा से बिहार के गांवों से शहर की ओर तथा राज्य के बाहर, दोनो तरह से होने वाले श्रमिकों का प्रवास घटाने की भी आशा की जाती है।

तालिका 8.5 में 2013-14 से 2017-18 तक के लिए मनरेगा से संबंधित सारी प्रासंगिक सूचनाएं प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017-18 तक बिहार में कुल 147.5 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए थे जबकि एक वर्ष पूर्व उनकी संख्या 142.4 लाख थी। दूसरे शब्दों में 2017-18 में 5.10 लाख नए कार्ड जारी किए गए जिससे कार्यक्रम के आच्छादन में विस्तार हुआ। जहां तक रोजगार पाने वाले श्रमिकों के अनुपात की बात है, तो इसमें विगत वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव आता रहा है। वर्ष 2017-18 में यह अनुपात 15.3 प्रतिशत था। प्रति वर्ष सृजित कुल रोजगार इन सभी वर्षों के दौरान लगभग 800 लाख व्यक्ति दिवसों का रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए यह आंकड़ा 817.3 लाख व्यक्ति दिवस था। इस रोजगार कार्यक्रम का खास सकारात्मक पक्ष यह है कि कुल रोजगार में महिला श्रमिकों का हिस्सा साल-दर-साल बढ़ता गया है और 2013-14 के 35.0 प्रतिशत से 2017-18 में 46.6 प्रतिशत हो गया है। प्रति परिवार औसत रोजगार में भी विगत वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव होता रहा है और यह 35 से 40 व्यक्ति दिवस के बीच रहा है। वर्ष 2017-18 में यह 36.4 व्यक्ति दिवस था। निष्कर्षतः, गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत धनराशि के उपयोग का परिमाण सामान्यतः 80 प्रतिशत से अधिक रहा है। अपवाद सिर्फ 2013-14 और 2014-15 था जब यह क्रमशः 75.8 प्रतिशत और 65.7 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में यह 92.1 प्रतिशत के बहुत उच्च स्तर पर था।

तालिका 8.5 : बिहार में मनरेगा का प्रदर्शन

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जारी जॉब कार्ड की संख्या (लाख)	130.1	127.2	133.6	142.4	147.5
रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	20.6 (15.8)	10.4 (8.1)	14.9 (11.2)	22.3 (16.1)	22.5 (15.3)
100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	1.2 (6.0)	0.3 (3.0)	0.6 (4.0)	0.2 (0.6)	0.2 (0.7)
रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस)	862.4	352.0	670.9	858.4	817.3
कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा	35.0	37.3	40.8	43.8	46.6
प्रति परिवार औसत रोजगार (व्यक्ति-दिवस)	41.9	34.0	45.1	37.4	36.4
पूरे हुए कार्यों की संख्या	107710	115983	110537	76895	104442
धनराशि का उपयोग (प्रतिशत)	75.8	65.7	81.6	89.9	92.1
खुले खातों की संख्या (लाख)	22.4	29.4	34.0	39.2	49.6

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अपने पूर्ववर्ती रो (आड़ी पंक्ति) के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.4 से तालिका प 8.5 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में बिहार के विभिन्न जिलों में मनरेगा का कामकाज दर्शाया गया है। इन तालिकाओं से बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन सभी जिलों में एक जैसा नहीं रहा है। धनराशि के उपयोग के मापदंड की बात करें, तो देखा जा सकता है कि अनेक जिलों में धनराशि का उपयोग 95 प्रतिशत से अधिक रहा है। ये जिले हैं- नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार। दूसरी ओर, पटना, रोहतास गया, मुजफ्फरपुर, सुपौल और अररिया जिलों में धनराशि का उपयोग 85 प्रतिशत से कम रहा है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्यों की कुल संख्या तालिका 8.6 में प्रस्तुत है। तालिका से बिल्कुल स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुपात में विगत वर्षों के दौरान काफी अंतर रहा है। यह बिल्कुल समझ में आने वाली बात है क्योंकि विभिन्न कार्यों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समय और स्थान, दोनो के अनुसार बदलाव आ जाता है। हालांकि दो श्रेणियों के काम सामान्यत: अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये हैं सूखा रोधन और ग्रामीण पथ संपर्क। सूखा रोधन का 2016-17 एवं 2017-18 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहा है। इसी प्रकार, ग्रामीण पथ संपर्क का भी 2014-15 एवं 2015-16 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहा है।

तालिका 8.6 : मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्य

क्रम संख्या	श्रेणियां	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	जल संरक्षण और जल-छाजन	7112 (6.6)	2464 (2.1)	3234 (2.9)	3979 (5.2)	6409 (6.1)
2	सूखा रोधन	30158 (28.0)	32201 (27.8)	42685 (38.6)	16352 (21.3)	7031 (6.7)
3	सूक्ष्म-सिंचाई संबंधी कार्य	5795 (5.4)	2274 (2.0)	3852 (3.5)	5501 (7.2)	9248 (8.9)
4	सिंचाई सुविधा का प्रावधान	3330 (3.1)	4227 (3.6)	6612 (6.0)	6449 (8.4)	20613 (19.7)
5	पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	2478 (2.3)	825 (0.7)	1058 (1.0)	1324 (1.7)	1735 (1.7)
6	भूमि विकास	7887 (7.3)	4312 (3.7)	6928 (6.3)	8798 (11.4)	15836 (15.2)
7	बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव	1347 (1.3)	395 (0.3)	640 (0.6)	651 (0.8)	1313 (1.3)
8	ग्रामीण संपर्क पथ	29459 (27.4)	13847 (11.9)	20081 (18.2)	22494 (29.3)	31672 (30.3)
9	कोई अन्य गतिविधि	20144 (18.7)	55438 (47.8)	25447 (23.0)	11347 (14.8)	10585 (10.1)
पूरे हुए कुल कार्यों की संख्या		107710 (100)	115983 (100)	110537 (100)	76895 (100)	104442 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूरे हुए कुल कार्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण/ इंदिरा आवास योजना

वित्तवर्ष 2015-16 तक इंदिरा आवास योजना नामक ग्रामीण आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था। वित्तवर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हित गृहविहीन गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) का आरंभ किया गया। इस योजना के लिए पात्र गृहविहीन लाभार्थियों को सामाजिक-आर्थिक एवं जाति गणना (2011) के आधार पर चिन्हित किया गया और क्षेत्र में सत्यापन तथा ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए हर पात्र लाभार्थी परिवार को समेकित कार्ययोजना वाले जिलों में 1.30 लाख रु. और शेष जिलों में 1.20 लाख रु. वित्तीय सहायता दी जाती है। उक्त रकम को राज्य नोडल लेखे के जरिए पीएफएमएस के माध्यम से धनराशि अंतरण आदेश (एफटीओ) के जरिए तीन किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक हर वित्त वर्ष में पूरे हुए मकानों की संख्या उस वर्ष आबंटित लक्ष्य से बढ़ गई क्योंकि पिछले वर्ष स्वीकृत अधूरे मकान भी बने।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का आरंभ वित्तवर्ष 2016-17 में नवंबर 2016 में किया गया था। वर्ष 2016-17 में पिछले वर्षों में इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत कुल 6.89 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने का यह आंकड़ा 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के 6.37 लाख मकानों के लक्ष्य से अधिक था।

वित्तवर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का वार्षिक लक्ष्य 5.38 लाख था लेकिन 3.13 लाख मकानों का निर्माण कार्य ही पूरा हुआ जिनमें से 2.85 लाख मकान पिछले वित्तवर्ष में इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए थे।

वर्ष 2018-19 में वार्षिक लक्ष्य अभी भी बताया नहीं गया है लेकिन 4.05 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इनमें से 3.05 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत और 1.00 लाख मकान इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए थे।

भौतिक और वित्तीय प्रगति का ब्योरा इस प्रकार है :

तालिका 8.7 : इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रदर्शन

वर्ष	वार्षिक भौतिक लक्ष्य (लाख)	पूरे हो चुके आवास (लाख)	
		समस्त	अजा एवं अजजा
2012-13	8.36	8.40 (100.4)	3.72 (44.3)
2013-14	6.06	6.95 (114.8)	3.12 (51.6)
2014-15	2.75	4.99 (181.5)	2.48 (90.2)

टिप्पणी : 1. मासिक प्रगति प्रतिवेदन पर आधारित

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती कॉलम के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.8 : इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रदर्शन

वर्ष	वार्षिक भौतिक लक्ष्य (लाख)	पूरे हो चुके आवास (लाख)			धनराशि का उपयोग						उपयोग का प्रतिशत
					समस्त (लाख रु.)			अजा एवं अजजा (लाख रु.)			
		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	इंदिरा आवास योजना	योग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	इंदिरा आवास योजना	योग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	इंदिरा आवास योजना	योग	
2015-16	2.33	-	2.77	2.77	-	127593.9	127593.9	-	48713.16	48713.16	44.12
2016-17	6.37	-	6.89	6.89	291.25	61960.79	62252.04	158.25	25316.13	25474.38	12.99
2017-18	5.38	0.28	2.85	3.13	324373.65	65207.80	389581.45	131052.20	29467.46	160519.66	75.94
2018-19 (28 जन. 19 तक)	-	3.05	1.00	4.05	465331.15	23484.85	488816.00	99058.65	10730.14	109788.79	72.76

टिप्पणी : रिपोर्ट आवास सॉफ्ट पर आधारित

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के लिए बिहार में केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन को लोहिया स्वच्छता मिशन का सहयोग मिल रहा है। बिहार में अक्तूबर 2014 से इन दोनो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के बैनर तले किया जा रहा है और 2 अक्तूबर 2019 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का लक्ष्य लिया गया था।

ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण के क्रियान्वयन का दायित्व जून 2016 में मिला। उससे पहले उसका क्रियान्वयन बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा था।

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (जीविका) के माध्यम से जीविका के अंदर एक अलग वर्टिकल (लोहिया स्वच्छ भारत अभियान) का निर्माण करके कराने का फैसला किया। इसलिए कि स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जीविका का एक मुख्य घटक है।

ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन में बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी ने खुले में शौच से मुक्त बिहार का लक्ष्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हासिल करने के लिए निम्नलिखित चीजों पर काम किया है।

(1) स्वच्छाग्रहियों, स्वयं सहायता समूह की दीदियों, पंचायती राज संस्था के सदस्यों आदि की संलग्नता के जरिए बीसीसी और समुदाय की संलग्नता पर फोकस।

(2) प्रक्रिया को सुगम और खास जिम्मेवारियों के साथ पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश/ निर्देश जारी करना।

(3) ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।

(4) लाभार्थी को पारदर्शी तरीके से प्रोत्साहन राशि अंतरित करने (डीबीटी) के लिए डिजिटल टेक्नालॉजी संबंधी नवाचार और उपयोग।

(5) बीसीसी और पारिवारिक स्तर पर प्रेरणा देने में जीविका के स्वयं सहायता समूहों की बड़ी श्रमशक्ति का उपयोग।

(6) मांग और आपूर्ति के बीच फासले में कमी के लिए जीविका के ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संघ के जरिए ग्रामीण स्वच्छता बाजार की स्थापना।

23 जनवरी 2019 तक 1.15 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मामले में राज्य ने 100 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल किया। इस दौरान 3,954 ग्राम पंचायत, 21,237 गांव, 151 प्रखंड और 5 जिले (सीतामढ़ी, शेखपुरा, रोहतास, मुंगेर और बेगूसराय) खुले में शौच से मुक्त भी घोषित किए गए।

संबंधित विभागों और जिलों के समवेत प्रयास से राज्य में तय समय से पहले ही स्वच्छता संबंधी लक्ष्य हासिल कर लेने की आशा है।

जन वितरण प्रणाली

जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लक्ष्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली कीमत पर तयशुदा मात्रा में बुनियादी खाद्य और खाद्येतर सामग्रियां उपलब्ध कराना है। यह राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकता है। लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के अलावा, जन वितरण प्रणाली किसानों को उनके दो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की उचित कीमत पाने में भी मदद करती है क्योंकि जन वितरण प्रणाली द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) से प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें निगम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदता है। जन वितरण प्रणाली के जरिए चावल गेहूं, चीनी और किरासन तेल – चार जरूरी सामग्रियों का वितरण किया जाता है। इसका संचालन राज्य भर में फैले उचित मूल्य की दूकानों (एफपीएस) के नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

अभी बिहार में उचित मूल्य की दूकानों के नेटवर्क में 42,520 दूकानें हैं और उनके दूकानदार विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले हैं। तालिका 8.9 में सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर दूकानदारों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। कुल दूकानों में हिस्से के लिहाज से चार महत्वपूर्ण श्रेणियां पिछड़ी जातियां (27.8 प्रतिशत), सामान्य जातियां (19.9 प्रतिशत), अनुसूचित जातियां (16.7 प्रतिशत) और पूर्वसैनिकों की सहकारी समितियां (10.3 प्रतिशत) हैं। इन चारो का जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों में संयुक्त रूप से लगभग तीन–चौथाई हिस्सा है। हालांकि अन्य सामाजिक समूहों का हिस्सा अपेक्षाकृत सीमित है, लेकिन गौरतलब है कि अति पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की भी दूकानदारी में कुछ हिस्सेदारी है। चार वर्षों (2015 से 2018) में वितरण के पैटर्न से यह भी पता चलता है कि उचित मूल्य के दूकानों की दूकानदारी का यह पैटर्न इन वर्षों के दौरान व्यवहारतः

अपरिवर्तित रहा है। विभिन्न जिलों में सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर दूकानदारों का प्रतिशत वितरण सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका प 8.6) में प्रस्तुत किया गया है। वितरण में निस्संदेह जिलों के बीच भिन्नता है लेकिन कुछ सीमित मामलों को छोड़कर कोई बहुत अधिक भिन्नता नहीं है। जैसे, जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों में महिलाओं का हिस्सा दरभंगा में सर्वाधिक 19.5 प्रतिशत है जबकि राज्य का औसत 8.6 प्रतिशत है।

तालिका 8.9 : जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि

दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि	दूकानों की संख्या				प्रतिशत हिस्सा			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
अनुसूचित जाति	6891	6905	6773	7103	16.4	16.4	16.3	16.7
अनुसूचित जनजाति	327	331	336	319	0.8	0.8	0.8	0.8
पिछड़ी जाति	12463	12337	11897	11801	29.6	29.3	28.7	27.8
अति पिछड़ी जाति	3109	3203	3298	3632	7.4	7.6	8.0	8.5
अल्पसंख्यक	2812	2806	2659	2705	6.7	6.7	6.4	6.4
महिला	3361	3344	3340	3640	7.0	8.0	8.1	8.6
महिला स्वयं सहायता समूह	209	204	184	208	0.5	0.5	0.4	0.5
अन्य स्वयं सहायता समूह	105	102	108	103	0.3	0.2	0.3	0.2
सहकारी समिति (पूर्व सैनिक)	4494	4469	4406	4365	10.7	10.6	10.6	10.3
नि:शक्त	180	178	181	186	0.4	0.4	0.4	0.4
सामान्य जाति	8190	8180	8301	8458	19.4	19.5	20.0	19.9
योग	**42141**	**42059**	**41483**	**42520**	**100**	**100**	**100**	**100**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

जन वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को दो समूहों में बांटा गया है –अंत्योदय परिवार और विशेषाधिकृत परिवार (पीएचएच)। अंत्योदय परिवारों को हर महीने 21 कि.ग्रा. चावल और 14 कि.ग्रा. गेहूं मिलता है। दूसरी ओर विशेषाधिकृत लाभार्थियों को परिवार के हर सदस्य के लिए हर महीने 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न (2 कि.ग्रा. गेहूं और 3 कि.ग्रा. चावल) मिलता है। बिहार में जन वितरण प्रणाली के कामकाज का ब्योरा तालिका 8.10 में प्रस्तुत है। तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में जन वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसलिए कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों द्वारा खाद्यान्नों का वास्तविक उठाव 2014-15 से 2017-18 तक के सभी वर्षों में आबंटन के 95 प्रतिशत से अधिक रहा है। वर्ष 2017-18 में खाद्यान्नों का उठाव आबंटन का 97.6 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में आबंटन और उठाव के जिलावार आंकड़े तालिका प 8.7 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। राज्य के स्तर की तरह सभी जिलों में भी उठाव का प्रतिशत काफी ऊंचा है। गेहूं के मामले में सिर्फ चार जिलों (पटना, जहानाबाद, खगड़िया और बांका) में उठाव का अनुपात 90 प्रतिशत के नीचे था। चावल के मामले में स्थिति और भी अच्छी है क्योंकि सिर्फ दो जिलों (पटना और जहानाबाद) में ही आबंटित चावल का वास्तविक उठाव 90 प्रतिशत से कम था।

तालिका 8.10 : विशेषाधिकृत परिवार और अंत्योदय के तहत चावल और गेहूं का कुल आबंटन और उठाव

(आंकड़े हजार टन में)

	कुल आबंटन (विशेषाधिकृत परिवार + अंत्योदय)			कुल उठाव (विशेषाधिकृत परिवार + अंत्योदय)			कुल उठाव का प्रतिशत
	गेहूं	चावल	योग	गेहूं	चावल	योग	
2014-15	1966.0	2948.9	4914.9	1871.0	2828.4	4699.4	95.6
2015-16	2096.5	3144.6	5241.1	2053.6	2987.7	5041.3	96.2
2016-17	2197.4	3296.1	5493.5	2087.1	3165.0	5252.1	95.6
2017-18	2187.7	3281.6	5469.3	2135.2	3205.1	5340.3	97.6

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

8.3 पंचायती राज संस्थाएं

विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक विकेंद्रीकरण एक मुख्य जरूरत है। बिहार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआइ) को सामने लाने वाला प्रमुख राज्य था और पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव 1948 में ही कराया गया था। दुर्भाग्यवश, बाद में पंचायती राज संस्थाएं कमजोर पड़ गई थीं जो 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के बाद पुनर्जीवित हुईं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अंतिम चुनाव मई 2016 में कराया गया था। अभी राज्य में जिला स्तर पर 38 जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर 534 पंचायत समितियां और ग्राम स्तर पर 8,386 ग्राम पंचायत हैं। राज्य में कुल मिलाकर 1,161 जिला परिषद सदस्य, 11,497 पंचायत समिति सदस्य, और 1.15 लाख ग्राम पंचायत सदस्य हैं (तालिका 8.11)। पंचायती राज संस्थाओं के इन निर्वाचित सदस्यों के अलावा कामकाज में उनकी मदद करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कुछ अन्य कर्मचारी-अधिकारी भी होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित और नियोजित, दोनो प्रकार के कर्मचारियों-अधिकारियों का ब्योरा तालिका 8.11 में प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि जिला और प्रखंड स्तर पर पर्याप्त संख्या में नियोजित कर्मचारी (जिला पंचायती राज अधिकारी और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी) हैं। हालांकि ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ रिक्तियां मौजूद हैं।

तालिका 8.11 : बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

विवरण	संख्या	विवरण	संख्या
जिला परिषद	38	ग्राम पंचायत सचिव	3701
पंचायत समिति	534	न्याय मित्र	6947
ग्राम पंचायत	8386	ग्राम कचहरी सचिव	7474
ग्राम पंचायत सदस्य	114691	जिला पंचायती राज अधिकारी	38
पंचायत समिति सदस्य	11497	प्रखंड पंचायती राज अधिकारी	528
जिला परिषद सदस्य	1161	ग्राम कचहरी सदस्य	114691

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.12 : पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के लिए 2014-15 से 2017-18 तक अनुदान

(लाख रु.)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
ग्राम पंचायत				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	27821.0	0.0	0.0	0.0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0.0	0.0	5091.1	6000.0
3. मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना	1084.0	0.0	0.0	0.0
4. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	107105.0	237627.0	314208.0	409680.0
5. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	0.0	0.0	135453.7	17844.3
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0.0	0.0	62000.0	162500.0
7. पंचायत सरकार भवनों का निर्माण	36863.0	12269.0	46222.0	30000.0
8. आकस्मिक अनुदान	0.0	321.0	4035.0	7000.0
9. ग्राम पंचायत सदस्यों/ कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	15383.0	8172.0	9161.7	13274.0
योग	**188256.0**	**258389.0**	**576171.4**	**806798.3**
पंचायत समिति				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	7949.0	0.0	0.0	0.0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0.0	0.0	0.0	01.0
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	30662.0	2829.0	0.0	0.0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	0.0	0.0	18729.8	24180.2
5. पंचायत समिति सदस्यों को भत्ते	1946.0	1947.0	2140.70	2892.0
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0.0	0.0	0.0	0.0
योग	**40557.0**	**4776.0**	**20870.5**	**27073.2**
जिला परिषद				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	3975.0	227.0	0.0	0.0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0.0	0.0	0.0	01.0
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	15287.0	1414.0	0.0	0.0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	5026.0	0.0	47456.0	57535.5
5. जिला परिषद सदस्यों को भत्ते	431.0	432.0	409.4	560.0
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0.0	0.0	0.0	0.0
योग	**24719.0**	**2073.0**	**47865.4**	**58096.5**
कुल योग	**253532.0**	**265238.0**	**644907.2**	**891968.0**

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

पंचायती राज संस्थाओं को अपने विकास कार्यक्रमों के वित्तीयन और अपने प्रशासननिक व्ययों के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत धनराशि मिलती है। तालिका 8.12 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को 2014-15 से 2017-18 तक, चार वर्षों के दौरान मिली धनराशि का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2014-15 में इन्हें कुल

2,535.32 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त हुआ था जो 2015-16 में थोड़ा बढ़कर 2,652.38 करोड़ रु. हो गया। हालांकि अगले साल कुल अनुदान दूने से भी अधिक होकर 6,449.07 करोड़ रु. तक पहुंच गया। 2017-18 के बजट अनुमान के अनुसार कुल अनुदान और भी अधिक 8,919.68 करोड़ रु. अनुमानित है जो गत वर्ष से 38.3 प्रतिशत की वृद्धि है। यह भी देखा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए विभिन्न स्रोतों से अनुदान में विगत वर्षों के दौरान काफी अंतर रहा है। जैसे, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से अनुदान पहले काफी अधिक हुआ करता था लेकिन 2016-17 में यह शून्य हो गया। इसी प्रकार, वित्त आयोगों के तहत अनुदान ग्राम पंचायतों के लिए लगातार बढ़े लेकिन अन्य दो स्तरों (पंचायत समिति और जिला परिषद) के लिए नहीं।

8.4 गृहभूमि वितरण

पुनर्वितरण मूलक न्याय वर्तमान सरकार की एक मुख्य घोषणा है। इसके अंश के बतौर राज्य सरकर वैसे परिवारों को 5 डिसिमल जमीन उपलब्ध करा रही है जिनके पास घर बनाने के लिए कोई जमीन नहीं है। भूमि वितरण कार्यक्रम के तीन घटक हैं - महादलित विकास योजना, गृहस्थल योजना और जनजातीय उप-योजना। गृहभूमि वितरण हेतु बजट आबंटन और वास्तविक व्यय के 2016-17 और 2017-18 के आंकड़े तालिका 8.13 में प्रस्तुत हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम के लिए बजट आबंटन 2016-17 में 5.17 करोड़ रु. था जो 2017-18 में बढ़कर 5.19 करोड़ रु. हो गया लेकिन वास्तविक व्यय में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए 2016-17 में वित्तीय उपलब्धि 73.2 प्रतिशत थी जो काफी घटकर अगले साल मात्र 51.8 प्रतिशत रह गई।

तालिका 8.13 : गृहभूमि वितरण के लिए बजट आबंटन और वास्तविक व्यय

योजना का नाम	2016-17			2017-18		
	बजट आबंटन (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत)	बजट आबंटन (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत)
महादलित विकास योजना	350.7	350.5	99.9	264.0	254.3	89.5
गृहस्थल योजना	28.0	28.0	100.0	100.0	2.0	2.0
जनजातीय उप-योजना	138.3	0.0	0.0	156.7	2.6	1.7
योग	**517.1**	**378.5**	**73.2**	**519.3**	**268.9**	**51.8**

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

8.5 आपदा प्रबंधन

बिहार में आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। ये आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी। बिहार के 38 में से कम से कम 28 जिले बाढ़प्रवण हैं और उनमें से अधिकांश उत्तर बिहार में हैं। साथ ही, 8 जिले (गया, नवादा, जमुई, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर और बांका) सूखाप्रवण हैं और ये सभी दक्षिण बिहार के जिले हैं। इनके अलावा बिहार के 38 में से 33 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन योजना दो घटकों में विभाजित है - आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा संकट प्रबंधन। पहला घटक विभिन्न आपदाओं से बचाव, प्रभाव शमन और तत्परता से संबंधित हैं। दूसरे, आपदा संकट प्रबंधन आई आपदाओं के प्रति अनुक्रिया से संबंधित हैं जिनमें राहत, पुनर्निर्माण और पुनःस्थापन शामिल हैं। आपदा प्रबंधन के ये दोनो घटक बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (बीएसडीएमए) के तहत काम करते हैं जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित वैधानिक निकाय है।

तालिका 8.14 में बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए 2013-14 से 2016-17 तक का व्यय दर्शाया गया है। कुल व्यय में काफी अंतर रहा है जो 2015-16 में 85.01 करोड़ रु. था तो 2016-17 में 1,569.11 करोड़ रु.। इनमें से अधिकांश व्यय बाढ़ के कारण आई आपदा पर हुआ है। वर्ष 2016-17 में हुए 1,569.11 करोड़ रु. के कुल व्यय में सर्वाधिक 61.1 प्रतिशत नगद सहायता पर किया गया जिसके बाद 19.4 प्रतिशत तटबंधों और सिंचाई प्रणाली की मरम्मत पर और 9.6 प्रतिशत कृषि लागत सामग्रियों के प्रावधान पर।

तालिका 8.14 : बाढ़ और चक्रवात के लिए आबंटित रकम

(करोड रु.)

कार्यक्रम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राहत एवं बचाव उपकरण	7.61	3.17	0.0	0.00
सूखे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति	293.06	121.98	19.15	30.38
नगद सहायता	187.53	99.45	13.96	959.68
कपड़ों और बर्तनों का वितरण	1.10	3.34	5.50	8.89
पेयजल की आपूर्ति	0.42	0.00	0.00	1.50
सड़कों और पुलों की मरम्मत	2.80	0.00	0.15	0.00
सुरक्षित जगह ले जाने संबंधी कार्य	37.13	18.30	15.33	58.35
सार्वजनिक भवनों की मरम्मत	0.93	2.10	0.17	22.78
कृषि लागत सामग्रियां	121.16	38.70	0.0004	151.91
नावों की मरम्मत	7.14	4.77	5.41	4.90
तटबंधों तथा सिंचाई प्रणाली की मरम्मत	0.00	5.00	14.16	304.66
मानव हेतु दवाएं	0.00	0.00	0.0	0.00
बाढ़जनित दुर्घटनाओं के मामले में सहायता	3.50	3.63	2.87	18.17
प्राकृतिक आपदा जनित दुर्घटनाओं के मामले में सहायता (बाढ़ छोड़कर)	2.78	1.19	8.31	7.90
योग	**665.14**	**301.64**	**85.01**	**1569.11**

8.6 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है और यह उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहां नम उपोष्ण जलवायु है। अभी राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 7,299 वर्ग किमी है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.8 प्रतिशत है। तालिका 8.15 में वन क्षेत्र से 2013-14 से 2017-18 के बीच संग्रहित राजस्व और इन वर्षों के दौरान वनों पर हुआ व्यय दर्शाया गया है। राजस्व की बात करें, तो इसमें लगातार वृद्धि दिखती है जो 2013-14 के 16.22 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 22.08 करोड़ रु. हो गया है। यह सिर्फ चार वर्षों में 36.1 प्रतिशत की वृद्धि है। व्यय की बात करें तो इस मामले में कोई स्पष्ट रुझान नहीं है। हाल के वर्षों में सर्वाधिक व्यय 2016-17 में 334.67 करोड़ रु. दर्ज किया गया था। वहीं सबसे कम 250.65 करोड़ रु. व्यय 2013-14 में था।

तालिका 8.15 : वन विभाग का राजस्व और व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	राजस्व	व्यय		
			योजना	योजनेतर	योग
1	2013-14	16.22	156.80	93.84	250.65
2	2014-15	16.10	230.84	95.47	326.31
3	2015-16	17.52	179.87	106.88	286.76
4	2016-17	21.22	226.15	108.51	334.67
5	2017-18	22.08	148.90	117.03	265.93

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। सबसे पहले तो पर्यावरण एवं वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया। दूसरे, बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (बीएपीसीसी) को भी संशोधित किया जा रहा है और संबंधित विभागों से संबंधित जलवायु परिवर्तन हेतु राज्य की वर्तमान वित्त व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना हेतु वित्तीय रूपरेखा (सैपफिन) में प्राथमिकता दी जा रही है। इस दस्तावेज को 2018 में प्राथमिकता दी गई और उसमें पाया गया कि वन विभाग का लगभग 74 प्रतिशत व्यय जलवायु परिवर्तन पर था और इस व्यय का 24 प्रतिशत हिस्सा जलवायु संबंधित जोखिमों के लिहाज से अतिसंवेदनशील है। इसी प्रकार, ऊर्जा विभाग के मामले में 48 प्रतिशत व्यय जलवायु परिवर्तन के लिहाज से प्रासंगिक था और 33 प्रतिशत जलवायु संबंधित जोखिमों के लिहाज से अतिसंवदेनशील था। जलवायु परिवर्तन के मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग जल संसाधन विभाग है। इस विभाग के मामले में जलवायु संबंधित व्यय 62 प्रतिशत था और व्यय का 53 प्रतिशत हिस्सा जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील था।

सैपफिन का सुझाव है कि जलवायु संबंधी भावी वित्तपोषण का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा राज्य द्वारा, लगभग 9 प्रतिशत केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा और लगभग 12 प्रतिशत केंद्रीय अनुकूलन कोष और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों हरित जलवायु कोष से उपलब्ध कराया जाए। सैपफिन विभिन्न क्षेत्रगत और विकासमूलक कार्ययोजनाओं के समेकन की गुंजाइश देता है, जैसे कि संशोधित सैपफिन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, कृषि रोडमैप और सुस्थिर विकास लक्ष्य (एसडीजी) रोडमैप को समेकित किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 14 शहर भारत में हैं। इनमें से 3 शहर - पटना, गया और मुजफ्फरपुर बिहार में हैं। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की गई है जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के निर्देश के अनुरूप बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (बीएसपीसीबी) द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

संबंधित शहरों की उत्सर्जन संबंधी अपडेटेड इनवेंट्री का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों और उनके द्वारा उत्सर्जन की मात्रा को चिन्हित करने के लिए किया गया। चार्ट 8.1 में नवंबर और दिसंबर 2018 में पटना में पीएम 2.5 के स्तरों का ब्योरा दिया गया है। वायु प्रदूषण के बारे में उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए पर्षद ने बिहार में विभिन्न स्थानों पर 8 सद्यः वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र (एक्यूएमएस) स्थापित किए गए हैं।

आरेख 8.1 : पटना में शीतऋतु 2018 में पीएम 2.5 के स्तर

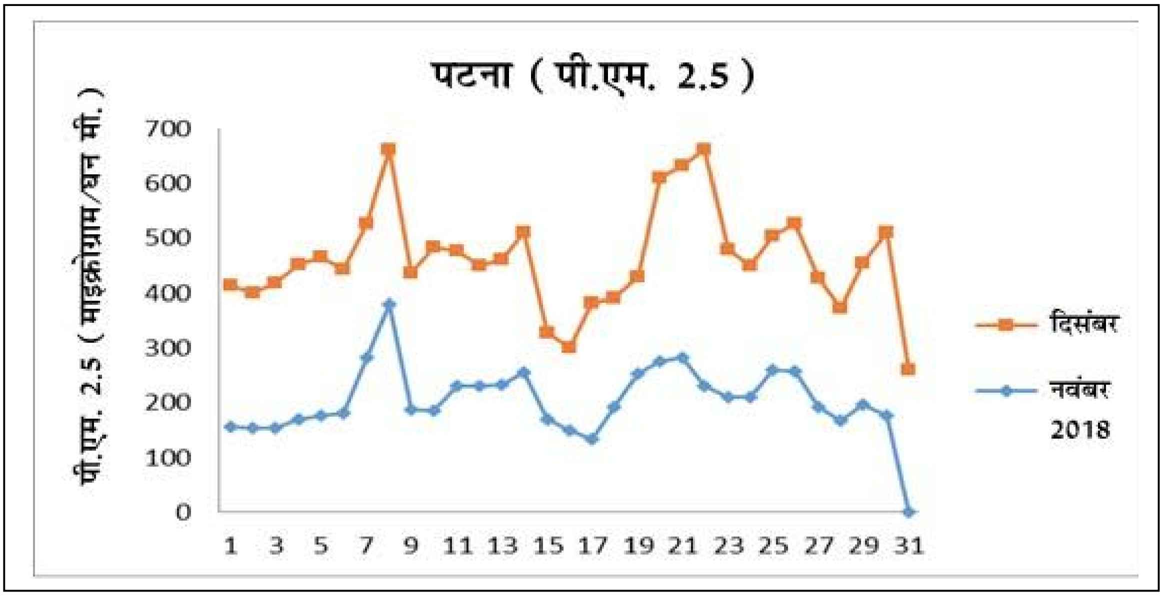

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

परिशिष्ट

तालिका प 8.1 : तेंदुलकर प्रविधि द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आकलित गरीबी रेखा के नीचे की राज्यवार आबादी

राज्य	2004-05			2011-12		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
आंध्र प्रदेश	32.3	23.4	29.6	11.0	5.9	9.2
अरुणाचल	33.6	23.5	31.4	39.0	20.3	34.7
असम	36.4	21.8	34.4	34.0	20.5	32.0
बिहार	**55.7**	**43.7**	**54.4**	**34.1**	**31.2**	**33.7**
छत्तीसगढ़	55.1	28.4	49.4	44.7	24.8	39.9
दिल्ली	15.6	12.9	13	13.0	9.8	9.9
गोवा	28.1	22.2	24.9	6.8	4.1	5.1
गुजरात	39.1	20.1	31.6	21.5	10.1	16.6
हरियाणा	24.8	22.4	24.1	11.6	10.3	11.2
हिमाचल प्रदेश	25.0	4.6	22.9	8.5	4.3	8.1
जम्मू	14.1	10.4	13.1	11.5	7.2	10.4
झारखंड	51.6	23.8	45.3	40.8	24.8	37.0
कर्णाटक	37.5	25.9	33.3	24.5	15.3	21.0
केरल	20.2	18.4	19.6	9.1	5.0	7.1
मध्य प्रदेश	53.6	35.1	48.6	35.7	21.0	31.7
महाराष्ट्र	47.9	25.6	38.2	24.2	9.1	17.4
मणिपुर	39.3	34.5	37.9	38.8	32.6	36.9
मेघालय	14.0	24.7	16.1	12.5	9.3	11.9
मिजोरम	23.0	7.9	15.4	35.4	6.4	20.4
नगालैंड	10.0	4.3	8.8	19.9	16.5	18.9
ओडिशा	60.8	37.6	57.2	35.7	17.3	32.6
पुदुच्चेरी	22.9	9.9	14.2	7.7	9.2	8.3
पंजाब	22.1	18.7	20.9	16.1	10.7	14.7
राजस्थान	35.8	29.7	34.4	9.9	3.7	8.2
सिक्किम	31.8	25.9	30.9	15.8	6.5	11.3
तमिलनाडु	37.5	19.7	29.4	16.5	7.4	14.1
त्रिपुरा	44.5	22.5	40	11.6	10.5	11.3
उत्तर प्रदेश	42.7	34.1	40.9	30.4	26.1	29.4
उत्तराखंड	35.1	26.2	32.7	22.5	14.7	20.0
पश्चिम बंगाल	38.2	24.4	34.2	17.1	6.3	9.7
अंडमान एवं निकोबार समूह	4.1	0.8	3.0	1.6	0.0	1.0
चंडीगढ़	34.7	10.1	11.6	1.6	22.3	21.8
दादरा एवं नगर हवेली	63.6	17.8	49.3	62.6	15.4	39.3
दमन एवं दिउ	2.6	14.4	8.8	0.0	12.6	9.9
लक्षद्वीप	0.4	10.5	6.4	0.0	3.4	2.8
भारत	**42**	**25.5**	**37.2**	**25.7**	**13.7**	**21.9**

स्रोत : नीति आयोग, भारत सरकार

तालिका प 8.2 : जिलावार बहुआयामी गरीबी सूचकांक

जिला	बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI = H*A)	कुल गणना अनुपात : बहुआयामी गरीब आबादी (H)	गरीबों में वंचना की सघनता (A)
पटना	0.1	28.2	44.2
नालंदा	0.2	47.3	47.1
भोजपुर	0.2	39.4	43.5
बक्सर	0.2	41.4	42.7
रोहतास	0.2	39.0	41.6
कैमूर	0.2	46.7	44.1
गया	0.3	55.5	45.8
जहानाबाद	0.2	45.8	46.8
अरवल	0.2	53.0	44.5
नवादा	0.2	50.6	47.0
औरंगाबाद	0.2	44.3	43.6
सारण	0.2	42.6	43.8
सीवान	0.2	39.8	43.2
गोपालगंज	0.2	42.6	43.4
पश्चिम चंपारण	0.3	56.7	48.1
पूर्व चंपारण	0.3	61.5	48.9
मुजफ्फरपुर	0.2	48.3	45.9
सीतामढ़ी	0.3	65.0	48.8
शिवहर	0.3	62.1	47.8
वैशाली	0.2	46.8	45.8
दरभंगा	0.3	56.6	47.2
मधुबनी	0.3	56.9	47.1
समस्तीपुर	0.3	55.5	48.5
बेगसराय	0.2	49.9	47.9
मुंगेर	0.2	40.0	46.0
शेखपुरा	0.2	52.2	45.5
लखीसराय	0.2	43.9	47.1
जमुई	0.3	64.0	47.4
खगड़िया	0.3	58.6	50.2
भागलपुर	0.2	45.5	48.5
बांका	0.3	59.9	46.8
सहरसा	0.3	61.6	50.7
सुपौल	0.3	66.3	47.4
मधेपुरा	0.3	68.0	49.6
पूर्णिया	0.3	67.0	49.9
किशनगंज	0.3	66.0	49.3
अररिया	0.3	68.7	50.3
कटिहार	0.3	62.5	50.0
बिहार	**0.2**	**52.2**	**47.2**

स्रोत : ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

तालिका प 8.3 : विभिन्न सूचकों के लिहाज से बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत

जिला	स्वास्थ्य		शिक्षा		जीवन-स्तर					
	पोषण	बाल मृत्यु	स्कूली शिक्षा के वर्ष	बच्चे की स्कूल में उपस्थिति	रसोई का इंधन	स्वच्छता	पेयजल	बिजली	आवास	परिसंपत्तियां
पटना	21.6	2.8	12.7	5.6	26.1	24.3	1.1	9.4	23.9	11.4
नालंदा	37.2	4.2	21.6	14.2	45	43.1	1.9	21.8	36.3	20.9
भोजपुर	32.7	3.5	12	6.3	38.1	37.7	0.1	21.1	35.7	12.3
बक्सर	34.1	5.5	12.6	3.6	40.4	38.3	0.1	21	38.5	12.6
रोहतास	33.8	5	9.5	3.6	38.3	36.4	1.3	12.1	34.7	13.5
कैमूर	37.6	4.1	15.2	8.8	46.1	44.7	4.8	17.8	44	16
गया	47.2	7.6	19.7	9.2	54.8	51.8	4.6	20.5	51.4	22.5
जहानाबाद	35.4	3.3	21	10.2	44.8	42.5	1.4	23.5	38.8	25
अरवल	44.7	4.1	15.9	7.6	52	51	0.4	34.1	49.1	21.8
नवादा	40.9	2.4	21.1	12	48.9	45.1	2.2	29.2	42.5	31.3
औरंगाबाद	36.3	3.3	13.2	7.5	43.4	40.6	0.9	26.5	40.7	14.4
सारण	31.1	3.4	16.4	9.2	41.7	40.3	1.7	23.3	37.4	11.3
सीवान	31.1	4.5	11.6	8	37.2	37.4	1.1	23.8	35.5	9.2
गोपालगंज	32.4	3.5	15.8	7.3	41.2	39.1	0.8	25.1	40	9.4
पश्चिम चंपारण	42.7	4.2	34.5	19.9	59.7	56.3	0.5	42.4	58	19.8
पूर्व चंपारण	36.5	4.4	31.9	17.4	54.8	52.8	3	39.3	54.4	16.6
मुजफ्फरपुर	36.8	3.5	23.5	11	46.9	45.4	0.3	20	46	15.7
सीतामढ़ी	47.2	5.2	36.2	16.6	63.1	60.2	0.8	44.4	62.9	23.5
शिवहर	43	6.6	37.6	13.3	60.1	55.6	0.9	30.1	59.9	26
वैशाली	38.2	5.4	21.2	7.8	44.9	41.1	1.3	25.1	42.8	13.1
दरभंगा	43.4	4	29.4	13.4	54.6	49.8	0.5	31.2	54.5	20.3
मधुबनी	45.2	4.1	26.6	11.3	56	53.8	0.9	33.1	55.1	21.6
समस्तीपुर	41.0	2.8	29.1	12.9	53.9	53.1	1.4	41.2	53.3	24.2
बेगसराय	39.4	5.3	27.5	10.7	48	42.3	1.3	24.1	46.5	20.1
मुंगेर	32.2	3.8	18	6.4	38.1	35.5	4.7	20.4	34.8	16.7
शेखपुरा	44.4	5.3	23.2	9.3	50.6	45.4	6.1	15	41	22.7
लखीसराय	33.7	5.2	22.7	9.3	43	37.8	4.9	13.3	36.9	23.4
जमुई	50.8	5.5	29	11.9	63.2	61.5	16.7	29	59.1	24.9
खगड़िया	44.8	5.5	34.8	15.1	57.8	51.5	0.3	36.1	54.2	29.4
भागलपुर	34.9	3.6	26.1	10.6	45.1	41.7	2.3	20.9	41.9	20.3
बांका	46.7	4.6	27.6	9.7	59.5	57.7	7.0	36.7	56.3	21.3
सहरसा	48.7	5.6	34.5	18.6	60.8	60	0.7	33.6	59.9	25.3
सुपौल	53.2	4	34.9	14.7	65.5	64	0.4	29.3	65.1	21.2
मधेपुरा	51.9	4.9	40.3	18.6	67.2	65.4	0	36.6	66.5	24.1
पूर्णिया	53.1	7.4	37.8	15.9	66.9	64.1	0	40.2	65.1	22.9
किशनगंज	49.3	3.4	41.1	19.3	65.3	63.1	0.8	36.6	61.1	19.6
अररिया	51.5	7.7	41.1	18.7	68.6	66.7	0.4	40.3	66.3	22.9
कटिहार	43.4	4.2	37.6	19.6	62.3	57.7	0.4	50.8	59.5	17.7
बिहार	**40.04**	**4.50**	**25.41**	**11.95**	**50.89**	**48.38**	**1.68**	**28.85**	**48.61**	**18.73**

स्रोत : ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

तालिका प 8.4 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति

जिला	जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों की सं. (लाख)			जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों में अजा परिवारों का प्रतिशत हिस्सा			रोजगार मांगने वाले जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों का प्रतिशत		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	5.13	5.55	5.68	25.74	25.37	25.37	0.00	14.06	12.04
नालंदा	4.04	4.28	4.33	37.13	36.49	36.67	12.15	17.95	15.27
भोजपुर	3.33	3.57	3.58	34.08	32.72	32.51	9.41	17.88	16.59
बक्सर	2.65	2.83	2.76	30.55	29.73	29.46	26.13	25.80	24.87
रोहतास	3.55	3.64	3.69	32.12	31.11	30.90	12.89	21.56	17.45
कैमूर	2.09	2.19	2.25	38.36	37.17	36.67	17.61	21.88	18.81
गया	5.48	5.73	5.99	56.21	55.13	54.63	8.40	17.81	18.23
जहानाबाद	1.40	1.50	1.53	31.46	30.37	29.73	23.22	29.86	33.63
अरवल	0.98	1.14	1.08	31.64	27.62	25.03	22.12	35.86	42.74
नवादा	3.95	4.25	4.46	30.21	30.61	31.46	18.08	20.04	19.30
औरंगाबाद	3.38	3.58	3.76	42.17	41.40	41.13	15.70	23.58	23.43
सारण	4.73	5.23	5.36	24.28	24.80	24.36	12.72	21.64	17.36
सीवान	2.99	3.08	3.12	18.96	18.75	18.61	12.08	17.31	13.99
गोपालगंज	3.48	3.53	3.37	19.84	19.44	18.90	11.57	19.35	16.74
पश्चिम चंपारण	4.51	4.88	5.11	18.74	17.99	17.68	11.56	19.69	18.96
पूर्व चंपारण	6.16	6.46	6.72	19.44	18.88	18.29	14.05	18.60	14.73
मुजफ्फरपुर	5.98	6.26	6.37	23.68	22.93	22.25	6.61	13.07	12.97
सीतामढ़ी	4.37	4.65	4.96	22.46	21.45	20.13	17.35	22.72	25.40
शिवहर	0.85	0.91	0.89	20.61	19.57	18.68	36.25	33.13	26.83
वैशाली	5.41	5.78	5.91	33.17	32.27	30.99	9.09	15.67	18.35
दरभंगा	4.84	5.12	5.64	27.11	25.98	24.15	11.48	18.74	19.39
मधुबनी	5.11	5.42	5.56	22.21	21.41	20.86	12.37	17.66	13.49
समस्तीपुर	4.75	5.19	5.73	30.63	29.23	28.18	15.19	21.33	20.84
बेगसराय	3.20	3.37	3.49	23.07	22.27	21.47	10.79	15.82	17.25
मुंगेर	1.85	1.98	2.09	16.76	16.38	16.01	12.99	20.38	23.51
शेखपुरा	0.97	0.95	1.01	37.27	36.52	36.23	18.66	26.59	21.46
लखीसराय	1.57	1.74	1.82	23.56	23.22	23.05	17.81	25.08	27.05
जमुई	2.58	2.81	2.96	25.60	24.64	23.80	26.41	26.00	27.33
खगड़िया	1.80	1.97	2.09	25.38	24.68	23.84	11.37	17.88	16.77
भागलपुर	3.92	4.12	4.20	13.66	13.16	12.74	12.96	18.52	17.80
बांका	2.85	3.02	3.16	16.34	15.82	15.59	20.90	26.36	23.78
सहरसा	3.42	3.81	3.99	22.54	21.08	20.45	26.26	33.44	30.45
सुपौल	3.08	3.30	3.36	22.34	21.16	25.06	17.10	21.53	19.46
मधेपुरा	3.32	3.64	3.78	25.52	24.09	22.89	24.97	30.26	29.55
पूर्णिया	4.48	4.86	4.99	17.94	17.55	16.77	16.45	21.79	20.66
किशनगंज	2.48	2.62	2.71	10.26	9.71	9.33	13.56	25.84	25.73
अररिया	4.27	4.52	4.76	17.40	16.70	16.00	19.47	26.48	20.08
कटिहार	4.64	5.00	5.28	15.90	15.30	14.59	18.42	22.76	20.38
बिहार	**133.60**	**142.48**	**147.55**	**25.91**	**25.13**	**24.65**	**14.40**	**20.91**	**19.69**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.4 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (लगातार)

जिला	रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का प्रतिशत			सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति-दिवस)			कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	0.0	0.9	0.1	0.0	24.3	17.4	0.0	48.6	47.6
नालंदा	5.2	1.0	0.6	18.4	25.4	19.6	45.8	50.5	51.6
भोजपुर	3.6	0.7	0.2	8.2	15.9	13.1	30.7	34.2	39.4
बक्सर	8.7	0.5	0.6	29.7	18.8	19.4	29.6	34.5	35.6
रोहतास	2.2	0.2	0.2	11.6	18.4	14.0	25.0	30.4	34.3
कैमूर	2.6	0.9	1.3	11.9	14.8	12.5	29.4	33.7	37.4
गया	0.3	0.2	0.2	10.2	28.0	25.9	53.5	55.1	55.1
जहानाबाद	11.9	2.5	2.1	15.3	18.2	20.4	43.4	44.7	45.1
अरवल	2.4	1.0	0.4	6.4	12.4	14.4	40.2	40.2	43.0
नवादा	3.5	0.4	0.9	26.7	25.1	25.8	50.4	53.1	54.5
औरंगाबाद	4.6	1.9	2.9	20.9	31.0	32.2	32.3	35.5	38.2
सारण	5.6	2.1	2.8	25.1	38.8	34.9	21.2	28.7	34.8
सीवान	5.8	1.1	1.2	11.7	14.9	11.5	26.4	30.4	37.1
गोपालगंज	2.2	0.7	0.6	12.3	22.2	18.2	27.8	30.8	34.6
पश्चिम चंपारण	2.2	0.5	0.3	18.1	29.9	22.0	32.3	34.7	39.8
पूर्व चंपारण	3.8	0.4	0.5	34.3	38.0	33.9	32.9	35.7	39.0
मुजफ्फरपुर	2.3	0.4	0.5	12.3	23.1	21.1	36.6	41.2	44.6
सीतामढ़ी	2.2	0.2	0.3	20.5	25.6	31.3	41.8	44.2	47.1
शिवहर	5.5	0.3	0.0	15.3	11.0	7.4	46.2	44.2	46.1
वैशाली	3.0	0.1	0.5	16.1	24.5	28.9	43.6	45.0	46.7
दरभंगा	3.8	0.4	0.1	18.4	29.2	30.3	47.4	49.9	51.0
मधुबनी	2.2	0.2	0.3	21.5	25.9	18.6	48.6	50.6	52.3
समस्तीपुर	4.8	1.3	2.0	26.9	35.8	42.0	45.8	48.3	51.4
बेगसराय	2.6	1.3	1.4	9.4	13.7	16.3	53.7	57.0	55.6
मुंगेर	5.8	0.6	0.3	8.2	12.2	14.8	39.3	44.4	47.8
शेखपुरा	4.3	0.7	0.4	7.0	8.7	6.7	45.3	54.1	51.4
लखीसराय	5.2	0.2	0.2	11.9	14.8	17.1	43.9	49.6	50.7
जमुई	5.1	0.2	0.4	26.0	19.8	23.8	43.8	47.1	50.3
खगड़िया	0.3	0.2	0.2	4.2	7.4	7.8	53.7	57.8	59.3
भागलपुर	4.9	0.6	0.9	17.4	22.0	21.8	39.2	39.1	40.9
बांका	4.0	0.3	0.3	19.3	23.2	20.8	42.1	48.4	49.3
सहरसा	3.7	0.3	0.1	39.0	39.0	34.3	48.1	50.4	52.8
सुपौल	3.5	0.4	0.3	19.0	19.3	16.0	42.9	46.9	49.6
मधेपुरा	5.2	0.7	0.9	34.8	36.3	36.7	48.6	49.9	51.6
पूर्णिया	1.9	0.1	0.4	24.5	24.4	26.6	46.7	49.2	53.5
किशनगंज	3.0	1.1	0.8	11.5	20.0	19.0	39.0	42.4	46.3
अररिया	3.3	0.2	0.1	21.6	22.0	15.9	41.1	43.5	47.9
कटिहार	2.4	0.2	0.1	25.5	24.7	24.9	45.7	48.1	50.1
बिहार	**3.9**	**0.6**	**0.7**	**670.9**	**858.4**	**817.3**	**40.8**	**43.8**	**46.6**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.5 : मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति

(लाख रु.)

जिला	2015-16			2016-17			2017-18		
	उपलब्ध रकम	प्रयुक्त रकम	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध रकम	प्रयुक्त रकम	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध रकम	प्रयुक्त रकम	उपयोग का प्रतिशत
पटना	4461.4	2013.7	45.1	6764.6	3077.4	45.5	8817.4	5310.2	60.2
नालंदा	4947.9	4478.4	90.5	6544.1	6050.3	92.5	7317.7	7003.0	95.7
भोजपुर	2997.3	2716.1	90.6	4381.3	3946.0	90.1	4841.6	4354.6	89.9
बक्सर	8217.6	7703.0	93.7	8805.1	8307.8	94.4	8208.6	7630.8	93.0
रोहतास	3475.4	2807.9	80.8	4946.9	4007.6	81.0	5833.6	4899.3	84.0
कैमूर	3291.2	2882.5	87.6	4181.5	3828.2	91.6	4861.2	4232.9	87.1
गया	4052.3	1988.5	49.1	8078.1	6304.4	78.0	10888.6	8971.2	82.4
जहानाबाद	3936.5	3769.5	95.8	5010.9	4844.1	96.7	6638.7	6447.4	97.1
अरवल	1099.1	988.6	89.9	3322.0	3282.0	98.8	5541.0	5414.2	97.7
नवादा	7403.7	7260.3	98.1	6599.5	6405.5	97.1	8527.3	8311.0	97.5
औरंगाबाद	5602.4	5204.2	92.9	8563.5	7769.3	90.7	12703.0	11771.2	92.7
सारण	7481.6	6815.9	91.1	10545.1	9792.7	92.9	15947.6	15016.1	94.2
सीवान	3580.3	2517.2	70.3	4367.2	3709.5	84.9	4695.4	4017.7	85.6
गोपालगंज	3348.8	2307.5	68.9	6720.0	6212.6	92.4	7917.8	7341.1	92.7
पश्चिम चंपारण	4770.0	4099.8	85.9	6937.3	6244.1	90.0	7373.5	6668.0	90.4
पूर्व चंपारण	9562.2	8597.6	89.9	10682.5	9938.0	93.0	13155.1	12424.6	94.4
मुजफ्फरपुर	5042.9	2527.8	50.1	6058.4	4315.9	71.2	7313.4	5416.4	74.1
सीतामढ़ी	5816.8	4634.5	79.7	7165.6	6101.6	85.2	11047.0	10096.0	91.4
शिवहर	9745.5	3108.2	31.9	4193.7	3708.6	88.4	3913.6	3431.5	87.7
वैशाली	3953.3	3295.6	83.4	6101.3	5506.7	90.3	11895.9	11116.3	93.4
दरभंगा	5089.2	3789.7	74.5	8123.0	6941.8	85.5	13022.6	11867.0	91.1
मधुबनी	5203.9	4730.5	90.9	7626.0	7106.8	93.2	8610.9	8079.6	93.8
समस्तीपुर	8306.3	7159.3	86.2	11260.6	10140.6	90.1	14820.7	13628.0	92.0
बेगसराय	6518.0	5994.9	92.0	6668.7	6144.9	92.1	9057.9	8463.0	93.4
मुंगेर	2619.5	2469.1	94.3	3148.1	2790.4	88.6	5638.7	5385.1	95.5
शेखपुरा	1683.0	1652.4	98.2	2215.0	2160.1	97.5	2345.5	2274.8	97.0
लखीसराय	3412.4	3276.4	96.0	3269.5	3121.2	95.5	6585.5	6422.8	97.5
जमुई	6787.8	6675.0	98.3	6301.9	6137.5	97.4	8668.4	8468.5	97.7
खगड़िया	1018.5	811.8	79.7	1938.0	3931.5	202.9	2734.6	2548.6	93.2
भागलपुर	4828.5	4535.0	93.9	5773.6	5310.3	92.0	8465.6	8066.3	95.3
बांका	4375.1	3900.7	89.2	5893.2	5492.1	93.2	6939.3	6550.1	94.4
सहरसा	6654.8	6425.0	96.5	12280.9	11942.1	97.2	12079.0	11821.5	97.9
सुपौल	5799.6	3750.0	64.7	7173.0	5310.4	74.0	7879.4	5965.9	75.7
मधेपुरा	8189.4	7892.7	96.4	7558.8	7250.1	95.9	12468.4	11990.5	96.2
पूर्णिया	6132.0	5120.8	83.5	7598.9	6483.7	85.3	9793.7	8633.5	88.2
किशनगंज	2380.1	1896.6	79.7	3953.4	3644.0	92.2	6149.3	5705.1	92.8
अररिया	6280.1	5023.2	80.0	6570.4	5381.3	81.9	6842.4	5628.9	82.3
कटिहार	7445.2	6748.1	90.6	6438.7	5994.6	93.1	8643.5	8293.0	95.9
बिहार	**199242**	**162575**	**82**	**243760**	**219205**	**90**	**318120**	**292976**	**92**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.6 : बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण (2017-18)

जिला	दूकानदारों की सं.	अजा/ अजजा	पिछड़ी/ अति पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	महिला	महिला/ अन्य स्वयं सहायता समूह	हेल्पर समिति/ पीएसी/ पूर्व-सैनिक समिति	सामान्य	योग
पटना	2529	17.6	45.7	2.5	11.3	0.3	7	15.6	100
नालंदा	1196	14.7	41.7	4	9.7	1.8	16.1	12	100
भोजपुर	1262	14.6	36.5	3.7	10.6	0	10.4	24.3	100
बक्सर	733	19.1	35.1	2.5	5.9	1.5	13.5	22.5	100
रोहतास	927	23.2	34.7	6.3	5.8	1.1	12	16.9	100
कैमूर	596	23.5	42.1	6.5	7.4	0	4.2	16.3	100
गया	1723	31.5	30.6	5.3	6.3	1.8	9.9	14.6	100
जहानाबाद	444	18.7	32.7	4	7.7	0.4	12.6	23.7	100
अरवल	325	22.5	51.7	0	3.4	0	0	22.5	100
नवादा	782	0.1	40.3	5	11.4	1.5	15.9	25.8	100
औरंगाबाद	1095	17.2	35.9	4	4	0.2	9.4	29.4	100
सारण	2315	11.6	31.5	2.4	16.2	0	10.6	27.7	100
सीवान	1501	13.7	37.3	8.1	6	0.5	7.1	27.4	100
गोपालगंज	1152	13.3	28.7	2.5	7.9	0.1	17	30.6	100
पश्चिम चंपारण	1945	20.4	31.3	12	6.3	0.1	13.1	17	100
पूर्व चंपारण	2169	13.2	38.1	9	5.1	0.6	10	24	100
मुजफ्फरपुर	1897	18.3	31.7	4	9.1	1.2	11.4	24.4	100
सीतामढ़ी	975	17.6	41.5	6.7	6.7	1.1	12.3	14.1	100
शिवहर	299	13.4	31.1	4.7	8	1	13.4	28.4	100
वैशाली	1311	15	37.9	1.8	7	1	16.4	21.1	100
दरभंगा	1795	12.4	31.3	9.4	19.5	0.5	6.2	20.7	100
मधुबनी	1465	19.3	35.9	7.6	5.6	1.3	11.1	19.4	100
समस्तीपुर	1461	20.6	35.2	2.5	5.3	0.7	13.9	22	100
बेगसराय	1021	27.3	27.3	4.3	12	0	4.6	24.5	100
मुंगेर	576	8.7	49.5	5	9.4	0.2	10.1	17.2	100
शेखपुरा	289	16.6	36.3	2.4	6.6	0	12.5	25.6	100
लखीसराय	360	11.4	34.2	2.5	10.3	2.2	10.3	29.2	100
जमुई	756	19.7	34.4	3.6	4.4	0	13.6	24.3	100
खगड़िया	604	14	49	2.7	14.9	3.2	5.5	10.8	100
भागलपुर	1320	15	46.1	10.4	7.3	0	10.4	10.8	100
बांका	1723	31.5	30.6	5.3	6.3	1.8	9.9	14.6	100
सहरसा	693	18.9	38.1	9.8	4.8	1.3	15.2	12	100
सुपौल	708	11.7	46.5	8.9	4.2	0	15.3	13.4	100
मधेपुरा	578	14.9	46.4	4.7	8.1	0.4	16.8	8.8	100
पूर्णिया	1154	18.6	36.1	16.2	9.7	2.8	6.2	10.3	100
किशनगंज	577	14	26.2	0	4.2	0.4	8.3	46.6	100
अररिया	1242	14.9	31.1	23.7	15	0	7.2	8.2	100
कटिहार	1022	18.5	38.3	10.7	3.6	0	13.1	15.9	100
बिहार	**42520**	**17.5**	**36.3**	**6.4**	**8.6**	**0.7**	**10.7**	**19.9**	**100**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार (11/10/2018 तक)

तालिका प 8.7 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2017-18)

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	125620	106965	85.1	188431	159502	84.6
नालंदा	55803	55712	99.8	83705	82753	98.9
भोजपुर	51425	51106	99.4	77138	71919	93.2
बक्सर	23820	23820	100.0	35730	35730	100.0
रोहतास	47617	47617	100.0	71425	71425	100.0
कैमूर	25848	25848	100.0	38772	38661	99.7
गया	83280	83280	100.0	124920	124920	100.0
जहानाबाद	18221	14792	81.2	27331	23404	85.6
अरवल	13808	13388	97.0	20712	20637	99.6
नवादा	43836	43836	100.0	65753	65481	99.6
औरंगाबाद	45984	45983	100.0	68975	68975	100.0
सारण	70797	70797	100.0	106195	106195	100.0
सीवान	61005	61005	100.0	91507	87757	95.9
गोपालगंज	45304	42459	93.7	67956	62394	91.8
पश्चिम चंपारण	83959	83959	100.0	125938	125939	100.0
पूर्व चंपारण	112291	112291	100.0	168438	168438	100.0
मुजफ्फरपुर	100872	100872	100.0	151307	151308	100.0
सीतामढ़ी	76779	76779	100.0	115168	115168	100.0
शिवहर	14424	14424	100.0	21636	21636	100.0
वैशाली	78776	78776	100.0	118164	118161	100.0
दरभंगा	93713	90016	96.1	140569	129713	92.3
मधुबनी	105112	105076	100.0	157667	157407	99.8
समस्तीपुर	101375	96918	95.6	152063	149909	98.6
बेगसराय	68120	68120	100.0	102179	102179	100.0
मुंगेर	27781	27781	100.0	41667	41667	100.0
शेखपुरा	11885	11271	94.8	17828	17827	100.0
लखीसराय	18834	17256	91.6	28251	27161	96.1
जमुई	37336	37336	100.0	56004	56004	100.0
खगड़िया	40590	36281	89.4	60885	57267	94.1
भागलपुर	60703	55373	91.2	91054	82977	91.1
बांका	44746	39783	88.9	67120	65287	97.3
सहरसा	45134	45134	100.0	67702	67377	100.0
सुपौल	50664	50664	100.0	75996	75996	100.0
मधेपुरा	45955	45954	100.0	68932	68932	100.0
पूर्णिया	75054	75054	100.0	112581	112532	100.0
किशनगंज	39986	39986	100.0	59979	59858	99.8
अररिया	72072	71917	99.8	108107	104905	97.0
कटिहार	69201	69201	100.0	103802	103802	100.0
बिहार	**2187730**	**2136830**	**97.7**	**3281587**	**3201203**	**97.6**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 9

नगर विकास

शहरीकरण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगीकृत आधुनिक अर्थव्यवस्था में अधिसंरचना और बुनियादी नागरिक सुविधाओं के मामले में तदनुकूल वृद्धि के साथ संक्रमण की अधिव्यक्ति है। शहरीकरण विकास प्रक्रिया और क्षेत्रगत संक्रमण का परिणाम भर नहीं है। यह बाजार आधारित विनिमयों, प्रौद्योगिकी और सामाजिक गतिशीलता के जरिए विकास प्रक्रिया के लिए प्रेरणा का भी काम करता है। अधिलघु कृषीतर क्षेत्र और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले वातावरण में बिहार में शहरीकरण की दर अत्यंत निम्न रही है, और बिहार अभी भी देश के सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक है। हालांकि राज्य में नगर विकास की भारी संभावना है क्योंकि इसका आधार बहुत निम्न है और आर्थिक गतिविधियों का क्रमशः विविधीकरण हो रहा है और हाल के वर्षों में क्षेत्र और पेशा संबंधी संक्रमणों में तेजी आई है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने के पलायन और कृषीतर कार्यों में लगने का रुझान किसी नगरीकृत समाज के सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण की अभिव्यक्तियां हैं।

बिहार में नगरों के रूपांतरण के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है और अभी नीतिगत दस्तावेजों में इस पर काफी ध्यान दिया गया है। नगर विकास की चुनौती के दो अलग-अलग आयाम हैं। पहला, नगर विकास में सहयोग के लिए मानव और भौतिक अधिसंरचना के आवश्यक सहयोग से युक्त बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान है। और दूसरा आयाम जो बिहार के संदर्भ में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, बड़े ग्रामीण केंद्रों को शहरी केंद्रों में बदलने से संबंधित है जिससे ये स्थान कृषीतर उत्पादन संबंधी अधिक गतिविधियों को सहयोग प्रदान करें। सौभाग्यवश, बिहार में राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में इन दोनो चुनौतियों के मामले में काफी सक्रियता दिखलाई है। अभी राज्य द्वारा नगर विकास संबंधी अन्य पहलकदमियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनमें से कुछ को केंद्र सरकार से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

9.1 शहरीकरण का स्तर

देश के शहरों के बीच बिहार में शहरीकरण का स्तर (11.3 प्रतिशत) सबसे कम है। शहरीकरण का राष्ट्रीय स्तर काफी अधिक - 31.2 प्रतिशत है (तालिका 9.1)। बिहार निस्संदेह देश के सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 8.6 प्रतिशत है लेकिन कुल शहरी आबादी में इसका 3.1 प्रतिशत ही हिस्सा है। बिहार में शहरीकरण का 'स्तर' तो निम्न है ही, यहां शहरीकरण की 'गति' भी धीमी दर्ज हुई है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत में शहरीकरण के स्तर में 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई और शहरी आबादी 2001 के 27.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.2 प्रतिशत हो गई। वहीं, बिहार में इस बीच इसमें 0.8 प्रतिशत अंकों की ही वृद्धि हुई और यह 2001 के 10.5 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत तक ही पहुंची। बिहार में शहरीकरण की यह धीमी गति निस्संदेह एक दीर्घकालिक परिघटना है। वर्ष 1961 से 2011 के बीच आधी सदी में बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 3.9 प्रतिशत बढ़ा है और 1961 से 7.4 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत हुआ है। वहीं, इस अवधि में देश में शहरीकरण के स्तर में 13.2 प्रतिशत अंकों से कम वृद्धि नहीं हुई है जो 1961 से 18.0 प्रतिशत से 2011 में 31.2 प्रतिशत हो गया है।

तालिका 9.1 : बिहार और भारत में शहरीकरण का रुझान

वर्ष	शहरी आबादी (लाख)		शहरीकरण का स्तर	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार
1961	789.4	25.8	18.0	7.4
1971	1091.1	32.4	18.2	7.7
1981	1594.6	50.1	23.3	9.6
1991	2171.8	64.9	25.7	10.0
2001	2853.5	86.6	27.8	10.5
2011	3771.1	117.6	31.2	11.3

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महानिबंधक, भारत सरकार

वर्ष 2001 और 2011 के बीच बिहार में शहरों की संख्या 130 से बढ़कर 199 हो गई (तालिका 9.2)। एक दशक में 69 अतिरिक्त शहरों का उद्भव निस्संदेह एक सकारात्मक विकास है लेकिन इनमें से अनेक नए शहर वस्तुत: बहुत छोटे हैं जिनकी आबादी 10 हजार से भी कम है। बिहार के 199 में से 26 शहर ही कम से कम की 1 लाख की आबादी वाले हैं जहां द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के विकास की आशा की जा सकती है। राज्य की नगर प्रणाली में राजधानी पटना ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी है क्योंकि राज्य की कुल शहरी आबादी में अकेले 14 प्रतिशत हिस्सा पटना का है और उसके बाद 4 प्रतिशत गया का।

तालिका 9.2 : शहरी आबादी का उनके आकार आधारित श्रेणीकरण के अनुसार वितरण

आकार आधारित श्रेणी	संख्या		आबादी (लाख)		आबादी की विकास दर
	2001	2011	2001	2011	
10 लाख से अधिक	1	1	14.3	16.8	1.6
1 लाख से 10 लाख	18	25	34.2	50.7	3.9
50,000 से 100,000	19	29	13.7	18.8	3.1
20,000 से 50,000	67	75	21.0	24.9	1.7
10,000 से 20,000	19	22	3.1	3.3	0.8
5,000 से 10,000	6	38	0.4	2.6	18.2
5,000से कम	-	9	-	0.3	-
योग	**130**	**199**	**86.8**	**117.6**	**3.06**

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महानिबंधक, भारत सरकार

बिहार के जिलों में शहरीकरण के स्तर की तुलना करने पर काफी अंतर दिखता है तालिका प 9.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट)। स्पष्टत: राज्य की राजधानी वाला जिला होने के नाते पटना जिले में शहरीकरण सर्वाधिक 43.1 प्रतिशत है। उसके बाद पांच जिलों में ही शहरीकरण 5 प्रतिशत से अधिक है। ये जिले हैं – नालंदा (15.9 प्रतिशत), शेखपुरा (17.1 प्रतिशत), बेगूसराय (19.2 प्रतिशत), भागलपुर (19.8 प्रतिशत) और मुंगेर (27.8 प्रतिशत)। दूसरी ओर, कम से कम सात जिलों – कैमूर, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल और मधेपुरा

– में शहरीकरण का स्तर 5 प्रतिशत से भी कम है। शहरीकरण के जिलावार आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर बिहार में शहरीकरण का स्तर दक्षिण बिहार से बहुत कम है।

पूरे बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं में तेजी से सुधार लाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को अपनाया है। इसलिए कि बिहार में निम्न शहरीकरण का एक कारण शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और जल निकासी प्रणाली जैसी पर्याप्त बुनियादी सेवाओं की अनुपस्थिति है। यह बात 2011 की जनगणना के आंकड़ों से साफ तौर पर प्रकट होती है (तालिका 9.3)। कुल शहरी परिवारों में से 16.7 प्रतिशत को ही अपने परिसर में पाइप से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। यहां तक कि राजधानी पटना में भी यह सुविधा लगभग आधे परिवारों को ही उपलब्ध थी। छोटे शहरों में तो यह अनुपात बहुत ही कम था। इसी प्रकार, पाइप आधारित मलजल निकासी व्यवस्था से जुड़े शौचालयों वाले घरों का प्रतिशत भी 7.2 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। ढंकी नालियों की उपलब्धता की सुविधा व्यापक तो है लेकिन सभी जगह नहीं है। बिहार में पूरे शहरी क्षेत्रों में नालियों का आच्छादन लगभग 30 प्रतिशत था। सर्वाधिक 61 प्रतिशत आच्छादन पटना में था।

तालिका 9.3 : बिहार में शहरों के आकार के अनुसार बुनियादी शहरी सेवाओं की उपलब्धता (2011)

शहर का आकार	परिसर में नल से पानी की उपलब्धता वाले परिवार (%)	पाइप्ड सीवर से जुड़े शौचालयों की उपलब्धता वाले परिवार (%)	ढंकी नालियों से जुड़े घरों वाले परिवार (%)
10 लाख से अधिक	50.8	19.6	61.3
1 लाख से 10 लाख	13.1	6.1	29.2
50,000 से 100,000	8.7	3.3	18.8
20,000 से 50,000	4.1	3.0	16.3
10,000 से 20,000	5.1	2.9	13.1
5,000 से 10,000	3.1	3.4	17.3
5,000 से कम	5.1	2.1	12.9
शहरी बिहार	16.7	7.2	29.9

स्रोत : भारत की जनगणना, 2011

बुनियादी सेवाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा हाल में कराए गए सर्वेक्षण से बिहार में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की स्थिति को समझा जा सकता है। इस सर्वेक्षण में बुनियादी शहरी सेवाओं के चार घटकों को शामिल किया गया था – पाइप से जलापूर्ति, शौचालय, सड़क और जल निकासी। ये आंकड़े अब तीन प्रकार के शहरी केंद्रों के लिए उपलब्ध हैं –नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। इस सर्वेक्षण में 19.08 लाख परिवारों को नमूना के बतौर लिया गया था (तालिका 9.4 और 9.5)।

पाइप से जलापूर्ति की बात करें, तो तीनों प्रकार के शहरी बसाहटों को ध्यान में रखने पर इसका आच्छादन काफी कम – मात्र 18 प्रतिशत है। यहां तक कि नगर निगम वाले अपेक्षाकृत बड़े शहरों में भी एक–तिहाई घरों तक ही पाइप से पानी पहुंचता है (तालिका 9.4)। हालांकि शौचालयों के मामले में बुनियादी सेवाओं की स्थिति काफी बेहतर है क्योंकि उसका आच्छादन लगभग 94.1 प्रतिशत था। बड़े शहरों में यह आच्छादन 96.1 प्रतिशत था।

तालिका 9.4 : बिहार के शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी और शौचालय की उपलब्धता

विवरण	शहरों का प्रकार			
	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत	योग
सर्वेक्षित परिवारों की संख्या (हजार)	759.7	635.8	522.6	1918.2
पाइप से जलापूर्ति वाले परिवारों का प्रतिशत	33.7	10.9	3.8	17.6
शौचालय वाले परिवारों का प्रतिशत	96.1	93.2	92.1	94.1

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरों के तेज विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त सड़कों की जरूरत पड़ती है जिनसे शहरों में आसानी से आना-जाना सुनिश्चित होता है। तालिका 9.5 में बिहार के शहरों में सड़कों की स्थिति प्रस्तुत की गई है। कंक्रीट की सड़कों, ब्लॉक बिछाकर बनी सड़कों और डब्ल्यूबीए (वाटर बाउंड मकादम) वाली सड़कों को किसी शहर में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क माना जा सकता है और शहरी क्षेत्रों की कुल सड़कों में उनका 71 प्रतिशत हिस्सा है। बिल्कुल आशानुरूप, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का आच्छादन बड़े शहरों में उससे भी अधिक (79 प्रतिशत) है। हालांकि नगर परिषद् और नगर पंचायत वाले शहरों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का हिस्सा कम है - 60 प्रतिशत से भी कम। इस स्थिति में सुधार की जरूरत है। जल निकासी सुविधा (तालिका 9.5) की बात करें, तो उसमें भी दिखता है कि आच्छादन एक जैसा नहीं है - यहां तक कि बड़े शहरों में भी, जहां लगभग 30 प्रतिशत सड़कों के किनारे नालियां हैं ही नहीं या कच्ची नालियां हैं।

तालिका 9.5 : बिहार के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और नालियों की स्थिति

	शहरों का प्रकार			
	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत	योग
प्रकार के अनुसार सड़कों का प्रतिशत वितरण				
कच्ची सड़कें	9.0	21.0	20.0	15.0
अलकतरा वाली सड़कें	6.0	12.0	17.0	9.0
कंक्रीट वाली सड़कें	74.0	61.0	52.0	67.0
ब्लॉक बिछी सड़कें	4.0	2.0	2.0	3.0
WBM वाली सड़कें	1.0	1.0	1.0	1.0
ईंट बिछी सड़कें	6.0	3.0	8.0	5.0
योग	100.0	100.0	100.0	100.0
नालियों के अस्तित्व के लिहाज से सड़कों का प्रतिशत वितरण				
बिना नालियों वाली	21.5	49.6	68.4	36.0
कच्ची नालियों वाली	9.4	8.5	5.5	8.4
पक्की नालियों वाली	67.4	41.4	25.9	54.4
ह्यूम पाइप वाली	1.7	0.5	0.2	1.2
योग	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

9.2 नगर विकास पर व्यय

हाल के वर्षों में राज्य सरकार अधिसंरचना वाली परियोजनाओं के लिए अधिक आबंटन के जरिए शहरी सेवाओं में सुधार के लिए नगर विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। वर्ष 2016-17 में नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार का कुल व्यय 6,420 करोड़ रु. था जो 2010-11 में मात्र 1,290 करोड़ रु. था। इसका अर्थ 20.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर होता है (तालिका 9.6)। कुल व्यय का आवास और नगर विकास के बीच अलग-अलग बंटवारा करने पर भी दिखता है कि नगर विकास पर व्यय उससे भी अधिक - 33.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जो इस दशक में इस क्षेत्र के प्रति राज्य सरकार की प्राथमिकता होने को दर्शाता है। तालिका 9.6 के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि नगर विकास एवं आवास पर बजट आबंटन के प्रतिशत के बतौर वास्तविक व्यय का स्तर हाल के वर्षों में ऊंचा अनुपात रहा है।

तालिका 9.6 : बिहार में नगर विकास एवं आवास का व्यय का पैटर्न

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट आबंटन			वास्तविक व्यय		
	आवास	नगर विकास	योग	आवास	नगर विकास	योग
2010-11	796	1744	2541	785 (98.6)	505 (29.0)	1290 (50.8)
2011-12	846	1233	2079	823 (97.3)	572 (46.4)	1395 (67.1)
2012-13	967	1336	2303	827 (85.5)	1139 (85.3)	1966 (85.4)
2013-14	1064	1784	2849	927 (87.1)	1364 (76.4)	2291 (80.4)
2014-15	3826	2108	5934	1598 (41.8)	1455 (69.0)	3053 (51.5)
2015-16	1897	1737	3634	1486 (78.3)	1649 (94.9)	3134 (86.2)
2016-17	2249	2837	5086	3596 (159.8)	2824 (99.5)	6420 (126.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपयोग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

9.3 नगर विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा में सुधार के लिए राज्य सरकार अभी अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इस खंड में राज्य योजना के तहत क्रियान्वित होने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना : 'सात निश्चय' योजना का लक्ष्य शिक्षा, कौशल विकास, बिजली के कनेक्शन, पाइप से जलापूर्ति, और सड़क तथा नालियां उपलब्ध कराने के जरिए लोगों की जिंदगी में सुधार लाना है। इन सातो निश्चयों में से तीन शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं - 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान', 'हर घर नल का जल' और 'हर घर पक्की गली एवं नालियां'। नगर विकास एवं आवास विभाग इन तीनो संकल्पों का क्रियान्वयन कर रहा है।

(क) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना : राज्य सरकार द्वारा 'हर घर नल का जल' योजना की शुरुआत 2019-20 तक शहरी क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइनों के कनेक्शनों के जरिए सभी परिवारों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस योजना के तहत सारे चापाकलों को हटाने का लक्ष्य है जिन पर शहरी आबादी अपनी पानी संबंधी जरूरतों के लिए निर्भर है। एक मोटा अनुमान है कि इस कार्यक्रम से लगभग 1.95 लाख परिवारों को लाभ होगा। योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम (ब्यूडको), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, और स्थानीय नगर निकायों के जरिए किया जा रहा है। सभी नगर निकायों को इन मानकों के अनुसार धनराशि आबंटित की गई है - कुल आवश्यक धनराशि का 30 प्रतिशत हिस्सा पांचवें राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के तहत आएगा, 2.30 प्रतिशत चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत आएगा और शेष रकम की व्यवस्था राज्य योजना शीर्ष से की जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 9.7 में दर्शाई गई हैं और जिलावार प्रगति तालिका प 9.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में दी गई है।

तालिका 9.7 : योजना की मुख्य विशेषताएं

सूचक	परिवारों की संख्या
परिवारों की कुल संख्या	19,08,164
पाइप से जलापूर्ति वाले परिवारों की संख्या	3,36,521
पाइप से जलापूर्ति के लिए आच्छादित परिवारों की संख्या	15,71,643
रणनीति	बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजना के तहत 32 शहरों में 99,079 परिवारों के लिए क्रियान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा अमृत योजना के तहत 21 शहरों में 6,05,148 परिवारों के लिए क्रियान्वयन ब्यूडको द्वारा एशियाई विकास बैंक की 2 योजनाओं और JnNURM की 3 योजनाओं के तहत 1,44,504 परिवारों के लिए क्रियान्वयन स्थानीय नगर निकायों द्वारा निश्चय योजना के तहत 116 निकायों में 7,22,912 परिवारों के लिए क्रियान्वयन
वार्डों की संख्या जिनमें निविदा जारी की गई	3,396 में से 2,826 वार्ड
वार्डों की संख्या जिनमें काम शुरू हुआ	2333
कनेक्शन पाने वाले परिवारों की संख्या	2,05,933

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

(ख) मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना : संकल्प लिया गया है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के हर वार्ड में सभी सड़कें कंक्रीट की बनाई जाएंगी। इसके अलावा हर शहरी बसाहट को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा जाएगा। हर घर को जल निकासी व्यवस्था और कंक्रीट की सड़कों से जोड़ने के लिए विभाग ने 'घर तक पक्की गली-नालियां' योजना शुरू की है। योजना की शुरुआत शहरी क्षेत्र में अवस्थित हर घर को स्थायी नाली और सड़क से जोड़ने का लक्ष्य लेकर की गई है। वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं के आधार पर

स्थानीय नगर निकायों ने दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं जिनका क्रियान्वयन अब प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जा रहा है।

पक्की नली-गली योजना के तहत 2019-20 तक 3,65,490 मकान आच्छादित होंगे। धनराशि की जरूरत पूरी करने के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वाली धनराशियों के लिए आरक्षित रखा गया है और शेष की पूर्ति राज्य योजना की धनराशि से की जाएगी। वर्षवार लक्ष्य तालिका 9.8 में और योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 9.9 में प्रस्तुत हैं। वहीं जिलावार लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका प 9.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 9.8 : योजना का वर्षवार लक्ष्य

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
लक्ष्य (परिवारों की संख्या)	73098 (20)	109647 (30)	109647 (30)	73098 (20)	365490 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.9 : घर तक पक्की गली-नालियां योजना की मुख्य विशेषताएं

सूचक	परिवारों की संख्या
परिवारों की कुल संख्या	19,08,164
निश्चय योजना के तहत आच्छादित परिवारों की संख्या	3,65,490
स्थिति	2016-17 में 73,098 के लक्ष्य में से 66,697 घरों को, 2017-18 में (पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित) 1,12,772 के लक्ष्य में से 68,885 घरों को और 2018-19 में 30.11.2018 तक (पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित) 1,53,029 के लक्ष्य में से 96,976 घरों को आच्छादित किया गया है।
प्राथमिकता सूची सहित दीर्घकालिक कार्ययोजना	वार्ड सभाएं करके सारे वार्डों में तैयार की गई और विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया
वार्डों की संख्या जिनमें निविदा जारी की गई	3,396 में से 3,234 वार्डों में
निविदा वाली योजनाओं की संख्या	7747
वार्डों की संख्या जिनमें काम शुरू हुआ	3,377 में से 3,125 वार्डों में
पूरी हुई योजनाओं की संख्या	5510
पूरी हुई गलियों की लंबाई	572.96
पूरी हुई नालियों की लंबाई	456.85

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

9.4 नगर विकास कार्यक्रम (केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित)

शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा में सुधार के लिए राज्य सरकार अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों का वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस खंड में महत्वपूर्ण नगर विकास कार्यक्रमों के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं – (1) नमामि गंगे योजना, (2) दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, (3) स्वच्छ भारत मिशन, (4) प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास, (5) अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत), (6) स्मार्ट सिटी मिशन, तथा (7) विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना (हृदय)।

नमामि गंगे योजना : यह केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में अग्रणी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत समेकित संरक्षण मिशन है जिसका इसका बजट 20,000 रु. है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना तथा गंगा का संरक्षण और पुनर्जीवन है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं – (क) मलजल उपचार क्षमता निर्माण (मलजल प्रबंधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के अंतर्गत है), (ख) नदी घाट विकास एवं निर्माण (पटना में नदी घाट विकास की परियोजनाएं अग्रिम चरणों में हैं) और (ग) नदी सतह की सफाई (घाटों पर और नदी में सतह पर तैरते ठोस अपशिष्टों को इकट्ठा करने के लिए नदी सतह की सफाई और उनका निपटान जारी है)। योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, इस योजना में वनरोपण और जागरूकता वृद्धि के घटक भी शामिल हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गंगा नदी के किनारे 20 शहरों की पहचान की गई थी। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति तालिका 9.10 में प्रस्तुत है।

तालिका 9.10 : नमामि गंगे योजना के तहत परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

क्षेत्र	परियोजना व्यय (करोड़ रु.)			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	-	-	-	426.9
मलजल निकासी नेटवर्क	-	1176.9	2135.74	829.27
मलजल उपचार संयंत्र सहित नलियों पर रोक और उनका मार्ग परिवर्तन	-	-	487.22	414.51
नदी घाट विकास	-	243.27	-	-
शवदाहगृह	-	40.86	-	66.63
सामुदायिक शौचालय	1.05	4.05	6.84	
योग	**1.05**	**1465.08**	**2629.80**	**1737.31**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन (DAY-NULM)

इस कार्यक्रम के 5 घटक हैं – (1) सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास (एसएमआइडी), (2) कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार (ईएसटीपी) (3) वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम (एफआइएसइपी – फाइसेप), (4) शहरी पथ विक्रेता हेतु सहायता (एसयूएसवी), और (5) शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (एयूएच – सुह)।

सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास (एसएमआइडी) : शहरी गरीब परिवारों को उनके अपने संस्थान बनाने के लिए गोलबंद करना प्रभावी और टिकाऊ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन में शहरी गरीबों की स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों में व्यापक सामाजिक गोलबंदी की बात सोची गई है। हर शहरी गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में लाया जा रहा है। सदस्य अगर महिला हो तो और भी बेहतर बात है। ये समूह गरीबों की वित्तीय और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए सहयोगी व्यवस्था के बतौर सेवा प्रदान कर रहे हैं।

तालिका 9.11 : 2017-18 में सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास के तहत उपलब्धियां

कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियां	उपलब्धि
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सं.	2185
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्य सं.	21850
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र-स्तरीय संघों की सं.	25
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित शहर-स्तरीय संघों की सं.	01
चक्रानुसारी कोष (रिवॉल्विंग फंड) संबंधी सहायता	1260

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार (ईएसटीपी) : इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के 42 शहरी केंद्रों में की गई थी। इनमें से 38 जिला मुख्यालय हैं और 4 अन्य शहर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीपीएल युवक-युवतियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें सवैतनिक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन और बिहार कौशल विकास मिशन (बीडीएसएम) के जरिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के संचालनात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन और बिहार कौशल विकास मिशन की प्रक्रिया और व्यय संबंधी मानकों के आरंभ के कारण 16 में से 7 मॉड्यूलर नियोजनीयता योजना (एमईएस) पाठ्यक्रमों के तहत ही प्रशिक्षण का काम हाथ में लिया गया है। पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के मापदंडों का पालन किया जाता है। विभाग ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के साथ मिलकर प्रशिक्षित लाभार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था की है।

तालिका 9.12 : 2017-18 में कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार के तहत उपलब्धियां

लाभार्थियों की श्रेणी	व्यक्तियों की संख्या	
	जिनका प्रशिक्षण जारी है	जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया
अनुसूचित जाति	487	496
अनुसूचित जनजाति	39	147
अन्य	2219	2861
योग	**2745**	**3504**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम (फाइसेप) : इस घटक के तहत शहरी गरीब व्यक्तियों या समूहों को उनके कौशल, सहज रुझान और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने पर फोकस किया गया है। नगर स्थानीय निकाय शहरी गरीब व्यक्ति के ऋण आवदेन की प्रोसेसिंग के लिए सहायता देते हैं। निकाय लाभार्थियों की कौशल संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करने और उन्हें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूसेटी) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में भी सहयोग करते हैं।

तालिका 9.13 : 2017-18 में वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां

क्र. सं.	कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियां	लाभान्वित
1	स्वरोजगार कार्यक्रम-1 : व्यक्तिगत	1725
2	स्वरोजगार कार्यक्रम : समूह	08
3	स्वयं सहायता समूह ऋण संपर्क	103
	योग	**1819**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरी पथ विक्रेता हेतु सहायता (एसयूएसवी) : इस कार्यक्रम का लक्ष्य बिहार के कुल 142 शहरी केंद्रों में शहरी पथ विक्रेताओं की गतिविधियों को संगठित करना है। सबसे पहले तो इसमें पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करना, उन्हें पहचान-पत्र जारी करना और विभिन्न कल्याण योजनाओं के साथ उनको जोड़ने में सहयोग करना प्रस्तावित है। खास कर कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में चिन्हित पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेश, प्रशिक्षण और बीमा आच्छादन को बढ़ावा दिया जाता है।

राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने पथ विक्रेता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधान सूत्रबद्ध और क्रियान्वित किए हैं। अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर विक्रय समितियों के साथ परामर्श करके राज्य सरकार ने फरवरी 2017 में (1) बिहार पथ विक्रेता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) योजना, 2017 तथा (2) बिहार पथ विक्रेता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2017 सूत्रबद्ध की है और उसको लागू कर रही है। अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बिहार के सभी शहरों में नगर विक्रय समितियों (टीवीसी) का गठन किया गया है। इस नियमावली के अनुसार सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं को परिचय-पत्र दिए जा रहे हैं। नगर विक्रय समितियों के परामर्श से स्थानीय नगर निकायों द्वारा नगर पथ विक्रय योजना विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। मोतिहारी शहर में विक्रय जोन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

तालिका 9.14 : 2017-18 में शहरी पथ विक्रेता सहायता के तहत उपलब्धियां

क्र. सं.	कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियां	प्रगति
1	**पथ विक्रेताओं का संरक्षण**	
i	पथ विक्रेता सर्वेक्षण के लिए आच्छादित शहरों की संख्या	98
ii	पथ विक्रेता सर्वेक्षण शुरू करने वाले शहरों की संख्या	98
iii	पथ विक्रेता सर्वेक्षण पूरा कर चुके शहरों की संख्या	06
iv	(बायोमेट्रिक सर्वेक्षण द्वारा) सर्वेक्षित शहरों में चिन्हित पथ विक्रेताओं की संख्या	--
v	पथ विक्रेताओं के लिए जारी पहचान-पत्रों की संख्या	9850
2	**अन्य**	
vi	पथ विक्रेताओं के लिए खुले बुनियादी बचत खातों की संख्या	805
vii	पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों की संख्या	25
viii	पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	27
ix	क्षमता विकास के तहत प्रशिक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या	2875
x	पथ विक्रेताओं को जारी क्रेडिट कार्डों की संख्या	20
xi	बीमा योजना के साथ जुड़े पथ विक्रेताओं की संख्या	192

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (एयूएच - सुह) : इस योजना का लक्ष्य शहरी गृहविहीन लोगों को जलापूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी अधिसंरचना सुविधाओं से युक्त स्थायी आश्रयों की उपलब्धता और उन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। शहरी गरीब लोगों के खास तौर पर असुरक्षित हिस्से (निर्भर बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग, मानसिक बीमार और गंभीर बीमारी से उबर रहे लोगों) की जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार गृहविहीनों के आश्रयों में विशेष खंड बना रही है और उनके लिए विशिष्ट सेवा संपर्क उपलब्ध करा रही है। विभाग ने 48 शहरों में 50 शय्याओं वाले 48 नए आश्रयों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। नए निर्माण के अलावा 66 मौजूदा आश्रयों की साज-सज्जा और संचालन एवं रखरखाव का काम भी इस योजना के तहत हाथ में लिया गया है।

तालिका 9.15 : आश्रयों के निर्माण के लिए विमुक्त वर्षवार धनराशि

वर्ष	आबंटन (लाख रु.)		
योजना	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य योजना शीर्ष (नागरिक सुविधा)	योग
2014-15	1407.14	370.30	1777.44
2015-16	396.00	0.00	396.00
2016-17	0.00	0.00	0.00
2017-18	298.57	0.00	298.57

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.16 : 2017-18 में शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (सुह) के तहत स्थिति

आश्रयों की स्वीकृति/ योजना	कार्यशील	निर्मित/ नवीकृत और कार्यशील होने की प्रक्रिया में	निर्माण/ नवीकरण की प्रक्रिया में
48 (नए निर्माण)	13	15	10
66 (कार्यसंचालन एवं रखरखाव सहित नवीकरण)	38	06	22
योग (114)	**51**	**21**	**32**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

स्वच्छ भारत मिशन

यह देश में स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए केंद्र सरकार की 2014 में शुरू की गई फ्लैगशिप योजना है। बिहार खुले में शौच की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है इसलिए राज्य सरकार ने इस समस्या की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार से हाथ मिलाया है। बिहार ने शहरी क्षेत्रों में 5.48 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। चार वर्षों के लिए इसका अनुमानित व्यय 759.60 करोड़ रु. है।

तालिका 9.17 : नवंबर 2018 तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भौतिक प्रगति

विवरण	निर्मित	निर्माणाधीन
व्यक्तिगत शौचालय	2,63,368	1,70,170
सामुदायिक शौचालय	5213	4311
सार्वजनिक शौचालय	3220	168

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

नवंबर 2018 तक राज्य के 142 शहरों में 290.00 करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए राज्य सरकार हर परिवार को 4,000 रु. की केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रु. देती है। अभी तक 142 में से 99 शहरी केंद्र और कुल 3,396 में से 3,270 वार्ड खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन का आरंभ जून 2015 में हुआ था। मिशन की अवधि मार्च 2022 तक है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आय वर्ग के गृहविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का ब्योरा तालिका 9.18 में प्रस्तुत है।

तालिका 9.18 : प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास के तहत प्रगति

ब्योरा	भौतिक विवरण (सं.)
प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न घटकों के तहत आवासों के निर्माण का कुल लक्ष्य	7.00 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न घटकों के तहत अभी तक आवासों की कुल मांग	5.50 लाख
i. लाभार्थी द्वारा निर्माण (BLC)	3.70 लाख
ii. ऋण संपर्क सब्सिडी योजना (CLSS)	0.50 लाख
iii. यथास्थान मलिनबस्ती पुनर्विकास (ISSR)	0.10 लाख
iv. साझीदारी में वहनीय आवास (AHP)	1.20 लाख
कुल शामिल शहर	140
कुल स्वीकृत परियोजनाएं	336 – लाभार्थी द्वारा निर्माण के तहत
कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयां	2,25,831
ब्योरा	**वित्तीय विवरण (लाख रु.)**
कुल परियोजना व्यय	1119257.985
कुल केंद्रांश	338746.50
कुल राज्यांश	112915.50
विमुक्त केंद्रांश	77577.66
विमुक्त राज्यांश	22651.63
नवंबर 2017 तक कुल व्यय	60233.00

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत)

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत जलापूर्ति योजनाओं और पार्कों को स्वीकृति दी है। मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं के विवरण तालिका 9.19 और 9.20 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 9.19 : जलापूर्ति, जल निकासी और पार्क परियोजनाओं का ब्योरा

योजना का नाम	कुल परियोजना व्यय (लाख रु.)	कुल व्यय (लाख रु.)	वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत)
हाजीपुर जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	10780.25	3411	31.6
बक्सर जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	7365.786	2293.2	31.1
छपरा जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	11788.2	3804	32.3
जहानाबाद जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	6993.24	2970.72	42.5
बगहा जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	9421.33	3013.71	32.0
मोतिहारी जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	9739.628	2059.36	21.1
सीवान जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	10235.31	3073	30.0
औरंगाबाद जलापूर्ति योजना - चरण 1	2977.1	2291.5	77.0
पूर्णिया जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	19583.17	2900	14.8
सासाराम जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	11260.29	3200	28.4
कटिहार जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	14646.832	1500	10.2
बेगूसराय जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	11844.25	1300.00	11.0
किशनगंज जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	7360.63	1300	17.7
बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	16210.78	1100	6.8
आरा जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	12306.83	0	0.0
दरभंगा जलापूर्ति योजना - चरण	6799.9	500	7.4
सहरसा जलापूर्ति योजना - चरण	9291.1	4385.2	47.2
बेतिया जलापूर्ति योजना - चरण	9725	2200	22.6
डेहरी जलापूर्ति योजना - चरण	8286.18	2800	33.8
क (योग)	**196615.806**	**44101.69**	**22.4**
भागलपुर वर्षाजल निकासी योजना	3265.95		
पटना वर्षाजल निकासी योजना	4894.99		
ख (योग)	**8160.94**	**0.00**	**0.0**
बक्सर में पार्क विकास	43.258	6.49	15.0
आरा में पार्क विकास	156.12	68.08	43.6
बिहारशरीफ में पार्क विकास	59.44	11.91	20.0
दरभंगा में पार्क विकास	82.988	33.20	40.0
छपरा में पार्क विकास	108.499	86.80	80.0
मोतिहारी में पार्क विकास	114.03	22.81	20.0
सीवान में पार्क विकास	63.021	37.81	60.0
किशनगंज में पार्क विकास	78.40	38.50	49.1
सासाराम में पार्क विकास	95.655	24.26	25.4
बेतिया में पार्क विकास	47.545	35.66	75.0
गया में पार्क विकास	338.31	10.00	3.0
पटना में पार्क विकास	472.00	47.20	10.0
सहरसा में पार्क विकास	49.47		0.0
ग (योग)	**1708.731**	**422.72**	**24.7**
कुल योग	**206485.48**	**44524.41**	**21.56**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.20 : स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

विवरण	परियोजनाओं की संख्या	रकम (करोड़ रु. में)
शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत	38	2184.25
राज्यस्तरीय उच्च शक्ति-प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) द्वारा स्वीकृत	35	2142.24
संविदा प्रदत्त	33	1966.16
कार्य प्रगति पर	33	1966.16

टिप्पणी : 33 परियोजनाओं पर हुआ व्यय 305.00 करोड़ रु. है।

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

स्मार्ट सिटी मिशन

इस योजना के तहत बिहार में चार शहरों को चुना गया है – पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर। चूंकि भागलपुर का चुनाव पहले चरण में ही हो गया था इसलिए भागलपुर के लिए 286 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ के लिए भी योजना बजट पर राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी जा चुकी है। पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की स्थापित कर दिए गए हैं। बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन का ब्योरा तालिका 9.21 (क) एवं (ख) और 9.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 9.21 (क) : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति

भागलपुर		रकम (करोड़ रु.)
i.	मल्टीमोडल इंटेलिजेंट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली	138.50
ii.	एसबीआर मलजल शोधन संयंत्र के साथ भूमिगत मलजल निकासी प्रणाली का विकास	119.39
iii.	चौबीसो घंटे जलापूर्ति	493.00
iv	कमांड एवं नियंत्रण संबंधी आंकड़ा केंद्र	31.40
बिहारशरीफ		
i.	व्यावसायिक क्षेत्र का विकास	109.00
ii.	वाहनों के आवागमन और सड़कों पर भीड़-भाड़ में सुधार	190.95
iii.	एकीकृत नगर शासन	140.90
मुजफ्फरपुर		
i.	व्यावसायिक क्षेत्र का विकास	194.02
ii.	वाहनों के आवागमन और सड़कों पर भीड़-भाड़ में सुधार	159.00
iii.	नदी और झील के किनारों का विकास	119.76
iv.	चौबीसो घंटे जलापूर्ति	52.61
पटना		
i.	रेलवे स्टेशन क्षेत्र का पुनर्विकास	433.00
ii.	स्मार्ट सड़क नेटवर्क	240.30
iii.	मलिनबस्ती मुक्त ABD	123.34
iv.	सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप	99.92
v.	बहु-उपयोगी स्मार्ट खंभे	148.50
vi.	समेकित मांड एवं नियंत्रण संबंधी आंकड़ा केंद्र	89.60

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.21 (ख) : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति

क्र. सं.	शहर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार		निविदा के चरण में (रुचि अभिव्यक्ति/ RFP)		कार्यादेश जारी होने के चरण में		काम पूरा होने के चरण में	
		परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)
1	भागलपुर	7	160.50	4	471.00	2	423.00	31	38.91	24	20.69
2	मुजफ्फरपुर	44	496.22	-	-	-	-	-	-	-	-
3	पटना	28	1570.30	14	395.76	12	372.65	1	51.90	1	490.00
4	बिहारशरीफ	12	329.54	3*	180.15	2	37.05	3	180.15		
	योग	**91**	**2556.60**	**18**	**1046.90**	**16**	**832.70**	**35**	**270.96**	**25**	**510.69**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.22 : स्मार्ट सिटी मिशन संबंधी व्यय

शहर	SCP व्यय (करोड़ रु.)	विशेष प्रयोजन माध्यम की स्थापना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति	CFO की नियुक्ति	CS की नियुक्ति	PMC की नियुक्ति	केंद्रांश विमुक्त	राज्यांश विमुक्त
भागलपुर (फास्ट ट्रैक - 25.05.2016)	1,309.30	14.12.2016	14.12.2016 (नगर आयुक्त)	अंशकालिक संलग्नता (हिमांशु शेखर)	अंशकालिक संलग्नता	02.08.2017 (आइएलएफ कंसल्टिंग अलमोंड्ज ग्लोबल के साथ)	196.00	186.00
मुजफ्फरपुर (तृतीय चक्र- 28.06.2017)	1,580.00	18.12.2017	18.12.2017 (नगर आयुक्त)	-	अंशकालिक संलग्नता (ए. कुमार एंड एसोसिएट्स)	18.06.2018 (श्रेयी इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस लि.)	56.00	52.50
पटना (तृतीय चक्र- 28.06.2017)	2,776.16	09.11.2017	24.07.2018 (अपर नगर आयुक्त)	नियुक्त	नियुक्त	(आइडेकके साथ एप्टिसा)	104.00	100.00
बिहारशरीफ (चतुर्थचक्र- 19.01.2018)	1,517.00	17.05.2018	17.05.2018 (नगर आयुक्त)	-	अंशकालिक	23.07.2018 यूआरएस स्कॉट विल्सन	55.00	50.00
योगफल	**7,182.46**						**411.00**	**388.50**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

पटना मेट्रो रेल

पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन में विशेष प्रयोजन माध्यम मॉडल में 13,412 करोड़ रु. व्यय होगा। परियोजना के लिए आरंभिक काम में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, व्यापक आवागमन योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण तैयार करना शामिल है। इस मकसद से राज्य मंत्रिमंडल से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव को केंद्रीय आवास एवं नगर कार्य मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

इसके पहले चरण में कुल 16.94 किमी लंबे पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरीडोर (दानापुर से बेली रोड और रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक) के निर्माण का प्रस्ताव है। दूसरे चरण में 14.45 किमी लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरीडोर प्रस्तावित है जो पटना रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीच) और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन होकर नया अंतर-राज्य बस अड्डा (न्यू आइएसबीटी) तक जाएगा।

9.5 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था

राज्य सरकार उन 35 स्थानीय नगर निकायों के आंकड़े संग्रहित करती रही है जिनमें 2015-16 तक दुहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली (डीईएएस) शुरू हो गई है। प्रासंगिक आंकड़े तालिका 9.23 में प्रस्तुत हैं। नगरपालिका निकायों की कुल राजस्व आय में राजस्व अनुदानों का बड़ा हिस्सा होता है। जैसे 2017-18 में उनकी कुल 1,079.31 करोड़ रु. की आय में राजस्व अनुदानों का हिस्सा 710.07 करोड़ रु. (65.8 प्रतिशत) था। जब तक नगरपालिका निकायों की स्वयं अर्जित आय तेजी से नहीं बढ़ती है, तब तक राजस्व अनुदानों पर उनकी भारी निर्भरता काफी समय तक बनी रहेगी। हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों की स्वयं अर्जित आय मामूली दर से ही बढ़ी है। व्यय के मामले में मुख्य घटक स्थापना व्यय है। वर्ष 2017-18 में उनका स्थापना व्यय 271.65 करोड़ रु. था जो 577.40 करोड़ रु. के कुल व्यय के 47.0 प्रतिशत से कम नहीं है। सामान्यतः बिहार के नगरपालिका निकाय देश के अन्य भागों की तरह ही बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह बात कुछ प्रस्तुत मुख्य वित्तीय सूचकों से स्पष्ट है। जैसे, 2017-18 में उनकी स्वयं अर्जित आय उनकी कुल राजस्व आय का मुश्किल से 13.7 प्रतिशत थी।

तालिका 9.23 : बिहार के 35 शहरों में नगरपालिका की वित्तीय स्थिति

(रकम लाख रु. में)

सूचक	योग			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व आय				
(a) स्वयं-अर्जित आय	1522.07	2179.63	12850.65	14784.76
(i) होल्डिंग कर	418.23	452.96	7957.36	8715.84
(ii) अन्य कर	209.69	331.51	1419.45	1426.60
(iii) करेतर आय	894.16	1395.161176	3473.84	4642.32
(b) दत्त आय	284.66	176.31	10823.83	17075.03
(c) राजस्व अनुदान	11885.73	11192.65	57913.36	71007.31
(d) अन्य आय/ प्राप्तियां	361.97	863.26	2315.49	5063.70
योग	**14054.43**	**14411.86**	**83903.33**	**107930.80**
राजस्व व्यय				
(a) स्थापना	4206.79	5270.40	27311.26	27165.33
(b) कार्यक्रम	1811.09	2936.65	0.00	0.00
(c) कार्यसंचालन/ रखरखाव	1095.85	1925.97	5316.37	17727.53
(d) वित्त/ ब्याज	0.68	0.55	0.02	0.05
(e) अन्य	7330.70	9474.68	14798.24	12847.37
योग	**14445.10**	**19608.25**	**47425.89**	**57740.28**
पूंजीगत अनुदान	32216.58	34418.31	46637.67	139337.054
मुख्य सूचक				
स्वयं अर्जित आय/ राजस्व आय (प्रतिशत)	10.83	15.12	15.32	13.70
स्वयं अर्जित आय/ स्थापना व्यय (प्रतिशत)	36.18	41.36	47.05	54.43

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट

तालिका प 9.1 : बिहार में जिलावार शहरीकरण (2001 और 2011)

जिला	शहरीकरण		जिला	शहरीकरण	
	2001	2011		2001	2011
पटना	41.6	43.1	वैशाली	6.8	6.7
नालंदा	14.9	15.9	दरभंगा	8.1	9.7
भोजपुर	13.9	14.3	मधुबनी	3.5	3.6
बक्सर	9.2	9.6	समस्तीपुर	3.7	3.5
रोहतास	13.3	14.5	बेगूसराय	4.6	19.2
कैमूर	3.3	4.0	मुंगेर	27.9	27.8
गया	13.7	13.2	शेखपुरा	15.6	17.1
जहानाबाद	12.1	12.0	लखीसराय	14.7	14.3
अरवल	–	7.4	जमुई	7.4	8.3
नवादा	7.7	9.7	खगड़िया	5.9	5.2
औरंगाबाद	8.4	9.3	भागलपुर	18.7	19.8
सारण	9.2	8.9	बांका	3.5	3.5
सीवान	5.5	5.5	सहरसा	8.3	8.2
गोपालगंज	6.1	6.4	सुपौल	5.1	4.7
पश्चिम चंपारण	10.2	10.0	मधेपुरा	4.5	4.4
पूर्व चंपारण	6.4	7.9	पूर्णिया	8.7	10.5
मुजफ्फरपुर	9.3	9.9	किशनगंज	10.0	9.5
सीतामढ़ी	5.7	5.6	अररिया	6.2	6.0
शिवहर	4.1	4.3	कटिहार	9.2	8.9
बिहार				**10.5**	**11.3**

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महानिबंधक, भारत सरकार

तालिका प 9.2 : मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की जिलावार प्रगति

जिला	कुल संख्या		परिवारों की संख्या				
			नल से पानी आपूर्ति की उपलब्धता	नल से पानी की उपलब्धता			
	शहरी वार्ड	शहरी परिवार		2016-17	2017-18	2018-19	योग
पटना	363	334941	159448	18131	9981	16664	44776
नालंदा	143	71177	21542	1908	1753	2111	5772
भोजपुर	119	57531	4551	2667	1110	2238	6015
बक्सर	60	22209	2261	584	1037	3292	4913
रोहतास	159	69214	12625	771	609	2635	4015
कैमूर	41	14294	1663	0	0	6553	6553
गया	105	86134	36897	4550	100	533	5183
जहानाबाद	52	27040	1718	3437	2054	2052	7543
अरवल	25	8685	0	0	500	1830	2330
नवादा	70	31307	2458	944	2968	4778	8690
औरंगाबाद	86	33638	261	0	615	0	615
सारण	162	75245	7889	1	0	11949	11950
सीवान	65	29674	76	35	1053	4526	5614
गोपालगंज	78	25947	0	85	167	1029	1281
पश्चिम चंपारण	137	67902	217	1015	1955	3828	6798
पूर्व चंपारण	170	69216	582	1917	1467	7585	10969
मुजफ्फरपुर	91	84825	24251	0	1980	4396	6376
सीतामढ़ी	103	36389	1088	670	1715	2825	5210
शिवहर	15	6344	36	36	755	0	791
वैशाली	97	36713	4473	2110	100	7851	10061
दरभंगा	77	75850	5182	505	0	930	1435
मधुबनी	71	30899	425	0	0	3909	3909
समस्तीपुर	61	23375	1671	0	0	650	650
बेगूसराय	144	87881	2426	100	0	4427	4527
मुंगेर	99	40491	6370	0	0	0	0
शेखपुरा	53	18559	3252	0	0	4013	4013
लखीसराय	57	28201	6896	1183	0	4392	5575
जमुई	52	25577	0	0	0	1010	1010
खगड़िया	46	18426	338	0	0	250	250
भागलपुर	116	98991	27241	451	934	9997	11382
बांका	36	12851	49	0	0	24	24
सहरसा	55	40033	62	510	970	0	1480
सुपौल	53	23219	91	586	1151	2023	3760
मधेपुरा	41	20293	6	163	623	3478	4264
पूर्णिया	80	68697	373	0	0	4910	4910
किशनगंज	64	34360	0	0	350	0	350
अररिया	73	33818	103	1154	973	28	2155
कटिहार	77	41775	0	0	0	784	784
बिहार	**3396**	**1911721**	**336521**	**43513**	**34920**	**127500**	**205933**

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महानिबंधक, भारत सरकार

तालिका प 9.3 : घर तक पक्की गली-नालियां योजना का जिलावार लक्ष्य और उपलब्धि

जिला	कुल संख्या		परिवारों की संख्या	
	शहरी घर	शहरी वार्ड	आच्छादन हेतु	आच्छादित
पटना	333594	363	51911	24128
नालंदा	71349	143	11306	20205
भोजपुर	57265	119	8948	9448
बक्सर	21875	60	5469	5491
रोहतास	66905	159	16223	10068
कैमूर	12796	41	3103	2695
गया	86716	105	11591	7019
जहानाबाद	27040	52	6627	2627
अरवल	8685	25	2171	1185
नवादा	31374	70	7586	4926
औरंगाबाद	33738	86	8219	4910
सारण	72218	162	12700	8201
सीवान	30883	65	7553	4226
गोपालगंज	26014	78	6177	4432
पश्चिम चंपारण	67884	137	16633	11622
पूर्व चंपारण	69525	170	16619	11323
मुजफ्फरपुर	84836	91	11226	4804
सीतामढ़ी	36389	103	8680	2890
शिवहर	6344	15	1459	231
वैशाली	36207	97	8840	4305
दरभंगा	75852	77	11226	6247
मधुबनी	30899	71	7431	9355
समस्तीपुर	23375	61	5609	2301
बेगूसराय	87882	144	14368	13600
मुंगेर	54716	99	8931	3382
शेखपुरा	19977	53	4994	4190
लखीसराय	28459	57	6959	3230
जमुई	25497	52	6232	3359
खगड़िया	18426	46	4442	1170
भागलपुर	87368	116	13336	4724
बांका	12851	36	2956	2910
सहरसा	40032	55	9870	1106
सुपौल	22731	53	5516	3087
मधेपुरा	20293	41	4932	2550
पूर्णिया	68697	80	9200	13858
किशनगंज	33896	64	8221	2559
अररिया	34201	73	8398	6511
कटिहार	41375	77	5276	3653
बिहार	**1908164**	**3396**	**360938**	**232528**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 10

बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

वर्ष 2016-17 से देश के बैंकिंग क्षेत्र में काफी परिवर्तन दिखा है,खास कर ऋणशोधन-अक्षमता एवं दिवाला संहिता (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड), 2016 के प्रवर्तन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 65,000 करोड़ रु. की योजना। इस अवधि को देश की वित्तीय सेवाओं में, खास कर देश की जनता के अभी तक वंचित तबकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की आउटरीच बढ़ाने के मामले में नवजीवन का संचार करने के लिहाज से अनेक नवाचारी उपायों के आरंभ के लिए भी लक्षित किया गया। इन उपायों में बैंकिंग क्षेत्र को अधिक मजबूत और लचीला बनाकर उनका रूपांतरण करने की क्षमता है।

केंद्र सरकार की नीतियों की प्रमुख उपलब्धियों में 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के जरिए ग्रामीण आबादी का काफी अधिक समावेश शामिल था जिसमें दिसंबर 2017 तक कुल 30.71 करोड़ खाते खोले गए। इनमें से 18.05 करोड़ खाते ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुले। बिहार में इसके तहत कुल 3.23 करोड़ खाते खुले जिनमें से 2.02 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए।

वर्ष 2010-11 में आइएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) और 2014-15 में भुगतान बैंकों और लघु वित्तीयन बैंकों की शुरुआत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बाद भारत में डिजिटल भुगतानों में तेजी आई। ''तुलनात्मक रेटिंग की एक प्रणाली विकसित करना जहां दुनिया भर में होने वाले विविध भुगतानों की तुलना और फर्क दिखाया जा सके'' वर्ष 2014 से उपयोग में लाए जा रहे तीव्रतर भुगतान नवोन्मेष सूचकांक (एफपीआइआइ) का लक्ष्य रहा है। तीव्रतर भुगतान नवोन्मेष सूचकांक द्वारा भुगतान प्रणालियों की पांच अंकों वाले पैमाने के आधार पर रैंकिंग की जाती है जहां लेवल 5 वाली भुगतान प्रणालियां मुद्रा प्रेषण संबंधी सूचना, पुश-पुल क्षमता आदि फीचर से युक्त सर्वाधिक ग्राहक मान को सूचित करती हैं। तीव्रतर भुगतान नवोन्मेष सूचकांक की पांच अंकों वाले पैमाने पर आधारित लेवल 5 वाली एकमात्र भुगतान प्रणाली भारत की प्रणाली है जो अमेरिका, यूके, कनाडा, जापान और सिंगापुर जैसे उन्नत देशों सहित 25 सर्वेक्षित देशों की भुगतान प्रणालियों से आगे है। देश में आइएमपीएस की शुरुआत सारे खुदरा भुगतानों के लिए अधिकृत संगठन 'नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (एनपीसीआइ) द्वारा की गई थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आइएमपीएस के अलावा अगस्त 2016 में यूपीआइ (यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस) की भी शुरुआत की गई जो नगद, पाइंट-ऑफ-सेल और वैलेट की जगह लेने के इरादे से बना ओपन इंटरफेस से युक्त तत्काल भुगतानों का संयोजन है। इन सारी प्रौद्योगिकियों से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लाभार्थी के बैंक के ब्योरे के बिना दो बैंक खातों के बीच धनराशि के अंतरण में मदद मिलती है। यूपीआइ के जरिए होने वाली लेनदेन को दिसंबर 2016 में सरकार द्वारा भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऍप शुरू करने से काफी बल मिला।

अगस्त 2015 में इंडिया पोस्ट को भारतीय रिजर्व बैंक से एक भुगतान बैंक – इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक (आइपीपीबी) – चलाने का लाइसेंस मिला। एक साल बाद भुगतान बैंक की स्थापना के लिए उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निबंधित कराया गया। एक पायलट परियोजना की सफलता के बाद 1 सितंबर 2018 को पहले चरण में 650 शाखाओं तथा 3,250 पहुंच बिंदुओं (ऍक्सेस पाइंट्स) के साथ इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में शुरू हुई इनमें से 18 शाखाएं और 90 पहुंच बिंदु बिहार में हैं। संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत कार्यरत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक घर-घर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाद में देश के सभी 1,55,015 डाकघरों और 3,00,000 डाक सेवाकर्मियों की सेवाओं का उपयोग करेगा। इन सभी से अप्रत्याशित वित्तीय समावेश और लेनदेन का डिजिटीकरण सुनिश्चित हो रहा है।

ये सब तो सफलता की गाथाएं थीं। लेकिन भारत में बैंकिंग क्षेत्र को अनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की अबाध वृद्धि, बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीसीसी) की बढ़ती ऋणग्रस्तता की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। इनमें सबसे गंभीर समस्या इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेज (आइएल एंड एफएस) का धराशायी हो जाना है जिस पर संचित ऋण 90,000 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जून 2018) के अनुसार, बैंकिंग व्यवस्था में दबाव वाली परिसंपत्तियां मार्च 2018 के अंत में 12.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थीं जिसे इस वर्ष और भी बढ़ जाने की आशंका है। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों को अप्रील 2017 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे तक लाया गया। इसने उनके ऋण देने के कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया और पूंजी में और अधिक क्षरण से बचने के लिए उन्हें उपचारी कार्ययोजना पर अमल करने के लिए कहा गया। इसके कारण अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पर काफी बुरा असर पड़ा है जिनकी कम कार्यशील पूंजी के स्रोत और भी सीमित हो गए। संपूर्ण भारत के स्तर पर उत्पन्न इन समस्याओं से बिहार का वित्तीय क्षेत्र और राज्य के अंदर के अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों को होने वाली पूंजी की उपलब्धता समान रूप से प्रभावित हुई।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक, निजी क्षेत्र के 26 बैंक, 49 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,562 शहरी सहकारी बैंक, और 94,384 ग्रामीण सहकारी बैंक हैं और इनके अलावा सहकारी ऋणदाता संस्थान हैं। भारत के खुदरा ऋण बाजार का उदीयमान देशों के बीच चौथा स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भारत में बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्तियों के 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से पर नियंत्रण है जबकि निजी क्षेत्र के बैंक बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाते हैं। सार्वनिजक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में उससे भी अधिक है।

पूंजी बाजार की लगभग अनुपस्थिति में बिहार जैसे राज्य में वित्तीय क्षेत्र लगभग पूरी तरह अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (SCB) द्वारा संचालित है। इसलिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिदृश्य में किसी भी प्रतिकूल विकास से बिहार के वित्तीय क्षेत्र का भी प्रभावित होना तय है। वित्तीय व्यवस्था बैंक, बीमा कंपनी, प्रतिभूति कंपनी, म्यूचुअल फंड, वित्तीय कंपनी और पेंशन कोष जैसे मध्यस्थों – बचतकर्ताओं के संसाधनों को निवेशकों की ओर दिशाबद्ध करने वाले सभी संस्थानों – के जरिए होने वाले वित्त

के प्रवाह द्वारा चालित होती है। हालांकि यहां पर बिहार के वित्तीय क्षेत्र के विश्लेषण में राज्य में कार्यरत बैंकिंग संस्थाओं का ही जायजा लिया जाएगा जिसमें शामिल हैं - (1) बैंक, जिसमें व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ-साथ अन्य सहकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, (2) राजकीय वित्तीय संस्थाएं तथा (3) राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं।

10.1 बैंकिंग अधिसंरचना

व्यावसायिक बैंक

तालिका 10.1 में बिहार में 2013 से 2018 तक व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की संख्या और उनकी अवस्थिति का पैटर्न दर्शाया गया है। मार्च 2018 में बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 6,906 शाखाएं थीं। वर्ष 2017-18 में बैंकों की 62 नई शाखाएं खुलीं जो 0.9 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती हैं। हाल के वर्षों में शाखाओं की संख्या में सर्वाधिक 12.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 2013-14 में हुई थी। शाखाओं का वितरण दर्शाता है कि 50.8 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 28.7 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 20.5 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। विगत वर्षों के दौरान बैंक शाखाओं की कुल संख्या में ग्रामीण शाखाओं के हिस्से में कमी हुई है जबकि अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ा है। ग्रामीण शाखाओं के प्रतिशत में कमी इस कारण है कि अपनी आबादी बढ़ने के कारण कुछ ग्रामीण क्षेत्र अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तब्दील हो गए हैं।

तालिका 10.1 : सभी बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण (2013-2018)

वर्ष (अंतिम मार्च)	योग	वृद्धि दर	अवस्थिति के अनुसार शाखाओं का प्रतिशत वितरण			
			ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	समस्त
2013	5270	8.4	59.6	21.8	18.6	100.0
2014	5908	12.1	58.7	23.0	18.3	100.0
2015	6297	6.6	57.9	23.1	19.0	100.0
2016	6661	5.8	55.4	25.2	19.4	100.0
2017	6844	2.8	51.0	28.5	20.5	100.0
2018	6906	0.9	50.8	28.6	20.5	100.0

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

मार्च 2018 तक निजी अराष्ट्रीयकृत बैंकों की 386 शाखाएं शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रही हैं और मात्र 73 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि मार्च 2017 में ये आंकड़े ये क्रमश: 354 और 54 थे। ये बैंक स्वभावत: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मौजूद अपेक्षाकृत अधिक क्रय शक्ति का फायदा उठाते हैं। उनकी अवस्थिति के तौर-तरीके से वित्तीय समावेशिता का मकसद हासिल नहीं होता है।

तालिका 10.2 में देखा जा सकता है कि मार्च 2018 में देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा 4.8 प्रतिशत ही था जबकि देश की जनसंख्या में राज्य का 8.6 प्रतिशत हिस्सा है। यह हिस्सा गत कुछ वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहा है।

तालिका 10.2 : विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (मार्च 2018 तक)

राज्य	शाखाओं की सं.	पूरे भारत की शाखाओं में प्रतिशत हिस्सा	पूरे भारत की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा	राज्य	शाखाओं की सं.	पूरे भारत की शाखाओं में प्रतिशत हिस्सा	पूरे भारत की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा
आंध्र प्रदेश	6892	4.9	7.0	महाराष्ट्र	12317	8.8	9.3
बिहार	**6681**	**4.8**	**8.6**	ओडिशा	4801	3.4	6.0
छत्तीसगढ़	2492	1.8	2.1	पंजाब	6436	4.6	2.3
गुजरात	7835	5.6	5.0	राजस्थान	7198	5.1	4.4
हरियाणा	4808	3.4	2.1	तमिलनाडु	10710	7.6	6.0
हिमाचल प्रदेश	1532	1.1	0.5	उत्तर प्रदेश	16913	12.1	16.5
झारखंड	2947	2.1	2.7	उत्तराखंड	2041	1.5	0.8
कर्नाटक	9933	7.1	5.0	पश्चिम बंगाल	7932	5.7	3.5
केरल	6281	4.5	2.8				
मध्य प्रदेश	6511	4.6	6.0	**भारत**	**140133**	**100.0**	**100.0**

टिप्पणी : व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की संख्या के बारे में जानकारी तालिका 10.1 और तालिका 10.2 में थोड़ी भिन्न है। इसका कारण कुछ बैंकों द्वारा अपने कार्य संचालन की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं देना है और राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आंकड़ों का भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के साथ मिलान नहीं किया जाना है।

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण राशियों पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

सहकारी बैंक

राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के आंकड़े तालिका 10.3 में दर्शाए गए हैं। तालिका से पता चलता है कि 2017 में देश में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या में 31 की और बिहार में उनकी संख्या में सिर्फ एक की वृद्धि हुई। वहीं 2017 में देश के स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या में 40 की वृद्धि हुई जबकि बिहार में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2016 में बिहार में सहकारी बैंकों के शाखाओं की कुल संख्या 323 थी जो 2017 में 324 हो गई।

तालिका 10.3 : राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को)

राज्य	राज्य सहकारी बैंक			जिला केंद्रीय सहकारी बैंक			योग		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
आंध्र प्रदेश	37	7	14	611	378	397	648	385	411
बिहार	**12**	**11**	**12**	**312**	**312**	**312**	**324**	**323**	**324**
गुजरात	10	16	25	1313	1322	1331	1323	1338	1356
हरियाणा	14	14	14	621	621	625	635	635	639
हिमाचल प्रदेश	214	227	227	255	261	274	469	488	501
झारखंड	-	-	-	122	122	-	122	122	0
कर्नाटक	42	42	42	701	715	729	743	757	771
केरल	21	24	24	751	792	807	772	816	831
मध्य प्रदेश	25	25	25	856	857	857	881	882	882
महाराष्ट्र	48	48	51	3750	3755	3729	3798	3803	3780
ओडिशा	15	15	15	338	349	350	353	364	365
पंजाब	20	19	18	816	816	817	836	835	835
राजस्थान	17	17	17	453	454	460	470	471	477
तमिलनाडु	47	47	47	782	812	844	829	859	891
उत्तर प्रदेश	29	29	29	1394	1406	1406	1423	1435	1435
उत्तराखंड	16	16	16	250	255	261	266	271	277
पश्चिम बंगाल	48	48	48	304	313	318	352	361	366
भारत	**1131**	**1168**	**1197**	**14060**	**14241**	**14252**	**15191**	**15409**	**15449**

स्रोत : राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लि. (NAFSCOB)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रख्यापन के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आए। इनमें केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की इक्विटी क्रमशः 50, 15 और 35 के अनुपात में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण ऋण के लिए एक बहु-अभिकरण पहुंच (मल्टी-एजेंसी अप्रोच) उपलब्ध कराते हैं।

बिहार के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े तालिका 10.4 में दर्शाए गए हैं। सितंबर 2018 के अंत में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2,110 शाखाएं थीं जबकि सितंबर 2017 इनकी संख्या 2,106 थी। बिहार के तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में अकेले उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लगभग आधा हिस्सा है।

तालिका 10.4 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2018 के अंत में)

	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	योग
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	550	106	46	702
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	263	98	15	376
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	639	349	44	1032
योग	**1452**	**553**	**105**	**2110**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

मार्च 2017 के अंत में बिहार में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में कुल ग्रामीण जमा 65,122 करोड़ रु. था (तालिका 10.5)। देश के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का लगभग 5.8 प्रतिशत हिस्सा था। यह अनुपात पिछले साल 6.1 प्रतिशत था। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा का बड़ा हिस्सा (67 प्रतिशत) बचत बैंक की जमा राशि का था जो गत वर्ष 64 प्रतिशत था। बिहार में ग्रामीण जमा में इस वर्ष 5.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि इस मामले में संपूर्ण भारत का औसत 11.2 प्रतिशत है। वर्ष 2016 में ग्रामीण जमा की वृद्धि दर 12.8 प्रतिशत थी जिसके मुकाबले 2017 में इसकी वृद्धि काफी धीमी रही।

तालिका 10.5 : जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ग्रामीण जमा (मार्च 2017 के अंत में)

राज्य	शाखाओं की सं.	चालू खाता		बचत जमा		सावधि जमा		योग	
		खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	2,299	3.9	1,217	235.8	17,891	19.5	24,649	259.3	43,757
बिहार	**3,098**	**15.1**	**2,346**	**436.6**	**43,880**	**29.7**	**18,896**	**481.5**	**65,122**
छत्तीसगढ़	1,017	2.4	1,011	143.4	12,784	8.7	6,804	154.5	20,599
गुजरात	2,422	2.9	2,062	199.2	26,644	28	36,991	230.1	65,697
हरियाणा	1,579	7.2	993	98.8	16,953	8.2	12,456	114.3	30,403
हिमाचल प्रदेश	1,150	7.2	1,391	63.8	17,665	21.8	27,566	92.9	46,622
झारखंड	1,297	2.2	1,213	185.3	18,736	16.6	13,584	204.1	33,533
कर्नाटक	3,399	5.2	2,850	276.7	25,393	33.5	31,652	315.4	59,895
केरल	326	0.5	253	18.8	3,602	3.1	5,674	22.4	9,529
मध्य प्रदेश	2,242	5.3	1,356	279.2	21,288	19.3	13,949	303.8	36,592
महाराष्ट्र	3,037	5.4	3,432	299.6	32,672	21.5	27,707	326.5	63,811
ओडिशा	2,481	4.0	1,886	282.6	31,201	30.7	23,396	317.3	56,482
पंजाब	2,442	14.9	1,784	139.8	29,551	21.6	36,328	176.3	67,662
राजस्थान	2,749	7.8	1,882	272.5	25,876	16.6	16,820	296.9	44,579
तमिलनाडु	2,770	4.8	2,184	278.3	25,056	25.1	29,455	308.2	56,695
उत्तर प्रदेश	7,526	25.4	4,668	1,035.2	1,17,253	54.3	47,618	1,115.0	1,69,540
उत्तराखंड	909	3.5	1,442	65.5	14,233	11.4	10,241	80.4	25,917
पश्चिम बंगाल	3,118	10.5	3,648	564.1	53,529	67.6	52,636	642.2	1,09,812
संपूर्ण भारत	**48,384**	**139.5**	**42,566**	**5,420.4**	**5,94,362**	**482.4**	**4,85,040**	**6,042.3**	**11,21,967**

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, 2017-18, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारी

तालिका 10.6 में देखा जा सकता है कि मार्च 2017 में बिहार में बैंककर्मियों की कुल संख्या मार्च 2016 के 42,500 की तुलना में 46,300 थी। उनमें से 53.3 प्रतिशत बैंककर्मी अधिकारी श्रेणी के थे जिनका अनुपात पिछले वर्ष के 49.3 प्रतिशत से अधिक है। मार्च 2017 में भारत में कार्यरत अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के समस्त कर्मियों की कुल संख्या का 3.4 प्रतिशत हिस्सा ही बिहार में कार्यरत था। तालिका में यह भी दिखता है कि बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के महिला कर्मियों का कुल हिस्सा 13.0 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय औसत (23.4 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है।

तालिका 10.6 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (मार्च, 2017)

राज्य	कर्मियों की संख्या (हजार)				
	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	योग	महिला कर्मचारियों की सं. (प्रतिशत)
आंध्र प्रदेश	30.3 (56.4)	16.2 (30.2)	7.3 (13.6)	53.7 (100)	12.5 (23.3)
बिहार	**24.7 (53.3)**	**15.0(32.4)**	**6.6 (14.3)**	**46.3 (100)**	**6.0 (13.0)**
छत्तीसगढ़	10.6 (59.9)	5.1 (28.8)	1.9 (10.7)	17.7 (100)	3.3 (18.6)
गुजरात	49.6 (64.6)	18.7 (24.3)	8.5 (11.1)	76.8 (100)	14.3 (18.6)
हरियाणा	29.3 (65)	11.0(24.4)	4.8 (10.6)	45.1 (100)	10.2 (22.6)
हिमाचल प्रदेश	5.0(47.6)	3.5 (33.3)	2.0 (19)	10.5 (100)	1.9 (18.1)
झारखंड	11.9 (52.9)	7.4 (32.9)	3.1 (13.8)	22.5 (100)	4.6 (20.4)
कर्नाटक	54.4 (57.7)	27.8 (29.5)	12.0 (12.7)	94.2 (100)	26.8 (28.5)
केरल	33.0(55.1)	20.1 (33.6)	6.8 (11.4)	59.9 (100)	25.5 (42.6)
मध्य प्रदेश	30.3 (58.2)	14.7 (28.2)	7.1 (13.6)	52.1 (100)	9.5 (18.2)
महाराष्ट्र	155.3 (72.9)	39.9 (18.7)	17.7 (8.3)	212.9 (100)	60.0(28.2)
ओडिशा	19.5 (55.7)	10.5 (30)	4.9 (14)	35.0 (100)	6.5 (18.6)
पंजाब	31.4 (59.9)	14.0 (26.7)	7.0(13.4)	52.4 (100)	11.9 (22.7)
राजस्थान	33.9 (60)	15.1 (26.7)	7.5 (13.3)	56.5 (100)	8.1 (14.3)
तमिलनाडु	64.3 (59.6)	32.8 (30.4)	10.7 (9.9)	107.8 (100)	33.9 (31.4)
उत्तर प्रदेश	68.7 (55.2)	37.7 (30.3)	18.1 (14.5)	124.5 (100)	18.9 (15.2)
उत्तराखंड	8.0(52.3)	4.9 (32)	2.5 (16.3)	15.3 (100)	3.1 (20.3)
पश्चिम बंगाल	52.9 (61.9)	20.8 (24.3)	11.8 (13.8)	85.5 (100)	14.1 (16.5)
संपूर्ण भारत	**828.6 (61.4)**	**360.4 (26.7)**	**160.9 (11.9)**	**1349.9 (100)**	**316 (23.4)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े पंक्तिवार प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, 2017-18, भारतीय रिजर्व बैंक

10.2 जमा और ऋण

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का प्रति व्यक्ति जमा और ऋण

तालिका 10.7 में देश के प्रमुख राज्यों में 2016-17 और 2017-18 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा एवं ऋण राशियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में दिखता है कि बिहार में 2017-18 में कुल जमा राशि में गत वर्ष की अपेक्षा 7.2 प्रतिशत (21,242 करोड़ रु.) की सामान्य वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ, 2017-18 में ऋण में 10,636 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है जो 11.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर्शाती है। वर्ष के दौरान संबंधित राष्ट्रीय औसत के आंकड़े जमा के मामले में 6.8 प्रतिशत और ऋण के मामले में 9.5 प्रतिशत हैं। देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार के कुल जमा का हिस्सा 2017-18 में 2.8 प्रतिशत था जो गत वर्ष के बराबर ही है। वहीं, ऋण में कुल हिस्सा गत वर्ष के 1.1 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 1.2 प्रतिशत हो गया। देश की आबादी में बिहार का लगभग 8.6 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन उसकी तुलना में देश के कुल जमा और कुल ऋण, दोनो में राज्य काकाफी कम हिस्सा है।

तालिका 10.7 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)

राज्य	जमा (करोड़ रु.)		ऋण (करोड़ रु.)		ऋण-जमा अनुपात	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
आंध्र प्रदेश	250682 (2.3)	276527 (2.4)	251210 (3.2)	310457 (3.6)	100.2	112.3
बिहार	**295882 (2.8)**	**317131 (2.8)**	**90875 (1.1)**	**101511 (1.2)**	**30.7**	**32.0**
गुजरात	609909 (5.7)	643747 (5.6)	413537 (5.2)	482779 (5.6)	67.8	75.0
हरियाणा	310704 (2.9)	367362 (3.2)	179537 (2.3)	218336 (2.5)	57.8	59.4
हिमाचल प्रदेश	79416 (0.7)	85753 (0.7)	23289 (0.3)	26479 (0.3)	29.3	30.9
झारखंड	187197 (1.7)	199475 (1.7)	49992 (0.6)	54639 (0.6)	26.7	27.4
कर्नाटक	782336 (7.3)	840424 (7.3)	523410 (6.6)	586740 (6.8)	66.9	69.8
केरल	412503 (3.8)	440361 (3.8)	246314 (3.1)	281384 (3.2)	59.7	63.9
मध्य प्रदेश	322859 (3)	340117 (3)	190915 (2.4)	221512 (2.6)	59.1	65.1
महाराष्ट्र	2163654 (20.1)	2289301 (19.9)	2299580 (29)	2404766 (27.7)	106.3	105.0
ओडिशा	246976 (2.3)	271019 (2.4)	92313 (1.2)	100653 (1.2)	37.4	37.1
पंजाब	336688 (3.1)	350459 (3.1)	202582 (2.6)	221388 (2.5)	60.2	63.2
राजस्थान	315105 (2.9)	336820 (2.9)	210398 (2.7)	254382 (2.9)	66.8	75.5
तमिलनाडु	671756 (6.2)	725810 (6.3)	715725 (9)	784172 (9)	106.5	108.0
उत्तर प्रदेश	890702 (8.3)	957832 (8.3)	351031 (4.4)	391892 (4.5)	39.4	40.9
पश्चिम बंगाल	688824 (6.4)	722699 (6.3)	398762 (5)	364454 (4.2)	57.9	50.4
भारत	**10751439 (100)**	**11479288 (100)**	**7927003 (100)**	**8682573 (100)**	**73.7**	**75.6**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े राज्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2017-18, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 10.7 में इस पर भी गौर किया जा सकता है कि विगत वर्षों की ही तरह 2017-18 में भी बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 32.0 प्रतिशत था जो देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच झारखंड (27.4 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (30.9 प्रतिशत) को छोड़कर सबसे कम था। उच्च ऋण-जमा अनुपात वाले आंध्र प्रदेश (112.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (108.0 प्रतिशत) या महाराष्ट्र (105.0 प्रतिशत) की बात तो छोड़ ही दें, यह राष्ट्रीय औसत (75.6 प्रतिशत) के पास भी नहीं फटकता है। बिहार का ऋण-जमा अनुपात 2016-17 के 30.7 प्रतिशत से थोड़ा सुधरकर 2017-18 में 32.0 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 10.1 : भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित भारत के प्रमुख राज्यों के ऋण-जमा अनुपात (2016-17 और 2017-18)

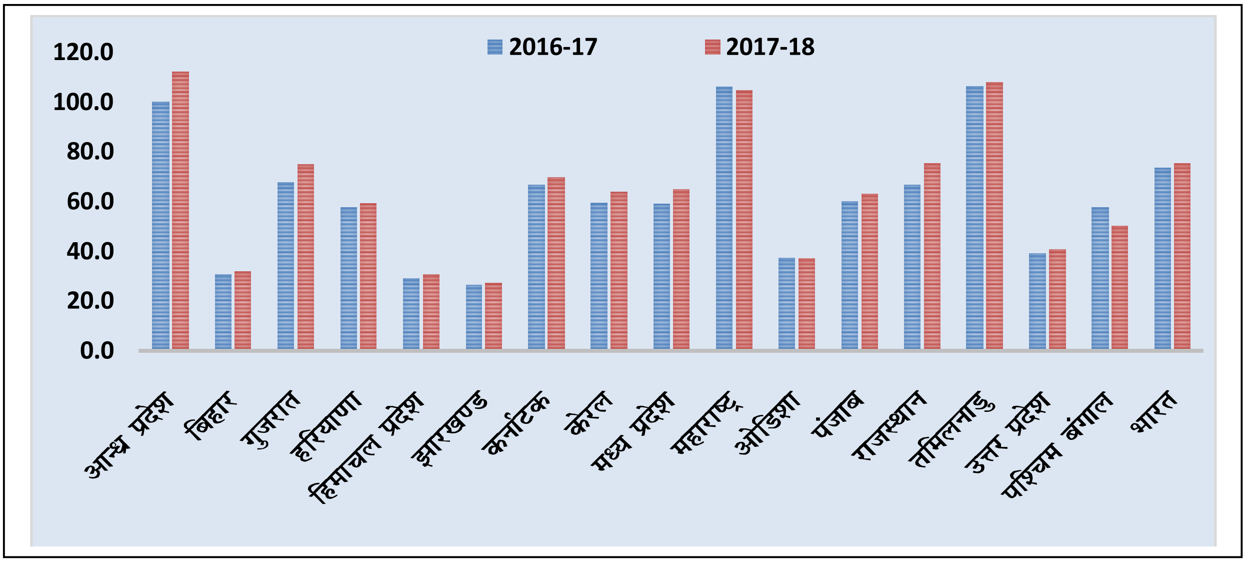

राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के ऋण-जमा अनुपात के 2012-13 से अब तक के आंकड़े तालिका 10.8 में प्रस्तुत हैं। आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2018 के अंत में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 3,22,392 करोड़ रु. और कुल ऋण 1,42,736 करोड़ रु.था। इससे ऋण-जमा अनुपात 44.3 प्रतिशत हुआ जो मार्च 2018 के ऋण-जमा अनुपात 45.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। हालांकि ऋण-जमा अनुपात में हाल के वर्षों में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन इसकी निम्न वृद्धि दर से बिहार का बैंकिंग परिदृश्य लगातार पीड़ित है।

रकम के रूप में देखें तो निम्न ऋण-जमा अनुपात का अर्थ यह हुआ कि राज्य के वर्तमान ऋण-जमा अनुपात को लगभग 76 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने पर राज्य में निवेश काफी अधिक बढ़ जाता जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों को अतिवांछित बल प्रदान करता। ऋण का कम वितरण यह भी दर्शाता है कि या तो औद्योगिक गतिविधियां गतिरुद्ध हैं या उद्यमों की ऋण संबंधी जरूरतें निजी ऋणदाता अभिकरणों के उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों के जरिए पूरी हो रही हैं जो उनका मुनाफा हड़प जा रहे हैं। यह राज्य में औद्योगिक विकास के लिए स्वाभाविक रूप में एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा, यह पहले से ही अभावग्रस्त राज्य से पूंजी के पलायन को भी सूचित करता है। हालांकि उल्लेखनीय है कि ऋण-जमा अनुपात में सुधार ऋणों की मांग पर निर्भर करेगा जो खुद अधिसंरचना की उपलब्धता, बाजार, उद्यमिता कौशल और व्यावसायिक वातावरण जैसे अनेक अन्य कारकों पर निर्भर है जिनमें से अधिकांश के मामले में बिहार में स्थिति गंभीर रूप से प्रतिकूल है।

तालिका 10.8 : बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 2018 तक)
जमा (करोड़ रु.)	161036	183458	211302	240288	280370	312829	322392
ऋण (करोड़ रु.)	65364	85334	100261	103238	129969	141967	136781
ऋण-जमा अनुपात	40.6	46.5	47.4	43.0	46.4	45.4	42.4

टिप्पणी : तालिका 10.7 में दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 में ऋण-जमा अनुपात 32.0 प्रतिशत था जबकि इस तालिका में प्रस्तुत राज्यस्तरीय बैंकर समिति का आंकड़ा 45.4 प्रतिशत है। यह अंतर मुख्यत: आरआइडीएफ योजना (खंड 10.6 में विचारित) के तहत बैंकों द्वारा दी गई ऋण राशि के समावेश के कारण है। फिर तालिका 10.7 में शामिल आंकड़े बिहार के व्यावसायिक बैंकों के ही हैं जबकि तालिका 10.8 के आंकड़े बिहार के सभी बैंकों के हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं। हालांकि व्यावसायिक बैंकों के मामले में भी भारतीय रिजर्व बैंक और राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आंकड़ों के बीच गंभीर विसंगति है जिसका समाधान करने की जरूरत है। राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 में व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 45.4 प्रतिशत है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे 32 प्रतिशत बताया है।

राज्यस्तरीय बैंकर समिति के अनुसार मार्च 2018 में अग्रिमों का (करोड़ रु. में) ब्योरा इस प्रकार है :

व्यावसायिक बैंक	116222
सहकारी बैंक	2570
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	16205
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष	6970
उप-योग	**141967**
निवेश	5830
योग	**147797**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

चार्ट 10.2 : राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जमा और ऋण राशियों की वृद्धि

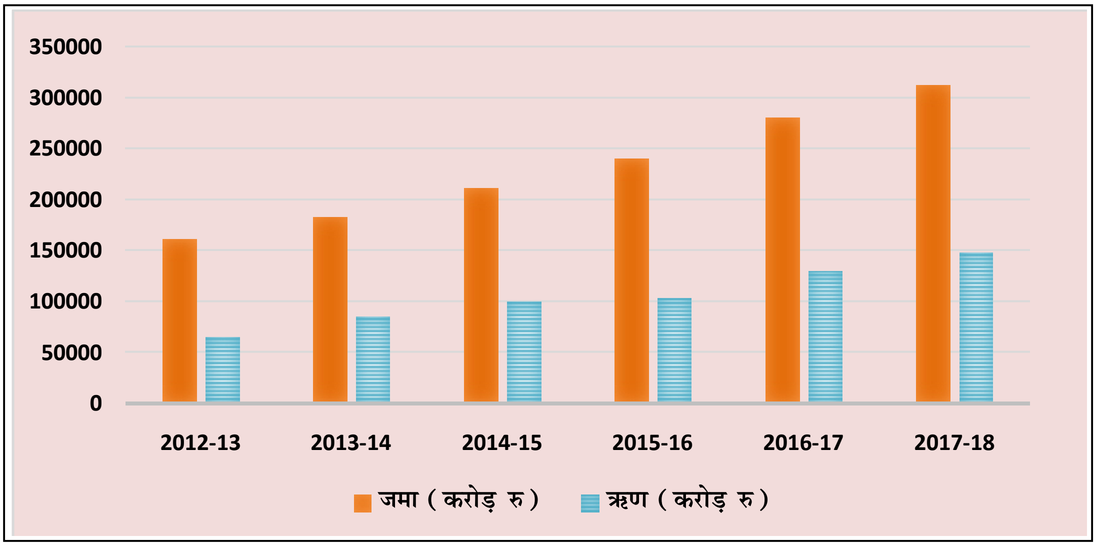

चार्ट 10.3 : राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आंकड़ों के अनुसार बिहार का ऋण-जमा अनुपात

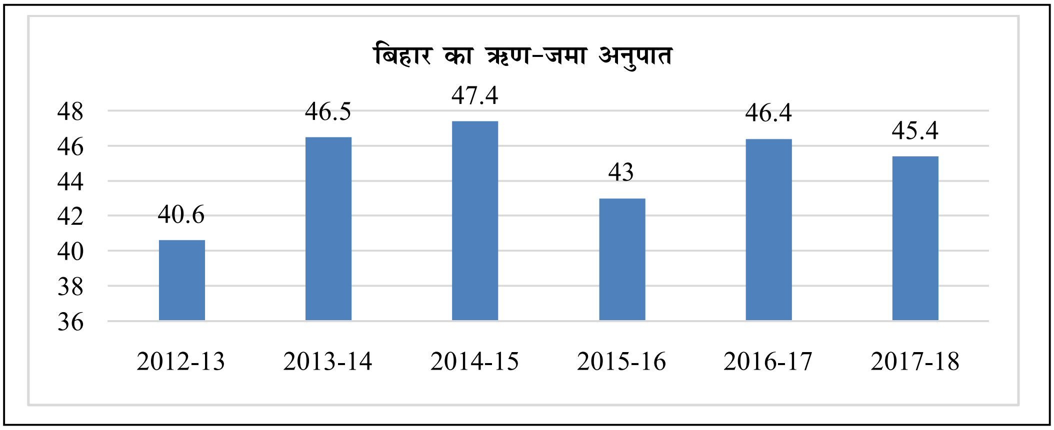

बिहार में बैंक समूहों और उनकी अवस्थिति के अनुसार 2017-18 में ऋण-जमा अनुपात तालिका 10.9 में दर्शाया गया है। सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों का (86.9 प्रतिशत) था और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का (52.3 प्रतिशत) तथा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का (38.8 प्रतिशत)। कुल जमा में उनके हिस्से इस प्रकार थे – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 9.9 प्रतिशत, सहकारी बैंक 0.9 प्रतिशत और अनुसूचित व्यावसायिक बैंक 89.2 प्रतिशत। वहीं, कुल ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 12.8 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 2.0 प्रतिशत और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का 85.2 प्रतिशत हिस्सा था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की संयुक्त ऋण और जमा राशियां अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल ऋण और जमा राशियों का अंश मात्र थीं। फलतः जब तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में सुधार नहीं होता है, राज्य में समग्र ऋण-जमा अनुपात में सुधार होने की संभावना नहीं है।

तालिका 10.9 : बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2017-18)

बैंक समूह	क्षेत्र	जमा (करोड़ रु.)	ऋण (करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात	निवेश (करोड़ रु.)	निवेश सह ऋण-जमा अनुपात
व्यावसायिक बैंक	ग्रामीण	52204	22566	43.2	--	--
	अर्ध-शहरी	71083	26451	37.2	--	--
	शहरी	155605	59256	38.1	--	--
	योग	**278892**	**108273**	**38.8**	**5464**	**40.8**
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ग्रामीण	20680	11829	57.2	--	--
	अर्ध-शहरी	6547	3097	47.2	--	--
	शहरी	3750	1279	34.1	--	--
	योग	**30977**	**16205**	**52.3**	**361**	**53.5**
सहकारी बैंक	ग्रामीण	1131	1051	92.9	--	--
	अर्ध-शहरी	935	891	95.2	--	--
	शहरी	894	629	70.3	--	--
	योग	**2960**	**2570**	**86.9**	**5**	**87.0**
सभी बैंक	ग्रामीण	74015	35446	47.8	--	--
	अर्ध-शहरी	78565	30438	38.7	--	--
	शहरी	160249	61164	38.1	--	--
	योग	**312829**	**127048**	**40.6**	**5830**	**45.0**

टिप्पणी : इस तालिका के अनुसार व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 38.8 प्रतिशत होता है जबकि इस तालिका 10.8 में यह अनुपात 45.4 प्रतिशत है। यह अंतर 2017-18 में पिछले साल की बकाया ऋण राशि का वितरण किए जाने के कारण है।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण देकर ही सहायता नहीं करते। वे राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और राज्य सरकार के उपक्रमों, अर्धसरकारी निकायों तथा संयुक्त पूंजी कंपनियों के शेयरों और बांडों में निवेश करके भी सहायता करते हैं। अत: किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की पूरी संलग्नता वस्तुत: अकेले ऋण-जमा अनुपात से नहीं, निवेश सह ऋण-जमा अनुपात (आइसीडी रेशियो) से अभिव्यक्त होती है। तालिका 10.9 में दिखता है कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात को ध्यान में रखने पर भी सभी श्रेणी के बैंकों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है।

स्वीकृति और उपयोगिताके अनुसार ऋण-जमा अनुपात

पारंपरिक रूप से ऋण-जमा अनुपात की गणना किसी राज्य में हुई ऋण स्वीकृतियों के आधार पर होती है। ऋण स्वीकृति पर आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात से किसी राज्य से दूसरे राज्य को हुआ जमा राशियों का जाना सूचित होता है। वहीं दूसरी ओर, ऋण उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात में उस जगह को ध्यान में रखा जाता है जहां ऋण का वास्तव में उपयोग हुआ हो और यह ऋण के प्रवास का सूचक है। इसलिए राज्यों के बीच तुलना के परिप्रेक्ष्य में दोनों प्रकार के अनुपातों की तुलना महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे देश के मामले में ये दोनों अनुपात स्पष्टत: एक होंगे। लेकिन कुछ राज्यों के मामले में उपयोग अनुपात अधिक हो सकता है। बिहार के मामले में भी ऐसा ही था क्योंकि 2015, 2016 और 2017, तीनो वर्षों में उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात ऋण स्वीकृति आधारित ऋण-जमा अनुपात से थोड़ा अधिक था (तालिका 10.10)।

तालिका 10.10 : 31 मार्च को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

	2015		2016		2017	
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
आंध्र प्रदेश	105.3	108.3	106.0	109.6	101.1	104.4
बिहार	**33.6**	**34.3**	**33.4**	**34.5**	**30.9**	**32.0**
गुजरात	72.7	79.0	75.4	82.4	68.9	75.2
हरियाणा	75.8	85.2	69.9	82.6	59.1	69.1
हिमाचल प्रदेश	35.3	36.6	32.9	33.6	29.7	31.1
झारखंड	29.6	30.6	29.6	30.7	27.1	29.1
कर्नाटक	67.7	72.6	70.1	75.4	67.0	71.2
केरल	64.6	65.4	62.1	63.0	59.8	61.2
मध्य प्रदेश	54.8	57.6	61.2	63.5	60.9	63.4
महाराष्ट्र	92.0	82.7	102.9	91.4	106.0	94.0
ओडिशा	41.9	43.9	40.8	43.3	38.1	40.5
पंजाब	75.1	76.8	69.8	71.7	69.0	71.2
राजस्थान	86.2	90.1	72.4	76.3	67.8	71.6
तमिलनाडु	119.0	117.5	113.7	112.4	105.8	103.8
उत्तर प्रदेश	45.4	48.9	44.6	49.6	40.0	43.0
उत्तराखंड	34.5	35.2	34.9	35.8	34.3	35.3
पश्चिम बंगाल	57.8	60.3	55.1	57.3	50.3	52.5
भारत	**77.1**	**77.1**	**78.4**	**78.4**	**73.8**	**73.8**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, 2017-18, भारतीय रिजर्व बैंक

जिलों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 10.11 में बिहार के सभी 38 जिलों में सभी व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पिछले 2017-18 और 2018-19 (सितंबर तक) में ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि ऋण-जमा अनुपात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। यह भोजपुर के लिए मात्र 28.5 प्रतिशत है तो पूर्णिया के लिए 71.6 प्रतिशत। राज्य के 38 में से कम से कम 3 जिलों (भोजपुर, सारण और सीवान) में यह अनुपात 30 प्रतिशत से कम था। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले (50 प्रतिशत से अधिक ऋण-जमा अनुपात वाले) जिले शिवहर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया थे। हालांकि कई बार कई जिलों में उच्च ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों सहित अनेक बैंकों की उच्च अनिष्पादित परिसंपत्तियों के कारण अधिक होते हैं। वे जिलों में बैंकों द्वारा बढ़े ऋण प्रवाह को अनिवार्यत: व्यक्त नहीं करते।

तालिका 10.11 : जिलावार ऋण-जमा अनुपात

जिला	2017-18	2018-19 (सितंबर 18)	जिला	2017-18	2018-19 (सितंबर 18)
पटना	38.7	31.8	दरभंगा	32.5	32.0
नालंदा	37.9	34.2	मधुबनी	33.6	34.8
भोजपुर	30.1	28.5	समस्तीपुर	47.7	48.5
बक्सर	42.8	41.9	बेगूसराय	49.5	50.3
रोहतास	46.6	43.0	मुंगेर	30.3	31.8
कैमूर	57.8	46.6	शेखपुरा	40.3	41.6
गया	36.6	35.6	लखीसराय	37.0	36.9
जहानाबाद	34.5	33.5	जमुई	40.9	43.5
अरवल	38.5	33.8	खगड़िया	55.1	55.8
नवादा	42.9	38.5	भागलपुर	53.2	50.9
औरंगाबाद	42.0	40.5	बांका	43.8	45.5
सारण	28.4	28.6	सहरसा	44.6	44.1
सीवान	28.9	29.9	सुपौल	52.8	50.2
गोपालगंज	29.4	33.0	मधेपुरा	47.6	49.0
पश्चिम चंपारण	48.7	55.4	पूर्णिया	65.1	71.6
पूर्वी चंपारण	44.0	46.6	किशनगंज	59.2	56.7
मुजफ्फरपुर	46.3	46.6	अररिया	51.0	53.1
सीतामढ़ी	35.6	39.4	कटिहार	45.7	46.7
शिवहर	47.5	52.4			
वैशाली	39.1	39.6	**बिहार**	**40.6**	**38.3**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 10.12 में बिहार में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। सितंबर 2018 में अग्रणी (लीड) बैंकों के बीच कनारा बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 48.7 प्रतिशत था और उसके तत्काल बाद यूको बैंक (46.0 प्रतिशत) और बैंक ऑफ बड़ौदा (40.3 प्रतिशत) का। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात विजया बैंक का (71.2 प्रतिशत) था और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र (62.5 प्रतिशत) और कॉर्पोरेशन बैंक (60.2 प्रतिशत) का। वर्ष 2018-19 में 21 में से 5 बैंकों ने ही अपने अनुपातों में गत वर्ष से सुधार किया है।

तालिका 10.12 : राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंक	शाखाओं की सं.	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 2018 तक)
अग्रणी (लीड) बैंक						
भारतीय स्टेट बैंक	960	37.5	36.0	35.5	35.2	29.9
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	439	37.2	33.0	35.2	35.2	31.2
पंजाब नेशनल बैंक	574	40.6	41.9	34.4	37.8	34.0
कनारा बैंक	246	40.2	43.7	40.0	49.2	48.7
यूको बैंक	229	39.3	40.7	42.8	43.1	46.0
बैंक ऑफ बड़ौदा	240	34.8	41.6	40.2	40.5	40.3
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	158	41.1	42.1	45.7	41.1	36.4
अन्य बैंक						
बैंक ऑफ इंडिया	345	38.5	40.3	40.2	40.3	37.6
इलाहाबाद बैंक	244	41.8	42.8	38.2	40.4	41.2
आंध्र बैंक	46	16.8	20.7	63.0	45.9	33.2
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	13	32.5	67.4	50.2	59.6	62.5
कॉर्पोरेशन बैंक	43	89.2	72.0	90.9	70.2	60.2
देना बैंक	45	30.3	33.1	40.0	40.2	33.3
इंडियन बैंक	66	68.8	79.4	70.6	33.3	32.7
इंडियन ओवरसीज बैंक	60	60.2	73.0	54.1	42.4	36.0
ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	52	39.9	47.3	47.0	42.3	41.7
पंजाब एंड सिंध बैंक	16	108.7	21.8	9.8	36.2	28.7
सिंडिकेट बैंक	65	40.9	41.0	26.4	33.6	34.0
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	92	53.9	52.1	50.9	49.8	47.2
विजया बैंक	36	29.2	41.4	47.4	57.3	71.2
आइडीबीआइ	70	36.0	36.0	35.8	37.3	32.6
सभी बैंक	**4039**	**41.9**	**43.0**	**41.9**	**43.1**	**40.4**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बिहार में निजी व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपातों के बारे में अलग से उल्लेख की जरूरत है (तालिका 10.13)। मार्च 2018 के अंत में बिहार में 11 निजी व्यावसायिक बैंकों की 459 शाखाएं थीं जबकि मार्च 2017 उनकी 408 शाखाएं ही थीं। उनके ऋण-जमा अनुपात शून्य से 207.6 प्रतिशत तक थे। इन बैंकों का संयुक्त ऋण-जमा अनुपात 41.6 प्रतिशत था। मात्र पांच बैंकों (बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और इंडसइंड बैंक) की 73 ग्रामीण शाखाओं के सिवा निजी व्यावसायिक बैंकों की सारी शाखाएं अर्ध-शहरी या शहरी क्षेत्रों में ही मौजूद थीं। बंधन बैंक का आरंभ सूक्ष्मवित्त कंपनी के रूप में 2001 में हुआ था और उसने बैंक के रूप में 2015 से काम करना शुरू किया, लेकिन लगता है कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों पर अन्य बैंकों से काफी अधिक ध्यान केंद्रित किया है। बंधन बैंक (207.6 प्रतिशत) के बाद इंडसइंड बैंक का भी ऋण-जमा अनुपात काफी ऊंचा - 180 प्रतिशत है। कर्नाटक बैंक और यस बैंक का ऋण-जमा अनुपात 20 प्रतिशत से नीचे है।

तालिका 10.13 : निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2017-18)

बैंक	ग्रामीण			शहरी एवं अर्ध-शहरी			योग			
	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	ऋण-जमा अनुपात
आइसीआइसीआइ बैंक	9	76662	50347	89	758107	497881	98	834769	548228	65.6
फेडरल बैंक	0	0	0	8	35312	7451	8	35312	14914	42.2
जम्मू कश्मीर बैंक	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
साउथ इंडियन बैंक	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
ऐक्सिस बैंक	13	14078	4256	94	558583	227055	107	572661	254681	44.4
एचडीएफसी बैंक	18	2188	1308	96	680055	439346	114	682243	440654	64.59
इंडसइंड बैंक	5	2850	15935	22	61512	99934	27	64362	115869	180.0
कर्नाटक बैंक	0	0	0	1	2343	446	1	2343	446	19.0
कोटक महिंद्रा बैंक	0	0	0	16	42029	25143	16	42029	25143	59.8
यस बैंक	0	0	0	3	36963	3581	3	36963	3581	9.6
बंधन बैंक	28	25450	82656	55	126604	233132	83	152054	315788	207.6
सभी निजी बैंक	**73**	**121228**	**154502**	**386**	**2301508**	**1533969**	**459**	**2422736**	**17179304**	**41.6**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा औरऋण सह निवेश-जमा अनुपात

बिहार में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं - पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनमें से प्रत्येक बैंक किसी खास क्षेत्र में सेवा प्रदान करते हैं। तालिका 10.14 में इन तीनो बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात दर्शाए गए हैं। सितंबर 2018 में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 73.6 प्रतिशत और मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात सबसे कम 46.8 प्रतिशत रहा है। सितंबर 2018 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समग्र निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 54.3 प्रतिशत था। बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर शेष के ऋण जमा अनुपातों और निवेश सह ऋण-जमा अनुपातों में कोई अंतर नहीं था जो दोनो के द्वारा निवेश नहीं किए जाने को सूचित करता है।

तालिका 10.14 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऋण-जमा अनुपात				निवेश सह ऋण-जमा अनुपात			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 18)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 18)
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	41.0	40.1	46.4	46.8	41.0	40.1	46.4	46.8
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	71.6	67.5	65.8	67.0	79.6	75.1	72.5	73.6
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	57.8	52.2	51.7	53.0	57.8	52.2	51.7	53.0
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	**53.9**	**50.3**	**52.3**	**53.2**	**55.2**	**51.6**	**53.4**	**54.3**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

10.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा

वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

तालिका 10.15 में 2016-17 और 2017-18 में ऋण वितरण की क्षेत्रगत विवरणी प्रस्तुत की गई है। राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिमों का हिस्सा 2016-17 में 75 प्रतिशत और 2017-18 में 71.8 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा 44.5 प्रतिशत था जो गत वर्ष 48.0 प्रतिशत था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें गिरावट का रुझान दिख रहा है। देखा जा सकता है कि 2017-18 में कुल वितरित ऋण में जहां कृषि की प्रधानता थी, वहीं लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा मात्र 15.5 प्रतिशत था जो गत वर्ष के लगभग बराबर है। बिहार में उद्योग को मिलने वाले ऋण का यह निम्न परिमाण निश्चय ही चिंता की बात हैं। इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अधिसंरचनाओं का विकास करना आवश्यक होगा जिसमें औद्योगिक प्रांगणों को पुनर्जीवित करना भी शामिल है। वर्ष 2017-18 में वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि 90.8 प्रतिशत थी जो 1916-17 में हासिल उपलब्धि (87.9 प्रतिशत) से अधिक थी। लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में उपलब्धि 111.6 प्रतिशत थी और यह गत वर्ष दर्ज 99.1 प्रतिशत उपलब्धि से अधिक थी। यह साफ तौर लघु और मध्यम उद्यमों में ऋण की बढ़ती मांग का संकेत देती है और इस क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाने की जरूरत है।

तालिका 10.15 : वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2016-17 और 2017-18)

क्षेत्र	वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	अग्रिमों में हिस्सा (प्रतिशत)
2016-17				
कृषि	48000	41077	85.6	48.0
लघु एवं मध्यम उद्योग	15000	14862	99.1	15.0
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	12000	8968	74.7	12.0
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम	75000	64907	86.5	75.0
गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	25000	23002	92.0	25.0
योग	**100000**	**87909**	**87.9**	**100.0**
2017-18				
कृषि	49000	42161	86.04	44.5
लघु एवं मध्यम उद्योग	17000	18985	111.6	15.5
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	13000	9781	75.2	11.8
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम	79000	70927	89.8	71.8
गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	31000	29007	93.6	28.2
योग	**110000**	**99934**	**90.8**	**100.0**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

विगत छः वर्षों के दौरान बिहार में हुआ कुल ऋण प्रवाह तालिका 10.16 में दर्शाया गया है। बिहार में बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत राज्य में कुल ऋण प्रवाह 2016-17 के 87,909 करोड़ रु. से 13.7 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 99,934 करोड़ रु. हो गया है जबकि गत वर्ष 9.8 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई थी। उपलब्धि का प्रतिशत 2012-13 के 86.6 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2015-16 में 95.3 प्रतिशत हो गया था जिसके बाद 2016-17 में यह गिरकर 87.9 प्रतिशत रह गया था। यह भी दिखता है कि विभिन्न बैंक समूहों के बीच उपलब्धि दरों के मामले में कुछ अंतर था लेकिन सबने अच्छा प्रदर्शन किया है। (तालिका 10.17)। सहकारी बैंकों (248.0 प्रतिशत) ने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की, वहीं अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की उपलब्धि दर भी काफी ऊंची (90.2) प्रतिशत थी। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उपलब्धि की दर 86.3 प्रतिशत थी जो गत वर्ष के 77.7 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 10.16 : वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियां - सभी बैंक

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2012-13	51400	44521	86.6
2013-14	62000	57007	91.9
2014-15	74000	68797	93.0
2015-16	83999	80084	95.3
2016-17	100000	87909	87.9
2017-18	110000	99934	90.9

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 10.17 : वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण

अभिकरण	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2016-17			
व्यावसायिक बैंक	76540	68632	89.7
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22460	17452	77.7
सहकारी बैंक	1000	1825	182.5
योग	**100000**	**87909**	**87.9**
2017-18			
व्यावसायिक बैंक	86044	77594	90.2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22920	19970	86.3
सहकारी बैंक	1036	2570	248.0
योग	**110000**	**99934**	**90.9**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बकाया कृषि अग्रिम

वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बीच छः वर्षों के दौरान बिहार में कृषि में ऋण प्रवाह की मात्रा तालिका 10.18 में प्रस्तुत की गई है। इन वर्षों के दौरान कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है हालांकि कुल ऋण प्रवाह में इसका हिस्सा 2015-16 से घटता गया है। वर्ष 2017-18 में सभी बैंकों के मामले में समग्र उपलब्धि दर 86 प्रतिशत रही। निस्संदेह, कुल ऋण प्रवाह में व्यावसायिक बैंकों का ही बड़ा हिस्सा था जो 2017-18 में लगभग 59 प्रतिशत था। बकाया कृषि अग्रिम (आउटस्टैंडिंग ऍग्रीकल्चरल एडवांसेज) 2017-18 के अंत में 45,706 करोड़ रु. था (तालिका 10.19)। इसका अर्थ हुआ कि कृषि हेतु कुल बकाया ऋण में गत वर्ष से 9.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई जबकि 2016-17 में यह 17.3 प्रतिशत थी।

तालिका 10.18 : कृषिगत ऋण प्रवाह

(करोड़ रु.)

वर्ष	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2012-13	14674	13203 (90.0)	8407	8035 (95.6)	2319	328 (14.2)	25401	21566 (84.9)
2013-14	18709	17786 (95.1)	10777	10676 (99.1)	800	307 (38.4)	30286	28770 (95.0)
2014-15	22191	21260 (95.8)	12809	13058 (101.9)	1000	362 (36.2)	36000	34680 (96.3)
2015-16	26554	24957 (94.0)	14946	15135 (101.3)	1000	1258 (125.8)	42500	41350 (97.3)
2016-17	28317	25004 (88.3)	18682	14247 (76.3)	1000	1825(182.6)	48000	41076 (85.6)
2017-18	29281	24734 (84.5)	18682	14879 (79.6)	1036	2548 (246.0)	49000	42161 (86.0)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े उपलब्धियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 10.19 : बकाया कृषिगत अग्रिम

(करोड़ रु.)

वर्ष	बकाया कृषिगत अग्रिम				वार्षिक वृद्धि दर
	व्यावसायिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी तथा भूमि विकास बैंक	योग	
2012-13	15422	4219	2824	22538	23.2
2013-14	19231	5101	1047	25380	12.6
2014-15	23130	6311	1212	30652	20.8
2015-16	25281	8856	1536	35673	16.4
2016-17	27256	10938	3636	41830	17.3
2017-18	30932	12217	2557	45706	9.3

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)

तालिका 10.20 में मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कामकाज के कुछ चुनिंदा सूचक दर्शाए गए हैं। बिहार में 2017 में 8,463 पैक्स थे जिनकी संख्या गत वर्ष जितनी ही थी। संपूर्ण भारत के पैक्स में उनका 8.9 प्रतिशत हिस्सा है। लेकिन जमा और ऋणग्रहण के मामले में बिहार के पैक्स अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के कुल 8,463 पैक्स में से 3,962 घाटे में चल रहे हैं जिनका कुल घाटा 94 लाख रु. पहुंच गया है जबकि 1,180 पैक्स ने कुल 6.04 करोड़ रु. लाभ अर्जित किया है। सारे पैक्स का कुल जमा महज 175 करोड़ रु. था और उन पर कुल बकाया ऋण 501 करोड़ रु. हो गया था। ये आंकड़े वस्तुतः कई वर्षों से अपरिवर्तित हैं।

तालिका 10.20 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2017)

राज्य	पैक्स की संख्या	जमा (लाख रु.)	ऋणग्रहण (लाख रु.)	बकाया ऋण एवं अग्रिम (लाख रु.)		लाभ वाली समितियां		घाटा वाली समितियां	
				कृषि	गैर-कृषि	संख्या	रकम (लाख रु.)	संख्या	रकम (लाख रु.)
आंध्र प्रदेश	2051	1855	10490	7070	687	1109	469447	927	87003
बिहार	**8463**	**175**	**501**	**0**	**0**	**1180**	**604**	**3962**	**94**
छत्तीसगढ़	1333	390	2083	1483	185	839	7412	494	13710
गुजरात	8484	804	10600	9132	350	6032	5306	1698	4684
हरियाणा	711	505	8134	10809	368	99	1231	612	35583
हिमाचल प्रदेश	2127	471	766	1161	0	1853	47	209	3
कर्नाटक	5679	7497	11285	11213	3899	3858	6316	1457	3409
केरल	1647	83194	6912	6900	48814	1020	78842	558	67138
मध्य प्रदेश	4457	817	10524	3400	119	2153	13124	2129	17824
महाराष्ट्र	21217	177	11202	10301	2326	8872	773	11895	766
ओडिशा	2701	1579	16870	4996	177	740	4443	1865	26615
पंजाब	3543	2412	8076	8452	0	2140	अनु.	1403	अनु.
राजस्थान	6411	2692	9937	अनु.	अनु.	5040	12558	1371	4791
तमिलनाडु	4511	9460	10061	5235	9856	2357	20974	2096	26355
उत्तर प्रदेश	8929	68	971	800	0	4536	1774	1968	153
उत्तराखंड	759	849	828	611	123	604	1248	146	411
पश्चिम बंगाल	7405	2042	1878	1451	289	2342	3094	3983	1465
भारत	**95595**	**115884**	**124831**	**86072**	**67440**	**46586**	**647280**	**38036**	**320966**

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लि. (NAFSCOB)

राजकीय सहकारी बैंक

तालिका 10.21 में देश के प्रमुख राज्यों के राजकीय सहकारी बैंकों के 2015-16 और 2016-17 के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। बिहार में इन बैंकों द्वारा ऋण वसूली का प्रतिशत 2015-16 में 45.5 प्रतिशत था जबकि 2016-17 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बिहार में कुल बकाया ऋणों में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का हिस्सा 2015-16 में 10.3 प्रतिशत था जो 2016-17 में काफी सुधरकर मात्र 4.5 प्रतिशत रह गया था।

तालिका 10.21 : राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

राज्य	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)		अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में		वसूली बकाया ऋणों के प्रतिशत में	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
आंध्र प्रदेश	5076	6646	0.4	अनु.	68.2	12.4
बिहार	**3597**	**3620**	**10.3**	**4.5**	**45.5**	**अनु.**
गुजरात	2436	6496	2.4	2.0	66.3	39.4
हरियाणा	2380	3196	0	0.1	108.8	125.9
हिमाचल प्रदेश	5390	9321	6.6	5.0	10.1	2.1
कर्नाटक	3145	3145	3.3	3.3	60.1	77.8
केरल	34133	8947	35.7	8.4	133	0.0
मध्य प्रदेश	5799	3258	4.2	4.8	0	0.0
महाराष्ट्र	24285	24527	9.3	0.1	0	45.6
ओडिशा	1666	1770	2.4	2.1	71.7	0.0
पंजाब	1253	3146	0.8	0.9	88.9	103.4
राजस्थान	5149	9329	0.3	0.3	99.7	82.7
तमिलनाडु	4331	7370	3.1	2.1	99	12.2
उत्तर प्रदेश	2006	5288	4.1	5.7	58.4	0.0
उत्तराखंड	0	0	3.1	3.1	0.5	0.0
पश्चिम बंगाल	1003	1003	3.1	3.1	0.7	53.2
भारत	**109655**	**112907**	**4.4**	**2.8**	**53.4**	**37.9**

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लि. (NAFSCOB)

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 1998-99 में आरंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लक्ष्य किसानों को लचीले और किफायती ढंग से फसल ऋण उपलब्ध कराना रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन सारे व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजकीय सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सह पासबुक जारी किया जाता है जिसमें ऋणग्रहण सीमा और वैधता की अवधि का उल्लेख रहता है। ऋण सीमाओं का निर्धारण पूरे एक वर्ष

के लिए उनकी पूरी उत्पादन संबंधी ऋण की जरूरतों और फसल उत्पादन संबंधी आनुषंगिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋणदाता बैंकों के विवेकाधीन ऋणों की उप-सीमाएं भी तय की जाती हैं। फसल ऋण चक्रानुसारी नगद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) सुविधा के रूप में होता है जिसमें निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी संख्या में निकासी और भुगतान की स्वीकृति होती है।

बिहार में बैंकों द्वारा 2012-13 से 2017-18 के बीच जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या तालिका 10.22 में दर्शाई गई है। सभी बैंकों के मामले में कुल लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि का प्रतिशत 2013-14 में बढ़कर 71.6 प्रतिशत हो गया था जिसके बाद से लगातार गिरावट का रुझान रहा है। वर्ष 2017-18 में उपलब्धि मात्र 35.5 प्रतिशत थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा 2017-18 में हासिल उपलब्धि लक्ष्य का मात्र 45.6 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पहले उनकी उपलब्धि दर 46.9 प्रतिशत थी। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि दर तेज गिरावट आई जो 2015-16 के 51.0 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में 20.9 प्रतिशत रह गई। केंद्रीय सहकारी बैंक भी अपने लक्ष्यों से काफी पिछड़े रहे और 2017-18 में उनकी उपलब्धि दर 2016-17 के महज 14.1 प्रतिशत के बराबर ही थी। आवदेकों के पास जमीन के अद्यतन दस्तावेजों की अनुपस्थिति भी 2017-18 में घटे लक्ष्य के बावजूद उपलब्धि की कम दर का एक कारण हो सकता है।

तालिका 10.22 : बैंकों द्वारा जारी (नए) किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
	व्यावसायिक बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
2012-13	811207	600343	74.0	467081	246987	52.9
2013-14	909186	675107	74.3	535348	387658	72.4
2014-15	903944	628370	69.5	537590	353841	65.8
2015-16	918912	484543	52.7	527226	269047	51.0
2016-17	873362	409441	46.9	576187	163919	28.4
2017-18	896357	405366	45.6	571902	119355	20.9
	केंद्रीय सहकारी बैंक			योग		
2012-13	221712	16492	7.4	1500000	863822	57.6
2013-14	55466	11325	20.4	1500000	1074090	71.6
2014-15	58466	13057	22.3	1500000	995268	66.4
2015-16	53860	10093	18.7	1500000	763683	51.0
2016-17	50451	7087	14.1	1500000	580447	38.7
2017-18	31742	4489	14.1	1500000	529210	35.5

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

10.4 बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां

जैसा कि तालिका 10.23 में दर्शाया गया है, बिहार में सभी बैंकों की कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2018 को 10.6 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गईं। इसे 3 प्रतिशत के सुरक्षित स्तर तक लाने के लिए

तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। तालिका 10.24 में दर्शाए गए उनके क्षेत्रवार ब्योरे से पता चलता है कि कृषि ऋणों में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का सबसे अधिक हिस्सा था जो कुल ऋण के 17.1 प्रतिशत तक पहुंच गया। उसके बाद अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में अनिष्पादित परिसंपत्तियां कुल ऋण का 13.9 प्रतिशत थीं। वहीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के कुल अग्रिम में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का हिस्सा 14.1 प्रतिशत पहुंच गया था जबकि प्राथमिकता-रहित क्षेत्रों में यह मात्र 2.1 प्रतिशत था।

तालिका 10.23 : मार्च 2018 में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)

बैंक	कुल अग्रिम	कुल अनिष्पापदित परिसंपत्तियां	अनिष्पापदित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	बट्टे खाते में डाली गई
व्यावसायिक बैंक	108272	8770	8.1	953
सहकारी बैंक	2570	250	9.7	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	16205	4461	27.5	
योग	127047	13481	10.6	953

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 10.24 : मार्च 2018 में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियों का क्षेत्रवार ब्योरा (करोड़ रु.)

	कुल बकाया (करोड़ रु.)	कुल अनिष्पापदित परिसंपत्तियां	अनिष्पापदित परिसंपत्तियों का प्रतिशत
कृषि	45706	7812	17.1
अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम	27614	3848	13.9
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	12943	948	7.3
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	86263	12608	14.6
प्राथमिकता-रहित क्षेत्र	40786	874	2.1
कुल अनिष्पापदित परिसंपत्तियां	127048	13482	10.6

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

10.5 वित्तीय संस्थाएं

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड को कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं के पुनर्वित्तीयन के जरिए ऋण प्रवाह के सुगमीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। यह ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं के कामकाज का समन्वय भी करता है और उन्हें प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण देने में रह गई कमी को पूरा करने के लिहाज से बने ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) का प्रबंधन भी करता है। नाबार्ड राज्य सरकारों को सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलछाजन (वाटरशेड) प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शीतगृह श्रृंखला तथा ग्रामीण अधिसंरचना संबंधी अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण भी उपलब्ध कराता है।

नाबार्ड द्वारा मार्च 2018 तक किए गए क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन के विवरण तालिका 10.25 में प्रस्तुत हैं। नाबार्ड द्वारा 2017–18 में दिया गया वित्तीय सहयोग 5,504.1 करोड़ रु. था जो 2016–17 में उपलब्ध कराए गए 5,448.9 करोड़ रु. के लगभग बराबर है। फसल ऋण पुनर्वित्तीयन और निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन (इनवेस्टमेंट क्रेडिट रिफाइनांसिंग) में काफी कमी आई थी जिसकी आंशिक क्षतिपूर्ति ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष और अन्य ऋणों को बढ़ाकर की गई थी। वर्ष के दौरान विभिन्न घटकों के हिस्से इस प्रकार थे – फसल ऋण पुनर्वित्तीयन (18.0 प्रतिशत), निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन (38.0 प्रतिशत) और ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ऋण (44.0 प्रतिशत)।

तालिका 10.25 : नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन

(करोड़ रु.)

वर्ष	फसल ऋण पुनर्वित्तीयन	निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष + भंडार अधिसंरचना कोष + खाद्य प्रसंस्करण कोष ऋण (स्वीकृत)	कुल वित्तीय सहायता
2011-12	700.0	376.5	638.0	1714.5
2012-13	1077.0	521.4	903.0	2501.4
2013-14	2338.0	370.6	1325.0	4033.6
2014-15	4370.0	2157.4	1128.0	7655.4
2015-16	2377.6	3219.7	1181.0	6778.3
2016-17	1720.7	2194.7	1533.5	5448.9
2017-18	989.13	2091.7	2423.3	5504.1

स्रोत : नाबार्ड

चार्ट 10.4 : नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन (करोड़ रु.)

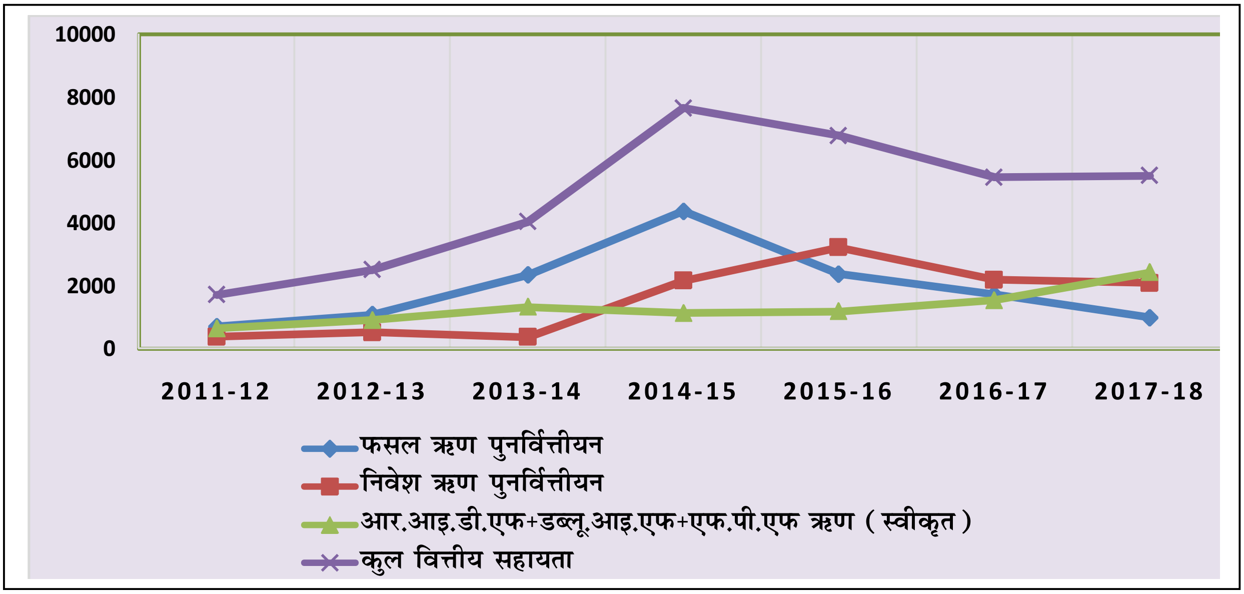

निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं। तालिका 10.26 में विगत सात वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक गतिविधि के लिए पुनर्वित्तीयन की मात्रा दर्शाई गई है। तालिका से पता चलता है कि 2017-18 में 1391.99 करोड़ रु. के कुल पुनर्वित्तीयन में पांच सूचीबद्ध गतिविधियों के हिस्से इस प्रकार थे - लघु सिंचाई (5.9 प्रतिशत), कृषि यंत्रीकरण (26.7 प्रतिशत), दुग्धशाला (14.0 प्रतिशत) और गैर-कृषि क्षेत्र (3.5 प्रतिशत)। शेष 50 प्रतिशत ऋण का उपयोग अन्य कार्यों के लिए हुआ।

तालिका 10.26 : नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के विवरण

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लघु सिंचाई	32.72	46.57	17.89	25.25	43.44	34.99	80.74
कृषि यंत्रीकरण	97.76	250.84	67.27	295.60	164.77	815.07	371.32
दुग्धशाला	70.62	-	31.11	104.59	333.68	69.95	194.44
स्वयं सहायता समूह	43.66	-	63.38	114.24	92.15	80.00	-
गैर-कृषि क्षेत्र	97.80	53.56	21.26	298.06	67.88	99.51	49.29
अन्य	33.98	170.46	169.73	1319.30	2517.75	1095.16	696.20
योग	**376.54**	**521.43**	**370.64**	**2157.36**	**3219.66**	**2194.68**	**1391.99**

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

10.6 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)

ग्रामीण अधिसंरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार ने भारत निर्माण (जिसके अंतर्गत सिंचाई, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क और आवास शामिल हैं), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप पिछले ढाई दशकों में ग्रामीण अधिसंरचना में काफी सुधार हुआ है। ईपीडब्ल्यू रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए और नाबार्ड द्वारा कराए गए एक अध्ययन के दौरान राज्यों में ग्रामीण अधिसंरचना सूचकांक तैयार किया गया था जिसके परिणामों को चार्ट 10.5 में दर्शाया गया है। सूचकांक में ग्रामीण पथ, दूरसंचार, विद्युत एवं आवास, तथा जल एवं स्वच्छता से संबंधित पैरामीटर शामिल थे। उसमें 27 राज्यों के बीच बिहार का 16वां स्थान था।

केंद्र सरकार द्वारा 1995-96 में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों को निम्न लागत वाली धनराशि सहायता उपलब्ध कराने के लिहाज से की गई थी। इस कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंक जिस हद तक कृषि के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र हेतु अनुबद्ध (स्टीपुलेटेड) ऋण

चार्ट 10.5 : ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष सूचकांक, 2016

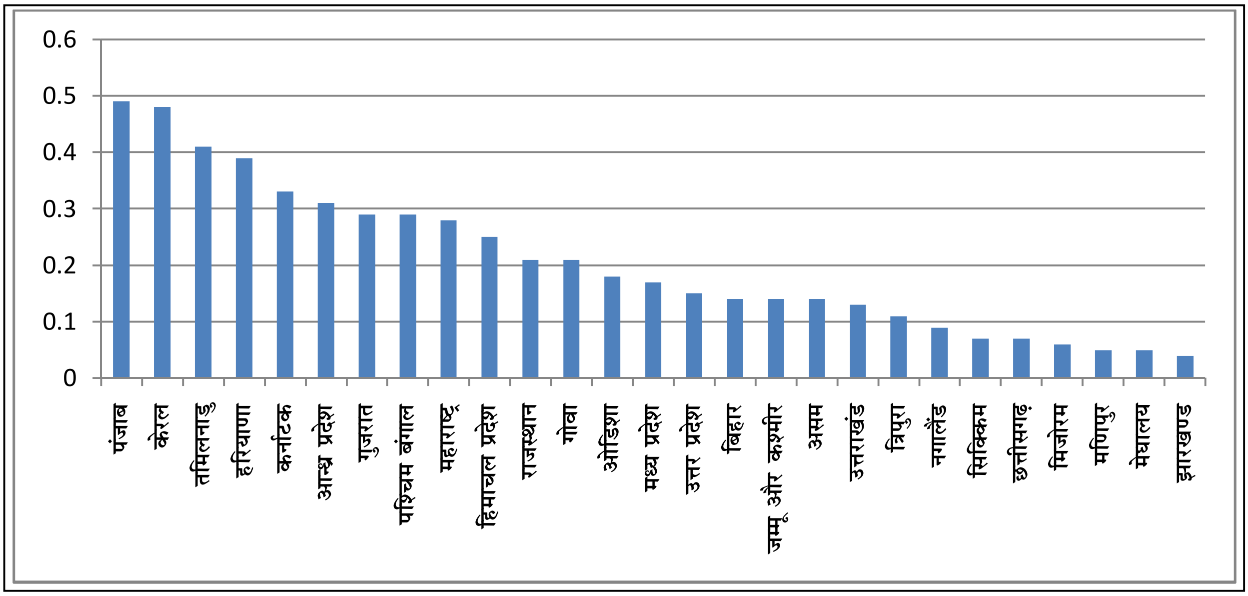

स्रोत : नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

देने के मामले में पीछे रह जाते हैं, इस कोष में वे उस हद तक योगदान करते हैं। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष का निर्माण निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया गया था : (1) राज्य सरकारों द्वारा पहले से किए गए निष्फल निवेश को सफल बनाना, (2) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना, (3) ग्रामीण लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करना, (4) राज्य की आर्थिक संपदा में योगदान करना, (5) गांवों और विपणन केंद्रों के बीच पथसंपर्क में सुधार करना तथा (6) शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अभी ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत व्यापक विस्तार वाली 36 गतिविधियां शामिल हैं जिन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है - (i) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, (ii) सामाजिक क्षेत्र और (iii) ग्रामीण पथ संपर्क। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों को परियोजना व्यय की 95 प्रतिशत तक राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक क्षेत्रों के मामले में यह सीमा उत्तर-पूर्वी अंचल के लिए 90 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए 85 प्रतिशत है। वहीं ग्रामीण पथ संपर्क के लिए यह सीमा उत्तर-पूर्वी अंचल के लिए 90 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए 80 प्रतिशत है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत वित्तीयन निस्संदेह ग्रामीण अधिसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को मोड़ने और इस प्रकार देश के कम विकिसित क्षेत्रों में ग्रामीण वित्तीय बाजारों का विस्तार करने तथा समावेशी विकास करने में सक्षम बनाने के लिहाज से राज्य सरकारों के लिए वित्तीयन के आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा है।

मार्च 2018 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 23 ट्रेंच जारी किए गए हैं। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष द्वारा पहले ट्रेंच से 23वें ट्रेंच तक संचयी वितरण 2,40,596 करोड़ रु. पहुंच गया जो स्वीकृत रकम का 90 प्रतिशत है। इसमें ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के बारहवें से पंद्रहवें ट्रेंच तक भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए जारी 18,500 करोड़ रु. की धनराशि भी शामिल है। तीन वर्षों (2015-18) के दौरान संचयी धनराशि में सर्वाधिक हिस्सा कृषि और सिंचाई का रहा है और उसके बाद ग्रामीण पथ एवं ग्रामीण पुल सहित ग्रामीण पथसंपर्क का और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं का। 1,24,418 करोड़ रु. के वित्तपोषण

के साथ ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के पहले से सोलहवें ट्रेंच तक बंद कर दिए गए जिनकी 91 प्रतिशत राशि का समग्रत: उपयोग किया गया। शेष ट्रेंच अभी भी जारी हैं जिनके मामले में उपयोग 89 प्रतिशत रहा है।

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 23 ट्रेंचों के तहत बिहार हेतु किया गया कुल ऋण संवितरण तालिका 10.27 में दर्शाया गया है। कई ट्रेंचों में स्वीकृति और संवितरण के बीच भारी अंतर रहा है। मार्च 2018 तक कुल संवितरण 10,701 करोड़ रु. था जो 15,220 करोड़ रु. की कुल स्वीकृति का 70.3 प्रतिशत है।

तालिका 10.27 : मार्च 2018 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत बिहार में स्वीकृति और वितरण

(करोड़ रु.)

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ट्रेंच	स्वीकृति	संवितरण	संवितरण का प्रतिशत
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष 1 से 10	509.00	170.00	33.4
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 11 (2005-06)	459.00	79.00	17.2
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 12 (2006-07)	305.00	201.00	65.9
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 13 (2007-08)	578.00	297.00	51.4
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 14 (2008-09)	752.00	495.00	65.8
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 15 (2009-10)	674.00	542.00	80.4
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 16 (2010-11)	1090.00	640.00	58.7
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 17 (2011-12)	1049.00	638.00	60.8
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 18 (2012-13)	1490.00	903.00	60.6
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 19 (2013-14)	1764.00	1325.00	75.1
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 20 (2014-15)	1085.00	1128.00	104.0
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 21 (2015-16)	2025.00	1181.00	58.3
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 22 (2016-17)	1836.00	1454.00	79.2
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 23 (2017-18)	1604.00	1648.00	102.7
योग	15220.00	10701.00	70.3

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

10.7 बिहार में सूक्ष्मवित्त

पारंपरिक सरकारी गरीबी निवारण योजनाएं सेवाप्रदान सबंधी समस्याओं से ग्रस्त होती हैं और गरीबी पर गंभीर असर डालने में प्राय: असफल रहती हैं – खास कर वैसी गरीबी पर जो गरीब परिवारों के लिए ऋण सहायता नहीं उपलब्ध होने से उत्पन्न होती है। बिहार के लिए यह बात खास तौर पर सच है। इस परिदृश्य में, समाज के गरीब लोगों को समय पर पर्याप्त ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं की किफायती खर्च पर उपलब्धता के मामले में सूक्ष्मवित्त (माइक्रो-फाइनांस) गरीबी निवारण का एक सक्षम विकल्प है। इस पृष्ठभूमि में, स्वयं सहायता समूह और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के बतौर उभरे हैं।

स्वयं सहायता समूहों का ऋण-संपर्क कराने में सहयोग करने के लिहाज से नाबार्ड ने एक इलक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-शक्ति के जरिए समूहों के डिजिटीकरण के लिए पहल की है। समूहों का डिजिटीकरण मुजफ्फरपुर जिले में शुरू किया गया था और अभी उसका विस्तार पांच और जिलों में किया जा रहा है। कुल 38,346 समूहों का डिजिटीकरण किया गया है और बैंकों द्वारा समूहों की रेटिंग और ऋण-संपर्क के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है।

तालिका 10.28 में 2017-18 तक बैंकों के साथ ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या के लिहाज से कुछ चुनिंदा राज्यों में चले स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम (बीएलपी) की स्थिति दर्शाई गई है। मार्च 2018 तक देश में 87.44 लाख स्वयं सहायता समूह औपचारिक बैंक व्यवस्था से जुड़े थे। उनकी बचत का शेष गत वर्ष के 16,114 करोड़ रु. के मुकाबले 19,592 करोड़ रु. था। वर्ष 2017-18 में इन समूहों के बीच कुल वितरित ऋण 47,186 करोड़ रु. था। दूसरे शब्दों में, अभी तक पहुंच से दूर रहे गरीबों के वित्तीय समावेश के लिए स्वयं सहायता समूह-बैंक ऋण संपर्क कार्यक्रम सबसे पसंदीदा और सक्षम मॉडलों में से एक बन गया है।

तालिका 10.28 : भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क

राज्य	बैंक संपर्क वाले समूहों की सं. (हजार)	समूहों की बैंकों में बचत (करोड़ रु.)	वर्ष में वितरित बैंक ऋण (करोड़ रु.)	बैंक संपर्क वाले समूहों की सं. (हजार)	समूहों की बैंकों में बचत (करोड़ रु.)	वर्ष में वितरित बैंक ऋण (करोड़ रु.)
	2017			**2018**		
आंध्र प्रदेश	849	5291.2	10347.1	928	6682.4	10652.0
बिहार	**441**	**626.6**	**1323.1**	**595**	**983.8**	**2343.6**
छत्तीसगढ़	179	200.9	225.3	191	225.4	230.8
गुजरात	247	262.5	214.7	240	273.5	152.4
हरियाणा	41	34.3	58.5	38	32.3	37.1
हिमाचल प्रदेश	46	50.6	50.1	49	66.8	50.2
झारखंड	130	149.9	103.7	153	448.7	338.8
कर्नाटक	1032	1311.8	5722.0	836	1147.0	8196.8
केरल	280	512.7	2226.5	296	562.3	2728.6
मध्य प्रदेश	238	273.1	296.2	256	300.7	179.8
महाराष्ट्र	885	1103.4	1255.1	848	949.8	1381.5
ओडिशा	431	627.5	961.0	530	924.8	1516.7
पंजाब	31	31.4	25.0	38	32.2	19.7
राजस्थान	317	346.4	406.5	331	319.4	325.9
तमिलनाडु	909	1065.8	4625.9	1047	1077.9	5360.6
उत्तर प्रदेश	384	321.5	133.7	407	347.9	122.9
उत्तराखंड	47	43.5	24.4	48	79.9	25.9
पश्चिम बंगाल	945	1952.7	2335.8	847	2050.5	4883.7
योग	**7433**	**14205.8**	**30334.7**	**7679**	**16505**	**38547.0**
संपूर्ण भारत	**8577**	**16114.2**	**38781.2**	**8744**	**19592.1**	**47185.9**

स्रोत : स्टेटस ऑफ माइक्रोफाइनांस इन इंडिया, 2016-17 और 2017-18, नाबार्ड

धीमी शुरुआत करने वाला बिहार स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करने और उनका बैंक के साथ संपर्क सुनिश्चित करने, दोनों मामलों में अन्य राज्यों के समकक्ष पहुंच रहा है। बिहार में 2017-18 के अंत तक 5.95 लाख बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूह थे जो देश के कुल बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों के लगभग 6.8 प्रतिशत ठहरते हैं। वर्ष 2017-18 में बिहार का हिस्सा 5.1 प्रतिशत ही था और यह हिस्सा विगत वर्षों में बढ़ता गया है। बिहार में स्वयं सहायता समूहों का 2017-18 तक का प्रदर्शन तालिका 10.29 में दर्शाया गया है। मार्च 2018 तक ग्रामीण बिहार के 77.35 लाख परिवार बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़े थे जिनकी संख्या एक वर्ष पूर्व 57.33 लाख ही थी जो एक वर्ष में 35 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। जैसा कि तालिका 10.28 में दर्शाया गया है, बिहार में इन स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत 983.8 करोड़ रु. थी और 2017-18 में इन स्वयं सहायता समूहों को कुल 2,343.6 करोड़ रु. का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया था। बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह 16,540 रु. की औसत बचत राशि 22,405 रु. की औसत राष्ट्रीय बचत से काफी कम थी। वर्ष 2017-18 में यह फासला और भी बढ़ गया है। प्रति स्वयं सहायता समूह 67 हजार रु. का औसत ऋण भी 1.5 लाख रु. के राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बीच वितरित कुल ऋण राशि 2,343.61 करोड़ रु. थी जो गत वर्ष वितरित 1,323.06 करोड़ रु. से काफी अधिक थी। वर्ष 2017-18 के अंत तक उन पर बकाया कुल ऋण राशि 3,173.48 करोड़ रु. थी जो एक वर्ष पूर्व के संबंधित आंकड़े के दूने से भी अधिक है। अनुत्पादक परिसंपत्तियां 2016-17 के 207.0 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 241.2 करोड़ रु. पहुंच गईं। लेकिन 2016-17 में ऐसी अनुत्पादक परिसंपत्तियां कुल बकाया ऋणराशि का 13.1 प्रतिशत थीं जो 2017-18 में 7.6 प्रतिशत रह गईं। यह ऋण अदायगी में सुधार के व्यवहार को दर्शाती है।

तालिका 10.29 : बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन

सूचक		इकाई	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों में ग्रामीण परिवार		लाख	36.21	57.33	77.35
बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की सं.		लाख	2.78	4.41	5.59
प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बचत	बिहार	रुपए	12924	14198	16540
	भारत	रुपए	17324	18787	22405
बैंक ऋण पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की सं.	कुल	लाख	267338	364169	474913
	वर्तमान वर्ष में	लाख	98608	156165	226645
बैंक ऋण की कुल बकाया राशि		लाख रु.	100248	158486	317348
वर्ष में बैंक ऋण की कुल राशि		लाख रु.	61056	132306	234361
प्रति स्वयं सहायता समूह औसत ऋण	बिहार	रुपए	0.62	0.85	0.67
	भारत	रुपए	2.03	2.04	1.505
सकल अनिष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)		लाख रु.	13280	20700	24119
सकल अनिष्पादित परिसंपत्तियां कुल बकाया राशि के प्रतिशत के बतौर		प्रतिशत	13.2	13.1	7.6

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

10.8 मुद्रा ऋण

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का आरंभ अप्रील 2015 में ''समावेशी, दीर्घस्थायी और मूल्य आधारित उद्यमिता संस्कृति के निर्माण'' के लिए, खास कर छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनको सहयोग देने के लिए किया गया था। योजना के तहत गैर-निगमित, गैर-कृषि/ सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रु. तक के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ये ऋण व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, सूक्ष्मवित्त संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। ऋण लेने वाला इनमें से किसी ऋणदाता संस्था से संपर्क कर सकाता है या मुद्रा पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकता है। लाभार्थियों की अतिलघु इकाइयों/उद्यमियों के विकास के चरणों और वित्तपोषण की जरूरतों के अनुरूप मुद्रा के तीन उत्पाद हैं - शिशु, किशोर और तरुण। यह वर्गीकरण 'क्रमिक वृद्धि/ विकास के अगले चरण के लिए संदर्भ बिंदु' भी उपलब्ध कराते हैं। हर श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध रकम इस प्रकार है - शिशु (50,000 रु. तक ऋण), किशोर (50,000 रु. से 5.00 लाख रु. तक ऋण) और तरुण (5.00 लाख रु. से 10.00 लाख रु. तक ऋण)।

तालिका 10.30 : बिहार में 2017-18 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का प्रदर्शन

श्रेणी	ऋणों की संख्या (लाख)	लक्षित रकम (करोड़ रु.)	स्वीकृत रकम (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
शिशु	8.69	2165	2887	133.3
किशोर	2.10	1908	5100	267.3
तरुण	0.22	1301	1611	123.8
योग	1100773	5374	9598	178.0

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

हालांकि कार्यक्रम का सबसे अधिक फोकस शिशु श्रेणी की इकाइयों पर है, जिसके बाद किशोर और तरुण श्रेणी की इकाइयों पर। ऋण विनिर्माण, प्रसंस्करण सेवाओं और व्यापार संबंधी गतिविधियों के साथ खेती (फसल ऋण और भूमि विकास हेतु ऋण को छोड़कर) के जरिए आमदनी कराने वाले छोटी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है। इन ऋणों के लिए किसी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है और ब्याज ऋणदाता संस्थाओं की नीति के अनुसार लगता है। मुद्रा के जरिए वित्तीय सहायता में ये चीजें शामिल हैं - (1) सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के जरिए 1.00 लाख रु. तक ऋण के लिए सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएस), (2) व्यावसायिक बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्तीयन योजना, (3) महिला उद्यमी कार्यक्रम और (4) ऋण पोर्टफोलियो का प्रतिभूतिकरण। वर्ष 2017-18 में पूरे देश में कुल 1.54 लाख करोड़ रु. के 2.9 करोड़ मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 1.47 लाख करोड़ रु. के ऋण वितरित किए गए हैं। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत बिहार का प्रदर्शन तालिका 10.30 में दर्शाया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हर श्रेणी के तहत लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल हुई है- शिशु 133.3 प्रतिशत, किशोर 267.3 प्रतिशत, तरुण 123.8 प्रतिशत और समग्र 178.0 प्रतिशत।

परिशिष्ट

तालिका प 10.1 : 31.3.2018 को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन

(करोड़ रु.)

जिला	कृषि			लघु एवं मध्यम उद्यम			अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			योग (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	3004	2953	98.3	2754	5050	183.4	3148	2232	70.9	8906	10235	114.9
नालंदा	1651	1654	100.2	378	345	91.4	270	256	94.9	2298	2255	98.1
भोजपुर	1502	1274	84.8	410	348	84.8	317	349	109.9	2230	1971	88.4
बक्सर	1148	974	84.9	315	351	111.4	216	199	91.8	1680	1524	90.7
रोहतास	1532	1653	107.9	513	522	101.8	514	426	83.0	2558	2601	101.7
कैमूर	951	963	101.3	314	252	80.3	264	262	99.2	1529	1477	96.6
गया	1864	1496	80.3	693	608	87.8	857	744	86.8	3413	2848	83.4
जहानाबाद	742	558	75.2	164	162	99.1	107	120	112.7	1012	840	83.0
अरवल	482	378	78.5	79	72	91.4	58	66	114.3	619	517	83.5
नवादा	1084	964	88.9	158	173	110.0	141	181	128.7	1382	1319	95.4
औरंगाबाद	1377	1348	97.9	233	299	128.1	330	294	88.9	1941	1941	100.0
सारण	1667	1402	84.1	640	596	93.2	553	409	74.1	2859	2408	84.2
सीवान	1526	1301	85.2	413	366	88.6	398	295	74.2	2337	1962	84.0
गोपालगंज	1422	1080	76.0	139	135	96.8	200	121	60.4	1761	1336	75.8
पश्चिम चंपारण	1427	1518	106.4	782	599	76.6	738	531	72.0	2946	2648	89.9
पूर्वी चंपारण	2065	1713	83.0	731	718	98.2	260	201	77.1	3057	2632	86.1
मुजफ्फरपुर	2120	1950	92.0	1058	1179	111.5	364	302	82.9	3542	3431	96.9
सीतामढ़ी	1345	1069	79.5	583	411	70.6	230	137	59.8	2158	1618	75.0
शिवहर	385	277	72.0	63	51	80.8	54	32	60.0	502	361	71.8
वैशाली	1560	1241	79.5	203	320	157.6	201	166	82.5	1965	1728	87.9
दरभंगा	1548	918	59.3	277	442	159.4	257	208	81.0	2082	1568	75.3
मधुबनी	2323	1422	61.2	428	726	169.5	331	208	62.8	3082	2356	76.4
समस्तीपुर	2257	1968	87.2	516	624	120.9	709	412	58.0	3483	3004	86.3
बेगूसराय	1461	1401	95.9	1126	1040	92.4	407	253	62.1	2994	2693	89.9
मुंगेर	760	633	83.3	235	227	96.8	127	126	99.5	1122	987	88.0
शेखपुरा	484	371	76.7	108	91	83.6	14	15	107.1	606	476	78.6
लखीसराय	612	520	84.8	124	130	104.6	53	57	109.3	789	707	89.6
जमुई	907	704	77.6	120	153	127.2	138	101	73.2	1166	958	82.2
खगड़िया	843	799	94.8	298	293	98.2	117	77	65.7	1258	1169	92.9
भागलपुर	1379	1155	83.8	986	839	85.2	218	179	82.1	2582	2173	84.2
बांका	849	645	75.9	319	252	79.1	77	51	66.0	1245	947	76.1
सहरसा	671	567	84.5	208	160	77.2	214	96	44.7	1093	823	75.3
सुपौल	987	703	71.2	216	166	76.9	198	108	54.3	1401	976	69.7
मधेपुरा	920	545	59.3	78	120	153.6	105	54	51.8	1103	719	65.2
पूर्णिया	1172	1062	90.6	311	307	98.7	240	131	54.7	1723	1500	87.1
किशनगंज	674	809	120.1	279	199	71.2	119	79	66.5	1072	1087	101.4
अररिया	1162	1071	92.2	321	318	99.0	188	133	70.6	1671	1522	91.1
कटिहार	1137	1100	96.7	426	339	79.6	268	170	63.4	1831	1609	87.9
बिहार	**49000**	**42161**	**86.0**	**17000**	**18985**	**111.7**	**13000**	**9781**	**75.2**	**79000**	**70927**	**89.8**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

तालिका प 10.1 : 31.3.2018 को वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन (जारी)

(करोड़ रु.)

जिला	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			कुल योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	5215	7718	148.0	14121	17953	127.1
नालंदा	744	614	82.6	3042	2869	94.3
भोजपुर	750	623	83.0	2980	2593	87.0
बक्सर	576	417	72.4	2256	1941	86.1
रोहतास	792	644	81.4	3350	3245	96.9
कैमूर	465	356	76.5	1994	1833	91.9
गया	1224	1118	91.3	4637	3965	85.5
जहानाबाद	406	297	73.2	1418	1137	80.2
अरवल	215	162	75.3	834	679	81.4
नवादा	388	301	77.6	1770	1620	91.5
औरंगाबाद	622	484	77.8	2563	2425	94.6
सारण	908	648	71.3	3767	3056	81.1
सीवान	763	571	74.9	3100	2533	81.7
गोपालगंज	585	548	93.7	2347	1884	80.3
पश्चिम चंपारण	733	720	98.2	3680	3368	91.5
पूर्वी चंपारण	1041	940	90.4	4098	3573	87.2
मुजफ्फरपुर	1712	1568	91.6	5254	4999	95.2
सीतामढ़ी	670	484	72.2	2828	2102	74.3
शिवहर	199	110	55.0	701	470	67.0
वैशाली	972	727	74.7	2937	2454	83.6
दरभंगा	961	864	89.9	3043	2432	79.9
मधुबनी	950	742	78.0	4033	3098	76.8
समस्तीपुर	1107	996	90.0	4590	4000	87.1
बेगूसराय	932	747	80.2	3926	3440	87.6
मुंगेर	546	562	103.1	1668	1549	92.9
शेखपुरा	229	207	90.3	835	683	81.8
लखीसराय	260	207	79.6	1049	914	87.1
जमुई	371	369	99.4	1537	1327	86.3
खगड़िया	464	322	69.3	1722	1490	86.5
भागलपुर	1347	1466	108.8	3929	3639	92.6
बांका	535	370	69.2	1780	1318	74.0
सहरसा	492	287	58.3	1585	1110	70.0
सुपौल	544	353	64.9	1945	1330	68.4
मधेपुरा	472	250	53.0	1574	969	61.6
पूर्णिया	925	758	81.9	2648	2258	85.3
किशनगंज	419	298	71.1	1491	1385	92.9
अररिया	660	489	74.1	2332	2011	86.3
कटिहार	807	670	83.1	2638	2280	86.4
बिहार	**31000**	**29007**	**93.6**	**110000**	**99934**	**90.8**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

तालिका प 10.2 : जिलावार उपलब्धि – नई और नवीकृत किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (हजार में)

जिला	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	26.23	60.14	50.52	54.95	54.32	72.92	59.09	62.58	66.55	58.46
नालंदा	22.28	34.95	42.07	46.48	63.10	52.08	54.17	72.24	56.12	68.75
भोजपुर	27.58	50.76	59.02	84.54	86.53	96.03	90.50	83.70	50.31	99.98
बक्सर	10.92	38.45	32.04	40.53	79.49	64.99	51.36	44.43	35.63	49.55
रोहतास	33.14	56.52	57.66	76.55	95.86	78.68	72.13	93.40	113.52	102.74
कैमूर	24.10	31.49	29.36	44.17	63.62	57.32	63.94	68.04	37.91	58.98
गया	52.57	40.10	41.01	60.65	85.44	95.49	86.97	104.28	93.17	90.73
जहानाबाद	12.26	16.10	25.15	26.43	18.91	16.73	14.20	22.68	17.69	35.49
अरवल	4.44	6.69	8.36	12.75	13.46	11.10	13.47	18.68	13.99	21.65
नवादा	25.99	24.84	28.98	23.73	36.43	44.29	42.46	76.64	58.62	36.12
औरंगाबाद	28.08	42.49	42.35	54.79	67.64	31.70	54.10	73.83	75.75	55.18
सारण	24.23	32.71	34.84	39.06	66.26	72.48	61.32	91.86	82.06	76.91
सीवान	27.75	38.54	34.17	36.96	72.17	55.79	71.07	97.31	83.47	76.93
गोपालगंज	29.82	42.89	53.93	60.45	82.85	97.37	98.80	88.55	109.34	88.95
पश्चिम चंपारण	47.45	70.19	75.74	97.81	86.74	104.25	98.93	136.40	129.69	100.40
पूर्वी चंपारण	45.14	74.33	82.86	104.24	129.86	147.01	156.80	160.34	153.66	142.86
मुजफ्फरपुर	36.20	61.03	58.14	71.13	91.76	96.01	144.85	142.78	139.99	91.00
सीतामढ़ी	19.94	34.68	30.37	43.47	62.52	66.49	47.52	55.15	42.90	62.68
शिवहर	6.65	6.32	12.12	7.68	11.31	27.41	9.87	49.79	17.19	15.11
वैशाली	30.63	38.76	45.61	66.71	82.39	88.73	80.25	85.17	77.88	95.26
दरभंगा	20.74	43.99	26.36	41.68	56.13	52.02	39.35	41.38	48.46	47.24
मधुबनी	35.42	38.58	55.26	72.37	101.07	95.60	97.56	129.11	95.02	136.74
समस्तीपुर	38.36	79.08	80.40	95.79	94.51	155.58	154.74	173.89	170.53	206.55
बेगूसराय	20.69	57.13	72.81	89.80	111.45	152.53	134.32	134.01	119.82	122.00
मुंगेर	10.76	16.56	16.70	28.05	19.33	36.37	36.22	44.20	46.09	57.42
शेखपुरा	7.88	6.04	5.22	12.74	13.62	12.60	21.87	13.45	26.97	37.24
लखीसराय	10.05	11.40	15.85	18.07	16.62	35.84	39.83	37.07	38.71	44.76
जमुई	13.46	15.78	22.59	28.02	30.84	50.86	64.32	64.64	68.24	75.42
खगड़िया	12.38	30.31	39.92	57.27	45.85	69.17	78.56	76.26	83.32	71.97
भागलपुर	22.73	44.74	37.94	48.75	45.36	66.86	65.70	72.44	61.73	70.51
बांका	9.46	21.23	22.83	36.20	34.78	36.69	36.02	47.77	34.62	45.30
सहरसा	13.84	21.76	18.90	25.22	32.86	41.01	47.16	45.35	33.45	30.38
सुपौल	57.13	22.83	16.79	27.26	40.51	45.48	46.71	43.30	42.94	44.73
मधेपुरा	11.62	12.31	14.71	24.80	29.93	36.54	25.39	20.35	28.71	22.02
पूर्णिया	27.43	51.21	30.38	55.21	64.57	64.26	61.97	68.56	45.65	61.79
किशनगंज	13.68	14.65	20.79	36.76	44.19	51.11	46.03	54.16	40.50	57.60
अररिया	16.38	20.23	29.47	47.76	54.05	82.37	53.92	60.22	42.71	54.50
कटिहार	19.83	29.76	31.62	48.62	45.51	53.03	49.92	60.84	41.77	52.78
बिहार	**897.25**	**1339.54**	**1402.83**	**1847.44**	**2231.79**	**2514.76**	**2471.35**	**2814.83**	**2524.66**	**2666.65**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

अध्याय - 11

मानव विकास

मानव विकास लोगों की पसंदों को व्यापक बनाने की प्रक्रिया है। इन पसंदों के कई आयाम होते हैं जिनमें समय के साथ बदलाव आ सकता है। लेकिन विकास के सभी स्तरों पर किसी भी व्यक्ति की तीन अनिवार्य पसंद होती हैं - स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीना, ज्ञान प्राप्त करना, और अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच होना। अगर इन अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो अन्य अवसरों तक भी पहुंच नहीं हो पाती है। मानव विकास की अवधारणा के चार प्रमुख तत्व हैं - उत्पादकता, समता, दीर्घस्थायित्व और सशक्तीकरण। इन कारकों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक सांख्यिकी और विकास के नए पैमानों का व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की जरूरत होती है। इस अध्याय में बिहार में सामाजिक क्षेत्र के विकासों का अवलोकन इन आयामों के जरिए किया गया है - स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण तथा वृद्धों और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा।

वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच बिहार में अर्थव्यवस्था की 10.9 प्रतिशत की स्थिर विकास दर बरकरार रही है। यह हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था की टिकाऊ और समावेशी विकास की स्थिति को दर्शाती है। इसी के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को भी उचित महत्व दिया गया है। राज्य के प्रति व्यक्ति विकास व्यय (PCDE) में 2011-12 से 2017-18 के बीच लगातार वृद्धि हुई है। इस पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि पिछले सात वर्षों में बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय 15.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जबकि पूरे देश के लिए इसकी वृद्धि दर 13.7 प्रतिशत ही रही है। यह भी प्रशंसनीय है कि राज्य में शिक्षा पर व्यय 2011-12 में 10,214 करोड़ रु. था जो 14.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2017-18 में 26,394 करोड़ रु. हो गया। यह संपूर्ण भारत के 12.5 प्रतिशत के औसत से 1.9 प्रतिशत अंक अधिक है। इस अवधि में संपूर्ण भारत के स्तर पर शिक्षा पर व्यय 2011-12 के 2,20,648 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 4,49,201 करोड़ रु. पहुंचा है। इसी प्रकार, इन सात वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य पर व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 22 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही है (तालिका 11.1)।

तालिका 11.1 : शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान

वर्ष	सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय (करोड़ रु.)		शिक्षा पर कुल व्यय (करोड़ रु.)		स्वास्थ्य पर कुल व्यय (करोड़ रु.)	
	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार
2011-12	459980	19536	220648	10214	9662	2125
2012-13	528655	24438	251169	14445	11902	2398
2013-14	600231	28253	280865	15047	15205	2574
2014-15	696207	33386	324187	16531	19590	3604
2015-16	809664	38684	360085	19155	23197	4571
2016-17	919225	44329	398607	20226	25399	5493
2017-18	1116512	58492	449201	26394	34635	6535
वर्ष	कुल व्यय (करोड़ रु.)		कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत हिस्सा		सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)	
	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार
2011-12	1245816	60182	36.9	32.5	3801	1878
2012-13	1424883	69207	37.1	35.3	4296	2292
2013-14	1600303	80405	37.5	35.1	4796	2586
2014-15	1909198	94698	36.5	35.3	5470	2981
2015-16	2171650	112328	37.3	34.4	6255	3370
2016-17	2479080	126302	37.1	35.1	6983	3767
2017-18	2989510	160086	37.3	36.5	8340	4850

टिप्पणी : सभी राज्यों के आंकड़ों में राजस्व और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

स्रोत : स्टेट फिनांसेज, ए स्टडी ऑफ बजट्स, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बिहार सरकार के बजट दस्तावेज

चार्ट 11.1 : सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय का रुझान

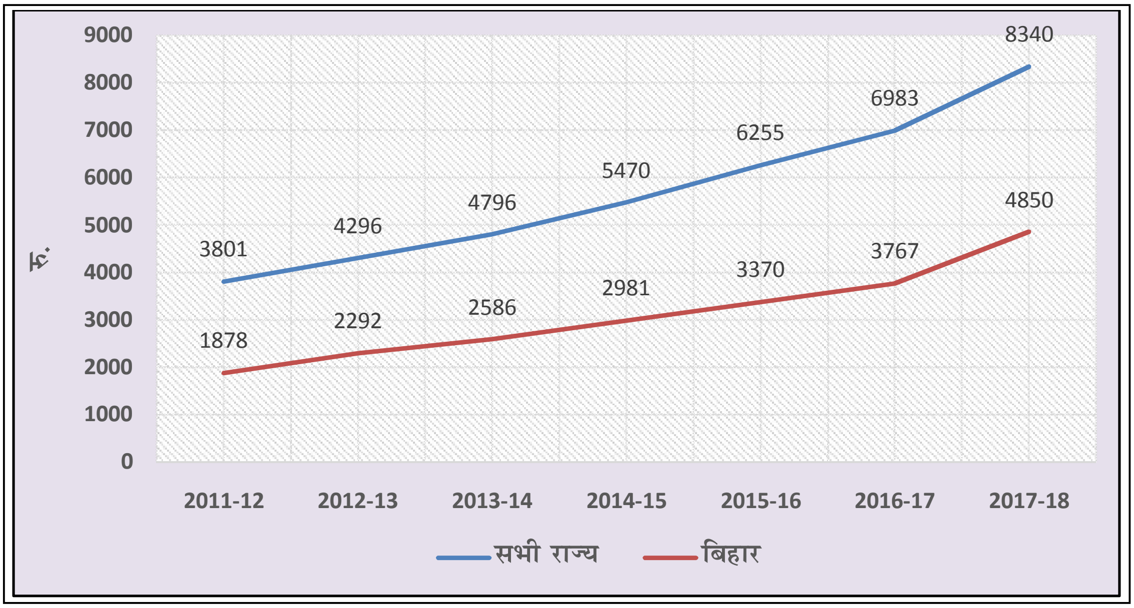

11.1 बिहार में स्वास्थ्य परिदृश्य

स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक विकास आपस में इस तरह से नथे-गुंथे होते हैं कि एक की प्रगति के बिना दूसरे का प्रगति करना असंभव होता है। हाल के वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की गुणवत्ता में भारी सुधार हुआ है। यह बात इस अवधि में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी), शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में काफी सुधार से बिल्कुल स्पष्ट है। इस खंड में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलकदमियों पर प्रासंगिक सूचनाएं प्रस्तुत की जाएंगी।

स्वास्थ्य देखरेख सबसे बड़े सेवा क्षेत्रों में से एक है। क्षेत्र द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियां भी काफी हैं - मृत्यु दरों में कमी लाना, भौतिक अधिसंरचना सुधारना, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की जरूरत, प्रशिक्षित चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि-आदि। बिहार में हाल के वर्षों में संचारी और असंचारी, दोनो तरह के रोग बढ़े हैं। जहां पोलियोमाइलाइटिस, कुष्ठ और नवजात को होने वाले टेटनस को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा, वहीं कुछ संक्रामक रोग ताकत के साथ उभरे हैं या मौजूदा दवाओं के प्रति उनलोगों ने प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है। इनमें से दो रोग, टीबी और मलेरिया ऐसे हैं जिन्हें पहले नियंत्रण में समझा जाता था। राज्य में स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं मुख्यत: प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर आधारित हैं जिसका लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्यप्रद स्थिति बहाल करना है। प्रकृति में समग्रतापूर्ण होने के अलावा, इसका लक्ष्य बचावमूलक, रोग निवारक और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस खंड में स्वास्थ्य देखरेख के इन सारे पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

बिहार में स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक

स्वास्थ्य सेवाओं की केंद्रित प्रकृति के कारण बिहार में हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में काफी प्रगति हुई है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) मरणशीलता की प्रचलित स्थिति के तहत किसी व्यक्ति की जीवित रहने की संभावना के औसत वर्षों को व्यक्त करती है। यह पर्याप्त पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों जैसे अन्य आयामों के लिए परोक्ष माप भी है। तालिका 11.2 में बिहार और भारत, दोनों के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता की दो अवधियों µ 2006-10 और 2012-16 के मान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2012-16 की अवधि में राज्य के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006-10 के 65.8 वर्ष से बढ़कर 68. 7 वर्ष हो गई जो 6 वर्षों के दौरान 2.9 वर्षों की वृद्धि दर्शाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत और बिहार के बीच 2006-10 की अवधि में मौजूद 0.3 वर्ष का फासला इन 6 वर्षों में 2012-16 की अवधि में समाप्त हो गया है। अब भारत और बिहार, दोनो के लिए जन्मकालीन जीवन संभावता 68.7 वर्ष है। वर्ष 2006-10 की अवधि में बिहार में महिलाओं के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 66.2 वर्ष थी जो पुरुषों की 65.5 वर्ष संभाव्यता से 0.7 वर्ष अधिक थी। इसी तरह, पूरे देश के लिए महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 67.7 वर्ष थी जो पुरुषों की 64.6 वर्ष की जीवन संभाव्यता से लगभग 3.1 वर्ष अधिक थी। हालांकि 2012-16 की अवधि में बिहार के लिए पुरुषों की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 68.9 वर्ष थी जो महिला की 68.5 वर्ष

जीवन संभाव्यता से लगभग 0.4 वर्ष अधिक थी। इसके विपरीत, पूरे भारत के लिए महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 70.2 वर्ष और पुरुषों की 67.4 वर्ष होने से यह अंतर 2.8 वर्षों का था। शहर और गांव के बीच फासले की बात करें, तो 2006-10 और 2012-16, दोनो अवधियों में संपूर्ण भारत के लिए अंतर 0.1 वर्ष का था जबकि बिहार के लिए 0.8 वर्ष का था।

जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के अलावा, स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य चुनिंदा सूचकों के तुलनीय आंकड़े भी मौजूद हैं। वे हैं - अशोधित जन्म दर (सीबीआर), शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), बाल मृत्यु दर (सीएमआर), 5 वर्ष के पूर्व मृत्यु दर (यू5एमआर), नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), जन्मकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) और कुल प्रजनन दर (टीएफआर)। तालिका 11.3 में इन सूचकों के लिए बिहार और भारत, दोनो के 2013 से 2016 तक के प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत हैं। अशोधित जन्म दर के मामले में बिहार के आंकड़े लगातार ऊंचे रहे हैं। वर्ष 2016 में बिहार का आंकड़ा 26.8 और भारत का आंकड़ा 20.4 था जिसके कारण दोनो के बीच 6.4 अंकों का फासला था। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर को लगातार ऊंची जन्म दर और अपेक्षाकृत तेजी से घटती मृत्यु दर का परिणाम कहा जा सकता है। शिशु मृत्यु दर के मामले में तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य का आंकड़ा 2013 के 42 से काफी घटकर 2016 में 38 रह गया। हालांकि पूरे भारत के मामले में गिरावट और भी अधिक थी जो 2013 के 40 से 2016 में 34 रह गई। बाल मृत्यु दर की बात करें, तो बिहार में यह 2013 के 11 से थोड़ा घटकर 2016 में 10 रह गया जबकि भारत में 2 घटा और 2013 के 11 से 2016 में 9 रह गया। यह प्रशंसा की बात है। वहीं, कुल प्रजनन दर के मामले में तुलना करने पर दिखता है कि बिहार में इसमें थोड़ी गिरावट आई है और आंकड़ा 2013 के 3.4 बच्चे प्रति महिला से 2016 में 3.3 रह गया है जो प्रति महिला 0.1 बच्चे की गिरावट को दर्शाता है। हालांकि भारत के स्तर पर 2013 और 2016 में एक ही आंकड़ा है -2.3 बच्चे प्रति महिला। नवजात मृत्यु दर के आंकड़ों पर नजर डालने पर देखा जा सकता है कि 2013 से 2016 के बीच बिहार में सिर्फ 1 की गिरावट आई जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 4 की गिरावट आई।

तालिका 11.2 : जन्मकालीन जीवन संभाव्यता

राज्य/ भारत	2006-10			2012-16		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
बिहार	65.5	66.2	65.8	68.9	68.5	68.7
भारत	64.6	67.7	66.1	67.4	70.2	68.7
राज्य/ भारत	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
बिहार	65.6	67.9	65.8	68.4	71.5	68.7
भारत	64.9	69.6	66.1	67.4	72.2	68.7

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, भारत सरकार

तालिका 11.3 : बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक

वर्ष	सूचक	अशोधित जन्म दर	शिशुमृत्यु दर	बाल मृत्यु दर	5 वर्ष से पूर्व मृत्युकी दर	नवजातमृत्यु दर	जन्मकालीन मृत्यु दर	कुल प्रजनन दर
भारत								
2016	समस्त	20.4	34	9	39	24	23	2.3
	ग्रामीण	22.1	38	11	43	27	26	2.5
	शहरी	17.0	23	6	25	14	14	1.8
2015	समस्त	20.8	37	10	43	25	23	2.3
	ग्रामीण	22.4	41	12	48	29	26	2.5
	शहरी	17.3	25	7	28	15	15	1.8
2014	समस्त	21.0	39	11	45	26	24	2.3
	ग्रामीण	22.7	43	12	51	30	27	2.5
	शहरी	17.4	26	6	28	15	15	1.8
2013	समस्त	21.4	40	11	49	28	26	2.3
	ग्रामीण	22.9	44	12	55	31	28	2.5
	शहरी	17.3	27	6	29	15	16	1.8
बिहार								
2016	समस्त	26.8	38	10	43	27	24	3.3
	ग्रामीण	27.7	39	10	44	28	25	3.4
	शहरी	21.1	29	8	34	17	13	2.5
2015	समस्त	26.3	42	12	48	28	24	3.2
	ग्रामीण	27.1	42	12	48	29	24	3.3
	शहरी	20.6	44	11	47	20	20	2.5
2014	समस्त	25.9	42	12	53	27	22	3.2
	ग्रामीण	26.9	43	13	54	29	24	3.3
	शहरी	19.9	37	9	43	13	9	2.4
2013	समस्त	27.6	42	11	54	28	23	3.4
	ग्रामीण	28.3	42	12	56	29	25	3.5
	शहरी	21.5	33	8	37	11	7	2.5

स्रोत : भारतीय महानिबंधक कार्यालय, भारत

स्वास्थ्य अधिसंरचना

भारतीय संविधान में स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हर राज्य की अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रदान प्रणाली होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी, दोनो क्षेत्र काम करते हैं। जहां राज्य संबंधित स्वास्थ्य देखरेख प्रणालियों के लिए जिम्मेवार होते हैं, वहीं नीति निर्माण, योजना निर्माण, और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए वित्तपोषण केंद्र सरकार का दायित्व होता है। स्वास्थ्य देखरेख अधिसंरचना में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक – तीन स्तर होते हैं।

प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य देखरेख में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप-केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) शामिल हैं। अनुमंडल (उप-जिला) अस्पताल द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के तहत आते हैं और जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखरेख के तहत आते हैं।

बचावमूलक और रोग निवारक स्वास्थ्य देखरेख के लिए बिहार के अधिकांश लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के कामकाज में सुधार के लिए राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई व्यवहारिक कदम उठाए हैं। बिहार में स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था के कामकाज में सुधार हर महीने सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या से व्यक्त होता है (तालिका 11.4)। वर्ष 2017-18 में सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या 10,446 थी जो 2014 में 9,871 ही थी। यह रोगियों के अस्पताल पहुंचने में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। अप्रील से सितंबर 2018 के बीच अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की प्रति माह औसत संख्या थोड़ी कम - 9,952 थी। हाल के वर्षों में इतनी बड़ी संख्या रोगियों का अस्पताल पहुंचना मुफ्त में दवा देने के प्रावधान और गुणवत्तापूर्ण देखरेख के साथ व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का परिणाम है। राज्य सरकार लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित कर रही है।

तालिका 11.4 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या

वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018 (सितंबर 18 तक)
सरकार अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की मासिक संख्या	9871 (-5.8)	9778 (-0.9)	10232 (4.6)	10446 (2.1)	9952

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

चार्ट 11.2 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की मासिक संख्या

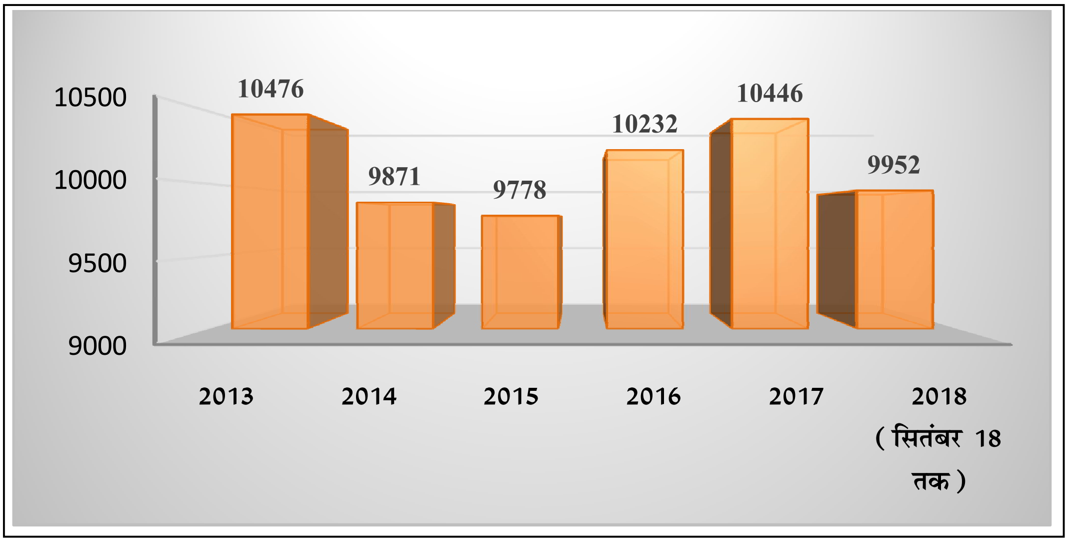

सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की व्यवस्था कई स्तरों पर होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की अधिसंरचना की रीढ़ हैं। उनमें बाहरी रोगियों और आउटरीच सेवाओं, दोनो के लिए व्यवस्था होती है। ये आउटरीच सेवाएं उप-केंद्रों और बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जाती हैं। भर्ती रोगियों को अधिक विशेषज्ञता वाली सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाती हैं। हर उप-केंद्र से 5,000, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 30,000 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 1,00,000 की आबादी को सेवा देने की आशा की जाती है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा विशेषीकृत संस्थान रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अभी राज्य में 37 जिला अस्पताल, 70 रेफरल अस्पताल, 55 अनुमंडल अस्पताल, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,949 उप-केंद्र और 1,379 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। अंतिम तीन श्रेणियों वाले स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या मिलकर 11,861 हो जाती है। इस प्रकार राज्य में प्रति दस लाख आबादी पर लगभग 99 स्वास्थ्य केंद्र हैं (तालिका 11.5)। स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में मौजूद कमी की समस्या के निराकरण के लिए 533 में से 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 6 शय्या से 30 शय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया और उनमें से 167 अभी इस रूप में काम कर रहे हैं। 70 रेफरल अस्पतालों में से 67 में वाह्यरोगियों (ओपीडी) और भर्ती रोगियों (आइपीडी), दोनो के लिए सुविधा है जबकि शेष में सिर्फ ओपीडी की सुविधा है। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा 55 अनुमंडलीय अस्पतालों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से 46 पूरी तरह काम कर रहे हैं और शेष 9 तेघरा और बखरी (बेगूसराय), हवेली खड़गपुर (मुंगेर), बेनीपट्टी (मधुबनी), मढ़ौरा (सारण), बेलसंड (सीतामढ़ी), महनार (वैशाली), पीरो (भोजपुर) और बैसी (पूर्णिया) में खोले जा रहे हैं।

तालिका 11.5 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	जिला अस्पताल	रेफरल अस्पताल	अनुमंडल अस्पताल	स्वास्थ्य केंद्र				प्रति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र
				प्रा.स्वा. केंद्र	उप-केंद्र	अतिरिक्तप्रा. स्वा. केंद्र	योग	
2012	36	70	55	533	9696	1330	11559	109
2013	36	70	55	533	9696	1330	11559	106
2014	36	70	55	533	9729	1350	11612	104
2015	36	70	55	533	9729	1350	11612	102
2016	36	70	55	533	9729	1350	11612	100
2017	36	70	55	533	9949	1366	11848	99
2018	37	70	*55	**533	9949	1379	11861	99

टिप्पणी : ** 399 प्रा.स्वा.केंद्र 30 शय्याओं वाले सामुदायिक स्वा.केंद्र में उत्क्रमित किएगए हैं जिनमें से 216 बन गए हैं और 167 चालू हैं।

* 46 अनुमंडल अस्पताल पूरी क्षमता के साथ चालू हैं और 9 अन्य खोले जा रहे हैं

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख चुनौती जनसांख्यिक परिघटना के मामले में प्रतिक्रिया दर्शाना है। चूंकि बिहार में अनेक प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक समूह हैं इसलिए एक क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में दूसरे क्षेत्र से काफी अंतर होता है। राज्य की बड़ी आबादी और रोगों के बोझ को देखते हुए लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। राज्य की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की समग्रता में पूर्ति के लिए

स्वास्थ्य संस्थानों की उपलब्धता के लिहाज से जिलों के बीच में मौजूद विषमता भी दूर करने की जरूरत है। प्रति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या के लिहाज से सितंबर 2018 में 3 शीर्ष जिले जमुई (1,523), शेखपुरा (1,512) और शिवहर (1,416) हैं। जिलावार आंकड़े तालिका प 11.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में दिए गए हैं।

सामान्यतः लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की दक्षता का मूल्यांकन वाह्य रोगियों और भर्ती रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर किया जा सकता है। वर्ष 2017-18 में अस्पताल पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की सर्वाधिक औसत दैनिक संख्या वाले शीर्ष तीन जिले खगड़िया (489), मधेपुरा (449) और मुजफ्फरपुर (443) थे। वहीं, इस मामले में सबसे खराब प्रदर्शन वाले तीन जिले शिवहर (145), पश्चिम चम्पारण (151) और बक्सर (186) थे। पूरे राज्य में अस्पताल पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की औसत दैनिक संख्या में थोड़ी गिरावट आई है जो 2015-16 के 323 से घटकर 2017-18 में 298 रह गई। शय्या अधिभोग दर (ऑक्यूपैंसी रेट) और भर्ती रहने की अवधि ऐसे दो पैमाने हैं जिनसे किसी अस्पताल के काम करने की दक्षता व्यक्त होती है। बिहार में शय्या अधिभोग दर का 2015-16 के 84 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 62 प्रतिशत रह जाना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और निजी स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों की बढ़ती भागीदारी के बीच मौजूद फासले को सूचित करती है। जिलों में शय्या अधिभोग दर मुजफ्फरपुर के 329 प्रतिशत से शिवहर के 16 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2017-18 में सर्वोच्च शय्या अधिभोग दर वाले तीन जिले मुजफ्फरपुर (329 प्रतिशत), भागलपुर (181 प्रतिशत) और मधेपुरा (159 प्रतिशत) हैं जबकि तीन सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिले शिवहर (16 प्रतिशत), नवादा (20 प्रतिशत) और पटना (22 प्रतिशत) हैं। 4 जिलों में शय्या अधिभोग दर 100 प्रतिशत से अधिक है जो लोक स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग को दर्शाती है। तालिका प 11.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 -चार वर्षों के लिए अस्पताल पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की औसत दैनिक संख्या और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दरें दर्शाई गई हैं।

कुशल स्वास्थ्य देखरेखकर्ताओं की अनुपलब्धता और असमान वितरण बिहार में स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में मुख्य चुनौती है। मानव संसाधनों की बात करें, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिसंरचना में डॉक्टर, नर्सें, एएनएम (सहायक परिचारिका सह धाई) और आशा (मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी) की मौजूदगी होती है। जनशक्ति की उपलब्धता स्वास्थ्य अधिसंरचना के कुशलतापूर्वक काम करने की पूर्वशर्त होती है। पूरे राज्य में इन कर्मियों की उपलब्धता के आंकड़े तालिका 11.6 में प्रस्तुत हैं। वहीं जिलावार आंकड़े तालिका प 11.3 से प 11.5(सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। डॉक्टरों की बात करें, तो अभी बिहार में 7,249 स्वीकृत पद हैं लेकिन 3,146 नियमित डॉक्टर ही कार्यरत हैं जो 57 प्रतिशत रिक्त अनुपात दर्शाता है। साथ ही, 2,314 संविदाधीन डॉक्टरों के पद भी स्वीकृत हैं जिनमें से 533 पद ही भरे हुए हैं और यह 77 प्रतिशत का और भी अधिक रिक्ति अनुपात दर्शाता है। अधिसंरचना संबंधी इन कमियों पर काबू पाने के लिए सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि संविदाधीन आशा कर्मियों के मामले में स्थिति बेहतर है। उनके 93,687 स्वीकृत पद हैं जिनमें से लगभग 93 प्रतिशत 2017-18 में भरे हुए थे जो मात्र 7 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाती है। लोक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता में मूल सहयोग अधिसंरचना का होता है। जब तक इस अधिसंरचना के पांचों खंभों (कुशल श्रमशक्ति, समेकित इलक्ट्रॉनिक सूचना प्रणालियां, लोक स्वास्थ्य संगठन, संसाधन और शोध) को मजबूत नहीं किया जाता है तब तक परिणाम आशानुरूप नहीं होंगे। बिहार की बड़ी और जरूरतमंद आबादी की, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में, मांगें पूरी करने के लिए लोक सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

तालिका 11.6 : स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या

पद का नाम	नियमित			नियमित		
	स्वीकृत पद	कार्यरत		स्वीकृत पद	कार्यरत	
		2016-17	2017-18		2016-17	2017-18
डॉक्टर	7249	3183	3146	2314	923	533
ग्रेड-ए नर्स	4704	2032	2096	1719	383	412
ए.एन.एम.	21859	12205	12134	12587	6848	6867
आशा	-	-	-	93687	85708	87424

स्रोत : स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

संस्थागत प्रसव

वर्ष 2005 में शुरू हुई जननी सुरक्षा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु और नवजात मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र महिलाएं मातृत्व की उम्र और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष किसी सरकारी अस्पताल या प्रत्यायित निजी स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को जन्म देने और नगद सहायता पाने के लिए हकदार हैं। इस केंद्रीय योजना का गरीब महिलाओं पर विशेष फोकस है और निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए, जहां संस्थागत प्रसवों का अनुपात कम है, इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। ये राज्य हैं –उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा, और जम्मू एवं कश्मीर। योजना के तहत आशा के नाम से जानी जाने वाली महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जाता है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए 1,400 रु. नगद सहायता दी जाती है। वहीं आशा को प्रदर्शन से जुड़ा 600 रु. शुल्क भुगतान किया जाता है जिसमें 300 रु. प्रसवपूर्व देखरेख के लिए और 300 रु. संस्थागत प्रसव में सहयोग के लिए होता है। इसी प्रकार, निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों के शहरी क्षेत्रों में मां को 1,000 रु. और आंगनवाड़ी सेविका को 400 रु. (200 रु. प्रसवपूर्व देखरेख के लिए और 200 रु. संस्थागत प्रसव में सहयोग के लिए) दिए जाते हैं। आशा कर्मियों को मातृ एवं शिशु देखरेख के विभिन्न पहलुओं पर तीन सप्ताह का आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत आशा कर्मियों के लिए गर्भवती महिलाओं की पहचान करना, उन्हें कम से कम चार बार प्रसव-पूर्व देखरेख उपलब्ध कराने में सहायता देना और उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना होता है। उन्हें प्रसव के सात दिनों के अंदर जच्चा-बच्चा की प्रसवोत्तर जांच के लिए उनके पास जाना और शुरू से ही स्तनपान कराने के लिए परामर्श भी देना होता है। साथ ही, सभी राज्यों में घर में प्रसव पसंद करने वाली बीपीएल महिलाओं को भी योजना के तहत 500 रु. दिए जाते हैं चाहे उनकी जो भी उम्र हो और जितने भी बच्चे हों। राज्य सरकार ने 2013 से इस योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) मॉडल के जरिए सहायता उपलब्ध कराना शुरू किया है। हाल के वर्षों में बिहार में संस्थागत प्रसवों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी है और 2011-12 के 14.07 लाख से 16.3 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 16.37 लाख हो गई है (तालिका 11.7)।

तालिका 11.7 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
संस्थागत प्रसव (लाख)	14.07	14.69	16.48	14.94	15.33	15.45	16.37

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

चार्ट 11.3 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या

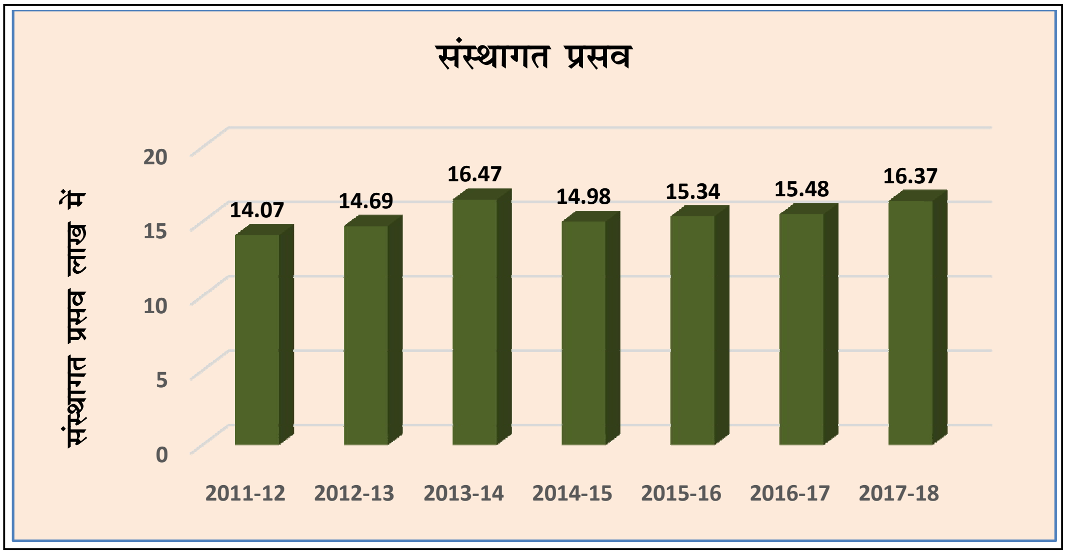

तालिका प 11.6 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में बिहार के विभिन्न जिलों में हुए संस्थागत प्रसवों की संख्या प्रस्तुत की गई है। समस्तीपुर (94 हजार), पूर्णिया (78 हजार) और पश्चिम चंपारण (70 हजार) जिलों में संस्थागत प्रसवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। यह देखता उत्साहवर्धक है कि बिहार के 8 जिलों में 60 हजार से अधिक संस्थागत प्रसव दर्ज किया गया है लेकिन इनमें से पटना को छोड़कर शेष सभी जिले उत्तर बिहार के हैं। इसके विपरीत, शिवहर (11 हजार) को छोड़कर सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले दो जिले अरवल (10 हजार) और जहानाबाद (14 हजार) दक्षिण बिहार के हैं।

प्रतिरक्षण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम' के रूप में प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई थी। वर्ष 1989-90 तक देश के सभी जिलों में इसके चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वयन के लिए 1985 में इसे 'सर्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम' के रूप में संशोधित कर दिया गया। कई वर्षों तक चालू रहने के बाद भी इस कार्यक्रम के तहत 65 प्रतिशत बच्चों का ही जीवन के पहले साल में प्रतिरक्षण हो पाता था। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ दिसंबर 2014 में नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों के आच्छादन के लिहाज से किया गया। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य देश में प्रतिरक्षण का आच्छादन बढ़ाकर 2020 तक कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों को इसकी जद में लाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक देश के 640 में से 505 जिलों को मिशन के विभिन्न चरणों के तहत आच्छादित किया गया है। कार्यक्रम के तहत उप-केंद्रों में

सेवा से वंचित या निम्न आच्छादन वाले पॉकेट तथा प्रवासी आबादी वाली शहरी मलिनबस्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका फोकस राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत चिन्हित शहरी वासस्थलों और शहरों पर भी है। मिशन के तहत जीवनरक्षी टीकों का उपयोग यक्ष्मा (टीबी), डिफ्थेरिया, कुकुरखांसी, टेटनस, पोलियो, हिपेटाइटिस बी, हिमोफिलिस इनफ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस, खसरा, रुबेला, जापानी एनसेफेलाइटिस और रोटावायरस डायरिया के खिलाफ किया जाता है। मिशन के तहत सरकार ने पूरे देश में उच्च फोकस वाले 216 जिलों की पहचान की है जिनमें से 55 उत्तर प्रदेश में और 19 बिहार में हैं। तालिका 11.8 में मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के बड़े राज्यों में 2017-18 में आच्छादन दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 में देश में 106 लाख बच्चों और 25 लाख गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण किया गया। बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य जिनमें 3 लाख से अधिक लाभार्थी हैं मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं।

तालिका 11.8 : मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और महिलाओं का राज्यवार टीकाकरण (2017-18)

(लाख में)

राज्य	प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या			प्रतिरक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या		
	मिशन इंद्रधनुष	गहन मिशन इंद्रधनुष	योग	मिशन इंद्रधनुष	गहन मिशन इंद्रधनुष	योग
आंध्र प्रदेश	0.34	0.22	0.56	0.05	0.03	0.08
बिहार	**1.61**	**2.69**	**4.30**	**0.36**	**0.47**	**0.83**
छत्तीसगढ़	0.61	0.00	0.61	0.17	0.00	0.17
गुजरात	0.46	0.32	0.78	0.78	0.14	0.92
हरियाणा	0.52	0.87	1.39	0.21	0.23	0.44
झारखंड	1.28	0.61	1.89	0.37	0.13	0.50
कर्नाटक	2.08	0.70	2.78	0.31	0.13	0.44
केरल	0.33	0.05	0.38	0.03	0.01	0.04
मध्य प्रदेश	4.00	2.83	6.83	1.38	0.60	1.98
महाराष्ट्र	1.18	2.10	3.28	0.13	0.27	0.40
ओडिशा	0.02	0.16	0.18	0.01	0.03	0.04
पंजाब	0.27	0.00	0.27	0.07	0.00	0.07
राजस्थान	1.51	0.72	2.23	0.40	0.15	0.55
तमिलनाडु	0.71	0.00	0.71	0.19	0.00	0.19
उत्तर प्रदेश	0.01	0.09	0.10	0.00	0.01	0.01
पश्चिम बंगाल	0.38	0.40	0.78	0.12	0.11	0.23
भारत	**46.65**	**59.50**	**106.15**	**13.18**	**11.86**	**25.04**

स्रोत : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

तालिका 11.9 : बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन

एंटीजेन का नाम	2016-17		2017-18		2018-19 (सितंबर 2018 तक)	
	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	लक्ष्य (हजार) 6 माह के लिए	उपलब्धि (हजार)
टीटी2 + बूस्टर (पी.डब्ल्यू)	3261	2467 (75.7)	3340	2665 (79.8)	1712	1599 (93.4)
बीसीजी	3080	1268 (41.2)	3158	2722 (86.2)	1619	1286 (79.4)
ओपीवी 0	3080	1836 (59.6)	3158	1861 (58.9)	1619	885 (54.7)
ओपीवी 1	3080	2733 (88.7)	3158	2719 (86.1)	1619	1248 (77.1)
ओपीवी 2	3080	2708 (87.9)	3158	2666 (84.4)	1619	1317 (81.3)
ओपीवी 3	3080	2682 (87.1)	3158	2559 (81.0)	1619	1374 (84.9)
पेंटा-1	3080	2750 (89.3)	3158	2726 (86.3)	1619	1253 (77.4)
पेंटा-2	3080	2736 (88.8)	3158	2672 (84.6)	1619	1322 (81.7)
पेंटा-3	3080	2712 (88.1)	3158	2565 (81.2)	1619	1380 (85.2)
खसरा	3080	2714 (88.1)	3158	2627 (83.2)	1619	1449 (89.5)

टिप्पणी : 1. 2015-16 में डीपीटी की जगह पेंटावैलेंट ने ले ली है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका 11.9 बिहार में प्रतिरक्षण के छः घटकों से संबंधित है - टीटी (टेटनस-रोधी), बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, पेंटा और खसरा (मीजल्स)। देखा गया कि 2017-18 में बीसीजी और पेंटा का आच्छादन 86 प्रतिशत है। पोलियो ओरल (ओपीवी 1, 2 और 3), पेंटावैलेंट और खसरा के मामले में भी उपलब्धि की दर 80 प्रतिशत से अधिक है। ये आच्छादन कुछ वर्ष पहले की तुलना में काफी अधिक हैं। दुर्भाग्यवश ओपीवी जीरो का, जिसकी खुराक जन्म के 14 दिन के अंदर दी जाती है, आच्छादन 60 प्रतिशत है। 12 से 23 माह की उम्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों के आच्छादन में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (32.8 प्रतिशत) और राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (61.7 प्रतिशत) की अवधि के बीच प्रतिरक्षण में 29 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है।

मुख्य रोगों की व्याप्ति

महामारी विज्ञान के ठोस अनुसंधान पर आधारित रोगों के बोझ के अनुमान प्रभावी लोक नीति के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं। बिहार और भारत में लगभग पचास वर्षों से संचारी और असंचारी रोगों में से अधिकांश के नियंत्रण के लिए चलने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बावजूद ये अभी भी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या बने हुए हैं। अतः राज्य में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने वाली प्रभावी स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने के लिए रोगों के बोझ की अलग-अलग तरीके से समझ होना जरूरी है। बिहार में मुख्य रोगों से संबंधित जानकारी तालिका 11.10 में प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2017-18 में बिहार में श्वसन तंत्र के तीव्र संक्रमण (एआरआइ) के सर्वाधिक मामले सामने आए जिसके 12.8 लाख रोगी थे। दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी अज्ञात कारणों से बुखार (एफयूओ) की थी जिसके 9.0 लाख रोगी थे। व्यापकता के लिहाज से 2017-18 में अन्य महत्वपूर्ण रोग थे - तीव्र अतिसार अर्थात डायरिया (4.2 लाख) और पेचिस/ आंत्र ज्वर (2.1 लाख)। इन रोगों के साथ-साथ कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज के रोगियों की भी बड़ी संख्या (3.7 लाख) थी। तालिका से यह भी पता चलता है कि लोक स्वास्थ्य देखरेख की उचित सुविधाओं में काफी सुधार के कारण रोगियों की कुल संख्या 2014-15 के 52.4 लाख से घटकर 2017-18 में 35.5 लाख रह गई जो 32 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। जिलावार आंकड़े तालिका प 11.7 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 11.10 : बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता

(रोगियों की संख्या लाख में)

रोग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
तेज अतिसार (डायरिया)	6.9 (13.1)	5.1 (13.0)	2.7 (13.2)	4.2 (11.8)
खूनी पेचिश	3.6 (6.9)	2.8 (7.2)	1.4 (6.9)	2.1 (5.9)
वायरल हिपेटाइटिस	0.3 (0.5)	0.3 (0.7)	0.2 (1.0)	0.3 (0.9)
आंत्र ज्वर	3.1 (5.9)	2.6 (6.7)	1.3 (6.9)	2.1 (5.9)
मलेरिया	0.3 (0.6)	0.3 (0.8)	0.2 (1.0)	0.3 (0.7)
अज्ञात मूल का बुखार (एफयूओ)	13.2 (25.2)	10.3 (26.6)	5.1 (25.0)	9.0 (25.2)
तीव्र श्वास संक्रमण (एआरआइ)	17.3 (33.0)	13.5 (34.7)	6.9 (33.8)	12.8 (36.2)
न्यूमोनिया	0.5 (0.9)	0.4 (1.1)	0.2 (1.0)	0.4 (1.0)
कुत्ता काटना	6.3 (12.0)	2.7 (7.0)	1.9 (9.3)	3.7 (10.4)
राज्य में होने वाला कोई अन्य खास रोग	0.3 (0.6)	0.3 (0.8)	0.2 (1.0)	0.2 (0.7)
ऊपरवर्णित रोगों से भिन्न असामान्य लक्षण	0.7 (1.4)	0.6 (1.5)	0.2 (1.0)	0.5 (1.3)
योग	**52.4 (100.0)**	**38.8 (100.0)**	**20.4 (100.0)**	**35.5 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों मेंदिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को सबसे पहले 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के रूप में शुरू किया गया था। अभी इसके दो उप-मिशन हैं - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NURHM)। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल एवं किशोरवय स्वास्थ्य (RMNCH+A) तथा संचारी और असंचारी रोग इनके कार्यक्रम संबंधी मुख्य घटकों में शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य न्यायोचित, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तक सबको पहुंच उपलब्ध कराना है जो जवाबदेह और लोगों की जरूरतों के प्रति अनुक्रियाशील हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर फोकस के साथ लोक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 2011-12 से 2017-18 के बीच विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों के बीच 7,373.85 करोड़ रु. वितरित किए गए। स्वास्थ्य समितियों के जरिए जिलों को मिशन की रकम सात घटकों के तहत विमुक्त की गई है। ये घटक हैं -प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) फ्लेक्सी पूल (NRHM-A), मिशन फ्लेक्सी पूल (NRHM-B), प्रतिरक्षण (पोलियो सहित) (NRHM-C), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NRHM-D), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) (NRHM-E), समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम(ISDP) (NRHM-F) और संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) (NRHM-G)। वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 44 प्रतिशत मिशन फ्लेक्सी पूल (NRHM-B) के लिए किया गया था और उसके बाद 43 प्रतिशत आबंटन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) फ्लेक्सी पूल (NRHM-A) के लिए। शेष सभी शीर्षों पर कुल आबंटन मात्र 12 प्रतिशत था। विवरण तालिका 11.11 में प्रस्तुत हैं। स्वास्थ्य समितियों को हुए जिलावार धनराशि वितरण के विवरण तालिका प 11.8 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 11.11 : स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि

(लाख रु.)

वर्ष	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन A	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन B	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन C	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन D	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन E	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन F	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन G	**योग**
2011-12	43853.5	24994.7	8792.1	–	–	–	525.5	**78165.8**
2012-13	60305.2	29520.9	7948	–	141.8	2590.1	–	**100506**
2013-14	68535.1	17995.8	9045.7	–	178.7	1774.7	92.7	**97622.7**
2014-15	67011.5	25135.5	9243.1	192.0	61.5	2785.1	542.6	**104971.3**
2015-16	72371.2	21000.1	11251	2.0	552.3	5694.1	860.9	**111731.6**
2016-17	77868.9	42949.9	7869.8	15.5	282.3	3542	834.4	**133362.8**
2017-18	51823.69	45011.60	8904.61	1.5	5.3	4831.49	447.29	**111025.5**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान - आयुष्मान भारत योजना

यह योजना स्वास्थ्य देखरेख उद्योग के रूपांतरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारतीय जनता के असुरक्षित हिस्से के लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी नीतिगत पहल है। अगर प्रभावी क्रियान्वयन हो, तो इससे राष्ट्र को 'सर्वव्यापी स्वास्थ्य आच्छादन' के दीर्घस्थायी विकास लक्ष्य के समीप पहुंचने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 10 करोड़ गरीब बीपीएल परिवारों के आच्छादन का निर्णय लिया है जिसका अर्थ द्वितीयक और तृतीयक देखरेख हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए लगभग 50 करोड़ गरीब बीपीएल लाभार्थियों को 5.00 लाख रु. प्रति परिवार का बीमा आच्छादन उपलब्ध कराना है। इसका मूल लक्ष्य देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख को सुदृढ़ बनाना है और इसका फोकस सभी जरूरतमंद परिवारों को आपात स्थिति में वित्तीय संरक्षण देना है। योजना के कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं :

- योजना के लाभ पूरे देश में जाकर लिए जा सकते हैं और योजना के तहत आच्छादित किसी लाभार्थी को देश के किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में बिना नगद भुगतान किए इलाज कराने की इजाजत होगी।
- यह हकदारी आधारित योजना है जिसमें हकदारी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के डेटाबेस में उल्लेख के अनुसार वंचित होने के मापदंड के आधार पर तय की जाती है।
- खर्च पर नियंत्रण के लिए इलाज का भुगतान पैकेज दर के आधार पर किया जाएगा (जिसे सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया जाएगा)।
- आयुष्मान भारत का केंद्रीय सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों के लिए लचीलापन है।
- नीतिगत निर्देश देने और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए शीर्ष स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाले आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन परिषद (AB-NHPMC) के गठन का प्रस्ताव है।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) गठित करना होगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य स्वास्थ्य अभिकरणों के पास धनराशि समय से पहुंचे, केंद्र सरकार से राज्य स्वास्थ्य अभिकरणों को धनराशि का अंतरण सीधा एस्क्रो एकाउंट के जरिए किया जा सकता है।
- नीति आयोग की साझीदारी में सूचना प्रौद्योगिकी का एक सशक्त प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा जिसके जरिए कागजरहित, नगदरहित लेनदेन की जाएगी।

11.2 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का ही महत्वपूर्ण सूचक नहीं है, उनके सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए भी बुनियादी चीज है। बेहतर जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का उन्नत होना लोक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और घर की अन्य बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए टिकाऊ आधार पर पर्याप्त सुरक्षित उपलब्ध कराने और स्वच्छता का सर्वव्यापी आच्छादन हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर अनेक परिणामोन्मुखी कदम उठाए हैं।

वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में 4.4 प्रतिशत परिवारों को ही नल का पानी उपलब्ध था जिनमें से 3.1 प्रतिशत परिवार ही उपचारित स्रोतों के नल के पानी का उपयोग करते थे। पेयजल के लिए 2011 में राज्य के 89.6 प्रतिशत परिवार चापाकल/ नलकूल/ बोरिंग के पानी पर निर्भर थे। स्वच्छता संबंधी आच्छादन की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 76.9 प्रतिशत परिवारों के पास अपने परिसर में शौचालय नहीं थे। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 31.1 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 82.4 प्रतिशत था। फलत: 75.8 प्रतिशत परिवारों के लोग खुले में शौच करते थे। ऐसे परिवारों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 81.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 28.9 प्रतिशत था।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्याओं के समाधान के लिए 2009 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक देश में हर ग्रामीण परिवार को उसके परिसर में या अधिकतम 50 मीटर के अंदर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो जाय। इसके साथ–साथ 22 मार्च 2017 से एक उप–मिशन कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका लक्ष्य 2020 तक पूरे देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित लगभग 28,000 बसाहटों में पानी की गुणवत्ता की समस्या दूर करना है। इनमें से बिहार में लगभग 2000 बसाहटों को लक्ष्य किया जा रहा है। अगले चरण में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नाइट्रेट, लवणता और आयरन जैसे अन्य प्रदूषकों पर फोकस किया जाएगा।

बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'हर घर नल का जल' और 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'सात निश्चय' में से दो निश्चय हैं। पहले लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने तीन योजनाएं शुरू की हैं जिनमें से दो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं और एक शहरी क्षेत्र के लिए। इनमें से दो योजनाएं – मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र से भिन्न) ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं। पहली योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां का पानी की गुणवत्ता आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित होने के कारण प्रभावित है और दूसरी खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्रों के लिए। कार्यक्रम का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के जरिए किया जा रहा है। कार्यभार 8,391 ग्राम पंचायतों और 140 नगरपालिकाओं के संयुक्त प्रयासों से पूरा किया जाएगा। बिहार के 38 में से 33 जिले आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित हैं। तालिका 11.12 में बिहार के विभिन्न जिलों में प्रभावित वार्डों की संख्या दर्शाई गई हैजहां घरेलू पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए काम शुरू किया गया है।

तालिका 11.12 : प्रदूषण वाले जिलों का मानचित्रण

प्रदूषक	प्रभावित जिले
आर्सेनिक (14 जिले)	बेगूसराय (270), भागलपुर (278), बक्सर (96), दरभंगा (31), कटिहार (43), खगड़िया (206), लखीसराय (147), मुंगेर (75), समस्तीपुर (181), सारण (46), सीतामढ़ी, (4) पटना (26), भोजपुर (277), वैशाली (63)
फ्लोराइड (11 जिले)	औरंगाबाद (26), बांका (690), भागलपुर (234), गया (187), जमुई (444), कैमूर (99), मुंगेर (158), नालंदा (208), रोहतास (333), शेखपुरा (135), नवादा (235)
आयरन (11 जिले)	अररिया (145), बेगूसराय (234), भागलपुर (100), कटिहार (407), खगड़िया (43), किशनगंज (136), मधेपुरा (222), मुंगेर (0), पूर्णिया (610), सहरसा (217) और सुपौल (149)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन वार्डों की संख्या दर्शाते हैं जिनमें काम शुरू किया गया है।

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अभी तक 5.23 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया गया है।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

स्वच्छता का सर्वव्यापी आच्छादन हासिल करने, सफाई में सुधार लाने और खुले में शौच से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा अक्तूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था। मिशन में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) और शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ भारत (शहरी) के तहत शामिल किया जाता है। मिशन के शहरी घटक का क्रियान्वयन नगर विकास मंत्रालय द्वारा और ग्रामीण घटक का क्रियान्वयन जलापूर्ति एवं स्वच्छता विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत एपीएल परिवारों को शामिल नहीं किया जाता है। अतः सर्वव्यापी आच्छादन हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' निश्चय के तहत दो और योजनाओं की शुरुआत की गई। ये योजनाएं थीं – (1) लोहिया स्वच्छ भारत अभियान और (2) शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना। लोहिया स्वच्छता योजना के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी एपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है जिसके तहत हर परिवार को 12,000 रु. प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चाहे परिवार एपीएल हो या बीपीएल। वहीं, शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 4,000 रु. प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने शौचालय निर्माण योजना (शहरी क्षेत्र) के तहत अपने कोष से 8,000 रु. की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है ताकि शहरों के सारे परिवारों को कुल 12,000 रु. प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो। जून 2016 में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) से ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित दिया गया। उसके बाद से जीविका भी मिशन मोड में काम कर रही है जिससे व्यवहार परिवर्तन के जरिए लाभार्थी के नेतृत्व में और मांग आधारित मॉडल सुनिश्चित होता है। जीविका का स्वयं सहायता समूह के बड़े आधार का उपयोग वांछित व्यवहार परिवर्तन हासिल करने के लिए किया जा रहा है।

पूरे राज्य के लिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा चापाकलों के आच्छादन के समूहित आंकड़े तालिका 11.13 में प्रस्तुत हैं। जलापूर्ति एवं स्वच्छता की वार्षिक उपलब्धि में साल–दर–साल अंतर रहा है। सबसे अधिक उपलब्धि 2013–14 में हासिल की गई थी जब योजना के तहत 12.8 हजार गांव–टोले शामिल किए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत लगाए गए चापाकलों की बात करें, तो 2015–16 तक इसमें लगातार प्रगति हुई जिसके बाद 2016–17 और 2017–18 में इसमें थोड़ी गिरावट आई। वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 8.9 हजार चापाकल लगाए गए और 0.3 हजार छूटे हुए टोलों को शामिल किया गया। इन सातो वर्षों में प्रमुख उपलब्धि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आइएचएचएल) के

निर्माण के मामले में दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 में कुल 3.43 लाख बने व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से 1.2 लाख (36.3 प्रतिशत) गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हैं और 2.2 लाख (63.7 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए। केंद्रीय योजनाओं के जरिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिहाज से गांव-टोलों का जिलावार आच्छादन तालिका प 11.9 और तालिका प 11.10 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2017-18 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में तीन सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिले पूर्व चंपारण (7.5 प्रतिशत), सीतामढ़ी (6.9 प्रतिशत) और रोहतास (6.5 प्रतिशत) थे जबकि अरवल (0.3 प्रतिशत), शिवहर (0.4 प्रतिशत) और जहानाबाद (0.6 प्रतिशत) सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिले थे।

तालिका 11.13 : जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं के तहत उपलब्धि

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	लगे चापाकल	छूटे/ पानी की खराब गुणवत्ता वाले टोलों का आच्छादन	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण		
			एपीएल	बीपीएल	योग
2011-12	28286	11243	193875 (23.1)	646052 (76.9)	839927 (100)
2012-13	31926	10960	236021 (29.6)	560678 (70.4)	796699 (100)
2013-14	34289	12787	63190 (39.1)	98456 (60.9)	161646 (100)
2014-15	24287	12236	47056 (28.4)	118401 (71.6)	165457 (100)
2015-16	26691	7189	145766 (34.1)	281268 (65.9)	427034 (100)
2016-17	6373	1289	551999 (63.3)	320332 (36.7)	872331 (100)
2017-18	8899	266	124666 (36.3)	218799 (63.7)	343465 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े एपीएल और बीपीएल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 11.14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2011-12 से 2017-18 तक वार्षिक वित्तीय प्रगति दर्शाई गई है। इन 7 वर्षों में धनराशि का उपयोग लगातार बढ़ता गया है और 2011-12 के 82.6 प्रतिशत से 12.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए 2017-18 में 95.6 प्रतिशत हो गया है। धनराशि के उपयोग में इस प्रचुर वृद्धि का आने वाले वर्षों में पूरे राज्य में स्वास्थ्यप्रद स्वच्छता सुविधाओं के आच्छादन पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा।

तालिका 11.14 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु.)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
परिव्यय	440.8	351.0	353.8	426.3	296.1	340.0	400.0
व्यय	364.2	283.5	299.0	375.4	269.2	340.0	382.3
उपयोग का प्रतिशत	82.6	80.8	84.5	88.0	90.9	100.0	95.6

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

राज्य योजना के तहत जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं की वित्तीय प्रगति तालिका 11.15 में प्रस्तुत है और भौतिक प्रगति तालिका 11.16 में। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के पांच वर्षों में परिव्यय और व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में व्यय में वार्षिक वृद्धि की दर 15.8 प्रतिशत थी जबकि परिव्यय में

वृद्धि की दर 9.8 प्रतिशत थी। वित्तीय प्रगति की बात करें, तो गौरतलब है कि धनराशि का उपयोग इन सभी वर्षों में उच्च स्तर पर रहा है। वर्ष 2017-18 में यह 100.0 प्रतिशत था। जहां वित्तीय प्रगति संतोषजनक है, वहीं दुर्भाग्यवश, भौतिक प्रगति पाइप आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना और अनाच्छादित गांव-टोलों के मामले में वित्तीय प्रगति जैसी नहीं रही है। पाइप आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मामले में उपलब्धि दर 22.2 प्रतिशत से 16.7 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है। हालांकि 2017-18 में उपलब्धि दर लक्ष्य का 22.2 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पूर्व के 18.2 प्रतिशत से कुछ अधिक है। बाद के इन वर्षों में पाइप से जलापूर्ति की 50 से भी अधिक ग्रामीण योजनाओं को पूरा किया गया है। पुराने चापाकलों की जगह नए चापाकल लगाने के मामले में उपलब्धि दर 2013-14 के 47 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में लक्ष्य का 73 प्रतिशत हो गई है। इस बात पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि पिछले दो वर्षों में उपलब्धि दरें 70 प्रतिशत के ऊपर रही हैं।

तालिका 11.15 : राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु.)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
परिव्यय	745.6	793.7	679.8	844.91	1153.82
व्यय	645.9	604.9	574.2	824.98	1153.53
परिव्यय व्यय के प्रतिशत के बतौर	86.6	76.2	84.5	97.6	99.9

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 11.16 : राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छतायोजनाओं में भौतिक प्रगति

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष/ योजनाएं		ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	पुराने चापाकलों को बदलना	अनाच्छादित टोले
2013-14	लक्ष्य	14	94526	13832
	उपलब्धि	3 (21.4)	44066 (46.6)	12787 (92.4)
2014-15	लक्ष्य	12	105688	13000
	उपलब्धि	2 (16.7)	43783 (41.4)	12236 (94.1)
2015-16	लक्ष्य	14	127449	7493
	उपलब्धि	3 (21.4)	49331 (38.7)	7189 (95.9)
2016-17	लक्ष्य	11	3139	7777
	उपलब्धि	2 (18.2)	2316 (73.8)	1289 (16.6)
2017-18	लक्ष्य	9	11720	9263
	उपलब्धि	2 (22.2)	8591 (73.3)	266 (2.9)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

11.3 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य

अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास और समृद्धि की नींव होती है। शैक्षिक जरूरतों में पहुंच, समता और शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता शामिल होती है। बिहार में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के चलते सभी वर्गों और लिंग के लोगों के मामले में अच्छे परिणाम आने लगे हैं। विगत वर्षों के दौरान माध्यमिक स्तर की शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के मामले में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है जहां लड़कियों का सकल नामांकन

अनुपात लड़कों से अधिक हो गया है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में ऐसी प्रगति का श्रेय मुख्यत: राज्य सरकार के आवासीय विद्यालयों की स्थापना जैसे कार्यक्रमों और लड़कियों के लिए अन्य प्रकार के भौतिक और वित्तीय प्रोत्साहन देने को दिया जा सकता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के तीन मुख्य स्तर हैं- प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक उम्र के बच्चे प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के हिस्से हैं जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शामिल हैं। शिक्षाधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के अधिदेश के तहत ये बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने के लिए हकदार हैं। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दो उप-श्रेणियों में विभाजित है - प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)। प्रारंभिक स्तर के बाद विद्यार्थी कक्षा 9 से 12 तक चार वर्षों वाली माध्यमिक शिक्षा के लिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा भी माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) - दो स्तरों में विभाजित है। उच्च शिक्षा का अंतिम चरण भी दो धाराओं में विभाजित है - अकादमिक धारा और व्यावसायिक धारा। अकादमिक धारा का मकसद विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए तैयार करना है। वहीं, व्यावसायिक धारा का मकसद विद्यार्थियों को काम के लिए या आगे की व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। इस खंड में शैक्षिक इनपुट (शैक्षिक संस्थानों की संख्या और वित्तीय व्यय) तथा परिणाम (साक्षरता दर, नामांकन अनुपात और छीजन दर) को ध्यान में रखकर बिहार में शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार की पहलकदमियों का विश्लेषण किया गया है।

साक्षरता दर

भारत में 2011 में 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या का 74 प्रतिशत हिस्सा साक्षर था जबकि 2001 में यह अनुपात 65 प्रतिशत था। हिंदी हृदय प्रदेश के राज्यों में हुए एक दशक के दौरान साक्षरता दरों में बदलाव की तुलना करने पर देखा जा सकता है कि बिहार में 1961 में साक्षरता दर हिंदी हृदय प्रदेश के राज्यों के बीच सर्वाधिक थी लेकिन उसके बाद से वृद्धि दर में लगातर गिरावट आती गई। गत दशकों में हिंदी हृदय प्रदेश के सारे राज्यों में बिहार से ऊंची साक्षरता दर दिखी। सौभाग्यवश, गत दशक में राज्य की साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ जो 2001 के 47.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई। यह एक दशक में 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है। गौरतलब है कि यह दशकीय वृद्धि बिहार में 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, 2001 से 2011 के दशक में सारे राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। तालिका 11.17 में 1961 से हिंदी हृदय प्रदेश के राज्यों की साक्षरता दरों के 1961 से 2011 तक के रुझान दर्शाए गए हैं।

तालिका 11.17 : हिंदी हृदय प्रदेश के राज्यों की साक्षरता दरों के रुझान (1961-2011)

हिंदी हृदय प्रदेश के राज्य	1961	1971	1981	1991	2001	2011
बिहार	21.95	23.17	32.32	37.49	47.00	61.80
छत्तीसगढ़	18.14	24.08	32.63	42.91	64.66	70.30
हरियाणा	–	25.71	37.13	55.85	67.91	75.60
झारखंड	21.14	23.87	35.03	41.39	53.56	66.40
मध्य प्रदेश	21.41	27.27	38.63	44.67	63.74	69.30
राजस्थान	18.12	22.57	30.11	38.55	60.41	66.10
उत्तर प्रदेश	20.87	23.99	32.65	40.71	56.27	67.70
उत्तराखंड	18.05	33.26	46.06	57.75	71.62	78.80
भारत	28.30	34.45	43.57	52.21	64.84	74.04

स्रोत : भारत की जनगणना

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा

राज्य की शैक्षिक प्रगति प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों के समानांतर विकास पर निर्भर करती है। हालांकि बिहार जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र को ही सर्वाधिक महत्व हासिल है क्योंकि यही क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को भेजता है और माध्यमिक क्षेत्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भेजता है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का अर्थ यह भी है कि यह प्रक्रिया समावेशी है क्योंकि समाज के वंचित तबकों से आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या के लिए यह अधिक प्रासंगिक है। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 42,825 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 30,156 है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा वाले विद्यालयों की कुल संख्या 72,981 हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति के दो महत्वपूर्ण सूचकांकों से व्यक्त होती है - नामांकन अनुपात और छीजन दर। इन दोनों सूचकांकों पर अधिसंरचनात्मक सुविधाओं (विद्यालयों, शिक्षकों) की उपलब्धता और शिक्षाशास्त्र (शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार) का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बिहार के मामले में यह खास तौर पर सच है जहां अधिकांश परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी शैक्षिक जरूरतों के लिए सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं।

नामांकन अनुपात

तालिका 11.18 में 2012-13 से 2016-17 तक बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो स्तरों पर कुल नामांकन की प्रगति प्रस्तुत की गई है। इस अवधि में प्रारंभिक कक्षाओं नामांकन 2.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2012-13 के 214.87 लाख से बढ़कर 2016-17 में 235.64 लाख हो गया। बिहार अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के सभी बच्चों का प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकन हो गया है। अतीत में ऐसी समस्या सामने आती थी कि प्राथमिक कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी घर से उचित दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अनुपलब्धता के कारण उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन नहीं करा पाते थे। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में अनेक प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमण करके राज्य सरकार द्वारा यह कमी दूर कर दी गई थी। इसीलिए उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में 5.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2012-13 के 60.36 लाख से 2016-17 में 73.33 लाख हो गया। इन विकासों के कारण बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में काफी बदलाव आया है। इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 1.1 प्रतिशत थी। प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 2012-13 में 154.51 लाख था जो 2016-17 में 162.32 लाख हो गया। दिलचस्पी की बात है कि इस अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का कुल नामांकन क्रमशः 4.2 और 5.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है।

लड़कों और लड़कियों के कुल नामांकन की बात करें, तो तालिका 11.18 में यह भी दिखता है कि छात्राओं का नामांकन छात्रों की अपेक्षा तेज गति से बढ़ रहा है। जैसे 2012-13 से 2016-17 के बीच प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत थी जबकि लड़कों की 1.1 प्रतिशत। लड़कों और लड़कियों के नामांकन में वार्षिक वृद्धि दरों के बीच फासला उच्च प्राथमिक कक्षाओं में और भी बढ़ जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के इस हिस्से में लड़कों का नामांकन 4.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जबकि लड़कियों का 5.2 प्रतिशत की दर से। लड़कियों की नामांकन दरों में उच्च वृद्धि का यह रुझान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी वंचित श्रेणियों के विद्यार्थियों के मामले में भी दिखता है। कुल मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल क्रमशः घट रहा है क्योंकि 2012-13 से 2016-17 के बीच लड़कियों के नामांकन की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत थी और लड़कों की 2.2 प्रतिशत।

तालिका 11.18 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन

(संख्याएं लाख में)

विद्यार्थियों का स्तर/ प्रकार		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
प्राथमिक							
लड़के	संयुक्त	79.74	83.34	83.72	84.4	83.97	1.2
	अजा	14.5	15.81	15.58	16.01	15.98	2.1
	अजजा	1.59	1.64	1.7	1.81	1.83	3.9
लड़कियां	संयुक्त	74.77	77.86	77.63	78.96	78.35	1.1
	अजा	13.21	14.47	14.39	14.8	14.89	2.7
	अजजा	1.33	1.36	1.4	1.5	1.48	3.2
सभी	संयुक्त	154.51	161.2	161.35	163.36	162.32	1.1
	अजा	27.71	30.29	29.97	30.81	30.87	2.4
	अजजा	2.92	3.01	3.11	3.31	3.31	3.5
उच्च प्राथमिक							
लड़के	संयुक्त	31.34	33.66	34.77	37.08	37.83	4.8
	अजा	4.81	5.59	6.12	6.47	6.75	8.6
	अजजा	0.55	0.58	0.61	0.72	0.74	8.4
लड़कियां	संयुक्त	29.02	31.75	33.14	35.23	35.5	5.2
	अजा	4.23	5.11	5.47	5.92	6.31	9.9
	अजजा	0.46	0.48	0.53	0.64	0.64	9.9
सभी	संयुक्त	60.36	65.41	67.91	72.31	73.33	5.0
	अजा	9.04	10.71	11.59	12.39	13.06	9.2
	अजजा	1.01	1.07	1.15	1.36	1.37	8.9
योग							
लड़के	संयुक्त	111.08	117	118.49	121.48	121.8	2.2
	अजा	19.31	21.4	21.7	22.48	22.73	3.8
	अजजा	2.14	2.22	2.31	2.53	2.57	5.1
लड़कियां	संयुक्त	103.79	109.61	110.77	114.19	113.85	2.3
	अजा	17.44	19.58	19.86	20.72	21.2	4.6
	अजजा	1.79	1.84	1.93	2.14	2.12	5.0
सभी	संयुक्त	214.87	226.62	229.26	235.68	235.64	2.3
	अजा	36.75	41.01	41.56	43.2	43.93	4.2
	अजजा	3.93	4.08	4.26	4.67	4.68	5.0

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

सभी 38 जिलों के समस्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में कुल नामांकन के आंकड़े तालिका प 11.11 से तालिका प 11.13 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2016-17 में नामांकन के मामले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तरों पर जिलों के बीच काफी अंतर मौजूद था। वर्ष 2016-17 में दोनो स्तरों पर सर्वाधिक 14.84 लाख नामांकन मुजफ्फरपुर में दर्ज हुआ और उसके बाद 12.29 लाख पूर्व चंपारण में। दूसरी ओर, उस वर्ष दोनों स्तरों पर सबसे कम नामांकन शिवहर (1.21 लाख) और शेखपुरा (1.41 लाख) में दर्ज हुआ। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मामले में दोनो स्तरों पर सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला गया (3.28 लाख) और सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला जिला शिवहर (0.21 लाख) था। वहीं, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला प्राथमिक शिक्षा में कटिहार (0.57 लाख) और उच्च प्राथमिक में पश्चिम चंपारण (0.21 लाख) था।

छीजन दर

उच्च नामांकन के मामले में सफलता तभी सार्थक है जब नामांकित बच्चे विद्यालय में टिके रहें। पढ़ाई छोड़ने के पीछे मौजूद सारे कारकों को मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है - सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षाशास्त्रीय व्यवहार, प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिसंरचना। बिहार के मामले में ये सारे कारक विभिन्न मात्रा में प्रभावी हैं। इनसे बचाव के उपाय और हस्तक्षेप की रणनीतियां सावधानी से तैयार करना जरूरी है जिन्हें विद्यालय छोड़ने की आशंका वाले सारे विद्यार्थियों की मदद के लिए अपनाया जा सके।

तालिका 11.19 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें

वर्ष		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्राथमिक	लड़के	26.3	23.6	24.0	24.2	22.4
	लड़कियां	36.0	33.6	29.2	25.6	22.0
	संयुक्त	31.7	29.1	26.8	25.0	22.2
उच्च प्राथमिक	लड़के	38.7	34.7	38.9	36.3	38.1
	लड़कियां	52.4	52.4	49.9	47.0	46.8
	संयुक्त	46.7	46.5	45.1	42.2	42.9
माध्यमिक	लड़के	59.5	57.6	53.9	52.5	53.1
	लड़कियां	65.2	64.7	61.2	61.5	59.4
	संयुक्त	62.8	61.8	58.2	57.7	56.6

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

बिहार में 2012-13 से 2016-17 तक शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की छीजन दरें तालिका 11.19 में प्रस्तुत हैं। इस अवधि में सभी स्तरों पर छीजन दरों में लगातार गिरावट आई है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 2012-13 (31.7 प्रतिशत) से 2016-17 (22.2 प्रतिशत) तक 9.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह गिरावट 3.8 प्रतिशत अंकों की थी -2012-13 के 46.7 प्रतिशत से 2016-17 में 42.9 प्रतिशत। इसका अर्थ हुआ कि लगभग आधे विद्यार्थी अभी भी माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश के पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। माध्यमिक स्तर पर छीजन दर 2016-17 में 56.6 प्रतिशत थी जो 2012-13 के 62.8 प्रतिशत

की अपेक्षा 6.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्शाती है। इस पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक - शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें छात्रों से कम थीं। चूंकि प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया है इसलिए बिहार में अब माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिए मानव पूंजी तैयार होगी।

तालिका 11.20 में बिहार में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 2012-13 से 2016-17 तक की छीजन दरें प्रस्तुत की गई हैं। सौभाग्यवश, इस अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छीजन दरों में भी उत्तरोत्तर कमी आई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, तीन स्तरों पर अनुसूचित जाति की लड़कियों की छीजन दरें पूरी अवधि में अनुसूचित जाति के लड़कों से कम रही हैं। माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का मामला भी ऐसा ही था।

तालिका 11.20 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	लड़कियां	लड़के	संयुक्त	लड़कियां	लड़के	संयुक्त	लड़कियां	लड़के	संयुक्त
	अनुसूचित जाति								
2012-13	24.3	36.3	31.2	49.0	61.4	56.5	65.1	70.6	68.4
2013-14	13.3	30.4	23.2	40.5	54.7	48.9	64.3	69.8	67.7
2014-15	25.5	32.9	29.6	39.7	47.1	44.0	61.5	67.8	65.3
2015-16	25.3	28.0	26.7	38.5	50.1	45.2	53.4	62.9	59.1
2016-17	23.6	23.9	23.8	34.5	49.0	42.9	51.9	60.3	56.7
	अनुसूचित जनजाति								
2012-13	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	23.8	13.1	26.6	38.2	33.9
2013-14	15.1	23.8	10.0	2.0	21.7	12.7	23.5	37.6	32.3
2014-15	21.2	0.9	8.3	3.2	27.8	18.0	31.8	45.7	40.5
2015-16	2.8	2.3	2.6	अनु.	19.9	19.9	22.7	41.1	34.1
2016-17	15.0	11.8	13.3	31.0	39.8	37.1	34.5	47.4	42.3

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

विद्यालयों की संख्या

वर्ष 2016-17 में बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2012-13 के 69,911 से बढ़कर 72,981 हो गई। इस अवधि में अनेक प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। वर्ष 2016-17 में विद्यालयों की संख्या के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले जिले पूर्व चंपारण (3,486), पटना (3,366)और मुजफ्फरपुर (3,359) थे। दूसरी ओर, विद्यालयों की सबसे कम संख्या वाले तीन जिले शिवहर (417), अरवल (526) और शेखपुरा (581) थे। बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या तालिका प 11.14 क (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

शिक्षाधिकार अधिनियम, 2009 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो प्रकार के विद्यालयों के लिए उचित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की रूपरेखा में बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। वर्ष 2016-17 में राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कुल संख्या 3.9 लाख थी। वर्ष 2016-17 में पटना (20,483), पूर्व चंपारण (18,583) और मुजफ्फरपुर (17,198) सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले जिले और शेखपुरा (2,264), शिवहर (2,298) और अरवल (3,227) सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले जिले थे। बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जिलावार संख्या तालिका प 11.14 ख (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

शिक्षा पर व्यय

बिहार में शिक्षा पर व्यय का स्तर विगत पांच वर्षों में लगातार बढ़ा है। तालिका 11.21 में शिक्षा पर व्यय के साथ-साथ कुल बजट में और सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में इसका हिस्सा दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय 2013-14 के 14,946 करोड़ रु. से बढ़कर 24,856 करोड़ रु. हो गया। इस अवधि में शिक्षा पर कुल व्यय की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है। कुल व्यय और सामाजिक सेवाओं पर व्यय में शिक्षा व्यय के हिस्से की बात करें, तो यह कुल व्यय के 17 से 18 प्रतिशत के आसपास और सामाजिक क्षेत्र व्यय के 50 प्रतिशत के आसपास रहा है। तालिका 11.21 में शिक्षा पर कुल व्यय में उसके तीनों घटकों (प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा) के हिस्सों का 2013-14 से 2017-18 तक का ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि इन सभी वर्षों में शिक्षा पर कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा अन्य दो श्रेणियों की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 64.8 प्रतिशत था। शेष 35.2 प्रतिशत रकम का व्यय माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर किया गया।

तालिका 11.21 : शिक्षा पर व्यय

वर्ष	शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु.)			शिक्षा पर व्यय (प्रतिशत)	
	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	कुल बजट का	सामाजिक सेवाओं पर व्यय का
2013-14	7764	2987	4195	18.7	53.3
2014-15	12140	3368	2325	17.5	49.5
2015-16	13327	3677	2382	17.1	49.5
2016-17	13327	3677	2382	16.0	45.6
2017-18	16109	4655	4092	16.5	45.1

स्रोत : राज्य सरकार के वित्तीय आंकड़े, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) 6 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें विद्यालय में टिकाए रखने के लिहाज से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। बच्चों के

पोषण की स्थिति और सामाजिक समानता के लिहाज से भी योजना का काफी महत्व है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आरंभ 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए किया गया था। 1980 के दशक के मध्य तक गुजरात, केरल और तमिलनाडु - तीन राज्यों और पौंडीचेरी केंद्रशासित क्षेत्र ने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपने संसाधनों से पका मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। वर्ष 1990-91 तक अपने संसाधनों से सबके लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई - गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। अन्य तीन राज्यों - कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल - में भी कार्यक्रम अपने संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के जरिए चलाया जा रहा था। अन्य दो राज्य (आंध्र प्रदेश और राजस्थान) कार्यक्रम को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के जरिए चला रहे थे। अंततः प्राथमिक चरण में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) लागू किया जिसे आम तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सभी सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में पका मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वर्ष 2005 में अधिगम केंद्रों सहित सभी प्राथमिक विद्यालयों को शामिल करते हुए इसका सर्वव्यापीकरण कर दिया गया। अक्टूबर 2007 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया और योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एनपी-एमडीएमएस) कर दिया गया। वर्ष 2015-16 में मध्याह्न भोजन योजना के व्यय के पैटर्न में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया गया। योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मध्याह्न भोजन में पोषक पदार्थों की मात्रा भी निर्धारित की गई है (तालिका 11.22)।

तालिका 11.22 : मध्याह्न भोजन योजना के तहत आहार, पोषण और कैलोरी संबंधी मानक

मद	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)
क. पोषण संबंधी मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन)		
1. कैलोरी	450	700
2. प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख. आहार संबंधी मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन)		
1.खाद्यान्न (चावल/ गेहूं)	100 ग्राम	150 ग्राम
2. दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
3.सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
4.तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.नमक-मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
6.सूक्ष्म-पोषक तत्व	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए आदि सूक्ष्म-पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा	

योजना के आच्छादन के संबंध में 2012-13 से 2017-18 तक की समग्र स्थिति तालिका 11.23 में वर्णित है। वर्ष 2012-13 में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 57.7 प्रतिशत था। पांच साल बाद 2017-18 में

बढ़कर यह 62.9 प्रतिशत हो गया जो 5.0 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। दूसरी ओर, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में योजना का आच्छादन 2012-13 और 2017-18, दोनो वर्षों में लगभग 57 प्रतिशत रहा। कुल मिलाकर, दोनो ही स्तरों पर योजना का आच्छादन हाल के वर्षों में बढ़ा है हालांकि बीच वाले वर्षों के दौरान आच्छादन में कुछ उतार-चढ़ाव भी हुआ है।

तालिका 11.23 : मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कक्षा 1 से 5						
कुल नामांकन (लाख में)	147.7	141.62	143.18	144.68	141.70	126.59
रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में)	85.22	94.89	94.36	99.28	89.70	79.55
आच्छादन का प्रतिशत	57.7	67.0	65.9	68.6	63.3	62.9
कक्षा 6 से 8						
कुल नामांकन (लाख में)	52.87	57.57	60.59	62.67	66.27	62.84
रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में)	30.32	38.57	36.99	40.02	37.80	36.24
आच्छादन का प्रतिशत	57.3	67.0	61.0	63.9	57.0	57.7

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर जिलावार आच्छादन तालिका प 11.15 और तालिका प 11.16 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 में 21 जिलों में प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (62.9 प्रतिशत) से अधिक था। उसके पिछले वर्ष ऐसे जिलों की संख्या 16 थी। योजना का सबसे कम 56.5 प्रतिशत आच्छादन वैशाली जिले में दर्ज किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (57.7 प्रतिशत) से अधिक था। आच्छादन के लिहाज से तीन सर्वोत्तम जिले थे - शिवहर (66.0 प्रतिशत), बेगूसराय (65.5 प्रतिशत) और शेखपुरा (64.1 प्रतिशत)। वहीं, सबसे कमजोर प्रदर्शनवाले तीन जिले अरवल (45.3 प्रतिशत), पूर्णिया (49.7 प्रतिशत) और कटिहार (49.7 प्रतिशत) थे।

सर्व शिक्षा अभियान

केंद्र सरकार ने काफी पहले ही महसूस कर लिया था कि देश में उच्च स्तर पर सभी प्रकार की शिक्षा के लिए आधार रही प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत किए बगैर मानव विकास में सुधार संभव नहीं है। सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 6 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों को 2010 तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से किया गया था। यह

संकल्प 2010 में शिक्षाधिकार अधिनियम के लागू होने से और भी प्रबलित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार, 6 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को उनके पड़ोस में 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए सभी राज्यों को विशेष सहायता उपलब्ध कराती है। अभियान के वित्तपोषण पैटर्न में विगत वर्षों के दौरान कुछ बदलाव हुए हैं। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में केंद्र और राज्य सरकारों के हिस्सों का अनुपात 65:35 था जो 2009-10 में 60:40 हो गया। यह अनुपात 2010-11 में 55:45 हो गया था और 2015-16 से यह पुन: 60:40 हो गया है।

स्कूली शिक्षा के साथ विद्यालय-पूर्व से कक्षा 12 तक बिना बंटवारा किए सम्रगता में बर्ताव के लिए विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 'समग्र शिक्षा' योजना का आरंभ किया है जो केंद्र प्रायोजित योजना के बतौर 2018-19 से लागू होने वाली समेकित विद्यालयी शिक्षा योजना है। इस कार्यक्रम में पूर्व की तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा को समाहित कर दिया गया है। अत: समग्र शिक्षा विद्यालय-पूर्व से लेकर कक्षा 12 तक विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया है जिसका लक्ष्य विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसमें 'विद्यालय' को विद्यालय-पूर्व से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के बतौर देखा गया है। इस योजना के कारण बजट आबंटनों का चरम उपयोग और पूर्ववर्ती योजनाओं के मानव संसाधनों तथा अधिसंरचनात्क ढांचों का प्रभावी उपयोग होगा। इस योजना के लिए अप्रील 2018 से मार्च 2020 तक के लिए 75,000 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसका अर्थ वर्तमान आबंटनों में 20 प्रतिशत वृद्धि है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और बीपीएल तबकों की लड़कियों के लिए स्थापित आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बतौर स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2017-18 तक चले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बालिका छात्रावास घटक के जरिए कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाली वंचित समूह की 14 से 18 वर्ष उम्र की लड़कियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। वर्ष 2018-19 से प्रभावी नई शुरुआत वाली समग्र शिक्षा के तहत मौजूदा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का पूर्ववर्ती बालिका छात्रावास योजना के साथ कनवर्जेंस करके 150 से 250 लड़कियों की क्षमता वाले उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत वंचित समूहों की लड़कियों को उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के आवासीय विद्यालयों की स्थापना के जरिए पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की बात सोची गई है। यथासंभव सुनिश्चित किया जाएगा कि हर शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंड (ईबीबी) में कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा अवश्य हो। अभी तक राज्य में 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं जिनमें 49,810 लड़कियां नामांकित हैं। इन 49,810 नामांकित लड़कियों में से 23,828 अजा, 4,179 अजजा, 17,424 अन्य पिछड़ा वर्ग की, 1,503 बीपीएल और 2,876 मुसलमान लड़कियां हैं।

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) का आरंभ मार्च 2009 में हुआ था। मानव पूंजी के निर्माण और हर नागरिक के लिए विकास और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अनुकूल स्थितियां उपलब्ध कराने के लिहाज से योजना का क्रियान्वयन 2009-10 से शुरू हुआ। अभियान के लिए व्यापक स्तर के हितधारकों से सहयोग लिया जाता है जिनमें बहुदिशायी संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन, सलाहकार और परामर्शदाता, शोध अभिकरण और संस्थान शामिल हैं। योजना के तहत बहुआयामी शोध, तकनीकी परामर्श और वित्तपोषण सहायता शामिल है। अभी अभियान के तहत सरकारी और स्थानीय निकायों के 50,000 माध्यमिक विद्यालय आच्छादित हैं। इनके अलावा, 30,000 सरकारी सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय भी अभियान की चुनिंदा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह 2020 तक सर्वव्यापी प्रतिधारण के लिए लक्षित है। इसके अन्य उद्देश्यों में (क) सभी माध्यमिक विद्यालयों को विहित मानकों के अनुरूप बनाकर दी जाने वाली माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, और (ख) लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और नि:शक्तता से संबंधित सारे अवरोध समाप्त करना शामिल हैं। धनराशि का कुशल उपयोग और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिहाज से माध्यमिक शिक्षा की अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का वित्तपोषण पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार के 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत अंशदान पर आधारित है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य क्रियान्वयन समिति (एसआइएस) द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य राज्यों में पात्र उच्च शैक्षिक संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। केंद्रीय वित्तपोषण (केंद्रांश और राज्यांश 60:40) मानक आधारित और परिणाम-निर्भर होगा। चिन्हित संस्थानों तक पहुंचने के पहले धनराशि का प्रवाह केंद्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों को और उनसे राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को होगा। राज्यों को धनराशि राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के गंभीर मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों पर काम करने की हर राज्य की रणनीति को ध्यान में रखा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा की उच्च शिक्षा के साथ सहक्रिया के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में एक अलग घटक भी शामिल किया गया है। इन सबके अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा भागीदार राज्यों में संस्थानों के सुधार, पुनर्गठन और क्षमता निर्माण को भी सहयोग किया जाता है।

तालिका 11.24 में 2016-17 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए स्वीकृत बजट और कुल व्यय दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि चारो कार्यक्रमों के व्यय में सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य हिस्सा है। वर्ष 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान का व्यय 6,504.5 करोड़ रु. था जो कुल व्यय का लगभग 96 प्रतिशत था। बजट के प्रतिशत के बतौर वास्तविक व्यय भी सर्व शिक्षा अभियान के मामले में सर्वाधिक 68.9 प्रतिशत था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दोनो के लिए यह अनुपात बहुत कम था।

तालिका 11.24 : विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति

(करोड़ रु.)

कार्यक्रम	स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	धनराशि विमुक्त			कुल व्यय	व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रतिशत में
		भारत सरकार	बिहार सरकार	योग		
2016-17						
रा.उ.शि.अ.	120.0	6.6	4.4	11.0	11.0	9.2
रा.मा.शि.अ.	1523.2	200.7	123.3	323.9	171.3	11.3
स.शि.अ.	9445.1	2649.1	3866.8	6515.9	6504.5	68.9
क.गा.बा.वि.	220.2	57.8	37.8	95.6	78.0	35.5
योग	**11308.4**	**2914.1**	**4032.3**	**6946.4**	**6764.9**	**60.4**

टिप्पणी : रा.उ.शि.अ. =राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान; रा.मा.शि.अ. =राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान; स.शि.अ. =सर्व शिक्षा अभियान; क.गा.बा.वि. = कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार सरकार

उच्च शिक्षा

बिहार में हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थानों और महाविद्यालयों की संख्या के लिहाज से काफी विस्तार दिखा है। मानव की क्षमता के विकास में योगदान में उच्च शिक्षा का महत्व बिहार जैसे प्रतिकूलता-ग्रस्त राज्यों में और भी बढ़ जाता है। किसी राज्य में उच्च शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन उसके संस्थानों की क्षमता के लिहाज से किया जाता है। शैक्षिक संस्थानों की क्षमता को शैक्षिक संस्थानों - विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या और उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या के जरिए मापा जाता है। राज्य में उच्च शिक्षा के शीर्ष संस्थान विश्वविद्यालय हैं (तालिका 11.25)। अभी राज्य में 24 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें से 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं जबकि एक मुक्त विश्वविद्यालय और एक प्राइवेट राजकीय विश्वविद्यालय है। राज्य में 15 शोध संस्थान भी हैं। वर्ष 2017 में राज्य में कुल 277 राजकीय महाविद्यालय और 496 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। संभावित स्कूल शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अन्य घटक है। वर्ष 2017 में राज्य में 60 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान थे जबकि वर्ष 2014 में इनकी संख्या 43 ही थी। वर्ष 2017 में राज्य में 28 अभियंत्रण महाविद्यालय थे जबकि 2014 में इनकी संख्या 24 थी। अभी राज्य में 87 महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता प्राप्त है।

प्रस्तुत है।

तालिका 11.25 : उच्च शिक्षा के संस्थान

संस्थानों का प्रकार/ वर्ष	2014	2015	2016	2017
विश्वविद्यालय				
केंद्रीय विश्वविद्यालय	2	2	4	4
राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय	14	14	13	13
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	3	3	3	3
राज्यपोषित मुक्त विश्वविद्यालय	1	1	1	1
राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संस्थान	1	1	1	1
समकक्ष विश्वविद्यालय	1	1	1	1
राजकीय प्राइवेट विश्वविद्यालय	-	-	-	1
योग	**22**	**22**	**23**	**24**
शोध संस्थान	15	15	15	15
महाविद्यालय				
सरकारी महाविद्यालय/ अंगीभूत महाविद्यालय	278	276	276	277
स्थानीय निकाय महाविद्यालय/ संबद्ध महाविद्यालय	416	468	478	496
स्नातकोत्तर केंद्र/ परिसरेतर केंद्र	9	9	9	9
मान्यता-प्राप्त केंद्र	13	16	18	18
योग	**716**	**769**	**781**	**800**
शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र/ अभियंत्रण महाविद्यालय				
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (प्राथमिक)	43	60	60	60
अभियंत्रण महाविद्यालय	24	23	28	28
योग	**67**	**83**	**88**	**88**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक चार वर्षो के संबद्ध और अंगीभूत (कंस्टीट्यूएंट) महाविद्यालयों तथा तकनीकी महाविद्यालयों का जिलावार ब्योरा तालिका प 11.17 और तालिका प 11.18 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

विद्यालयी शिक्षा सबंधी परिणाम

- बिहार ने 6 से 14 वर्ष उम्र के पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को विद्यालय में वापस लाने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2017-18 में लगभग 89 हजार बच्चों को प्रत्यक्ष नामांकन के जरिए विद्यालयों के नेटवर्क में शामिल किया गया और 63 हजार बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के जरिए शामिल किया गया। अब विद्यालय त्यागी बच्चों की संख्या घटकर 1 प्रतिशत रह गई है।
- राज्य सरकार के मूल्यांकन हस्तक कार्यक्रम के तहत 2016 से प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों का मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन शुरू किया गया है।
- सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष नगद अंतरण विकसित किया जा रहा है और अभी तक 72 लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं।
- राज्य सरकार की एक नई सांस्कृतिक पहल 'किलकारी' 2008 में शुरू हुई थी। इस संस्था में 8 से 16 वर्ष उम्र के बच्चों को चित्रकला, नृत्य, फोटोग्राफी आदि 22 प्रकार की विधाओं का मुख्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी किलकारी का क्रियान्वयन 8 जिलों (पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, कैमूर, जमुई, मुजफ्फरपुर और सहरसा) में किया जा रहा है। मलिनबस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए अभी 8 केंद्र राज्य की मलिनबस्तियों में चल रहे हैं।
- 15 से 35 वर्ष उम्र की 8 लाख महादलित और अति पिछड़ा वर्ग की महिलायें तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी शिक्षा और विकासमूलक कार्यक्रमों के जरिए मुख्य धारा में लाने के लिए अक्षर आंचल योजना चलाई जा रही है जिसका प्राक्कलित व्यय 318.37 करोड़ रु. है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष उम्र के महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना भी है।

कला, संस्कृति एवं युवा कार्य

युवा वर्ग समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि भावी समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास उन्हीं पर निर्भर करते हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है जहां की 27.5 प्रतिशत आबादी 15 से 29 वर्ष उम्र की है। बिहार में इस उम्र समूह के लोगों का 24.2 प्रतिशत हिस्सा है। राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में देश के युवा वर्ग की पूरी क्षमता के उपयोग और उसके जरिए देश को विश्व समुदाय में उचित स्थान दिलाने के लिहाज से उसके सशक्तीकरण के लिए समग्रतापूर्ण नजरिया अपनाने का प्रस्ताव किया गया है। कला, संस्कृति और युवा के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे :

(1) वर्ष 2017-18 में कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग का कुल परिव्यय 137.55 करोड़ रु. था जिसमें से 71 प्रतिशत (97.8 करोड़ रु.) का व्यय विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया गया।

(2) सिताब दियारा गांव में हाल ही में बने लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक-सह-पुस्तकालय भवन में काम शुरू हो गया है और उसके लिए 113.82 लाख रु. कर्णांकित किए गए हैं।

(3) बिहार के सभी 38 जिलों में स्थापना दिवस, बिहार दिवस और युवा महोत्सवों के आयोजन के लिए 2.66 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(4) 19 अतिवाद प्रभावित जिलों में 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तरह प्रभावित टोलों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना शुरू किया गया है। ऐसे जिलों के लिए प्रति जिला 2.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

(5) बहुद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर विकसित करने के लिहाज से भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना में 461.00 लाख रु. के व्यय से नया निर्माण शुरू किया गया है।

(6) मिथिला कला संस्था के निर्माण के लिए राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा 2,748.58 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

(7) कलाकारों के इलाज, वाद्ययंत्रों की खरीद, आमंत्रण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए देश-विदेश की यात्रा, और उच्च शिक्षा तथा शोध के लिए कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है। कोष का उपयोग कलाकृतियों की प्रदर्शनी और व्याख्यानों तथा संगोष्ठियों के आयोजन के लिए भी किया जाएगा।

(8) राज्य सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, पटना और बोधगया के ताराडीह पुरातात्विक स्थल में थीम पार्कों के निर्माण की योजना बना रही है। वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप और सम्यक दर्शन संग्रहालय के विकास की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना के लिए 152.37 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और भवन निर्माण के लिए 72.94 एकड़ जमीन आबंटित कर दी गई है।

(9) लगभग 15 स्थलों का उनकी पुरातात्विक संभावनाओं के लिहाज से निरीक्षण और मूल्यांकन किया गया। इनमें शामिल हैं - जमालुद्दीन चक (पटना), अलधन्ना (नालंदा), एकसारा (नालंदा), पास्तन नावटोली (मधुबनी), लोरिकडीह (दरभंगा), राज परिसर (दरभंगा), राजनगर (मधुबनी), भौंरागढ़ी (मधुबनी), काली मंदिर (गया), उमगा (औरंगाबाद), सीताथापा (औरंगाबाद), शतचंडी (औरंगाबाद), जैन मंदिर, पाचर पहाड़ (औरंगाबाद), चक्का (दरभंगा) और महेसिया (सीतामढ़ी)।

11.4 समाज कल्याण

समाज कल्याण इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समवेत प्रयास कर रही है कि समाज के कमजोर तबकों के लोग विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभ पा सकें। महिलाओं, बच्चों और अन्य प्रतिकूलता-ग्रस्त समूहों के लिए प्रमुख सार्वजनिक योजनाओं का क्रियान्यवन किया जा रहा है। इस खंड में बिहार में चलने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है जिनमें दलितों, महादलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य कमजोर तबकों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी है। इस मकसद से राज्य सरकार ने अप्रील 2007 में एक अलग विभाग का गठन किया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का संयुक्त रूप से लगभग 17.3 प्रतिशत हिस्सा है - अनुसूचित जाति का 15.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का 1.3 प्रतिशत हिस्सा। बिहार में जिन जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, वे जिले हैं - नालंदा, कैमूर, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, वैशाली और शेखपुरा। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक उन्नति के लिए चलने वाली मुख्य योजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं।

- वर्ष 2017-18 में मुसहर और भुइयां हेतु छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य योजना से 10.66 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए जिसमें से 2.40 करोड़ रु. कार्यार्पित व्यय और स्थापना व्यय के थे। वर्ष 2018-19 के लिए और अधिक - 13.06 करोड़ रु.- का आबंटन किया गया है।

- वर्ष 2008-09 में शुरू हुई मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अजा/अजजा विद्यार्थी को 10,000 रु. दिए जाते हैं। वर्ष 2016-17 से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अजा/अजजा विद्यार्थी को भी 8,000 रु. छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रु. और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रु. मेधावृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत 2017-18 में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 62.73 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 7.66 करोड़ रु. आबंटित किए गए। उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए 17.09 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

- एक केंद्र प्रायोजित योजना बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण योजना के तहत 2017-18 में 8.50 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।

- बिहार में उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत देने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में इस पर 24.62 करोड़ रु. व्यय किया गया है जिससे 3,503 लोग राहत अनुदान से लाभान्वित हुए हैं।

- अभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 7 परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्र (पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण और आरा में एक-एक) चल रहे हैं जिनमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए लगभग 1,000 प्रत्याशियों को कोचिंग दी जा रही है। मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में स्थापना के लिए 3 और परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2017-18 में योजना के लिए 1.82 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और 543 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2017-18 के लिए योजना का कुल प्रावधान 2.62 करोड़ रु. था।

- समेकित थरुहट विकास परियोजना के तहत, बेतिया शहर में छात्रावास निर्माण, संपर्क पथ, सिंचाई योजना, पेयजल योजना, युवा विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 2017-18 में 27.61 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

- अभी राज्य सरकार द्वारा अजा विद्यार्थियों के लिए 65 और अजजा विद्यार्थियों के लिए 20 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में परिणत करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2017-18 में अजा/ अजजा विद्यार्थियों के लिए 113.35 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।

तालिका 11.26 में अजा/ अजजा कल्याण का पिछले दो वर्षों (2016-17 और 2017-18) का कुल बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट 2016-17 के 1743.88 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 1,844.71 करोड़ रु. हो गया। हालांकि बजट की राशि के मुकाबले वास्तविक व्यय 73.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। सौभाग्यवश, अजा/अजजा कल्याण के पूंजीगत परिव्यय की तुलना में व्यय 2016-17 के 73.2 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 98.6 प्रतिशत हो गया जो स्थिर परिसंपत्तियों के निर्माण में वृद्धि को व्यक्त करता है। राज्य की प्रमुख अजा/ अजजा कल्याण योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के जिला स्तरीय आंकड़े तालिका प 11.19

(सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। इन आंकड़ों से पता लता है कि विभिन्न जिलों के बीच भौतिक और वित्तीय, दोनो प्रकार की प्रगति के बीच काफी अंतर है।

तालिका 11.26 : अजा एवं अजजा कल्याण हेतु परिव्यय आबंटन का अवलोकन

(करोड़ रु.)

मद	2016-17			2017-18		
	बजट	वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत	बजट	वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत
अजा एवं अजजा	1563.63	1154.22	73.8	1388.17	920.38	66.3
सचिवालय सेवाएं	4.87	3.56	73.1	5.22	3.85	73.8
पूंजीगत परिव्यय	165.44	121.03	73.2	434.21	428.06	98.6
सहकारी समितियों पर पूंजीगत परिव्यय	9.89	9.89	100.0	16.61	12.61	75.9
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.05	0	0	0.05	0	0.0
योग	**1743.88**	**1288.7**	**73.9**	**1844.71**	**1364.92**	**73.9**

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

महादलित

राज्य महादलित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सबसे वंचित तबके के विकास के लिए कई लक्षित योजनाएं चलाई हैं। आयोग ने पाया कि बिहार की 22 में से 21 अनुसूचित जातियां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं। इसलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चली सकारात्मक कार्रवाइयों से अधिक लाभ नहीं हुआ है। राज्य महादलित आयोग के प्रतिवेदनों के अनुरूप महादलितों की उन्नति के लिए कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज से बिहार महादलित विकास मिशन संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित है। महादलित विकास मिशन का विचार अनेक विशेष योजनाओं के जरिए सभी महादलित जातियों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने का है। मिशन की कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं :

- सरकारी कल्याण योजनाओं से जिन महादलित परिवारों को लाभ हुआ है, विकास मित्रों के जरिए उनके रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा ऑनलाइन विकास पंजी संधारित की जाती है। अभी तक विकास मित्रों द्वारा 34.55 लाख परिवारों का आंकड़ा आधार तैयार किया गया है।
- दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत विभिन्न कार्यों के कौशल विकास प्रशिक्षण देकर महादलित समुदाय की रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ाने के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से की गई है। अभी तक 16 बैच ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया है और इनमें से 4 बैच का प्रशिक्षण पूरा भी हो गया है।
- राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिहाज से राज्य सरकार और महादलित समुदाय के बीच संपर्कसूत्र का काम करने के लिए न्यूनतम 50 परिवारों वाले हर पंचायत/ वार्ड में विकास मित्रों का चयन किया गया है। विकास मित्रों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया

जाता है। विकात्र मित्रों को 10,000 रु. मानदेय भुगतान किया जाता है। विकास मित्रों के 9,875 पद हैं जिनमें से 9,559 पद पर अभी विकास मित्र काम कर रहे हैं।

- सामुदायिक कक्ष सह कार्य-शेड योजना के तहत 2010-11 से 2018-19 तक 5,135 इकाइयों के निर्माण के लक्ष्य था। विभिन्न जिलों में इनमें से 3,324 इकाइयां काम करने लगी हैं। वर्ष 2018-19 में 441 और इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य है।
- विशेष विद्यालय सह छात्रावास योजना के तहत पटना में 150 और गया में 100 महादलित छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। लाभार्थियों को औपचारिक और अनौपचारिक, दोनो प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है।
- बाल विवाह और दहेज उन्मूलन तथा सामाजिक सक्रियता बढ़ाने के लिए सभी पंचायतों में विकास मित्रों के जरिए इन मुद्दों पर दीवार लेखन कराया जा रहा है।
- सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा महिला विकास निगम के सहयोग से विकास मित्रों का प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करके किशोरियों का समूह बनाया जा रहा है।

वर्ष 1978 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना की स्थापना अनुसूचित जाति के लोगों के चतुर्दिक विकास के लिए की गई थी। निगम के जिला कार्यालय राज्य के 36 जिलों में काम कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच इसकी सब्सिडी वाली योजनाओं से 9,315 लोग लाभान्वित हुए हैं।दी गई कुल सहायता 2,717.5 लाख रु. की थी जिसमें से 931.5 लाख रु. सब्सिडी थी। विवरण तालिका 11.27 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 11.27 : बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की सब्सिडी योजना

(रकम लाख रु. में)

वर्ष	लाभान्वितों की सं.	बैंक ऋण	सब्सिडी	योग
2013-14	3301	627.90	330.10	958.00
2014-15	1806	343.50	180.60	524.10
2015-16	2921	555.61	292.10	847.71
2016-17	2827	537.75	282.70	820.45
2017-18	2279	433.50	227.90	661.40
योग	**13134**	**2498.26**	**1313.40**	**3811.66**

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने 2007-08 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया था। पिछड़ी जातियां वे जातियां/ समुदाय हैं जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार में 131 पिछड़ी जातियां हैं जिनका बिहार की

आबादी में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है। पिछड़ा और अतिपिछड़ा समुदाय के कल्याण हेतु वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक की वित्तीय प्रगति का सारांश तालिका 11.28 में प्रस्तुत है। पिछले छः वर्षों के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण पर व्यय लगातार बढ़ा है जिनमें कुछ वर्षों में कुछ उतार-चढ़ाव भी हुआ है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। हालांकि वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पिछले वर्षों की तुलना में उपयोग के प्रतिशत में गिरावट आई है।

तालिका 11.28 : पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु.)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल परिव्यय	825.92	1375.79	1477.97	2975.3	1927.8	1591.72
कुल व्यय	817.48	1193.1	1445.4	2695.07	1459.6	1223.16
उपयोगिता का प्रतिशत	99.0	86.7	97.8	90.6	75.7	79.8

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कल्याणकारी उपाय इस प्रकार हैं :

- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत 2016-17 में 70,037 विद्यार्थियों को 10,000 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से छात्रवृत्ति दी गई।
- वर्ष 2016-17 में प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत 125.89 लाख पिछड़े विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसी प्रकार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.89 लाख आवदेन दिए गए थे जिनमें से 1.78 लाख लाभार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के तहत सभी जिलों में छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी इनमें से 13 जिलों - नालन्दा, जहानाबाद, सुपौल, बेगूसराय, कैमूर, मधुबनी, बांका, जमुई, कटिहार, शेखपुरा, गया, भागलपुर और किशनगंज में छात्रावास चालू हो गए हैं। अन्य 8 छात्रवास भी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे।
- वर्ष 2017-18 में 12 आवासीय अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 19 शिक्षकों और 23 सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने के लिहाज से 2015-16 में 8 विश्वविद्यालयों में परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्र स्थापित किए गए थे। इस सुविधा का विस्तार बिहार के सभी 38 जिलों में कर दिया गया है और 2017-18 में इस योजना से 1,346 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत 2017-18 में 41 बैच में 1,236 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किए गए आबंटन के भौतिक और वित्तीय विवरण तालिका 11.29 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 11.29 : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के भौतिक और वित्तीय विवरण

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)
	प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों को वजीफे		प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति		12 अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय	
2011-12	323313	2517	126938	15206.9	3080	485
2012-13	4300000	58696	225000	24628.2	800	100
2013-14	9800000	116824	36368	5815	2019	585
2014-15	12200000	105470	244121	36997	2499	726
2015-16	18300000	225398	378544	61977	2499	977
2016-17	12589021	135920	177571	–	2642	1216
	अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना		तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए वजीफे		अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रवासों का निर्माण	
2011-12	53000	5300	850	17	21 निर्मित 9 निर्माणाधीन	160
2012-13	42000	4200	1650	30		187
2013-14	35000	3500	1500	30		935
2014-15	40000	4000	1500	30		-
2015-16	144974	14497	3750	75		500
2016-17	70037	700.37	-	-		1000

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 17.3 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 16.9 प्रतिशत मुसलमान तथा 0.4 प्रतिशत बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कुल आबादी में मुसलमानों का किशनगंज में 68.0 प्रतिशत, कटिहार में 44.5 प्रतिशत, अररिया में 42.9 प्रतिशत और पूर्णिया में 38.5 प्रतिशत हिस्सा है। समाज के वंचित समूहों को जिन ऐतिहासिक बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनकी पहचान करते हुए भारत के संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा विकास संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर ऐसे सामाजिक रूप से ऐसे ही वंचित समूह होते हैं। इन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बिहार में 1991 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। हाल के वर्षों में विभाग की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को **राज्य सरकार मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराती है।** वर्ष 2017-18 में इसके लिए 439.13 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था। उस वर्ष विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए 1485 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाई गई जिनमें से 419 विद्यार्थी सफल हुए। वर्ष 2018 में 1,015 आकांक्षियों के लाभ के लिए नोडल अभिकरण मौलाना मजहर-उल हक् अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत 2.90 करोड़ रु. में से 16.03 लाख रु. खर्च किए जा चुके हैं।

- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना** के तहत 11,478 अल्पसंख्यक लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2018 तक 131.87 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

- **मुसलमान तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला सहायता कार्यक्रम** के तहत अभी तक 12,397 महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। योजना का आरंभ 2006-07 में हुआ था। वर्ष 2017-18 से हर तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला को प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के जरिए 10,000 रु. की जगह 25,000 की संशोधित रकम दी जा रही है।

- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** के तहत 43.34 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे जिससे 2017-18 में 38,518 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2017-18 से मदरसा के फौकानिया और मौलवी (सिर्फ महिला) की बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 2018-19 में 29,715 विद्यार्थियों के लिए 33.00 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **अल्पसंख्यक बालक और बालिका छात्रावास योजना** के तहत अभी 34 छात्रावास चल रहे हैं। उन छात्रावासों में लगभग 1,541 विद्यार्थी रह रहे हैं। मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना और मुख्यमंत्री छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत हर विद्यार्थी को 1,000 रु. नगद अनुदान और 15 किग्रा खाद्यान्नों का कोटा दिया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना** के तहत 2017-18 में 1,326 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को हाजीपुर स्थित केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण संस्थान (सीपेट), पटना स्थित राष्ट्रीय इलक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट), पटना स्थित टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), गया स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) तथा औरंगाबाद स्थित ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (आइटीडीआर) द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत वित्तवर्ष 2018-19 में 8.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

- **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के तहत 2017-18 में 16,225 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 7.99 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। वर्ष 2018-19 में 14,300 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 7.13 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था।

- हज के लिए मक्का और मदीना जाने वाले तीर्थयात्रियों की बेहतर सुविधा के लिहाज से बिहार हज कमिटी के लिए वार्षिक अनुदान 40.00 लाख रु. से बढ़ाकर 60.00 लाख रु. कर दिया गया है। वर्ष 2017 में 6,963 तीर्थयात्री और 27 खादिम-उल हज्जाज सऊदी अरब भेजे गए थे।

11.5 महिला सशक्तीकरण

जब तक महिलाएं विकास प्रक्रिया में बराबर भागीदार नहीं होती हैं तब तक समावेशी विकास हासिल नहीं किया जा सकता है। आठवीं योजना के दौरान पहली बार महिला सशक्तीकरण को विशिष्ट रणनीति के बतौर मान्यता और स्वीकृति दी गई थी। नवीं योजना में महिला घटक योजना के आरंभ के साथ इसे और आगे बढ़ाया गया। उसमें उन मंत्रालयों की पहचान की गई थी जिनके लिए महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए धनराशि देना वांछित था। बाद में, बारहवीं योजना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण के जरिए योजना प्रक्रिया में ध्यान दिए जाने वाले लैंगिक समानता के मुख्य सूचकों की पहचान की गई।

बिहार में लिंग अनुपात में गिरावट दिखी है जो 2001 के 919 से गिरकर 2011 में 916 रह गया। इसके विपरीत, पूरे भारत का लिंग अनुपात 2001 के 933 से बढ़कर 2011 में 940 हो गया। लिंग अनुपात में गिरावट राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता की बात है। हालांकि महिला साक्षरता दर में 17.9 प्रतिशत अंकों की तेज वृद्धि दिखी है जो 2001 के 33.6 से बढ़कर 51.5 हो गई है, लेकिन लैंगिक असमानता अभी भी मौजूद है। सामाजिक प्रचलनों और सांस्कृतिक परंपराओं से उत्पन्न लैंगिक असमानता से अब महिलाओं के प्रति मानसिकता और धारणा बदलने वाले प्रयासों के जरिए प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से निपटा जा रहा है। हाल में महिला विकास निगम के कोषांग लैंगिक संसाधन केंद्र को समाज कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजट निर्माण के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। चूंकि लैंगिक समानता और महिलाओं का विकास महत्वपूर्ण एजेंडा है इसलिए राज्य सरकार 2008-09 से ही जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक के छः वर्षों के जेंडर बजट का विवरण तालिका 11.30 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका में दिखता है कि महिला विकास के लिए कुल परिव्यय विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। अपवाद सिर्फ 2015-16 रहा है जब इसमें कमी दर्ज की गई थी। महिलाओं के लिए कुल परिव्यय में 2012-13 से 2017-18 के बीच 163.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के कुल बजट में महिलाओं पर परिव्यय का हिस्सा विभिन्न वर्षों के बीच थोड़ा-बहुत अंतर के साथ लगभग 11 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के आसपास रहा है।

तालिका 11.30 : जेंडर बजट का सारांश

(रकम करोड़ रु. में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
महिलाओं के लिए श्रेणी-1 की योजनाएं (100% लाभार्थी)	2293.8	2740.2	3920.1	2996.1	5564.8	8545.9
महिलाओं के लिए श्रेणी-2 की योजनाएं (30% लाभार्थी)	5541.8	7008.0	8658.3	8130.9	9512.2	12069.5
महिलाओं के लिए कुल परिव्यय	7835.6	9748.2	12578.3	11127.0	15077.0	20615.4
संबंधित विभागों के लिए कुल परिव्यय	34615.4	19003.5	33703.7	31010.8	36411.5	46658.8
संबंधित विभागों के कुल परिव्यय में महिला हेतु परिव्यय का प्रतिशत	22.6	51.0	37.2	35.9	41.4	44.2
राज्य बजट का कुल आकार	**78687**	**92088**	**116886**	**120685**	**144696**	**160086**
राज्य बजट में परिव्ययों का हिस्सा (%)	10.0	10.6	10.8	9.2	10.4	12.9
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**282368**	**317101**	**342951**	**369469**	**425888**	**487628**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिला हेतु परिव्ययों का हिस्सा (%)	2.8	3.1	3.7	3.0	3.5	4.2

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

जेंडर बजट की अधिक व्यापक समझ के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के व्यय स्तरों को देखना वांछित है। इसी परिप्रेक्ष्य में तालिका 11.31 में विभिन्न विभागों के तहत जेंडर बजट संबंधी आंकड़े प्रस्तुत हैं। यहां देखा जा सकता है कि श्रेणी-1 और श्रेणी-2, दोनो प्रकार की योजनाओं के लिए 2018-19 के परिव्यय में 2017-18 से वृद्धि हुई है। श्रेणी-1 की परियोजनाएं पूरी तरह महिलाओं के लिए होती हैं। श्रेणी-2 की परियोजनाओं में महिलाओं के लिए परिव्यय की गणना यह मानकर की गई है कि सारी कल्याणकारी योजनाएं लिंग-निरपेक्ष होती

हैं और उनमें कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी। अभी तक श्रेणी-2 में सूचीबद्ध परियोजनाओं के मामले में महिला लाभार्थियों के वास्तविक अनुपात के सत्यापन की कोई प्रक्रिया नहीं है। तालिका से स्पष्ट है कि श्रेणी-1 और श्रेणी-2, दोनो प्रकार की योजनाओं में 2017-18 और 2018-19 के बीच परिव्ययों में काफी वृद्धि हुई है। तालिका से यह भी पता चलता है कि पांच विभागों (उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य तथा राजस्व एवं भूमि सुधार) को छोड़कर सभी विभागों में 2017-18 और 2018-19 के बीच परिव्यय काफी बढ़ा है। समाज कल्याण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास - तीन विभागों में परिव्यय महिलाओं के लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि इन विभागों में महिलाओं के लिए परिव्यय कुल परिव्यय के 50 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 11.31 : जेंडर बजट का विवरण

(करोड़ रु.)

विभाग का नाम	2017-18				2018-19 (बजट अनुमान)			
	कुल बजट	महिलाओं के लिए व्यय			कुल बजट	महिलाओं के लिए व्यय		
		श्रेणी-1 के तहत	श्रेणी-2 के तहत	योग		श्रेणी-1 के तहत	श्रेणी-2 के तहत	योग
समाज कल्याण	5949.58	284.77	2664.24	2949.01	6460.35	1270.07	2325.51	3595.57
अजा एवं अजजा कल्याण	1224.58	0.00	362.11	362.11	1297.30	0.00	389.19	389.19
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2001.39	0.00	600.42	600.42	2617.34	0.00	785.20	785.20
अल्पसंख्यक कल्याण	469.13	22.00	107.14	129.14	325.00	2.00	96.90	98.90
शिक्षा विभाग	18922.76	285.04	5693.14	5978.18	25549.04	714.31	5924.87	6639.18
स्वास्थ्य	2712.66	1494.35	22.40	1516.75	2965.03	2372.95	68.12	2441.08
ग्रामीण विकास	9282.97	6377.64	868.60	7246.24	14521.60	6842.03	2303.87	9145.90
नगर विकास एवं आवास	303.00	0.00	4.00	4.00	713.00	0.00	215.50	215.50
पंचायती राज	375.00	0.00	187.50	187.50	450.00	0.00	225.00	225.00
श्रम संसाधन	149.93	4.50	0.00	4.50	399.52	10.50	116.70	127.20
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1532.82	10.73	445.95	456.68	1520.68	12.59	678.64	691.23
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	27.63	27.63	0.00	27.63	27.63	27.63	0.00	27.63
कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	48.45	0.00	14.54	14.54	47.59	0.00	14.28	14.28
उद्योग विभाग	571.14	0.00	171.34	171.34	412.18	0.00	117.07	117.07
कृषि विभाग	2185.53	0.00	655.66	655.66	2171.35	0.00	651.40	651.40
सूचना एवं प्रौद्योगिकी	39.19	39.19	0.00	39.19	55.76	55.76	0.00	55.76
भवन निर्माण	650.00	0.00	193.00	193.00	651.00	0.00	211.95	211.95
गृह विभाग	141.53	0.00	58.03	58.03	266.70	0.00	109.35	109.35
पर्यटन विभाग	71.47	0.00	21.44	21.44	108.01	0.00	32.40	32.40
योग	**46658.77**	**8545.86**	**12069.51**	**20615.37**	**60559.08**	**11307.84**	**14265.96**	**25573.80**

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 11.32 : लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं

(करोड़ रु.)

योजना	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	106.43	41.06	32.51	357.48	213.86	260.47
नारी शक्ति योजना	0.00	0.00	0.00	11.20	24.60	61.52
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	92.90	108.26	143.54	26.85	21.59	38.16
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	6.56	0.00	90.00	0.00	6.15	76.27
योग	**205.89**	**149.32**	**266.05**	**395.53**	**266.20**	**436.42**

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

लैंगिक असमानता से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों में दो मुख्य शीर्ष हैं : बाल रक्षा (कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या सुरक्षा योजना) तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना और नारी शक्ति योजना) (तालिका 11.32)। नारी शक्ति योजना का शुभारंभ 2007-08 में किया गया था। इसका मकसद अनेक योजनाओं के जरिए महिलाओं का सशक्तीकरण करना है। इस योजना के तहत हेल्पलाइन सेवाओं, अल्पावास गृहों, कामकाजी महिला आवासों, और संरक्षा गृहों का संचालन किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवार की 18 वर्ष के बाद विवाह करने वाली लड़कियों को 5,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। विगत वर्षों के दौरान इन फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय क्रमशः बढ़ा है। वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बीच इन योजनाओं पर व्यय में 111.97 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

महिलाओं के सशक्तीकरण का मूल्यांकन तीन मापदंडों के जरिए किया जा सकता है - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इनमें से प्रत्येक मापदंड के तहत राज्य सरकार के कदम नीचे सूचीबद्ध हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण

- महादलित समुदाय की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों के निर्माण और पोषण की रणनीति के साथ मुख्यमंत्री नारी ज्योति कार्यक्रम विकसित किया गया है।
- कृषि क्षेत्र में 863 महिला उत्पादक समूहों का गठन किया गया है जिससे खगड़िया, कटिहार, वैशाली, पूर्व चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा- 8 जिलों के 49,617 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं।
- दिसंबर 2017 में लगे **सरस** मेले की थीम 'उद्यमी महिलाएं, विकसित राष्ट्र' थी। इस मेले में 21 अन्य राज्यों से 135 जीविका समूहों और कारीगरों ने अपनी देशज कलाकृतियां बेचने के लिए भाग लिया था। सरस मेला 2017 में कुल 6.62 करोड़ रु. की बिक्री हुई थी।
- नवांकुर ग्राम उद्यम कार्यक्रम (एसवीईपी) द्वारा ग्रामीण नवांकुर उद्यमियों को प्रशिक्षण और उद्यम चुनने का विकल्प उपलब्ध कराकर सहयोग दिया जाता है। स्वयं सहायता समूहों को उद्यम शुरू करने के लिए कर्ज दिया जाता है और बाद में अतिरिक्त धनराशि के लिए बैंकों के साथ जोड़ा जाता है। अपने व्यवसाय में दीर्घस्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए 393 महिला उद्यमियों को कुल 87.05 लाख रु. की सहायता प्रदान की गई है।
- महिला समृद्धि योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति की महिलाओं की आत्मनिर्भरता है। इसके तहत उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रु. का अनुदान तथा 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 15,000 रु. का अतिरिक्त ऋण दिया जाता है।

- ग्रामीण गरीबों के बीच जीविका के विकल्पों में विविधता लाने तथा आमदनी बढ़ाने के लिए जीविका ने जयपुर रग्स फाउंडेशन के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया है। इसके तहत 2016-17 में समुदाय के 608 सदस्यों को कालीन बुनाई के लिए गोलबंद और प्रशिक्षित किया गया। अभी तक 1,088 कालीन बुनकर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षित सदस्यों की अधिकतम आय 4,200 रु. प्रति माह दर्ज की गई है। 22 गांवों में 80 करघों के साथ 20 केंद्र स्थापित किए गए हैं। समुदाय के 1,952 सदस्यों को शामिल करने के मकसद से इस योजना का विस्तार और दो वर्षों के लिए किया जाएगा।
- सात निश्चय कार्यक्रम के तहत एक निश्चय 'आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार' भी है और 2016 से राज्य सरकार की सारी सेवाओं में नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

सामाजिक सशक्तीकरण

- भागलपुर रेशम संकुल को सहयोग देने के लिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर-8 जिलों में उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा स्कंध, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि विभाग) और जीविका द्वारा संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 72 किसानों और ग्राम साधनसेवियों (वीआरपी) का संपर्क पश्चिम बंगाल के कालियाचक कॉकून बाजार और मध्य प्रदेश के केसला से कराया गया।
- राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पोषण और जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई (वाश) पर एक सघन व्यवहार परिवर्तन संवाद अभियान शुरू किया गया है। 315 प्रखंडों में लगभग 4.93 लाख स्वयं सहायता समूहों को 'ग्राम वार्ता' के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन प्रशिक्षणों का लक्ष्य स्वास्थ्य, पोषण और जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई (वाश) के विभिन्न पहलुओं पर समुदाय का संवेदनीकरण करना है। ये प्रशिक्षण बेहतर सेवाओं की मांग शुरू करने के मामले में काफी प्रभावी साबित हुए हैं।
- स्वयं सहायता सदस्यों की पोषक आहार संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2017-18 में न्यूनतम 40 प्रतिशत अजा और अजा परिवारों का मापदंड पूरा करने वाले 2,800 नए ग्राम संगठनों को खाद्य सुरक्षा कोष दिया गया। इन ग्राम संगठनों ने खाद्यान्नों के अलावा दाल-दलहन, चना, तेल, सोयाबीन, आदि पोषाहार खरीदना शुरू कर दिया है। उसी वर्ष में 19,500 ग्राम संगठनों ने खरीद और 20,813 ग्राम संगठनों ने खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप शुरू कर दिया है।
- ''सबको बिजली' कार्यक्रम पर आधारित आइआइटी मुंबई के फ्लैगशिप कार्यक्रम सोलस (दीर्घस्थायित्व हेतु स्थानीयकरण आधारित सौर ऊर्जा) पहल के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और जीविका द्वारा सोलर स्टडी लैंप वितरित किए गए। वर्ष 2017-18 में गया, नवादा और भोजपुर जिलों 5.50 लाख सोलर स्टडी लैंप वितरित किए गए। इस योजना के तहत अभी तक 6.70 लैंप वितरित किए जा चुके हैं।
- बाल विवाह रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लड़की के परिवार को उसकी शादी के समय 5,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाता है जिनका विवाह निर्बंधित हुआ हो और जिनकी पारिवारिक आय 60,000 रु. प्रति वर्ष से कम हो। वर्ष 2017-18 में योजना के लिए 4,418.67 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से 3,815.89 लाख रु. खर्च किए गए।
- जन्म के निबंधन को बढ़ावा देने, लिंग अनुपात में संतुलन बनाने और बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की अधिकतम दो लड़कियों के नाम से 2,000 रु. का निवेश तय बैंक में कर दिया जाता है। वर्ष 2017-18 में इसके लिए बजट परिव्यय 7,627.28 लाख रु. था जिसका लगभग 100 प्रतिशत व्यय हो गया।
- हिंदू समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अन्य जाति के युवक से विवाह करने वाली दुल्हन के नाम से 1.00 लाख रु. का सावधि जमा कर दिया जाता है। सावधि जमा को

तीन वर्ष से पहले भुनाया नहीं जा सकता है। वर्ष 2017–18 में योजना के लिए 700.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया था जिसमें से 109.75 लाख रु. का व्यय हुआ।

- राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य बालिका मृत्यु के कारणों को दूर करना, लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और बच्चों का प्रतिरक्षण कराना है। इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य बाल विवाह समाप्त करना और कम उम्र में गर्भधारण रोकना भी है। यह नई पहल एक सर्वव्यापी प्लेटफार्म है और इससे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसका लाभ हर परिवार की दो लड़कियों को मिलेगा। लड़की को जन्म के समय 2,000 रु. की किश्त दी जाएगी। पहला साल पूरा होने के बाद आधार कार्ड बनवाने पर उसे पुनः 1,000 रु. की किश्त मिलेगी। टीकाकरण पूरा हो जाने पर उसे 2,000 रु. की अगली किश्त मिलेगी। इससे राज्य सरकार को पूर्ण प्रतिरक्षण का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उसके बाद उसे हर साल पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 तक 600 रु., कक्षा 3 से 5 तक 700 रु., कक्षा 6 से 8 तक 1,000 रु. और कक्षा 9 से 12 तक 1,500 रु. मिलेंगे। इसके अलावा उस लड़की को हर साल सैनिटरी नैपकिन के लिए कक्षा 7 से 12 तक 300.0 रु. मिलेंगे। इंटरमीडिएट के बाद अविवाहित लड़की को 10,000 रु. और अविवाहित तथा विवाहित, दोनो तरह की स्नातक लड़की को 25,000 रु. एकमुश्त रकम मिलेगी।
- आसरा योजना के तहत महिलाओं के 50 शय्याओं वाले आवासीय विशिष्ट गृह के लिए वार्षिक संचालन व्यय 50.00 लाख रु. से बढ़ाकर 76.70 लाख रु. कर दिया गया है। साथ ही 50 शय्याओं वाले दो आवासीय विशिष्ट गृह खोलने की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है।
- महिला विकास निगम के जरिए राज्य सरकार राज्य में महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तीकरण की अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत घरेलू हिंसा और मानव व्यापार की शिकार महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सहयोग और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। महिला विकास निगम द्वारा विभिन्न जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों के साथ सघन समन्वय करके 38 महिला हेल्पलाइनों का संचालन किया जा रहा है। यह पारिवारिक परामर्श केंद्र है। विपत्ति और घरेलू हिंसा से पीड़ित प्रत्येक महिला हेल्पलाइन के जरिए केंद्र से संपर्क कर सकती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी महिला विकास निगम हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को चौबीसो घंटे सेवा उपलब्ध कराने के लिए को 7 जिलों में सर्व सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग दिया गया है।

तालिका 11.33 : सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या

मामलों के प्रकार	2016-17		2017-18		2018-19 (Upto Sept)	
	दर्ज	निष्पादित	दर्ज	निष्पादित	दर्ज	निष्पादित
घरेलू हिंसा	3990	3284 (82.3)	4023	1651 (41.0)	1119	223 (19.9)
दहेज उत्पीड़न	629	469 (74.6)	766	267 (34.9)	203	31 (15.3)
दहेज हत्या	6	5 (83.3)	5	5 (100.0)	5	0 (0)
दूसरा विवाह	88	92 (104.5)	101	27 (26.7)	30	2 (6.7)
बलात्कार और मानव व्यापार के मामले	23	15 (65.2)	26	23 (88.5)	41	26 (63.4)
कार्यालय/ अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न	98	72 (73.5)	148	91 (61.5)	68	38 (55.9)
अन्य	1339	1152 (86.0)	3488	2509 (71.9)	1322	849 (64.2)
कुल मामले	**6183**	**5115 (82.7)**	**8557**	**4573 (53.4)**	**2788**	**1169 (41.9)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निष्पादित मामलों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बिहार राज्य महिला विकास निगम, बिहार सरकार

तालिका 11.33 में महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाई है। वर्ष 2017-18 में इनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के दर्ज हुए और उसके बाद दहेज उत्पीड़न के। वर्ष 2017-18 में 53 प्रतिशत निबंधित मामलों का निपटारा कर दिया गया और वर्ष 2018-19 में 42 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया।

सांस्कृतिक सशक्तीकरण

- चंपारण सत्याग्रह की शतवार्षिकी के मौके पर लगभग 30,000 जीविका सदस्यों ने 'चंपारण सत्याग्रह आंदोलन' पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- 'सपनों को चली छूने' बिहार में बिहार राज्य महिला विकास निगम और जागरण पहल की एक परियोजना है जिसका आरंभ 2009 में हुआ था। इसका लक्ष्य युवक/ युवतियों का क्षमता निर्माण, उसके परिणामस्वरूप लैंगिक असमानता में कमी और राज्य में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना है। एक दशक में बिहार के 72 महाविद्यालयों को शामिल करके परियोजना के जरिए 1.67 लाख लड़कियों का लैंगिक मुद्दों पर सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष संवेदनीकरण किया गया। परियोजना के तहत 156 लड़कियों में नेतृत्व क्षमता विकसित की गई और उन्हें 'चैंपियन ऑफ चेंज' (परिवर्तन में अग्रणी) के रूप में सम्मानित किया गया है। उनमें नेतृत्व के गुणों के और अधिक विकास के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया।
- नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के कार्यक्रम आदि सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग करके परिवारों और विद्यालयों में लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 7 जिलों - समस्तीपुर, वैशाली, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना -के एक-एक प्रखंड में 'उठो सहेली' अभियान शुरू किया गया। अभियान द्वारा महिला भ्रूण हत्या, डायन, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, महिलाओं के अधिकार और दहेज आदि मुद्दे शामिल किए गए हैं।
- दरभंगा जिले में खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से समुदाय के सदस्यों को बांस आधारित कारीगरी का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में वही टीम मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिलों में भी समुदाय के सदस्यों से बात करने गई। अभी तक उत्पादक समूहों ने विभिन्न राज्यों में लगे 84 व्यापार मेलों में भाग लिया है।
- बिहार में पारंपरिक कला का पुनरुत्थान विषय पर एक संकल्पनात्मक टिप्पणी तैयार की गई है और एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है। राज्य सरकार ने इस पहल के तहत लिंग आधारित 3 कलारूपों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

11.6 वृद्ध और नि:शक्त जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा

समावेशी विकास वृद्ध और नि:शक्त जनों के कल्याण के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के अनुसार देश में 2011 की जनगणना के आधार पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की कुल आबादी 10.38 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकों की कुल आबादी 0.77 करोड़ है। साथ ही बिहार में 23.31 लाख नि:शक्त जन भी हैं। दोनो समूह राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त ध्यान देने की जरूरत दर्शाते हैं।

उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर वृद्धों, विधवाओं और नि:शक्त जनों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही है। तालिका 11.34 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने

वाली इन कल्याण योजनाओं का सारांश प्रस्तुत है। वर्ष 2017-18 में वृद्ध, विकलांग और निःशक्त जनों के लिए योजनाओं पर कुल व्यय कुल बजट परिव्यय का 85 प्रतिशत था और इन योजनाओं से 2016-17 के 56 लाख की तुलना में 64 लाख लोग लाभान्वित हुए। विभिन्न पेंशन योजनाओं पर व्यय 2016-17 के 2,797.22 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 3,692.41 करोड़ रु. हो गया।

तालिका 11.34 : वृद्धों, विधवाओं और निःशक्त जनों के लिए पेंशन योजनाएं

योजना का नाम	2016-17			2017-18		
	बजट परिव्यय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	लाभार्थियों की सं. (हजार)	बजट परिव्यय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	लाभार्थियों की सं. (हजार)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	168750.00	120703.31	3698	165740.00	104967.69	4247
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना			469			541
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना			96			119
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना			35			
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (राज्यांश)	93740.00	93740.00	-	183707.50	183707.50	-
लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना	21436.00	21386.00	481	26046.96	26046.96	575
बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना	25557.00	25557.00	590	31732.18	31732.18	724
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2986.00	2986.00	58	4245.00	3000.00	62
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	5000.00	5000.00	167	4824.00	4824.00	144
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	650.00	650.00	3	500.00	500.00	3
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	1500.00	1500.00	8	1260.00	1260.00	9
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	850.00	850.00	0	20.00	20.00	0
वृद्धावास	100.00	100.00	0	1.00	1.00	0
वृद्धावास निर्माण	100.00	100.00	0	3126.00	726.00	2 का निर्माण
बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना	1100.00	1100.00	0	1001.00	1001.00	0
बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण	8780.00	6000.00	0	11429.00	11429.00	0
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह अनुदान योजना	50.00	50.00	0	26.00	26.00	0
योग	**330599.00**	**279722.31**	5604	**433658.64**	**369241.33**	6426

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

उक्त योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुछ नई पहलकदमियां भी ली जा रही हैं :

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन को आसान, साधारण और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना के जरिए 2016-17 से ही पेंशन की रकम लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। अक्तूबर 2018 तक

67.59 लाख में से 66.41 लाख पेंशनधारियों के बैंक खाते खुलवाए जा चुके हैं। इन 66.41 लाख बैंक खातों में से 64.72 लाख को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। ई-लाभार्थी पोर्टल पर 51.45 लाख पेंशनधारियों के आधार नंबर अपलोड किए जा चुके हैं।

- बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र श्रमिक एवं कारीगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 2011 के तहत राज्य के असंगठित श्रमिकों और कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति का गठन किया गया है।

- जुलाई 2014 से सभी पेंशन योजनाओं में हर पेंशनधारी के लिए पेंशन की रकम 400 रु. प्रति माह करके उनमें समरूपता ला दी गई है। राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों से राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में अंशदान करती है - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 200 रु., राष्ट्रीय विधवा पेंशन में 100 रु. और राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन में 100 रु.। राज्य सरकार केंद्रीय पेंशन योजनाओं के उन पेंशनधारियों के लिए पूरे पेंशन का योगदान करती है जिनकी संख्या केंद्र सरकार द्वारा तय अधिकतम संख्या से बढ़ गई है। इस अंशदान पर राज्य सरकार द्वारा 2017-18 में 1,837.07 करोड़ रु. व्यय हुआ।

- राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की शुरुआत 2012-13 में की थी। इसके तहत दुर्घटना या आपराधिक घटना से मृत्यु की स्थिति में परिवार को 20,000 रु. का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत 2017-18 में 5.00 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं जबकि 2016-17 में इस पर 6.50 करोड़ रु. का व्यय हुआ था।

- पटना, पूर्णिया और गया में वृद्धावास के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। पटना और गया में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पटना, गया, बेगूसराय, रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर और पश्चिम चंपारण में सहारा वृद्धावास काम कर रहे हैं। इन वृद्धावासों का प्रबंधन गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट

तालिका प 11.1 : बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2018 में)

जिले	जिला अस्पताल (1)	रेफरल अस्पताल (2)	अनुमंडल अस्पताल (3)	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (4)	स्वास्थ्य उप-केंद्र (5)	अतिरिक्त प्रा.स्वा. केंद्र (6)	योग (1 से 6)	प्रति दस लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थान
पटना	1	4	4	23	234	96	362	534
नालंदा	1	3	2	20	368	46	440	1335
भोजपुर	1	3	2	14	298	27	345	1102
बक्सर	1	0	1	11	160	28	201	1027
रोहतास	1	2	2	19	251	32	307	909
कैमूर	1	2	1	11	175	19	209	1092
गया	1	2	2	24	469	38	536	1036
जहानाबाद	1	2	0	7	107	34	151	1170
अरवल	1	0	0	5	65	27	98	1239
नवादा	1	2	1	14	174	36	228	891
औरंगाबाद	1	3	1	11	254	61	331	1107
सारण	1	3	2	20	414	41	481	1061
सीवान	1	3	1	19	378	44	446	1160
गोपालगंज	1	3	1	14	185	24	228	788
पश्चिम चंपारण	1	2	2	18	532	33	588	1248
पूर्व चंपारण	1	1	3	27	398	70	500	819
मुजफ्फरपुर	1	2	0	16	499	83	601	1052
सीतामढ़ी	1	1	2	17	208	38	267	658
शिवहर	1	0	0	5	91	13	110	1416
वैशाली	1	4	2	16	334	35	392	941
दरभंगा	0	2	1	18	261	46	328	736
मधुबनी	1	3	4	21	376	61	466	886
समस्तीपुर	1	1	4	20	358	56	440	881
बेगूसराय	1	2	4	18	292	23	340	971
मुंगेर	1	0	2	9	154	20	186	1195
शेखपुरा	1	1	0	6	85	17	110	1512
लखीसराय	1	1	0	6	102	12	122	1044
जमुई	1	3	0	10	279	22	315	1523
खगड़िया	1	1	0	7	186	23	218	1087
भागलपुर	1	3	2	16	362	54	438	1231
बांका	1	3	0	11	239	31	285	1188
सहरसा	1	0	1	10	171	32	215	962
सुपौल	1	2	1	11	181	23	219	824
मधेपुरा	1	0	1	13	272	21	308	1273
पूर्णिया	1	2	3	14	312	33	365	
किशनगंज	1	1	0	7	156	10	175	860
अररिया	1	2	1	9	242	29	284	840
कटिहार	1	1	2	16	327	41	388	1061
बिहार	**37**	**70**	**55**	**533**	**9949**	**1379**	**12023**	**986**

टिप्पणी : गणना के लिए 2018 की प्राक्कलित जनसंख्या का उपयोग किया गया है।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.2 : जिलावार प्रतिदिन पहुंचने वाले औसत वाह्यरोगी और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर

जिला	प्रतिदिन पहुंचने वाले औसत वाह्यरोगी				भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 18 तक)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 18 तक)
पटना	235	269	359	355	73	74	22	27
नालंदा	391	448	301	300	119	121	52	48
भोजपुर	275	254	232	231	33	41	63	61
बक्सर	213	219	186	176	62	50	28	33
रोहतास	290	259	237	261	70	66	73	52
कैमूर	301	297	254	286	82	54	91	93
गया	348	355	323	327	87	23	34	30
जहानाबाद	377	354	309	311	72	44	40	24
अरवल	321	263	352	361	76	24	44	48
नवादा	167	180	188	194	77	85	20	15
औरंगाबाद	501	524	425	391	74	48	41	48
सारण	420	462	335	383	89	88	71	76
सीवान	292	326	286	280	99	73	55	56
गोपालगंज	318	382	266	266	76	67	51	45
पश्चिम चंपारण	255	275	151	217	52	41	31	39
पूर्व चंपारण	357	398	259	281	84	74	62	60
मुजफ्फरपुर	502	514	443	487	60	18	329	334
सीतामढ़ी	240	217	244	226	94	81	56	42
शिवहर	159	148	145	163	78	48	16	14
वैशाली	402	432	395	417	101	93	68	59
दरभंगा	355	343	410	480	89	38	48	62
मधुबनी	301	344	310	341	58	52	63	52
समस्तीपुर	420	363	301	286	124	118	80	83
बेगूसराय	250	267	212	256	62	69	60	64
मुंगेर	306	340	289	292	104	81	82	83
शेखपुरा	200	160	237	234	60	66	39	27
लखीसराय	266	247	252	226	70	70	42	53
जमुई	199	217	242	186	46	36	48	38
खगड़िया	401	555	489	476	130	108	110	101
भागलपुर	310	318	266	262	130	126	181	186
बांका	350	440	322	348	76	65	77	78
सहरसा	229	207	237	240	71	87	80	81
सुपौल	379	375	263	290	106	80	64	70
मधेपुरा	328	392	449	437	143	126	159	142
पूर्णिया	523	467	308	291	122	90	73	69
किशनगंज	290	295	228	246	94	94	57	60
अररिया	450	480	352	361	99	147	40	37
कटिहार	306	364	319	326	78	81	67	66
बिहार	**323**	**339**	**298**	**309**	**84**	**64**	**62**	**61**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

तालिका प 11.3 : 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन

जिला	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित 'ए' श्रेणी नर्सों की संख्या				प्रति लाख आबादी पर ए-ग्रेड नर्सों की सं.
	नियमित	संविदाधीन	नियमित		संविदाधीन		
			2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	
पटना	161	46	158	134	23	23	2
नालंदा	129	59	88	98	32	32	3
भोजपुर	162	24	60	60	1	10	2
बक्सर	85	74	45	42	2	2	2
रोहतास	88	20	54	54	18	18	2
कैमूर	38	44	29	28	9	9	1
गया	174	25	97	95	16	16	2
जहानाबाद	85	34	76	77	3	3	6
अरवल	50	50	20	19	3	3	2
नवादा	82	175	75	75	13	13	3
औरंगाबाद	35	22	31	30	6	6	1
सारण	86	25	9	47	5	5	1
सीवान	147	16	14	35	2	2	1
गोपालगंज	84	18	29	31	4	4	1
पश्चिम चंपारण	108	37	39	39	5	8	1
पूर्व चंपारण	165	48	17	36	37	37	1
मुजफ्फरपुर	152	54	39	39	0	1	1
सीतामढ़ी	116	17	33	33	14	14	1
शिवहर	59	9	11	9	5	5	1
वैशाली	258	51	69	69	49	49	2
दरभंगा	154	30	28	28	2	9	1
मधुबनी	364	34	60	53	7	7	1
समस्तीपुर	304	24	120	120	2	6	2
बेगूसराय	128	24	118	122	4	4	3
मुंगेर	119	34	103	100	0	0	6
शेखपुरा	74	32	33	44	4	4	6
लखीसराय	73	60	53	53	23	7	5
जमुई	75	13	40	38	8	12	2
खगड़िया	61	13	57	59	2	6	3
भागलपुर	108	165	75	76	7	7	2
बांका	67	18	59	59	7	7	2
सहरसा	167	30	47	49	38	38	2
सुपौल	172	172	39	40	1	2	2
मधेपुरा	58	9	31	31	8	8	1
पूर्णिया	110	112	79	75	9	9	2
किशनगंज	60	34	23	23	1	2	1
अररिया	96	39	25	27	7	7	1
कटिहार	250	28	49	49	6	17	1
बिहार	**4704**	**1719**	**2032**	**2096**	**383**	**412**	**2**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.4 : एएनएम का जिलावार नियोजन

जिला	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित ए.एन.एम. की संख्या				प्रति लाख आबादी परए.एन.एम. की संख्या
	नियमित	संविदाधीन	नियमित		संविदाधीन		
			2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	
पटना	1155	418	939	948	247	247	14
नालंदा	835	370	750	720	210	210	22
भोजपुर	706	350	377	377	172	228	12
बक्सर	382	162	207	202	105	105	10
रोहतास	593	308	409	409	102	102	12
कैमूर	325	287	245	257	97	97	13
गया	1170	541	640	641	303	303	12
जहानाबाद	351	151	243	173	195	195	13
अरवल	125	79	87	85	60	60	11
नवादा	443	525	221	214	91	87	8
औरंगाबाद	581	308	339	333	156	167	11
सारण	789	643	358	344	360	360	8
सीवान	501	370	329	295	122	122	8
गोपालगंज	512	186	206	205	107	107	7
पश्चिम चंपारण	535	895	295	295	570	582	6
पूर्व चंपारण	1017	503	242	228	399	399	4
मुजफ्फरपुर	956	583	702	702	234	248	12
सीतामढ़ी	684	213	217	215	96	96	5
शिवहर	97	172	23	23	101	101	3
वैशाली	764	418	444	444	266	266	11
दरभंगा	585	419	301	269	248	248	6
मधुबनी	1017	702	321	312	239	239	6
समस्तीपुर	854	486	537	537	200	200	11
बेगूसराय	661	360	493	529	217	217	15
मुंगेर	491	165	358	361	64	54	23
शेखपुरा	257	97	105	155	46	46	21
लखीसराय	400	102	230	230	87	87	20
जमुई	609	212	211	257	182	82	12
खगड़िया	362	193	228	273	110	110	14
भागलपुर	567	362	618	614	247	247	17
बांका	406	265	361	353	125	142	15
सहरसा	350	152	152	140	137	137	6
सुपौल	212	246	90	86	148	152	3
मधेपुरा	399	153	101	105	72	72	4
पूर्णिया	655	370	280	268	184	182	7
किशनगंज	338	186	82	74	126	126	4
अररिया	561	290	153	150	213	213	4
कटिहार	614	345	311	311	210	231	9
बिहार	**21859**	**12587**	**12205**	**12134**	**6848**	**6867**	**10**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.5 : आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन

(आंकड़े संख्या में)

जिला	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन
पटना	5842	3018	3461	3043	3461	2992	3641	3104
नालंदा	2880	2316	2415	2316	2415	2316	2415	2316
भोजपुर	2731	2188	2331	2079	2331	2079	2331	2103
बक्सर	1708	1474	1551	1474	1551	1494	1551	1494
रोहतास	2962	2454	2538	2465	2538	2465	2538	2466
कैमूर	1628	1462	1570	1483	1570	1509	1570	1563
गया	4395	3448	3878	3448	3878	3448	3878	3679
जहानाबाद	1126	870	990	870	990	870	990	917
अरवल	773	750	749	749	749	747	749	704
नवादा	2221	1956	2004	1957	2004	1957	2004	1921
औरंगाबाद	2542	2142	2299	2213	2299	2243	2299	2299
सारण	3955	3402	3602	3406	3602	3408	3602	3410
सीवान	3334	2822	3136	2822	3136	2822	3136	2833
गोपालगंज	2564	2374	2396	2390	2396	2395	2396	2392
पश्चिम चंपारण	3935	3108	3644	3135	3644	3178	3644	3298
पूर्व चंपारण	5099	4060	4684	4060	4684	4060	4684	4401
मुजफ्फरपुर	4805	3858	4510	3880	4510	3880	4510	3880
सीतामढ़ी	3424	2919	3259	2919	3259	2919	3259	2965
शिवहर	656	572	646	572	646	572	646	572
वैशाली	3498	3019	3265	3121	3265	3129	3265	3174
दरभंगा	3941	3118	3729	3192	3729	3242	3729	3323
मधुबनी	4487	3853	4298	3902	4298	3910	4298	3995
समस्तीपुर	4266	3794	4161	3798	4161	3798	4161	3948
बेगूसराय	2973	2403	2493	2410	2493	2410	2493	2410
मुंगेर	1369	952	1014	953	1014	953	1014	957
शेखपुरा	637	476	526	476	526	478	526	499
लखीसराय	1002	901	900	898	900	898	900	898
जमुई	1762	1505	1654	1509	1654	1509	1654	1509
खगड़िया	1668	1468	1571	1499	1571	1501	1571	1526
भागलपुर	3040	2232	2435	2236	2435	2236	2435	2258
बांका	2037	1809	1966	1819	1966	1819	1966	1820
सहरसा	1902	1471	1823	1471	1823	1471	1823	1471
सुपौल	2229	2093	2140	2111	2140	2111	2140	2111
मधेपुरा	2004	1674	2049	1704	2049	1704	2049	1753
पूर्णिया	3268	2709	2983	2817	2983	2833	2983	2966
किशनगंज	1690	1290	1585	1298	1585	1298	1585	1341
अररिया	2812	2365	2637	2237	2637	2284	2637	2369
कटिहार	3074	2720	2795	2770	2795	2770	2795	2779
बिहार	**104239**	**85045**	**93687**	**85502**	**93687**	**85708**	**93867**	**87424**

टिप्पणी : वर्ष 2014-15 के लक्ष्य और चयन में शहरी आशा भी शामिल हैं जबकि अन्य वर्षों में सिर्फ ग्रामीण आशा हैं। वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लक्ष्य समान हैं।

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.6 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन

(आंकड़े हजार में)

जिला	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सितंबर 18 तक)
पटना	78	83	64	64	64	30
नालंदा	46	41	41	39	44	20
भोजपुर	43	39	38	36	39	18
बक्सर	24	25	21	21	22	10
रोहतास	33	43	27	26	29	13
कैमूर	26	23	24	24	25	11
गया	52	63	49	47	51	23
जहानाबाद	21	16	16	14	14	7
अरवल	10	10	9	9	10	5
नवादा	33	32	30	28	33	15
औरंगाबाद	36	36	33	31	33	15
सारण	52	57	48	50	53	26
सीवान	45	48	39	40	42	19
गोपालगंज	40	37	38	38	40	18
पश्चिम चंपारण	73	57	67	68	70	32
पूर्व चंपारण	67	73	62	62	67	31
मुजफ्फरपुर	56	69	54	53	54	27
सीतामढ़ी	49	49	43	45	49	22
शिवहर	10	9	9	10	11	5
वैशाली	63	50	60	60	61	30
दरभंगा	51	57	48	50	53	25
मधुबनी	54	65	54	59	60	26
समस्तीपुर	94	61	88	89	94	44
बेगूसराय	57	43	55	54	57	26
मुंगेर	23	20	21	21	22	10
शेखपुरा	13	9	13	12	14	6
लखीसराय	16	14	16	15	16	7
जमुई	29	25	27	27	29	14
खगड़िया	36	24	34	35	38	18
भागलपुर	50	44	52	51	54	25
बांका	36	29	35	33	36	17
सहरसा	41	27	40	40	39	19
सुपौल	46	32	46	47	48	23
मधेपुरा	38	29	37	42	47	22
पूर्णिया	73	47	71	71	78	34
किशनगंज	27	24	21	23	25	11
अररिया	51	40	51	54	55	25
कटिहार	56	44	52	57	61	28
बिहार	**1648**	**1494**	**1533**	**1545**	**1637**	**757**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.7 : रोगों की व्याप्ति (2017-18)

(आंकड़े संख्या में)

जिला	तीव्र विसूचिका (तीव्र जठरांत्र शोथ सहित)	खूनी पेचिश	वायरल हिपेटाइटिस	आंत्र ज्वर	मलेरिया
पटना	13545	3311	2085	2892	272
नालंदा	15460	7047	4003	3557	2828
भोजपुर	10548	5421	1	1484	0
बक्सर	3441	1664	0	8529	336
रोहतास	14543	2979	419	6982	783
कैमूर	6076	4404	26	14838	389
गया	0	0	0	0	0
जहानाबाद	8191	5117	29	3538	121
अरवल	2308	2721	0	3311	1
नवादा	7363	5182	11804	2539	4803
औरंगाबाद	4963	2417	1	1499	271
सारण	3338	1060	3	699	0
सीवान	8848	3850	0	9763	14
गोपालगंज	11438	1125	13	591	15
पश्चिम चंपारण	25900	1899	0	0	0
पूर्व चंपारण	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	21854	5597	670	18269	340
सीतामढ़ी	24100	11910	0	5957	2
शिवहर	6640	2825	0	2348	3
वैशाली	26634	29381	12137	40754	981
दरभंगा	11007	5652	3	6563	674
मधुबनी	27739	15639	309	17099	2606
समस्तीपुर	28939	16153	0	3526	1849
बेगूसराय	21603	4742	0	21092	176
मुंगेर	14483	9501	257	2347	3963
शेखपुरा	593	347	0	95	280
लखीसराय	592	363	11	134	50
जमुई	7525	8779	0	4711	1326
खगड़िया	2001	1941	0	55	5
भागलपुर	2134	627	0	41	0
बांका	233	98	0	27	10
सहरसा	11150	7204	2	2543	0
सुपौल	5648	4235	5	2437	247
मधेपुरा	2813	0	0	229	0
पूर्णिया	27482	18755	180	8764	951
किशनगंज	15322	5262	30	6667	183
अररिया	4948	4957	14	2390	2186
कटिहार	18005	7252	0	3761	207
बिहार	**417407**	**209417**	**32002**	**210031**	**25872**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

(जारी)

तालिका प 11.7 : रोगों की व्याप्ति (2017-18) (जारी)

(आंकड़े संख्या में)

जिला	अज्ञात मूल का ज्वर(PUO)	तीव्र श्वास संक्रमण/ इनफ्लुएंजा जैसा संक्रमण	न्यूमोनिया	कुत्ता काटना	राज्य का कोई अन्य खास रोग	पूर्वोक्त से भिन्न असामान्य रोग लक्षण
पटना	8668	20083	2548	22191	2864	6991
नालंदा	16179	23003	5877	19149	6376	4535
भोजपुर	7770	65027	90	33493	444	0
बक्सर	9621	31784	25	7164	0	0
रोहतास	24345	52459	2279	13850	0	0
कैमूर	8861	15803	966	4214	7	3
गया	0	0	0	0	0	0
जहानाबाद	23167	43522	689	14062	0	1
अरवल	10757	6019	395	5796	0	0
नवादा	32459	6328	2029	9519	3774	13413
औरंगाबाद	489	4624	1664	4286	511	0
सारण	4225	12878	211	3053	0	225
सीवान	51504	94013	2018	12953	372	0
गोपालगंज	55483	58858	608	9479	530	0
पश्चिम चंपारण	2994	30781	1755	9461	0	0
पूर्व चंपारण	0	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	41417	33691	2120	32867	0	0
सीतामढ़ी	16822	35068	1667	16850	166	0
शिवहर	2902	3755	4	10388	0	0
वैशाली	48096	126104	4526	20472	0	0
दरभंगा	8336	39969	160	12616	510	6291
मधुबनी	28251	40683	252	16028	1729	0
समस्तीपुर	63997	79053	222	5437	1101	0
बेगूसराय	48942	48037	541	24114	0	0
मुंगेर	19949	43120	934	8673	0	0
शेखपुरा	2165	2299	114	1503	0	0
लखीसराय	219	1350	0	1407	515	1303
जमुई	95379	90885	1746	3830	0	0
खगड़िया	84813	80212	6	5001	0	0
भागलपुर	43672	13526	0	8477	0	756
बांका	95	483	0	228	0	0
सहरसा	18236	45614	114	2722	0	0
सुपौल	19794	4853	81	5234	1277	3233
मधेपुरा	8397	4003	32	1731	0	0
पूर्णिया	64289	65254	1625	10103	2729	540
किशनगंज	11498	13640	32	2919	487	0
अररिया	2401	21827	478	3526	635	4122
कटिहार	9175	25252	92	5208	293	5732
बिहार	**895367**	**1283860**	**35900**	**368004**	**24320**	**47145**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार (समाप्त)

तालिका प 11.8 : स्वास्थ्य समितियों को वितरित जिलावार धनराशि

(लाख रु.)

जिला	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	4035.69	5293.20	3993.42	5550.03	5503.02
नालंदा	2963.24	3779.53	3237.22	3506.71	3287.11
भोजपुर	2058.36	2648.43	2715.25	2850.60	2238.42
बक्सर	1382.92	1860.02	1762.66	1854.80	2059.53
रोहतास	1932.67	1923.70	2372.06	3293.57	2438.58
कैमूर	1703.82	1860.06	2079.02	2330.84	2284.25
गया	4460.10	4056.57	4118.13	4819.95	5288.70
जहानाबाद	1329.96	1536.25	1173.85	1623.98	1396.33
अरवल	920.83	829.17	915.73	1229.81	978.29
नवादा	1742.69	2048.67	1909.12	2781.61	1957.87
औरंगाबाद	2594.13	2733.26	2288.90	3192.48	3209.76
सारण	2851.63	2650.22	3069.12	4476.20	4552.39
सीवान	2721.04	2537.74	3284.57	3021.85	2881.45
गोपालगंज	2520.83	2409.59	2062.60	3186.89	2059.58
पश्चिम चंपारण	3713.46	3834.59	5111.42	5483.08	4470.79
पूर्व चंपारण	3822.36	5555.89	3414.01	6127.74	4501.48
मुजफ्फरपुर	3444.63	2848.42	3381.03	4200.25	2584.83
सीतामढ़ी	2506.62	2150.80	2620.85	3954.29	2786.69
शिवहर	646.29	779.95	720.14	1045.64	853.35
वैशाली	4011.61	3450.86	3925.29	4979.16	3570.40
दरभंगा	3113.09	2920.53	2466.06	3908.00	4164.87
मधुबनी	3530.15	3091.18	3602.80	4503.06	3482.45
समस्तीपुर	4714.65	3872.80	5684.70	5195.57	5454.49
बेगूसराय	3233.34	3552.20	3236.42	4195.12	4193.30
मुंगेर	1945.43	1513.31	1712.30	1941.40	1771.89
शेखपुरा	814.86	965.65	1141.25	1136.28	1223.32
लखीसराय	1046.17	1188.39	1362.40	1321.27	1471.34
जमुई	1621.89	2450.75	2090.60	2718.46	2421.34
खगड़िया	1754.41	2322.32	1986.11	2481.58	1969.34
भागलपुर	3327.31	3267.48	3729.52	3720.49	3976.07
बांका	2321.64	2594.63	2430.29	2701.92	3206.12
सहरसा	2093.93	1962.26	2409.91	2726.17	1856.54
सुपौल	1858.28	2154.84	2689.32	3063.04	2329.24
मधेपुरा	1951.99	2264.27	1974.33	2718.04	3431.07
पूर्णिया	3393.22	4414.50	3922.66	4776.00	3946.67
किशनगंज	965.72	1405.20	1327.24	2174.46	1347.40
अररिया	1972.30	2726.41	2797.04	3974.42	4121.42
कटिहार	3131.46	2742.98	4096.26	4530.91	3721.89
बिहार	**94152.69**	**100196.61**	**102813.61**	**127295.69**	**112991.58**

टिप्पणी : राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और बिहार चिकित्सा सेवा एवं अधिसंरचना निगम लि. जैसे अपने क्रियान्वयन अभिकरणों के बीच वितरित की गई है लेकिन उक्त तालिका में सिर्फ जिला स्वास्थ्य समिति को किया गया वितरण दर्शाया गया है।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.9 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चापाकलों की जिलावार स्थापना

जिला	लगे चापाकलों की संख्या					छूटे/ पानी की खराब गुणवत्ता वाले टोलों का आच्छादन				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	1553	769	1000	220	98	666	725	373	0	0
नालंदा	998	976	1079	137	182	459	333	36	2	0
भोजपुर	840	514	669	82	4	221	285	244	0	0
बक्सर	341	643	389	30	287	147	217	13	1	0
रोहतास	1185	1011	1066	19	250	227	316	253	1	0
कैमूर	452	578	761	58	302	158	234	91	38	15
गया	2105	1602	1739	148	0	511	449	469	34	46
जहानाबाद	831	185	206	0	186	140	145	87	7	25
अरवल	259	141	196	0	52	81	107	92	13	0
नवादा	726	817	856	19	0	256	309	207	35	19
औरंगाबाद	789	898	994	0	366	202	248	250	37	27
सारण	953	603	771	34	291	591	407	305	15	30
सीवान	1643	693	736	441	300	379	346	337	15	0
गोपालगंज	1165	553	497	74	234	350	275	269	11	0
पश्चिम चंपारण	710	495	871	359	340	295	313	311	3	13
पूर्व चंपारण	1646	746	968	314	375	694	733	492	20	0
मुजफ्फरपुर	2297	550	1179	782	475	153	395	222	5	0
सीतामढ़ी	979	440	1113	140	303	312	402	21	14	23
शिवहर	149	274	106	35	88	121	145	108	0	0
वैशाली	1534	844	255	414	307	427	314	0	0	0
दरभंगा	1160	989	588	339	410	412	398	0	5	0
मधुबनी	1612	750	762	303	610	508	432	167	0	0
समस्तीपुर	931	1052	937	237	431	157	398	336	96	0
बेगूसराय	810	564	695	54	4	564	383	58	0	0
मुंगेर	253	588	453	78	376	223	249	301	38	25
शेखपुरा	189	239	230	0	86	146	50	0	0	0
लखीसराय	828	462	485	12	133	409	243	174	122	0
जमुई	444	819	700	51	306	334	246	250	43	23
खगड़िया	416	303	273	32	129	119	28	14	56	0
भागलपुर	735	1159	1346	84	430	523	522	223	2	0
बांका	472	674	1132	112	360	418	481	281	0	0
सहरसा	713	413	232	69	168	311	418	311	101	0
सुपौल	741	442	458	552	91	700	492	358	163	0
मधेपुरा	788	484	551	13	50	292	263	132	72	NA
पूर्णिया	1396	871	575	509	246	320	320	9	57	20
किशनगंज	680	554	437	252	126	410	133	84	90	0
अररिया	567	516	480	170	218	377	281	71	132	0
कटिहार	399	76	906	200	285	174	201	240	61	0
बिहार	**34289**	**24287**	**26691**	**6373**	**8899**	**12787**	**12236**	**7189**	**1289**	**266**

टिप्पणी : एक समय ''पूर्णत: आच्छादित'' रहा कोई टोला जो ''आंशिक आच्छादित'' या ''प्रभावित गुणवत्ता वाला हो।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.10 : केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि

जिला	जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		
		कुल (बीपीएल और बीपीएल)			बीपीएल	बीपीएल	बीपीएल+बीपीएल
पटना	5.6	4323 (2.6)	22660 (5.3)	29880 (3.4)	48197	46565	94762 (2.8)
नालंदा	2.8	5716 (3.5)	15348 (3.6)	35767 (4.1)	94350	39371	133721 (3.9)
भोजपुर	2.6	4421 (2.7)	8348 (2.0)	38664 (4.4)	35995	17032	53027 (1.5)
बक्सर	1.6	1909 (1.2)	7354 (1.7)	36666 (4.2)	37760	29423	67183 (2.0)
रोहतास	2.9	2271 (1.4)	9159 (2.1)	37384 (4.3)	143551	79736	223287 (6.5)
कैमूर	1.6	4814 (2.9)	7103 (1.7)	24796 (2.8)	91600	25933	117533 (3.4)
गया	4.2	4151 (2.5)	21122 (4.9)	30013 (3.4)	31998	51654	83652 (2.4)
जहानाबाद	1.1	4356 (2.6)	7485 (1.8)	10681 (1.2)	9598	11777	21375 (0.6)
अरवल	0.7	1113 (0.7)	2800 (0.7)	5485 (0.6)	6386	3989	10375 (0.3)
नवादा	2.1	11559 (7.0)	7836 (1.8)	19731 (2.3)	50300	26791	77091 (2.2)
औरंगाबाद	2.4	1474 (0.9)	4514 (1.1)	10276 (1.2)	32093	31547	63640 (1.9)
सारण	3.8	3803 (2.3)	14967 (3.5)	10943 (1.3)	43232	44152	87384 (2.5)
सीवान	3.2	2509 (1.5)	10365 (2.4)	17634 (2)	18666	49296	67962 (2.0)
गोपालगंज	2.5	1805 (1.1)	14065 (3.3)	19447 (2.2)	27872	61616	89488 (2.6)
पश्चिम चंपारण	3.8	7507 (4.5)	12198 (2.9)	26962 (3.1)	86103	44880	130983 (3.8)
पूर्व चंपारण	4.9	4689 (2.8)	11162 (2.6)	38986 (4.5)	188239	68829	257068 (7.5)
मुजफ्फरपुर	4.6	7407 (4.5)	26183 (6.1)	16415 (1.9)	29216	150799	180015 (5.2)
सीतामढ़ी	3.3	5580 (3.4)	14125 (3.3)	50056 (5.7)	215910	22516	238426 (6.9)
शिवहर	0.6	3196 (1.9)	13252 (3.1)	13771 (1.6)	8106	7312	15418 (0.4)
वैशाली	3.4	5709 (3.5)	12292 (2.9)	23337 (2.7)	40242	21414	61656 (1.8)
दरभंगा	3.8	5556 (3.4)	19289 (4.5)	42694 (4.9)	67545	43470	111015 (3.2)
मधुबनी	4.3	8808 (5.3)	9897 (2.3)	13630 (1.6)	129001	40772	169773 (4.9)
समस्तीपुर	4.1	5582 (3.4)	20551 (4.8)	22800 (2.6)	38568	30015	68583 (2)
बेगूसराय	2.8	5762 (3.5)	8155 (1.9)	14435 (1.7)	36972	23301	60273 (1.8)
मुंगेर	1.3	2364 (1.4)	10526 (2.5)	29212 (3.3)	61772	14001	75773 (2.2)
शेखपुरा	0.6	1445 (0.9)	5356 (1.3)	14376 (1.6)	19487	23780	43267 (1.3)
लखीसराय	1.0	2083 (1.3)	6520 (1.5)	5786 (0.7)	30644	127	30771 (0.9)
जमुई	1.7	2126 (1.3)	6712 (1.6)	13846 (1.6)	42654	13323	55977 (1.6)
खगड़िया	1.6	1928 (1.2)	6159 (1.4)	26155 (3)	25357	35104	60461 (1.8)
भागलपुर	2.9	5274 (3.2)	11372 (2.7)	24249 (2.8)	42635	15863	58498 (1.7)
बांका	2.0	6117 (3.7)	10814 (2.5)	21268 (2.4)	27890	32293	60183 (1.8)
सहरसा	1.8	7517 (4.5)	6990 (1.6)	13247 (1.5)	37096	19515	56611 (1.6)
सुपौल	2.1	2355 (1.4)	7696 (1.8)	9424 (1.1)	98983	21162	120145 (3.5)
मधेपुरा	1.9	1377 (0.8)	10699 (2.5)	14987 (1.7)	43985	15361	59346 (1.7)
पूर्णिया	3.2	11638 (7)	7151 (1.7)	35694 (4.1)	63919	37085	101004 (2.9)
किशनगंज	1.6	1554 (0.9)	12335 (2.9)	9105 (1)	48789	2200	50989 (1.5)
अररिया	2.7	1701 (1)	13241 (3.1)	27267 (3.1)	92799	8232	101031 (2.9)
कटिहार	3.0	3958 (2.4)	11233 (2.6)	37263 (4.3)	40429	36390	76819 (2.2)
बिहार	**100**	**165457 (100)**	**427034 (100)**	**872332 (100)**	**2187939**	**1246626**	**3434565 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में लिखे आंकड़े बिहार का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.11 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी)

(लाख)

जिला	2015-16			2016-17		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	7.31	3.11	10.42	7.32	3.12	10.44
नालंदा	5.65	2.79	8.44	5.97	2.79	8.76
भोजपुर	3.90	1.68	5.58	3.76	1.70	5.46
बक्सर	3.90	1.75	5.65	3.90	1.75	5.65
रोहतास	3.30	1.13	4.43	3.35	1.16	4.51
कैमूर	2.33	1.27	3.60	2.22	1.37	3.59
गया	6.13	2.95	9.08	6.05	2.80	8.86
जहानाबाद	1.55	0.71	2.26	1.28	0.68	1.95
अरवल	1.09	0.53	1.62	1.11	0.54	1.65
नवादा	3.45	1.55	5.00	3.41	1.56	4.97
औरंगाबाद	3.87	1.95	5.82	3.71	2.06	5.77
सारण	5.70	2.87	8.57	5.51	2.90	8.41
सीवान	4.49	2.36	6.85	4.49	2.36	6.85
गोपालगंज	4.08	1.91	5.99	4.38	1.91	6.29
पश्चिम चंपारण	7.08	2.38	9.46	7.08	2.38	9.46
पूर्व चंपारण	8.78	3.51	12.29	8.78	3.51	12.29
मुजफ्फरपुर	9.94	4.90	14.83	9.92	4.92	14.84
सीतामढ़ी	5.30	1.84	7.14	5.30	1.84	7.14
शिवहर	0.92	0.26	1.18	0.97	0.24	1.21
वैशाली	5.16	1.75	6.91	3.97	2.54	6.51
दरभंगा	5.47	2.29	7.76	5.48	2.30	7.79
मधुबनी	6.85	1.89	8.74	7.40	1.81	9.21
समस्तीपुर	6.27	2.66	8.93	6.31	2.67	8.98
बेगूसराय	6.90	3.15	10.05	6.72	3.15	9.87
मुंगेर	1.89	0.76	2.65	1.89	0.76	2.65
शेखपुरा	0.95	0.40	1.36	0.98	0.43	1.41
लखीसराय	1.65	0.74	2.39	1.58	0.74	2.32
जमुई	3.16	1.22	4.38	3.19	1.23	4.43
खगड़िया	2.74	1.17	3.90	2.63	1.15	3.78
भागलपुर	4.12	1.80	5.93	4.12	1.80	5.93
बांका	3.27	1.43	4.70	2.94	1.38	4.32
सहरसा	3.27	1.29	4.56	3.35	1.31	4.67
सुपौल	4.25	1.09	5.34	3.63	1.43	5.06
मधेपुरा	3.57	1.82	5.39	3.57	1.82	5.39
पूर्णिया	4.85	2.37	7.22	5.29	2.37	7.66
किशनगंज	1.94	1.92	3.86	2.10	1.37	3.47
अररिया	2.76	2.74	5.50	2.92	2.79	5.71
कटिहार	5.51	2.37	7.89	5.72	2.70	8.42
बिहार	**163.36**	**72.32**	**235.68**	**162.32**	**73.33**	**235.64**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.12 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा)

(लाख)

जिला	2015-16			2016-17		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	1.25	0.67	1.92	1.31	0.67	1.98
नालंदा	1.85	0.85	2.70	1.85	0.85	2.70
भोजपुर	0.73	0.36	1.09	0.69	0.39	1.08
बक्सर	0.46	0.22	0.69	0.46	0.22	0.69
रोहतास	0.47	0.12	0.60	0.48	0.13	0.61
कैमूर	0.64	0.35	0.99	0.61	0.38	0.99
गया	2.38	0.97	3.35	2.34	0.93	3.28
जहानाबाद	0.38	0.16	0.53	0.29	0.13	0.43
अरवल	0.17	0.08	0.25	0.18	0.09	0.26
नवादा	0.97	0.33	1.31	1.09	0.43	1.53
औरंगाबाद	1.24	0.58	1.82	1.18	0.58	1.77
सारण	0.92	0.41	1.33	0.87	0.41	1.29
सीवान	0.63	0.33	0.96	0.63	0.33	0.96
गोपालगंज	0.67	0.28	0.96	0.67	0.28	0.96
पश्चिम चंपारण	1.20	0.37	1.57	1.20	0.37	1.57
पूर्व चंपारण	1.35	0.47	1.81	1.35	0.47	1.81
मुजफ्फरपुर	1.65	0.79	2.44	1.65	0.79	2.44
सीतामढ़ी	0.53	0.18	0.71	0.53	0.18	0.71
शिवहर	0.18	0.05	0.23	0.17	0.04	0.21
वैशाली	1.28	0.36	1.65	1.20	0.68	1.88
दरभंगा	1.14	0.41	1.56	1.17	0.50	1.67
मधुबनी	1.23	0.23	1.46	1.21	0.22	1.43
समस्तीपुर	1.32	0.49	1.80	1.32	0.49	1.81
बेगूसराय	0.91	0.36	1.27	1.00	0.45	1.45
मुंगेर	0.38	0.12	0.51	0.38	0.12	0.51
शेखपुरा	0.17	0.05	0.22	0.22	0.08	0.30
लखीसराय	0.31	0.13	0.44	0.29	0.14	0.42
जमुई	0.59	0.22	0.81	0.59	0.22	0.81
खगड़िया	0.57	0.19	0.76	0.61	0.20	0.81
भागलपुर	0.54	0.26	0.80	0.54	0.26	0.80
बांका	0.45	0.21	0.66	0.47	0.22	0.69
सहरसा	0.74	0.23	0.97	0.74	0.24	0.98
सुपौल	0.71	0.11	0.82	0.71	0.11	0.82
मधेपुरा	0.58	0.37	0.95	0.58	0.37	0.95
पूर्णिया	0.71	0.35	1.06	0.71	0.35	1.06
किशनगंज	0.18	0.07	0.24	0.19	0.06	0.25
अररिया	0.26	0.20	0.46	0.27	0.20	0.47
कटिहार	1.05	0.45	1.49	1.09	0.46	1.55
बिहार	**30.81**	**12.39**	**43.2**	**30.88**	**13.06**	**43.94**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.13 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा)

(लाख)

जिला	2015-16			2016-17		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	0.04	0.00	0.05	0.04	0.00	0.05
नालंदा	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
भोजपुर	0.05	0.02	0.06	0.04	0.02	0.06
बक्सर	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.04
रोहतास	0.04	0.02	0.05	0.04	0.02	0.06
कैमूर	0.12	0.04	0.16	0.11	0.04	0.16
गया	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02
जहानाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अरवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नवादा	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.03
औरंगाबाद	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02
सारण	0.10	0.05	0.15	0.10	0.05	0.15
सीवान	0.18	0.09	0.27	0.18	0.09	0.27
गोपालगंज	0.16	0.08	0.23	0.16	0.08	0.23
पश्चिम चंपारण	0.54	0.21	0.76	0.54	0.21	0.76
पूर्व चंपारण	0.05	0.01	0.06	0.05	0.01	0.06
मुजफ्फरपुर	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
सीतामढ़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शिवहर	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02
वैशाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दरभंगा	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
मधुबनी	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
समस्तीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बेगूसराय	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
मुंगेर	0.06	0.01	0.07	0.06	0.01	0.07
शेखपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लखीसराय	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
जमुई	0.22	0.07	0.29	0.22	0.07	0.29
खगड़िया	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
भागलपुर	0.13	0.06	0.19	0.13	0.06	0.19
बांका	0.19	0.06	0.25	0.15	0.06	0.21
सहरसा	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
सुपौल	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03
मधेपुरा	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.08
पूर्णिया	0.33	0.16	0.49	0.33	0.16	0.49
किशनगंज	0.10	0.06	0.15	0.10	0.05	0.16
अररिया	0.19	0.14	0.33	0.19	0.13	0.33
कटिहार	0.54	0.18	0.72	0.57	0.19	0.75
बिहार	**3.30**	**1.36**	**4.69**	**3.28**	**1.36**	**4.70**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.14 क : बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या

जिला	2015-16			2016-17		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	2189	1176	3365	2190	1176	3366
नालंदा	1368	803	2171	1368	803	2171
भोजपुर	1208	840	2048	1210	840	2050
बक्सर	772	472	1244	789	512	1301
रोहतास	1324	556	1880	1324	556	1880
कैमूर	614	625	1239	649	625	1274
गया	1703	1411	3114	1702	1413	3115
जहानाबाद	557	358	915	557	359	916
अरवल	333	193	526	333	193	526
नवादा	996	697	1693	910	698	1608
औरंगाबाद	961	960	1921	961	960	1921
सारण	1555	1156	2711	1575	1152	2727
सीवान	1300	1130	2430	1311	1188	2499
गोपालगंज	1140	811	1951	1140	811	1951
पश्चिम चंपारण	1694	1092	2786	1694	1092	2786
पूर्व चंपारण	1962	1427	3389	2059	1427	3486
मुजफ्फरपुर	1790	1569	3359	1790	1569	3359
सीतामढ़ी	1204	867	2071	1204	867	2071
शिवहर	233	184	417	233	184	417
वैशाली	1085	951	2036	1087	953	2040
दरभंगा	1512	909	2421	1512	909	2421
मधुबनी	1962	1005	2967	1962	1005	2967
समस्तीपुर	1740	1041	2781	1708	1033	2741
बेगूसराय	851	767	1618	867	952	1819
मुंगेर	639	489	1128	639	489	1128
शेखपुरा	293	287	580	294	287	581
लखीसराय	486	291	777	486	291	777
जमुई	856	848	1704	856	848	1704
खगड़िया	538	515	1053	538	515	1053
भागलपुर	961	841	1802	961	841	1802
बांका	1228	887	2115	1250	885	2135
सहरसा	767	531	1298	767	531	1298
सुपौल	1111	707	1818	1111	713	1824
मधेपुरा	903	744	1647	959	744	1703
पूर्णिया	1484	958	2442	1484	958	2442
किशनगंज	823	487	1310	823	496	1319
अररिया	1327	562	1889	1327	562	1889
कटिहार	1195	719	1914	1195	719	1914
बिहार	**42664**	**29866**	**72530**	**42825**	**30156**	**72981**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.14 ख : बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जिलावार संख्या (2016-17)

जिला	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	9237	11246	20483
नालंदा	4948	9678	14626
भोजपुर	4401	6580	10981
बक्सर	3581	3650	7231
रोहतास	3466	2733	6199
कैमूर	2218	4079	6297
गया	5856	8346	14202
जहानाबाद	1884	3266	5150
अरवल	2313	914	3227
नवादा	7131	6931	14062
औरंगाबाद	4228	5608	9836
सारण	6019	10061	16080
सीवान	5808	11020	16828
गोपालगंज	4391	6810	11201
पश्चिम चंपारण	5779	7738	13517
पूर्व चंपारण	7113	11470	18583
मुजफ्फरपुर	5995	11203	17198
सीतामढ़ी	3659	7615	11274
शिवहर	654	1644	2298
वैशाली	3870	8328	12198
दरभंगा	5595	7377	12972
मधुबनी	6825	7903	14728
समस्तीपुर	5500	7920	13420
बेगूसराय	11764	2110	13874
मुंगेर	1705	2948	4653
शेखपुरा	699	1565	2264
लखीसराय	1882	2598	4480
जमुई	5872	2453	8325
खगड़िया	1740	4141	5881
भागलपुर	4460	6371	10831
बांका	2859	4555	7414
सहरसा	2861	5540	8401
सुपौल	6688	2013	8701
मधेपुरा	2602	5731	8333
पूर्णिया	5071	5841	10912
किशनगंज	3763	2521	6284
अररिया	7226	2099	9325
कटिहार	4519	7717	12236
बिहार	**174182**	**220323**	**394505**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.15 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)

जिला	2015-16			2016-17			2017-18		
	कुल नामांकन (लाख)	रोजमध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	5.28	4.16	78.80	5.25	3.56	67.77	4.71	3.02	64.12
नालंदा	3.55	2.32	65.44	3.44	2.08	60.34	3.05	1.94	63.61
भोजपुर	3.34	2.21	66.25	3.21	2.03	63.09	2.87	1.73	60.28
बक्सर	2.39	1.63	68.12	2.20	1.38	62.74	1.81	1.20	66.30
रोहतास	3.67	2.55	69.37	3.54	2.23	62.92	3.23	2.01	62.23
कैमूर	2.31	1.59	68.68	2.11	1.36	64.73	1.80	1.23	68.33
गया	5.94	3.89	65.49	5.71	3.42	59.87	5.23	3.04	58.13
जहानाबाद	1.51	1.00	65.93	1.24	0.83	67.00	1.19	0.71	59.66
अरवल	0.99	0.65	65.11	0.94	0.57	61.12	0.88	0.50	56.82
नवादा	3.34	2.13	63.96	3.25	1.97	60.63	2.72	1.70	62.50
औरंगाबाद	3.65	2.34	64.17	3.44	2.17	63.06	3.17	1.98	62.46
सारण	5.37	3.89	72.41	5.22	3.59	68.78	5.02	3.21	63.94
सीवान	3.93	2.83	72.07	3.57	2.44	68.32	3.03	2.05	67.66
गोपालगंज	3.45	2.46	71.31	3.36	2.24	66.55	2.82	1.88	66.67
पश्चिम चंपारण	6.04	4.63	76.74	5.86	4.33	73.90	5.15	3.64	70.68
पूर्व चंपारण	7.80	5.38	68.98	7.72	5.03	65.18	7.27	4.69	64.51
मुजफ्फरपुर	6.39	4.35	68.02	6.10	3.94	64.52	5.43	3.48	64.09
सीतामढ़ी	5.44	4.02	74.00	5.56	3.48	62.51	5.14	3.00	58.37
शिवहर	0.99	0.76	76.33	1.11	0.73	65.46	1.09	0.69	63.30
वैशाली	4.21	2.47	58.51	4.11	2.29	55.63	3.63	2.05	56.47
दरभंगा	5.15	3.74	72.77	5.12	3.38	66.01	4.74	3.10	65.40
मधुबनी	6.47	4.78	73.90	6.77	4.51	66.68	6.43	4.02	62.52
समस्तीपुर	5.68	3.92	69.06	5.46	3.49	63.82	4.68	3.02	64.53
बेगूसराय	4.07	3.02	74.11	3.94	2.65	67.19	3.21	2.21	68.85
मुंगेर	1.77	1.14	64.55	1.71	1.04	60.85	1.47	0.92	62.59
शेखपुरा	0.97	0.67	69.12	0.92	0.54	58.03	0.74	0.47	63.51
लखीसराय	1.50	1.10	73.60	1.51	0.98	64.95	1.28	0.83	64.84
जमुई	2.99	2.06	69.11	2.92	1.85	63.38	2.61	1.67	63.98
खगड़िया	2.59	1.88	72.55	2.65	1.60	60.45	2.31	1.47	63.64
भागलपुर	3.99	2.88	72.29	4.02	2.50	62.31	3.56	2.27	63.76
बांका	2.76	1.86	67.55	2.69	1.65	61.28	2.28	1.48	64.91
सहरसा	3.21	2.05	63.84	3.23	1.92	59.42	2.84	1.68	59.15
सुपौल	3.25	2.15	66.08	3.26	2.01	61.74	2.93	1.80	61.43
मधेपुरा	3.40	2.14	63.06	3.29	1.94	59.08	2.76	1.74	63.04
पूर्णिया	5.19	3.19	61.39	5.30	2.91	54.87	4.70	2.74	58.30
किशनगंज	2.97	1.82	61.46	2.81	1.76	62.45	2.39	1.48	61.92
अररिया	4.38	2.72	61.96	4.44	2.54	57.29	3.94	2.32	58.88
कटिहार	4.77	2.89	60.67	4.74	2.79	58.91	4.45	2.58	57.98
बिहार	**144.68**	**99.28**	**68.62**	**141.70**	**89.70**	**63.30**	**126.59**	**79.55**	**62.86**

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 11.16 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)

जिला	2015-16			2016-17			2017-18		
	कुल नामांकन (लाख)	रोजमध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	2.38	1.79	75.27	2.63	1.57	59.81	2.50	1.45	58.0
नालंदा	1.56	1.06	68.38	1.61	0.98	60.76	1.52	0.93	61.2
भोजपुर	1.62	0.99	61.28	1.71	0.95	55.28	1.63	0.87	53.4
बक्सर	1.24	0.76	61.31	1.19	0.70	58.50	1.07	0.65	60.7
रोहतास	1.96	1.21	61.46	1.99	1.12	56.53	1.91	1.09	57.1
कैमूर	1.18	0.74	62.21	1.21	0.69	57.41	1.10	0.68	61.8
गया	2.46	1.46	59.34	2.56	1.35	52.95	2.45	1.26	51.4
जहानाबाद	0.72	0.46	63.47	0.69	0.38	55.78	0.67	0.34	50.7
अरवल	0.54	0.29	52.60	0.56	0.27	48.13	0.53	0.24	45.3
नवादा	1.35	0.79	58.74	1.48	0.77	52.02	1.37	0.79	57.7
औरंगाबाद	1.72	1.15	66.88	1.85	1.12	60.23	1.84	1.13	61.4
सारण	2.56	1.76	68.57	2.74	1.73	63.15	2.73	1.71	62.6
सीवान	2.00	1.42	71.30	2.03	1.26	61.78	1.85	1.17	63.2
गोपालगंज	1.66	1.12	67.45	1.66	1.03	62.31	1.49	0.95	63.8
पश्चिम चंपारण	2.04	1.42	69.49	2.13	1.42	66.89	2.05	1.30	63.4
पूर्व चंपारण	3.17	2.09	65.98	3.30	2.04	61.70	3.36	2.01	59.8
मुजफ्फरपुर	3.08	1.90	61.57	3.15	1.85	58.76	3.00	1.74	58.0
सीतामढ़ी	1.97	1.46	74.07	2.39	1.40	58.76	2.40	1.41	58.8
शिवहर	0.32	0.27	85.99	0.44	0.30	67.35	0.47	0.31	66.0
वैशाली	2.08	1.16	55.74	2.13	1.09	51.28	2.02	1.06	52.5
दरभंगा	2.03	1.32	65.04	2.27	1.37	60.28	2.31	1.40	60.6
मधुबनी	2.94	2.02	68.79	3.30	1.99	60.22	3.23	1.82	56.3
समस्तीपुर	2.79	1.69	60.56	2.85	1.60	56.00	2.69	1.48	55.0
बेगूसराय	1.93	1.30	67.32	2.04	1.22	59.90	1.74	1.14	65.5
मुंगेर	0.88	0.52	59.11	0.89	0.50	56.16	0.82	0.48	58.5
शेखपुरा	0.42	0.25	61.18	0.44	0.22	49.20	0.39	0.25	64.1
लखीसराय	0.66	0.41	62.85	0.69	0.39	55.81	0.65	0.35	53.8
जमुई	1.08	0.74	68.32	1.19	0.70	59.14	1.20	0.72	60.0
खगड़िया	1.09	0.73	67.01	1.19	0.62	51.96	1.04	0.59	56.7
भागलपुर	1.76	1.29	73.37	1.94	1.13	57.90	1.81	1.10	60.8
बांका	1.22	0.77	63.28	1.30	0.72	55.85	1.20	0.72	60.0
सहरसा	1.23	0.67	54.35	1.27	0.63	49.56	1.13	0.65	57.5
सुपौल	1.42	0.79	55.42	1.43	0.71	49.82	1.31	0.69	52.7
मधेपुरा	1.45	0.90	62.01	1.57	0.81	51.58	1.23	0.70	56.9
पूर्णिया	1.77	0.98	55.23	1.97	0.95	48.28	1.85	0.92	49.7
किशनगंज	0.97	0.57	58.56	1.06	0.56	52.99	1.05	0.55	52.4
अररिया	1.42	0.75	52.60	1.44	0.68	47.18	1.31	0.66	50.4
कटिहार	1.99	1.02	51.55	2.01	0.99	49.56	1.93	0.96	49.7
बिहार	**62.67**	**40**	**63.87**	**66.27**	**37.80**	**57.04**	**62.84**	**36.24**	**57.7**

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 11.17 : बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या

जिला	संबद्ध	अंगीभूत	संबद्ध	अंगीभूत	संबद्ध	अंगीभूत	संबद्ध	अंगीभूत
	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
पटना	72	39	84	37	86	37	70	38
नालंदा	23	6	25	6	26	6	24	6
भोजपुर	21	6	21	6	21	6	22	6
बक्सर	11	5	12	5	14	5	14	5
रोहतास	29	8	29	8	32	8	34	8
कैमूर	8	2	13	2	15	2	15	2
गया	25	7	28	7	27	7	32	7
जहानाबाद	7	3	7	3	7	3	9	3
अरवल	3	1	3	1	3	1	3	1
नवादा	5	4	6	4	6	4	9	4
औरंगाबाद	9	5	13	5	13	5	10	5
सारण	6	12	9	12	9	12	13	12
सीवान	6	7	7	7	7	7	13	7
गोपालगंज	1	5	3	5	4	5	7	5
पश्चिम चंपारण	8	4	8	3	8	3	7	3
पूर्व चंपारण	2	7	2	8	3	8	5	8
मुजफ्फरपुर	13	19	13	19	13	19	18	19
सीतामढ़ी	5	6	5	6	5	6	8	6
शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0
वैशाली	12	7	12	7	12	7	17	7
दरभंगा	27	22	28	22	27	22	28	22
मधुबनी	19	18	20	18	19	18	20	18
समस्तीपुर	15	15	18	15	18	15	19	15
बेगूसराय	6	6	7	6	8	6	10	6
मुंगेर	2	7	2	7	2	7	2	7
शेखपुरा	3	2	3	2	3	2	2	2
लखीसराय	3	2	3	2	3	2	0	2
जमुई	3	2	4	2	3	2	2	2
खगड़िया	1	5	1	5	1	5	3	5
भागलपुर	13	13	13	13	13	13	13	13
बांका	9	2	11	2	11	2	11	2
सहरसा	5	9	7	9	6	9	6	9
सुपौल	4	3	5	3	5	3	6	3
मधेपुरा	8	5	10	5	11	5	10	5
पूर्णिया	10	6	12	6	12	6	11	6
किशनगंज	5	2	6	2	6	2	5	2
अररिया	8	2	8	2	8	2	7	2
कटिहार	9	4	10	4	11	4	11	4
बिहार	**416**	**278**	**468**	**276**	**478**	**276**	**496**	**277**

टिप्पणी : संख्या सूचना देने वाले महाविद्यालयों से संबंधित है।

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.18 : बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार और धारावार संख्या (2017-18 तक)

जिला	कला, ललित कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और वाणिज्य	अभियंत्रण	चिकित्सा (दंत चिकित्सा सहित)	बी.एड.	विधि	अन्य	सभी महाविद्यालय
पटना	58	4	5	25	3	13	108
नालंदा	17	2	1	10	0	0	30
भोजपुर	11	0	0	6	1	10	28
बक्सर	10	1	0	2	1	5	19
रोहतास	32	0	1	4	1	4	42
कैमूर	6	0	0	3	0	8	17
गया	21	2	1	15	0	0	39
जहानाबाद	9	0	0	3	0	0	12
अरवल	4	0	0	0	0	0	4
नवादा	9	0	0	1	1	2	13
औरंगाबाद	9	1	0	5	0	0	15
सारण	15	1	0	4	0	5	25
सीवान	10	1	0	2	0	7	20
गोपालगंज	5	0	0	0	0	7	12
पश्चिम चंपारण	7	0	1	1	0	1	10
पूर्व चंपारण	8	1	0	1	0	3	13
मुजफ्फरपुर	18	1	1	5	1	11	37
सीतामढ़ी	9	1	0	2	0	2	14
शिवहर	0	0	0	0	0	0	0
वैशाली	8	1	0	7	0	8	24
दरभंगा	19	2	4	5	1	19	50
मधुबनी	17	0	0	5	0	16	38
समस्तीपुर	13	1	0	5	1	14	34
बेगूसराय	6	0	0	4	1	5	16
मुंगेर	7	0	0	0	1	1	9
शेखपुरा	3	0	0	1	0	0	4
लखीसराय	2	0	0	0	0	0	2
जमुई	3	0	0	1	0	0	4
खगड़िया	4	0	0	1	0	3	8
भागलपुर	15	2	1	5	1	2	26
बांका	6	1	0	3	0	3	13
सहरसा	7	0	1	2	1	4	15
सुपौल	6	0	0	1	0	2	9
मधेपुरा	11	0	0	1	1	2	15
पूर्णिया	8	2	0	2	1	4	17
किशनगंज	4	2	1	0	0	0	7
अररिया	8	1	0	0	0	0	9
कटिहार	9	1	1	2	1	1	15
बिहार	**414**	**28**	**18**	**134**	**17**	**162**	**773**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.19 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण

अजा और अजजा को दिए गए वजीफे										
जिला	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)					भौतिक उपलब्धि (संख्या)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	4532.66	4040.18	6288.53	5606.15	498.00	148862	182127	353112	161934	2232
नालंदा	2389.27	1393.52	3867.64	2454.71	110.00	116774	96390	241639	119182	3510
भोजपुर	1641.32	1400.76	2329.21	2056.51	322.00	99951	115836	138589	80336	2284
बक्सर	1627.11	1532.28	3517.47	2530.08	72.00	64099	70768	104548	60321	510
रोहतास	2178.79	1595.22	2789.25	2042.85	148.75	107420	105921	176389	135015	3655
कैमूर	1887.87	1480.98	3458.58	2364.90	143.5	101664	137744	134154	64970	4756
गया	5322.76	5284.95	7383.64	6077.97	513.00	272195	297678	298406	218571	7527
जहानाबाद	1083.65	902.63	1242.55	1031.15	120.00	47356	49412	86580	31681	1071
अरवल	407.21	385.22	676.90	540.77	100.00	31648	32749	44447	27779	803
नवादा	2339.27	1899.83	3088.79	2204.39	167.00	147041	171139	182358	117656	2296
औरंगाबाद	3710.27	2866.03	4119.38	2431.86	132.00	278442	188192	343595	11875	3922
सारण	2467.65	2412.18	3134.95	2146.85	283.00	149887	150120	169811	131618	2428
सीवान	1889.68	1496.44	2846.95	1852.09	262.00	82920	98517	131152	86307	970
गोपालगंज	1606.80	1332.89	2318.68	1616.01	152.00	140309	83281	139879	75848	397
पश्चिम चंपारण	2258.56	2337.36	4148.48	3115.43	245.00	190880	194422	352634	144010	1080
पूर्व चंपारण	1391.37	1541.70	3707.72	2151.82	130.00	99675	126757	200179	155941	1839
मुजफ्फरपुर	2579.10	2328.77	3236.49	2405.99	506.00	146146	162902	228635	159647	2395
सीतामढ़ी	1313.85	913.81	1762.81	1433.31	100.00	101304	88994	118889	97182	2184
शिवहर	223.7	221.75	483.34	361.25	20.00	22308	21159	33184	26708	259
वैशाली	1734.01	1663.48	3128.83	2054.08	350.00	127227	127518	214769	136112	614
दरभंगा	1816.37	1692.10	2861.23	2388.83	130.00	128519	147633	193989	123727	4950
मधुबनी	1714.09	1639.36	3630.77	2491.97	402.00	138976	137860	347358	180184	4020
समस्तीपुर	1844.19	1299.34	3394.39	1963.26	185.00	137162	94595	266856	140842	3148
बेगूसराय	1232.65	911.11	2395.85	1721.89	120.00	89955	77833	165596	103188	4064
मुंगेर	1023.41	819.35	1123.49	1068.54	71.00	44717	47654	58647	39984	697
शेखपुरा	508.78	430.53	701.17	723.45	60.00	24901	29088	42305	15916	770
लखीसराय	589.84	491.24	1008.60	884.49	69.00	42094	42650	62989	28176	514
जमुई	896.71	933.19	1825.73	1510.17	112.00	76960	71190	165183	75500	583
खगड़िया	608.49	584.86	1093.15	940.90	75.00	38889	56261	56225	36518	462
भागलपुर	1781.79	2048.21	3923.21	3093.34	206.00	86185	123368	205590	82176	1205
बांका	969.898	1095.69	2661.83	1816.58	97.00	63146	59010	89360	57199	663
सहरसा	664.61	599.09	1615.90	1203.22	83.00	62826	56603	119942	62555	539
सुपौल	989.74	882.20	1851.84	1491.34	52.00	69038	66261	103911	64137	282
मधेपुरा	1009.12	692.12	1255.75	771.80	154.0	65158	41371	68625	40097	287
पूर्णिया	1355.04	1490.53	2851.83	2140.30	190.00	93659	95158	273269	114546	908
किशनगंज	388.93	663.51	769.12	701.66	72.00	25069	34716	74782	27124	177
अररिया	617.89	478.42	1586.47	1133.88	72.00	55376	44241	90281	30892	357
कटिहार	945.46	905.04	1667.43	1357.21	129.00	72874	61559	149772	42392	1173
मुख्यालय	103.43	6871.81				142	17149			
बिहार	**61645.34**	**61557.68**	**99747.95**	**73881.00**	**6653.25**	**3791754**	**3805826**	**6227629**	**3307864**	**69831**

टिप्पणी : 2017-18 में सिर्फ प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के आंकड़े दिए गए हैं।

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 11.19 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण (जारी)

जिला	आवासीय विद्यालयों का रखरखाव (अजा)						छात्रावासों का रखरखाव (अजा)		
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)			भौतिक उपलब्धि (संख्या)			आबंटित रकम (लाख रु.)		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
पटना	455.21	455.11	458.31	616	616	570	142.57	91.34	72.54
नालंदा	348.31	349.20	345.65	788	796	796	16.22	14.70	25.65
भोजपुर	401.45	390.61	337.88	777	772	689	35.46	28.28	34.50
बक्सर	248.63	202.08	164.28	356	316	318	18.73	11.26	9.38
रोहतास	326.11	363.00	307.69	781	774	783	33.88	50.58	33.14
कैमूर	374.61	341.12	299.87	534	570	570	30.50	65.25	27.64
गया	1334.55	1315.60	1395.22	3207	3103	3206	26.91	36.58	24.55
जहानाबाद	170.01	181.69	139.43	449	449	325	10.72	11.25	8.57
अरवल	114.92	144.84	152.61	366	366	347	0.00	0.00	0.00
नवादा	449.97	446.56	447.23	985	1000	1000	22.13	23.44	13.77
औरंगाबाद	91.00	145.43	168.96	292	318	367	7.26	11.25	8.57
सारण	183.01	168.51	135.10	390	287	276	18.93	18.12	37.91
सीवान	114.42	129.33	115.87	228	210	248	30.56	46.20	44.73
गोपालगंज	219.11	167.55	177.26	339	348	382	19.53	30.31	26.18
पश्चिम चंपारण	274.36	304.10	337.74	592	651	646	22.02	44.40	27.15
पूर्व चंपारण	124.66	162.06	132.37	313	324	335	34.86	35.75	28.08
मुजफ्फरपुर	474.41	530.49	791.10	1062	1046	1146	37.41	44.99	55.43
सीतामढ़ी	166.72	153.06	259.02	400	400	400	30.45	38.14	28.30
शिवहर	75.61	131.35	194.96	76	200	266	6.59	4.38	2.60
वैशाली	252.69	195.81	144.76	375	344	288	13.21	6.88	8.32
दरभंगा	100.34	130.27	131.96	118	259	281	41.56	59.49	32.43
मधुबनी	482.94	490.65	473.21	1020	1032	1032	13.51	11.28	8.57
समस्तीपुर	288.31	299.93	227.91	684	684	751	17.91	27.82	19.35
बेगूसराय	196.33	153.88	161.48	337	337	364	2.23	4.38	2.60
मुंगेर	119.58	148.54	199.51	319	319	320	14.74	23.50	15.67
शेखपुरा	89.42	118.41	116.49	237	237	214	1.60	4.38	2.60
लखीसराय	119.42	79.54	131.37	210	217	305	6.90	7.81	5.58
जमुई	84.42	147.54	176.08	254	254	219	1.60	4.38	2.60
खगड़िया	160.47	170.32	169.76	369	357	365	15.15	14.70	19.72
भागलपुर	217.69	248.01	155.83	355	353	345	45.54	45.17	45.68
बांका	82.34	132.33	117.14	226	219	222	17.83	7.86	8.57
सहरसा	191.40	202.65	186.62	378	378	378	37.76	16.96	20.92
सुपौल	86.50	129.33	113.96	138	138	138	13.87	23.51	17.14
मधेपुरा	160.36	127.27	128.95	236	284	309	23.43	20.05	16.15
पूर्णिया	176.88	214.73	200.33	395	395	392	40.84	36.89	24.94
किशनगंज	196.58	165.02	153.57	347	350	361	5.22	7.81	5.58
अररिया	183.11	167.55	245.36	311	311	370	18.37	24.94	24.73
कटिहार	132.58	150.55	179.73	378	354	392	25.23	30.37	17.18
बिहार	**9268.43**	**9554.02**	**9744.57**	**19238**	**19368**	**19716**	**901.23**	**984.39**	**807.02**

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

अध्याय - 12

बाल विकास

सभी बच्चे अपनी पूरी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर पाने के पात्र हैं। हालांकि अनेक बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों से वंचित रह जाते हैं और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके अधिकारों को नकार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) में मौलिक मानवाधिकारों को चार आयामों के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। ये आयाम उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास और भागीदारी के अधिकार हैं। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2013-14 से ही अलग से बाल बजट तैयार करती रही है। वर्ष 2018-19 में बाल बजट के लिए 23,401.87 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं जो राज्य के कुल बजट का लगभग 13.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के हर व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और बचपन अपने मूल्यबोध के साथ जीवन का अभिन्न अंग होता है। सामंजस्यपूर्ण विकास के लिहाज से जीवन के इस चरण के लिए दीर्घकालिक, टिकाऊ, बहु-क्षेत्रीय, समेकित और समावेशी दृष्टि जरूरी है। इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में मुख्यतः बिहार में बच्चों की जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, इस अध्याय में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए ली गई पहल कदमियों का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

12.1 जनसांख्यिक स्थिति

बच्चों की आबादी में 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाली सारी आबादी शामिल है। यह आबादी का नाजुक हिस्सा है। भारत दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहां 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 18 वर्ष उम्र वाली आबादी का पूरी आबादी में 39 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं बिहार में आबादी का 48 प्रतिशत हिस्सा 0 से 18 वर्ष उम्र समूह का है। भारत में बच्चों की कुल आबादी में बिहारके बच्चों का 11 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में कुल 4.98 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में और 0.50 करोड़ (10.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। लैंगिक विवरण के अनुसार, बिहार के 0 से 18 वर्ष उम्र वाली आबादी में 2.35 करोड़ लड़कियां हैं और 2.62 करोड़ लड़के। बच्चों की आबादी में विभिन्न उम्र समूह का हिस्सा इस प्रकार है - 0 से 6 वर्ष (38.4 प्रतिशत), 7 से 14 वर्ष (45.4 प्रतिशत) और 15 से 18 वर्ष (16.2 प्रतिशत)। बिहार के विभिन्न जिलों में उनके वितरण का पैटर्न तालिका प 12.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार में बच्चों की आबादी 20.3 प्रतिशत बढ़ी और 2001 के 4.14 करोड़ से 2011 में 4.98 करोड़ हो गई। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार में बच्चों की कुल आबादी में लड़कों के हिस्से में 0.4 प्रतिशत अंक की कमी आई जबकि लड़कियों का हिस्सा उतना ही बढ़ गया। इस बात से बच्चों की आबादी में लिंग अनुपात में सुधार का संकेत मिलता है। इसका आंशिक कारण लैंगिक समानता के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं। विवरण तालिका 12.1 में प्रस्तुत है।

तालिका 12.1 : बिहार और भारत में बच्चों (0-18 वर्ष) की जनसांख्यिक विवरणी

(आंकड़े करोड़ में)

राज्य/ भारत	2001			2011		
	लड़का	लड़की	संयुक्त	लड़का	लड़की	संयुक्त
बिहार	2.20	1.94	4.14	2.62	2.35	4.98
भारत	23.65	21.40	45.05	24.75	22.46	47.21
राज्य/ भारत	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
बिहार	3.73	0.41	4.14	4.47	0.51	4.98
भारत	33.73	11.32	45.05	34.36	12.85	47.21

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011

बाल लिंग अनुपात

राज्य में 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के लिए बाल लिंग अनुपात समग्रत: 2001 के 942 महिला प्रति 1000 पुरुष से घटकर 2011 में 935 महिला प्रति 1000 पुरुष रह गया। जिलों में 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के लिए बाल लिंग अनुपात किशनगंज (971), कटिहार (961) और गया (960) में सर्वाधिक था। दूसरी ओर, वैशाली (904), पटना (909) और मुजफ्फरपुर (915) का बाल लिंग अनुपात सबसे कम था। बाल लिंग अनुपात अनुसूचित जाति में 962 और अनुसूचित जनजाति में 969 था जो राज्य के औसत (935) से अधिक था। सच तो यह है कि बिहार के सभी जिलों में अनुपात अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति में बाल लिंग अनुपात राज्य के आंकड़ों से अधिक है। गौरतलब है कि 0 से 18 वर्ष उम्र समूह में बाललिंग अनुपात 2001 के 883 से बढ़कर 2011 में 897 महिला प्रति 1000 पुरुष हो गया। तालिका प 12.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) के जिलावार आंकड़ों में देखा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के बाल लिंग अनुपात के आंकड़े 20 जिलों में राज्य के औसत से अधिक थे। सभी जिलों के बीच सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले तीन जिले गोपालगंज (959), किशनगंज (958) और सीवान (946) हैं। दूसरी ओर, मुंगेर और खगड़िया (861) तथा वैशाली (865) न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं। 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के लिए बाल लिंग अनुपात अनुसूचित जाति के लिए 899 और अनुसूचित जनजाति के लिए 929 महिला प्रति 1000 पुरुष था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत के स्तर पर बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के लिए 918 और 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के लिए उससे भी कम - 908 है।

12.2 बच्चों के लिए आवंटन

सर्वोच्च राष्ट्रीय परिसंपत्ति के बतौर बच्चे अपनी उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा और सम्मान के लिए सर्वोत्तम निवेश के पात्र हैं। उनके लिए आज जो किया जाता है, वही भविष्य में उनकी स्थिति तय करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में बाल बजट कार्य 2000 में सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स द्वारा बच्चों के परिप्रेक्ष्य से दस वर्ष के केंद्रीय बजट के विश्लेषण के साथ शुरू हुआ। लेकिन भारत चूंकि बड़ा देश है इसलिए जब तक बाल बजट का विश्लेषण राज्य स्तर पर नहीं किया जाता है तब तक बाल बजट संबंधी ऐसा अभ्यास अधूरा रहेगा। सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट के अनुपालनस्वरूप, केंद्र सरकार ने बाल बजट का विश्लेषण पहली बार 2003 में किया। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि केंद्र और राज्यों में जेंडर बजट की तरह बाल बजट भी नियमित रूप से तैयार किया जाएगा। अभी अलग से बाल बजट तैयार करने वाले तीन ही राज्य हैं - असम, केरल और बिहार।

बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई। बाल बजट में बच्चों से संबंधित योजनाओं के सारे वित्तीय ब्योरे शामिल होते हैं। ये आबंटन मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं, लड़कियों के लिए विशेष योजनाओं, और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित होते हैं। तालिका 12.2 में दर्शाया गया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में बाल बजट के आबंटन में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच बच्चों के लिए समग्र आबंटन 21.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी प्रकार, व्यय भी 29.0 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो आबंटन से अधिक है और निस्संदेह प्रशंसनीय है। इन पांच वर्षों में व्यय का परिमाण 70 प्रतिशत से ऊपर रहा है और 2016-17 में यह 109.8 प्रतिशत था। इस अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2.6-गुना बढ़कर 1,225 रु. से 3,151 रु. हो गया। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है जिसमें साल-दर-साल कुछ अंतर रहा है। इसी प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर व्यय का हिस्सा 3 प्रतिशत के आसपास रहा है।

तालिका 12.2 : बाल बजट का विवरण

वर्ष	बाल बजट (करोड़ रु.)		व्यय का प्रतिशत	प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)	बाल बजट का हिस्सा	
	आबंटन	व्यय			राज्य बजट में	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
2013-14	7178.47	6329.66	88.2	1225	7.9	2.0
2014-15	14224.58	10020.60	70.4	1904	10.6	2.9
2015-16	15967.58	14950.63	93.6	2788	13.3	4.0
2016-17	15149.48	16638.47	109.8	3046	13.2	3.9
2017-18	18420.31	17530.24	95.2	3151	12.8	3.6
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	21.5	29.0	-	-	-	-

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति व्यय के लिए अनुमानित आबादी 2001 और 2011 के अंतर्वेशन पर आधारित है

स्रोत : बाल बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 12.1 : राज्य के बजट और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बाल बजट का प्रतिशत हिस्सा

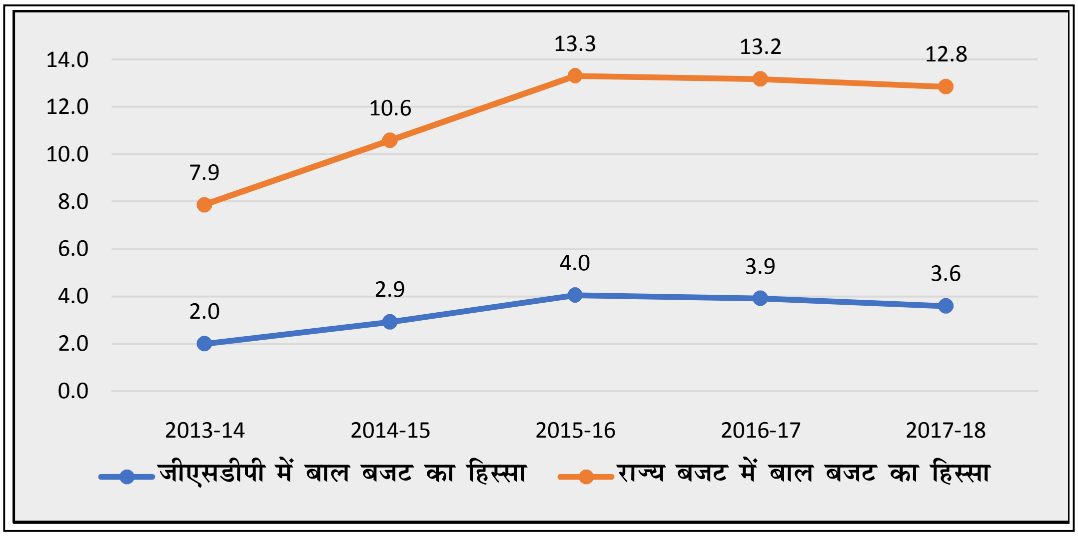

तालिका 12.3 में बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाने वाले विभागों के व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। तालिका से यह बात सामने आती है कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में बाल कल्याण के लिए मुख्य योगदाता शिक्षा और समाज कल्याण विभाग थे। वर्ष 2017-18 में बाल कल्याण के लिए बड़ा व्यय शिक्षा विभाग द्वारा (69 प्रतिशत) किया गया और उसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा (13 प्रतिशत)। अन्य विभागों की बात करें, तो स्वास्थ्य, पिछड़ी/ अति पिछड़ी जाति कल्याण और अजा/ अजजा कल्याण विभागों द्वारा बाल कल्याण पर व्यय 3 से 8 प्रतिशत के बीच था। हालांकि अन्य विभागों द्वारा बाल कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली रकम बहुत कम है और इन विभागों को अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

तालिका 12.3 : बाल बजट पर विभाग-वार व्यय

विभाग	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	2.95 (0.05)	1.46 (0.01)	5.40 (0.04)	9.31 (0.06)	13.05 (0.07)
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याणविभाग	1191.15 (18.82)	1167.48 (11.65)	2234.76 (14.95)	1440.25 (8.66)	1166.13 (6.65)
शिक्षा विभाग	3068.07 (48.47)	5943.21 (59.31)	9299.24 (62.2)	10091.94 (60.65)	12093.01 (68.98)
समाज कल्याणविभाग	1475.29 (23.31)	1509.2 (15.06)	1935.30 (12.94)	1886.59 (11.34)	2192.58 (12.51)
श्रम संसाधनविभाग	1.09 (0.02)	1.06 (0.01)	1.77 (0.01)	0.88 (0.01)	1.78 (0.01)
अजा एवं अजजा कल्याणविभाग	588.04 (9.29)	610.55 (6.09)	1136.41 (7.6)	1870.97 (11.24)	599.09 (3.42)
स्वास्थ्यविभाग	–	755.36 (7.54)	329.31 (2.2)	1218.91 (7.33)	1418.52 (8.09)
अल्पसंख्यक कल्याणविभाग	3.08 (0.05)	32.29 (0.32)	8.44 (0.06)	119.62 (0.72)	46.09 (0.26)
योग	6329.66 (100.00)	10020.6 (100.00)	14950.63 (100.00)	16638.47 (100.00)	17530.24 (100.00)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बाल बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

12.3 स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति

बच्चों का स्वास्थ्य किसी विकासशील राष्ट्र की भावी क्षमताएं बढ़ाने की बुनियाद है। यह एक बड़ा सामाजिक दायित्व है जिसमें राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। स्वस्थ होना स्पष्टत: मानवों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक सूचक शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), 5 वर्ष के पूर्व मृत्यु दर (यू5एमआर), नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), जन्मकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) और प्रतिरक्षण हैं। इन सूचकों का विश्लेषण मानव विकास विषयक अध्याय 11 में पहले ही किया जा चुका है। इनके साथ-साथ किसी बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण का मूल्यांकन करने की अन्य कसौटियां ये हैं कि पांच वर्ष के कम उम्र का बच्चा ठिगना (स्टंटेड) तो नहीं है (उम्र के अनुसार ऊंचाई), दुबला (वेस्टेड) तो नहीं है (ऊंचाई के अनुसार वजन) और हल्का (अंडरवेट) तो नहीं है (उम्र के अनुसार वजन)।

बच्चों की उत्तरजीविता और विकास के लिए भ्रूण विकास की आरंभिक अवस्था से ही समुचित पोषण अनिवार्य है। अल्पपोषण से मानव जीवन प्रभावित होता है और जीवन के आरंभिक चरणों में यह खास तौर पर नुकसानदेह होता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस बात की मान्यता बढ़ती जा रही है कि बच्चों को आरंभिक वर्षों में सहयोग देना उनके भावी विकास के लिए अनिवार्य है। इन समस्याओं से निपटने के लिए इस खंड में बच्चों के पोषण संबंधी मामलों पर विचार किया गया है।

ठिगनापन (उम्र के अनुसार ऊंचाई)

उम्र के अनुसार ऊंचाई रैखिक वृद्धि और विकास संबंधी संचित कमियों की एक माप है। बिहार में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) में अनुमान किया गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 48 प्रतिशत बच्चे ठिगने (अपनी उम्र की तुलना में बहुत कम लंबे) हैं जो चिरकालिक अल्पपोषण को व्यक्त करता है (तालिका 12.4)। ठिगनापन की व्याप्ति 2005-06 के 56 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 48 प्रतिशत रह गई है। बच्चों में ठिगनापन शहरी क्षेत्र (39.8 प्रतिशत) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र (49.3 प्रतिशत) में 9.5 प्रतिशत अंक अधिक दिखता है। पूरे देश के मामले में ठिगनापन में 2005-06 से 2015-16 के बीच 9.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। बिहार के जिलों में सर्वाधिक ठिगनापन सीतामढ़ी (57.3 प्रतिशत) और नालंदा (54.1 प्रतिशत) जिलों में है और सबसे कम गोपालगंज (35.6 प्रतिशत) और सीवान (37.9 प्रतिशत) जिलों में।

दुबलापन (ऊंचाई के अनुसार वजन)

ऊंचाई के अनुसार वजन सूचकांक के जरिए शरीर की ऊंचाई के मुकाबले शरीर की मात्रा की पर्याप्ता की माप की जाती है और इससे पोषण संबंधी वर्तमान स्थिति का पता चलता है। दुबलापन का कारण अपर्याप्त खाना-पीना या हाल में हुई बीमारी हो सकती है जिससे वजन कम हुआ हो। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के अनुसार राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के 20.8 प्रतिशत बच्चे दुबले (ऊंचाई के मुकाबले दुबले) हैं जो उनके तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। दुबलापन की व्यापकता में 2005-06 के (27.1 प्रतिशत) से 2015-16 के (20.8 प्रतिशत) के बीच 6.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। ठिगनापन के विपरीत इसकी व्यापकता ग्रामीण क्षेत्रों (20.8 प्रतिशत) से शहरी क्षेत्रों (21.3 प्रतिशत) अधिक दर्ज की गई। दुर्भाग्यवश, पूरे भारत के लिए दुबलापन की व्याप्ति में 2005-06 से 2015-16 के बीच 1.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है (तालिका 12.4)। जिलों में अरवल (30.7 प्रतिशत), जमुई (29.4 प्रतिशत) और शेखपुरा (28.9 प्रतिशत) सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिले हैं। इसके विपरीत शिवहर (14.8 प्रतिशत), सीवान (15.0 प्रतिशत) और वैशाली (15.1 प्रतिशत) में दुबलापन का स्तर सबसे कम दर्ज हुआ।

हल्कापन (उम्र के अनुसार वजन)

उम्र के अनुसार वजन उम्र के अनुसार ऊंचाई और ऊंचाई के अनुसार वजन का संयुक्त सूचकांक है। इसमें तीव्र और जीर्ण, दोनो प्रकार के अल्पपोषण को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के परिणामों से पता चलता है कि बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के 43.9 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के अर्थात हल्के थे। वर्ष 2005-06 और 2015-16 के बीच इसमें 12 प्रतिशत अंकों की कमी आई है जो सचमुच प्रशंसनीय है। इस अवधि में 5 वर्ष से कम उम्र के सामान्य से कम वजन के बच्चों का अनुपात

55.9 प्रतिशत से घटकर 43.9 प्रतिशत रह गया। यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों (44.6 प्रतिशत) और शहरी क्षेत्रों (37.5 प्रतिशत) के बीच 7.1 प्रतिशत अंकों का अंतर है। संपूर्ण भारत के मामले में सामान्य से कम वजन के बच्चों की व्याप्ति में 2005-06 के 42.5 प्रतिशत से 2015-16 के 35.7 प्रतिशत के बीच 6.8 प्रतिशत अंकों की कमी हुई है (तालिका 12.4)। सभी 38 जिलों के बीच अरवल में हल्के बच्चों का अनुपात सर्वाधिक 54.0 प्रतिशत था जिसके बाद गया का (53.1 प्रतिशत) और शेखपुरा का (51.7 प्रतिशत)। इसके विपरीत गोपालगंज (30.5 प्रतिशत), सीवान (31.6 प्रतिशत) और पश्चिम चंपारण/ बेगूसराय (39.1 प्रतिशत) में हल्के बच्चों का अनुपात सबसे कम था। ठिगने, दुबले और हल्के बच्चों का जिलावार ब्योरा तालिका प 12.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

तालिका 12.4 : बिहार और भारत में कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत

बिहार/ भारत	ठिगने	दुबले	हल्के
2015-16			
बिहार	48.3	20.8	43.9
भारत	38.4	21.0	35.7
2005-06			
बिहार	55.6	27.1	55.9
भारत	48.0	19.8	42.5

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 और 4, भारत सरकार

बिहार में 0 से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चों की संख्या लगभग 191.3 लाख है। चूंकि बच्चे किसी राज्य के लिए जनसांख्यिक लाभांश होते हैं इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें बच्चों को बढ़ावा देने के लिए अनेक विकासमूलक योजनाएं चला रही हैं। बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।

समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस)

समेकित बाल विकास सेवा 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के छोटे बच्चों और गर्भवती अथवा शिशुवती महिलाओं के लिए सुधारक हस्तक्षेप के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्तूबर, 1975 को शुरू की गई एक अग्रणी योजना है। इसका लक्ष्य बच्चों की देखरेख, उनकी आरंभिक प्रेरणा और पढ़ाई, स्वास्थ्य तथा पोषण में दीर्घकालिक सुधार लाना है। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनस्वरूप समेकित बाल विकास योजना का शुभारंभ प्रायोगिक आधार पर देश के 33 प्रखंडों में किया गया था जिनमें से 3 प्रखंड बिहार के थे। समेकित बाल विकास योजना के तहत छः सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है - पूरक पोषाहार, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं तथा माताओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। योजना के लक्ष्य समूह तक आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पहुंच होती है। समेकित बाल विकास योजना के अधिकारियों और कर्मचारियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), महिला पर्यवेक्षक (LS), आंगनवाड़ी सेविका (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) शामिल होते हैं। योजना के मुख्य लाभार्थी 6 महीने से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चे हैं। उनके साथ-साथ गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, 6 महीने तक के दूध पीने वाले बच्चे और 11 से 14 वर्ष उम्र की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां भी इस योजना से लाभान्वित होती हैं।

समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। कुल मिलाकर 1,14,718 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। वर्ष 2016-17 तक इनमें से 91,677 आंगनवाड़ी केंद्र चालू थे। समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ने बिहार के लिए नए स्वीकृत 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी 2017-18 से चालू करना शुरू कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार में इन 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को 2015-16 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर इन नए स्वीकृत केंद्रों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी सभी 544 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं 1,07,603 आंगनवाड़ी केंद्रों और अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 7,115 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित होती हैं।

चूंकि समेकित बाल विकास सेवा मुख्यत: सेवा-आधारित कार्यक्रम है इसलिए उसकी सफलता के लिए स्टाफ की मौजूदगी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वर्ष 2016-17 की अपेक्षा 2017-18 में महिला पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारियों और आंगनवाड़ी सेविकाओं की संख्या अपरिवर्तित रही है। तालिका 12.5 के अनुसार 2017-18 में रिक्ति अनुपात इस प्रकार थे - बाल विकास परियोजना अधिकारी (18.8 प्रतिशत), महिला पर्यवेक्षक (44.2 प्रतिशत), आंगनवाड़ी सेविका (23.9 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी सहायिका (25.3 प्रतिशत)।

तालिका 12.5 : समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की संख्या

वर्ष	पद	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी सेविका	आंगनवाड़ी सहायिका
स्वीकृत पदों की संख्या		544	3288	91677	86237
2013-14	कार्यशील	504	2859	82177	78076
	रिक्त पदों का प्रतिशत	7.4	13.0	10.4	9.5
2014-15	कार्यशील	458	2499	85936	80176
	रिक्त पदों का प्रतिशत	15.8	24.0	6.3	7.0
2015-16	कार्यशील	458	2499	85944	80178
	रिक्त पदों का प्रतिशत	15.8	24.0	6.25	7.1
2016-17	कार्यशील	442	2427	86800	80373
	रिक्त पदों का प्रतिशत	18.8	26.2	5.3	6.8
2017-18	कार्यशील	442	4210	114718	107603
	रिक्त पदों का प्रतिशत	18.8	44.2	23.9	25.3

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक थी जो विगत वर्षों से अधिक है। प्रशंसा की बात है कि इन सभी वर्षों में 85 प्रतिशत से भी अधिक विमुक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया जो राज्य सरकार द्वारा धनराशि के कुशल उपयोग को दर्शाता है। पिछले पांच लगातार वर्षों में समेकित बाल विकास योजना की धनराशि विमुक्ति से संबंधित वित्तीय विवरण तालिका 12.6 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 12.6 : समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग

वर्ष	बिहार में योजना का बजट (करोड़ रु.)	केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त कुल राशि (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर	व्यय विमुक्त धन के प्रतिशत के बतौर
2013-14	1714.3	1153.5	1310.1	67.3	113.6
2014-15	2238.3	1281.5	1236.4	57.3	96.5
2015-16	1409.7	1062.2	983.4	75.3	92.6
2016-17	1494.1	987.3	893.5	66.1	90.5
2017-18	988.7	1075.2	940.4	108.7	87.5

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

किशोरी योजना (एसएजी)

किशोरावस्था छोटी लड़कियों के लिए मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस अवधि में उन्हें खान-पान और जीवनशैली संबंधी आदतों के कारण पैदा हुई पोषण संबंधी समस्याएं वयस्क होने पर जीर्ण रोगों का कारण बन सकती हैं और भावी पीढ़ी में भी कुपोषण पैदा कर सकती हैं। किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी करने से अधिक स्वस्थ और अधिक उत्पादक नारी शक्ति ही नहीं विकसित होगी, इससे पीढ़ियों के बीच व्यापक कुपोषण का चक्र तोड़ने में भी मदद मिलेगी। किशोरियों के लिए मौजूद स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में गर्भधारण, मातृ मृत्यु का जोखिम, शिशु मृत्यु, यौन संचरित रोग, प्रजनन मार्ग संक्रमण, एचआइवी आदि से संक्रमित होना आदि शामिल हैं। और इन सभी के लिहाज से उनके लिए उन्नत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की जरूरत होती है। किशोरियों की जरूरतें पूरी करने के लिहाज से 11 से 18 वर्ष उम्र समूह की किशोरियों के लिए व्यापक हस्तक्षेप के बतौर राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया गया था। इस कार्यक्रम का विशेष फोकस बिहार के 12 जिलों में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियां थीं। इस कार्यक्रम को अप्रील 2018 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। अप्रील 2018 से योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है और उसका नाम बदलकर किशोरी योजना (एसएजी) कर दिया गया है। नई योजना 11 से 14 वर्ष उम्र की स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों के लिए है।

किशारी योजना के औपचारिक शुभारंभ और प्रशासनिक दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया है और स्कूल जाना छोड़ देने वाली 1.30 लाख किशोरियों को इस योजना से लाभान्वित होने के लिहाज से चिन्हित किया गया है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण का प्रावधान है। इस योजना के तहत किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों में सूखा राशन के बतौर सूक्ष्मपोषक तत्वों सहित 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देने वाला पूरक पोषाहार और 18-20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। सूखा राशन उन्हें महीने में एक बार 25 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है जिस पर प्रतिदिन 9.50 रु. के हिसाब से खर्च होता है। इसके अतिरिक्त, पढ़ाई छोड़ देने वाली किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पूर्व में मातृत्व लाभ योजना (एमबीएस) या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके व्यय में केंद्र और राज्य सरकारों का 60:40

अनुपात में हिस्सा होता है। माताओं का अल्पपोषण बिहार में एक बड़ी चुनौती है और एक-तिहाई से भी अधिक माताओं का देह-मात्रा सूचकांक (बीएमआइ) निम्न रहता है। कम उम्र में विवाह होने, कम उम्र में बच्चा होने और बार-बार बच्चे होने से माताओं की पोषण संबंधी स्थिति प्रभावित होती है। इन गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का शुभारंभ अक्तूबर 2010 में पायलट आधार पर किया गया था जिसमें केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता था। बिहार में यह योजना दो जिलों (सहरसा और वैशाली) में लागू थी। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को बैंक या डाकघर के खातों के जरिए दो किश्तों में 6,000 रु. मिलते थे। पहली किश्त का भुगतान गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में और दूसरी किश्त का भुगतान विशेष शर्तें पूरी करने के बाद प्रसव के छः महीने बाद किया जाता था। कुछ शर्तें पूरी करने पर 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाली माताओं को दो जीवित प्रसवों के लिएइस नगद प्रोत्साहन राशि का सीधा भुगतान किया जाता था।

इस योजना को अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नया नाम दिया गया है और 1 जनवरी 2017 से पूरे राज्य में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत निबंधित गर्भवती महिलाओं को हर किश्त के लिए कुछ शर्तें पूरी करने के बाद तीन किश्तों में 5,000 रु. दिए जाते हैं। 1000 रु. की पहली किश्त का भुगतान गर्भावस्था का शीघ्र (अंतिम ऋतुस्राव की अवधि के तीन महीने के अंदर) निबंधन कराने पर और 2,000 रु. की दूसरी किश्त का भुगतान कम से कम एक बार प्रसवपूर्व जांच कराने पर गर्भावस्था के छः महीने बाद किया जाता है। वहीं 2,000 रु. की तीसरी किश्त प्रसव के बाद और बच्चे का पहले दौर का टीकाकरण पूरा हो जाने पर दी जाती है।

इन तीन किश्तों के अलावा, सरकारी संस्थान या निबंधित निजी संस्थान में प्रसव होने पर लाभार्थी को स्वास्थ्य विभाग के मातृत्व लाभ योजना के तहत 1,000 रु. की अतिरिक्त धनराशि भी मिल सकती है। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं को कुल 6,000 रु. प्राप्त होंगे।

आंगनवाड़ी विकास समिति

समेकित बाल विकास सेवा की सेवाओं को कुशलतापूर्वक चलाने के लिहाज से आंगनवाड़ी केंद्र की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर आंगनवाड़ी विकास समिति नामक समिति का गठन किया गया है। इसको लाभार्थियों, पंचायती राज संस्था के सदस्यों, शिक्षकों, आशा/ एएनएम/ स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधित्व के जरिए गठित किया जाता है। समिति की गतिविधियों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम हेतु वित्तीय संसाधनों का उपयोग, पूरक पोषाहार की खाद्य सामग्रियों की खरीद, दैनिक आधार पर चलने वाली नियमित गतिविधियों के लिए पर्यवेक्षी अनुश्रवण प्रणाली स्थापित करना, और सभी स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित करना शामिल है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

कुपोषण मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं होता है लेकिन यह संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध क्षमता घटाकर रुग्णता में योगदान अवश्य करता है। बच्चों की मृत्यु के अनेक कारण होते हैं जैसे कि समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन, न्यूमोनिया, डायरिया, असंचारी रोग आदि। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर में कमी लाने वाली पहले से चल रही योजनाओं के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने हाल में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की है जो सितंबर 2017 से प्रभावी है। इसका मकसद बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के पोषण संबंधी

सूचकों में सुधार लाना है। इससे सहक्रिया पैदा होगी, बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित होगा, समय पर कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी की जाएगी, और क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिहाज से बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी क्रियान्यवन रणनीति अनुश्रवण और जमीनी स्तर तक कनवर्जेंस के लिए सघन कार्ययोजना पर आधारित होगी। राष्ट्रीय पोषण मिशन का 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। मिशन का लक्ष्यहर साल ठिगनापन में (2 प्रतिशत), छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों की रक्ताल्पता में (3 प्रतिशत), अल्पपोषण में (2 प्रतिशत) और जन्म के समय बच्चों के कम वजन में (2 प्रतिशत) कमी लाना होगा।

पोषण माह

राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2018 में सितंबर महीने को पोषण माह अभियान के बतौर मनाया गया जिसका लक्ष्य राज्य में हर परिवार तक पोषण के संदेश के साथ पहुंचना था। इस अभियान का एक अन्य उद्देश्य पोषण संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिहाज से पोषण के लिए काम करने वाले सभी विभागों का कनवर्जेंस और संयुक्त योजना निर्माण सुनिश्चित करना था। अभियान के तहत मिशन के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संवादों के जरिए सभी हितधारकों का संवदेनीकरण करना था। ये लक्ष्य हैं - (1) बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और रक्ताल्पता घटाना, (2) स्तनपान और पूरक पोषाहार अधिकाधिक बढ़ाना, (3) साफ-सफाई/ स्वच्छता की आदतों और सफाई को बढ़ावा देना, (4) खान-पान की आदतों में सुधार लाना (स्वस्थ खान-पान) तथा (5) 6 महीने से 6 साल उम्र वाले बच्चों का विकास और लड़कियों की शिक्षा नियमित करना।

12.4 शैक्षिक स्थिति

शिक्षा सर्वाधिक सशक्त साधन है जो आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों और सामाजिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। स्कूली शिक्षा बच्चे के भविष्य की नींव डालती है। बच्चों की स्थितियों की जांच करते समय उनकी शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली नामांकित बच्चों की उम्र के आधार पर मुख्यत: तीन श्रेणियों में विभाजित है : प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इन श्रेणियों पर मानव विकास पर अध्याय 11 में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त यहां बच्चों के टिकाऊ विकास के लिए जरूरी अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई है।

साक्षरता दर

साक्षरता दर सामाजिक प्रगति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। आबादी की साक्षरता दर को '7 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाली कुल आबादी में साक्षरों का प्रतिशत' के बतौर परिभाषित किया जाता है। बिहार में साक्षरता दर लगातार बढ़ती गई है और 2011 की जनगणना में यह 61.8 प्रतिशत थी। हालांकि महिला साक्षरता दर अभी भी 51.5 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता दर (71.2 प्रतिशत) से काफी पीछे है। प्रशंसा की बात है कि साक्षरता दर में वृद्धि सभी उम्र समूह की महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक है इसलिए साक्षरता दर के मामले में लैंगिक अंतराल विगत वर्षों के दौरान लगातार घटता गया है और 2001 के 26.6 प्रतिशत से घटकर 2011 में 19.7 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2011 में (7 से 18 साल उम्र) वाले बच्चों के बीच समग्र साक्षरता दर 79.1 प्रतिशत थी और लड़कों की साक्षरता दर (81.7 प्रतिशत) तथा लड़कियों की (76.2 प्रतिशत) होने से मात्र 5.5 प्रतिशत अंकों का लैंगिक अंतराल दिखा (तालिका 12.7)।

तालिका 12.7 : बिहार में उम्र और लिंग के आधार परसाक्षरता का प्रतिशत

वर्ष	2001			2011		
उम्र समूह	व्यक्ति	लड़का	लड़की	व्यक्ति	लड़का	लड़की
7-9	46.0	51.4	39.9	73.2	75.2	71.1
10-14	60.0	67.5	51.2	83.3	85.5	80.9
7-18	56.1	63.5	47.4	79.1	81.7	76.2
7 और अधिक	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5

स्रोत : जनगणना, भारत के महानिबंधक

प्राग्विद्यालय शिक्षा (पीएसई)

सीखना जन्म से ही शुरू हो जाता है और इसीलिए 'सबके लिए शिक्षा' के तहत हासिल किया जाने वाला सबसे पहला लक्ष्य शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) है। इसे निस्संदेह संवैधानिक प्रावधान के बतौर भी शामिल किया गया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि राज्य सभी बच्चों को छः वर्षों की उम्र पूरी होने तक शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा उपलब्ध कराए। शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा संबंधी सेवाएं सार्वजनिक, निजी या गैर-सरकारी माध्यमों के जरिए दी जा सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में समेकित बाल विकास सेवा शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करने वाला सबसे बड़ा अग्रणी कार्यक्रम है।

शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा की गुणवत्ता से सुनिश्चित होता है कि बच्चों को स्वाभाविक, खुशनुमा और उत्साहवर्धक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे उन्हें अधिकाधिक विकास करने में मदद मिलती है। भारत में बच्चे के जीवन के आरंभिक वर्षों को महत्व देने और उनमें बुनियादी मूल्य तथा सामाजिक कौशल समाहित करने की परंपरा रही है। परंपरा में ऐसा परिवार के अंदर किया जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में पारिवारिक ढांचे और सामाजिक संदर्भ में आए परिवर्तनों के कारण घर के बाहर विद्यालय-पूर्व आरंभिक शिक्षा देना अनिवार्य गतिविधि बन गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए त्वरित बाल सर्वेक्षण, 2013-14 के अनुसार बिहार में 3 से 6 वर्ष उम्र के 49.5 प्रतिशत बच्चे समेकित बाल विकास सेवा द्वारा संचित प्राग्विद्यालयों में और 10.4 प्रतिशत बच्चे निजी प्राग्विद्यालयों में जा रहे थे जबकि एक-तिहाई से कुछ अधिक (35.2 प्रतिशत) बच्चे किसी भी प्राग्विद्यालय में नहीं जा रहे थे। सर्वेक्षण के लिए 1.05 लाख परिवारों और 5,630 आंगनवाड़ी केंद्रों को नमूने के बतौर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र के 31.4 प्रतिशत बच्चों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के 51.8 प्रतिशत बच्चे प्राग्विद्यालयों में जा रहे थे। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि प्राग्विद्यालय शिक्षा चलाने वाले लगभग 93.3 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र एक कैलेंडर माह में 16 या अधिक दिनों तक सत्र चलाते थे। हालांकि 36 से 71 महीने उम्र के सिर्फ 34.1 प्रतिशत लड़कों और 37.4 प्रतिशत लड़कियों ने ही प्राग्विद्यालय शिक्षा में एक कैलेंडर माह में 16 या अधिक दिनों तक भाग लिया। हालांकि राज्य में समेकित बाल विकास सेवा का कार्यक्रम का सघन आच्छादन है इसलिए मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्राग्विद्यालय शिक्षा घटक का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है और इस सुविधा से कुछ बच्चों के वंचित होने के लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं।

विद्यालय-त्यागी बच्चे (ओओएससी)

चूंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की बात सोची गई है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि सारे विद्यालय-त्यागी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की जद में लाया जाय। गत दशक में प्रारंभिक शिक्षा के आच्छादन में नामांकन में वृद्धि के लिहाज से काफी सुधार हुआ है। इसके बावजूद भारत में बड़ी संख्या

में बच्चे विद्यालय-त्यागी बच्चों की श्रेणी में आते हैं। समयबद्ध तरीके से शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिहाज से राज्य सरकार के लिए जरूरी है कि वह उन बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करे। सर्व शिक्षा अभियान का बजट दर्शाता है कि विद्यालय-त्यागी बच्चों को मुख्य धारा में लाने पर स्वीकृत परिव्यय और वास्तविक व्यय में काफी अंतर है। बिहार के मामले में, जहां 70.70 लाख बच्चे विद्यालय-त्यागी हैं, वहीं 2016-17 में स्वीकृत परिव्यय सर्व शिक्षा अभियान के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 74 करोड़ रु. था। निम्न परिव्यय के बावजूद सिर्फ 10 करोड़ रु. खर्च किए गए जो कुल स्वीकृत रकम का मात्र 13.6 प्रतिशत है (तालिका 12.8)। बड़ी संख्या में विद्यालय-त्यागी बच्चों वाले दो अन्य राज्यों -उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मामले में भी स्थिति समान रूप से असंतोषजनक है।

तालिका 12.8 : भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यालय-त्यागी बच्चों के अनुमान

राज्य	जनगणना 2011 (जनसंख्या लाख में)	2016-17				
		सर्व शिक्षा अभियान के लिए स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रु.)	विद्यालय-त्यागी बच्चों के लिए स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रु.)	विद्यालय-त्यागी बच्चों पर व्यय (करोड़ रु.)	विद्यालय-त्यागी बच्चों के लिए स्वीकृत परिव्यय अभियान हेतु कुल स्वीकृति के % में	विद्यालय-त्यागी बच्चों के लिए व्यय उनके लिए स्वीकृत परिव्यय के % में
बिहार	70.70	9665	74	10	0.8	13.5
छत्तीसगढ़	7.60	2351	27	7	1.1	25.9
महाराष्ट्र	23.27	2296	87	25	3.8	28.7
तमिलनाडु	8.20	2656	21	17	0.8	81.0
उत्तर प्रदेश	106.00	19014	5	1	0.03	20.0
पश्चिम बंगाल	28.02	4688	5	0.5	0.1	10.0

स्रोत : स्कूली शिक्षा के लिए बजट, क्राइ और सीबीजीए द्वारा अध्ययन

वर्ष 2016-17 में 6 से 13 वर्ष उम्र समूह के कुल 2.17 लाख विद्यालय-त्यागी बच्चों को विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए मुख्य धारा में लाया गया है (तालिका 12.9)। इनमें से 28.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, 20.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक और मात्र 2.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थे।

तालिका 12.9 : बिहार में विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या (2016-17)

श्रेणियां	6-10 वर्ष			11-13 वर्ष		
	लड़के	लडकियां	योग	लड़के	लडकियां	योग
सभी	76030	71758	147788	37256	31792	69048
अनुसूचित जाति	20393	19151	39544	11728	9873	21601
अनुसूचित जनजाति	1010	1042	2052	1247	1209	2456
अल्पसंख्यक	15753	14872	30625	7359	6586	13945

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना

हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल किए हैं कि विद्यालय-त्यागी बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाय। ये हैं :

आवासीय विद्यालय/ छात्रावास : तीनो स्वीकृत आवासीय विद्यालय 2016-17 में चालू थे। इनमें से दो पटना में थे और एक जमुई में। छात्रावासों में 282 नामांकन था जबकि स्वीकृत संख्या 300 थी। छात्रावासों का प्रबंधन विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय कार्यालय की देखरेख में किया जाता है।

आवासीय विशेष प्रशिक्षण : विशेष प्रशिक्षण में कोई 13,626 विद्यालय-त्यागी बच्चों को उनकी उम्र, सामाजिक श्रेणी और सक्षमता के आधार पर शामिल किया गया है। कोशिश के नाम से खास सेतु पुस्तकों और कार्यपुस्तिकाओं के सेट तैयार किए गए हैं। इन पुस्तकों को विभिन्न प्रकार के लक्षित समूहों के बच्चों के लिए चिन्हित किया गया है।

अनावासीय विशेष प्रशिक्षण : लगभग 71,770 विद्यालय-त्यागी बच्चों को अनावासीय विशेष प्रशिक्षण के तहत लाया गया है जबकि लक्ष्य 84,185 बच्चों का था।

विशेष प्रशिक्षण के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री : राज्य सरकार द्वारा पटना स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण हेतु सामग्रियों का विकास किया गया है। अध्ययन सामग्री के विकास में शामिल संस्थाएं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन सोसाइटी, मामिडिपुडी वेंकटारंगैया (एमवी) फाउंडेशन और प्रथम फाउंडेशन हैं। कुछ शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षक भी शामिल किए गए थे।

विद्यालय-त्यागी बच्चों का सर्वेक्षण : हर विद्यालय में बालपंजी संधारण के लिए राज्य के सभी विद्यालयों में विद्यालय-त्यागी बच्चों सहित 0 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है। विद्यालय-त्यागी बच्चों के आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और जिलों द्वारा बच्चों से संबंधित किसी नीति निर्माण के लिए बालपंजी का उपयोग किया जा रहा है।

मुहिम : विभिन्न हितधारकों और समकक्ष समूह के सहयोग से बच्चों के विद्यालय त्यागने पर नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इन विद्यालय-त्यागी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठन अन्य गैर-सरकारी संगठनों और बिहार शिक्षा परियोजना के साथ जुड़े हैं।

परिशिष्ट

तालिका प 12.1 : बिहार में बच्चों की जिलावार संख्या (2011)

(संख्या हजार में)

जिला	0-6 वर्ष			07-14 वर्ष			15-18 वर्ष		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
पटना	943.6	494.2	449.3	1154	610	544	486	268	217
नालंदा	518.7	268.7	250.0	613	321	292	219	120	99
भोजपुर	459.2	239.4	219.8	573	302	271	230	127	103
बक्सर	295.1	152.6	142.5	361	190	171	144	79	65
रोहतास	506.8	262.5	244.3	634	330	304	235	129	106
कैमूर	299.3	154.1	145.2	356	186	170	130	72	58
गया	783.1	399.4	383.6	933	484	450	342	180	162
जहानाबाद	198.8	103.5	95.3	243	127	116	86	46	40
अरवल	127.8	65.9	61.9	150	78	72	54	29	25
नवादा	393.5	202.3	191.2	492	256	236	181	95	86
औरंगाबाद	455.4	234.3	221.1	549	284	265	203	109	94
सारण	681.1	353.7	327.4	865	446	419	350	189	161
सीवान	551.4	284.2	267.2	733	375	358	306	158	147
गोपालगंज	449.5	230.0	219.5	575	294	282	226	115	111
पश्चिम चंपारण	776.0	397.4	378.6	876	458	418	286	165	121
पूर्व चंपारण	1018.3	526.8	491.5	1141	603	538	363	216	147
मुजफ्फरपुर	845.3	441.3	404.0	1002	526	476	374	216	158
सीतामढ़ी	663.2	343.6	319.7	751	399	352	249	146	103
शिवहर	128.7	66.7	62.0	143	76	67	47	28	19
वैशाली	601.9	316.1	285.8	722	380	342	263	155	108
दरभंगा	725.5	375.7	349.8	857	451	406	309	177	132
मधुबनी	810.5	418.6	391.9	987	514	474	334	190	144
समस्तीपुर	797.4	414.6	382.8	941	493	449	316	186	130
बेगूसराय	546.0	284.5	261.4	663	349	315	225	134	92
मुंगेर	229.9	119.6	110.2	278	148	130	111	65	46
शेखपुरा	121.6	62.7	58.9	141	74	67	48	26	22
लखीसराय	188.2	98.1	90.2	218	115	103	78	45	33
जमुई	324.5	165.9	158.6	371	194	176	134	74	60
खगड़िया	340.9	177.0	163.9	377	200	177	122	74	48
भागलपुर	546.4	281.9	264.4	645	339	306	241	141	99
बांका	375.3	193.2	182.1	428	225	204	148	87	60
सहरसा	387.5	200.5	187.0	421	225	196	128	76	52
सुपौल	437.4	225.0	212.4	507	264	243	148	87	62
मधेपुरा	404.6	209.6	195.0	449	236	213	133	79	54
पूर्णिया	656.5	336.0	320.6	725	376	348	244	138	106
किशनगंज	346.9	176.0	170.9	385	196	189	142	75	67
अररिया	577.9	295.3	282.6	640	332	308	206	119	87
कटिहार	620.3	316.4	303.9	688	355	333	236	135	101
बिहार	**19134.0**	**9887.2**	**9246.7**	**22587**	**11810**	**10777**	**8076**	**4552**	**3524**

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

तालिका प 12.2 : बिहार में आबादी का जिलावार और उम्रवार लिंग अनुपात (2011)

(महिला प्रति 1000 पुरुष)

जिला	सभी	0-6 वर्ष	0-18 वर्ष	7-18 वर्ष
पटना	897	909	882	867
नालंदा	922	931	903	886
भोजपुर	907	918	888	872
बक्सर	922	934	896	875
रोहतास	918	931	906	892
कैमूर	920	942	904	881
गया	937	960	936	921
जहानाबाद	922	922	908	899
अरवल	928	940	916	901
नवादा	939	945	927	917
औरंगाबाद	926	944	925	914
सारण	954	926	917	912
सीवान	988	940	946	949
गोपालगंज	1021	954	959	961
पश्चिम चंपारण	909	953	899	865
पूर्व चंपारण	902	933	874	836
मुजफ्फरपुर	900	915	877	853
सीतामढ़ी	899	930	872	836
शिवहर	893	929	869	831
वैशाली	895	904	865	841
दरभंगा	911	931	885	857
मधुबनी	926	936	900	878
समस्तीपुर	911	923	880	853
बेगूसराय	895	919	871	843
मुंगेर	876	922	861	827
शेखपुरा	930	940	906	884
लखीसराय	902	920	882	859
जमुई	922	956	908	879
खगड़िया	886	926	861	820
भागलपुर	880	938	878	844
बांका	907	943	883	846
सहरसा	906	933	868	825
सुपौल	911	944	898	869
मधेपुरा	929	930	879	845
पूर्णिया	921	954	910	882
किशनगंज	950	971	958	949
अररिया	921	957	908	876
कटिहार	919	961	913	883
बिहार	**918**	**935**	**897**	**874**

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

तालिका प 12.3 : बिहार में कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जिलावार प्रतिशत (2015-16)

जिला	ठिगने		दुबले		हल्के	
	ग्रामीण	सभी	ग्रामीण	सभी	ग्रामीण	सभी
पटना	51.4	43.5	27.2	28.5	49.2	43.3
नालंदा	55.7	54.1	23.7	24.3	50.0	50.2
भोजपुर	44.3	43.5	24.5	26.0	46.0	47.2
बक्सर	45.4	43.9	20.5	19.6	43.1	41.2
रोहतास	48.1	48.5	19.4	19.9	44.7	45.1
कैमूर	55.0	53.8	21.6	21.4	49.1	48.1
गया	53.5	52.9	26.6	25.6	54.0	53.1
जहानाबाद	54.7	52.1	18.5	19.6	49.3	47.1
अरवल	51.1	50.2	29.2	30.7	53.8	54.0
नवादा	50.4	48.4	21.3	21.4	47.8	45.9
औरंगाबाद	48.8	48.3	25.1	24.8	48.0	47.6
सारण	46.0	46.1	17.7	18.1	40.3	40.4
सीवान	38.2	37.9	15.3	15.0	32.2	31.6
गोपालगंज	36.0	35.6	16.7	16.5	30.2	30.5
पश्चिम चंपारण	45.9	43.6	22.2	21.7	41.7	39.1
पूर्व चंपारण	47.2	47.2	17.9	18.0	40.7	40.8
मुजफ्फरपुर	48.6	47.9	17.5	17.5	42.3	42.3
सीतामढ़ी	58.1	57.3	15.7	15.8	47.9	47.7
शिवहर	53.1	53.0	15.3	14.8	42.9	42.8
वैशाली	53.6	53.7	15.5	15.1	41.9	41.3
दरभंगा	49.2	49.0	16.8	16.6	40.9	41.1
मधुबनी	51.9	51.8	19.2	19.1	45.6	45.4
समस्तीपुर	49.2	49.2	18.1	18.4	40.4	41.3
बेगूसराय	44.6	44.9	20.4	18.4	40.7	39.1
मुंगेर	48.4	46.6	21.4	21.5	44.8	43.7
शेखपुरा	47.5	46.4	28.9	28.9	52.0	51.7
लखीसराय	51.2	50.6	21.2	20.1	47.6	47.3
जमुई	46.7	45.9	29.1	29.4	48.1	47.2
खगड़िया	50.5	49.8	17.0	17.0	42.9	42.4
भागलपुर	48.6	46.6	24.8	23.1	44.5	40.8
बांका	50.3	49.6	26.0	26.0	49.1	48.5
सहरसा	44.8	43.9	23.7	24.0	45.2	44.4
सुपौल	47.7	48.1	21.4	20.9	43.2	43.4
मधेपुरा	52.7	51.8	24.4	24.2	50.0	49.2
पूर्णिया	53.9	52.1	20.6	20.8	48.3	47.0
किशनगंज	46.7	46.9	22.9	22.8	45.3	45.4
अररिया	49.0	48.4	23.0	22.8	46.7	45.4
कटिहार	50.4	49.2	21.7	20.7	46.2	45.1
बिहार	**49.3**	**48.3**	**20.8**	**20.8**	**44.6**	**43.9**

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत सरकार

© प्रकाशनाधिकार 2019, वित्त विभाग, बिहार सरकार

मुद्रक – सरस्वती प्रिंटर्स लि. (पश्चिम बंगाल सरकार का उद्यम) कोलकाता – 700056